राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] नवम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का उन्तालीसवां दिवस [संख्या : 26

गुरुवार,
2 अप्रेल, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित-प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 1992)

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित बजट

515. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : क्या मुख्य मंत्री (आयोजना) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार कितने-कितने रुपये बजट में स्वीकृत किये गये थे तथा कितने-कितने खर्च किये गये ? विभागवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में किन-किन योजनाओं में कितना प्रतिशत रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है और कितना प्रतिशत रुपया राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है ?

राज्य मंत्री, आयोजना (श्री मदन मोहन सिंघल) : (1) केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिये वर्ष 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर योजनान्तर्गत मदवार/क्षेत्रवार/विभागवार प्रावधान एवं व्यय की सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली योजनावार केन्द्रीय राशि के प्रतिशत की सूचना परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जब पिछली दफा प्रश्न स्थगित हुआ था एक बात सामने आयी थी। तब आपने जो विभागीय प्रतिवेदन बताया था उसमें फरवरी, 1992 तक का हिसाब बताया था और इसमें जनवरी तक का बताया गया

(श्री रामनारायण वर्मा)

है । प्रश्न स्थगित होने के बाद में अमेण्डेण्ट की सदन में क्यों नहीं जानकारी दी, एक तो बात हमारे समझ में यह नहीं आयी। दूसरा, जिन योजनाओं में राशि बहुत कम खर्च की गयी है आप अगले टाइम उस पैसे का हिसाब नहीं दे पायेंगे कि इतना पैसा भारत सरकार से कम मिलेगा। तो उसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ? आप उनके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं ? क्योंकि राजस्थान की बहबूदी और डवलपमेण्ट का सवाल है। इस बारे में आप बता दीजिये।

श्री मदन मोहन सिंघल : माननीय अध्यक्ष महोदय, नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने पूर्व में इस प्रश्न के बारे में बात उठायी है, कि यह विशिष्ट योजना है और एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जो एक प्रगति प्रतिवेदन जारी होता है उसका हवाला दिया था। उसमें उन्होंने बताया कि ये सूचनाएं माह फरवरी तक की भी सूचना है और जनवरी तक की भी सूचना है। कई योजनाएं विभाग चलाता है जिनकी जनवरी तक की सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनमें जनवरी तक का छपा है और जिनमें फरवरी तक की सूचना प्राप्त हुई है उनमें फरवरी तक का छपा है। हमारे पास तो आन दी होल जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनकी सूचना ही हम दे पाते हैं। पहला प्रश्न 22 तारीख के आसपास पूछा गया था उस समय तक हमारे पास सभी विभागों की पूरी सूचनाएं जनवरी तक की ही उपलब्ध थीं, फरवरी तक की सूचना कम विभागों की ही एकत्रित हुई थीं उन्हें अपने प्रगति विवरण में छपा था। दूसरा, जहां तक राशि लेप्स होने की बात है, राशि लेप्स भी होती है वह पी. डी. एकाउण्ट में जमा होती है सम्बन्धित योजनाओं के विभाग में और जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमें कम राशि सेन्ट्रल से मिलती है, तो सेन्ट्रल के कुछ नार्म्स होते हैं जो सभी राज्यों के लिये सामान्य रूप से लागू होते हैं। प्रत्येक राज्य को उन नॉर्म्स के अनुसार राशि मिलती है।

श्री रामनारायण वर्मा : क्या यह सही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि भेड़ सुधार योजना में आपने समय से भारत सरकार से पैसा नहीं मांगा ? इसके कारण उस योजना में पैसा नहीं मिल सका और वह योजना राजस्थान से खत्म होने जा रही है ? क्या यह सही है कि सिंचाई में जो आपने पैसा खर्च करना बताया है उसमें आपने 26.75 लाख रुपये रखे थे, 3.75 लाख रुपये आपने उसमें खर्च किये हैं और दो महीने बाकी बचे हैं उसमें आप पैसा कैसे खर्च करेंगे ? जैसे आप चम्बल, सी. ए. डी. में देख लीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा जो पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स हैं, उन पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स में 189 लाख रुपये रखे थे। आपने मात्र 69.84 लाख, ज्यादा से ज्यादा 70 लाख मान लीजिये, 50 पर्सेण्ट आपने खर्च किये हैं। इसी तरह से सड़कों में 1477 लाख रुपये आपने रखे थे, 753 लाख रुपये आपने मात्र खर्च किये हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में जो पैसा मिलता है 323 लाख का आपने बताया है, उसमें केवल 34.70 लाख रुपये आपने खर्च किये हैं। इसी तरह से यह सारा का सारा है। क्या आप इस हालत

(श्री रामनारायण वर्मा)

में राजस्थान का नुकसान होना नहीं मानते ? और क्या आप यह बता सकते हैं कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में टोटल कितना पैसा मिलता है और उसमें से कितनी राशि आपने मन्थली खर्च की है ? और नहीं की तो क्यों नहीं की ? उसके पीछे क्या कारण है ? क्या यह सरकार की शिथिलता नहीं है, आपकी मशीनरी की शिथिलता नहीं है ? या राजस्थान का विकास नहीं होने देने की इसके पीछे मानसिक भावना नहीं है ?

श्री मदन मोहन सिंघल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत वृहत सवाल है। पर्टिकुलर किसी विभाग की सूचना ग्राफ हैण्ड मैं नहीं दे पाऊंगा। यदि किसी विभाग से कोई पर्टिकुलर सूचना माननीय सदस्य चहाते हैं तो उसके लिये या तो मुझे लिखित में पूछ ले हम उनको जवाब दिलवा देंगे या माननीय सदस्य मुझसे मिल लें। क्योंकि ये जो केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं हैं ये लगभग 215 योजनाएं हैं। वैसे मैं आपको एक स्थिति स्पष्ट करके बताना चाहता हूं, चालू वर्ष में जो खर्चे की बात आप कह रहे हैं कि खर्चा कम हुआ है, हमें जो बजट का प्रावधान होता है और उसके अगेंस्ट में जो राशि प्राप्त होती है वह हमें एक मुश्त नहीं मिलती, वह राशि हमें किश्तवार मिलती है। जैसे-जैसे केन्द्र सरकार से पैसे रिलीज होते हैं वह विभागों के द्वारा खर्च किया जाता है। एक स्थिति मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, 1991–92 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से जो राशि हमें प्राप्त हुई है उसमें दिसम्बर, 1991 तक 220.25 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और इस सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि उसके अगेंस्ट में दिसम्बर तक 269.32 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। बाद में जनवरी, 92 तक 301.5 करोड़ रुपये तक की राशि हमें कुल मिलाकर प्राप्त हो गयी थी जिसके अगेंस्ट हमने खर्च कर लिये 312.84 करोड़ रुपये और बाद में जो नयी सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार फरवरी, 92 तक 365.40 करोड़ रुपये भारत सरकार से हमें प्राप्त हुए हैं। इसका प्रावधान तो ज्यादा था लेकिन जो राशि हमें प्राप्त हुई है उसके अगेंस्ट में 374.43 करोड़ रुपये खर्च कर लिये। इसी तरह हमारी प्रगति शत प्रतिशत से भी ज्यादा है और जैसे-जैसे राशि प्राप्त होती रहती है उसको विभागों को दे दिया जाता है....

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नहीं कि मैं आपसे मिल लूं। यह एक बहुत आब्जेक्शनल बात है।

श्री अध्यक्ष : आपका अब कौन-सा सप्लीमेण्टरी है ?

श्री रामनारायण वर्मा : कि क्वेश्चन अवर में इस तरह के जवाब मंत्री लोग दें। मैं ट्रेनिंग देने वाला नहीं हूं जो मंत्रियों का कोई प्रबोधन कार्यक्रम चला दूं। मैं तो एक ही बात आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेण्टरी कौन-सा कर रहे हैं तीसरा या चौथा ?

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा निवेदन करना यह है कि इस साल खर्चे की राशि

(श्री रामनारायण वर्मा)

कितनी प्राप्त हुई उसके आंकड़े मंत्री सही नहीं दे रहे हैं गत वर्ष 1990-91 को ले लीजिये, 1990-91 के आप आंकड़े देखेंगे तो कृषि से सम्बन्धित जो खर्च बताया है क्या कारण है कि वह पूरा का पूरा खर्च नहीं किया। ग्रामीण विकास का पैसा आपने कम खर्च करना बताया है और उद्योग विभाग का आपने 782 में से 650 ही खर्च किया है, 100 लाख रुपया लैप्स हुआ है या 100 लाख रुपया कम खर्च किया है। इसकी मानिटरिंग नहीं होने का क्या कारण है? इसके साथ राजस्थान हाथ कर्घा विकास निगम में 250 के अगेंस्ट गत वर्ष 128 लाख रुपये खर्च किये। ये गत वर्ष के आंकड़े भी ठीक नहीं हैं। विज्ञान और तकनीकी एक महत्व-पूर्ण विभाग हैं उसमें आधा पैसा खर्च किया गया है। इसी तरह से जो....

श्री अध्यक्ष : या तो आप एक पर टिके रहें, पहली बात तो आपने खर्च करने की बतायी कि लैप्स हो गया। वे कहते हैं कि लैप्स नहीं होता है रुपये जमा रहते हैं। दूसरी बात उन्होंने बतायी कि सेन्ट्रल से हमको इतने करोड़ रुपये की मदद मिली उससे ज्यादा खर्चा किया गया है। यह आपका जो मेन सवाल है उसके बारे में सवाल कीजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। गत वर्ष जो राशि इन्होंने खर्च नहीं की और पी. डी. एकाउण्ट में डालना कहते हैं मेरा एक ही निवेदन है कि गत वर्ष जो खर्च नहीं हुई और पी. डी. एकाउण्ट में डाली, इस वर्ष उसमें से कितनी राशि खर्च कर दी, इसका ब्योरा दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है एक सवाल आ गया। पिछले साल कितना अमाउण्ट आपने पी. डी. अकाउण्ट में डाला जो इस साल खर्च हुआ?

श्री मदन मोहन सिंघल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990-91 में जो प्रावधान था, आन दी होल बता रहा हूं मैं, 516.62 करोड़ रुपये का था, जिसमें से 489.98 करोड़ रुपया खर्च किया गया। जो पैसा खर्च नहीं हुआ वह अगले वर्ष में आ गया।

श्री अध्यक्ष : उसको यूटिलाइज कर लिया।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पावर्टी रिमूवल में जो सेण्ट्रल, स्पान्सर्ड स्कीम हैं:—डी. डी. पी., डी. पी. ए. पी., जे. आर. वाई., आई. आर. डी. पी., एन. आर. ई. पी., इसमें जो पैसा सेण्ट्रल ने अलाट किया है उसका आधा पैसा खर्चा कर पाये। क्या यह सही है कि सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट खर्चा करने की जो कंडीशन देती है उसमें रिलेक्सेशन करने का स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है?

श्री मदन मोहन सिंघल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री अध्यक्ष : हां भरिये ना। उन्होंने जो पूछा है उसमें हां भरने की बात है। जवाब क्या देंगे? नेक्स्ट। श्री जोगेश्वर गर्ग।

बिक्री कर विभाग के लम्बित मुकदमे

757. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) (श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) की अनुपस्थिति में) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में किन-किन एल्यूमिनियम कण्डेक्टर स्टील वायर बनाने वाले कारखानों के विरुद्ध बिक्री कर विभाग के कब-कब से किस-किस प्रकरण के मुकदमें किन-किन अदालतों में कितनी बकाया राशि के लम्बित पड़े हैं ?

(2) सरकार ने लम्बित पड़े मुकदमों के निस्तारण हेतु क्या कार्यवाही की हैं ?

(3) किन-किन मुकदमों में बिक्री कर वसूली के विरुद्ध व राज्य सरकार के विरुद्ध स्थगन आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा किस आधार पर दिये गये व बिक्री कर विभाग ने उस स्थगन आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कब-कब व क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ? स्थगन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रकार के किन-किन कारखानों की बिक्री कर राशि कितनी-कितनी कब-कब से बकाया है तथा उनकी वसूली करने की क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री शान्तिलाल चपलोत : (1) पाली जिले में जिन एल्यूमिनियम कण्डक्टर स्टील वायर बनाने वाले कारखानों के विरुद्ध बिक्री कर की मांग राशि के प्रकरणों में जो मुकदमें जिन अदालतों में लम्बित चल रहे हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	कारखाने का नाम	अदालत जिसमें प्रकरण लम्बित है	प्रकरण के अदालत में लम्बित होने की तिथि	बकाया मांग राशि
(1)	मै. जैन केबिल्स प्रा, लि. भूठा (पाली)	उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर	14-6-1991	–
(2)	मैं. प्रेम केबिल्स प्रा. लि. पीपलिया कलां (पाली)	उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर	24-10-1991	–
(3)	मैं. प्रेस केबिल्स प्रा. लि. पीपलिया कलां (पाली)	उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर	10-3-1992	1,46,872,00
(4)	मैं. प्रेस केबिल्स प्रा. लि. पीपलिया कलां (पाली)	राजस्थान बिक्री कर अधिकारी, अजमेर	25-3-1991	–

(श्री शांति लाल चपलोत)

(2) प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के क्रम संख्या 1 पर अंकित प्रकरण में सुनाई की तारीख निश्चित हो चुकी है। क्र. सं. 2 एवं 3 पर अंकित प्रकरणों में सुनवाई हेतु तारीख निश्चित कराने का प्रयास जारी है। क्र. सं. 4 पर अंकित प्रकरण के निस्तार हेतु राजस्थान बिक्री कर अधिकरण, अजमेर के निर्देशानुसार पत्रावली प्रस्तुत की जा चुकी है।

(3) किसी भी प्रकरण में कोई स्थगन आदेश नहीं है।

(4) प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के क्रम संख्या 3 पर अंकित प्रकरण में मांग राशि रु. 1,46,872.00 दिनांक 7-3-1992 को भुगतान योग्य बकाया हुई थी। इनकी वसूली हेतु राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। क्रम संख्या 1, 2 व 4 पर अंकित प्रकरणों में वर्तमान में कोई मांग बकाया नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, 1,46.872 के बारे में मेरे को अभी-अभी सूचना मिली है कि यह भी हमने रिकवर कर ली है 54-3-92 को।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, खण्ड-4 के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि खण्ड एक दो व 4 पर अंकित प्रकरणों में वर्तमान में कोई मांग बकाया नहीं है जबकि खण्ड-2 के उत्तर में बताया कि खण्ड-दो एवं तीन पर अंकित प्रकरणों में सुनवाई हेतु तारीख निश्चित करने का प्रयास जारी है और क्रम संख्या 4 में अंकित प्रकरण के निस्तारण हेतु राजस्थान बिक्री कर अधिकरण के निर्देशानुसार पत्रावली प्रस्तुत की जा चुकी है, अध्यक्ष महोदय, जब मांग ही बकाया नहीं है तो प्रकरण में तारीख लेने की, आगे कार्यवाही की आवश्यकता है ?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि गत दो वित्तीय वर्षों में पाली जिले की केबल फैक्ट्रियों से कितनी राशि बिक्री कर के रूप में वसूल हुई हैं और इन यूनिट्स में सिक यूनिट्स कितनी हैं ? इन यूनिट्स से अधिकांश माल राज्य सरकार ही खरीदती है तो खरीद पर बिक्री कर में छूट दी जाती है क्या ? राजस्थान प्रान्त में जो बिक्री कर की दर है उसकी तुलना में बाकी के प्रान्तों के अन्दर बिक्री कर की दर कितनी हैं ? मेरा कहना यह है कि बिक्री कर और राज्यों की तुलना में अपने यहां पर ज्यादा है इसलिए ये यूनिट्स घाटे में चलती हैं। इसलिए अन्य उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए और इनको वायबल बनाने के लिए बिक्री कर की दर में कमी करने का सरकार विचार रखती है क्या ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कुछ बातें तो जनरल पूछी हैं कि बिक्री कर कितना है। अलग-अलग मदों पर अलग-अलग है, कहीं पर दो प्रतिशत, कहीं पर चार, कहीं पर छह प्रतिशत है। (व्यवधान)....यह तो पूछा भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जो पूछा है उसका तो जवाब दे दीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : वह बता रहा हूँ।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह अलग से प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : मांग का दे रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : दूसरा आपने पूछा कि फिर अपील किस बात की कर रहे हैं कार्यवाही किस बात की कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 27.9.91 को वाणिज्य कर अधिकारी, विशेष वृत, पाली द्वारा निरीक्षण किया गया। उसमें 53 हजार 654 रुपये कर राशि के 32 हजार 532 रुपये और ब्याज के 31119 रुपये निकले जो वसूल कर लिये गये। उसके पश्चात्, उसमें यह है कि प्रार्थी चाहे तो अपील कर सकता है, तो वह विचाराधीन हैं। वसूली तो हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : यह सारी अपील में है ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपने बिक्री कर के मामले में जवाब नहीं दिया।

श्री शांतिलाल चपलोत : बिक्री कर का इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ये कह रहे हैं बिक्री कर का मामला इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं। आप जो बात पूछ रहे हैं वह इससे सम्बन्धित नहीं है, ये तैयार नहीं हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, वे छोटी यूनिटें हैं, घाटे में चल रही हैं, बिक्री कर बहुत ज्यादा हैं। इसे कम करने पर विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप उनकी मदद करिये ताकि वे लाभ में आ जायें। श्री गोपीराम जाट।

सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित "उपहार"

758. **श्री गोपीराम जाट (आमेर) :** क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा संचालित "उपहार" में किन सिद्धान्तों के आधार पर व्यापार किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि "उपहार" की दरें बाजार से अधिक हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि "उपहार" की अधिक दरों की जानकारी दैनिक समाचार-पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित होती रही हैं ? यदि हां, तो दरों के नियन्त्रण हेतु संघ ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही हैं कि दरों में अन्तर का कारण "उपहार" द्वारा अधिक दरों पर सामान क्रय करना रहा है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

(4) वर्ष 1990–91 में "उपहार" द्वारा किये गये व्यापार का पूर्ण विवरण मय सन्तुलित चार्ट के सदन की मेज पर रखें।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मन्त्री) : (1) इस संस्था द्वारा व्यापार के सामान्य नियमों की अनुपालना की जाती है, जिसमें उपभोक्ताओं की मांग देखते हुए सही सामान लाभकारी मूल्य पर दिया जाता है।

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

(2) सामान क्रय मूल्य पर खर्च तथा अन्य प्रभाव एवं बाजार में अन्य विक्रेताओं द्वारा चार्ज किये गये मूल्यों को देखते हुए विक्रय मूल्य लगाया जाता है। बाजार में भाव आकस्मिक रूप से घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं या व्यापारी निजी हित में स्वयं ऐसा कर देता है संघ को भावों में संशोधन करने में समय लगता है।

(3) जी नहीं। उपहार में सामान क्रय करने की एक निश्चित प्रक्रिया है, जिसके तहत गठित क्रय समिति द्वारा उत्पादकों/स्टाकिस्ट/थोक विक्रेता से ही सामान क्रय किया जाता है। अधिक दरों पर क्रय का कोई मामला जानकारी में नहीं है, अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं होता।

(4) वर्ष 1990–91 में उपभोक्ता संघ (क्रय-विक्रय शाखा) द्वारा किये गये व्यापार का विवरण मय सन्तुलित चार्ट संलग्न परिशिष्ट-अ–1 व अ–2 पर उपलब्ध है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, खण्ड–4 में उपभोक्ता संघ द्वारा व्यापार किया गया उसका सन्तुलन चार्ट तो मुझे मिला नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह सन्तुलन का चार्ट तो मेरे प्रश्न के साथ लगा दिया है। यह एफीशियंसी है अपने सचिवालय की। यह मेरे पास लगा दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : आप ज्यादा बोलती हैं इसलिए आपके साथ लगा दिया।

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा कि अधिक दरों पर क्रय का मामला सामने नहीं आया तो मैं जानना चाहता हूं, दो उदाहरण देकर कि कीमतें फिर अधिक चार्ज क्यों की जाती हैं ? विधान सभा शाखा से 29.1.92 को पीयर्स सोप खरीदा गया। जिसका रुपये 10.50 चार्ज किया गया है। उस पर प्रिण्टेड कीमत हैं इनक्लूसिव आल टैक्सेज रु0 10.10। इसी प्रकार बिहारी बाजार शाखा से 16 रुपये में 250 ग्राम चाय ब्रुक बाण्ड की खरीदी जिसकी प्रिण्टेड वेल्यू रु. 15.75 है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इसके अन्दर अधिक दर पर नहीं खरीदा जाता है तो अधिक दर पर क्यों बेचा जाता है ? जिस उद्देश्य से ये दुकानें चलायी जा रही हैं उनकी पालना भविष्य में होती रहे, इसके लिये मन्त्री महोदय सतर्क रहें और डिपार्टमेण्ट को सतर्क रखें।

श्री चतुर्भुज वर्मा : पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या ध्यान रखेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, अभी यह खत्म नहीं कर रहा हूं। खत्म कहां हो रहा है ! आप बैठिये, खत्म नहीं हो रहा है। आप खण्ड दो पढ़िये, उन्होंने पूछा है कि–"क्या यह भी सही है कि उपहार की अधिक दरों की जानकारी दैनिक समाचार

(श्री अध्यक्ष)

पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित होती रही है ? यदि हां, तो इन दरों के नियन्त्रण हेतु संघ ने अब तक क्या कार्यवाही की ?" आपने इसके जवाब में बताया कि "सामान क्रय मूल्य पर खर्चे तथा अन्य प्रभाव व बाजार में अन्य विक्रेताओं द्वारा चार्ज किये गये मूल्य को देखते हुए विक्रय मूल्य लगाया जाता है। बाजार में भाव आकस्मिक रूप में घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं।" यह सारी बात वे नहीं पूछ रहे हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं क्या ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : समाचार पत्रों के जरिये मेरे को जानकारी नहीं आई लेकिन फिर भी....

श्री गोपीराम जाट : समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं....

श्री चतुर्भुज वर्मा : फिर भी नीति निर्धारण करने वाली एक कमेटी कायम की हुई है।

श्री अध्यक्ष : सवाल सीधा-सा है, जवाब दे दिया आपने आपको पता नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, आपके आर्टिकल्स के ऊपर जो प्रिन्टेड प्राइज है उसमें अधिक कीमत पर बेचना किसी माल को जुर्म, है। यह आजकल बिल्कुल तय है। पहले तो पोल मची हुई थी, अध्यक्ष महोदय, कि उस पर लिख दिया जाता था एक्सक्लूसिव आफ अदर टैक्सेस। अदर टैक्सेस के नाम पर कीमतें बढ़ा कर बेची जाती थीं। क्या, माननीय मंत्री महोदय, आपको जानकारी है कि नये कानून से प्रिन्टेड प्राइज से अधिक लेना कानूनन जुर्म है ? इसको रोकने के लिए आप अपने उपहार में क्या व्यवस्था कर रहे है, यह सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि उपहार की स्थापना बाजार से सस्ती दर पर रोजाना काम में आने वाली चीजों को उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए की गई थी ? अगर हां, तो क्या यह सही है कि जब-जब भी बाजार में कोई चीजें महंगी होती हैं उस समय उपहार से रातों रात ही सामान गायब हो जाता है और जब चीजें सस्ती हो जाती हैं उस समय हजारों-लाखों रुपये का सामान पड़ा रहता है और ब्याज लगता रहता है ? अगर हां, तो इसके लिए आपने क्या उपाय किये हैं ताकि आइंदा वह घाटे में न रहे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्राइज का मामला है अगर सरकार की संस्थाएं इसको फ्लाउट करेंगी, यह बड़ा इम्पार्टेन्ट सवाल है....

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जो पूछा है, दोनों रिलेटेड हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर इसका ही जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष : वे पूरा पूछ रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जो सामान है–दालें है, देशी घी है अमूल है, सरस है इसका बाजार

(१०)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

में आप मिलान कर लें। यह दाल की कीमत आपके यहां 14–25 है और बाजार में 13–50 है। देशी घी का आप 91 लेते हैं बाजार में 85 है। अमूल आपके यहां 92 है और बाजार में 85 है। सरस आप 85 लेते हो, बाजार में 80 का भाव है। केवल एक शक्कर के अलावा, जब शक्कर मंहगी हो गई थी और बाजार से गायब हो गई थी उसमें जरूर इन्होंने अच्छा काम करके उपभोक्ताओं को शक्कर दिलाई थी बाकी कोई भी ऐसा सामान जो बाजार में आसानी से मिल जाता है वह अपने यहां 5–10 पैसे ज्यादा मिलता है। लोग विश्वास से आपके पास आते हैं तो आप उनका विश्वास कायम करने के लिए क्या ऐसी योजनाएं बनायेंगे ? बाजार में भाव कम होते हैं या ज्यादा होते हैं उस समय इमीजिएटली मीटिंग बुलाकर बाजार के समकक्ष और उससे कम करने के लिए क्या प्रयास करने जा रहे हैं ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा मूल्यों पर वस्तुएं बेचने का मामला कई बार विधान सभा में उठा है और आज जब यह पार्टीकुलर प्रश्न है कि जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चीजें बाजार भाव से ज्यादा में बिक रही हैं तो क्या माननीय मंत्री महोदय को इस बात की तैयारी के साथ नहीं आना चाहिये था कि भण्डार की वस्तुएं किस भाव से बिक रही हैं और बाजार में किस भाव से बिक रही हैं ? और क्या आप अखबार नहीं पढ़ते ? आपका विभाग ऐसा है जो आपको सूचना नहीं देता कि यह समाचार पत्र में आया है इसकी जांच की जाए। मन्त्री महोदय, आप स्वयं अन्दर से यह बात स्वीकार करते हैं लेकिन मुझे आश्चर्य है, उपहार का जो उद्देश्य है कि बाजार के भाव को कन्ट्रोल करे उसकी जगह बाजार के भावों को बढ़ाने का काम यह विभाग कर रहा है, यह बहुत चिन्तनीय विषय है। आपको इस विषय पर विचार करना चाहिए। अखबार आप पढ़ते नहीं, प्रश्न आता है तो आप उसकी तैयारी करते नहीं, जानकारी कोई आपको होती नहीं तो फिर यह भण्डार कैसे सुधरेगा ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया कि अखबार नहीं पढ़ते, इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : इसका मतलब आप स्वीकार करते हो ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वक्तव्य यह है कि अखबारों में आता रहता है। क्या बात कर रहे हैं। इसके पास सब अखबारों की कटिंग आती हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य सुनेंगे तो सुनाऊंगा....

श्री प्रद्युम्न सिंह : He is talking nothing but +++over here.

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी प्रयास करते हैं,

+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

इनके अधिकारी मानते नहीं हैं तो इसमें मंत्री जी की क्या गलती है ?

श्री अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अभी कांग्रेस के सचेतक महोदय ने जो जोश में नानसेंस शब्द का उपयोग किया है, मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक बात सुन लीजिए....

श्री अध्यक्ष : यदि अनपार्लियामेंट्री है तो हटा देंगे। देख लेंगे, हमारे यहां लिस्ट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : It is not unparliamentary, sir, यह पार्लियामेंट में तय हो चुका है। I again repeatit, he is talking nothing but +++ he is talking.

क्या बात कर रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष : देख लेंगे।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विशेष क्वालिफाइड हैं इसमें मैं शंका नहीं करता लेकिन जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह शालीनता से पूछें, शालीनता से जवाब दूंगा। (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप शांति से जवाब दीजिये। यह हाउस है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : क्या मंत्री जी नाराज हो गये ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, कोई नाराज नहीं है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने 13-3-92 का एक सम्पूर्ण चित्र आपके सामने पेश किया है उसमें 25 आइटम्स दिये गये हैं, अगर कहीं किसी में राशि ज्यादा हो तो बतायें मुझे। राजापार्क का भाव बताया, बापू बाजार का बताया, जौहरी बाजार का बताया, खुदरा मूल्य बताया और उपहार उपभोक्ता का बताया, कहीं एक पैसा ज्यादा नहीं है। फिर भी मैंने दो आदमी की कमेटी बना रखी है जो महीने में सारे भावों का चैकिंग करती हैं। कहीं घटता है, कहीं बढ़ता है....

श्री हेतराम बेनीवाल : उस कमेटी में मेम्बर कौन-कौन हैं ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैनेजर खरीद उसके अन्दर हैं और शायद सहायक मैनेजर खरीद उसके अन्दर है। दोनों आदमी महीने में कम से कम दो बार उस सब को देखते हैं कि भाव घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। चार बार भी मीटिंग हो सकती है, आठ बार भी हो सकती है, वह सारे भावों का निर्धारण करती है (व्यवधान)

श्रीमती सूर्याकान्ता व्यास : क्या यह कमेटी जयपुर में बनी है या सभी जगह बनी हैं ?

+++माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, मैं पूछ रहा हूं। इनका एक सवाल तो यह है जो छपी हुई प्राइज है उससे अधिक प्राइज लेते हैं क्या ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा प्राईज नहीं ली जाती है।

श्री अध्यक्ष : मान लो लेते हैं तो ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आमेर से आने वाले माननीय सदस्य रसीद पेश कर रहे हैं, आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप इस की जांच कर लें। दूसरा उन्होंने यह पूछा था कि बाजार में जब माल के भाव घटते-बढ़ते हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या उपहार में आप बाजार से कम दाम पर माल बेचने का विशेष प्रयास करते हैं ताकि बाजार में भाव डाउन आ जाएं। इसलिए उन्होंने अखबार का हवाला दिया था बाजार में जब भाव बढ़ गये। आपके भाव बाजार के भावों से ज्यादा किसी हालत में नहीं होने चाहिये""

श्रीमती उजला अरोड़ा : बाजार के भाव में उपहार के भाव भी छप जाएं तो तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : तो उन भावों से आप ज्यादा भावों में दे रहे हैं जैसा विश्नोई जी ने कुछ आइटम्स बताए कि बाजार से ज्यादा भाव आपके यहां हैं। कुछ तो उन्होंने बताया कि बराबर भाव हैं और कुछ में आपके भाव ज्यादा हैं और बाजार में कम हैं। इसको कन्ट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि ऐसा कोई चित्र मेरे सामने नहीं आया जो ज्यादा भाव का हो। हालांकि मेरी नालेज में नहीं आया लेकिन आयेगा तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री जी को ध्यान में नहीं आया तो वापस बता दूं ?

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी को सामान खरीद करना ही नहीं पड़ता है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक यह इन्होंने 1986-87 से लेकर 1989-90 तक का घाटा बताया है 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये; 9 लाख रुपये और 12 लाख रुपये। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं यह घाटे का क्या कारण है जब कि हम मोनोपोली आइटम, वह चाहे चीनी हो, और कण्ट्रोल आइटम ही ज्यादातर बेचते है ? राज्य सरकार जिनके ऊपर रियायत देती है उसके अलावा कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम बेचते हैं ? क्या यह सही है कि लोगों को सस्ती और अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हों, इसके लिए उपभोक्ता संघ अपना उद्देश्य समाप्त कर चुका ? वही चीजें बेचते हैं उसके बाद भी घाटा है। इसमें आपको बिलकुल नियन्त्रण नहीं है, आप जवाब देते हो मैं अखबार पढ़ता नहीं। अगर आप व्यापार करोगे तो डे-टु-डे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चीज मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है कि नहीं मिलती है, भाव बाजार में क्या है हमारे क्या हैं। यही कारण है कि आपके यहां और दूसरी चीजें मिलती नहीं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । अब जवाब सुन लीजिए । (व्यवधान) आप जवाब तो सुन लीजिए। आप जवाब नहीं सुनेंगे ? यदि आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, सवाल ही पूछना चाहते हैं तो मैं इनको बैठा देता हूं । आप सबसे सवाल पुछवा लूंगा, और प्रश्न समाप्त कर देते हैं । आप बिराजिये । जवाब सुनिये ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता संघ के माध्यम से 2500 किस्म की वस्तुएं बेची जाती हैं । 8 संस्थाओं के माध्यम से 21 दुकानें चल रही हैं, उनके द्वारा ये चीजें बेची जा रही हैं। लेकिन गुणवत्ता के आधार पर जो चीजें होती हैं, बाजार में जिनकी गिरावट होती है किस्म के अन्दर, वे चीजें तो थोड़ी ज्यादा होंगी, इसमें कोई शंका नहीं । पैकिंग भी होती है सफाई भी होती है। कीमतों का उतार-चढ़ाव चलेगा ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : साबुन भी उसमें है क्या ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय सदस्य ने पूछा कि घाटा कैसे होता है। हमारी दो शाखाएं हैं-क्रय शाखा और विक्रय शाखा । विक्रय शाखा के अन्दर तो कोई मार्जिन नहीं लिया जाता। जो मार्जिन मिलता है वह क्रय शाखा को मिलता है। विक्रय शाखा में तो घाटा दिखाया जाता है, लेकिन क्रय और विक्रय शाखा का सन्तुलन देखें तो कोई घाटा नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लक्स जैसे बाजार में मिलता है वैसे ही मिलना चाहिए। साबुन के दाम भी आप ज्यादा लेते हैं। उसमें क्वालिटी की बात कहां आ गयी ? क्वालिटी की बात ही नहीं है । जो बाजार में मिलता है वहीं आपके यहां मिलता है । उसके दाम भी आप ज्यादा लेते हैं जिसके दाम लिखे हुए हैं ।

श्री महावीरप्रसाद जैन : ऐसी एक-आध वस्तुओं के नाम बताओ । उपभोक्ता संघ गुणवत्ता के आधार पर कौन-कौनसी चीजें उपलब्ध कराता है ? बाजार के मुकाबले में गुणवत्ता के आधार पर कौन-कौनसी वस्तुएं आप उपलब्ध करा रहे हैं ? बिल्कुल घटिया स्तर की करवाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : महावीर जी, और भी पूछ रहे हैं ।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या पहले उपभोक्ता भण्डार या उपहार से उपभोक्ताओं को जो सामान दिया जाता था वह किसी बैंकिंग में दिया जाता था ? आज की तारीख में अगर सब्जी मण्डी में भी जाते हैं तो उपभोक्ताओं का सम्मान होता है । सामान पैकिंग में दिया जाता है, थैली या और किसी में । यह बन्द किया गया, क्यों ? इसको स्पष्ट किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । किशनाराम जी ।

श्री सांवर लाल : उपभोक्ताओं का कोई सम्मान नहीं है ।

दूसरा महत्वपूर्ण सवाल मेरा यह है कि क्या आपकी जानकारी में यह है कि तत्कालीन खाद्य आयुक्त रणजीत सिंह कूमट ने एक पत्र लिखा था कि बाजार मूल्य और

(श्री सावर लाल)

आपके मूल्यों में बड़ा अन्तर है, ऐसा क्यों है ? इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई, यह जानना चाहता हूं ।

इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि ये रेट्स देते हैं पेपर में । इनके काउण्टर की रेट चेंज हो जाती है और जो अखबार में रेट छपती है वह चेंज नहीं होती । इससे बड़ा कन्फ्यूजन उपभोक्ताओं में होता है । इसके सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करेंगे ? दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे जो इस प्रकार का भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं ?

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता सहकारी संघ, सरदार शहर में, जिसकी उप शाखा हमारे श्रीडूंगरगढ़ में है उसमें लाखों रुपये का घोटाला है और हेराफेरी है । क्या मन्त्री महोदय आडिट कराके इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता । सूर्यकान्ता जी, आप पूछ रही थीं, अब सो रही हैं ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाह रही थी आपके माध्यम से, मन्त्री महोदय ने बताया कि मैंने कमेटी बनायी, तो यह कमेटी जयपुर में बनी या सारी जगह बनायी ? उसके अन्दर कुछ महिलाओं को भी लेने का विचार रखते हैं क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने यह कहा कि जो छपी हुई रेट है उससे ज्यादा मूल्य पर नहीं मिलती । मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को सुझाव देता हूं कि आप बुरका पहनकर मेरे साथ चलें और जयपुर की चाहे जिस दुकान से आप सौदा ले लें । उस पर लिखी हुई कीमत से ज्यादा पर नहीं मिले तो आप कहें जो मैं करने को तैयार हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये तो बिना बुरका पहने जायेंगे, इन्हें पहचानता कौन है ? कोटा वाले पहचानते हैं, जयपुर वाला तो कोई पहचानता नहीं ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, जब उपहार और उपभोक्ता संघों पर बाजार से ज्यादा मूल्य पर वस्तुएं मिलती हैं, उसके बाद भी घाटा जाता है, 10 प्रतिशत जोड़कर बाजार से खरीदते हैं, तो इनको बन्द क्यों नहीं कर दिया जाता ? क्या ऐसा करेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं क्या करूं, लोग हाथ खड़े कर रहे हैं । अब कैसे रोकूं, बताइये । मैं रोक नहीं सकता । रोकूंगा तो आप फिर नाराज होंगे । खड़े कर रहे हैं हाथ ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी, क्या यह बात सही है कि उप केन्द्रों की निगरानी हेतु एक कमेटी बनी हुई है ? उस कमेटी ने क्या कभी आपको रिपोर्ट दी इस सम्बन्ध में ? क्या वह सक्रिय है कमेटी ? आप जानते हैं, कोई कमेटी बनी हुई है ? जवाब दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : जगमाल सिंह जी । मन्त्रीजी, शान्ति से बिराजिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जवाब दिलवाइये, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : पूछ रहे हैं न सवाल।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आप से ही पूछना चाह रहा हूं। आज क्वश्चन आवर में माननीय सदस्यों से नाराजगी है ?

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं आप जवाब दिलवाइये, मैं जह रहा हूं पूछ रहे हैं सवाल।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं तो मंत्रीजी से नहीं पूछ रहा, आप से निवेदन कर रहा हूं. नाराजगी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : मेरे से पूछ रहे हैं ? क्या ?

श्री जगमाल सिंह यादव : आज यह क्वश्चन आवर चलाने में आपकी या सदन की रुचि नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये न सवाल।

श्री जगमाल सिंह यादव : साहब, बहुत हो गया। आधा घण्टा-पौन घण्टा हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस क्वश्चन को ही खींचे जा रहे हैं। और भी तो क्वश्चन हैं आखिर इसके आगे भी।

श्री अध्यक्ष : अच्छा तो और क्वश्चन। नैक्सट। श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर।

छबड़ा तथा छीपा बड़ौद में डीजल का अनाधिकृत व्यापार

759. **श्री लक्ष्मी लाल गुर्जर (आसीन्द) :** क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत दिनों छबड़ा व छीपाबड़ौद में डीजल के अनाधिकृत व्यापार करने के मामले पकड़े गये ? क्या ये व्यापारी निर्धारित कीमत से अधिक कीमतों पर उपभोक्ताओं को डीजल विक्रय करते थे और इन्हें जिला रसद अधिकारी ने लाइसेंस जारी किये थे ?

(2) क्या सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) जी हां।

(2) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मी लाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भ्रष्टाचार के गम्भीर मामले से सम्बन्धित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वह भी माननीय मुख्य मन्त्री के निर्वाचन क्षेत्र का मामला है। मैंने अपने मूल प्रश्न में बात पूछी कि क्या गत दिनों छबड़ा व छीपा बड़ौद में डीजल के अनाधिकृत व्यापार करने के मामले पकड़े गये। उत्तर मिला, जी हां। क्या ये व्यापारी निर्धारित कीमत से अधिक कीमतों पर उपभोक्ताओं को डीजल विक्रय करते थे ? उत्तर मिला जी हां। इन्हें जिला रसद अधिकारी ने लाइसेन्स जारी किये थे ? उत्तर मिला, जी हां। मैं पूछना चाहता हूं कि ये व्यापारी कौन-कौन हैं ? दूसरा इन्होंने किस दर से डीजल खरीदा और किस दर से डीजल बेचा ? तीसरा, जिला रसद अधिकारी ने जो लाइसेंस दिये हैं क्या वे मोटर स्पीड और हाई स्पीड डीजल (प्रीवेंशन आफ माल प्रैक्टिसेज) सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर,

(श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर)

1990 के वायोलेशन में नहीं हैं ? सरकार ने जवाब दिया कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन हैं। अब तक दोषी व्यक्ति आप किन-किन को मान रहे हैं, लिस्ट बतायें। उनके विरुद्ध अब तक आपने क्या कार्यवाही की ? 30.10.1991 का मामला है। असेंशल कामोडिटीज एक्ट में किये हुए प्रावधानों के अन्तर्गत क्या इनके विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करायी है ? आप दोषी व्यक्ति किन-किन को मानते हैं, यह सदन में बता दें।

श्री अध्यक्ष : मैं यदि बोलूंगा नहीं तो You will go on repeating. प्लीज सिट डाउन। हां, जवाब दीजिये। मौका देता हूं इसका मतलब यह नहीं कि आप बार-बार कहे ही जाओ। जरा अपने आप ही बैठ जाया करो। आपने तीन बार पूछ लिया वही प्रश्न, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। and again you are repeating it.

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 3.10.1991 को निरीक्षण किया गया। उस समय जो बैरल पाइण्ट्स थे उनके अधिक कीमत पर डीजल बेचने के मामले पकड़े गये। ये थे-मैसर्स नरेन्द्र कुमार जितेन्द्र कुमार, छीपा बड़ौद, कल्याण मल जिन्दल, छीपा बड़ौद, मैसर्स कुंज बिहारी शर्मा, छबड़ा; मैसर्स त्रिलोकचन्द गुप्ता, छबड़ा, स्टेशन रोड़, छबड़ा और मैसर्स रेवती रमण अदल करण, छबड़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 22.9.1990 को केन्द्र सरकार द्वारा मोटर स्पीड एण्ड हाईस्पीड डीजल (प्रीवेंशन आफ माल प्रेक्टिसेज) सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर, 1990 आया हैं। इसके तहत जितने भी बैरल पाइण्ट्स पहले से प्रारम्भ थे, राज्य सरकार की तरफ से दिये गये थे उनको बन्द कर दिया गया है। बन्द करने के बाद इनको लाइसेन्स डी. एस. ओ. और कलक्टर को जारी नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने जारी किये। जब डीजल के बैरल पाइण्ट जारी हो जाते हैं उसके बाद कलक्टर उनकी रेट तय करता है कि क्या कीमत पर वे बेचेंगे। लेकिन इन फर्मों के द्वारा न तो आवेदन किया गया और न कलक्टर के द्वारा इनकी रेट तय की गई। इसलिए जब ज्यादा इन्होंने पैसा वसूल किया तो उसके आधार पर हमने कार्यवाही की। कार्यवाही करने के बाद फर्मों ने यह कहा कि हमने जो ज्यादा पैसा लिया है, जो रेट्स के हिसाब से ज्यादा है उसको हम देने के लिए तैयार हैं। हमने डी. एस. ओ. का एक्सप्लेनेशन काल किया है कि आपने जो सैण्ट्रल का आर्डर आया है उसके अगेन्स्ट में दिया है। उसका जवाब आया है, उसकी हम जांच कर रहे है और उसके आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। वैसे बैरल पाइण्ट् की राजस्थान में बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : वे पूछ रहे हैं एफ. आई. आर. दर्ज करवाई क्या ?

श्री रामकिशोर मीणा : एफ. आई. आर, दर्ज नहीं करवाई। एफ. आई. आर. दर्ज इसलिए नहीं करवाई गई क्योंकि इनको कलक्टर के द्वारा लाइसेन्स दिया गया था। तो अनाधिकृत तो नहीं थे लेकिन कीमत से ज्यादा वसूली की, और वह कीमत तय नहीं की गई थी इस कारण से हमने एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करवाई।

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, डी. एस. ओ. और कलक्टर ने यह रूल्स के अगेन्स्ट में जो कार्यवाही कर उनको लाइसेन्स दिया है क्या आप उनको तत्काल सस्पेण्ड करने की घोषणा करेंगे ?

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन फर्मों को जिन्होंने डीजल दिया है वे भी अनआथोराइज्ड सैल के थे। अनआथोराइज्ड परचेजर इसकी भी परिभाषा उस एक्ट में दी हुई है तो क्या उन फर्मों के खिलाफ भी कार्यवाही करने का है ? वे फर्में कौन-कौनसी है ये मैंने अपने मूल प्रश्न पूछे थे।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पूरे छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में क्या कोई बैरल पाइन्ट है ? यदि नहीं है तो किसानों को डीजल की व्यवस्था किस तरह से की जायेगी ? दूसरी बात, तब का यह टंटा है जब डीजल कहीं भी मिलता ही नहीं था। तब उस समय व्यवस्था के नाम पर उन्होंने गलती से वे लिए उसके लिए अधिक भाव पर कहीं से लाकर।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, इस आर्डर के तहत आपने जिला रसद अधिकारी और कलक्टर द्वारा लाइसेन्स जारी करना बताया। मैं उसमें थोड़ा-सा स्पष्टीकरण चाहूंगा कि एक लाइसेंस जारी होता है स्टोरेज लाइसेंस, दूसरा लाइसेंस जारी होता है सैल लाइसेंस तो क्या जिलाधीश और जिला रसद अधिकारियों ने ये दोनों लाइसेंस जारी कर रखे हैं ? दूसरा एक मेरा यह है, कि जब जिला प्रशासन की निगाह में यह बात आ गई कि इन्होंने उन शर्तों का उल्लंघन किया है तो क्या यह असेंशल कमोडिटीज एक्ट के तहत 3/7 में मुकदमा प्राइमाफेसाई नहीं बनता है ? और यदि बनता है तो फिर इसको इतनी जांच प्रक्रिया में ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई ? जब प्राइमा फेसाई दिखता है तो जिला प्रशासन ऐसे व्यापारियों के खिलाफ 3/7 का मुकदमा डाइरेक्ट थाने में दर्ज करवाकर जिला प्रशासन ही 3/7 की कार्यवाही कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब है आपने इनका जवाब नहीं सुना।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नहीं, मैंने सुना है।

श्री अध्यक्ष : सुनते तो यह सवाल नहीं उठता। इसलिए नहीं उठता कि इन्होंने कहा कि पहले कलक्टर और डी. एस. ओ. ने लाइसेंस दिया है फिर उन्होंने रेट तय नहीं की। वह अनआथोराइज्ड भी नहीं बेच रहा था और रेट तय नहीं की, इसलिये ज्यादा ले रहा था, यह भी केस नहीं बनता।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए पूछ रहा हूं कि लाइसेन्स दो प्रकार के होते हैं एक तो स्टोरेज....

श्री अध्यक्ष : वे जवाब दे देंगे, बैठिए आप।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप भी नहीं समझे इसका मतलब।

श्री अध्यक्ष : हो गया, आपने सवाल पूछ लिया। जवाब दे रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं यह कह रहा हूं कि एक तो स्टोरेज लाइसेंस....

श्री अध्यक्ष : मुझे पता है। तो जवाब तो वे ही देंगे ना ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : वे स्पष्ट करें न अपने जवाब में।

श्री अध्यक्ष : आज यह चौथा सवाल है, 6 सवाल पूरे नहीं होंगे। अब आप बैठिये न हो गया। (व्यवधान).... पहले इनका जवाब सुन लीजिए। फिर आगे सवाल नहीं पूछना है तो एक ही पर अटक जाइये।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह जांच की और उसके बाद में तत्काल कार्यवाही नहीं हुई इसके आधार पर डी. एस. ओ. को वहां से ए. पी. ओ. करके यहां मुख्यालय पर बुला लिया गया है। हम उसकी जांच कराके कहां तक दोषी है देखेंगे बैरल पाइन्ट् का मामला राजस्थान के सन्दर्भ में, हमने तीन-चार....

श्री अध्यक्ष : स्टोरेज और सेल लाइसेन्स की बात पूछ रहे हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : दो प्रकार के लाइसेन्स होते हैं। इस मामले में दोनों प्रकार के लाइसेन्स दिये हुए थे।

श्री अध्यक्ष : दोनों दिए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : पैट्रोल पम्प का ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : पैट्रोल पम्प ये लगवायेंगे क्या ? बैठिए आप। (व्यवधान)....

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : अब सवाल दूसरा चल रहा है।

खेतड़ी नगर (झुन्झुनूं) में प्रश्न-पत्रों की हेर-फेर

760. श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या झुन्झुनूं जिले में अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा दिसम्बर, 1991 में दिनांक दिनांक 10.12.91 को प्रारम्भ होनी थी ? क्या कक्षा 9 की परीक्षा के प्रश्न-पत्रों के दो बण्डल रा. सी. उ. मा. वि. खेतड़ी नगर में गायब हुए, जो दिनांक 13.12.91 को केन्द्रीय विद्यालय, खेतड़ी नगर में एक बाबू के आवास पर पाये गये ?

(2) क्या इसकी सूचना सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य ने जिला शिक्षाधिकारी को दिनांक 10.12.91 को ही दी थी ? फिर भी 18 तारीख तक परीक्षायें चलती रहीं और 19.12.91 को कक्षा नौ की परीक्षाओं को निरस्त करने की विज्ञप्ति जारी की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन प्रश्न-पत्रों की फोटो स्टेट कापियां वितरित कर लोगों ने लाखों रुपये कमाये तथा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने का अपराध भी किया ?

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

(4) राज्य सरकार क्या इसकी जांच करवाकर दोषी अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरिकुमार औदिच्य): (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) यह सही है कि प्रश्न-पत्रों की फोटो स्टेट करके बेची गई और आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया तथा परीक्षा की गोपनीयता भंग की गई। सारे प्रकरण पर प्राथमिक जांच के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, चार महीने पहले का वाकया है। चार महीने में तो प्रारम्भिक जांच इनकी खतम नहीं हुई और उसके खिलाफ एक्शन क्या लेंगे यह पता नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जिस बाबू के घर से वे बण्डल प्राप्त हुए उसे तो आप इमिजिएटली सस्पैंड करिए और वहां के जिला शिक्षा अधिकारी को, जिसकी लापरवाही की वजह से लोगों ने लाखों रुपये कमाये, परीक्षा की गोपनीयता और सैंक्टिटी भंग हुई, आप अविलम्ब वहां से हटायें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपने जो सुझाव दिया है वह मुझे मान्य है, अब उसको हटा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : दोनों बातें आपकी मान ली हैं।

श्री हीरालाल आर्य।

मांगरोल सब डिवीजन में ड्रेनेज निर्माण कार्य

761. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल सब डिवीजन के अन्तर्गत खानुपरा, भोज्यासेड़ी, भगवानपुरा, महुवा, जलौंदा, तेजाजी, मोठोद, माइनर और लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच ड्रेनेज बनाने की मांग वहां की जनता बार-बार करती रही है ?

(2) यदि हां, तो उक्त स्थानों पर अभी तक ड्रेनेज नहीं बनाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त स्थानों पर शीघ्र ड्रेनेज खुदाने की व्यवस्था करेगी ?

सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री (श्री भंवर लाल शर्मा) : (1) जी हां।

(2) बजट की कमी के कारण।

(3) जी हां। बजट की उपलब्धता के अनुसार ड्रेनें खुदवाने की व्यवस्था की जाएगी।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खानुपरा, मोज्यासेडी, भगवानपुरा, महुवा, जलौदा, तेजाजी, की ड्रेनें खुदती-खुदती अधूरी छोड़ दी गई हैं जिससे न तो उसका लाभ किसानों को मिला है

(20)

(श्री हीरालाल आर्य)

और उन ड्रेनों का पानी खेतों में भरा पड़ा है जिससे खेत खराब हो रहे हैं और गांवों के रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं तथा मीठौद माइनर से लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच तथा महुवा में सीपेज का पानी होने से किसानों के खेत खराब हो रहे हैं। किसान वर्षों से इस बात की बराबर मांग करते आ रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि यह वास्तव में किसानों के साथ अन्याय है? यदि है तो आप शीघ्र इन ड्रेनों को खुदवाने की व्यवस्था फरमायें।

श्री अध्यक्ष : हां भर दीजिये ना।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चार ड्रेनें तो अधूरी हैं, 6 का माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है। चार जो अधूरी हैं उनको इसी वित्तीय वर्ष में कम्पलीट करा दिया जाएगा, दो जो और हैं उनको भी ले लिया जाएगा।

श्री हीरालाल आर्य : मन्त्री महोदय को धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री परसादी लाल मीणा।

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, 24 मार्च, 1992)

ग्राम बाड़ा (दौसा) में सवर्णों द्वारा भूमि पर अतिक्रमण

520. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम बाड़ा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आबंटित भूमि पर उच्च जाति के लोग जबरन कब्जा कर खेती करते हैं जिसकी जिलाधीश दौसा को कई बार शिकायत करने पर भी मदद नहीं मिली है ?

(2) ग्राम बाड़ा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने आवेदकों को भूमि आबंटित है तथा कितने लोगों के खिलाफ न्यायालय में मामला विचाराधीन है ?

(3) क्या जिन लोगों के खिलाफ न्यायालय में मामला नहीं हैं उन्हें भी प्रशासन जान बूझ कर मदद नहीं कर रहा है ?

राजस्व मन्त्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति, दौसा की बैठक दिनांक 2.8.91 में विधान सभा क्षेत्र लालसोट के विधायक महोदय ने अवगत कराया कि ग्राम बाड़ा पंचायत महारिया में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को आबंटित भूमि पर सवर्ण जाति के लोग काश्त नहीं करने देते जिस पर तहसीलदार, लालसोट को धारा 183 बी के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

(2) ग्राम बाड़ा तहसील लालसोट के अनुसूचित जाति के पांच व अनुसूचित जनजाति के 18 व्यक्तियों-कुल 23 व्यक्तियों को वर्ष 1988-89 में भूमि आबंटित की गई थी। इन 23 आबंटियों में से 3 आवंटी बदस्तूर काबिज हैं, 2 प्रकरण में उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि होने एवं नियमानुसार इसकी प्रीमियम आवंटियों द्वारा जमा नहीं

(श्री गंगाराम चौधरी)

कराने के कारण कब्जा नहीं सम्भलाया जा सका। ग्यारह आवंटियों ने सहायक जिला कलक्टर, लालसोट में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद दायर कर रखा है। जिनमें धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा यथ स्थिति बाबत दी हुई है। सात आवंटियों द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के आदेशों के विरुद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी दायर कर रखी है, जो अभी विचाराधीन है। तथा जिसमें यथा स्थिति के आदेश हैं। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी. के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(3) जी नहीं।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने जवाब दिया पहले और आज, मैं माननीय मन्त्री जी, आपसे जानना चाहता हूं कि राजस्व अपील अधिकारी के यहां से फैसला आवंटियों के पक्ष में हुआ या अतिक्रमियों के पक्ष में ? उसकी रेवेन्यू बोर्ड में अपील आवंटियों ने की या अतिक्रमियों ने ? वहां से स्थगन आदेश किसी भी तरह का हो, वह किस तारीख को आया ? कलक्टर को 2.8.91 को जो कार्यवाही करने के लिए लिखा था उसके कितने दिन बाद रेवेन्यू बोर्ड से स्थगन आदेश आया ? दूसरा, आपने कहा है कि 11 आवंटियों ने सहायक जिलाधीश, लालसोट में वाद दायर किये। वाद दायर हुये थे और उनमें आप यथा स्थिति की बात कर रहे हैं तो, राजस्व मन्त्री जी, आप यह बतायें कि जमीन की वर्तमान में क्या यथा स्थिति आप मानते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राजस्व अपील अधिकारी के यहां से वाद आवंटियों के पक्ष में तय हुये थे। अतिक्रमी गये हैं....

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आवंटियों के पक्ष में हो गये थे और इन्होंने जवाब दिया कि आवंटी रेवेन्यू बोर्ड में गये थे। आपने लिखा है, आप पढ़िये इसको।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप पहले सुनिये। यह आपके ऊपर का जवाब है नीचे का बाद में बोले।

श्री परसादी लाल मीणा : आपने आवंटी कहा है।

श्री अध्यक्ष : आप पहले सुन लीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मन्त्री जी ने माइण्ड अप्लाई कर लिया। मेरे को भी जो जवाब दिया था उसमें भी यही था। माइण्ड अप्लाई कर लिया मिनिस्टर ने अपना।

श्री परसादी लाल मीणा : मेरे को जवाब दिया कि आवंटी रेवेन्यू बोर्ड में गये और वहां से स्थगन आदेश आया। आवंटी गये या अतिक्रमी, आप इस बात को क्लीयर करिये। उसी तारीख को वहां से आया, क्या उससे पहले कलक्टर ने कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार को लिखा था ? तहसीलदार ने उस समय कार्यवाही क्यों नहीं की ? जब किसी भी तरह का स्थगन आदेश नहीं था तो ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल में अतिक्रमी गये है। अपील में आबंटी नहीं गए।

श्री अध्यक्ष : अतिक्रमी गये हैं, कह रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्व अपील अधिकारी के फैसले के खिलाफ अतिक्रमी गये हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : मेरे को जो जवाब दिया है उसमें आबटी गये हैं। आबंटियों ने वहां से स्थगन आदेश लिया है।

श्री अध्यक्ष : इसमें यह लिखा है आबंटी गये हैं सहायक कलक्टर के यहां, जिसकी अपील में अतिक्रमी गये हैं रेवेन्यू बोर्ड में।

श्री परसादीलाल मीणा : राजस्व अपील अधिकारी के यहां फैसला हुआ, अध्यक्ष महोदय,। उसकी अपील में इन्होंने आबंटी कहा जबकि वहां अतिक्रमी गये हैं और उनको स्थगन आदेश बहुत लेट मिला है। आपने कार्यवाही करने के लिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं, लेकिन अतिक्रमी गये हैं, तो मान लीजिए।

श्री गंगाराम चौधरी : आप जो कह रहे हैं वह सही है। अतिक्रमी गये हैं और अतिक्रमियों ने ही वहां स्थगन आदेश ले रखा है 7 का तो यह मामला है 11 में 188 के तहत परमानेन्ट इंजेक्शन का दावा कर रखा है और 212 के तहत उन्होंने टेंपरेरी इंजेक्शन ले रखा है इसका, इसलिए नहीं की जा सकती है।

श्री परसादीलाल मीणा : यथा स्थिति जमीन पर आज भी है। अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि वहां से सहायक जिलाधीश के यहां से स्थगन आदेश ले लिए थे। आज भी एस. टी. और एस. सी. की जमीन पर उच्च जाति के लोग काबिज हैं और उनकी कलक्टर ने किसी भी तरह की सुनवाई नहीं की। यह यथास्थिति है। एस. आर. टी. सी. के लिए आप कलक्टर को पाबन्द करिये।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है जब तक मुकद्मा चलेगा एस. आर. टी. सी. में, यदि उच्च स्तर के काबिज हैं तो वे काबिज रहेंगे, निम्न स्तर के काबिज हैं तो वे रहेंगे। इसलिए वह तो जो रहना है यथास्थिति रहेगी जब तक फैसला नहीं हो जाता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री परसादीलाल मीणा : राजस्व अपील अधिकारी के यहां से फैसला होने के इतने दिनों बाद रेवेन्यू बोर्ड के स्थगन आदेश नहीं आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट रहे हैं, अपना कोटा पूरा करना है या नहीं ? श्रीमती उजला अरोड़ा।

कृषि भूमि के नियमन हेतु गठित आयोग

762. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि भूमि पर बने मकानों के नियमन के लिये जो तीन सदस्यीय आयोग बनाया गया था उसकी रिपोर्ट गत फरवरी, 1991 में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) कृषि भूमि पर नियमन के योग्य बने आवासों का क्या कोई सर्वे कराया गया है ?

(3) राज्य सरकार उक्त आवासों को कब तक नियमित कर, विकास करने का विचार रखती है ? क्या एतदर्थ किसी प्रकार का शिविर आदि लगा कर समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) कृषि भूमि के नियमन हेतु किसी आयोग का गठन नहीं किया गया था ।

(2) जी नहीं ।

(3) ऐसी कृषि भूमि जो दिनांक 20-8-1981 तक विक्रय इकरारनामों के आधार पर प्राप्त की गई है तथा उसका रूपान्तरण कराने के लिये 31-5-1982 तक आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रूपान्तरण शुल्क जमा करवा दिया गया है ऐसे प्रकरणों में कृषि भूमियों का रूपान्तरण/नियमितीकरण करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या प-2 (8) राज/भू. र/90 दिनांक 3-3-1992 द्वारा रूपान्तरण नियम, 1981 के नियम 5 (1) में संशोधन किया जा चुका है ; इस संशोधन के पश्चात् 20-8-1981 तक की कब्जा प्राप्त भूमि जिस पर भूमिधारक को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है, का भी नियमों में अंकित शर्तों का पालन होने पर रूपान्तरण/नियमितीकरण हो सकेगा । नियमितीकरण के लिए शिविर लगाने की कोई योजना नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि यह बात सही है कि आपने आयोग गठित नहीं किया पर जो भी आपने किया, 3 सदस्यों की समिति जो बनाई बेरी साहब की अध्यक्षता में, शायद आप मुझे सही करेंगे अगर वह इसी से सम्बन्धित थी तो मन्त्री महोदय बतायें कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी ? जो आपने सलाह देने के लिए बनाई थी । नम्बर एक । आपने 2 वर्षों में सर्वे नहीं करवाया तो मन्त्री महोदय किस प्रकार से इस योजना को क्रियान्वित करेंगे या किस प्रकार आप विकास की योजना बनायेंगे ? साथ ही यह भी बतायें कि यह आप इसका नियमितिकरण नहीं कर पायेंगे तो जो आवासन मन्त्री हैं वह किस प्रकार से इन पर विकास कर पायेंगे ? मन्त्री महोदय मुझे उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, समिति का गठन अवश्य किया गया था लेकिन इस कार्य के लिए नहीं...

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो जिस कार्य के लिए भी किया गया था वह बतायें ।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं बोल रहा हूं । समिति का गठन 24-8-1990 को किया गया था-राज्य सेवकों के कथित दुराचरण सम्बन्धी प्रकरणों में या अन्य

(श्री गंगाराम चौधरी)

किसी प्रकरण में जो इस समिति के सुपुर्द की जाय, परीक्षा उपरान्त राज्य सरकार को कार्यवाही करने के सन्दर्भ में परामर्श देगी। इस समिति को अवश्य यह कार्य भी सौंपा गया था और समिति ने अपनी राय दे दी थी। समिति की राय कन्सीडरेशन के बाद में राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया, एक नियमों में संशोधन किया और 3-3-1992 को, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि संशोधन सर्कुलर जारी कर दिया गया और जिला कलक्टर और जे. डी. ए. को आदेश दे दिये गए कि रूपान्तरण की कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री हेमराज मीणा....(व्यवधान) एक सवाल और ले लेता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक थोड़ा सा प्रश्न था, छोटा-सा प्रश्न था। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि....

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, जनहित से सम्बन्धित मामला है और बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कृपा कर आप मुझे पूछने तो दें तो मैं पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : पूछिए। (व्यवधान) ठहरिए पहले यह बतायें कि आगे सवाल नहीं लेना क्या ?

श्री कालीचरण सराफ : श्रीमान् इम्पोर्टेन्ट क्वश्चन है, जयपुर से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : नहीं ले रहे हैं। मैं इसी पर....

श्रीमती उजला अरोड़ा : राजस्थान की समस्या है, श्रीमान् यह तो....

श्री अध्यक्ष : हां, नहीं लेऊं पूछिए आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, यह बतायें कि आपने कुल कितने मामले नियमित किए जाने के लिए कलक्टर को भेजे हैं, कितने मामले तय कर लिए गए हैं और कितने मामले गृह निर्माण सहकारी समितियों के पैंडिंग हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण जी पूछ रहे हैं। 2 मिनट में जितना पूछना है, पूछ लेंगे जवाब आपको देना नहीं है।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का क्या हुआ ? प्रश्न संख्या 763.।

श्री कालीचरण सराफ : भाई, श्री हेमराजजी एक मिनट। माननीय मन्त्री महोदय, आपने जो 3-3 का नोटिफिकेशन जारी किया है....(व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आवासन मंत्री ने 4 तारीख बताई है।

श्री कलीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया 3-3-1992 को उसके आधार पर 1981 तक के नियमित आप कर देंगे उसके बाद के आज तक जो बने हुए हैं मकान कृषि भूमि पर उनके बारे में आपकी क्या योजना है ? और जिनका लैंड यूज दूसरा एक्वीजियेशन में है या अलसर में हैं, या सीलिंग

(श्री कालीचरण सराफ)

में जो जमीन है या एस. सी./एस. टी. की जमीन है उसके बारे में सरकार क्या सोचती है ? इन दोनों बातों का जवाब दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री गहलोत जी और पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, 1981 के पूर्व जो कृषि भूमि पर जो बस्तियां बसी हुई हैं, जैसे 16 गांव जोधपुर के अन्दर और जिवया कालोनी, उसके सन्दर्भ में राजस्व मंत्रीजी क्या विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछ लीजिए। देखिए आप दो घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकते हैं। आपने एक प्रश्न मार दिया और इमिडियेटली 131 में और सवाल आ रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं। यानी हाउस के समय की कुछ कीमत भी है। मैंने जब उनका नाम पुकारा आप खड़े होकर कहने लग गए कि बड़ा महत्वपूर्ण है और 131 में लगा हुआ है, आपको पता है कि 131 में लगा हुआ है और इसी प्रश्न पर लगा हुआ है। आप ध्यान रखा करिए किसी बात का। श्री हेमराज मीणा।

जयपुर में अनुदानित संस्थाओं द्वारा संचालित गतिविधियां

763. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिले व शहर में कितनी अनुमानित संस्थाएं हैं, कौन-कौनसी गतिविधियां इनके द्वारा संचालित होती हैं, कितना-कितना अनुदान गत वर्ष इनको दिया गया है ?

(2) क्या इनकी गतिविधियों का भौतिक सत्यापन किया गया है ? क्या यह सही है कि भौतिक सत्यापन में ये संस्थाएं कागजों में ही चल रही पाई गई हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन संस्थाओं की जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच के बाद कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गए हैं और क्या कार्यवाही की गई ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री कुन्दन लाल मिगलानी) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन के लिए निवेदन है, अगले मंगलवार के लिए।

श्री अध्यक्ष : अगले मंगलवार के लिए किया हुआ है, ठीक है। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिलों की विचाराधीन समस्याओं के समाधान हेतु नीति निर्धारण

1217. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में वर्षों से विचाराधीन जनसमस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने नीति तय कर प्रत्येक जिले में एक या दो प्रमुख समस्याओं

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

को वर्ष 1991-92 में विशेष ध्यान देकर त्वरित गति से हल करने के निर्देश दिये थे ?

(2) यदि हां, तो किस-किस जिले में कौन-कौन सी प्रमुख एक या दो समस्याओं को हल करने हेतु क्या-क्या प्रयास किया और उनका समाधान कहां तक हुआ ? प्रत्येक जिले का अलग-अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जिला कलक्टरस् से अभी सूचना आना शेष है।

उप खण्ड रायसिंह नगर में भू-आवंटन प्रकरण

1218. श्री रामनारायण् वर्मा (नैनवा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सन् 1985 से 1987 तक उप-खण्ड अधिकारी, रायसिंह नगर के पद पर कौन-कौन अधिकारी कार्यरत रहे हैं ?

(2) क्या उक्त अवधि में उपखण्ड रायसिंह नगर में भू-आवंटन भी हुआ था ? यदि हां, तो क्या कलक्टर, श्री गंगानगर द्वारा भू-आवंटन में हुई अनियमितामों के कारण पत्रावलियां जांच हेतु राजस्व विभाग को भेजी हुई हैं ?

(3) क्या उपरोक्त पत्रावलियों के सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली गई है ? यदि हां, तो ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो अब कब तक पूरी करली जावेगी ?

उत्तर

(1) 1-1-85 से 13-8-85 तक श्री सुभाषचन्द्र, आर. ए. एस. 14-8-85 से 24-7-87 तक श्री अजीत कुमार, आई. ए. एस. तथा 25-7-87 से 31-12-87 तक श्री मधुसूधन शर्मा, आर. ए. एस. उप-खण्ड अधिकारी, रायसिंह नगर के पद पर कार्यरत रहे हैं।

(2) जी हां, जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने पत्र क्रमांक एफ 12 (2) 137 राजस्व/87/9697 दिनांक 12-7-88 (प्रति संलग्न) के द्वारा जांच प्रतिवेदन तथा पत्रावलियां उपनिवेशन विभाग को भिजवाई थी।

(3) जी नहीं। सम्बन्धित मामलों में अपील राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में विचाराधीन है। अतः विभागीय स्तर पर अभी जांच कार्यवाही नहीं की गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

रजिस्ट्रेशन एण्ड स्टैम्प डिपार्टमेंट, अजमेर में दैनिक वेतन पर चौकीदार की नियुक्ति

1219. श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़)- क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने दैनिक मजदूरी पर मजदूर रखने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ?

(श्री जगजीत सिंह)

(2) क्या रजिस्ट्रेशन एण्ड स्टैम्प डिपार्टमेंट, अजमेर ने चौकीदार की नियुक्ति के लिए सरकार से अनुमति ली ? क्या इस अनुमति के आधार पर नियुक्ति दी है ?

(3) क्या इस विभाग ने अनुबन्ध के आधार पर एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर पर दो कर्मचारियों की नियुक्ति की है और क्या इस के लिये सरकार से अनुमति प्राप्त की ?

(4) जब श्रम विभाग से दैनिक मजदूरी की दर निर्धारित है तो विभाग ने 1000/- रुपये प्रति माह पर भुगतान के आधार पर किस नियम के अन्तर्गत नियुक्ति की ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वित्त (ग्रुप-4) विभाग के पत्रांक प. 9 (24) वित्त/ग्रुप-4/90 दिनांक 4-10-1991 के द्वारा एक चौकीदार ठेके पर डिटेक्टिव एजेन्सी के माध्यम से रखने की स्वीकृति दी गई थी। अजमेर में इस प्रकार की एजेन्सी के न होने के कारण विभाग ने तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए दो चौकीदारों की नियुक्ति ठेके पर एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह में की थी। विशेष परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इन दोनों नियुक्तियों के लिए दिनांक 5-10-1991 से 22-2-1992 तक की अवधि के लिए एक्स पोस्टं/फैक्टो भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी है। दिनांक 23-2-1992 से इन दोनों चौकीदारों को राज्य सेवा से हटा दिया गया है।

(3) विभाग द्वारा 1000-1000 रु. प्रतिमाह ठेके पर दो श्रमिकों को रखा गया था। जिसके लिए भुगतान करने की स्वीकृति राज्य सरकार से उपर्युक्तानुसार दी जा चुकी है। वित्त (ग्रुप-4) विभाग पत्र दिनांक 4-10-1991 एवं 17-3-1992 की प्रति संलग्न है।

(4) श्रम विभाग द्वारा दैनिक मजदूरी की दरें निर्धारित है परन्तु इस प्रकरण में वह लागू नहीं की गई क्योंकि चौकीदारों को ठेके पर रखा गया था। अल्प अवधि के लिए उनकी एक मुश्त सेवायें ली गई हैं और अवधि समाप्त होने से पूर्व उनको हटा भी दिया गया है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

सलूम्बर (उदयपुर) में सर्किट हाउस का निर्माण

1220. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सलूम्बर उप-जिलाधीश मुख्यालय के केन्द्र सलूम्बर में कोई भी सर्किट हाउस नहीं है ? यदि हां तो क्या सरकार यहां सर्किट हाउस बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) सर्किट हाउस खोलने के क्या मानदण्ड हैं ? क्या यह क्षेत्र अब तक इस मापदण्ड में नहीं आता ?

उत्तर

(1) जी हां। सलूम्बर में कोई भी सर्किट हाउस नहीं है। जी नहीं। सलूम्बर में सर्किट हाउस बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) सर्किट हाउस केवल मात्र जिला मुख्यालयों पर स्थापित किये जाते हैं। (हिल स्टेशन होने के कारण माऊण्ट आबू एक मात्र अपवाद है) सलूम्बर इस मापदण्ड में नहीं आता।

राजस्व विभाग के सहायक के विरुद्ध सिविल सेवा (कंडक्ट) नियम, 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही

1221. श्री मोहनलाल (परबतसर)-क्या मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासन सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या उप शासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (ख) विभाग को उप-शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग ने उनके पत्र क्रमांक 3 (12) राज./3/91 दिनांक 26-10-1991 के अनुसार राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के सहायक के विरुद्ध, राजस्थान सिविल सेवा (कण्डक्ट) नियम, 1971 के नियम 4(3) के अन्तर्गत उच्च अधिकारी के विरुद्ध गुमनाम नाम से शिकायत करना, गम्भीर दुराचरण मानकर दण्डित करने के प्रस्ताव भिजवाये थे ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सहायक के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (नियन्त्रण, वर्गीकरण तथा अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु विवरण सहित प्रस्ताव, उप-शासन सचिव, कार्मिक प्रशासनिक (ख) विभाग को भिजवाये गये थे ? यदि हां, तो कब व उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सहायक के विरुद्ध राज्य सरकार को आम जनता से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या इस प्रकार के आचरण रखने वाले कर्मचारी को जन-सम्पर्क के कार्यों से सम्बन्ध रखने वाले विभाग में रखा जाना उचित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें इस विभाग से स्थानांतरित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के श्री लक्ष्मीनारायण रावत, सहायक के विरुद्ध राजस्व (ग्रुप-3) विभाग से इस आशय की शिकायत की गई है कि इन्होंने गुमनाम शिकायत की मूलचन्द जांगिड़ के नाम से की गई प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में कार्मिक (ख-4) विभाग द्वारा श्री रावत पर लगाये आरोपों के सम्बन्ध में प्राथमिक जांच करने हेतु शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी को पुनः पत्र दिनांक 12-3-92 के द्वारा निर्धारित अवधि में जांच कार्य सम्पादित करने हेतु लिखा गया है।

(मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासन सुधार) मंत्री)

(2) जी नहीं। विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) जी हां। इनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतकर्ताओं को शिकायत के समर्थन में सबूत उपलब्ध कराने हेतु रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा पत्र भिजवाये गये थे लो कि पूर्ण पते के अभाव में वापिस प्राप्त हो गये हैं। शिकायतों पर सम्बन्धित विभाग के उप शासन सचिव से टिप्पणी प्राप्त की जा रही है।

(4) उक्त श्री रावत के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है, उस पर प्राथमिक जांच की जा रही है। यदि श्री रावत पर इस प्रकार के आरोप प्राथमिक जांच में पाये जावेंगे तो इनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी।

बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरण

1222. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): क्या मुख्य (वित्त) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1987 एवं 1991 के तहत आयल मिलों को कितनी-कितनी फाइलें जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी, टौंक के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो बिक्रीकर प्रोत्साहन देने सम्बन्धी निर्णय आज तक क्यों नहीं लिया गया ?

(2) क्या बिक्रीकर प्रोत्साहन योजना, 1987 से 31 मार्च, 1992 तक के लिए लागू की गई थी ? यदि हां, तो उक्त योजना को दिनांक 7.5.1990 को केवल आयल मिलों के लिए ही बन्द क्यों कर दिया गया ?

(3) क्या यह योजना पुनः 26.7.1991 को केन्द्रीय विक्रय कर (सी.एस.टी.) पर लागू की गई ? यदि हां, तो दिनांक 7.5.1990 से 26.7.1991 के बीच जो आयल मिलें प्रोडक्शन में आई उनको इस योजना के लाभ से वंचित क्यों रखा गया ?

उत्तर

(1) बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987 के तहत कोई फाइल विचाराधीन नहीं हैं। वर्ष 1991 की कोई बिक्रीकर प्रोत्साहन योजना नहीं है।

(2) राजस्थान बिक्रीकर प्रोत्साहन/आस्थगन योजना 1987 दिनांक 5.3.1987 से 31.3.1992 तक प्रभावी थी तथा अब यह योजना 31.3.1995 तक प्रभावी रहेगी। यह सही नहीं है कि दिनांक 7.5.1990 से केवल आयल मिलों को ही योजना के लाभ से वंचित किया है अपितु काटन जिनिंग इण्डस्ट्रीज को भी इस योजना के लाभ से वंचित किया गया है।

(3) जी नहीं। आयल मिलों के संबंध में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत लगने वाले कर को लेकर वर्ष 1987 की प्रोत्साहन योजनाओं में दिनांक 26.7.1991 को कोई संशोधन नहीं किया गया है। वर्ष 1991 की बिक्री की कोई प्रोत्साहन योजना नहीं है।

(30)

राज्य के महाविद्यालयों में उर्दू भाषा शिक्षक

1223. श्री जुबेर खां (रामगढ़) एवं श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) एवं श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं): क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में राज्य में किन-किन महाविद्यालयों में उर्दू भाषा के अध्यापन की व्यवस्था है ? उर्दू भाषा के प्राध्यापकों के कहां-कहां कुल कितने पद हैं ?

(2) क्या आगामी सत्र में बांसवाड़ा राजकीय महाविद्यालय तथा सेठ मोतीलाल महाविद्यालय, झुन्झुनूं सहित अन्य महाविद्यालयों में उर्दू विषय प्रारम्भ करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा उर्दू शिक्षकों को दी जाने वाली "उर्दू मोअल्लिम" की डिग्री को बी एड. के समकक्ष मान्यता देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के 10 महाविद्यालयों तथा राजस्थान विश्वविद्यालय व मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में उर्दू भाषा के अध्ययन की व्यवस्था है । वर्तमान में इन सभी राजकीय महाविद्यालयों में 26 व्याख्याता तथा इन दोनों विश्वविद्यालयों में 2 रीडर व 11 व्याख्याता कार्य कर रहे हैं।

(2) राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में उर्दू विषय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव अन्जुमन इस्लामिया बांसवाड़ा से राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था । वर्ष 1991–92 हेतु खोले गये विषयों में इसे सम्मिलित नहीं किया गया । सेठ मोतीलाल महाविद्यालय झुन्झुनूं में उर्दू विषय प्रारम्भ करने की मांग इस शर्त के साथ प्राप्त हुई कि राज्य सरकार इस विषय को आरम्भ करने की अनुमति के साथ नियमानुसार अनुदान भी प्रदान करने के प्रकरण पर निदेशक महाविद्यालय शिक्षा की टिप्पणी अपेक्षित है जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(3) जी नहीं । राज्य सरकार द्वारा जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा उर्दू शिक्षकों को दी जाने वाली "उर्दू मोअल्लिम" को बी.एड. के समकक्ष नहीं माना जा सकता है । क्योंकि :–

1– "उर्दू मोअल्लिम" तथा बी एड. का पाठ्यक्रम अलग-अलग है ।

2– इन दोनों कक्षाओं में प्रवेश हेतु नियम भी अलग हैं ।

3– उत्तर प्रदेश में "मोअल्लिम" हायर सैकण्डरी स्तर पर उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए ही मान्य है । बी.एड. के समकक्ष नहीं है ।

कनोड़िया महिला महाविद्यालय, जयपुर

1224. श्री सम्पतसिंह (नगर) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कनोडिया महिला महाविद्यालय,

(श्री सम्पतसिंह)

जयपुर कब से शुरू हुआ ? इसका नामकरण किसने किया ?

(2) क्या महिला के स्थान पर छात्रा नहीं होना चाहिये ?

(3) क्या महिला एवं छात्रा (लड़की) "कन्या" में महाविद्यालय के सन्दर्भ में कोई अन्तर नहीं है ?

उत्तर

(1) कनोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर दिनांक 19.7.1965 से शुरू हुआ था। इसका नामकरण संस्था के तत्कालीन ट्रस्टी श्री भागीरथ जी कनोडिया के नाम पर राज्य सरकार के आदेश संख्या-पं.3(5) शिक्षा/सी-1/64, दिनांक 2.3.65 द्वारा किया गया था।

(2) आवश्यक नहीं है।

(3) यह महाविद्यालय स्त्री शिक्षा (कन्या शिक्षा सहित) की व्यवस्था एवं विकास के साथ-साथ उनमें चेतना जाग्रत करने के उद्देश्य के लिए कार्यरत है।

राजकीय बांगड़ कालेज, पाली में अनुसूचित जाति का बैकलॉग

1225. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) एवं श्री हजारी लाल (खेतड़ी) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बांगड़ कालेज, पाली में अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का बैकलॉग पूरा करने हेतु दिसम्बर, 1990 में साक्षात्कार लिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि 1985 से अनुसूचित जाति का बैकलॉग होने पर भी पूर्व वर्षों में 100 प्रतिशत रोस्टर प्रणाली की अनुपालना कालेज द्वारा नहीं की गयी तथा अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को नियुक्ति नहीं दी गयी ?

(3) क्या यह सही है कि इस बार अनुसूचित जाति के साक्षात्कार पैनल में योग्यतम उम्मीदवार श्री अमराराम मेघवाल का चयन होने के उपरान्त भी बांगड़ कालेज पाली द्वारा उसे नियुक्ति नहीं दी गयी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के बैकलॉग पूरा करने हेतु दिसम्बर, 1990 में साक्षात्कार लिया गया।

(2) जी, हां। 100 पाइन्ट रोस्टर प्रणाली की अनुपालना अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को वर्ष 1991 में नियुक्ति देकर कर ली गई है।

(3) जी, नहीं। 100 पाइन्ट रोस्टर प्रणाली के आधार पर अनुसूचित जाति का बैकलॉग एस्टेबिलिश होते ही तत्काल श्री अमराराम मेघवाल अनुसूचित जाति, दिसम्बर, 1990 के साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थी को 1991 में नियुक्ति कर दी गई। इस सम्बन्ध में कोई दोषी अधिकारी न होने के कारण सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में महाविद्यालयों की स्थापना

1226. श्री दलजीतसिंह (बाड़ी) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1991–92 में मुख्य मन्त्री महोदय (वित्त मन्त्री) ने अपने बजट भाषण में राजस्थान में पांच स्थानों पर महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय कहां-कहां खोले जाने थे और कहां-कहां खोल दिये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालयों में से एक महाविद्यालय बाड़ी में खोला जाना था एवं उस हेतु विभाग द्वारा निर्धारित शर्तें भी बाड़ी जनता द्वारा पूरी की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो वहां कालेज नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं एवं अब कब तक कालेज खोला जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में वर्ष 1991-92 में बयाना, बालोतरा तथा सलूम्बर में तीन नये महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये तथा बिड़ला महाविद्यालय भवानी मंडी को अधिग्रहित किया गया। इस प्रकार माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की बजट घोषणा 1991–92 के अनुसरण में एक अन्य महाविद्यालय खोले जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। महाविद्यालय संघर्ष समिति बाड़ी के प्रस्तावों पर राज्य सरकार ने विचार कर समिति को रुपये 12.23 लाख जमा कराने एवं अन्य कतिपय शर्तों को पूरा कराने का मई, 1989 में निवेदन किया था। उस वर्ष उक्त राशि जमा न होने के कारण प्रस्ताव लागू नहीं हुआ। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों, निर्धारित मानदण्डों एवं गुणावगुणों के आधार पर अन्य प्रस्तावों के साथ विचार कर निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, टोंक द्वारा लेवी चीनी की खरीद

1227. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्रय-विक्रय सहकारी समिति, टोंक ने माह अगस्त, 1990 से फरवरी, 1992 तक कितनी-कितनी लेवी चीनी कब-कब और कहां-कहां से मंगाई ? उक्त लेवी चीनी के निवाई रेल्वे स्टेशन पर पहुंचने के बाद कब-कब और कितनी-कितनी बिल्टियां छुड़वाकर चीनी उठवाई गई ? क्या बैंक से बिल्टी छुड़वाकर रेल्वे स्टेशन से चीनी देरी से उठवाकर बेची गई ? देरी से चीनी छुड़वाने पर समिति ने कुल कितना-कितना डेमरेज कब-कब चुकाया और समय पर चीनी नहीं छुड़वाने के लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त समिति के हिसाब-किताब में लाखों रुपये का इन्द्राज गलत तरीके से किया गया है ? क्या सहायक रजिस्ट्रार ने उक्त समिति का रिकार्ड सीज किया है ? अनियमितताओं के सम्बन्ध में उक्त समिति के विरुद्ध क्या सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) टौंक क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. टौंक ने माह अगस्त 1990 से फरवरी 1992 तक संलग्न परिशिष्ट "अ" के विवरणानुसार मिलों से 18253 बोरी चीनी मंगाई जिसकी बिल्टियां विवरण में अंकितानुसार देरी से छुड़ाने के कारण संस्थाओं का बारफेज 595/- रु. डेमरेज कुल 74686.00 रुपये का भुगतान करना पड़ा है। समिति के पास धन का अभाव एवं एक साथ कई माह अत्यधिक मात्रा में चीनी की बिल्टियां प्राप्त होने के कारण बिल्टियां समय पर नहीं छुड़वाई जा सकी जिसके कारण समिति को उक्त राशि का डेमरेज व वारफेज भुगतान करना पड़ा है।

(2) समिति के लेखों में गलत इन्द्राज बाबत जानकारी मिलने पर सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां टौंक ने उक्त समिति के कार्यकलापों की जांच राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत करने के आदेश दिनांक 24-2-92 को जारी किये। सहायक रजिस्ट्रार ने समिति का सम्बन्धित रिकार्ड 27-2-92 एवं 29-2-92 को जब्त किया। इस समिति की जांच रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार को प्राप्त हो गयी है जो परीक्षणाधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

धन्नादास की बगीची आवासीय सहकारी समिति, जयपुर

1228. श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि धन्नादास की बगीची आवासीय सहकारी समिति, जयपुर ने एक बड़ा भवन बनाने हेतु करोड़ों रुपयों का ठेका लिया था ? यदि हां, तो इस समिति का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था व कौन-कौन पदाधिकारी उस समय थे व अब कौन-कौन पदाधिकारी हैं ? पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति ने उक्त भवन बनाने के ठेके हेतु सोलह लाख रुपये की सिक्योरिटी जमा करायी थी जबकि यह समिति बड़े भवन बनाने के ठेके के लिए अधिकृत नहीं थी ?

(3) क्या यह सही है कि अन्य दोषी समितियों पर प्रशासक लगा दिया गया था ? यदि हां, तो फिर धन्नादास बगीची आवासीय सहकारी समिति पर प्रशासक क्यों नहीं लगाया गया ?

उत्तर

(1) ओंकार कॉम्पलेक्स नाम के एक भवन निर्माण से सम्बन्धित एक कोलोबोरेशन/कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट समिति की ओर से समिति के मंत्री श्री मनोहर लाल अग्रवाल और भूमि के मालिक श्री ओंकार सिंह के मध्य 17 मार्च, 1989 को किया गया था। इस समिति का नाम धन्नादास की बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर है तथा इसका पंजीयन क्रमांक 2660 एल था दिनांक 30-9-72 को हुआ। इसके पंजीयन के समय की एवं वर्तमान प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों की सूचि "अ" पर संलग्न है।

(2) एग्रीमेंट के अनुसार 16 लाख रुपया मालिक को उसकी भूमि पर निर्माण

(सहकारिता मन्त्री)

कार्य करने के लिए परिणामस्वरूप जमानत (सिक्योरिटी) के रूप में देना तय हुआ था, जिसमें से पांच लाख रुपये का चैक एग्रीमेंट के समय दिनांक 17–3–89 को दिया गया एवं 2–2 लाख रुपये के तीन चैक अग्रिम दिनांकों के (पोस्ट डेटेड) 17–3–89 को ही दिये गये। इस तरह कुल 11 लाख का भुगतान हुआ है। इस संपूर्ण प्रकरण एवं समिति के अन्य क्रियाकलापों की जांच राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत की जा रही है।

(3) इस समिति को विभाग द्वारा अवसायन में लाने की कार्यवाही विचाराधीन है। इसलिए प्रशासक लगाने की कार्यवाही उचित नहीं समझी गयी। धारा 70 की जांच पूर्ण होने तक अवसायन की कार्यवाही स्थगित रखी गयी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

राजस्थान को-आपरेटिव क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन्स केडर आथोरिटी लि.

1229. श्री हरीश झामनानी (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान को-आपरेटिव क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन्स केडर आथोरिटी लिमिटेड, को अवसायन में लाया जा चुका है? यदि हां, तो क्यों?

(2) वर्तमान में इस संस्था के कार्यालय में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं? इनके वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है?

(3) अवसायन में लाये जाने के बाद इस संस्था के कर्मचारी कहां व कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार केडर आथोरिटी के कर्मचारियों को राज्य सरकार की भांति अन्य सहकारी संस्थाओं में समायोजित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) वर्तमान में इस संस्था के पास कितनी राशि जमा है एवं इसका क्या उपयोग किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान उच्च न्यायालय खड पीठ, जयपुर में रिट संख्या एस. बी. 1018/1979, 1020/1979 एवं 1021/79 के निर्णय दिनांक 9-5-91 की पालना में राजस्थान को-आपरेटिव क्रेडिट इस्टीट्यूशनल केडर आथोरिटी लि., के पंजीयन को अवैध बताये जाने के फलस्वरूप अवसायन में लाया गया है।

(2) इस संस्था में वर्तमान में एक विभागीय सहायक रजिस्ट्रार प्रतिनियुक्ति पर सहायक सचिव पद पर एवं एक वरिष्ठ लिपिक प्रतिनियुक्ति पर तथा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संस्था में कार्यरत हैं। जिन्हें संस्था की बैंक में जमाओं पर मिलने वाले ब्याज से वेतन भुगतान किया जाता है।

(3) विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(सहकारिता मन्त्री)

(4) संस्था के अधिशेष होने वाले कर्मचारियों की सेवाएं यदि अन्य सहकारी संस्था लेने के लिए सहमत हो तो विभाग को इसकी अनुमति देने में आपत्ति नहीं होगी।

(5) वर्तमान में इस संस्था के पास 32.80 लाख रुपये की राशि बैंक में कॉल डिपोजिट में जमा है। इस राशि पर मिलने वाले ब्याज का उपयोग वर्तमान में संस्था के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य खर्चों को मुगतान में किया जा रहा है। इस डिपोजिट राशि का उपयोग इस संस्था के दायित्वों को पूरा करने के लिए नियमानुसार अवसायक द्वारा किया जाना है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

सुजानगढ़ (चूरू) तहसील कार्यालय भवन

1230. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ (चूरू) तहसील का कार्यालय किराये के भवन में चल रहा है? यदि हां, तो कब से तथा कितना किराया प्रतिमाह दिया जाता है?

(2) क्या सरकार सुजानगढ़ तहसील कार्यालय भवन के लिए बजट आवंटित कर सरकारी भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सुजानगढ़ (चूरू) तहसील कार्यालय दिनांक 24-1-85 से किराये के भवन में चल रहा है तथा 4870/– रुपये प्रतिमाह की दर से किराया भुगतान किया जा रहा है।

(2) सुजानगढ़ में राजाजी की कोठी नामक सरकारी भवन की मरम्मत कराकर उसमें तहसील कार्यालय स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पंचायत समिति, झाड़ोल (उदयपुर) में भू-आवण्टन प्रकरण

1231. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या पंचायत समिति झाड़ोल, जिला उदयपुर में पिछले 5 वर्षों में भूमि का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कब-कब, कहां-कहां किस-किस, खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चारागाह, गोचर, वन, श्मशान की भूमि आवंटन करने का क्या मानदण्ड है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, झाड़ोल जिला उदयपुर में पिछले 5 वर्षों में 2555 व्यक्तियों को 1390 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(राजस्व मन्त्री)

(2) चारागाह, गोचर,, वन, श्मशान की भूमि आवंटन करने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चक भंवरिया (लूणकरणसर) की भूमि का रक्षा विभाग को हस्तान्तरण

1232. श्री मनीराम सियाग (लूण-करणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या चक भंवरियां (तहसील लूणकरणसर) ग्राम के समस्त रकबे को रक्षा विभाग द्वारा लिया जाना प्रस्तावित था और काश्तकारों को उठने व खेती न करने बाबत कहा भी था ? यदि हां, तो आगे क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या अब भी यह रकबा रक्षा विभाग द्वारा लिया जाना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त गांव के काश्तकारों को बदले में भूमि देकर अन्यत्र बसाने का मानस रखती है ? यदि हां, तो इनके लिये कहां-कहां रकबा रिजर्व रखने के निर्देश सम्बन्धित विभाग को दिये हैं ?

(4) क्या अवार्ड जारी हो चुका है ? यदि हां, तो भूमि के मुआवजे की दर क्या होगी ? क्या वर्तमान की बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखा जावेगा ?

उत्तर

(1) चक भंवरिया ग्राम की कुल कृषि भूमि 9,091 बीघा 16 बिस्वा में से 121 खसरों की 2841 बीघा 03 बिस्वा भूमि रक्षाविभाग हेतु अवाप्त की गई है। अभी तक किसी भी काश्तकार को उठने व खेती मुआ नहीं करने को नहीं कहा गया है।

(2) रक्षा विभाग द्वारा पूरी राशि जमा कराने पर सम्बन्धित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान किया जाकर ही भूमि का कब्जा रक्षा विभाग को सौंपा जावेगा।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। अवाप्ति की दर निम्न प्रकार है:–

1. बारानी दोयम	1,700 प्रति बीघा
2. बारानी सोयम	1,600/– ,,
3. गैर मुमकिन	1,500/– ,,

उक्त दरें प्रचलित बाजार भाव के अनुरूप हैं।

बड़ी तहसीलों का पुनर्गठन

1233. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बड़ी तहसीलों के कार्यभार एवं प्रशासनिक सुधार के परिपेक्ष में उनके पुनर्गठन की आवश्यकता अनुभव की जा कर वित्त समिति की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी ? यदि हां, तो कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) प्रदेश में किन-किन नई तहसीलों एवं सब तहसीलों को स्थापित करने की समिति ने सिफारिश की है और उस पर सरकार ने कब-कब, क्या-क्या निर्णय लिए ? नई तहसीलों एवं सब तहसीलों की स्थापना से कितना वित्तीय भार पड़ेगा एवं इनकी घोषणा कब की जाएगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है। अतः जनहित में अभी रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना उचित नहीं है।

(2) समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन होने के कारण अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि किन-किन स्थानों पर नई तहसीलें अथवा उप तहसीलें स्थापित की जावेंगी एवं उन पर कितना व्यय होगा।

पटवार सर्किल, बांसवाड़ा का सर्वे नं. 1953

1234. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) एवं श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा पटवार हलका के सर्वे नं. 1953 को किस आदेश के जरिये नगरपालिका बांसवाड़ा के नाम आबादी में दर्ज किया तथा इसका मुआवजा कितना कब और किसे अदा किया गया ?

(2) उक्त सर्वे नम्बर 1953 के साथ इसी खातेदार (बशरह 1953) की अन्य भूमि अर्थात् सर्वे नं. 2008 की आवंटित की गई है ? यदि हां, तो उक्त भूमि (2008) का अमल दरामद क्यों नहीं हुआ ?

उत्तर

(1) रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार आराजी नं. 1953 को नगरपालिका के खाते रेवेन्यू कमिश्नर के आदेश सं. 3806 दिनांक 13-1-48 के द्वारा दर्ज किया गया है आराजी नं. 1953 तथा अन्य आराजीयात के मुआवजा की राशि रु. 693/- नगरपालिका बांसवाड़ा द्वारा जरिये चैक नं. 121 दिनांक 4-4-48 के द्वारा तत्कालीन महकमा माल में जमा कराया गया है। मुआवजा काश्तकारों को महकमा माल से चुकाया गया है।

(2) आराजी सर्वे नं. 2008 की भूमि नगरपालिका को आवंटित नहीं हुई है। वर्तमान में यह भूमि खातेदार श्री गफर, लाला, पिता नाथीया एवं श्री शंकर लाल सुखलाल पिता कालिया तेली के नाम दर्ज रिकार्ड है।

बस्सी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1991-92 में भू-आवण्टन

1235. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1990-91 में किए गए अनियमित भूमि आवण्टन रद्द किए गए हैं ? यदि हां, तो रद्द आवण्टियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैयालाल)

(2) क्या यह भी सही है कि अनियमित आवण्टन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त समस्त आवण्टनों को रद्द नहीं किया गया ? यदि हां, तो शेष बचे आवटियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शेष आवण्टनों को रद्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1990–91 में भूमि का कोई भी आवंटन नहीं हुआ।

(4) वर्ष 1990–91 में कोई भी आवंटन नहीं हुआ है। अतः आवंटन रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला बाड़मेर-जैसलमेर के काश्तकारों की भूमि का नियमन

1236. श्री अमीन खां (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जिला बाड़मेर तथा जैसलमेर में कितने भूमिहीन काबिज किसानों की संवत् 2032 के बाद भूमि नियमित की गई ?

उत्तर

जिला बाड़मेर तथा जैसलमेर में क्रमशः 1288 व 304 भूमिहीन किसानों को संवत् 2032 के बाद भूमि नियमित की गई है।

डी. आर. डी. ए. के द्वारा जारी सहायता राशि का जवाहर रोजगार योजना मद में खर्च करने सम्बन्धी प्रकरण

1237. श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डी. आर. डी. ए. द्वारा जारी सहायता राशि का जवाहर रोजगार योजना में किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

(2) क्या ग्राम पंचायत मोड़की पंचायत समिति उदयपुरवाटी में एक धर्मशाला एवं सांडशाला के निर्माण/मरम्मत के लिए कोई राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कितनी ? क्या उक्त राशि का सही उपयोग किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) इस कार्य के लिए कितनी राशि जन-सहयोग से प्राप्त हुई ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जारी सहायता राशि में से जीवनधारा, इन्दिरा आवास योजना एवं संस्थापन व्यय की राशि को घटाकर शेष राशि का 80 प्रतिशत जिले की ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है एवं 20 प्रतिशत राशि का

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

उपयोग जिला स्तर पर रक्षित कर अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने एवं "अपना गांव–अपना काम" योजना के कार्यों पर उपयोग किया जाता है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत मोड़की पंचायत समिति उदयपुरवाटी में एक धर्मशाला एवं एक सांडशाला के निर्माण की स्वीकृति "अपना गांव–अपना काम" योजना में जारी की गई थी। धर्मशाला की स्वीकृति राशि रुपये 0.99 लाख एवं सांडशाला की स्वीकृति राशि रुपये 0.342 लाख थी। धर्मशाला भवन हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग हो चुका है तथा सांडशाला का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। कार्य की स्वीकृति के समय यह कार्य सरपंच द्वारा करवाया जाना था परन्तु पंचायतों के भंग हो जाने के बाद यह कार्य प्रशासक ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना था। हाल ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुंझुनूं द्वारा प्रशासक ग्राम पंचायत मोड़की को कार्य कराने हेतु पाबन्द किया गया है।

(3) इन कार्यों के लिए जन–सहयोग से प्राप्त राशि निम्न प्रकार है :–

1. धर्मशाला = रुपये 0.297 लाख
2. सांडशाला = रुपये 0.034 लाख

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़, अजमेर की ग्राम पंचायतों में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर व्यय

1238. श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) किशनगढ़ (अजमेर) विधान सभा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में किन-किन ग्राम पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने-कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? प्रत्येक कार्य पर अलग-अलग कितनी राशि व्यय की जायेगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति कब दी गई ? वर्तमान में कितने स्थानों पर कार्य प्रारम्भ हो गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति सिलोरा एवं अराई आती है इनमें क्रमशः 173 एवं 77 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इन कार्यों पर पंचायत समिति सिलोरा में 98.17 लाख एवं अराई में रु. 23.94 लाख का व्यय (स्वीकृत राशि के बराबर) किया जायेगा। सूची परिशिष्ट–एक पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त कार्यों की स्वीकृति वर्ष 1991–92 में पंचायत समितियों द्वारा विभिन्न दिवसों पर की गई है। इनमें पंचायत समितिवार स्थिति निम्न प्रकार से है।

(५०)

(विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री)

	स्वीकृत कार्य	चालू कार्य	पूर्ण कार्य	कार्य प्रारम्भ नहीं
पं. समिति-सिलोरा	173	83	6	84
पं. समिति-अराई	77	54	23	—
योग :—	250	137	29	84

सूची परिशिष्ट–एक पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फलोदी लिफ्ट नहर योजना को अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पूर्ण कराना

1239. श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलोदी) एवं श्री प्रेमसिंह बढ़िया (भीनमाल) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) फलौदी लिफ्ट नहर योजना को सरकार ने बनाने की स्वीकृति कब दी तथा स्वीकृति के बाद में कौन-कौन से वर्ष में किस-किस में कितना खर्च किया गया ? उसका सम्पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कोलायत लिफ्ट योजना की स्वीकृति फलौदी लिफ्ट नहर योजना के बाद में हुई तथा उसका कार्य करने के लिए हर साल बजट में राशि का आवंटन अलग से किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि फलोदी क्षेत्र में इस वर्ष भयंकर अकाल है ? यदि हां, तो क्या फलौदी लिफ्ट नहर का कार्य पूरा कराने के लिए इसे प्रारम्भ कर लोगों को राहत दी जा सकती है ? यदि हां, तो इस वर्ष किस मद में कितनी-कितनी राशि खर्च की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) अब इस नहर से कब तक सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होगा ?

उत्तर

(1) फलौदी लिफ्ट नहर को बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति अपने आदेश क्रमांक एफ (200) रानपवि/81 दिनांक 3 अगस्त, 1983 द्वारा दी थी राज्य सरकार ने प्रशासनिक तथा वित्तीय संसाधनों को मध्यनजर रखते हुए दिनांक 16-10-85 को यह आदेश पारित किये कि शुरू में केवल साहवा व फलौदी लिफ्ट योजनाओं पर ही कार्य किया जाय। जिसे बाद में आदेश दिनांक 14–10–87 द्वारा संशोधित किया कि सभी लिफ्ट योजनाओं पर कार्य हो। फलौदी लिफ्ट नहर पर मदवार वर्षवार खर्चे का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं, सभी लिफ्ट योजनाओं की स्वीकृति एक ही आदेश द्वारा एक साथ

(इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री)

प्रदान की गयी थी। यह सही है कि हर वर्ष दोनों योजनाओं पर अलग-अलग राशि स्वीकृत की जाती है।

(3) अकाल की स्थिति राज्य के कई हिस्सों में हैं इनमें फलोदी क्षेत्र भी सम्मिलित है। अकाल राहत में प्रायः मिट्टी खुदाई का कार्य करवाया जाता है। फलोदी लिफ्ट पर पहले ही 10 कि. मी. लम्बाई में मिट्टी का कार्य किया हुआ है जबकि पक्का कार्य अभी तक 3.7 कि. मी. में ही हुआ है। फिर भी अकाल राहत के अन्तर्गत कोई धन राशि आवंटित होती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। फलोदी लिफ्ट का सिंचित योग्य क्षेत्र (56750 हैक्टेयर) सारा ही ऐसा है कि इसके 2 मीटर नीचे तक सख्त तल (हार्ड पान) की स्थिति है। नहर मण्डल की 138वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार इस नहर पर 5 कि. मी. से आगे काम रोका गया था। इसके सिंचित क्षेत्र में भूमि का उपयोग किस प्रकार व कितना पानी दिया जाकर किया जावे इसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है एवं शीघ्र ही निर्णय किया जावेगा। इस निर्णय के पश्चात् कार्य तेज गति से हो सकेगा।

(4) इस नहर क्षेत्र में नवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होना सम्भावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

उदयपुर जिले के अध्यापकों की जिला परिषद् में पूर्व की बकाया

1240. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय जो पूर्व में जिला परिषद् के नियंत्रण में थे, उन्हें वापस शिक्षा विभाग के नियंत्रण में ले लिया गया है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि जिला परिषद् की अवधि का कई अध्यापकों का वेतन तथा अन्य एरियर बिलों का भुगतान बकाया है? यदि हां, तो उदयपुर जिले के किस-किस अध्यापक का कितनी-कितनी राशि का बिल बकाया है? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अध्यापकों के वेतन व एरियर बिलों का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

(4) क्या सरकार वेतन व एरियर बिलों का समय पर भुगतान नहीं किये जाने को गलत मानती है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है एवं क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 15-4-91 से उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जिला परिषद् से शिक्षा विभाग के नियन्त्रण में लिया गया है।

(2) जी हां, उदयपुर जिले के अध्यापको की बकाया भुगतान राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। अतिरिक्त बजट राशि की स्वीकृति आवंटन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(शिक्षा मन्त्री)

(4) जिला परिषद् से उच्च प्राथमिक विद्यालय 15-4-91 को शिक्षा विभाग के नियन्त्रण में आये। लेकिन अध्यापकों के लेन-देन के कार्य के समय पर पूर्ण न होने की स्थिति में जिला परिषद द्वारा भुगतान नहीं किया जा सका, अब भुगतान हेतु अतिरिक्त बजट राशि की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

संविदा अध्यापकों को विशेष पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण

1241. श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने संविदा अध्यापकों के सेवारत रहते हुए पत्राचार विशेष पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिलाने के सम्बन्ध में अपने पत्र क्र. 107 दिनांक 4.1.1992 में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) संविदा अध्यापकों के प्रशिक्षण दिलवाने के आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। संविदा अध्यापकों को सेवारत रहते हुए अथवा अन्य प्रकार से नियुक्त अध्यापकों को विशेष पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिलाने की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।

(2) उक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण आदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय पूंजला (जोधपुर) के अध्यापकों की बकाया

1242. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्री शिवराम नत्थूजी टाक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पूंजला, जोधपुर में मुख्य अध्यापक व अध्यापक के पद पर कब से कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस विद्यालय के अध्यापकों द्वारा गत पांच वर्ष में कितने चिकित्सा पुनर्भरण के बिलों का भुगतान प्राप्त किया व कितने बिल चिकित्सा पुनर्भरण के भुगतान हेतु बकाया हैं ? यदि बकाया हैं तो इसके क्या कारण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री शिवराम नत्थूजी टाक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पूंजला (जोधपुर) में मुख्य अध्यापक एवं अध्यापक कब से कार्यरत हैं कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में 88/89 में क्रमोन्नत हुआ है। अतः 89-90 से 91-92 तक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा चिकित्सा पुनर्भरण बिलों के भुगतान प्राप्त करने एवं भुगतान हेतु बिल बकाया होने के विवरण की सूची

(शिक्षा मन्त्री)

सदन की मेज पर रख दी गई है। बजट के अभाव में बिलों का भुगतान नहीं हुआ है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शारीरिक शिक्षक (भू.पू. सैनिक) की अपरिपक्व सेवा निवृत्ति संबंधी प्रकरण

1243. श्री हरिश्चन्द्र कुमावत (नावां): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) चूरू द्वारा श्री पन्नालाल भूतपूर्व सैनिक शारीरिक शिक्षक को 55 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही सेवा निवृत्ति प्रदान की गई है? यदि हां, तो किस नियम एवं आदेश के अन्तर्गत? क्या 58 वर्ष पूर्ण करने से पूर्व सेवा निवृत्ति प्रदान की गई है?

(2) क्या सरकार ने नियमित करने हेतु पत्र लिखकर सूचनाएं चाही थी? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर निदेशक महोदय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

(3) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिक को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक आमेलन) नियम 1959 के नियम 17 के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति प्रदान की गई है।

(2) जी, हां। निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर ने दिनांक 22.11.91 को नियमित करने हेतु संशोधित प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं।

(3) यह प्रकरण अभी विचाराधीन है।

(4) दोषी पाये जाने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

गंगापुर सिटी के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की प्राइवेट ट्यूशन सम्बन्धी प्रकरण

1244. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी के राजकीय शालाओं के अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन करते हैं?

(2) क्या यह सही है कि इसकी शिकायत मन्त्री महोदय के पास कई बार जनता द्वारा की गई है? यदि हां, तो उसके बारे में क्या व्यवस्था की है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

विधान सभा क्षेत्र आबू, पिन्डवाड़ा के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

1245. श्री प्रभूराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) एवं श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

(श्री प्रभुराम गरासिया)

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) आबू, पिण्डवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बालिकाओं के लिए कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ?

(2) उनमें से कितने विद्यालयों में प्रधानाध्यापिकाओं के पद रिक्त हैं ?

(3) उक्त विद्यालयों में और कौन-कौन से पद रिक्त हैं ?

(4) इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) आबू, पिण्डवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बालिकाओं के 4 माध्यमिक विद्यालय हैं। बालिका सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है।

(2) उक्त 4 विद्यालयों में से दो विद्यालयों में प्रधानाध्यापिका के पद रिक्त हैं।

(3) उक्त विद्यालयों में कनिष्ठ लिपिक व प्रयोगशाला सेवक के पद रिक्त हैं।

(4) प्रधानाध्यापिका के पद, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के बाद, लोक सेवा आयोग से प्राप्त चयनित आशार्थियों की सूची में से भरे जा सकेंगे। कनिष्ठ लिपिक के पद भी लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे। प्रयोगशाला सेवकों के पद भरने सम्बन्धी कार्यवाही जारी है।

सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, बस्सी (जयपुर) में अध्यापकों के रिक्त पद

1246. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जयपुर जिले की बस्सी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में वर्ष 1991-92 में जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषयों के अध्यापक के पद दिसम्बर, 1991 तक रिक्त रहे ? यदि हां, तो विद्यार्थियों को जो विषय ज्ञान की हानि हुई है, उसकी पूर्ति कैसे की जायेगी ?

उत्तर

जी हां। अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर तथा दोनों विषयों के व्याख्याताओं की अल्पकालीन व्यवस्था कर विषय ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की पूर्ति की गई।

गांधी शिक्षण समिति, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

1247. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार को गांधी शिक्षण समिति गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) के सम्बन्ध में कितनी अनियमितताओं की शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई ?

(2) क्या गांधी शिक्षण समिति, गुलाबपुरा में प्रशासक नियुक्त हुआ था ? यदि हां, तो कार्यभार कब ग्रहण किया गया ? यदि न्यायालय का स्थगन आदेश यथास्थिति बनाए रखने का था, तो क्यों पुनः चार्ज दिया गया ?

(श्री बंशीलाल पटवा)

(3) उक्त समिति के चुनाव कब-कब हुये ?

(4) क्या सरकार समय-समय पर प्राप्त शिकायतों की नए सिरे से जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को गांधी शिक्षण समिति, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) के सम्बन्ध में अनियमितताओं की शिकायत विभिन्न व्यक्तियों से वर्ष 1989 एवं 1990 में प्राप्त हुई थी।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश संख्या प.10(65)शिक्षा-5/90 दिनांक 12.11.90 द्वारा संस्था में प्रशासक नियुक्त किया था। प्रशासक द्वारा दि. 17.11.90 को अपरान्ह में कार्य ग्रहण किया गया था। न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश दि. 12.11.90 पर स्थगन आदेश दिया था। अतः पुनः चार्ज देना आवश्यक नहीं था।

(3) समिति के गत चुनाव दिनांक 6.4.86 को सम्पन्न हुए थे जिसकी अवधि 5.4.89 को समाप्त हो गई थी। पुनः चुनावों की कार्यवाही पूर्ण न कराये जाने के कारण संस्था को दिनांक 11.4.90 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था संस्था प्रबन्धकों द्वारा इस सम्बन्ध में कारगर कार्यवाही न किये जाने के कारण कार्यकारिणी समिति को भंग कर प्रशासक की नियुक्ति चुनाव कराये जाने के उद्देश्य से की गई थी।

(4) अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतें व लेखों की जांच कराई जा रही है।

कृषि जिन्सों के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम व स्टाक सीमा प्रतिबन्ध कानून

1248. श्री दिलसुखराय (फतेहपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजरा, ज्वार और मक्का को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दिया है ? यदि हां, तो क्या राजस्थान में भी बाजरा, ज्वार, मक्का, चौला और मोठ को आवश्यक वस्तु अधिनियम से अविलम्ब हटाकर व्यापारियों को राहत दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत तिलहन एवं दलहन की स्टाक सीमा निश्चित करके प्रतिबंध लगाया जाता है ? यदि हां, तो किस-किस वस्तु की कितनी-कितनी सीमा निश्चित है ?

(3) क्या किसान की स्वयं की कृषि जिन्सें जो कि नहीं बेचने पर व्यापारी के पास अमानत के रूप में रखी जाती हैं, उनको स्टाक सीमा प्रतिबन्ध कानून में सम्मिलित किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजरा ज्वार और मक्का को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दिया है, ऐसी जानकारी

(खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री)

सरकार को नहीं है। राज्य सरकार का इन खाद्यान्नों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटाने का कोई विचार नहीं है।

(2) यह सही है कि राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत तिलहन एवं दलहन की स्टाक सीमा निश्चित करके प्रतिबन्ध लगा रखा है। तिलहन एवं दलहन की जितनी-जितनी सीमा निश्चित है वह निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	नाम वस्तु	नगर	निर्धारित स्टाक सीमा क्वि. में	
			थोक–विक्रेता	खुदरा-विक्रेता
1.	तिलहन	प्रवर्ग "क" नगर	1500	100
		प्रवर्ग "ख" नगर	1000	75
		अन्य सभी जगह	500	50
2.	दलहन	प्रवर्ग "क" नगर	1000	50
		प्रवर्ग "ख" नगर	750	40
		अन्य सभी जगह	500	30

(3) किसान की स्वयं की तिलहन एवं दलहन जिन्सें जो कि नहीं बेचने पर व्यापारी के पास अमानत के रूप में रखी जाती है उनको कमीशन एजेन्ट से भिन्न अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी के पास रखे जाने पर स्टाक सीमा में सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि केवल कमीशन एजेन्ट को ऐसा स्टाक उसकी प्राप्ति से 15 दिन तक रखने की छूट है।

बापू आश्रम हरिजन छात्रावास जालूपुरा (जयपुर)

1249. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में जालूपुरा बस्ती में बापू आश्रम के नाम से कोई हरिजन छात्रावास चलता है? यदि हां, तो यह छात्रावास कब से चल रहा है तथा वर्तमान में कितने बच्चे वहां रह रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि छात्रावास में रसोई के पास ही दीवार से लगा बूचड़खाना है और वह दीवार केवल 4-5 फीट ऊंची है?

(3) क्या यह भी सही है कि कटने वाले जानवरों की गन्ध छात्रावास में आती रहती है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भवन सरकारी है? क्या सरकार इस छात्रावास को अन्यत्र शिफ्ट करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह छात्रावास वर्ष 1955 से संचालित किया जा रहा है।

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

इसमें वर्तमान में 41 बच्चे रह रहे हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) छात्रावास की रसोई की चारदीवारी से कुछ दूरी पर कटे हुए जानवरों की सफाई का कार्य किया जाता है। जिसे हटाने के लिए नगर परिषद जयपुर व जिलाधीश जयपुर को निर्देश दिये जा चुके हैं।

(4) यह सरकारी भवन है। वर्तमान में राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ?

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

पशुचिकित्सालय गढ़मोरा (सवाई माधोपुर) में वेटेनरी सहायक का रिक्त पद

1250. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला सवाई माधोपुर के गढ़मोरा में वेटेनरी असिस्टेन्ट लगभग दो साल से नहीं है ? यदि हां, तो वेटेनरी सहायक कब तक लगा दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां। पशु औषधालय गढ़मोरा (सवाईमाधोपुर) में वेटेनरी असिस्टेंट का पद 6-2-90 से रिक्त चल रहा था। अब इस पद को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के आदेश दिनांक 5-5-92 को जारी किये जा चुके हैं। दिनांक 11-3-92 को इस पद हेतु कार्यमुक्त किया जा चुका है।

कल्पना प्रिंटर्स, टौंक का चुनाव निर्देशिका की छपाई एवं भुगतान सम्बन्धी प्रकरण

1251. श्री शिवजी राम (जहाजपुर) : क्या चुनाव राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टौंक जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा मध्यावधि चुनाव, 1991 के लिए चुनाव निर्देशिका छापने के आदेश कल्पना प्रिन्टर्स टौंक को दिया था ? यदि हां, तो कल्पना प्रिंटर्स द्वारा चुनाव निर्देशिका छापी अथवा नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि कल्पना प्रिन्टर्स द्वारा निर्देशिका समय पर छापकर दी थी एवं उसी के आधार एवं सहयोग से मतदान टोलियों ने चुनाव सम्पन्न करवाया था ? यदि हां, तो कल्पना प्रिन्टर्स का भुगतान अब तक क्यों रोका गया एवं कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कल्पना प्रिन्टर्स द्वारा चुनाव निर्देशिका छापी गई थी।

(2) यद्यपि कल्पना प्रिन्टर्स द्वारा निर्देशिका समय पर छाप कर उपलब्ध नहीं कराई गयी थी तथापि छपाई कार्य का भुगतान कर दिया गया है।

(५४)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक मार्च 16, 1992)

बस्सी में निर्मित स्टेडियम

589. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्टेडियम किस स्थान पर बनाया गया है ? स्टेडियम पर किस-किस विभाग की कितनी-कितनी राशि खर्च हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस स्टेडियम का कोई उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्टेडियम ग्राम रोजवाड़ी ग्राम पंचायत भूडला में "गायत्री स्टेडियम" बनाया गया है। स्टेडियम पर निम्न योजनाओं के अन्तर्गत राशि खर्च हुई है :—

क्र. सं.	मद/विभाग	स्वीकृत राशि श्रम	सामग्री	योग	भुगतान की राशि	मूल्यांकन राशि
1.	स्पे. एन. आर. ई. पी. (अकाल)	2.25	0.75	3.00	2,78,342/–	3,02,788/–
2.	परिवर्तित अकाल (एन. आर. ई. पी.-2)	1.00	0.50	1.50	1,49,999/–	1,50,725/–
3.	अकाल संवत् 2044	0.50	—	0.50	49,929/–	50,091/–
	योग :–	3.75	1.25	5.00	4,78,270/–	5,03,604/–

(2) जिला स्तरीय, पंचायत समिति स्तरीय, खेलकूद, प्रतियोगिता, ग्राम रोजवाड़ी में की जाती है. उस समय उक्त स्टेडियम का उपयोग किया जाता है। जैसे-जिला स्तरीय प्रतियोगिता दिनांक 26–11–87 से 30–11–87 तक, उक्त स्टेडियम में सम्पन्न हुई

(दिनांक 23 मार्च, 1992)

नाथद्वारा की शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों के लम्बित बिल

768. श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजसमन्द जिले में नाथद्वारा तहसील के विभिन्न सीनियर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व उच्च प्राथमिक महिला व पुरुष विद्यालयों के यात्रा व मेडिकल बिल कितने शिक्षकों के पिछले पांच सालों से लम्बित चल रहे हैं ? सूची मय राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

माध्यमिक विद्यालय कोठारिया जिला राजसमंद के कुछ अध्यापकों के यात्रा बिल लम्बे समय से लम्बित पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो कितनों के एवं किन कारणों से ? नाम, अवधि, कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ लम्बित बिलों पर उप कोषाधिकारी, कोषाधिकारी एवं कलक्टर, उदयपुर ने दूरी सम्बन्धी पृथक्-पृथक् आक्षेप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर एवं लगाये गये आक्षेपों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के बकाया बिलों का भुगतान अब कब तक कर दिया जावेगा ?

(5) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर द्वारा उक्त विद्यालय के अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो किस आधार पर एवं की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार कलक्टर द्वारा अध्यापकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नाथद्वारा तहसील के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक शिक्षक का यात्रा बिल गत 5 वर्ष से बकाया चल रहा है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजकीय सीनीयर उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठारिया के केवल एक वरिष्ठ अध्यापक का यात्रा भत्ता बिल लम्बे समय से लम्बित हैं। कारण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। केवल एक ही बिल पर दूरी सम्बन्धी आक्षेप लगाया गया है।

(4) नियमान्तर्गत बकाया बिल, यदि कोई हो प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित शिक्षक को अगले सत्र के बजट से भुगतान कर दिया जायेगा।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री यदुनाथ सिंह, श्री भरोसीलाल और श्री हरिसिंह महुआ, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला व तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम ढोगला व चकचैनपुरा के किसानों की लगभग 71 बीघा जमीन पर हवाई अड्डे में लैंडिंग हेतु कब्जे में लेने तथा उस भूमि का किसानों को मुआवजा नहीं देने से किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(2) डा. चन्द्रभान और श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से

(श्री अध्यक्ष)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दिनांक 20 व 21 अप्रेल को आयोजित की जाने वाली परीक्षा के 4 प्रश्न पत्रों के चोरी हो जाने से स्थगित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से क्रम सख्या 2 के अनुसार।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

निम्नांकित माननीय सदस्यों के ओलावृष्टि से फसल को क्षति होने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः मैं इनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य आज अकाल पर हो रही चर्चा के समय बोल सकेंगे :–

(4) श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील में भयंकर ओलावृष्टि से फसल को नष्ट होने से वहां की जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(5) श्री प्रकाशचन्द बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र फागी के लगभग 40 गावों में ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान के सम्बन्ध में।

(6) श्री भंवरलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्राथमिकता एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में अनियमितताएं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त स्थगन प्रस्ताव व इसमें उल्लेखित मुद्दे के सम्बन्ध में सामान्य तौर पर कई प्रश्नों के माध्यम से और समाज कल्याण विभाग की मांग पर चर्चा के समय बहस हो चुकी है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(7) श्री रिछपाल सिंह, श्री रामकरण और श्री मोहनलाल बारुपाल सदस्य, विधान सभा की ओर से डेगाना में केन्द्रीय भू-जल विभाग द्वारा खोदे गये ट्यूब वैल में मीठा पानी निकालने से उक्त ट्यूब वैल को जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तान्तरित कर पेयजल की समस्या का निराकरण करने के सम्बन्ध में। उक्त प्रस्ताव की प्रकृति तुच्छ है साथ ही अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं है अतः इस पर भी अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से इस आशय की जानकारी प्राप्त हुई है। ये प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है। अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी :–

( ) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका नैनवा के समय से पूर्व सेवा निवृत्त 7 सफाई

(श्री अध्यक्ष)

कर्मचारियों को वापस सेवा में नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि नगर पालिका द्वारा उक्त सेवा निवृत्त किये गये समस्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया है व उनके आश्रितों को उनके अनुरोध पर सेवा में ले लिया गया है अतः उनके भूखे मरने की सम्भावना नहीं है। पालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से उक्त कर्मचारियों की पी. एफ. की राशि सम्बन्धित विभाग में अब तक जमा नहीं होने से पेंशन प्रकरण पेश नहीं किये गये हैं। इन कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति करने वाले, दैनिक वेतन पर नवीन व्यक्तियों को रखने वाले तथा जन्म तिथियों को गलत तौर पर सत्यापित करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।

(2) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम दौलतपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो वर्ष से चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त होने तथा भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं देने से वहां की जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दौलतपुरा में पद रिक्त है जिसको भरने की कार्यवाही की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दौलतपुरा के लिए योजना मद में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही भवन निर्माण के लिए विचार करना सम्भव होगा।

(3) श्री भंवरलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका सुजानगढ़ (चूरू) के वार्ड नम्बर 3 के मध्य बने पानी के हौज से गन्दे पानी के निकास एवं उस क्षेत्र में पक्की नालियों का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया हैं कि नगरपालिका सुजानगढ़ के वार्ड नम्बर 3 के मध्य हौज गन्दे पानी की निकासी हेतु बना हुआ है। इस हौज में वार्ड नम्बर 3 की नालियों का गन्दा पानी एकत्रित होता है, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा एकत्रित गंदे पानी को प्रायः पम्प आउट किया जाता है। (व्यवधान)....बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

(4) श्री अमीन खां और श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर तहसील पोकरण में क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना राजमथाई फलसून 1989 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद भी उसकी जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि संदर्भित दोनों योजनाओं में अन्तिम छोर के ग्रामों में अधिक दूरी नहीं है अतः तकनीकी रूप से यह जांच करने का निर्णय लिया गया है कि कलाउ खुमान्तर से लाभान्वित होने वाले 6 ग्रामों को संधारण व्यय में बचत करने की दृष्टि से कलाउ स्रोत से जोड़ना अधिक उपयुक्त है अथवा राजमथाई फलसून्ड की मुख्य लाइन से आगे बढ़ाकर नवसृजित राजस्व ग्रामों को उसी योजना से जोड़ा जाना उचित है। उपरोक्त प्रस्ताव की गहराई से तकनीकी जांच की जा रही है एवं तकनीकी दृष्टि से उचित

(श्री अध्यक्ष)

एवं मितव्ययी प्रस्ताव को तकनीकी स्वीकृति दी जायेगी।

(5) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से फलोदी तहसील के अधिकांश क्षेत्रों में ओरी व अन्य संक्रामक बीमारियों में व्यक्तियों की अकाल मौत होने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि पूरी फलौदी क्षेत्र में दिनांक 12–3–1992 के बाद किसी भी बच्चे की ओरी से मृत्यु की सूचना नहीं है और क्षेत्र में कार्यरत दलों या चिकित्सा संस्थाओं से दिनांक 21-3-1992 के बाद किसी नए बच्चे की ओरी से रोग ग्रस्त होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इस प्रकार इस समय स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है।

(6) श्री मनीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरणसर की कंवर सैन लिफ्ट नगर के तीन रीचों पर सीधे मोगों को कन्ट्रोल करने के लिए नहर के समान्तरण माइनर्स बनाने का कार्य शुरु करवाने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि जिन माइनर्स का काम चालू हो गया था दिनांक 18 फरवरी, 1992 को मंत्री महोदय द्वारा ली गई बैठक के निर्णयानुसार उनको पूरा करने का निर्णय लिया गया था पर असंतोष की स्थिति देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि रबी फसल की समाप्ति (15 अप्रेल) तक वर्तमान स्थिति को बहाल रखा जायेगा तथा उसके पश्चात् भी उपरोक्त 3 माइनर्स पर पुनर्विचार किया जावेगा ताकि अन्य माइनरों के अनुसार ही इन माइनर्स केमोघों के पानी की मात्रा भी 70 प्रतिशत कर दी जावे।

(7) श्री रामनारायण वर्मा और श्री अमीन खां, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद् द्वारा दिये जा रहे धरने तथा उनके द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं का बहिष्कार करने की कथित घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद् द्वारा राजस्थान विधान सभा के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में 23–3–1992 से दिया जा रहा धरना परीक्षाएं बहिष्कार तथा असहयोग आन्दोलन का कदम रेसा के पदाधिकारियों ने वार्ता करने के उपरान्त हटा लिया गया है। अतः इस आन्दोलन से जो परिस्थिति होने की शंका की गई थी वह समाप्त हो गई है। सरकार रेसा की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है तथा जल्दी ही निर्णय लिया जाने की सम्भावना है।

(8) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की तहसील लालसोट के ग्राम नापा का बास में गांव की मुख्य आबादी के रास्ते खसरा नम्बर 40 पर अतिक्रमण कर रास्ते को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस ग्राम पंचायत अमराबाद के प्रस्ताव की प्रति प्रशासन ग्राम पंचायत द्वारा तहसीलदार लालसोट को अतिक्रमण हटाने हेतु प्रेषित की गई जो दिनांक 28-10-91 को तहसील लालसोट में प्राप्त हुई। इस पर गिरदावर हल्का से मौके की जांच कराई

(श्री अध्यक्ष)

गई जिससे मौके पर गोविन्दा, मूल्या, परसा, सावल्या पि. धन्ना मीणा का अतिक्रमण होना पाया गया। चूंकि आबादी भूमि का यह क्षेत्रफल ग्राम पंचायत स्वयं का नहीं होकर पट्टेदारों–श्री बनवारी लाल व श्री सीताराम का है जो उनकी निजी भूमि है, अतः किसी को पट्टे शुदा भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने हेतु वे स्वयं ही सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें और इसमें धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की सहायता नहीं ली जा सकती।

(9) श्री बिरधाराम चौधरी, एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से उद्योग विभाग द्वारा लवण उद्योग के लिए सब्सिडी से सम्बन्धित जारी आदेश स्पष्ट नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि लवण उत्पादन करने वाले उद्योगों को, जो लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, अनुदान योजना के अनुसार संसाधनों पर आधारित उद्योगों के समान उनके स्थायी पूंजी विनियोजना पर 20 प्रतिशत की दर से राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। अतः इनको संसाधनों पर आधारित उद्योग घोषित किये जाने की कोई उपादेयता एवं औचित्य नहीं है। अधिसूचना दिनांक 1-2-92 से लवण उत्पाद करने वाली इकाइयों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। लवण को संसाधनों पर आधारित उद्योग घोषित करने के उपरान्त भी इन लवण उद्योगों को 20 प्रतिशत की दर से ही अनुदान उपलब्ध होगा।

इस दर से राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान लवण उद्योगों को लघु उद्योग की श्रेणी में आने के कारण योजनानुसार पूर्व ही उपलब्ध है।

(10) श्री बुलाकी दास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा शहर के गांधी नगर क्षेत्र में प्रतापनगर थाने के इन्चार्ज द्वारा कथित लाठी चार्ज करने से वहां की जनता में व्याप्त भय के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि इस घटना के सम्बन्ध में गांधी नगर के निवासियों द्वारा उप महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर को दिनांक 25-2-92 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर थानाधिकारी प्रतापनगर के विरुद्ध की गई अनियमितताओं के आरोप लगाये। परिवाद के आरोपों की जांच होने तक थानाधिकारी, प्रतापनगर, भीलवाड़ा को दिनांक 27-2-92 को पुलिस लाइन भीलवाड़ा में स्थानान्तरित कर दिया गया है एवं परिवाद की जांच की जा रही है। तथा अभियोग संख्या 41/92 धारा 147; 148, 332, 353, 336, 307 भारतीय दंड संहिता थाना प्रतापनगर, भीलवाड़ा का अन्वेषण जिला पुलिस अधीक्षक स्वयं के मार्ग दर्शन में कार्यालय की अपराध शाखा के अधिकारी द्वारा निष्पक्षता के किया जा रहा है,

(11) सर्वश्री अमीन खां और रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर एवं जैसलमेर सीमावर्ती जिलों में भूकम्प से क्षतिग्रस्त निजी एवं प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों की मरम्मत अविलम्ब करवाये जाने के सम्बन्ध में। यह प्रस्ताव दो विभागों से

(54)

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्धित होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

निम्नांकित माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नही होगी। अलबत्ता ये आज अकाल पर होने वाली चर्चा के समय बोल सकेंगे।

(1) श्री घासीलाल चौपड़ा, टोडारायसिंह के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(2) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधानसभा की ओर से लूणकरणसर तहसील के कतिपय ग्रामों में देखभाल के अभाव में पेयजल योजनाओं के बन्द होने से वहां की जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिंचाई उपखण्ड कानोता के सहायक अभियन्ता द्वारा तूंगा सीमेंट स्टोर में हुई चोरी में निर्दोष लोगों को फंसाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी के वर्तमान निदेशक पर लगाये गये गलत आरोपों की जांच करवाने तथा उन्हें वेतन दिलवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्रज भाषा अकादमी द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा हिन्दी के स्तम्भ साहित्यकारों को तिरस्कार करने से उत्पन्न स्थिति एवं हिन्दी प्रेमियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(4) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर से सोजत के लिए द्रुतगामी बस सेवा संचालित करने तथा जयपुर अहमदाबाद बस सेवा का स्टाप सोजत में भी करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री चम्पालाल जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के टाडगढ़ कस्बे में टाडगढ़ से दूधेश्वर महादेव तक 6 किलोमीटर की सड़क का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में विद्युत विभाग के कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र एक ट्रक अथवा जीप आवंटित करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री चुन्नीलाल (धाकड़), सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में चरागाह, रिजर्व फोरेस्ट खेतों को, खलिहानों को मारवाड़ से आने वाली भेड़ों से बचाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के आम नागरिक को शीघ्र एवं सस्ता न्याय उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री अमृतलाल, सदस्य, विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली में रसद विभाग में कार्यरत ई.ओ. श्री मदन सिंह द्वारा कथित अनियमितताएं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(11) श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर नगर की आनासागर झील में पानी आवक मुख्य स्रोत; काजी के नाले की खुदाई करवाने व पक्का बनाने हेतु स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में ।

(12) श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर में कैंसर उपचार हेतु कोबाल्ट थैरेपी प्लांट लगाये जाने के सम्बन्ध में ।

(13) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में डोलोमाइट व सोप स्टोन की आड़ में मार्बल के अनाधिकृत खनन से हो रही राजस्व हानि के संबंध में ।

(14) श्री किशनगोपाल कोगटा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा नव निर्मित फल व सब्जी मण्डी यार्ड को बाई पास से विजय नगर रोड होते हुए सीधी सब्जी मण्डी में जाने हेतु सड़क का कार्य पुन: प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(15) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी कस्बे में हो रहे स्मैक के अवैध व्यापार को रोकने के सम्बन्ध में ।

(16) श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर नगर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को सुचारु करने के सम्बन्ध में ।

(17) श्री गोपालसिंह (खण्डेला), सदस्य, विधान सभा की ओर से महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक (हरियाणा) द्वारा प्रदत्त बी.एड. (पत्राचार) की उपाधि को राजस्थान में मान्यता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(18) श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा जिले में माही डेम की दाईं मुख्य नहर नरवाली के अधूरे कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में ।

(19) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीडूंगरगढ़ में मुन्सिफ कोर्ट कार्यालय भवन के लिए खसरा नम्बर 491 में से तहसील के लिए आरक्षित 13 बीघा भूमि में से आधा बीघा भूमि के उपयोग की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में ।

(20) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दर को 22 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 25 रुपये प्रतिदिन करने के सम्बन्ध में ।

(21) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में किये गये कथित घोटालों व अनियमितताओं की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(22) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से वसुन्धरा कालोनी, टौंक रोड पर आवासीय भूमि पर डेयरी चलाने

(श्री अध्यक्ष)

से वहां के निवासियों को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में।

(23) श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान मोटरयान अधिनियम द्वारा राजस्थान में बड़े ट्रकों की भार वहन क्षमता 9 टन पर सीमित कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(24) श्री नत्थीसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुद्देश्यीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने के उपरान्त भी उन्हें उक्त प्रशिक्षण नहीं देने तथा उनसे प्राप्त पोस्टल आर्डर राशि को वापस नहीं लौटाने से बेरोजगार युवकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(25) श्री बृजराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के सांगोद तहसील मुख्यालय पर ए.सी.सी. कैम्प कोर्ट के बजाय ए.सी.एम. कोर्ट सृजित करने के सम्बन्ध में।

(26) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन चल रहे प्राथमिक विद्यालयों में जलधारी को पांच रुपया मासिक तथा कन्टीनजेन्सी के लिए मात्र चार रुपया मासिक मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(27) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के किसानों की भूमि अवाप्त करने के उपरान्त भी उनको मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(28) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम हीरापुरा जयपुर स्थित दो सार्वजनिक हैण्ड पम्पों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर मोटर लगाने से वहां के निवासियों को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में।

(29) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में कंवर सेन लिफ्ट नहर के पानी का वितरण समानता के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में।

(30) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना बस्सी में एक पति-पत्नी का कत्ल व अन्य हत्या के मामलों में पुलिस को सफलता नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(31) श्री घासीलाल चोपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बनाये गये एनीकट्स के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(32) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रान्त के सभी बड़े शहरों के प्रमुख चौराहों पर महाराणा प्रताप, राणा सांगा, मीरा बाई, भामाशाह इत्यादि महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(33) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर, जोधपुर

(श्री अध्यक्ष)

व प्रान्त के अन्य स्थानों में संचालित आटो रिक्शाओं के मीटर की दरों का पुनः निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

(34) श्री भरोसी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिण्डौन की बिगड़ती हालत के सम्बन्ध में।

(35) श्री निर्भय लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से रूपवास विधान सभा क्षेत्र के सड़कों के टूटने व उनके जीर्ण शीर्ण हालत में होने से वहां की जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(36) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा इंजीनियरिंग कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में।

(37) श्री बुलाकी दास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुश्तैनी काश्तकारों की भूमि को आवासन मंडल, बीकानेर द्वारा मुआवजा दिये बिना ही पेड़ों को काटकर अनाधिकृत निर्माण कर भूमि का स्वरूप बदलने व राज्य के अन्य हिस्सों में आवासन मण्डल द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि को राज्य सरकार द्वारा डिएक्वायर करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

आज चूंकि अकाल पर बहस है और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य बोलें अकाल पर इसलिए इन सारे प्रस्तावों को पढ़ा हुआ माना जायेगा।

(295 के प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट सं 9 देखें)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री अर्जुन दास मदान। (व्यवधान) बिराजिये एक मिनट। प्लीज, प्लीज। एक मिनट बैठिये। आज मुझे यह बताया गया है कि चूंकि आज अकाल पर अधिक लोगों को बुलाना है। एक बजे से पहले 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेने हैं इसलिए अभी शून्यकाल में कोई उल्लेख नहीं करेंगे। आप कल कर सकते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसको अभी किया जाय। आपका जो मामला है, मेरी श्री केदार जी से बात हो गई है। आप उनसे बात कर लीजिये। मुख्य मंत्री जी आने के बाद उस पर वक्तव्य देने वाले हैं, उसमें चर्चा हो जाएगी। इसलिए इस सम्बन्ध में आप....(व्यवधान) मैंने सब देख लिया है। आपकी बात मैं कन्वे कर दूंगा कि ईद के ऊपर पानी की व्यवस्था तुरन्त करवाइयें वह करवा देंगे। बैठिये।

श्री अर्जुन दास मदान : (व्यवधान) मदान साहब बोलिये। सबके लिए है, आपके लिए है... (व्यवधान) ध्यान आकर्षित कीजिये केवल।

डॉ. चन्द्रभान (मण्डावा) : पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन। अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही अविलम्बनीय महत्त्व का प्रश्न है। बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और बोर्ड के पेपर आउट हो गए हैं। चोरी हो गई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यदि आप हमारे स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट करते हैं तो बोलने की तो अनुमति दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान (व्यवधान)

डॉ. चन्द्रभान : मैं केवल आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि आज से बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन दास मदान।

श्री अर्जुन दास मदान (लाडपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं लाडपुरा जिला कोटा विधान सभा क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा : (नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस समस्या की ओर मेरा ध्यान दिलाया है उस नोटिस की ओर मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहता हूं ....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, आप मन्त्रीजी की तरफ ही देख रहे हैं, हमारी तरफ भी देखिए।

श्री भंवर लाल शर्मा : उनकी यह चिन्ता है कि उनके विधान सभा क्षेत्र कोटा में अतिक्रमियों की बाढ़ आ रही है और माफिया गैंग अतिक्रमण कर रहे हैं। लिखा है कि अतिक्रमियों द्वारा राजस्थान के अतिक्रमण निरोधक नियमों, नगर परिषद् नगर विकास न्यास को खुले आम चुनौती देते हुए बिना किसी के भय एवं परवाह के निरन्तर अतिक्रमण हो रहे हैं। आगे लिखा है कि सम्बन्धित विवरण मैं विधान सभा में ही देना चाहूंगा। अब आप विधान सभा में मुझे विवरण देंगे तो मैं उसका उत्तर मंगा लूंगा। आपसे अधिकारी भी मिले, अधिकारियों ने आपसे कहा कि आप हमको बताइये कि आप किस अतिक्रमण की तरफ संकेत करना चाहते हैं तो आपने उनको भी यही उत्तर दिया कि मैं यह बात विधान सभा में ही कहूंगा कि कहां-कहां अतिक्रमण हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सूचना के अभाव में मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य को मैं संतुष्ट कर पाऊंगा। अच्छा यह होगा कि जहां उनको अतिक्रमण लगता है, उनके पास सूची है तो मुझे दे दें तो मैं निश्चित रूप से उस सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा और उनको विश्वास में लेकर करूंगा। मैं समझता हूं इस पर मैं यही उत्तर दे सकता हूं। इसके अलावा भी कोई प्रश्न आप पूछेंगे तो जवाब दे दूंगा।

आपने निर्देश दिया था माननीय श्री माहिर आजाद जी ने नियम 295 का प्रस्ताव रखा है और उन्होंने मांग की है ईद के मौके पर सफाई, पानी की व्यवस्था की जाय। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इस कार्यक्रम के बाद आप मुझसे मिल लें। आप और हम मिलकर जहां-जहां आवश्यकता है या किसी अन्य सज्जन को आप बता दें, अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके जो-जो आपकी आवश्यकता हैं उनको पूरा करेंगे। पानी का, बिजली का या जो भी इन्तजाम होगा वह पूरा किया जाएगा। (व्यवधान) जो भी होगा आप मुझसे सम्पर्क कर लें, हम कर देंगे। माननीय

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदान साहब।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिए।

श्री अध्यक्ष : This is interference. Dr. Chandrabhan, this is interference. When one person is speaking, you have got no right to interferen I request you, please, don't interfere.

श्री अर्जुन दास मदान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी विनम्रता के साथ मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने सदन में यह कहा कि मुझसे अधिकारियों ने पूछा कि कहां-कहां अतिक्रमण हो रहे हैं और उसके लिए मैंने उनको यह कहा कि मैं सदन में बताना चाहूंगा। मेरी स्मरण शक्ति में नहीं आता कि किसी अधिकारी ने मुझे यह प्रश्न किया हो और मैंने उसको यह जवाब दिया हो। यदि कोई अधिकारी मुझे विवरण दे सकें या किसी अधिकारी ने मुझसे सम्पर्क साधा था और मैंने उनको यह प्रत्युत्तर दिया तो मैं दोषी हूं और अगर किसी ने मुझे यह पूछा ही नहीं तो इसके बाद यह प्रत्युत्तर सदन में आता है तो मेरे ख्याल से वह सही प्रत्युत्तर नहीं है। पहला निवेदन मेरा यह था

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछिए आप, क्या सवाल पूछ रहे हैं।

श्री अर्जुन दास मदान : मैं तो केवल मात्र इतना ही निवेदन करता हूं कि लाडपुरा जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है उसमें कोटा के 45 वार्डों में से 18 वार्ड आते हैं और इन 45 वार्डों में से कोटा कांस्टीट्यूएंसी में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको लाडपुरा में प्रवेश करना पड़ता है, चूंकि बाहर के विधान सभा के सारे वार्ड हैं इसलिए उस पर अतिक्रमण की बाढ़ सी आ चुकी है। मैं एक एक्जाम्पल देना चाहता हूं पोलिटेक्नीक कॉलेज का। वहां जब प्रशासक श्री करणी सिंह राठौड़ थे तो वहां के जो अतिक्रमण कार्य करते हैं उनको हटाया गया और वापस पोलिटेक्नीक के पास में हटाकर उनको बसा दिया गया। मान्यवर, स्थिति इतनी दुभर है कि आज भी प्राकृतिक बुलावा आता है, शौच के कारण या लघु शंका के कारण वहां लोग पोलिटेक्नीक के भीतर चले जाते हैं जहां पर को-एजुकेशन है। आप कल्पना कर लीजिए कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद बच्चियां कौनसी उम्र में पहुंचती होंगी। वहां पर दो बार झगड़े हो चुके हैं। वहां पर विद्यार्थी उस अतिक्रमण का विरोध करते हैं। क्योंकि प्राकृतिक बुलावे के कारण एक आदमी शौच के कारण या लघु शंका के निवारण के कारण उस सीमा में प्रवेश करता है तो विद्यार्थी उसका विरोध करते हैं। जब विरोध बहुमत में होता है तो ड्राइवर, कण्डक्टर कुछ नहीं करते। शाम के टाइम पर दो बार लगातार ड्राइवर व कण्डक्टर्स होस्टल्स में जाकर उन्होंने विद्यार्थियों को पीटा है। यह मैं वहां की स्थिति बता चुका हूं। 11-11 ईंच मोटी लाइन के ऊपर अतिक्रमण पर लोगों ने मकान बना लिए हैं। यह वहां की दूसरी स्थिति है।

तीसरी स्थिति मैं आपसे निवेदन करना

(श्री अर्जुन दास मदान)

चाहता हूं कि रोप गार्डन एक स्थान है जहां पर ऐसी कल्पना थी कि संजय गांधी नगर, विज्ञान नगर के बीच में और ई. एस. आई. होस्पिटल के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन बनेगा। मुझे नाम तो स्मरण नहीं लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं यदि मुझे अनुमति होगी तो मैं 2-3 दिन में ऐसा प्रस्ताव भी लाऊंगा। पिछले विधान सभा के सत्र, 90 से पहले विधान सभा में इस बात पर चर्चा भी हो चुकी है और वहां पर यह निर्णय हुआ था कि रोप गार्डन को बनाया जायेगा। मान्यवर महोदय 7 लाख रुपये यू. आई. टी ने वहां पर खर्च किये। यह विश्वास था कि यहां पर लोग शाम के टाइम आराम से बैठेंगे। वहां की रैलिंग लोग तोड़कर ले गये और रैलिंग को तोड़ने के बाद लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया। यदि अतिक्रमण की अनुमति दी जाती है तो यू. आई टी. का 10 लाख रुपया तो बचाया जाता। एक स्थान की मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं, मैं जगह-जगह की आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जमीनों के हस्तान्तरण में किसी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब मैं आपकी बात समझ गया। आप बाकी की सूची आप माननीय मंत्री जी को दीजिए।

श्री अर्जुन दास मदान : एक निवेदन और करना चाहता हूं। मैंने लाडपुरा का कहा है। एक निवेदन तो मैंने वार्डों का बताया है जो नगर परिषद की सीमा में आते हैं। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कैथून की जमीन के अन्दर एक जमीन है जो पहले खसरा नं. 303 और 304 थी, जिसका वर्तमान खसरा नं. 646 है। मान्यवर, 1968-69 में इसको सिंचाई विभाग ने खरीदा और 1968-69 में 646 खसरा नं. 11484 रुपये में खरीदा गया और चैक न. 27703। के माध्यम से उसका भुगतान हुआ। कर्मचारी जब इसको हटाने के लिए गए तो वहां पर एक चिनाय नाम के आदमी ने उस पर अतिक्रमण कर रखा है। आप कल्पना कीजियेगा कि जहां पर ऐसी जमीन जो कि आज 20 हजार बीघा में भी नहीं मिल सकती। कम से कम 20 बीघा जमीन है और 20 हजार रुपये प्रति बीघा की दर से जमीन है और उसके ऊपर 4 लाख रुपये की जमीन को उस आदमी ने दबाया। मैंने ए. सी. एम. अदालत में जाकर अनुनय किया, मान्यवर, जमीन सरकारी है, एक आदमी ने अतिक्रमण करके दबा रखी है लेकिन मेरे अनुनय, मेरी याचना, प्रार्थना, अर्चना व अभ्यर्थना सब बेकार चली गई और प्रलोभन के कारण ए. सी. एम. ने मेरी भी नहीं सुनी और जब वह स्थानान्तरित होने जा रहे थे तो उसके ऊपर स्थगन आदेश स्थायी रूप से दे दिया गया। मैं आपसे क्या विश्वास कर सकता हूं एक ऐसी जमीन जहां पर स्थगन आदेश उस दिन दिया गया जब वह स्थानान्तरित हो चुके थे और 4 साल के बाद निर्णय होगा, डेढ़ साल से अतिक्रमी काबिज है। 4 साल के बाद निर्णय होगा, 6 साल के बाद वह आकर यह कहेगा कि इस जमीन पर मैं 6 साल से बैठा हूं आप इसे रेगुलर कर दीजिए। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा नगर के चारों तरफ, वैसे तो सारे राजस्थान में हो सकता है लेकिन हर आदमी को अपना दुःख ज्यादा नजर आता है। मैं तो

(श्री अर्जुन दास मदान)

अपने दुःख की बात कर रहा हूं। मेरी वेदना, पीड़ा और टीस, मान्यवर, इतनी है कि यदि आप उसका अवलोकन करें, किसी भी अधिकारी को आप भेज दें, करोड़ों रुपये की भूमि लोगों ने अतिक्रमण करने के उपरान्त यू. आई. टी. के नियमों की परवाह किये बिना अवहेलना करते हुए सारे नियमों को ताक में रखकर उसको बेचा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी कार्यक्षमता के ऊपर किसी को शक नहीं है, मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि रोटी सभी लोग खाते हैं लेकिन इतिहास बहुत कम लोग बनाते हैं। मंत्री तो बहुत बनते हैं लेकिन अपनी छाप छोड़ने वाले मंत्री बहुत कम होते हैं। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कोटा का आप अवलोकन करें, यदि आपकी आत्मा नहीं कराह उठे, यदि आपके मन में वेदना नहीं उठे तो मैं अपने आपको दोषी मानूंगा। मैं यहां तक निवेदन करता हूं करोड़ों रुपये की सम्पत्ति के ऊपर लोग अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं। यू. आई. टी. ने जहां पर लाखों रुपये खर्च किये, उसकी रैलिंग बेचकर लोग अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं। आप इसको रोकें, मान्यवर, मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है और यदि इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया, मुझे आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं और आपकी कार्यक्षमता के ऊपर भी कोई शक नहीं। यदि आपकी ईमानदारी के ऊपर कोई आदमी ऊंगुली उठाता है तो मैं केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि आप निश्चित रूप से कभी कल्पना कर लें और ऐसी स्थिति आ जाय कि समाज में यदि विपरीत स्थिति बन जाय तो भी आप उससे डिगने वाले नहीं है। मैं केवल मात्र आपसे प्रार्थना करता हूं कि किसी आदमी या किसी अधिकारी या दल को भेजकर कोटा की स्थिति का अवलोकन कीजिए, समुदाय आपस में लड़ते हैं जमीनों पर अतिक्रमण हो रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : अब आप इतना ही केवलमात्र कहने की बात है, कहकर शुरू कर देते हैं। (व्यवधान) यह है, बोलने वाले में होता है। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की भूमि पर अतिक्रमण हो और उससे करोड़ों का नुकसान हो, उससे वेदना होना स्वाभाविक है माननीय सदस्य को, उतनी ही वेदना मुझे भी है। मेरा तो केवल निवेदन यह था आपको, कि जब आपने यह स्थगन प्रस्ताव दिया उसमें आपने स्वय ने लिखा है, अतिक्रमण के सम्बन्ध में विवरण मैं विधान सभा में ही देना चाहूंगा। मेरा इतना ही आपसे निवेदन था कि अगर यह आप मुझे पहले इसके साथ दे देते तो आज कुछ अच्छी जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता था। फिर भी जो कुछ जानकारी मैंने प्राप्त की है वह आपकी जानकारी के लिए मैं निश्चित ही बताना चाहूंगा।

नगर परिषद द्वारा हटाये गये अतिक्रमण, पिछले चार वर्षों में जो हैं, उनका मैं विगत देना चाहता हूं। छावनी रामचन्द्रपुरा में 60 अतिक्रमण हटाये, विज्ञान नगर में 27 हटाये, बनसुआ कालोनी में 1 बोरखेड़ा में 2 और नगर विकास न्यास

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय योजना में 2, केशवपुरा आवासीय योजना में एक नारकोटिक विभाग की आवासीय कालोनी में 150, खड़े गणेशजी के पास मन्दिर प्रस्तावित योजना में 50, मोदी कालेज के दक्षिण में 9, हवाई अड्डे के पास एक, दादाबाड़ी पुलिस थाने के पीछे स्वैच्छिक संस्थाओं को आवंटित भूमि में 38, बालिका प्राथमिक विद्यालय, केशवपुरा को आवंटित भूखण्ड पर पत्थर के व्यवसाय करने वालों ने अतिक्रमण कर रखा था उनको हटाया गया है और जिलाधीश ने भी 727 अतिक्रमणियों के खिलाफ धारा 51 के तहत कार्यवाही की है। यह सूचना, जो में एकत्र कर सका था, वह मैंने निवेदन किया है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो सूचनाएं आपके पास हैं अतिक्रमण की, वह आप मुझे दे दें तो मैं निश्चित रूप से इसमें जो कानून के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही है, वह करूंगा और वहां के सम्बन्धित अधिकारियों को, जो भी इस काम को कर सकते है, उनको निर्देश दूंगा कि आपके साथ जाकर वह देख लें और उसमें जो भी वह कार्यवाही करें, वह निश्चित रूप से करेंगे। उसमें थोड़ा सहयोग यह चाहिए...

श्री अध्यक्ष : वह देंगे सहयोग।

श्री भंवरलाल शर्मा : कि आप मुझे लिस्ट दे दो कि कहां-कहां हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती उजला अरोड़ा

श्री रामप्रसाद लड्ढा (बैर) : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइंट ऑफ आर्डर ?

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा निवेदन करना है मुझे।

श्री अध्यक्ष : हां जी।

श्री रामप्रसाद : एक मिनट निवेदन करना है अध्यक्ष महोदय। ऐसा है कि मेरे क्षेत्र बैर में, मुझे अभी-अभी सूचना मिली है कि मेरे क्षेत्र के लोग आये हुए हैं, 10-12 गांवों में ओले पड़ चुके हैं, फसल....

श्री अध्यक्ष : हां, तो आज ओलों पर बहस हो रही है, आप बोलिए ओलों पर।

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसी पर निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां-हां, बोलना ओलों पर आप, आज पूरा दिन भर ओलों के खाते में है। हां, बोलिये। उजलाजी, बोलिए। केवल ध्यान आकर्षित करिये आप।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा सरकारी नीतियों का उल्लंघन

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री का... क्या शब्द बोलूं, उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, केवल ध्यान आकर्षित करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : किस सम्बन्ध में करती हूं, यह भी बोल दूं ?

श्री अध्यक्ष : उद्योग मंत्री का।

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : और किस का कर रहे हैं, सभी मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करेंगे ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री रामेश्वर भारद्वाज, श्री कालीचरण सराफ, श्री शिवकिशोर सनाढ्य. सदस्य, विधान सभा द्वारा वित्त निगम द्वारा एफ. एफ. सी. एक्ट की धाराओं, औद्योगिक विकास बैंक के दिशा-निर्देशों व सरकारी नीतियों का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो तथ्यात्मक स्थिति है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 18.1.55 द्वारा प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई। वित्त निगम गत 37 वर्षों से राज्य में औद्योगीकरण के विकास के लिए प्रयत्नशील है। वर्तमान में वित्त निगम की 37 शाखाएं एवं 9 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। निगम द्वारा अब तक 53804 इकाईयों को 1022.61 करोड़ की ऋण स्वीकृतियां एवं 42553 इकाईयों को 654.53 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया है जिसके फलस्वरूप राज्य में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित हुए हैं तथा रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हुए हैं एवं राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हुई है। प्रथम दशक के वर्ष 55-56 तथा 64-65 में क्रमशः 7 लाख व 73 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत एवं 2 लाख व 61 लाख के ऋण वितरित किये गये। जबकि आलोच्य वर्ष 91-92, फरवरी, 92 तक में स्वीकृति एवं वितरण की राशि क्रमशः 130.95 व 88-53 करोड़ रुपये पहुंच गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा देश में कार्यरत विभिन्न वित्त निगमों के कार्य संचालन का अध्ययन करने हेतु गठित मादा कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में राजस्थान वित्त निगम को प्रथम ए श्रेणी में 6 वित्त निगमों में माना गया है। अतः यह कहना कि राजस्थान वित्त निगम ने कोई प्रगति नहीं की है तथा औद्योगीकरण में कोई योगदान नहीं किया, पूर्णतया निराधार व तथ्यों से परे है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से प्राप्त होने वाले पुनर्वित्त पर निर्भर करती है। वित्त निगम साधारणतया उक्त बैंकों द्वारा निर्धारित पुनर्वित्त (रि-फाइनेन्स) की ब्याज दर से दो तीन प्रतिशत अधिक ब्याज दर वसूल करता है। कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निगम द्वारा उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर पुनर्वित्त की दर पर ही ब्याज लिया जाता है। उद्योगों में वित्तीय अनुशासन रखने, बाजार में अधिक ब्याज दर होने के कारण उद्यमी द्वारा जान-बूझ कर समय पर ऋण भुगतान नहीं करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वित्त निगम द्वारा वर्ष 1978 से दण्डनीय ब्याज

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

की प्रणाली लागू की गई थी। वित्त निगम को आई. डी. बी. आई. एस. आई. डी./बी. आई. से प्राप्त पुनर्वित्त राशि का निश्चित समय पर भुगतान नहीं करने पर....

श्रीमती उजला अरोड़ा : हिन्दी में बोलें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अधिक ब्याज देना पड़ता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हिन्दी में बोलिये। अंग्रेजी का बिल्कुल भी प्रयोग मत करिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं हिन्दी में ही बोल रहा हूं। दण्डनीय ब्याज प्रणाली के अभाव में ...

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी आप नहीं समझती हैं क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं नही समझती।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उद्यमी द्वारा विलम्ब से भुगतान करने पर वित्त निगम पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ने की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। वित्त निगम द्वारा उद्यमियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रेल, 1991 से दण्डनीय ब्याज की दर, जो पहले साढ़े सात प्रतिशत थी, उसको घटा कर सवा पांच प्रतिशत कर दिया गया है तथा बकाया दण्डनीय ब्याज राशि पर ब्याज लगाने की प्रक्रिया भी समाप्त कर दी गई है। ऋणी द्वारा बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर गुणावगुण के आधार पर दण्डनीय ब्याज माफ कर दिया जाता है। दोषी इकाईयों द्वारा समस्त देय राशि का चुकारा निर्धारित समयावधि में करने पर छूट भी दी जाती है। अतः यह सही नहीं है कि वित्त निगम द्वारा शत-प्रतिशत यानि हण्ड्रेड प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाता है। दण्डनीय ब्याज माफ करने की शक्तियां भी विभिन्न स्तरों पर प्रत्यायोजित की हुई है। वर्तमान में वित्त निगम की ऋणी इकाईयों की संख्या 37 हजार हैं। 5593 इकाईयां पूर्व ही भुगतान कर ऋण मुक्त हो चुकी हैं। इन 37 हजार इकाईयों में 443.72 करोड़ रुपये बकाया हैं। इकाईयों को ऋण स्वीकृति पश्चात् दस्तावेजों का निष्पादन किया जाकर ऋण की किश्तों का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में 21153 इकाईयां ऋण भुगतान की दोषी हैं। इनमें वह इकाईयां भी हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : 21 हजार....?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : 21153 इकाईयां ऋण भुगतान की दोषी हैं। इनमें वह इकाईयां भी हैं जिन्होंने देय तिथि से एक या दो दिन विलम्ब से भी भुगतान किया हो दिनांक 31-3-91 को ऐसी इकाईयों की संख्या 19994 थी। यह इकाईयां रुग्ण इकाईयों की श्रेणी में नहीं आकर डिफाल्टर की श्रेणी में आती है। वित्त निगम द्वारा केवल चिन्हित बंद इकाईयों तथा अधिगृहित की इकाईयों को ही रुग्णता की श्रेणी में माना जाता है। ऐसी 4230 इकाईयों में वित्त निगम का 121 करोड़ रुपया बकाया है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा किसी इकाई को उस समय ही

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

रुग्ण घोषित किया जाता है जब उसे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्जीवन हेतु सहायता प्रदान की जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि 21153 दोषी इकाइयों में से 11353 इकाइयां 25 हजार रुपये से कम ऋण प्राप्त करने वाली है जो राज्य के सुदूर विभिन्न ग्रामीण अंचलों में फैली हैं। 5299 दोषी इकाइयां एक लाख रुपये से कम वित्त घोषित वाली इकाइयां हैं। रूग्णता की ओर अग्रसर इकाइयों द्वारा पुनरुत्थान हेतु आवेदन करने पर वित्त निगम द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जाती है। इस हेतु उठाये जाने वाले कदमों में मूलधन व संचयी ब्याज की किश्तों का पुनर्निर्धारण, दण्डनीय ब्याज में छूट, कार्यशील पूंजी हेतु बैंकों को अनुशंसा, इकाई के प्रबन्ध में परिवर्तन इत्यादि सम्मिलित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रूग्ण इकाइयों की श्रेणी में आने वाली औद्योगिक इकाइयों के पुनर्जीवन / पुनर्संस्थापन हेतु रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम द्वारा सुविधाएँ/रियायतें प्रदान की जाती हैं। राजस्थान वित्त निगम द्वारा गत दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1618 रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित किया गया है। अतः यह कहना कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा एक भी इकाई को पुनर्जीवित नहीं किया गया; निराधार एवं तथ्यों के विपरीत है।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण वसूली निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है साधारण पत्र एवं रजिस्टर्ड पत्र भिजवाने के उपरान्त भी देय ऋण राशि का भुगतान नहीं करने पर राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 व 30 के अन्तर्गत अन्तिम अस्त्र के रूप में कार्यवाही की जाकर दोषी इकाइयों की परिसम्पतियां अधिग्रहित कर ली जाती हैं। यह कार्यवाही उन आदतन दोषी इकाइयों, जो येन-केन-प्रकारेण जान-बूझकर ऋण चुकाने को टालती रहती हैं, के विरुद्ध की जाती है। अतः उक्त शक्तियों का दुरुपयोग किये जाने की बात सही नहीं है।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, अधिग्रहित इकाइयों का विक्रय एक निधारित प्रक्रिया अनुसार समाचार पत्रों के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित कर की जाती हैं। विक्रय करने के पूर्व वित्त निगम द्वारा प्रत्येक इकाई की परिसम्पतियों की तकनीकी अधिकारी के माध्यम से मार्केट रियलाइजेशन वेल्यु (एम. आर. बी.) निकलवाई जाती है तथा इसी को आधार मानकर नीलामी में आये प्रस्तावों पर विचार कर अन्तिम निर्णय लिया जाता है। साधारणतया एम. आर. बी. से कम बोली के आधार पर इकाई को विक्रय नहीं किया जाता है। नीलामी में आई बोलियों को अन्तिम रूप से स्वीकृत करने हेतु विभिन्न स्तरों पर निगम द्वारा समितियां गठित की हुई हैं। अतः यह कहना कि वित्त निगम द्वारा अधिग्रहित इकाईयों के बेचान में कानून को दर किनार किया जाता है तथ्यों व सत्यता पर आधारित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण स्वीकृति पश्चात् सम्बन्धित इकाई को ऋण स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है जिसमें सामान्य शर्तों का उल्लेख होता है यथा देय ब्याज दर, भुगतान

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

अवधि, बीमार गारन्टी, पुनर्वित्त इत्यादि। इन शर्तों का उल्लेख इकाई द्वारा निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेजों में भी होता है। इन शर्तों के लगाये जाने का मुख्य उद्देश्य निगम की ऋण राशि के सम्भावित दुरुपयोग को रोकना ही है। यह उल्लेखनीय है कि वित्त निगम ऋणी इकाइयों। कम्पनी को ऋण न्यूनतम 5 पर्सेन्ट से अधिकतम 40 पर्सेन्ट तक की सिक्योरिटी मार्जिन पर उपलब्ध करवाया जाता है। अर्थात् उद्योग में लगने वाली कुल लागत का 60 पर्सेन्ट से 95 पर्सेन्ट तक का हिस्सा निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। अतः ऋण राशि की सुरक्षा की दृष्टि से तथा ऋणी इकाइयों कम्पनियों से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऋण स्वीकृति पत्र तथा ऋण अनुबन्ध में लगाई जा रही शर्तें नितान्त अपरिहार्य है। पूर्व में प्रिन्टिंग प्रेस हेतु ऋण देने पर सामान्य शर्तें ही लगाई जाती थीं, परन्तु जुलाई, 84 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निर्देशानुसार प्रिन्टिंग प्रेस के लिए किये जाने वाले ऋण के संबंध में निष्पादित अनुबन्ध में यह शर्त कि ऋणी इकाई ऋण की अवधि के दौरान कोई राजनैतिक तरीके का साहित्य नहीं छापेगी, लगाना प्रारम्भ कर दिया गया। परन्तु फरवरी, 1991 में एक लोकसभा प्रश्न के सम्बन्ध में निगम द्वारा इस शर्त का परीक्षण किया जाकर इसे वापिस लेने का निर्णय मई, 1991 में लिया गया....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे प्रश्न के ऊपर।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपको भी श्रेय है, पंडित रामकिशन जी को भी श्रेय है और लोकसभा को भी श्रेय है लेकिन तथ्य यह है कि यह हटा दिया।

....इसके पश्चात् प्रिंटिंग प्रेस के मामलों में निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्धों में इस शर्त को विलोपित कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, अन्य सामान्य शर्तों के साथ अनुबन्ध पत्र में यह शर्त भी लगाई जाती थी कि ऋणी इकाई कम्पनी ऋण अवधि के दौरान किसी प्रकार की ट्रेडिंग एक्टीविटी नहीं करेगी, ना ही हुण्डी स्वीकारेगी। इन शर्तों के अंकित किये जाने का मूल उद्देश्य यह है कि ऋणी इकाई निगम से प्राप्त सहायता व स्वयं का अंशदान औद्योगिक प्रयोजनार्थ ही उपयोग में ले, ना कि अन्य व्यापारिक गतिविधियों में। ऋण के व्यापारिक व अन्य गतिविधियों में उपयोग लिये जाने से उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना को टाला नहीं जा सकता। अतः शर्त के रूप में अंकुश लगाना आवश्यक समझा गया। मई, 1991 में इस शर्त को थोड़ा लचीला बना दिया गया तथा यह परन्तुक जोड़ दिया गया कि ऋणी वित्त निगम की पूर्वानुमति के बिना ऋण अवधि में कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं करेगा। फलस्वरूप किसी उद्यमी को अब तक कोई कठिनाई नहीं हुई है और ना ही किसी प्रकार उनके मूलभूत अधिकारों का हनन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान वित्त निगम तकनीकी योग्यता प्राप्त उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों पर 5

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

लाख रुपये तक के ऋण शून्य मार्जिन पर स्वीकृत करता है। तकनीकी उद्यमियों के लिए अनुबन्ध में कोई विशेष शर्तें नहीं बना रखी हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रसारित दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान वित्त निगम द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर परन्तु तकनीकी दृष्टि से उद्योग लगाने में सक्षम उद्यमियों को बीज पूंजी सहायता करता है।....

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट कितना बड़ा और है ?

श्री रामकिशन : नहीं ठीक है। यह इतना उलझा हुआ मामला है कि कई चीजें साफ हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : कोई सवाल नहीं होगा। बैठिये, बैठिये। हां बोलिये। फिर कोई सवाल की जरूरत नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं चाहता तो सूक्ष्म में जवाब देता लेकिन....

श्री अध्यक्ष : हां, पढ़ दीजिए फिर कोई सवाल खड़ा नहीं होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : काफी लोगों को दिक्कत कम हो जाएगी। आप पूरा पढ़ें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : ....यह योजना तकनीकी उद्यमियों के साथ-साथ ऐसे अन्य अनुभवी उद्यमियों जो योजनान्तर्गत पात्रता को पूरी करते हैं पर भी लागू है। सीड कैपिटल सहायता केवल 1 पर्सेन्ट सेवा शुल्क के आधार पर प्रदान की जाती है। निगम द्वारा किसी भी बड़े पूंजीपति को बीज पूंजी स्वीकृत नहीं की गई है।

वित्त निगम के लेखों में 31-3-91 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अन्त में 566·59 लाख रुपये विविध जमा (सन्डरी डिपोजिट) में दर्शाए गए हैं। इसमें से अधिकांश राशि निगम द्वारा बेची जाने वाली इकाइयों के इच्छुक खरीददारों से प्राप्त अग्रिम जमा, बिक्री से प्राप्त अधिक राशि 31 मार्च को प्राप्त चैक व अन्य विविध जमा से संबंधित है, जिसे तत्काल खातों में समायोजित करना संभव नहीं होता। इस राशि को समय-समय पर नियमानुसार समायोजित कर लिया जाता है अथवा उद्यमियों को वापिस कर दिया जाता है। अतः उद्यमियों को इस राशि पर ब्याज पर ब्याज बढ़ाकर डराये-धमकाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

निगम द्वारा वसूले गये ब्याज व दिये गये ब्याज के भारी अन्तर के संदर्भ में जो तथ्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दर्शाए गए हैं, के संबंध में लेख है कि निगम की कुल बकाया राशि 31-3-91 को 48578·66 लाख रुपये थी जबकि निगम की उधार 31628·20 लाख रुपये ही थी। अतः चुकाये गये ब्याज व वसूल किये गये ब्याज में अन्तर स्वाभाविक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा निर्धारित ब्याज की दर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं लघु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त पर आधारित होती है और निगम मात्र 2-3 प्रतिशत

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

तक मार्जिन प्राप्त करने का अधिकारी है, जो कि वास्तविकता में एक प्रतिशत से भी कम बैठता है। निगम को जिन प्रकरणों में उपरोक्त केन्द्रीय संस्थानों से पुनर्वित्त प्राप्त नहीं होता, निगम द्वारा वहां साधारण ब्याज दर वसूल की जाती है।

यह सही है कि निगम द्वारा 31-3-91 को 36·06 करोड़ रुपये का नकद एवं बैंक में शेष रखा गया था।....

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह किसी इकाई का सवाल ही नहीं है, वह सस्पेन्स अकाउन्ट में रखा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पहले आ चुका है वह जो आप कह रहे हैं उसमें।

....लेकिन इसमें से नकद राशि केवल मात्र 1·96 करोड़ रुपये ही थी व शेष राशि 30.43 करोड़ रुपये बैंकों में जमा थी एवं 3.68 राशि ट्रांजिट में थी। वर्षान्त में इतनी अधिक राशि का नकद एवं बैंकों में रखे जाने के कई कारण हैं यथा मार्च माह में 22 करोड़ रुपये की ऋण वसूली, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक से 24 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त होना, सरकार से प्राप्त 4 करोड़ रुपये का अनुदान पुनर्भरण एव राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंश पूंजी व अन्य राशि आदि। निगम द्वारा उपरोक्त राशि में से 21·02 करोड़ रुपये सावधि जमा में रखे गये जिस पर निगम द्वारा ब्याज अर्जित किया गया। बैंक अपनी निश्चित समयावधि के पश्चात् नकद जमा नहीं करते। इसलिए निगम को 31 मार्च को बैंक समयावधि के बाद प्राप्त राशि अपने पास रखनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, यह साधारण अमाउन्ट वह है जो डिफरेन्ट इकाइयों के पास रहता है न कि हैडक्वार्टर्स पर....

श्री अध्यक्ष : कौन सा पेज पढ़ रहे हैं?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह पेज 7 है?

....जो अगले कार्य दिवस पर बैंक में जमा करवा दी जाती है। इस प्रकार किसी राशि का दुरुपयोग सम्भव नहीं है। आयकर कानून के अनुसार भी वित्तीय संस्थाओं को ऋण पुनर्भुगतान नकद में करने की कोई सीमा नहीं है।

राजस्थान वित्त निगम की स्थापना के पश्चात् स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत वित्त निगम द्वारा 9 विनियम बनाए गये जो जनवरी, 1986 से पूर्व के हैं। राजस्थान वित्त निगम संशोधित वेतन श्रृंखला विनियम, 1989 जिसका राजस्थान राजपत्र दिनाक 15.08.91 में प्रकाशन हुआ है वह जनवरी, 1986 के पश्चात् का है। स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 में जनवरी, 86 से पूर्व ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम/नियम सदन के पटल पर रखा जाना आवश्यक हो। अधिनियम की धारा 48 के पश्चात् नई धारा 48-"ए" जनवरी, 86 में जोड़ी गई जिसके अनुसार निगम द्वारा बनाये गये विनियमों को राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत करना आवश्यक कर दिया गया। अत: 15.08.91 के राजपत्र में प्रकाशित विनियमों की माननीय उद्योग मंत्री द्वारा अधिप्रमाणित प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक समझूंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय इस कालअटेन्शन द्वारा उठाया गया है और मैं सदन के सामने क्षमा मांगने में झिझकूंगा नहीं और मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि यह जो संशोधन आया, जैसा इसमें लिखा है जनवरी, 86 में आया तो जनवरी, 86 से पहले जितने रेगुलेशन बने थे उनको सदन के पटल पर रख दिया है। एक जो रह गया था उसको अभी रख दिया लेकिन मैंने इसमें जानकारी दी....

श्री रामकिशन : 300 के करीब बने हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 300 के करीब प्रपत्र हैं जो आबद्ध नहीं हैं। अलग-अलग है, उनको चाहे जब आपके अधिकारी संशोधन करते हैं। कष्ट की बात यह है कि विधानसभा द्वारा वह पास नहीं किये गये और उस आधार पर इन सब इकाइयों को, जो रुग्ण हो जाती हैं उनको पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में यहां पर, विधान सभा में मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा किये जाने पर भी अनेक इकाइयों के आपने विज्ञापन बेचने के निकाले हैं। बेचने के बजाय उनको नियमितीकरण करने के और उनको ऋणों में छूट देकर जीवित करने के बजाय आपने उनके विज्ञापन निकाले हैं। इसके क्या कारण रहे हैं ? यह तो बताइये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं खुद निवेदन कर रहा था....

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दीजिए न ताकि जो काल टेन्शन खत्म हो जाय.... (व्यवधान) ... आप इसका जवाब दीजिए जल्दी से। कृपया आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। (प्लीज)।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा मांग रहा हूं इसमें।

श्री रामकिशन : मंत्रीजी, एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आप पूरा पढ़ लीजिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इसलिए जो नहीं रखे जा सके हैं उनको शीघ्र ही हम रख रहे हैं.... (व्यवधान) इतने जो मांग पत्र आये हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले इनको पढ़ लो। अभी तो सवाल पूछेंगे आप।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उच्चतम न्यायालय द्वारा महेश चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश वित्त निगम के वाद में दिया गया निर्णय अभी तक किसी भी कानूनी जनरल अथवा मासिक रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं हुआ है। ना ही इस निर्णय की प्रति अभी तक उपलब्ध हो पाई है। अतः पूर्ण निर्णय के अभाव में इस सम्बन्ध में टिप्पणी किया जाना सम्भव नहीं है। तथापि इण्डियन एक्सप्रेस दिनांक 22.2.92 में प्रकाशित समाचार के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिये हैं उनकी अनुपालना, राजस्थान वित्त निगम द्वारा अपनाई गई अधिग्रहण नीलामी की प्रक्रिया के वस्तुतः

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अनुरूप होने के कारण पूर्व से ही की जा रही है । राजस्थान वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयों की अधिग्रहण, जब अन्य कोई विकल्प नहीं बनता तब ही, अन्तिम अस्त्र के रूप में किया जाता है । अधिनियम की धारा 29 का प्रयोग बहुत ही सतर्कता पूर्वक सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जब अथक प्रयासों के उपरान्त भी ऋणी ऋण की बकाया का भुगतान नहीं करता है, किया जाता है । अधिग्रहित इकाइयों का विक्रय भी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित करने के बाद ही किया जाता है । इकाई के विक्रय के समय प्रमुख उद्यमी को विक्रय की सूचना दी जाती है, एवं विक्रय विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों द्वारा किया जाता है । राजस्थान वित्त निगम द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर भी अधिग्रहित इकाइयों का विक्रय किया जाता है । वित्त निगम द्वारा रुग्णता की ओर अग्रसर इकाइयों की ऋण किश्तों पर पुनर्निर्धारण कर उसका पुनः उत्पादन में लाने का प्रयास भी किया जाता है । राजस्थान वित्त निगम द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान, भवन निर्माण हेतु ऋण सहायता स्वीकृत की जाती है । विभिन्न गृह निर्माण समितियों से अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भूमि क्रय-विक्रय करना उनका निजी मामला है । वित्त निगम द्वारा अपने स्तर पर किसी भी गृह निर्माण समिति का गठन नहीं किया गया है । यह सही है कि वित्त निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों ने सम्मिलित रूप से एक गृह निर्माण समिति से भवन निर्माण हेतु भूमि प्राप्त की थी तथा वित्त निगम द्वारा उन अधिकारियों/कर्मचारियों को जो इस समिति के सदस्य हैं, भूमि क्रय करने हेतु, भवन निर्माण हेतु ऋण दिया गया है । वित्त निगम द्वारा उक्त-ऋण सहायता नियमान्तर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने पर प्रदान की गयी है ।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा समस्त कार्यवाहियां/गतिविधियां नियमानुसार ही की जाती हैं । दोषी इकाइयों के मामले में यद्यपि कुछ कड़ी कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ता है, परन्तु यह निगम के हित में आवश्यक है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां स्पष्ट किया है, मैं आग्रह करता चाहूंगी कि एक तो आप विधान सभा में नियमों को लाने का कब प्रयत्न कर रहे हैं जिससे वह आबद्ध होकर नियमितिकरण उनका हो सके और बार-बार उनको चेंजेज नहीं हो सकें । नम्बर दो, जो आपने यहां यह कहा है कि गृह निर्माण सहकारी समिति बनाकर ऋण दिया, यह बात सही नहीं है । जो पैसा जमा नहीं किया गया वह पड़ा रहा । उस पैसे का दुरुपयोग किया गया है । आप देख लें । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 12 फरवरी का जो उच्चतम न्यायालय का फैसला है, वह मैंने आपको खुद आपके हाथ में थमाया । तब से अब तक, जबकि आपने मेरे प्रश्न का गलत उत्तर दिया था, तब मैं आपको थमा कर गयी थी, तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि अब तक आपके अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से आपको सुप्रीम कोर्ट से वह फैसला मंगवा लेना चाहिए था

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वह फैसला आज नहीं ला पाई हूं, कल आपको उपलब्ध करा दूंगी। यह तय किया गया था कि एक समिति बनाई जाएगी....

श्री अध्यक्ष : आप बजाय यह कहने के यह क्यों नहीं कहती कि आप जब फैसला ला सकती हैं तो सरकार क्यों नहीं ला सकती, निगम क्यों नहीं ला सकता। आप क्यों लाकर देंगी। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि आपको फैसला मिल सकता है तो निगम को भी मिल सकता है। नहीं मिला है तो....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दिल्ली जाकर लाई हूं और वह फैसला मेरे पास उपलब्ध है....तो आप क्यों नहीं ला सकते।

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में जो फैसले किये गये थे, आपके माध्यम से एक वर्ष बीतने पर भी आज तक उनमें तालाबन्दी है। आपने उनका विज्ञापन पुन: निकाला, पुन: निकाला, पुन: निकाला और 3 बार घोषणा की कि हम उनको जीवित करेंगे। मैं पूछना चाहूंगी कि जो यह समिति बनी है, औद्योगिक विकास बैंक, रिजर्व बैंक की तो उसमें आपका उद्योग विभाग सदस्य नहीं है, मन्त्री महोदय, इन सब में, अगर आप उद्योगों को जीवित करना चाहते हैं तो आप भी एण्टर होने की कोशिश कीजिए। क्या इन सारे मामलात में आप कोई विचार रखते हैं ? बताइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय पंडितजी.... (व्यवधान)....आप कहें तो मैं इसकी भाषा पढ़ देता हूं केवल आपके दस्तखत कराये गये हैं। इसमें भाषा में केवल अपना नाम लिखा है। हमें कहीं शब्द प्रयोग नहीं है। मैं कहें तो आपको बता दूं....(व्यवधान)....आप सुन लीजिए।

श्री कालीचरण सराफ : यह क्या बात हुई श्रीमन्, अच्छा धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरी नहीं है। पंडितजी, आप पूछिये....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप भाषा की गलती को नहीं पकड़ें, केवल हमारे भाव पकड़ें।

श्री अध्यक्ष : भाव यही है कि श्रीमती उजलाजी ने अकेली ने ही यह रखा है और वैसे ही दस्तखत करा लिये। इनको पता भी नहीं कि क्या रख रहे हैं क्योंकि यह कॉलअटेन्शन....

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसी बात नहीं है। उनको मालूम है उद्योगों के लिए रखी है....

श्री अध्यक्ष : कालअटेन्शन अपने आप में 7 पेज का है। कालअटेन्शन ही 7 पेज का है। आप इसको कभी ही नहीं पढ़ सकतीं। आपमें इतना धीरज नहीं है, मुझे पता है। पंडितजी, पूछिये।

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी से दो-तीन बातों की जानकारी चाहूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 7 पेज का कालअटेन्शन आपको कभी स्वीकार नहीं

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

करना चाहिए। कालअटेन्शन तो 5-5 लाइनों का होता है।

श्री अध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री रामकिशन : जैसा आपने साफ किया है कि वित्त निगम के, उसमें लिखा हुआ है कि जो विज्ञप्ति, जो नियम/उप नियम बनेंगे उसमें सैल्फ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वह विधान सभा के सामने लाये जाएंगे। मैं आपका इसको बड़प्पन मानता हूं आप उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। उनको लाने की कोशिश करेंगे। मैं इस पर अब ज्यादा बहस करना नहीं चाहता। दूसरी बात जो आपने कही है कि ..

श्री अध्यक्ष : पंडितजी, इतने उदार मत बनिये, मत बनिये इतने उदार। वित्त निगम इतने दिनों से विधान सभा की परवाह ही नहीं करे और आप उदार बन रहे हैं। मैं इस मामले में इतना उदार नहीं हूं। आप भले ही उदार बनिये मैं इस उदारता को स्वीकार नहीं करता।

श्री रामकिशन : तो मैं केवल यह जानकारी चाहूंगा कि इन सबको आप विधान सभा के सामने कब पेश कर रहे हैं ? नम्बर दो, जो आपने ब्याज का कहा है कि हम इस तरह के ब्याज नहीं लगाते है, तो मैं कुछ खातों का आपको जिक्र किये देता हूं। खाता नम्बर 1013 मूल रकम 7.83 लाख, ब्याज 24 लाख हुआ। खाता नम्बर 1014, शाखा सीकर, मूल रकम 7 हजार, ब्याज के 33 हजार। इसी तरह खाता नम्बर 1025, 83 में ऋण लिया 69 हजार और ब्याज के है 6 लाख 78 हजार। तो मैं केवल आपसे यह कहना चाहता हूं, आपको सही सूचना नहीं दी गयी है, आप इस मामले को देखें। तीसरा, आपके वित्त निगम को स्पष्ट आदेश थे, स्पष्ट सलाह थी कि साढ़े तीन पर्सेन्ट से ज्यादा ब्याज वसूल नहीं करेंगे, उसके सम्बन्ध में भी साफ करें। वैसे बयान से कई चीजें बहुत साफ हो गयी हैं, इन तीन चीजों पर और रोशनी डालने का कष्ट करें।.... (व्यवधान)

(1.00 म.प.)

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब ही नहीं आया, आप क्यों खड़ी हो जाती हैं ?

श्री कालीचरण सराफ : क्या राज्य सरकार लावारिस इकाइयों के मामले को छोड़ कर अन्य मामलों में बिल्कुल बन्द करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आपको पूछना है, रामेश्वरजी ? नहीं। मंत्रीजी।

मंत्रीजी, मैं समझता हूं, आप स्वयं ही यह प्रस्ताव रख दें। मैं चाहता हूं कि इसको आप एक्जामिन पी.यू.सी. से करा लीजिये। This whole matter should be examined by the P.U.C. ताकि उसमें रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स अप हो जाय। नहीं तो इस तरह से तो आटोनामी के नाम पर anything can happen in Rajasthan and Vidhan Sabha will not be knowing anything. तो इसलिये यह बैटर रहेगा इसको एक्जामिन करवाइये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, सदन की भावनाओं को देखते हुए जिस

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

गम्भीरता से आपने प्रश्न को लिया है. मैंने स्वयं भी उसको उसी गंभीरता से लिया है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि पी. यू. सी. इस सारे मामले का काग्नीजेंस लेकर परीक्षण करें। जान बूझकर शरारत हुई है, लापरवाही हुई है, क्या हुआ है उस पर रेस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाय, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तथ्य जो मैं आपको दे रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, वह यह हैं कि यह अमेंडमेंट जब आया इसके बाद मैंने रेगूलेशन तो एक ही पास हुआ, उस रेगूलेशन पर माइनर अमेंडमेंट समय-समय पर किये गये। मैं लगातार आपका प्रश्न आने के बाद आर. एफ. सी. से लगा रहा, वही इसी भ्रांति के अन्दर रहे कि रेगूलेशन तो हमने कोई पास किया ही नहीं। मैंने कहा कि रेगूलेशन पास नहीं किया तो कोई अमेंडमेंट तो हुआ होगा। तो जब यह पता लगाया कि कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, 300 आप बता रहे हैं वह संख्या तो नहीं है, वह जितने बचे हैं, मेरी जानकारी में आयेंगे, मैं कह चुका हूं. और अगर कोई रह जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जायेगी, कल निश्चित रूप से सदन के पटल पर रखवा दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दो तीन सवाल पूछे हैं....

श्री अध्यक्ष : अब इसको एक्जामिन ही करवा लीजिये। सारी बातें एक्जामिन हो जायेंगी। P.U.C. will exmine the whele matter. सारे सवाल, माननीय सदस्य भी अपने सवाल दे देंगे। पी. यू. सी. से एक्जामिन करवा लीजिये, आपके सवाल भी उसमें दीजिये।

नैक्स्ट, श्रीमती कमला। ध्यान आकर्षित करिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सागवाड़ा क्षेत्र में अवैध वाहन चालन

श्रीमती कमला (सागवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मन्त्री महोदय का मेरे निर्वाचन क्षेत्र सागवाड़ा, जहां अवैध वाहन चल रहे हैं, की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री शांतिलाल चपलोत (राज्यमंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, माननीय परिवहन मंत्री आज यहां नहीं विराजे हैं ...

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको परमिशन दी है।

श्री शांतिलाल चपलोत : मुझे अधिकृत कर दिया इसलिये आपकी अनुमति से....

श्री अध्यक्ष : You are his State Minister, उनके। बोलिये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री अध्यक्ष : गृह राज्य मंत्री हैं वह। आप गृह राज्य मंत्री हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत उठाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर तथ्यात्मक टिप्पणी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है, गृह मन्त्री का थोड़े ही किया है।

श्री अध्यक्ष : उनके स्टेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने इनको एनट्रस्ट किया है। आप पूरी बात सुनना चाहें तो है।

श्री शांतिलाल चपलोत : सागवाड़ा क्षेत्र में चलने वाली यात्री बसों के पास वैध परमिट हैं तथा ये वाहनें अपने निर्धारित मार्गों पर स्वीकृत समय सारिणी के अनुसार चलती हैं। इनके चालकों के पास वैध लाइसेंस हैं। चैकिंग के दौरान बिना परमिट या परमिट की शर्तो का उल्लंघन करती पायी जाने वाली वाहनों के चालान बनाये जाते हैं व वक्त चैकिंग वाहनों के चालकों के लाईसेंस भी देखे जाते हैं तथा जुर्माने की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि वसूल की जाती है। अवैध वाहनों की समय-समय पर चैकिंग करने के फलस्वरूप वर्ष 1991–92 में अब तक डूंगरपुर जिले में 289 वाहनों के चालान बनाये गये जिसमें सागवाड़ा क्षेत्र में चलने वाली वाहनों के 130 चालान बनाये गये जिसके फलस्वरूप जिले में अब तक 2, 89, 416 रुपये की अतिरिक्त राजस्व आय हुई है।

दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जिला परिवहन कार्यालय, डूंगरपुर को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आप पूछिये।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने सिर्फ बसों के बारे में ही ज्यादातर बताया है। लाइट व्हीकल्स जैसे जीप, कारें वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में चलती हैं। मेरा जहां तक ख्याल है, सागवाड़ा के अन्दर जितने मनुष्य हैं उसके बराबर जीपें और कारें चलती हैं। अब किसके पास परमिट है या नहीं है, इस बारे में मैं जानना चाहती थी। और यदि सरकार इसका सर्वे करवा लें तो बहुत सी बातें मालूम पड़ जायेंगी। जनजाति क्षेत्र में, अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर लोग अपेक्षा करते हैं। अधिकारी लोग जाकर देखते भी नहीं हैं कि कहां कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। मंत्रीजी के जवाब में तो यह लिखा है कि कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। जिलाधीश के जरिये पता करें, 89–90, 90–91 में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को कोई सहायता या मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं; वहां एक तो सर्वे करवाया जाय कितनी जीपें और व्हीकल्स वहां पर अवैध चल रहे हैं। दूसरा यह कहना चाहती हूं कि जो पीड़ित परिवार हैं, उनको मुआवजा कब तक देने का इरादा रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आप इसका तो सर्वे करवा लीजिये, यह ठीक कह रही हैं, वहां जो और अवैध वाहनें हैं और यह मुआवजा के बारे में भी आप जांच करके मुआवजा दिलवायें।

श्री शांतीलाल चपलोत : उसमें जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : उनको पेमेन्ट करवाइये। नैक्स्ट, श्री रामेश्वर भारद्वाज।

कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन

श्री रामेश्वर भारद्वाज(किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री का कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन नहीं होने के कारण उत्पन्न असन्तोष के संदर्भ में नियम 131 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी । (अनुपस्थित) तब तक मैं आगे वाला लेता हूं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम जब 295 पढ़ते हैं तो यह तो आपका नियम है कि हमें उसी समय जरूरी नहीं है कि जवाब मिले । लेकिन मंत्री जी नहीं हैं ...

श्री अध्यक्ष : मैं इसको बहुत अपवाद समझता हूं और जब तक वह खड़े होकर माफी नहीं मांगेंगे सदन से; I won't allow him.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहम्मद माहिर आजाद ।

राजस्थान विश्वविद्यालय की हिन्दी पाठ्यक्रम समिति, 1989 द्वारा अनियमितता

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : राजस्थान विश्वविद्यालय की हिन्दी पाठ्यक्रम समिति, 1989 द्वारा की गई कथित अनियमितताएं एवं राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 42 के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति की ओर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री रतनलाल जाट (राज्य मन्त्री, उच्च शिक्षा) : माननीय अध्यक्ष जी, श्री मोहम्मद माहिर आजाद एवं 13 अन्य माननीय सदस्यों ने राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान विश्वविद्यालय की हिन्दी पाठ्यक्रम समिति, 1989 द्वारा संस्तुत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों द्वारा अनुमोदित किया गया था । सदस्यों की पुस्तकें सलेबस में सहायक पुस्तकों के रूप में निर्धारित थीं । दिनांक 29–30 अगस्त, 1991 को एकेडेमिक परिषद ने 1991 की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों को 1992 की विभिन्न परीक्षाओं के लिये लागू करते हुए यह संस्तुति की, विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों की यदि कोई, पुस्तकें, 1992 की परीक्षाओं के लिये सलेबस में सम्मिलित हों तो उसे पाठ्यक्रम से अधिष्ठाता, कला संकाय और संयोजक, हिन्दी पाठ्यक्रम समिति की राय से हटा दिया जावे ।

एकेडेमिक परिषद की संस्तुति को विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कुलपति महोदय ने स्वीकार किया । तत्पश्चात् सिण्डीकेट ने अपनी बैठक दिनांक 18 जनवरी, 92 के निश्चय संख्या 15 द्वारा कुलपति महोदय के आदेश की पुष्टि की । सिण्डीकेट द्वारा नियुक्त समितियों की रिपोर्ट को कानूनी सलाहकार से परीक्षण के पश्चात् सिण्डीकेट सलाहकार से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् सिण्डीकेट की बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायगी ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर । माननीय राजस्व मंत्री जी आ गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रिविलेज मोशन मूव कर रहे हैं क्या ?

डा. चन्द्रभान : नहीं मैं तो चाहूंगा उनके ध्यानाकर्षण....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। आप प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहें तो You can move. This is a clear cut case of breach of privilege. आप मूव तो करते नहीं हैं और वैसे ही खड़े हो जाते हैं।

राजस्व मंत्रीजी, प्लीज, राजस्व मंत्री जी।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, हम प्रिविलेज मोशन मूव करेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, बैठिये आप। The House wants to know why you were not present in the House when you were called. I warn you. You should not only be sorry but you should be two times sorry; three times sorry. This is not the way. After all, this is an August House. हां, बस जवाब दीजिए।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : मैं कुछ जानकारी करने हो गया था, साहब और कहीं नहीं। अब आफिसरों से ही जानकारी करने गया था। यह बहुत लम्बा चौड़ा मामला है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तीन बार सारी कह दें, क्या बिगड़ता है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है कि माननीय मंत्रीजी तीन बार सारी कह दें। आप जानकारी तो पहले भी प्राप्त कर सकते थे और आपके पास जानकारी पहले भी आ गयी थी।

श्री गंगाराम चौधरी : उन्होंने मुझे कहा....

श्री अध्यक्ष : This is very hopeless condition. At least, I am sorry. If you are not sorry, I am sorry. I feel very much sorry about this that a responsible minister is not persent at the time of his call-attention-motion.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप क्षमा याचना कर लीजिए।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं सदन से क्षमा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। पूछिये आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने 13 मार्च, 92 को दिया गया उत्तर हमको दिया है मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में स्वायत्ता की आड़ में अवैधानिकता का नंगा नाच हो रहा है। स्वायत्ता का पूरी तरह दुरुपयोग हो रहा है। पता नहीं विश्वविद्यालय के अधिकारीगण स्वायत्ता शब्द का ठीक अर्थ जानते हैं कि नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय के नियम, उप नियम या स्टेट्यूट का ही उल्लंघन नहीं है, राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, जो राजस्थान विधान सभा द्वारा निर्मित है, की धारा 42 का भी उल्लंघन है। धारा 42 क्या है, मैं यह उद्धत करना चाहूंगा।

धारा 42 राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट:

Book written by a member of

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

the Board of Studies not to be prescribed.

No book written or published by any person who is the member of the Board of Studies of the University, shall be prescribed or recommended for study for any examination of the University so long as such person remains as member of the Board".

यानि क्लियर है कि विश्वविद्यालय की जो पाठ्यक्रम समिति बनेगी, उसका कोई भी सदस्य अपने द्वारा लिखित पुस्तक पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तय नहीं करा सकता, नहीं लगा सकता। अब आप इसका जवाब दे रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने धारा 13 (4) का उपयोग करते हुए पाठ्यक्रम समिति ने जो अवैधानिक निर्णय लिया था उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का मर्डर हो जाये और उसके घरवाले थाने में रिपोर्ट लिखाने जायें, साहब, यह मर्डर हो गया, रिपोर्ट लिखिये, तो क्या थानेदार एस. पी. को यह पूछेगा कि कौनसी धारा में एस. पी. साहब मैं मुकदमा दर्ज करूं ? क्लियर आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, मर्डर अगर हो गया, वह मर गया तो 302 में आपको मुकदमा दर्ज करना है। जब कानून का उल्लंघन हो गया, धारा का उल्लंघन हो गया उसके बाद इस अपराध को खत्म करने के लिए यह कहते कि नहीं, यह पुस्तकें आपने गलत लगा रखी हैं, मैं धारा 13 (4) के अन्तर्गत अपने अधिकार का उपयोग करता हूं, इसको क्वेश करता हूं तो बात समझ में आती है। आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। और, अध्यक्ष महोदय, धारा 13 (4) क्या कहती है :

"He may take action in any emergency which, in his opinion, calls for immediate action. He shall in such a case and as soon as may be thereafter report his action to the officer, authority or other body who or which would ordinarily have dealt with the matter.

यानि केवल धारा 13 (4) का उपयोग असाधारण परिस्थिति में किया जा सकता है। आपातकाल के अन्दर, जब सिण्डीकेट की, एकेडेमिक कौंसिल की या पाठ्यक्रम समिति की, या अन्य किसी भी समिति की बैठक करना संभव ही नहीं हो, कर्फ्यू लग रहा हो, बाढ़ आ गयी हो, तालाबन्दी हो रही हो, या इस तरीके की कानून और व्यवस्था की स्थिति हो कि कोई भी बैठक इमीजियेट किया जाना संभव ही नहीं हो तब इस कानून का उपयोग करते हुए इस धारा के तहत कोई भी कार्य कर सकता है। लेकिन कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या असाधारण थी ? उसके तुरन्त बाद बैठक होने वाली थी। यह बिल्कुल असत्य कथन है कि अकादमी परिषद् की संस्तुति को कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत स्वीकार कर

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

लिया। कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इस तरह की कोई परिस्थिति ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्णन दिया है; अध्यक्ष महोदय, मैं वह भी बताना चाहूंगा, "Emergency should not be created. It must exist." आपातकाल क्रियेट नहीं किया जा सकता परिस्थिति हो इस तरह की तभी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उपयोग किया। सारी पुस्तकें उन्होंने अपनी लगा लीं। यह मुद्दा 89 में जब प्रकाश में लाया गया, उस समय सिण्डीकेट के एक सदस्य श्री अनिल माथुर ने उप कुलपति महोदय को एक पत्र लिखा, अध्यक्ष महोदय, कि यह पाठ्यक्रम समिति ने बिलकुल नियम विरुद्ध, कानून के विरुद्ध काम किया है, जो पुस्तकें लगाई हैं इन पुस्तकों को छात्रों के, अध्यापकों के या किसी के भी हित में रखना संभव नहीं है, आप इसको तत्काल हटाने का काम कीजिए। उसका जवाब दिया उप कुलपति महोदय ने कि आपका 13 अगस्त का लिखा हुआ पत्र मुझे 29 अगस्त को मिला और मैं उससे पूर्व ही धारा 13 (4) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इसको जायज करार दे चुका हूं। क्या वाइस चांसलर ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त भी करेंगे ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : समाप्त नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत गंभीर विषय है कृपया....

श्री अध्यक्ष : देखिये, इस गंभीर विषय की गंभीरता तभी होगी जब जो पाइण्ट्स आप पूछना चाहते हैं उनकी ओर जोर दें। आप भाषण देंगे तो यह गंभीर विषय गंभीर नहीं रहेगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : भाषण नहीं दे रहा हूं, पाइण्ट्स ही बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं कुलपति....

श्री अध्यक्ष : आप यही बातें उनसे पूछिये कि बताइये, अमुक सैक्शन फालो हुआ कि नहीं ? सैक्शन 13 क्या है, यह तो वही बता देते।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा पाइण्टेड पूछ लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह जो पुस्तकें पाठ्यक्रम में लगाई, क्या इनमें कुछ पुस्तकें ऐसी भी हैं जिनके लेखकों के नाम का ही पता नहीं है कि उनके लेखक कौन हैं ? मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय ने श्री ललित तिवाड़ी के संयोजन में कोई जांच कमेटी मुकर्रर की थी ? यदि मुकर्रर की थी तो उस कमेटी की बैठकें कब-कब हुई और उस कमेटी ने अपनी क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की ?

मैं यह भी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या श्री डी. एल. वर्मा के संयोजन में भी एक कमेटी गठित की गई थी इस पाठ्यक्रम समिति की सिफारिशों की जांच के लिए ?

(1.18 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस डी. एल. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई और उसमें क्या कहा गया ?

मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 1991-92 के लिए

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

डाक्टर सुरेन्द्र उपाध्याय के संयोजन में आपने हिन्दी विषय की नयी पाठ्यक्रम समिति गठित की ? क्या उससे पाठ्यक्रम और सलेबस का मसविदा आपको प्रस्तुत कर दिया उसके बावजूद भी उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है ? यदि नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया है और यदि किया जायेगा तो कब तक किया जायेगा ? मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या श्री प्रकाश चतुर्वेदी, निर्वाचित प्रतिनिधि सिण्डीकेट, ने भी इस सम्बन्ध में उप कुलपति महोदय को कोई पत्र लिखा है ? यदि लिखा है तो उसमें उन्होंने क्या आपत्तियां उठाई हैं और उस पर क्या कार्यवाही हुई हैं ?

मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि श्री के. के. मित्तल, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, पूर्व में इनको डिप्टी रजिस्ट्रार अजमेर विश्वविद्यालय में लगाकर आपने भेजा, किन कारणों से वहां से वापस आ गये ? डिप्टी रजिस्ट्रार का पद छोड़कर यहां इन्होंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर लिया। फिर आपने इनको महाराजा महाविद्यालय में लगाया। महाराजा महाविद्यालय से भी यह वापस राजस्थान विश्वविद्यालय में क्यों आ गये ? और क्या इनको डिप्टी रजिस्ट्रार आपने एस. सी., एस. टी. की पोस्ट के अगेंस्ट बनाया है ? दिनांक 25.1.92 का आफिस आर्डर आप सदन के पटल पर रखे। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, हिन्दी पाठ्यक्रम समिति '89 के कौन-कौन सदस्य थे जिन्होंने अपनी पुस्तकें लगायीं ? मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी के कार्यकलापों, अनियमितताओं के सम्बन्ध में 1977 में जगतनारायण की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया था और जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है ? यदि प्रस्तुत की है तो उस जांच आयोग की रिपोर्ट के पेज नम्बर 53 और 109 का आप अध्ययन करें, उसमें आप देखेंगे इन्हीं प्रोफेसर, की नियम विरुद्ध कार्यवाही करके जो पुस्तकें लगायी गयीं उसके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास करके कोई सिफारिश की गयी थी। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में होने वाली अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री आर. डी. माथुर की अध्यक्षता में कोई जांच कमेटी बनायी गयी थी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके पेज नम्बर-9 पर डाक्टर हरचरण लाल शर्मा के बारे में उन्होंने क्या तथ्य उजागर किये कृपया उसे भी सदन के पटल पर रखें।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो पुस्तकें आपने लगा दीं और इस तरह से छात्रों को तीन साल का नुकसान हुआ और आज भी वहीं पुस्तकें चल रही है, आने वाले सेशन में आप क्या कार्यवाही करेंगे दोषी है, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आपने इसमें यह कहा है कि कानूनी रिपोर्ट मांग ली गयी। कानूनी रिपोर्ट किससे मांगी गयी ? कानून का उल्लंघन होने के बाद उसकी लीगल ओपीनियन मांगी जाती कि हुआ या नहीं हुआ ? जब 1989 में ही आप मान रहे हैं कि, लगातार कमेटी बनती चली जा रही है, आपकी सिण्डीकेट के मैम्बर अनिल माथुर की चिट्ठी, फिर

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

ललित तिवाड़ी की अध्यक्षता में कमेटी बनायी उसकी रिपोर्ट, फिर बी. एल. शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनायी उसकी रिपोर्ट; फिर प्रकाश चतुर्वेदी की चिट्ठी....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : आप डायरेक्ट बात नहीं करें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से कह रहा हूं। आप सुन लीजिये। निगाह किधर भी हो सकती है, इशारा किधर भी हो सकता है, आप उसमें मत जाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : निगाह तो इधर ही रखें।

श्री उपाध्यक्ष : निगाह तो इधर ही रखें, मंत्रीजी तो सुन लेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूं कि कानूनी सलाहकार किस से आपने रिपोर्ट मंगवायी ? यूनिवर्सिटी के ला कालेज के अन्दर प्रोफेसर हैं जो कानून पढ़ाते हैं। आज राजस्थान के सारे कानून के अधिकारी यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। और रिपोर्ट मांगी है तो उनकी रिपोर्ट क्या आयी ? नहीं आयी तो कब आयेगी और उस पर आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, क्या आप इस पर बोलेंगे ?

कई माननीय सदस्य : सब बोलेंगे इस पर।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन मेरा निवेदन है कि कम से कम बोलें लिस्ट आयी हुई है, 118 आदमी तो अकाल पर बोलने वाले हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप अकाल के मामले को लेकर इस भ्रष्टाचार के मामले को मत रोकिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। संक्षेप में अपने पिन पाइन्टेड प्रश्न पूछें, भाषण की जरूरत नहीं है। सभी विद्वान यहां पर बैठे हैं। जो तथ्य आये हैं वह भी रिपीट नहीं किया करें तो अच्छा रहेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छात्रों की जिन्दगी का सवाल है और आपने मैं बोला ही नहीं उसके पहले सारी पाबन्दी लगा दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय में प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों के बारे में चर्चा की जा रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी पुस्तकें विश्वविद्यालय में लगती हैं, बड़े दुःख की बात है इसमें भी इस प्रकार की अनियमितता, इस प्रकार की जालसाजी, कानून के विरुद्ध जालसाजी करके कार्यवाही करते हैं। इसका बड़ा भारी असर छात्र-छात्राओं पर पड़ता है और उनका जीवन बरबाद हो जाता है। इन पाठ्य-पुस्तकों के जरिये जो शिक्षा प्राप्त होती है उसी से देश का निर्माण होता है। इसलिये मेरा निवेदन है जो इस समय चर्चा की जा रही है उसमें सुझाव सेवा में पेश कर रहा हूं कृपया आप उन पर ध्यान देंगे और आने वाले भविष्य में इस प्रकार की गलती न हो और जिन

(श्री रामस्वरूप मीणा)

लोगों ने इस प्रकार की गलती की है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : अनियमितता क्या हुई उसके बारे में बतायें। सवाल पूछें सुझाव क्या दे रहे है।

श्री रामस्वरूप मीणा : वहीं मैं बता रहा हूं। जो भी पाठ्य-पुस्तकें हैं, जिनकी स्वीकृति दी, कुलपति महोदय ने जिस प्रकार की जल्दबाजी करके या जिन परिस्थितियों में स्वीकृति देना चाहते थे इमरजेंसी के नाम पर कि कोई मीटिंग नहीं बुला सकते थे क्या उनके लेखकों का कोई अता-पता है ?....

श्री सम्पत सिंह (नगर) : रिपीट हो रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : रिपीट तो होंगी बातें। महत्वपूर्ण बातें होंगी तो बार-बार कहनी पड़ती है। फायदा कैसे नहीं है, हर बात का महत्व बढ़ाने के लिए बार-बार कहना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय जाया होता है। टू दी पाइंट बात करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, पाइंटेड बात ही कह रहा हूं लेकिन आप बोलने ही नहीं दें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य एतराज कर सकते हैं, उनका भी राइट है।

श्री रामस्वरूप मीणा : कुलपति महोदय का भी पक्ष ले रहे हैं। आप उस बात को दबाने के लिये बीच बीच में हमें टोक रहे हैं। फिर क्या मतलब हुआ ? आप बोलने ही नहीं देते हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं और आप बीच-बीच में टोक रहे हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं आज तक उनके लेखकों के बारे में अता पता नहीं है। किसने पुस्तकें लिखी हैं और उन पुस्तकों में क्या मैटर दिया है, पूर्व में कोई सूचना नहीं देकर अकस्मात पुस्तकें मन्जूर कर दीं, गुप्त रूप से मन्जूर कर दीं। यह बहुत गलत बात है। इस प्रकार की पुस्तकों का पहले प्रकाशन होना चाहिये, उनका पता लगाना चाहिये कि कौन इसके लेखक हैं, कौन लिख रहे हैं। दूसरी पुस्तकें भी काम्पीटिशन में मंगवानी चाहिये जो उचित समझते हैं, जिन पुस्तकों का पाठ्यक्रम अच्छा है। इससे छात्रों की पढ़ाई में फायदा होगा, यह नहीं कि आपने पुस्तकें मंगवायीं और मजूर कर दीं और लेखकों का पता ही नहीं है। चुपचाप इमरजेंसी मान कर उनको लागू कर दिया यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, यह मेरा निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें। आपका पूरा नहीं हुआ क्या ? आप सहयोग कीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं दो तीन सवाल ही कर रहा हूं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो प्रकाश चतुर्वेदी है उन्होंने जो पत्र के बारे में आज तक कोई भी विवरण किसी प्रकार का नहीं दिया गया कि उन्होंने

(श्री रामस्वरूप मीणा)

क्या पत्र में लिखा। उस पत्र की आज तक भी जांच नहीं हुई है उसकी कार्यवाही हुई या नहीं---

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दी थी कि अकाल पर ठीक एक बजे से बहस शुरू हो जाय। माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कह चुके हैं, अब आप मंत्रीजी से जवाब दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : रिपीटिशन मत करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : समय तो यूं बीच-बीच में बोलने से खराब हो जाता है, इतनी देर में तो मैं अपनी बात कह देता, आप उनको रोकिये जो बीच बीच में बोलते हैं। बात का लिंक टूट जाता है। यह व्यवस्था है क्या सदन की कि बार-बार बीच में टोक देते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, उस समय हिन्दी पाठ्यक्रम समिति बनायी थी उस समिति के अन्दर कोन-कौन मैम्बर थे? नाम यहां पेश करें ताकि यह पता लग सके कि किन मैम्बर्स में किस प्रकार से अनियमितताएं हैं? इसी प्रकार मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने इन पाठ्य पुस्तकों के बारे में, कुलपति हो चाहे कितना बड़ा आदमी हो, अनियमितता की है, जिन्होंने इस प्रकार का गलत काम किया है, इमरजेंसी बताते हुए गुप्त रूप से, इस प्रकार की मन्जूरी दी है आप उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे सदन में इस बात की घोषणा करें कि क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय के बोर्ड आफ स्टडीज के मैम्बर्स, उनके नाम भी मेरे पास हैं, हरचरण लाल, आर. के. गुप्ता, हीरालाल महेश्वरी आदि थे? धारा 42 में साफ लिखा हुआ है कि बोर्ड आफ स्टडीज का कोई भी मैम्बर अपनी पुस्तक स्वीकृत नहीं करा सकता इसके बावजूद उन लोगों ने अपनी अपनी किताबें, पुस्तकें मन्जूर करवा लीं। उनके खिलाफ जांच हुई उसमें स्पेसिफिक उन लोगों के नाम आये। उनके खिलाफ आज तक विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की? क्या विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 42 का इसके अन्तर्गत उल्लंघन नहीं हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आपके माध्यम से कुछ पुस्तकों के नाम बताना चाहता हूं, जो इस प्रकार हैं:

(1) राजस्थानी और हिंदी साहित्य।
(2) रसखान।
(3) धर्मवीर भारती का साहित्य।
(4) फणीश्वरनाथ रेणु का रचना संसार।
(5) अस्तित्ववाद।
(6) हिंदी साहित्य के लेखन की परम्परा।
(7) हिंदी में रेखाचित्र का विकास।
(8) अज्ञेय का गद्य साहित्य।
(9) हिंदी में संस्मरणात्मक साहित्य का विकास।
(10) अज्ञेय, धर्मवीर भारतीय और मोहन राकेश की कथा यात्रा।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उक्त दस बेनामी लेखकों की पुस्तकें हैं जहां लेखक का अता पता ही नहीं है। ऐसी पुस्तकों को स्वीकृत कर दिया। उच्च शिक्षा में मेरी जानकारी के अनुसार अब तक की यह पहली घटना है जहां बेनामी लेखकों की पुस्तकों को विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पी. जी. कोर्स में मन्जूर कर दिया। इसके बारे में विश्वविद्यालय का प्रशासन मौन है और मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय का जो अधिनियम है उसकी धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही की और इसकी पुष्टि कर दी। जो बोर्ड आफ स्टडीज के सदस्य हैं, धारा 42 के अनुसार कोई भी पुस्तक अपनी लिखी हुई को मंजूर नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने धारा 13 (4) का दुरुपयोग कर उसको स्वीकृति दी ऐसे वाइस चांसलर के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? इससे यह साफ सिद्ध होता है कि वाइस चांसलर ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करता है। उपाध्याय महोदय, मैं निश्चित तौर पर यह बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि बोर्ड आफ स्टडीज के सात मेम्बरान हैं उनमें से जिन तीन आदमियों की किताबें मंजूर होने वाली थीं वह वहां पर मौजूद थे और अपनी-अपनी पुस्तकें उन्होंने मंजूर करा दीं। ऐसे मामले में आप सदन की समिति नियुक्त करें। मैं मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच करें, विधान सभा सदस्यों की समिति बनाकर जांच करें और विधान सभा में उसकी रिपोर्ट की प्रति रखी जाय और राज्य सरकार को भेजी जाय। उसमें जो भी अधिकारी या विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर दोषी पाये जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय (व्यवधान) डाक्टर साहब का नाम नहीं है। बेनीवाल जी बोलिये। (व्यवधान) बोलने का मतलब ही प्रश्न से है। इतने वरिष्ठ सदस्य को क्या बार-बार कहूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है वह निश्चित तौर पर चिन्ताजनक है। इस जवाब में यह नहीं लिखा है कि उन्होंने गलती की है मैं कहना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि उन्होंने यह नहीं लिखा कि जो कौंसिल की मीटिंग हुई उसमें कौंसिल ने कौन सी पुस्तकें रिजेक्ट कर दीं, कौन सी पुस्तकें लगायीं। जो मेम्बर थे उनकी व उनके रिश्तेदारों की न लगे इसकी जांच की या नहीं की? जो जवाब है उसमें लिखा है कि कुलपति महोदय ने स्वीकार कर दी। तत्पश्चात् सिण्डीकेट की मीटिंग हुई 18 जनवरी को। दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहूंगा, यह मामला है 89 का, उसके बाद मीटिंग हुई 29-30 अगस्त, 91 को यानि एक डेढ़ साल के बाद पुस्तकें छापी गयी, पुस्तक लागू हो गयी, उसके डेढ़ साल के बाद मीटिंग में क्यों तय हुआ? क्या उससे पहले कोई मीटिंग नहीं हुई कौंसिल की? क्या आप बतायेंगे कि कौंसिल की कोई मीटिंग उससे पहले हुई या नहीं हुई और उसमें इसकी चर्चा हुई या नहीं हुई?

तीसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ पुस्तकें जो मेम्बर हैं उनकी लगी हुई हैं, जैसा माननीय साहब ने कहा, बेनामी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

लेखकों की लगी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मीटिंग हुई 18 जनवरी को। इसका मतलब क्या, उसमें भी कान्सीपीरेसी थी, क्या वह भी कान्स्पीरेसी में शामिल थे ? इसका मतलब यह लगता है कि इन तीनों की कान्स्पीरेसी थी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें जितने सदस्य हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं उन पर जो एली-गेशन है. क्या उसकी शिकायत कौंसिल को मीटिंग में की गयी ? यदि की गयी तो उसका ब्योरा क्या था ? किस-किस मैम्बर के बारे में उन्होंने कहा और उसका क्या नतीजा हुआ ? माननीयउ पाध्यक्ष महोदय, यह भी जानना चाहूंगा कि इस तरह की जो कान्स्पीरेसी हुई, उसकी किस किसने शिकायत की ? उपाध्यक्ष महोदय, यह अब भी चल रहा है। अफसोस की बात यह है कि 91 में अगस्त महीने में यह फैसला हो गया कि इन मैम्बर्स ने अपने नाम की पुस्तकें लगायी हैं उसके बाद आज के दिन भी वह पुस्तकें पाठ्यक्रम में हैं, अब भी चल रही हैं। इसका मतलब वाइस चांसलर भी इस मामले में सीरियस नहीं हैं। इसलिए यह भी बतायें कि शिकायत की थी उसका क्या नतीजा निकला और किसने शिकायत की थी ?

मैं अन्तिम प्रश्न यह पूछना चाहूंगा, क्या मंत्री महोदय और राज्य सरकार इस मामले में उन लोगों पर एक्शन लेने के लिए कोई गम्भीरता से कदम उठायेगी, किसी को सस्पैण्ड करेगी, सजा देगी या जांच करायेगी या यह विचार रखती है ? जो उत्तर दिया है मैं उसकी आखीरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। किस तरह से विशिष्ट शासन सचिव हैं राज्य सरकार के वह लिखते हैं, वह सेन्टेन्स पढ़ना चाहूंगा।

"अतः निवेदन करता हूं कि तथ्यों की सूचना को मद्देनजर रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को ग्राह्य नहीं किया जाय।" इसका मतलब वह इतने गम्भीर हैं....

श्री उपाध्यक्ष: वह भाषा है टेक्निकल टर्म है।

श्री हेतराम बेनीवाल : वही कह रहा हूं। जांच करवा रहे हैं तो मैं चाहूंगा निश्चित तौर पर राज्य सरकार को ग्लोब इन हैण्ड में नहीं आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह।

डा. चन्द्रभान : इस काल अटेन्शन में मेरा नाम पहले है। आप देखिए, हेतराम जी के बाद है।

श्री उपाध्यक्ष : बोल देना। गुलाब सिंह जी का नाम पुकार दिया है।

श्री सम्पत सिंह : इनका नाम मिस प्रिण्ट हो गया होगा।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, जो कि विधि के अच्छे ज्ञाता और प्रोफेसर रहे हैं, के द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया जाना, अनियमित कार्य हो और उनको बचायें, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही कही जा सकती है। धारा 42 में स्पष्ट उल्लेख है कि पाठ्यक्रम में सदस्य परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से अपनी

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

लिखित या अपने अन्य सम्बन्धियों द्वारा लिखित किसी पुस्तक को शामिल नहीं कर सकते हैं। जबकि किया। करने के बाद धारा 13(4) का सहारा लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति ने उस अवैधानिक कृत्य को वैधानिक जामा पहना दिया। अब ऐसी कौनसी आपात परिस्थिति थी कि 13(4) का उपयोग करना आवश्यक हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर कानून में रिलेक्सेशन होता है लेकिन रिलेक्सेशन इस मायने में नहीं दिया जा सकता कि गलत काम को सही करार दे दें। उस धारा को दोहराना नहीं चाहूंगा। विशेष परिस्थितियां नहीं थीं उसके बावजूद सिर्फ दुर्भावना से और आपस में मिल जुलकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया।

श्री सम्पत सिंह : आज ही मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं और आज ही चारों ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया।

श्री रमाकांत शर्मा : आपको ब्राह्मणों से क्या एतराज है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : यह ब्राह्मण और हरिजन की लड़ाई है।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दुर्भावना यह है कि 7 मैम्बर्स में से तीन मैम्बर्स ने ही मीटिंग करके पाठ्यक्रम को स्वीकृति दे दी जो नहीं दी जानी चाहिए। कुलपति को यह चाहिए था कि इसको निरस्त करते लेकिन कुलपति ने जो कार्य किया है वह बिल्कुल अनुचित है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सारे प्रकरण की जांच करना आवश्यक नहीं है, यह हैण्ड प्रूफ है इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही करें। निश्चित रूप से यह कार्यवाही कब तक करेंगे इसको सुनिश्चित करें। इसके एक मैम्बर जिन्होंने कुलपति को पत्र लिखा है....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात हो गयी।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : पत्र को थोड़ा पढ़ना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ने की जरूरत नहीं। कह दिया। पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : इस पाठ्यक्रम समिति के मैम्बर ने कुलपति को सारी अवैधानिक कार्यवाही के खिलाफ जो पत्र लिखा उसका लास्ट पैरा मैं पढ़ना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने पढ़ दिया, बार-बार पढ़ने के लिए नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने नहीं पढ़ा।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : "उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर मैं आग्रह करता हूं कि हिन्दी विषय के पाठ्यक्रम के मसले को सिण्डीकेट के एजेण्ड में सम्मिलित कर आगामी बैठक में इस पर उचित निर्णय लिया जाय। यह उल्लेख अनुपयुक्त नहीं होगा कि 13.2.92 की बैठक में इस विषय पर मेरे द्वारा पुनः पूछे जाने पर आपने कहा था कि इस विषय में कुछ निर्णय हो चुका है जिसकी सूचना आप मुझे बाद में देंगे। मुझे इस बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। श्रीमन्, उपर्युक्त पाठ्यक्रम में जिस प्रकार की अनियमितता

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

हो गयी, स्थापित नियमों का खुली अवहेलना हुई है, उससे स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम के निर्धारण में शैक्षणिक महत्व पर विचार न कर किन्ही लाभजन्य विचारों को ही ध्यान में रखा गया है। यद्यपि इस विषय पर साधन-सम्पन्न लोगों की शैक्षणिक बेईमानी तो स्पष्ट होगी ही, स्वयं आपका पक्ष भी संदेह के घेरे में आ जायेगा।

यह प्रकाश चतुर्वेदी लिखते हैं, 3.3.92 को।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। चन्द्रभानजी। मैं आशा करता हूं कि जो शेष पाइन्ट रह गये हैं उन्हीं के बारे में ही पूछेंगे।

डा. चन्द्रभान : वहीं रखेंगे. अकाल के विषय पर हम खुद ही जल्दी चर्चा करना चाहेंगे।

एक तो विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट रूप से उल्लघन हुआ है। नम्बर दो विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय ने धारा 13(4) का दुरुपयोग किया है। नम्बर तीन, 18 जनवरी, 1992 को जो सिण्डीकेट की मीटिंग हुई थी उसमें इस सम्बन्ध में चर्चा हुई और उन्होंने जो भी फैसले किये उसको कन्फर्म किया। इसके साथ में कमेटी बैठायी। अब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसमें लीगल एक्सपर्ट की राय क्या आई है? यदि धारा 42 का उल्लंघन हुआ है, यह लीगल एक्सपर्ट ने मान लिया है कि उल्लंघन हुआ है तो इसमें सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दो पत्र अनिल माथुर और प्रकाश चतुर्वेदी के रखे, ललित तिवाड़ी और बी. एल. वर्मा की कमेटी बैठी। इस कमेटी की क्या रिपोर्ट है? सिण्डीकेट ने जो कमेटी बनायी उसकी क्या रिपोर्ट है? लीगल एक्सपर्ट की क्या राय है? और यदि यह सब मानते हैं कि धारा 42 का उल्लंघन हुआ है तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। आटोनामस बाडी की बात कह करके कार्यवाही से नहीं बचा जा सकता।

आपको अन्त में एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि 28 मार्च को फिर सिण्डीकेट की मीटिंग हुई है और उसमे भी इस पर चर्चा हुई है। सदन में चर्चा हुई थी कि इस सदन के दो माननीय सदस्य उसके मैम्बर हैं, शनिवार को मीटिंग थी इसलिए नहीं जा पाए। आपने कहा था कि आगे पोस्टपोन करवा देंगे, वह पोस्टपोन भी नहीं की गई। यदि खुला नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो फिर, मंत्री जी, आपको इसमें सख्त कदम उठाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर साहब बोलना चाहेंगे?

श्री केदारनाथ शर्मा : मुझे एक बात पूछनी है कि कौन से इश्यूज हैं जिस पर तिवाड़ी कमेटी से लीगल राय ली और फिर उस राय के बाद आपने एक दूसरा लीगल एडवाइजर और नियुक्त कर दिया? यह पाइन्ट साफ आ जाये कि कौन से इश्यूज आपने फ्रेम किये और किन पर आपने लीगल राय ली और लीगल राय

(श्री केदारनाथ शर्मा)

गया है और फिर दुबारा लीगल एडवाइजर नियुक्त करने का औचित्य क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ।

श्री रतनलाल जांट (राज्य मंत्री उच्च शिक्षा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य और कई अन्य सदस्यों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में बोर्ड आफ स्टडीज के मैम्बर्स के द्वारा अपनी खुद की किताबें सलेबस में लगा कर अनियमिततायें करने का जो मुद्दा उठाया है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट 1946 की धारा 24 मई में बोर्ड आफ स्टडीज गठित करने का प्रावधान है जिसमें तीन साल के लिए इन सदस्यों को सम्बन्धित फैकल्टी के लिए सम्मिलित किया जाता है। अगर डिग्री कोर्सेज हैं तो उसमें तीन से पांच सदस्य होंगे और पी. जी. कोर्सेज के लिए तय करने का मामला है तो उसमें सात सदस्य बोर्ड आफ स्टडीज में होंगे। माननीय सदस्यों ने अभी यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 42 के बारे में यहां जिक्र किया था मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। वास्तव में उस धारा में यह लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर बोर्ड आफ स्टडीज का मैम्बर होगा वह अपनी स्वयं की किताबें उसमें प्रेसक्राइब नहीं करेगा चाहे वह राइटर हो, चाहे उसने पब्लिश की हो। इसके साथ-साथ उसका दूसरा जो सब्सीडियरी सैक्शन है, सैक्शन 43;

"No books prescribed or recommended for any examination of the University shall ordinarily be changed before the period of 5 years."

फिर भी जब यह मसला यूनिवर्सिटी के विचारार्थ आया जब खास तौर से इसमें जो मुद्दा उठाया गया है वह हिन्दी विषय के बारे में उठाया गया है। हिन्दी विषय के बोर्ड आफ स्टडीज ने अब जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की 1992 की परीक्षाएं अभी होने वाली है उसके पाठ्यक्रम को बनाया और बनाने के बाद यूनिवर्सिटी की एकेडेमिक कौंसिल के सामने विचारार्थ रखा। जब सलेबस को एकेडेमिक कौंसिल के सामने विचारार्थ रखा गया तो उसके बाद एकेडेमिक कौंसिल ने बोर्ड आफ स्टडीज को वापिस इस पर पुनर्विचार करने के लिए लौटा दिया। उसके बाद बोर्ड आफ स्टडीज ने इस पर विचार किया। एकेडेमिक कौंसिल ने उसको लौटाया तब उसने जो फैसला किया था वह 29–30 अगस्त, 1991 की बैठक में किया था और उसने यह स्पष्ट किया था कि जो इसमें मैम्बर्स हैं उन्होंने अगर अपनी किताबें इसमें लगाई हैं तो उनको डिलीट कर दिया जाए। एकेडेमिक कौंसिल के इस डिसीजन के बाद वाइस चांसलर महोदय ने, जिस सैक्शन का यहां जिक्र किया जा रहा था, सैक्शन 13(4) का इस्तेमाल करते हुए एकेडेमिक कौंसिल द्वारा जो रिकमण्डेशन दी गई थी उसको स्वीकार कर लिया और उसके बाद जो उसकी लास्ट सिक्वेंस थी सिण्डीकेट ने, वाइस चांसलर का 13(4) के तहत जो आदेश था जिसमें उन्होंने एकेडेमिक कौंसिल की रिकमण्डेशन को माना था, उसकी पुष्टि कर दी। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री रतनलाल जाट)

जहां तक धारा 42 के उल्लंघन का सवाल है, वास्तव में एकेडेमिक कौंसिल ने माना है कि उन सदस्यों ने इसका उल्लंघन किया हैं। वाइस चासंलर ने और सिण्डीकेट ने तो उनकी बुक्स को उसमें से हटाने बाबत आर्डर कर दिया था। वाइस चासंलर ने दिनांक 21-9-91 को अपने आदेश के तहत बुक्स को हटाने का कहा और सिण्डीकेट ने उसको, जैसा मैंने कहा, सहमति प्रदान कर दी थी। साथ ही बोर्ड ग्राफ स्टडीज के जो मैम्बर्स थे, धारा 42 का जिन्होंने उल्लंघन किया है उसकी जांच के लिए यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी बनायी थी। एक स्टेण्डिंग कमेटी 1989 से चली आ रही थी। माननीय सदस्य ने भी बताया कि वर्मा कमेटी भी बनी थी जो जनरल प्रोसीजर था उन बातों को डिसकस करती थी और दूसरी कमेटी खास तौर से इसी परपज के लिए 1989 से बनी हुई ललित तिवाड़ी कमेटी थी उसके दो सदस्य थे उसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, मैं संक्षिप्त में, क्योंकि रिपोर्ट बड़ी लम्बी चौड़ी है, इसके एक दो पैरा माननीय सदस्यों के सूचनार्थ पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपरेटिव पैराग्राफ पढ़ दीजिए।

श्री रतनलाल जाट : जैसा मैंने निवेदन किया रिपोर्ट तो 10-12 पेज की है केवल इसके दो पैराज पढ़कर माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा।

After going through the relevant sylabuses and the books recommended and prescribed by the above Board of Studies we have come to the conclusion that a large number of books as given in appendix-I had been prescribed and recommended in violation of Section 42 of the Act as they have been written by one member or the other of the Board of Studies. In doing so, the Board of Studies cannot take shelter of any past precedent as no precedent or past practice can validate the action of the Board of Studies in prescribing or recommending these books irrespective of the fact whether they were text books or the reference books or whether they were meant for a large number of students or for a few. The same rule should apply in respect of the re-commendations of the Board of Studies of other subjects or for any period of time to which the provision of Section 42 of the Act apply."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक दो लाइनें इसी संदर्भ में और पढ़ना चाहूंगा :

"Section 42 of the Act which as force of law inasmuch as these provisions could only be made applicable if the illegality of prescribing the books written by the members of the Board of Studies had not been established beyond doubt.

(श्री रतनलाल जाट)

Hence there is no justification of retaining the book illegaly prescribed by the Board of Studies having been written by them either in the form of text books or reference books as has been made out in the foregoing pages."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो बेनामी पुस्तकें हैं उसके बारे में आप कोई आपरेटिव पोर्शन पढ़ना चाहें तो पढ़ें।

श्री रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मुद्दा जो बार-बार बुक्स के बारे में यहां पर उठाया जा रहा था कि बोर्ड आफ स्टडीज के मैम्बर्स ने अपनी स्वयं की किताबों को लगा दिया है, इसके साथ ही दूसरा प्रश्न इन्होंने यह रेज किया कि बेनामी किताबें लगा दीं। बोर्ड आफ स्टडीज ने जिन 22 किताबों को लगाया है, तिवाड़ी कमेटी ने भी इस बात को माना है कि उन्होंने वास्तव में इन किताबों को लगाया है। लेकिन जहां तक बेनामी लगाने वाली बात है, मेरे पास यह 22 किताबों की लिस्ट है जो उन्होंने सलेबस में लगायी हैं, उन 22 किताबों के एक-एक आथर के नाम हैं। उनमें एक भी किताब बेनामी नहीं है। आप चाहें तो मैं एक-एक किताब जो उन्होंने रिकमण्ड की है, मय आथर के नाम के पढ़कर सुना सकता हूं। इससे स्पष्ट है कि निश्चित रूप से जो बेनामी वाली बात है कि उन्होंने बेनामी किताबें इसमें लगायी है, यह उपयुक्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सिद्ध नहीं हुआ है यह।

श्री रतनलाल जाट : सिद्ध नहीं हुआ है।

डा. चन्द्रभान : धारा 42 का उल्लंघन हुआ, यह सिद्ध हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो कह ही रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : एक्शन करो।

श्री रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा, खास तौर से एक मुद्दा जो उठाया गया था कि जब सिण्डीकेट ने इसको अप्रूव कर दिया तब उन मैम्बर्स, जिन्होंने....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सारी फार इण्टरप्शन। मेरे पास भी यह सूची है विश्वविद्यालय की, जिसमें 42 किताबें पाठ्यक्रम समिति ने मंजूर की है। इसमें ये 10 पुस्तकें हैं जिनके लेखक नहीं हैं। आप चाहें तो मैं इनको पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब बोल चुके हैं। वह आ चुका है रिकार्ड पर आलरेडी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, मैं इसको सदन पटल पर रखता हूं आपकी स्वीकृति से।

श्री उपाध्यक्ष : हां, रख दीजिए।

(श्री उपाध्यक्ष)

हम मना नहीं करते, रख दीजिए आप।

श्री रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिण्डीकेट के फैसले के बाद, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा, सिण्डीकेट ने इस मसले पर कानूनी राय जानने के लिए भिजवाया था यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइजर को। मिस्टर बी.के.डी. बैजल, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज की ओपीनियन मांगी गयी थी। उनकी ओपीनियन कल दिनांक 4 अप्रेल को ही यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुई है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : एक अप्रैल को।

श्री रतनलाल जाट : वह जो रिकमण्डेशन आयी है, लीगल ओपीनियन देने वाले श्री बैजल ने इसमें एक हाई पावर कमेटी बनाने की रिकमण्डेशन दी है। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि यह ओपीनियन सिण्डीकेट के पास पेश होनी है इसलिए जब सिण्डीकेट के विचारार्थ पेश किया जाएगा तभी जाकर इस पर आगे कोई कार्यवाही की जा सकती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : रिपोर्ट कब पेश हुई, डाक्टर साहब ?

श्री रतनलाल जाट : कल ही !.4 को लीगल ओपीनियन आयी है जो सिण्डीकेट की अगली बैठक में पेश की जायेगी।

डा. चन्द्रभान : मंत्रीजी, लीगल एक्सपर्ट ने जो आपको राय दी उसमें इश्यूज क्या फ्रेम किये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इश्यूज भी असेम्बली में फ्रेम होंगे ? वह तो अपने आप होंगे।

डा. चन्द्रभान : कब तक कमेटियां बनती रहेंगी ?

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातें यहां तय होंगी क्या ?

डा. चन्द्रभान : तो कार्यवाही क्या होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग आर्डिनेंस हैं यूनिवर्सिटी के, उनके तहत सारी कार्यवाही होगी। अलग-अलग कमेटियां बनी हुई हैं, सारी कार्यवाही हो रही है।

डा. चन्द्रभान : ये कमेटियां तो दो साल से बन रही हैं। कार्यवाही क्या होगी ? सबसे बड़ी बात यह है, मंत्री जी यह बताएं कि कार्यवाही क्या कर रहे हैं ? उन्होंने मान लिया।

श्री उपाध्यक्ष : सिण्डीकेट के सामने पेश होगी उसके बाद कार्यवाही होगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सिण्डीकेट को कन्सीडर करने का अधिकार ही नहीं है। कानून का उल्लंघन हो रहा है, आप मान रहे हैं सारी रिपोर्ट पर...

डा. चन्द्रभान : धारा 42 का उल्लंघन हो गया, मंत्रीजी यह बताएं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय मन्त्रीजी खुद मान रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन हुआ है उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती ? (व्यवधान) मंत्रीजी प्रोटेक्शन दे रहे हैं ऐसे दोषी लोगों को।

श्री उपाध्यक्ष : सारे तथ्य स्पष्ट कर दिये गये हैं। कोई भी तथ्य ऐसा नहीं रहा जो स्पष्ट नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री बुलाकीदास कल्ला : तथ्य तो स्पष्ट कर दिये, एक्शन क्या लिया ?

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही हो रही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : होगी । रिपोर्ट आयी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज दो साल हो गये। गलत किताबें लोग चला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : लीगल एडवाइजर की रिपोर्ट आयी है, उसके बाद तय होगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी कार्यवाही तुरन्त करनी चाहिए, दोषी वाइस चांसलर और दोषी प्रोफेसर के खिलाफ डिसिप्लीनरी एक्शन होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : फर्दर अलाउ नहीं करूंगा मैं (व्यवधान).. प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री रामेश्वर भारद्वाज, श्री कालीचरण सराफ, श्री राजपाल सिंह शेखावत, श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधानसभा जयपुर शहर में कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन न होने से लोगों को हो रही परेशानियों की ओर राजस्व मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मन्त्री के जवाब के बाद एक सवाल पूछ लेने दो। मन्त्रीजी के जवाब के बाद एक सवाल भी नहीं पूछने देंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मन्त्री जी के जवाब के बाद ध्यानाकर्षण में एक सवाल भी नहीं पूछ सकते ?

श्री उपाध्यक्ष : सारा उत्तर दिया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक सवाल बाद में रेज हुआ, वह तो पूछ लें।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्ज यह करना चाहता हूं, जब मन्त्री जी ने यह मान लिया कि धारा 42 का उल्लघन हुआ है, ललित कमेटी ने यह मान लिया, फिर यह पूछा है केदारनाथ जी शर्मा, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कि ललित तिवाड़ी कमेटी के लिए फ्रेम्ड इश्यूज क्या थे और दूसरा, इन्होंने लीगल एक्सपर्ट की ओपीनियन मांगी है उसमें क्या इश्यूज थे। वे कहते हैं, बैजल साहब की रिपोर्ट भी उनके पास आ गयी हैं। उनकी रिपोर्ट जो आ गयी है उसमें भी धारा 42 का उल्लंघन माना गया है इसलिए हाई पावर कमेटी बनायी गयी है। तो यह तो साफ हो गया कि उल्लंघन हुआ है। एक्शन क्या हुआ है ? फिर वाइस चांसलर महोदय तो केवल टालने के लिए कमेटी पर कमेटी बनाते चले जायं और जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो, तो कब तक टाला जाएगा ? सारा मामला सदन के

(९२)

(श्री नत्थी सिंह)

सामने आ गया है, क्यों नहीं मन्त्रीजी सदन की समिति बनाएं और सदन की समिति से जांच कराकर फैसला कराएं ? इसको उन पर छोड़ते क्यों हो ?

श्री हेतराम बेनीवाल : कमेटी पर कमेटी बनाने का मतलब क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : अब हाई पावर कमेटी बनाने की रिकमण्डेशन दी है।

श्री नत्थी सिंह : वे तो टाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुनिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन्क्वायरी करके इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नो एण्ड आफ क्वेश्चंस। बहुत सारे सवाल कर लिए।

श्री रामकरण सिंह : आन ए पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उत्तर आने दीजिए।

श्री रामकरण सिंह : इसी में सूचना दे रहा हूं कि सिण्डीकेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी उसके बाद अब मन्त्री जी क्या जांच करेंगे, यह समझ में नहीं आ रहा है।

श्री रतनलाल जाट : मैंने निवेदन किया था कि वाइस चांसलर ने उन किताबों को बोर्ड आफ स्टडीज में से हटाने बाबत, डिलीट करने बाबत आदेश कर दिया था। यह मामला सिण्डीकेट के पास विचाराधीन था। सिण्डीकेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि वाइस चांसलर ने इन किताबों को हटाने का जो आदेश दिया है उसको हम अप्रूव करते हैं। साथ ही निर्णय का दूसरा भाग जो था वह यह था कि इसमें लीगल ओपीनियन ली जाय। वह लीगल ओपीनियन कल ही प्राप्त हुई है, जैसा मैंने निवेदन किया।

श्री नत्थी सिंह : किस बात की ली जाय ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : किस-किस की लीगल ओपीनियन लेनी है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जब उन किताबों को हटाना है....(व्यवधान) ... बोर्ड आफ स्टडीज के मैम्बर्स के खिलाफ कार्यवाही क्या हो रही है, मैं तो यह जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह यूनिवर्सिटी का मामला है, माननीय सदस्यगण।

डा. चन्द्रभान : बोर्ड आफ स्टडीज के मैम्बर्स के खिलाफ कार्यवाही क्या होगी ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उनको छूट नहीं दी जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर भी आ गया है.... (व्यवधान)....सारी कार्यवाही चल रही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन्क्वायरी पर इन्क्वायरी ठण्डे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप जल्दी करा, दीजिए, और क्या है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं लीगल ओपीनियन क्या आयी है, वह बताएं आप यहां ।

श्री रतनलाल जाट : मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो लीगल ओपीनियन आयी है, जो अल्टीमेटली सिण्डीकेट के सामने....

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या है वह लीगल ओपीनियन ?

श्री उपाध्यक्ष : हाई पावर कमेटी बनाने का कहा ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हाई पावर कमेटी कौन बनाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : वह बनाएंगे जो भी नियम होंगे उसके तहत ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह कानून किसने बनाया था ? विधान सभा ने या यूनिवर्सिटी ने ? यह, उपाध्यक्ष महोदय, नियमों और उप नियमों की अवहेलना नहीं हुई है, यह उस विधान, उस कानून की है जो विधान सभा बनाती है, उसकी अवहेलना हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : तो उस कानून के तहत ही कार्यवाही की जायगी ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सिण्डीकेट का अधिकार नहीं है तय करने का ।

श्री उपाध्यक्ष : उस कानून के तहत ही कार्यवाही होगी ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : क्या कार्यवाही होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने आश्वासन दे दिया, और क्या चाहिए आपको ?

डा. चन्द्रभान : हम यह पूछना चाहते हैं, ओपीनियन क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरी राय में सारा उत्तर सन्तोषप्रद आ चुका है। आपको सन्तुष्ट हो जाना चाहिए । आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे । क्या कहना है ? और कहना चाह रहे हैं क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : सारे सवाल करेंगे और सुनेंगे नहीं उनको ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : एक क्या है ? बोलिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, 29.7.1989 को यह रिपोर्ट आ गयी कि नियम 42 का उल्लंघन हुआ है । और एक कमेटी बना दी । उस कमेटी की 4.12.1991 तक मीटिंग ही नहीं बुलायी । मीटिंग नहीं बुलाने का दोषी के.के. मित्तल, डिप्टी रजिस्ट्रार है जिसने जान बूझकर अवहेलना की । अब आप कह रहे हो कि 1992 में इन पुस्तकों को हटा दिया जाएगा । अब तो हटनी ही हैं ये । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

लाखों-करोड़ों रुपये नाजायज कमाये गलत काम करके, उनको क्या सजा दे रहे हैं, कब तक दे देंगे ? यह बताएं आप ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी । आखिरी सवाल है ।

श्री रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जैसा निवेदन कर चुका हूं; इस मामले में जो रिपोर्ट्स आयी हैं उनके आधार पर वास्तव में यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 42 का उल्लंघन हुआ है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि धारा 42 का उल्लंघन जिन लोगों ने किया है, यूनिवर्सिटी के आर्डिनेन्स 357 के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कब तक करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री भारद्वाज साहब.... (व्यवधान)....सारा हो गया, आ गया ?

(2.00 म.प.)

कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन न होने से जनता की परेशानी

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन नहीं होने के कारण से जनता में व्याप्त असंतोष को और नियम 131 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी ।....(व्यवधान)... कृपया सहयोग कीजिए। शान्त रहें।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने वर्ष 1981 में कृषि भूमि के आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नियमितीकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नियम बनाये थे। इन नियमों के अनुसार कृषि भूमि के आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु राज्य सरकार ने समय-समय पर आदेश एवं परिपत्र जारी किये थे। परन्तु उक्त नियमों की पालना में कई कठिनाइयां होने के कारण, बहुताश भूमियों का रूपान्तरण/नियमितीकरण अब तक नहीं हो सका। इस समस्या का निराकरण करने एवं सुझाव देने हेतु श्री तेजकुमार, तत्कालीन अध्यक्ष, राजस्व मण्डल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार कर अपनी राय देने हेतु मंत्रिमण्डल ने अपनी आज्ञा दिनांक 21 जुलाई, 1990 के द्वारा एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था। जिसके सदस्य राजस्व मन्त्री, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं। इसके पश्चात् राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने उनके आदेश क्रमांक प.2(8)राज/भू/90 दिनांक 28.12.90 द्वारा यह मामला बेरी समिति को राय के लिये प्रस्तुत किया। बेरी समिति से यह अपेक्षा की गई थी कि कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1981 के तहत कृषि भूमि के रूपान्तरण/नियमितीकरण में आई हुई कठिनाइयों के सन्दर्भ में सुझाव दें तथा सम्बन्धित कानून में किस प्रकार का संशोधन किया जाए ताकि नियमों के अन्तर्गत भूमि का रूपान्तरण/नियमितीकरण हो सके। बेरी समिति ने अपनी रिपोर्ट

(श्री गंगाराम चौधरी)

राज्य सरकार को दिनांक 6 फरवरी, 1991 को प्रस्तुत की।

बेरी समिति ने अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किया कि कई गृह निर्माण सहकारी समितियों ने विभिन्न कानूनों का उल्लंघन कर खातेदारों से कृषि भूमि विक्रय पत्र के द्वारा खरीद कर या विक्रय के इकरारनामों द्वारा कब्जा लेकर उनके सदस्यों को भूखण्ड आवंटित किये हैं। विभिन्न कानूनी अड़चनों के कारण इन भूखण्डों का रूपान्तरण/नियमितीकरण नहीं हो सका है। अतः बेरी समिति ने यह सुझाव दिया कि ऐसी भूमियों में विक्रेता के खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि राज्य सरकार में निहित करवा दी जावे तथा यह भूमि गृह निर्माण सहकारी समितियों के सम्बन्धित सदस्यों को कुछ राशि लेकर आवंटित कर दी जावे। इसके लिये उन्होंने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63 में उप-धारा (1)(ए) जोड़ने का प्रस्ताव किया था।

मन्त्रीमण्डल ने उनकी आज्ञा क्रमांक 45/91 दिनांक 13 फरवरी, 1991 द्वारा यह आदेश दिये कि बेरी समिति के प्रतिवेदन का उपरोक्त मन्त्रीमण्डलीय उप समिति परीक्षण कर अपने विचारों सहित मामला मुख्य मन्त्रीजी को प्रेषित करेगी। अतः मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने बेरी समिति द्वारा दिये गये सुझाव पर विस्तृत विचार विमर्श किया एवं कुछ वैधानिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण बेरी समिति के सुझाव को अपनाने में असमर्थता प्रकट की।

राज्य सरकार ने वर्ष 1981 में कृषि भूमि के रूपान्तरण एवं नियमितीकरण के जो नियम बनाये थे उसके अन्तर्गत व्यक्तियों, गृह निर्माण सहकारी समितियों एवं गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्यों ने कृषि भूमि रूपान्तरण अधिकारी के समक्ष आवेदन-प्रस्तुत किये तथा रूपान्तरण शुल्क की राशि भी जमा करवायी परन्तु नियमों में निम्न अड़चने होने के कारण इन भूमियों का रूपान्तरण/नियमितीकरण नहीं हो सका:-

(1) भूमि के स्वामित्व का अभाव।

(2) भूमि अवाप्त शुदा होने,

(3) भूमि अवाप्ति में होने से,

(4) भूमि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 से प्रभावित होने से।

(5) मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग गैर आवासीय बताया हुआ है।

(6) भूमि राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन अधिनियम, 1963 से प्रभावित है।

(7) भूमि काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42(बी) के प्रावधान के विरुद्ध क्रय की गई।

मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने उपरोक्त कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया एवं अपने सुझाव सहित रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत की। उप समिति की रिपोर्ट पर मंत्रिमण्डल द्वारा बैठक दिनांक 15.12.1991 एवं 25.1.1992 में विचार कर निम्न निर्णय लिया गया:-

(श्री गंगाराम चौधरी)

शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नियमितीकरण में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण एवं उनके सरलीकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ऐसी कृषि भूमि जिसके खातेदारी सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है और जिनका स्थानान्तरण समितियों द्वारा किन्हीं व्यक्तियों को इकरारनामे के आधार पर किया जा चुका है एवं उनके द्वारा नियमानुसार दिनांक 31 मई, 1982 तक रूपान्तरण शुल्क की राशि आंशिक रूप या पूर्ण रूप से जमा करा दी गई है एवं उन मामलों में सिर्फ टाइटल नहीं होने के कारण रूपान्तरण नहीं हो सका है उन्हें नियमन कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में कानून में जो भी संशोधन किये जाने हैं उस सम्बन्धी एक विस्तृत नोट, मय प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप के राजस्व सचिव मुख्य मंत्रीजी को प्रस्तुत करेंगे, जिस पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु मुख्य मंत्रीजी को अधिकृत किया गया।

मंत्रिमण्डल के उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1981 में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु अधिसूचना संख्या एफ 2(8) राजस्व/मू.रू./90 दिनांक 3.3.1992 जारी कर दी गई है। रूपान्तरण नियमों में प्रस्तावित संशोधनों के प्रभाव में आने के पश्चात् यह अपेक्षा की जाती है कि शहरी क्षेत्रों में बहुत से भू-खण्डधारियों को रूपान्तरण का लाभ मिल सकेगा।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में जिन व्यक्तियों द्वारा विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं में भू-खण्ड क्रय किये गए हैं उनमें उन भूखण्डों का रूपान्तरण अभी नहीं किया जा सकेगा जो नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 या राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन, 1963 से प्रभावित है, या उनकी भूमि अवाप्त शुदा है या अवाप्तधीन है, या अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्यों से क्रय की गई है। इन वैधानिक अड़चनों का किस प्रकार निराकरण किया जाये इस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निवेदन है कि शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के आवासीय एव वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण में आ रही वैधानिक कठिनाइयों का हल निकालने हेतु सरकार पिछले वर्षों में सतत् प्रयत्नशील रही है। रूपान्तरण नियमों में उपरोक्त प्रकार से संशोधन करने के निर्णय से इस समस्या का आंशिक निदान हो सकेगा। समस्या के पूर्ण निदान की दिशा में सरकार प्रयत्नशील हैं।

अभी दिनांक 30.3.90 को विनियोग विधेयक का उत्तर देते समय माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की थी कि यह जो समस्या अब तक रह गई है, एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें सदन के माननीय सदस्यों को भी सम्मिलित किया जायेगा, उनसे राय ली जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भारद्वाज साहब। बहुत सारी व्यवस्था तो आपकी आ गई है। सिर्फ प्रश्न पूछें।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आपके

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

माध्यम से पूछना चाहूंगा कि सरकार ने वर्षों से उत्पन्न समस्या के बारे में एक मुश्त फैसला करने का निर्णय लिया था। फिर नियमों के अन्तर्गत जितने भी....

श्री उपाध्यक्ष : श्री भारद्वाज साहब पहला सवाल क्या था ?

श्री रामेश्वर भारद्वाज : सरकार ने एक मुश्त इस समस्या के निपटाने की बात कही थी चाहे इसमें अवाप्ति की भूमि हो, चाहे अलसर की हो, सीलिंग की हो, मास्टर प्लान की हो, एस सी. एस.टी. की हो, इस समस्या का एक मुश्त निर्णय करने की और निराकरण करने की भावना प्रकट की थी।

दूसरा मेरा प्रश्न था कि सरकार ने उप समितियों के माध्यम से चाहे तेजकरण समिति हो, चाहे मंत्रिमण्डलीय समिति हो, ऐसा अनेक समितियों के द्वारा प्रयत्न तो किया गया, उसके लिए तो सरकार बधाई की पात्र है परन्तु जो इस सम्बन्ध में निर्णय निकले हैं उससे मैं ऐसा समझता हूं, उनसे बहुत अधिक लोगों को लाभ नहीं मिलेगा इसलिए पुन: इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कितने कुल भूखण्ड हैं और इस 3.3.92 के बाद में कितने भूखण्डों को लाभ मिलेगा और कितनी कालोनियां इससे लाभान्वित होंगी, यह भी माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करें, 1981 से अब तक जो भूखण्डधारी बैठे हैं उनके बारे में क्या निराकरण करेंगे ? पूर्ण निदान की बात कब तक सम्भव होगी ? जैसा कि उत्तर के अन्तिम पैरा में लिखा है कि अभी आंशिक निदान हुआ है, तो मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि अब अन्तिम निर्णय की ओर सरकार का जो प्रयत्न है वह कब तक सम्भव है, उसकी भी कोई सीमा निर्धारित की हो तो बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सराफ साहब।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में कृषि भूमि पर बने मकानों का लम्बे अन्तराल के बाद भी नियमितीकरण नहीं हुआ है। कम से कम दो लाख मकान कृषि भूमि पर बने हुए हैं, उन पर कानून की तलवार लटकी हुई है और वह उससे परेशान है। प्रश्न पूछने के पहले उपाध्यक्ष महोदय मैं इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। 1981 में तत्कालीन सरकार ने समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए। 2 मार्च, 1982 को एक विज्ञापन आया। राजस्व विभाग की कृषि योग्य भूमि पर मकान बना लिए हैं या अन्य गैर कृषि उपयोग में ले लिया है तो ऐसे अवैध रूपान्तरण को नियमित करने का एकमात्र सुनहरा अवसर है। इस अवसर को न गंवाए, 26 मार्च, 1982 से पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस एक मात्र अवसर का लाभ उठाएं। इस प्रकार के विज्ञापन, हजारों रुपये खर्च करके राज्य सरकार ने अखबारों में छापा किए जिसके आधार पर जयपुर शहर में लोगों ने रूपान्तरण शुल्क जमा करवाया, जिसका 28 करोड़ रुपया आज भी राजस्व विभाग में जमा है, 28करोड़रुपये का व्याज क्या होनाचाहिए उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद हम कानून बना रहे हैं। हम नियमों में संशोधन कर रहे हैं। यह भूमि अवाप्ति में आती है, अलसर में आती है इसका लैण्ड यूज दूसरा है। यह एस. सी., एस. टी. की

(९8)

(श्री कालीचरण सराफ)

जमीन हैं। इस प्रकार की कानूनी अड़चनों के कारण केवल कृषि भूमि पर बने मकानों में रहने वाले लोगों का शोषण किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए तो बधाई देना चाहूंगा जब से शेखावत जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी इस ओर गम्भीरता से उन्होंने प्रयास किया। तेज कुमार समिति बनाई उसकी रिपोर्ट आई। मन्त्रिमण्डल की तीन सदस्यीय उप समिति बनाई उसने भी उस पर विचार किया। फिर बैरी समिति बनी. उसने भी विचार किया। हम यह आशा करते थे कि इस प्रकार गम्भीरता से यह विचार चल रहा है निश्चित रूप से जो कृषि भूमियों पर बने हुए मकान हैं उनको राहत मिलती परन्तु खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उपाध्यक्ष महोदय. सरकार ने निर्णय लिया 3.3.1992 को, अधिसूचना जारी की और यह निर्णय उन्होंने लिया कि शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के आवासीय एवम् वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नियमितिकिरण में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण एवं उसके सरलीकरण के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ऐसी कृषि भूमि की जिसके खातेदारी सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है और जिसका स्थानान्तरण समितियों द्वारा किन्हीं व्यक्तियों को इकरारनामे के आधार पर किया जा चुका है एवम् उनके द्वारा नियमानुसार दिनांक 31 मई, 1982 तक रूपान्तरण शुल्क की राशि भी जमा करवा दी गई है। इनके मामलों में टाइटल क्लियर होने के कारण जिनका रूपान्तरण नहीं हुआ उनका नियमन कर दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को कहना चाहूंगा कि इस पर निर्णय से केवल दस प्रतिशत लोगों को राहत मिलेगी। आज यह बात भी सही है कि प्रजातन्त्र में दो लाख मकान जो बन गए उनको आप तोड़ नहीं सकते, उनको रेगुलराइज आपको करना ही पड़ेगा, आज करो चाहे कल करो, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। अब आज राजापार्क है, वह रेजिडेंशियल एरिया दिखाया हुआ है क्योंकि मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल एरिया है। आज वहां दुकानें बन गई, पूरा कार्मशियल काम्पलेक्स बन गया। क्या राज्य सरकार उसको तोड़ सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, नियमों का सरलीकरण नहीं होने के कारण और नियमितीकरण नहीं होने के कारण जो प्रभावशाली लोग थे, जिनकी राजनीति में एप्रोच थी उन्होंने तो अपनी अपनी भूमि को चाहे वह सीलिंग में आई तो और अवाप्ति में आई तो उनका नियमितीकरण करवा लिया परन्तु जो गरीब जनता है, जो अपने पूरे जीवन की कमाई को संचय करके मकान बनाता है उसके ऊपर हरदम जे. डी. ए. की तलवार लटकती रहती है, इसको कब तोड़ दिया जाए। आज स्थिति यह है कि जे. डी. ए. में कोई भी इन्सपेक्टर एनफोर्समेंट आफिस में जाता है तो उसके पास साइकिल नहीं होती और यदि वह एक साल वहां नौकरी कर लेता है तो उसके दो-दो मारुति, फिएट बंगला कलर टी. वी., फ्रिज यानी इस प्रकार से भ्रष्टाचार खुले आम हो रहा है और हम पर....

श्री उपाध्यक्ष : आप अब विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : नहीं नहीं, मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, कठिनाइयां बता रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आज नियमितीकरण की बात आई है उसमें केवल दस और पन्द्रह प्रतिशत के बीच में लोगों को राहत मिलेगी, 85 प्रतिशत लोग वैसे ही रह जायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे वह जमीन एक्वायर है या एक्वजीशन में है, चाहे अरबन एक्ट में है, चाहे सीलिंग में है, चाहे उसका लैण्ड यूज दूसरा है, चाहे एस. टी, एस. सी. की बात है, चाहे वह सवाई चक जमीन में है इन सबका एक मुश्त निर्णय करना चाहिए सरकार को। इसके लिए जितनी जल्दी सरकार इस पर निर्णय करेगी उतनी ही जनता को राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि पृथ्वीराज नगर योजना जे. डी. ए. बना रही है, ग्यारह हजार बीघा उसके लिए अवाप्त कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके हैं इस पर। जो सब्जेक्ट आ गया उस पर वापस डिसकस नहीं किया जाए।

श्री कालीचरण सराफ : आप सुन लीजिए एक मिनिट। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें 13 योजनाएं ऐसी हैं उस पृथ्वीराज नगर योजना में जो स्वीकृत हो चुकी है, जे. डी. ए ने जिनका नक्शा पास कर दिया उसको रेगुलराईज कर दिया, लीज डीड जारी कर दी। अब उन्होंने अवाप्ति के नोटिस निकाल दिये। तो वह भूमि भी जो अभी नियम बनाये उसके आधार पर नियमित नहीं होगी। ऐसी 1500 बीघा जमीन पृथ्वीराज नगर योजना में जिसको पहले एक्वीजिशन से मुक्त कर दिया, जिसको डी-एक्वायर कर दिया उस को दुबारा से री एक्वायर किया जा रहा है। तो यदि जो नियम अभी आपने किये हैं उसके आधार पर तो वह जमीन भी सारी-घपले में पड़ गई तो आखिर सरकार चाहती क्या है। कब तक इसका निर्णय कर देगी। कब इस पूरे मामले को क्लियर करेगी, उसके बारे में स्पष्ट आश्वासन दें, विचार कर रहे हैं, करते रहे हैं वह कोई बात नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजपाल सिंह शेखावत। पांइटेड सवाल पूछिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्टेड सवाल तो पहला यही है कि नियमितिकरण की बात करते करते नियमितिकरण क्यों नहीं हुआ? अब स्पेसिफिक पाइन्टेड सवाल की बात तो यही वाली है। गवर्नमेंट डेवियेट करना चाहती है; डाइल्यूट करना चाहती है, सिस्टेमेटिकली लोगों को मिसलीड करना चाहती है तो उसके बारे में बात करें। मैं कुल पांच सवाल पूछूंगा, पांच के जवाब आप देंगे यह बात अलग हो सकती है।

कालीचरण जी बड़ी स्पष्ट रूप में बात बता रहे थे, सदन बताने की परमिशन नहीं दे रहा, समस्या का समाधान करना चाहता नहीं, समस्या को अवाइड करना चाहता है। मन्त्री बचना चाहते हैं। कभी तेजकुमार की कमेटी बनाई जाती है। कभी मन्त्री-मण्डल की कमेटी बनाई जाती है, कभी बैरी कमेटी की रिपोर्ट बना दी जाती है, बैरी कमेटी की रिपोर्ट फिर मन्त्री मण्डल में आ जाती है। उसके बाद मन्त्री मण्डल यह कहता है कि उस जमीन का जिसमें टाइटल का डिस्प्यूट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप कानून में वैधानिक स्थिति और

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

प्रशासनिक तकलीफों की बात करते हैं तो जयपुर की सारी जमीन खातेदारी की जमीन, जिनके टाइटल में कोई तकलीफ नहीं है उस जमीन का भी रूपान्तरण नहीं हो सकता। ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत आप उन्हीं राइट्स का ट्रांसफर कर सकते हैं जो राइट्स आपके अन्दर हैं। पांच रुपये के एग्रीमेंट से agreement to sale does not amount to sell. जब सोसाइटी इसकी मालिक ही नहीं है तो पट्टा किस बात का दे सकती है ? जिसने मकान बनाया ही नहीं वह मालिक कैसे हो सकता है ? जब इस तरह की तकलीफ को आप दूर कर सकते हैं ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के वायोलेशन से बचाकर आप रेगुलराइज कर सकते हैं तो फिर 1982 की बेरियर आपने क्यों लगाई ? 31 मई, 1982 को जिन्होंने रूपान्तरण जमा करा दिया, जिनकी टाइटल के अन्दर जमीन में कोई तकलीफ नहीं है, जिनकी खातेदारी की जमीन है, खातेदारी जमीन सोसाइटी को बेच दी, सोसाइटी ने पट्टा काट दिया, 1982 का बेरियर आपने फिर क्यों लगाया ? दूसरा मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट बेरी कमेटी ने दी उसी बेरी कमेटी ने जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा में एक उपधारा 1–ए जोड़ने की बात की, उस प्रस्ताव को नहीं मानने में क्या तकलीफ है, क्या मन्त्री महोदय बताना चाहेंगे कि बेरी कमेटीका जो प्रतिवेदन सामने आया, यह कहा जाता है कि वैधानिक और प्रशासनिक कठिनाइयां हैं। ऐसी कौनसी प्रशानिक और वैधानिक कठिनाइयां है जिनसे निपटा नहीं जा सकता और ऐसी कौनसी प्रशासनिक और वैधानिक तकलीफें है जो बेरी कमेटी की रिकमण्डनेशन्स पर, यह सरकार उस सारी जमीन को अपने पास में ले लें। जिनका पूरा हो गया हो। चाहे सिवाय चक की भूमि हो, चाहे वह अल्सर में आती हो चाहे वह सीलिंग के अन्तर्गत आती हो या अण्डर एक्वीजीशन में हो जिनका एक्वीजीशन पूरा हो गया हो चाहे सिवाय चक की जमीन हो, चाहे गोचर की जमीन हो जहां तक राजस्व अधिनियम का ताल्लुक है गोचर की, इसके हिसाब से आप इसका समाधान करवाना ही चाहते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें ऐसा लगता है कि ये सिवाय चक जमीन पर तो कब्जा कर लिया राजस्व नियमों के तहत उनका रेगुलराइजेशन हो सकता है लेकिन जिसने देखा कि सोसाइटी से पुराना खरीद लिया है उनका रेगुलराइजेशन आप नहीं कर सकते। कभी अल्सर के नाम पर नहीं कर सकते कभी सीलिंग के नाम पर नहीं कर सकते, कभी किसी नोटिस के नाम पर नहीं कर सकते। तीसरा मेरा सवाल है माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान) मैं पूछ रहा हूं कि 1982 तक तो आपने बेरियर लगा दी क्या लगाई क्या आप चाहते हैं कि खातेदारी की जमीन, टाइटल है, टाइटल में कोई डिस्प्यूट नहीं है। उस खातेदारी की जमीन को सोसाइटी को बेचान कर दिया गया उसके केवल पट्टे ले लिये जायें तो फिर आप जब इसको, इन प्रिंसीपल एग्री करते हैं और आप एग्री कर भी रहे हैं, तो 1982 के बेरियर लगाने की क्या जरूरत पड़ी ? इसलिए एक तकलीफ और आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोसाइटी एक है 1982 से पहले जिन्होंने रूपान्तरण जमा करवा दिये, वह लिखते हैं सोसाइटी वह दूसरी है। 1982

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

में रूपान्तरण जमा नहीं करवाये उसका आप डवलपमेंट चार्ज ले लेंगे। रूपान्तरण के बाद में डवलपमेंट चार्ज करने के बाद आप कह दें साहब यह कालोनी ए और सी कालोनी तो रूपान्तरण हो गई बीच वाली कालोनी बी रूपान्तरण नहीं हुई एक्वीजीशन में, और इसने 25 रुपये जमा करवा दिये विकास शुल्क के नाम पर। बी ने जमा नहीं करवाये इसलिए विकास कार्य यहां करेंगे नहीं जिस तरह रूपान्तरण शुल्क 28 करोड़ रुपये खुर्द बुर्द कर दिया। अगर देखा जाये उस हिसाब से विकास के नाम पर लोगों से पैसा लेकर उनको खुर्द बुर्द करना चाहते हैं बाद में आप कह देंगे एक रेगुलराइज हो गई और बीच वाली कालोनी रेगुलराइज नहीं होती तो एक्वीजीशन के सी के लोगों से आप 25 रुपया ब्याज लेना चाहते हैं आप। इस तरह की आप और तकलीफ बढ़ाना चाहते हैं। इस समस्या का समाधान आप नहीं कर रहे हैं। आप समस्या को और ज्यादा उलझाना चाह रहे हैं। आप समस्या का समाधान अगर करना चाहते हैं तो बेरी कमेटी की रिपोर्ट को आपने देखा होगा। उस रिपोर्ट को यदि आप स्वीकार कर लेते जहां तक अवाप्तिशुदा का मामला है, जहां तक अवाप्ति वाली जमीन का मामला है, जहां तक अरबन सीलिंग एक्ट से प्रभावित होने वाली जमीन का मामला है मैं सोचता हूं कि इसको ट्रान्सफर आफ प्रोपर्टी एक्ट में आपने बचा कर यह काम किया है। उन सभी में आपका काम हो सकता था और सरकार इस पर क्या करना चाहती है। ऐसी कौनसी वैधानिक और प्रशासनिक तकलीफें हैं जिनके कारण सरकार ने रूपान्तरण करने की जो बात की है वह 29 मई तक ही, उसके बाद में करने की बात नहीं की। बाकी जमीनों के बारे में सरकार क्या योजना रखती है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या सारे राजस्थान की है .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काल अटेन्शन मोशन तो जयपुर का ही है। आप जयपुर के ऊपर ही बोलिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : यह राजस्थान के सम्बन्ध में है। आप देखिये। जून 81 से पूरे राजस्थान के सम्बन्ध में है। मैंने अलग ध्यान आकर्षण दिया था वह आया नहीं उसके साथ है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग लगवा दीजिये। दो मिनिट बोल लीजिये। प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : ठीक है दो मिनिट में पूछ लेता हूं। जयपुर के सम्बन्ध में जो समस्या उजागर हुई है उससे भिन्न समस्या जोधपुर की है। सिवाय चक और खातेदारी भूमि का आजादी के समय से जो बस्तियां बसी हुई है नगर पालिका और नगर परिषद के विस्तार के साथ वह नगर सुधार न्यास में आ गई थी। उनका अभी तक नियमन नहीं किया गया। यह 16 गांव की समस्या राजस्व मंत्रीजी के विचाराधीन लम्बे समय से पड़ी हुई है। इससे करीबन 50 हजार परिवार प्रभावित हो रहे हैं। माननीय उपाध्यक्षजी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जितने लम्बे समय से इन बस्तियों में बसे हुये हैं जिनके बाड़े

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

हैं, बावड़ियां है और मकान बने हुये हैं। पिछड़े वर्ग के किसान वर्ग के लोग उनकी भी बस्तियों का नियमन किया जाये। दूसरा 1951 से जोधपुर में भूतपूर्व सैनिकों की सिवाय चक पर और खातेदारी कृषि भूमि पर एक बस्ती बसी हुई है जिसमें 38 भूतपूर्व सैनिक बसे हुये हैं उनके नियमन करने के लिये वह राजस्व विभाग में काफी लम्बे समय से विचाराधीन है। कन्वर्सन के प्रश्न पर कुछ लोगों ने कन्वर्सन करा दिया था किसी राजनैतिक और प्रशासनिक कारणों से उन्हें रोक दिया गया था। मैं पुनः यह निवेदन करूंगा कि उनकी जांच कराके उस विषय पर विचार किया जाये। 1981 के रूपान्तरण के नियमों के अनुसार जो नियमों के अनुसार रूपान्तरण होना चाहिए था उसको छोड़ कर जो कृषि भूमि के रूपान्तरण के लिए किया गया था उसके बाद में जिन लोगों को पट्टे दे दिये गये थे उस भूमि में जांच चल रही है। अधिकारियों द्वारा गलत पट्टे दे दिये गये थे, गलत पट्टे देने के कारण जिन्होंने कन्वर्सन भूखण्ड खरीदा है उन भूखण्ड खरीदने वालों का इसमें कोई दोष नहीं हैं उसमें साधारण, मजदूर है कर्मचारी है और वेतन भोगी लोग है उन लोगों की जो जमीन आ रही है ऐसे मामले करीब बीस हजार के आस-पास पैण्डिग पड़े हुये हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा गलत कन्वर्सन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तो आप कार्यवाही करें। जिन्होंने भूखण्ड खरीदे हैं उनको भूखण्ड का लाभ दें और जो 1981 और 82 के नियमन करने की घोषणा की गई है वह 90, तक नियमन करने के लिये, आज तक नियमन करवाने की जो बात आनी चाहिए यह समस्या उलझी हुई है। इस समस्या का समाधान राजस्व पर ही चर्चा करके किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) **:** उपाध्यक्ष महोदय, यह 1971 में मास्टर प्लान बना। यह सारी भूमियां आवासीय कालोनी में आ गई। उपाध्यक्ष महोदय 1971 में मास्टर प्लान बना तब यह सारी कालोनियां जहां पर यह कृषि भूमि की गृह निर्माण सहकारी समितियां बनी हुई हैं यह आवासीय कालोनी में आ गई। पंजाब और बम्बई में यह इन्हीं नियमों के अन्तर्गत यह कहा गया है कि जब आवासीय भूमि में आ गई तो उनका नियमन कर दिया जाये। हमारे राजस्थान में जो कानून है उसके अन्तर्गत हमने उनको लाने की कोशिश की इसको नहीं दिया गया और जो आपने निकाला अखबारों में.... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये जो रेवेन्यू विभाग का विज्ञापन था जिसमें यह कहा था कि सुनहरा अवसर है अवाप्ति में भूमि के लिये, नियमन जमा करवा दें। मास्टर प्लान....

श्री उपाध्यक्ष : विशेष बात हो तो पूछिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय यह हमेशा बहुत लम्बा बोलते हैं मैं इन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करती लेकिन उनको पता नहीं वृजवासी होने के नाते बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया....

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछिये आप। मैं सवाल ही अलाऊ करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं सवाल पूछती हूं कि मंत्री महोदय आपने 41

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

योजनायें जिलाधीश महोदय की स्वीकृति के लिये भिजवाई जबकि, 1142 योजनायें जयपुर नगर में हैं। तो मात्र 41 योजनाओं को आपने रेफर किया है। मैं पूछना चाहती हूं यह ऊंट के मुंह में जीरा कह रहे थे उसी तरह से मुझे मुहावरा याद आ गया दोहराने की इच्छा हो गई। मैं कहना चाहूंगी आपने 542 योजनायें जो जे. डी. ए. में पूर्व में स्वीकृति हो चुकी है उनको आपने रेफर नहीं किया। 1142 योजनाओं के लिये फिर आप एक समिति घोषित करेंगे। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह बेरी समिति जो बेरीसाहब की अध्यक्षता में बनी, बेरी समिति की आपने नहीं कहीं। एक छोटीसी बात को आप तूल देते हैं और आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया केवल 41 कालोनियों का आपने नियमन करने के लिये भेजा है। 41 की स्पीड से 1142 समितियों को कब तक तय कर पायेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि अवाप्ति भूमि पर, सीलिंग की भूमि पर योजना के विपरीत भूमि पर और जे. डी. ए. और नगर परिषद् के नियमों के, बाइ'लाज के विपरीत बने मकानों पर आप कब तक कार्य करवाना चाहते हैं। आपने बसन्त बहार कालोनी की जमीन में सवा रुपया लेकर नियमित किया है और आज अधिक से अधिक 25 रुपये लेकर करने की बात करते हैं इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप इसको कुल मिला कर करेंगे यहां नियमित; यही मेरा कहना है अगर आपने इनको नियमित नहीं किया तो तोड़ नहीं सकते आप। न आवासन मंत्रीजी तोड़ सकते हैं, न स्वायत्त शासन मंत्री जी तोड़ सकते हैं। जो सहकारिता मंत्रीजी ने यहां पर चेन को लगा कर सर्वे करा। मैंने सहकारिता मंत्री जी से जवाब पूछा आपने जवाब दिया लेकिन हमने कभी दोषियों को बचाने की बात नहीं कही। जो दोषी पाये गये उनके खिलाफ आपने कार्यवाही की या नहीं की। मैं कहना चाहती हूं फ्रेगमेंटेशन के केस जो सोसाइटी के माध्यम से मकान बने, जो इंडीविजुअल किसी ने बेचे। आप उनका, सबका कब तक नियमन कर देंगे और यह जो समिति बनाने की बात आपने कही यहां पर कि माननीय सदस्यों को भी शामिल करेंगे। अगर टाइम बाउण्ड प्रोग्राम आपका कोई है तो बतायें अगर टाइम बाउण्ड प्रोग्राम नहीं है तो फिर लोगों को भटकने के लिये छोड़ रखा है। फिर सोच लें कि आप कुछ करने वाले नहीं हैं। हम यह सोचें और उस पर चर्चा नहीं करेंगे.... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा एक निवेदन है। यह जो जयपुर का मसला आया है, उसी तरह से अरबन एरियाज, जिला मुख्यालयों में यह सारे राजस्थान से जुड़ा हुआ मसला है....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सारे राजस्थान का होगा।

श्री बंशीलाल पटवा : 81 से है तो मेरा निवेदन है कि सामूहिक दृष्टि से क्योंकि कई जगह नोटिफाइड एरियाज में मकान बन गये और कृषि भूमि में बन गये तो सामूहिक दृष्टि से राजस्व मन्त्रीजी कब तक विचार कर लेंगे, इस तरह का है, मंत्री महोदय बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मन्त्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह अतिक्रमण और नियमन की समस्या यों तो सारे राजस्थान में हैं लेकिन जयपुर में कुछ जटिल है। उपाध्यक्ष महोदय ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सुनिये। उजला जी। अगर आपको ही समाधान करना हो तो क्यों सवाल पूछते हो, क्यों बोलते हो। अब उत्तर तो सुनिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहां आ गया। अतिक्रमण कैसे आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : Please have patience.

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह अतिक्रमण कैसे हो गया....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अतिक्रमण हो गया। आप बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप गलत कह रहे हैं। आप इनको शुद्ध करने नहीं दे रहे हैं मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये। आप उत्तर नहीं सुनेंगे क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपका कोआपरेटिव विभाग सहकारी समितियां बनाता है तो वहां अवैध कब्जे करवाता है। आप गलत क्यों बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये। यह भी आपका अतिक्रमण है। ठीक कह रहे है राजपाल सिंह जी। (व्यवधान) नहीं, नहीं, बोलना भी अतिक्रमण है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर उनको पास कराते हैं और फिर आप कहते हैं उन्होंने अवैध बना लिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया उजला जी ....(व्यवधान) माननीय राजस्व मन्त्री जी। प्लीज। कृपया सहयोग करिये।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं करेक्ट करता हूं। अतिक्रमण, टैक्नीकली अतिक्रमण ऐसे हो जाता है जब किसी भूमि का रूपान्तरण अनियमित रूप से हो जाता है तो सैक्सन 90 ए लागू हो जाता है और उसके साथ में 91 जुड़ जाता है। यह तकनीकी शब्द हैं इसलिए मैंने कह दिया कि जो रूपान्तरण अनियमित हो जाता है उसके लिए यह वर्ड मैंने काम में ले लिया। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अब मुझे कहने तो दीजिये ना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष । आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं कालीचरण जी।

श्री कालीचरण सराफ : मैं क्या बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तीन हजार-चार हजार गिना रहे हैं। आप उत्तर तो सुनो। आप समाधान भी चाहते हैं और उनमें भी बोल रहे हैं। बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिये। प्लीज।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भारद्वाज जी ने यह कहा था कि एक मुश्त निराकरण की बात कही गई

(श्री गंगाराम चौधरी)

थी लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ, कितने भूखण्ड यहां पर सारे हैं, जो नियमितीकरण के लिए उनको करना चाहिये, कितने लाभान्वित होंगे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे आंकड़े तो यहां पर नहीं दे सकता और उपलब्ध भी नहीं है पूर्ण रूप से....

श्री कालीचरण सराफ : आंकड़े तो उपलब्ध है, वे बताना नहीं चाहते है क्योंकि केवल 10 प्रतिशत लोग ही लाभान्वित होंगे इसलिए बताना नहीं चाहते आप।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : It is a blind decision. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। सुनिये आप। कृपया सुनिये।

श्री गंगाराम चौधरी : जो मेरे पास जानकारी है, वह मैं कह दूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप उत्तर नही सुनना चाहते हैं तो इसे बन्द कराकर आगे का बिजनिस लेता हूं (व्यवधान) आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो आगे का बिजनिस लेता हूं।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : साहब, कोई उत्तर तो आए। उत्तर तो पोजीटिव आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, आप बीच-बीच में व्यवधान करेंगे तो नहीं बैठेगा ऐसे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : मैं तो यह मालूम करना चाहता हू कि सरकार कोई डिसीजन लेती है तो उस डिसीजन के पीछे कोई आब्जेक्टिव होता है, उसके पीछे एक फिलोसोफी होती है।

श्री उपाध्यक्ष : वह फिलोसोफी अपना कर ही कह रहे हैं सारा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय। उसके पीछे कौन लोग लाभान्वित होंगे, कितने लाभान्वित होंगे क्यों होंगे और किस प्रकार होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ये फिलोसोफी अपना लेंगे। माननीय राजस्व मन्त्रीजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : नहीं साहब, यह पता नहीं है माननीय मंत्री महोदय को (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : यह कोई जानकारी नहीं होती। जे. डी. ए. के अधिकारी यहां बैठे हैं। आप उनसे रिकार्ड लेकर बताइये कि कुल कितने लोग हैं, इसमें कितने लाभान्वित होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तर सुनिये पहले। माननीय राजस्व मंत्रीजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : हम पूछ रहे हैं, यह पहला सवाल है। क्या यह ब्लाइंड डिसीजन था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सारा ही महसूस कर रहे हैं माननीय राजस्व मंत्रीजी। समस्या गम्भीर है। समस्या को गम्भीरता से लीजिये। मन्त्रीजी गम्भीरता से ले रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं बता दूं, मेरे बाद आपको कोई संतोष नहीं हो तो मुझे कह दें। उपाध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में सहकारी समितियों की

(श्री गंगाराम चौधरी)

जानकारी में थी, एक सर्वे भी, सर्वे तो क्या एक सूचना जारी हुई थी उसके आधार पर आपसे निवेदन कर दूं कि यहां पर केवल 216 कुल गृह निर्माण सहकारी समितियां कार्यरत हैं वहां लेकिन कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में केवल 89 गृह निर्माण सहकारी समितियों ने अपनी सूचनाएं पेश की थी, उनके आधार पर उनके कब्जे में कुल भूमि एक लाख एकड़ है और कुल भूखण्ड 109743 बताये हैं और इसमें एस. सी. एस. टी. की जो जमीन है वह 1450 एकड़ है जिनसे खरीदी गई। कोआपरेटिव सोसाइटी में जो एस. सी./एस. टी की भूमि खरीदी वह 1450 एकड़ थी। इसमें अलसर में जो प्रोवीजन है वह लगभग 2750 एकड़ है और जो अवाप्ति कर लिया गया है या अवाप्तिधीन है वह है 1550 एकड़। उपाध्यक्ष महोदय, जे. डी. ए. ने इसमें से जिन स्कीमों को एप्रूव कर दिया उनका ही केवल नियमितीकरण किया जा सकता है।

श्री कालीचरण सराफ : कुल कितनी भूमि है ?

श्री गंगाराम चौधरी : एकड़ में बताऊं या, कुल भूमि है करीब एक लाख एकड़, वह तो करीब में भी बताई जा सकती है लेकिन कुल भूखण्ड जो सोसाइटी में बताए हैं वह है 109743 भूखण्ड। मोटे तौर पर यह सूचना मैंने आपके सामने... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह तो बता ही रहे हैं। इसमें व्यवधान आ रहा है। इसको दूर करेंगे। जब है। कुछ सीलिंग में आ रही है, कौन सा एक्ट लागू हो रहा है। वे सब कह रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं, यहां पर आपत्ति जो उठाई गई थी, जब बेरी समिति ने खातेदारी खत्म करने की राय दी थी, तो फिर माना क्यों नहीं गया। ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट में प्रावधान ट्रांसफर का होते हुए भी एग्रीमेंट या सेल में आपने पूरा ट्रांसफर क्यों मान लिया, दोनों का उत्तर मैं देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, धारा 63 में खातेदारी खत्म करने की बात कही थी, वहां जिन लोगों ने जो पहले करीब 8-10 साल पहले, 1982 में या उससे पहले कुछ सोसाइटी ने बहुत पहले जमीन खरीद ली लेकिन उस वक्त में खरीदी हुई जमीन और उनकी खातेदारी अब हम एक कानून बनाकर अगर खत्म करते हैं तो एक तरह से रिट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होने की बात होती।

दूसरी चीज है यह खातेदारी खत्म करने पर, यों तो सारा प्रोवीजन राजस्थान टीनेंसी एक्ट में 177 के अन्तर्गत दावा किये जाने के पहले से भी है लेकिन उन प्रावधान के अन्तर्गत ऐसे नोटिस देने की बात है जो बेरी समिति ने या बेरी साहब ने हमको जो सिफारिश की थी उसमें उन्होंने यह बताया था कि किसी भी खातेदार को या खरीददार को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। आप एक कानून बनाकर एक लाइन में ही उनकी खातेदारी समाप्त कर सकते हैं। हमारे लॉ विभागने यह नहीं माना। हमारे लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि किसी के अधिकार लेने हों तो उसको सुनवाई का अवसर देना पड़ता है और अगर आप नोटिस देने की

(श्री गंगाराम चौधरी)

प्रक्रिया आरम्भ करेंगे तो वह 177 हमारे टीनेंसी एक्ट में पहले से मौजूद है। इसलिए इन प्रावधानों को लागू करना हमारे लॉ डिपार्टमेंट ने उचित नहीं समझा।

अब दूसरी बात मैं आपसे निवेदन कर दूं, उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के अन्दर धारा 53 में एक प्रावधान है। उसमें यह बात है कि ट्रांसफर कौन-कौन माना जायेगा तो उसमें एक चीज यह भी है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल करके पजेशन ट्रांसफर कर दे, या खरीद करने वाला आदमी यदि कब्जा ले लेता है तो वह ट्रांसफर कम्प्लीट हो जाता है। तो हमने उसी ट्रांसफर को इसमें पूरा माना है जिस एग्रीमेंट के जरिये खरीददार ने जिस भूमि का कब्जा ले लिया और उसने कोई एग्रीमेंट कर लिया। तो उस चीज को हमने पूरा माना है और उसी को मान्यता देते हुए अब हमनें उसके नियमितीकरण की बात कही है। पहले भी 1981 में जो रूल्स थे, उन रूल्स में उन्होंने प्रावधान किया था पहले सरकार ने लेकिन उसमें एक खामी यह रखी थी कि उसमें कन्वर्सन प्रोवीजनल कर सकते हैं और जब खरीददार अपना एग्रीमेंट रजिस्टर्ड डीड से करवा ले तो फिर फाइनल हो जाता होगा। कन्वर्सन उससे पहले नहीं हो सकता। उस शर्त को हमने एक्जामिन करके ठीक कर दिया और रूल्स में अमेंडमेंट करके यदि एग्रीमेंट और सेल जिसमें पजेशन बाकायदा ले लिया है, उसको कम्प्लीट मानकर हम रेगुलराइज कर देंगे। केवल मात्र इतना रखा है क्योंकि जो फीस है, रूपान्तरण फीस, उसको दुगुना रखा है। रूपान्तरण फीस दुगुना इसलिए जरूरी हो गया कि अलबत्ता उसमें स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की है, सरकार को तो नुकसान उसने पहुंचाया ही पहुंचाया है। इसलिए यह किया है। अब उस वक्त में कानून को मोटे रूप में तो समस्या जो हल हुई है वह आपके सामने जाहिर है कि एग्रीमेंट और सेल वाले वे सारे केसेज आ जायेंगे। अब इसमें एक बात थोड़ी सी मास्टर प्लान की जो संशय है, वह मैं अर्ज कर दूं आपको।

श्री कालीचरण सराफ : यह 82 का तो क्लीयर कर दें।

श्री गंगाराम चौधरी : जो प्रावधान पहले किये थे जिसने राशि जमा कराई है उन्हीं को हमने नियमित करने का प्रावधान रखा है इसका मैं कारण बता दूं। इसको इस तरह से खुला रखें तो आज हरेक आदमी पुराना स्टाम्प लेकर आ जायेगा कि मैंने यह पहले खरीद लिया इसलिए यह उचित नहीं समझा जा सकता सरकार में। वैसे यह अनियमित है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : इस बार अकाल पड़ गया तो अगली बार खेती बन्द कर देंगे। यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनका कम्प्लीट होने दीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : निगेटिव सोच के साथ में....

श्री उपाध्यक्ष : किसकी निगेटिव सोच है ?

श्री राजपाल सिंह शेखावत : सरकार का।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार का नहीं है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : इस डर से कि.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कुछ और कहना चाह रहे हैं राजस्व मन्त्रीजी ? बिराजिए आप। इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। कुछ कह रहे हैं आप ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : जवाब तो आया ही नहीं, चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर नगर में तो 70 प्रतिशत हरिजनों की जमीनें नियमित करनी हैं।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : एक ही बात का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : हर बात में आप व्यवधान कर रहे हैं। (व्यवधान) उत्तर पूरा कम्प्लीट होने दीजिए।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : उत्तर आ ही नहीं रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर कम्प्लीट होने दीजिए। अगर कोई रह जाता है तो आप बाद में कहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : अकाल का महत्वपूर्ण मामला है जिसके लिए टाइम की जरूरत है। सारा टाइम आप ही ले लेंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, मीणा साहब।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी भूमियां जिनके लिए मास्टर प्लान में लेण्ड यूज आवासी नहीं बताया गया है उन भूमियों को भी नियमित कर दिया जायेगा। जे.डी.ए. मास्टर प्लान की लेण्ड यूज को गुणावगुण पर डिसाइड करके उनकी लेंड यूज को बदलने का प्रयास कर रही है। अब केवल मात्र जो परेशानी रही है वह अल्सर एक्ट के तहत रही है। जो दरबारों की जमीनें हैं उनकी ही जमीन कन्वर्ट नहीं हो पायेगी। एक्वायर या अंडर एक्वीजिशन है वो नहीं हो पायेगी। इसके अलावा की सारी जमीनों का नियमितीकरण हो जायेगा। हमने जो नियम लागू किए हैं ये सारे राजस्थान में लागू होंगे और इसमें केवल सोसाइटीज ही नहीं, इसमें "पर्सन" वर्ड यूज किया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गहलोत जी सुन नहीं रहे हैं। फिर सवाल करेंगे। कह रहे हैं कि यह नियम पूरे राजस्थान में लागू होंगे। फिर आप बातें कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे उत्तर नहीं आया।

श्री गंगाराम चौधरी : यदि कोई व्यक्ति इस तरह से एग्रीमेंट टू सेल्स के जरिए कर लेता है तो वह इसमें कवर्ड है, सोसाइटीज कवर्ड है, सारे राजस्थान में यह लागू है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था नये नियम बन रहे हैं और शहरी क्षेत्रों के लिए भी अभी तक विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी एक कमेटी की घोषणा करेंगे। कमेटी गठित करने के बाद में सदन के दोनों तरफ के सदस्य शामिल होंगे, राजकीय अधिकारी होंगे और फिर विचार करके जो समस्या रह गई हैं उनका समाधान कर लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले सुन लीजिए। (व्यवधान) माननीय भंवरलाल जी। (व्यवधान) आप बैठिये। माननीय भंवर लाल जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय आवासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों की संख्या 89 है और जो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कुल भूमि है एकड़ में वह मेरे ख्याल से आपने शायद एक लाख कहा है लेकिन यह 10 हजार एकड़ है। (व्यवधान) और जो भूखण्ड हैं वे एक लाख हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जिस समस्या की ओर माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है वह निश्चित रूप से बहुत उलझा हुआ मामला है और कई वर्षों से है और जो चिन्ता माननीय सदस्यों की है उससे अधिक सरकार की चिन्ता है और जिस दिन इस सरकार का गठन हुआ उसके तुरन्त

(2.45 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

बाद इस समस्या के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया। वह इस बात का संकेत है कि सरकार इस समस्या के बारे में चिंतित हैं और जो विवरण माननीय राजस्व मंत्रीजी ने दिया है कि किन-किन प्रक्रियाओं से कितना परिश्रम करने के बाद यह रिजल्ट निकला है। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस समस्या का समाधान करना चाहती है। समस्या थोड़ी जटिल है इसमें कोई शक नहीं है और इसलिए जो कुछ रिजल्ट निकल सकता था वह निकाला गया। अब माननीय सदस्यों की चिन्ता यह है कि जो अवाप्ति की भूमि है वह इसमें नहीं आयेगी, अल्सर की भूमि का निस्तारण नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहता हूं अल्सर एक्ट में यह व्यवस्था है कि किसी भी अल्सर एक्ट की भूमि को राज्य सरकार मुक्त कर सकती है। वह व्यवस्था आलरेडी है। राज्य सरकार अल्सर की भूमि को अगर वह ठीक ग्राउण्ड समझती है तो वह मुक्त कर सकती है। अवाप्ति की भूमि को भी वह मुक्त कर सकती है उसके लिए कोई कानून परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं थी। यह आलरेडी व्यवस्था है और मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि जो ऐसी संस्थाएं बताई गई हैं, ऐसी सोसाईटीज बताई गई हैं, जो लोग बताए गए हैं जिनको गुणावगुण के आधार पर देखने के बाद उस पर यह निर्णय जल्दी कर लिया जायेगा क्योंकि वह कानून आलरेडी है। इससे आप मेरी बात से सहमत होंगे कि केवल इसमें सामान्य नागरिक ही इन जमीनों पर काबिज नहीं हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे माफिया लोग हैं जिन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। उनको भी क्या हम चाहेंगे कि इस तरह से छूट दी जाय ? नहीं चाहेंगे आप। सामान्य नागरिक की कठिनाई दूर हो, सामान्य नागरिक जो ठगा गया है उसको लाभ पहुंचे। यहां तक तो मानना ठीक है लेकिन जो व्यक्ति जिसने किसी भी प्रकार से माफिया ग्रुप्स के नाम पर माफिया ग्रुप बना करके जमीन पर कब्जा कर लिया उनको भी आप छुट्टी दे दें, मैं समझता हूं सरकार का यह विचार नहीं है वह करना भी नहीं चाहती। जहां तक आपने कहा मास्टर प्लान में जो संख्या नगण्य है उनको अधिकार दे दिया कि मास्टर प्लान में उसका जो भी यूज है उसको बदलने का अधिकार उनको है इसलिए मैं समझता हूं कि इस बहुत बड़ी समस्या में से फिर भी कुछ बचेगी तो सरकार इस पर खुद विचार कर रही है। मैं समझता हूं आपको संतोष करना चाहिए।

(110)

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए। (व्यवधान) हो गया। बिराजिए। श्री बंशीलाल पटवा।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन
प्राक्कलन समिति 'क'

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति "क" 1991-92 सामान्य प्रशासन विभाग विषयक प्राक्कलन समिति "क" 1986-87 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि
प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : आप रखेंगे ?

श्री शांतिलाल चपलोत (वित्त राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-3 (सिविल), विनियोग लेखे वर्ष 1989-90, एवं वित्त लेखे वर्ष 1989-90 में सदन की मेज पर रखता हूं।

राज्य की अकाल की स्थिति पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (सहायता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : देखिए, मेरे पास कुल ध्यानाकर्षण और एडजोर्नमेंट मोशन को मिलाकर 85 लोगों के नाम हैं जिनमें 17 लोग रिपीट हुए हैं, 68 लोगों के शुद्ध नाम हैं। 46 नाम पार्टियों की तरफ से आये हैं। इनमें कुछ लोग कामन बोलेंगे। कुल 114 लोगों के नाम हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए और आपको शाम को फाइनेन्स मंत्री महोदय के डिनर पर भी जाना है इसको भी आप ध्यान में रखकर अपनी बात कहेंगे। इसलिए सबसे पहले श्री अमीन खां बोलेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्री अमीन खां जी को बुलाने से पहले मेरा निवेदन सुन लें। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अब 3.00 बजने में 10 मिनट रह गये हैं, सिर्फ 4 घंटे रह गये हैं और 4 घण्टे में जैसा आपने पूर्व में संकेत दिया था आप 7.00 बजे तक बहस को समाप्त करवाना चाहते हैं और 7.00 बजे बहस को समाप्त करने का मतलब है कि मंत्री महोदय को कम से कम एक घण्टा दिया जायेगा और एक घंटा देने का अभिप्राय यह है कि 6.00 बजे ये अपनी बात कहेंगे। 3 घण्टे में अध्यक्ष महोदय, कितने लोग बोल पायेंगे ? मेरा आपसे निवेदन है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। आपको मालूम है साथ में ओलावृष्टि और हो गई। कुछ लोग ओलावृष्टि के बारे में बोलना चाहेंगे। आपने निर्णय दे दिया, सरकार की तरफ से घोषणा भी होगी कुछ नए निर्णय लिए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर आप....

श्री अध्यक्ष : मेक्सिमम टाइम निकाल लेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मंत्री महोदय का

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जवाब आप किसी अन्य दिन करा दें तब तो चल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : देख लेंगे। फिर देख लेंगे। श्री अमीन खां। (व्यवधान) प्रारम्भ में ही समय का ध्यान रखिए, ठीक रहेगा।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सबसे ज्यादा अकाल हमेशा पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पड़ता है। यह राजस्थान के लिए नई बात नहीं है और हर 5 साल में 3 साल भयंकर अकाल इस डेजर्ट एरिया में होता है। आजादी से पहले मारवाड़ के जितने भी गरीब लोग थे, जिनको रोजगार का अभाव रहता था वे सिंध में जाते थे, जो आज पाकिस्तान में है वे सिंध में जाकर अपनी गुजर करते थे। देश की आजादी के बाद में यह रेगिस्तान के लोग....

श्री अध्यक्ष : मेरा एक निवेदन है कि जब आप बोलें तो निश्चित रूप से आप अपने क्षेत्र के बारे में इन्टरेस्टेड हैं तो बजाय भाषण और बातों के, सीधा-सीधा अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात रख दें तो मैं समझता हूं कि उसमें समय भी कम होगा और आपकी बात भी, जो आप चाहते हैं, आ जायेगी और सरकार के ध्यान में भी हर क्षेत्र में क्या विशेष समस्याएं हैं, यह भी उनके ध्यान में आ जायें। सीधे अपने क्षेत्र पर आ जाइये।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय पर बोलना चाहूंगा, मेरा भी ध्यान रखिए।

श्री अध्यक्ष : हां, आपका भी नाम है। नाम है इसमें आपका।

2.52 म. प.

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री अमीन खां : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले की सन् 1981 की जनगणना के अनुसार 14 लाख 33 हजार आबादी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज आपने कालिंग अटेन्शन मोशन लगाये....

श्री उपाध्यक्ष : लगाये थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा एक महीने पहले फरवरी में कालिंग अटेन्शन मोशन अकाल के बारे में दिया हुआ है। मेरे साथ बीस माननीय सदस्यों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर करके दिये हैं जो आज का सब्जेक्ट है यानि उसके तो पांच कालिंग अटेन्शन मोशन लग गये....

श्री उपाध्यक्ष : स्पीकर साहब से मिल लीजिए। उसका निर्णय यहां तो नहीं हो सकता। जीरो आवर भी नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे निवेदन करने का अधिकार है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पीकर साहब से मिल लीजिए।

(112)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं मिल लूंगा लेकिन मैं सदन में भी इस बात को रखना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या रखेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : पांच कालिंग अटेन्शन मोशन, जो आज के विषय से सम्बन्धित नहीं थे वह तो रख लिये गये और हमारे कालिंग अटेन्शन मोशन के बारे में क्या पूर्वाग्राह्यता है, उसको क्या प्राथमिकता दी जायेगी, इसके बारे में कोई निर्णय नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा आपसे निवेदन है, माननीय स्पीकर साहब से मिलिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको निर्णय तो यह देना चाहिए उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप उनसे मिलिये। माननीय अमीन खां जी।

श्री अमीन खां : बाड़मेर जिले में सन् 1981 की जनगणना के अनुसार 14 लाख 33 हजार आबादी है। उसमें 1 लाख 22 हजार की आबादी तो शहरों की है और बाकी 13 लाख 11 हजार के लगभग आबादी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की है जिसके 1636 गांव हैं और इन गांवों को राज्य सरकार ने 22 फरवरी, 1992 1992 को प्रभावग्रस्त घोषित किया। उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब होगा कि इसी फरवरी में इन्होने दस हजार मजदूर लगाने के आदेश दिये, मार्च में 15 हजार मजदूर लगाने के आदेश दिये और अप्रेल में 25 हजार मजदूर लगाने के आदेश दिये हैं। यह आदेश मात्र कागजों में हैं और यह आदेश मात्र सरकारी दफ्तरों के हैं। गांवों में आज तक अकाल राहत के मद के तहत एक भी मजदूर नहीं लगाया गया है और न कोई मजदूर ही लगाने का कार्यक्रम जिला लेवल पर तय हुआ है। न कोई अकाल राहत जिला सलाहकार समिति की मीटिंग में कोई प्रपोजल मांगे गये हैं और न राज्य सरकार ने भी जिले से या जिले के जन प्रतिनिधियों से कोई अकाल के योजनाबद्ध तरीके से प्रस्ताव मांगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि जवाहर योजना के सैटिंग में इन्होंने आदेश दे दिये हैं कि मजदूर लगा दो और जिला कलक्टर कहता है कि यहा हालत खुशहाल है, मजदूर आ नहीं रहे। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि जवाहर रोजगार योजना के अन्दर कापरेटिव सोसइटी के गोदाम बना रहे हैं, स्कूल की चारदीवारी बना रहे हैं, पुराने कुओं को नीचे खोदने के लिए ले रहे हैं और स्कूल का भवन या अस्पताल का भवन ले रहे हैं। इसमें तीन कारीगर होते हैं, दो मजदूर होते हैं। एक वर्क में इससे ज्यादा काम ही नहीं कर सकते, यह मजदूर क्या सौ लग सकते हैं एक एक प्राइमरी स्कूल के भवन में। इस तरह से डिस्पेन्सरियों का भी कोई काम चला है पंचायतों के माध्यम से, तो यह मजदूर लगाने की मंशा सरकार की बिल्कुल नहीं है। वहां के लोग, अभी बाड़मेर जिले के लोग, महाराष्ट्र में हैं, गुजरात मे हैं, हरियाणा में हैं, पंजाब में हैं दिल्ली में हैं, राजस्थान के जयपुर शहर में हैं, नागौर के मकराना में हैं, आपके पाली में हैं। आप किसी भी जिले की हालत देख लो, एक जिले के सारे हिन्दुस्तान के प्रांतों

(श्री अमीन खां)

में आदमी, मजदूर, पशुपालक लोग जावें, हालत वहां नाजुक है। अब सरकार कहेगी कि भूख से किसी को मरने नहीं दिया जायेगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिसाल देता हूं जिसका यह गिला करते हैं, सन् 1988 के भयंकर अकाल में बाड़मेर जिले में 1 लाख 56 हजार मजदूर मार्च के महीने में सरकार ने लगाये थे। जहां संख्या 11 लाख जिले की उस समय थी। 88 में 1 लाख 56 हजार अकाल राहत मंत्रीजी, बाड़मेर जिले में मजदूर लगाने के राज्य सरकार के आदेश थे और प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर पर गायों के चारे के लिए कैम्प थे और जितनी भी गौ-सेवा संस्थायें थी उनके पास भी चारे की व्यवस्था थी। आज दस हजार गायों का बाड़मेर जिले में आदेश दिया है कि डेयरी से पोषाहार वितरित किया जाय। डेयरी के रूट जिले में बहुत इने-गिने गांव हैं, और दूर-दराज इलाके में डेयरी का कोई इन्तजाम नहीं है और आज की तारीख में वहां गायों के पोषाहार पर आपका टका ही खर्च नहीं हुआ है। दस हजार आदेश मात्र आपके पास है। उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिला, पशुपालक का हिन्दुस्तान का मशहूर जिला है। इसमें कम से कम तीन लाख तो गायों की संख्या है और आप गायों को बचाने जा रहे हैं अप्रेल तक दस हजार की स्वीकृति लेकर और उसकी भी आप व्यवस्था नहीं कर सके। अगर आप गायों को पोषाहार देना चाहते हैं तो जहां डेयरी है वहां डेयरी से वितरण करायें, डेयरी नहीं है तो पंचायतों से करायें, पचायते नहीं करें, पटवारी आपके क्या काम करते हैं, पटवारी के पास लैण्ड रेवेन्यू का कोई काम है नहीं वसूली का काम बन्द है, पटवारी गांवों में जागीरदारी चलाने के सिवाय और क्या काम करता है, उन पटवारियों के जरिये भी यह वितरण किया जाय।

अब रहा सवाल पानी का। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का उत्तर मिला उसमें जवाब आया वह अलग आया उसी स्कीमों का और तारांकित प्रश्न का सदन में जवाब आया, वह दूसरे प्रकार का आया और अतारांकित प्रश्न में उन्होंने स्पष्ट मान लिया कि योजनायें फेल हैं। तो जलदाय विभाग की योजनाएं भी करीब-करीब वहां फेल हो चुकी हैं और इन फेल योजनाओं के ऊपर भी सरकार को रिलीफ डिपार्टमेंट के जरिये टैंकर लगाने पड़ेंगे, कहीं इनके पास ट्यूब वैल्स की कमी है तो रिलीफ डिपार्टमेंट को ट्यूब वैल नये खोदने के लिए स्वीकृति देनी चाहिए और डी.डी.पी. के अन्दर तो उस जिले में ट्यूब वैल खुदाये जाते थे वह सब बंद कर दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार बाड़मेर-जैसलमेर की हालत बहुत खतरनाक है। गत वर्ष भी जैसलमेर जिले में, पूरे में और बाड़मेर जिले की शिव तहसील में लास्ट जुलाई के हफ्ते में बरसात हुई थी जिससे सेवण घास हो गई थी उससे लोग, पशुपालक बच गये लेकिन फसल जिसका नाम है वह उस इलाके में नहीं हुई और जैसलमेर जिले के 325 गांव ऐसे हैं जिनमें गत वर्ष भी बरसात की बूंद नहीं पड़ी और इस साल भी बाड़मेर जिले में मंत्री महोदय, अकाल राहत मंत्री का ही जवाब है कि तीस गांव ऐसे हैं जिनमें बरसात की

(श्री अमीन खां)

एक भी बूंद नहीं पड़ी। 34 गांव हैं, तीस गांव शिव तहसील के और चार गांव चौहटन तहसील के। आपने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिये। सितम्बर में जब विधान सभा के सेत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में सरकार ने यह जवाब दिया था कि हम स्पेशल गिरदावरी सितम्बर में शुरू करा रहे हैं और जल्दी राहत कार्य चलाये जायेंगे, क्या स्पेशल गिरदावरी करवाने की जरूरत थी। आपने अकाल घोषित किया है 22 फरवरी को, 24 फरवरी से विधान सभा के सत्र को देख कर, अगर विधान सभा सत्र 24 फरवरी से नहीं बुलाया होता तो अभी तक अकाल घोषित नहीं होता। इससे ज्यादा क्या नजरन्दाज इन्सान का, गरीबों की भुखमरी का होता? आप कहते हैं, अध्यक्ष महोदय भी कह रहे थे, गायें मर नहीं रहीं। मैं खुद कहता हूं, मेरे क्षेत्र में आज भी गायें पाकिस्तान जा रही हैं। कैसे जा रही हैं, गायों की कीमत तीन से लेकर चार हजार रुपये हैं। आज जो आदमी अपनी गाय बचाना चाहता है वह घर का हिसाब सम्भाले, गाय बचाने के लिए पांच हजार रुपये जिसकी जेब में कैश नहीं है वह गाय बचा नहीं सकता। इसलिए सीमा पर लोग, जो गायें हैं, वह नजदीक-नजदीक जो गांव हैं उनमें छोड़ देते हैं और फिर जिनका इस तरह का धन्धा करने का है, जिनसे मिलते हैं, वह गायें पाकिस्तान जा रही हैं। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में डेली का आप हिसाब सम्भालो तो पांच सौ गायें पाकिस्तान जा रही हैं। पाकिस्तान में कौन से उनको दस लाख रुपये गाय की कीमत मिलती है। दो हजार, पन्द्रह सौ से ज्यादा वहां भी पैसे नहीं मिलते हैं। इसलिए है कि वहां पशु मर रहे हैं। अकाल राहत मंत्रीजी, आप गरीब तबके से हैं, आप हिसाब लगा दो, छह रुपये किलो वहां पोषाहार मिलता है, कम से कम एक गाय के लिए दो किलो पोषाहार चाहिए, पांच किलो घास चाहिए तो पांच रुपये घास के और बारह रुपये पोषाहार के, सत्रह रुपये एक गाय के लिए चाहिए। मान लो कि पांच सदस्यों का एक गरीब परिवार है, आज छह रुपये किलो वहां बाजरी है, उसका एक मजदूर भी आप लगा दो तो भी उसे 22 रुपये मिलेंगे। अब आप बता दो, चार जिसके पास गायें हैं, पांच परिवार के सदस्य हैं, अगर एक मजदूर भी लग गया तो 22 रुपये से न वह गाय बच सकती, न उसके बच्चे बच सकते और इस हालत का आपको अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो सरकार को यह एलान करना चाहिए कि हुकुमत की कोई जवाबदारी नहीं है। बचे, वह अपने बलबूते पर बचे। मैं ऐसा कहता हूं कि इस आधुनिक युग में लोग कोई आपके भरोसे नहीं मरेंगे, लोग देश-विदेश चले जायेंगे, भीख मांगेंगे, चोरी-डकैती करेंगे लेकिन भूख से कतई नहीं मरेंगे। कोई आपकी वजह से बचाव आज तक नहीं हुआ है। अकाल राहत मंत्री महोदय, आप अपने सेक्रेटरी से पूछ लें, मार्च तक पहली बार काम शुरू नहीं हुआ, यह पहली मिसाल है। जिसको आप कहते थे कांग्रेस वाले काम के दुश्मन, श्री हरिदेव जोशी ने 1988 में जुलाई में अकाल राहत कार्य खोलने के आदेश दिये थे। यह देवपुरा जी बाड़मेर जिले के इन्चार्ज मिनिस्टर थे गांव-गांव पहुंचकर इन्होंने रिलीफ वर्क्स खोले थे।

(श्री अमीन खां)

लेकिन अभी माननीय अकाल राहत मंत्री जी ने बाड़मेर और जैसलमेर जिले का अकाल के बाबत कोई दौरा भी नहीं किया और अकाल राहत मंत्री जी आज अप्रेल जा रहा है अभी तक भी उन जिलों में नहीं आये। अकाल राहत मंत्री जी वास्तव में अगर आप राहत देना चाहते हो तो आप खुद वहां जायें और तहसीलदार अलग लोगों की मीटिंग बुलायें। अब आप कमेटी से वहां के क्यों नहीं प्रस्ताव लेते हो। बाड़मेर, जैसलमेर जिले से कांग्रेस का तो मैं एक ही एम. एल. ए. हूं। मेरी एक राय अगर मान लो 8वीं राय हो जायेगी और क्या है। इधर लोग तो आपकी सत्ताधारी पार्टी के हैं 8वां हिस्सा मानो फिर भी हम कहते हैं कि हमारी राय मत मानो। बाकी आपके सबआर्डीनेट लोगों की राय मानकर जिला कलक्टरों की राय मान कर वहां कम से कम अगर राहत देना चाहते हैं तो प्रत्येक 5 व्यक्ति के परिवार में से आपको एक मजदूर लगाना चाहिए। प्रत्येक गाय को 2 के. जी. रेट पर आपको पोषाहार देना चाहिए घास की जितनी मांग है वह वहां पूरी करें। नहीं हों तो नहीं करें....

(3.00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमीन खां जी भाषण पूरा करें।

श्री अमीन खां : एक मिनट। अब आपने यह बताया कि अकाल राहत कार्य हमने खोले हैं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो ज्यादा इफेक्टेड एरिया से लोग आते हैं उनको ज्यादा बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप तय कर दें तो पूरा समय उनको दे दूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पूरा समय का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री अमीन खां : मैं एक ही मिनट में खत्म करता हूं। आपने खादी ग्रामोद्योग में पैसा दे दिया। कैलाश जी आप तो मेघवाल हैं। एक कतवार कितना रुपया दिन में कमा सकता है? कतवार केवल मुश्किल से एक रुपया रोजाना कमा सकता है। इससे रोजगार नहीं होता। आप बाजार की रेट देख लीजिए। नमक, मिर्च, बीमारी और दवाई के लिए कहां से जायेगा? कताई वाले, बुनाई वाले जितने भी लोग हैं यह दूसरे धंधों पर निर्भर हैं। यह तो साइड में अपना बिजनेस करते हैं। एक दो रुपये से ज्यादा कताई करने वाले को धंधा नहीं मिलता है। अगर आपको राहत कार्य शुरू करने हैं तो यह भी धधा बंद नहीं करना है। अच्छा काम है लेकिन सिर्फ आप यह पता करें कि पुरानी योजनाओं के पैसे पड़े हैं, कोई जवाहर योजना का बताकर आप अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं, यह राहत नहीं है। राहत अगर देना चाहते हैं तो ग्रेवल की सड़कें चालू करें। एक-एक सड़क पर दस, दस हजार मजदूर लगाओ तब जाकर आप रोजगार दे सकते हैं। अब आप कहते हैं कि भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। भारत सरकार के 200 करोड़ रुपये आप खर्च करो। खर्च करके फिर इस पक्ष में बैठने वाले और उस पक्ष में बैठने वालों को सब को लेकर प्रधान मंत्री के पास जाओ कि हमारे पास टक्का नहीं

116

(श्री अमीन खां)

है और राजस्थान की जनता भूखों मर रही है। तो भारत सरकार देगी। जब आप 200 करोड़ रुपया खजाने में रखे बैठे हैं तो भारत सरकार तो कहती है कि राजस्थान में कोई तकलीफ नहीं है, आराम ही आराम है ...

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये माननीय श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री अमीन खां : मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी भी ग्रेवल सड़कें हैं उनका काम चालू किया जाये और दूसरे पीने के पानी के लिए और बाड़मेर जिले में कम से कम इस अप्रेल महीने में एक लाख मजदूर जब तक नहीं लगायेंगे आप रोजगार लोगों को मुहैय्या नहीं करा सकते। यह गलत बात है। जैसलमेर जिले में भी कम से कम 30 हजार मजदूर इस अप्रेल के महीने में लगाने चाहिए और यही बात कह कर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। वहां के लोग भूख से मर जायेंगे, पशु मर रहे हैं और पशु इसीलिए ही पलायन होकर पाकिस्तान जा रहे हैं। यह सरकार को तत्काल इन्तजाम करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सदन के अन्दर अकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। हमारे प्रदेश की भौगोलिक और शुष्क जलवायु के कारण अकाल और राजस्थान का नाम एक दूसरे का पर्याय बन गये हैं। हमारे प्रदेश में प्रति वर्ष अकाल दर अकाल पड़ना हमारी तकदीर बन गयी है। इसमें कोई शक नहीं कि कालान्तर से अकाल पड़ते जा रहे हैं परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, इन वर्षों के अन्दर पर्यावरण के अन्दर जिस तरह से दूषितता आई है उसको देखते हुए हमारे यहां अकाल ने अपनी छाया को और भी गहरा किया है और अकाल पीड़ित अकाल भी बढ़ा है। सबसे पहले हमें इस बात को देखना चाहिए कि इस अकाल के लगातार पड़ने और अकाल पीड़ित क्षेत्र बढ़ने का कारण क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 40 सालों से जिस तरह वनों की वैध और अवैध तरीके से कटाई अन्धाधुन्ध हो रही है और हमारी जो स्थाई वन सम्पदा थी उसका जितना ह्रास हुआ है उसका नतीजा यह निकला उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो इकालाजीकल सिस्टम था, जो इकालाजीकल साइकल थी वह बदल गयी है। या तो प्रदेश में बरसात नहीं होती और अगर बरसात होती है तो बेमौसम की बरसात होती है और इसका नतीजा यह निकाला कि हमारे प्रदेश के अन्दर जहां 80 प्रतिशत लोग बारानी भूमि पर खेती करते हैं और उसी पर जिन्दा रहते हैं, वह इस अकाल की छाया की गहरी पकड़ में आ जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए सबसे पहले, हमें इस चीज पर विचार करना चाहिए कि जिस तरह का वातावरण हमारे प्रदेश के अन्दर है उस वातावरण को देखते हुए हमें इस तरह की खेती की ओर किसानों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए जो कम बरसात के अन्दर भी खेती कर सकें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बार चूरू जिले के अन्दर तूम्बे की खेती हो इसके लिए उन्होंने बजट में प्रावधान रखा है और तूम्बे को प्रोत्साहन देने के लिए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बजट के अन्दर उन्होंने अपनी बात भी कही है। उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले के अन्दर बिना बोये तूम्बा इतनी मात्रा में होता है.... (व्यवधान)....मैं मेरी बात कह रहा हूं आपको तकलीफ क्या हो रही है ? आप बैठे रहें।....उपाध्यक्ष महोदय, बिना बोये हजारों मन चूरू जिले के अन्दर तूम्बा होता है। अगर इसकी विधिवत रूप से किसान खेती करने लग जाये तो मैं सोचता हूं कि किसान को लड़ने का हथियार राज्य सरकार देगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक मांग जरूर करना चाहूंगा कि किसान को तूम्बे की खेती के बाद उसको मण्डी मिल जाये और तूम्बे पर आधारित कोई उद्योग अगर चूरू जिले में स्थापित हो जाये तो शायद जो हर साल अकाल की पकड़ में आने वाले किसान को, उस चूरू जिले के किसानों को कुछ राहत मिलेगी। परन्तु माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि अकाल के काम जल्दी खुलें। अकाल पीड़ित लोगों को रोजगार मिले। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि हमारे प्रदेश के जो आर्थिक उपलब्ध साधन हैं उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। 9वें फाइनेन्स कमीशन के अन्दर जो व्यवस्था केन्द्रीय सरकार ने की है प्राकृतिक आपदा कोष बनाने की उसके अन्दर चाहे प्रदेश के अन्दर अकाल पड़े या नहीं पड़े केन्द्र सरकार अपनी तरफ से 91 करोड़ रुपये और 35 करोड़ रुपये राज्य सरकार के मिलाकर प्रतिवर्ष सरकार के पास 124 करोड़ रुपये के लगभग राशि होगी। एक तरफ तो यह राशि है। उपाध्यक्ष महोदय और दूसरी तरफ पूर्व में जो व्यवस्था थी जिसके अन्दर केन्द्र सरकार के प्रतिवेदन पर, राज्य सरकार के प्रतिवेदन पर, केन्द्र सरकार अपनी टीम भेजती है। टीम सर्वे करती और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को अकाल राहत कार्य चलाने के लिए सहायता मिलती। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1986-87 के अन्दर 249 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया और 1987-88 के अन्दर लगभग 948 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को दिये और उपाध्यक्ष महोदय, 1987-88 का जो एनुअल प्लान था उससे अधिक राशि केन्द्र सरकार ने मुहैय्या कराई। अगर यह राशि वास्तव में अकाल राहत कामों में लगती और इस राशि के माध्यम से अगर गांवों के अन्दर काम होते तो आज शायद गांवों के अन्दर कुछ विकास के काम भी नजर आते। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार के लेखा नियन्त्रण ने जो रिपोर्ट दी है उसके अन्दर उन्होंने यह माना है कि इन दो सालों में लगभग 59 परसेन्ट काम, जो दो सालों में राशि का उपयोग अकाल राहत कामों में हुआ है राजस्थान के अन्दर उसका 59 परसेन्ट राशि का दुरुपयोग हुआ है.... उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1986-87 में जो काम हुए उनमें मात्र 38 प्रतिशत काम पूरे हुए बाकी सारे काम अधूरे रह गये और इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, 1987-88 में जो काम हुए उनमें 50 प्रतिशत काम पूरे हुए। 87 में लगभग 68716 काम अधूरे पड़े हैं और 88-89 की आज की तारीख में कुल 1,15,270 काम अधूरे पड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है उपाध्यक्ष महोदय कि अकाल राहत के दौरान लोगों को मजदूरी मिली

(118)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और जो संसाधन हमें उपलब्ध हैं, चाहे वह पैसा भारत सरकार दे, चाहे राज्य सरकार दे वह पैसा है तो इस गरीब जनता का। उसका सही उपयोग हो, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इस पैसे के माध्यम से अकाल राहत काम के माध्यम से लोग अपना घर भरना शुरु कर दें। पूर्व में इसी तरह हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले चूरू में इस वर्ष जो पीछे के 6,213 काम ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं। कागजों में काम स्वीकृत हुए, कागजों में प्रारम्भ हुए और कागजों में ही समाप्त हो गये। इस तरह के काम हुए उपाध्यक्ष महोदय। एक सड़क बनी। इसमें यह सिद्धान्त नहीं था कि सड़क कहां छोड़ी जाय। सड़क बनी और न किसी गांव को इससे जोड़ा गया। छोटा-सा टुकड़ा बना और किसान को फायदा होने के बजाय उससे नुकसान यह हुआ कि जबरदस्ती किसान के खेत में बिना योजना के सड़क बना दी गयी इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत के दौरान जो भी काम शुरु हों उनको योजनागत कामों से जोड़ा जाय।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, इस बार जो पहले का एक्सपीरियंस हम लोगों को है, परिवहन अनुदान के नाम पर जिस तरह का घोटाला पहले की सरकार में हुआ और जिस तरह की चर्चायें पहले भी सदन में गूंजती रही हैं, उस पर भी हमें अंकुश लगाना चाहिए। हमारे चूरू में राजगढ़ में एक सर्वहितकारिणी सभा हुई। उस सभा ने यह कहा कि हम लोगों का हित करना चाहते हैं। अकाल में लोगों को सस्ता चारा मुहैया करायेंगे इसके लिए उन्होंने अपने प्रस्ताव सरकार को दिये और उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अचम्भे की बात है कि उन्होंने स्कूटर के नाम से, कार के नाम से, टैम्पो के नाम से परिवहन की सबसीडी उठाई और जेब में डाल ली। मैं तो बधाई देना चाहूंगा तत्कालीन अकाल राहत मंत्रीजी को उनके नोटिस में जब यह बात आयी तो उसकी उन्होंने जांच भी शुरू करवाई और उस संस्था को ब्लैक लिस्ट भी किया। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बार अकाल में जो भी काम हों उसमें सबसे पहले वही अधूरे काम हों जो पूरे प्रदेश में अधूरे पड़े हैं। उनकी एक सूची बनाई जाय और उनको योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके और उन्हीं कामों पर अकाल ग्रस्त इलाकों में काम किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर एक फोडर बैंक बनाना चाहिए। अकाल पड़े या नहीं पड़े, जब कभी भी जमाना हो तो एक फोडर बैंक अपने पैसे से राज्य सरकार चारा खरीद ले और उस सारे चारे को इकट्ठा कर के एक जिला स्तर पर फोडर बैंक बन जाय। जब कभी अकाल की स्थिति आये तो किसान को सस्ती दरों पर इस तरह का चारा उपलब्ध हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अकाल के दौरान जो सड़कों पर काम होता है उसमें लोगों को रोजगार तो मिलता ही है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परन्तु अगर अकाल में जो सड़क शुरू हुई उसमें नीचे का मिट्टी का काम अकाल राहत के दौरान हो जाय और उसी सड़क मैटीरियल के कम्पोनेंट कृषि उपज मण्डी दे दे और उसी सड़क को बाद में पी डब्ल्यू डी के माध्यम से डामरीकरण हो जाय तो लोगों को रोजगार की तो रोजगार और उनको स्थाई सुविधा गांव के लोगों को भी मिलेगी। इस तरह का मेरा सुझाव है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार ने गिरदावरी कराके पूरे प्रदेश में अकाल ग्रस्त गांव को चयनित किया है। जिस जिले से मैं आता हूं उसमें भी सरकार ने 900 के लगभग गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे जिले में भयंकर अकाल है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि अकाल राहत मंत्रीजी अपनी इस घोषणा में चूरू जिला, जो विषय भौगोलिक परिस्थिति में वहां के लोग जिन्दा रहते हैं, जीवट जरूर है लोगों में केवल अकाल की मार से वे लोग इतने टूट गये हैं कि उनके हाथों को काम की जरूरत है इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पूरे चूरू जिले को आप अकाल ग्रस्त घोषित करें और इसके साथ ही चूरु जिले में जो कुंए हैं, कुओं में अगर सरकार अकाल ग्रस्त कार्य के दौरान अगर कुओं में अनुदान देना शुरू कर दे तो कम से कम एक परिवार को पीने का पानी तो उपलब्ध हो ही जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पेयजल की बड़ी समस्या है। इस विषम परिस्थिति को देखते हुए चूरू जिले में अकाल ग्रस्त इलाके में कुओं में विशेष अनुदान देकर कुओं को गहरा कराना, नये कुए बनाना, इसमें आप किसान को सबसीडी दें तो उपयुक्त होगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल ग्रस्त इलाके में अकाल का काम सुचारू रूप से चले इसके लिए सतर्कता समिति बननी चाहिए जिसमें जन-प्रतिनिधि हों, तहसील स्तर पर जन-प्रतिनिधि हों, ग्राम स्तर पर जन-प्रतिनिधि हों। अगर अब पंचायतें एग्जिस्टेंस में नहीं हैं तो एक बार प्रशासक हो जाय उसके बाद जब भी चुनी हुई पंचायतें आये उसमें सरपंच हो क्योंकि हमारे इलाके में अकाल की घोषणा के साथ ही जिन लोगों के चेहरे चमकते हैं, जिस तरह की चर्चा है उसका निवेदन कर रहा हूं, लोग कहते हैं कि अकाल की घोषणा के साल ही एक तो कौआ बहुत खुश होता है क्योंकि अकाल से पीड़ित पशु मरते हैं उसको मांस भक्षण करने का मौका मिलता है और एक यह कन्जर, सांसी लोग हैं उनको सस्ती खालें मिलती हैं। इसके अलावा सबसे पहले खुशी कांग्रेस के लोगों को होती है क्योंकि उनको पहले का पुराना एक्स- पीरियंस है....

श्री हेतराम बेनीवाल : सत्ताधारी लोगों को खुशी होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फर्जी मस्टर-रोल भरना और अकालग्रस्त इलाके में अकाल के नाम पर खुद की जेब भरना। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल ग्रस्त इलाके में सतर्कता समिति बने और साथ ही माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी कृपया राजधानी का मोह छोड़ें और अकालग्रस्त गांव

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का, जहां वास्तव में अकाल से पीड़ित लोग हैं, दौरा करें, उनसे जाकर मिलें। आपको भी मालूम पड़ेगा कि अकाल से पीड़ित लोगों की किस तरह की दुविधा है। तो शायद आप उनसे बात करके या उस इलाके को देखकर आप उनको ज्यादा से ज्यादा राहत दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुढामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, विज्ञान ने बहुत तरक्की करली है और आदमी के जीवन को बहुत सुविधाजनक बना दिया है लेकिन यह सारी सुख-सुविधा मात्र सम्पन्न वर्ग को ही मिलती है। ग्रामीण तबका, गरीब तबका जो अधिकांश समय अकाल से प्रभावित, अभाव के दुष्परिणामों से ग्रसित रहता है वह तबका तो न केवल विज्ञान की देन ही अछूता है बल्कि वह तो ईश्वर की नजरों से भी ओझल और छिपकर अपनी जिंदगी जी रहा है। ऐसे उपेक्षित, जिसकी आजीविका, जिसका जीवन-यापन सौ फीसदी प्रकृति पर निर्भर है, आज अपने रोजगार के लिए, अनाज और पानी के लिए दर-दर भटक रहा है। उसके लिए विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। विज्ञान ने तो उसके इन जीवन-यापन के साधनों को प्राप्त करने में और जटिल और कठिन समस्यायें पैदा कर दी और इतना ही नहीं, एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने इस अकाल पीड़ित आदमी को ठगा ही है। ऐसे में स्वयं सेवी संस्थायें और कार्यकर्ता भी इस बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं चूके। फलस्वरूप यह अकाल का मारा, प्राकृतिक आपदाओं से दुःखी आदमी तो केवल सरकार की घोषणायें ही सुनता रहा है। मैं इस सरकार पर चार्ज लगाती हूं कि जुलाई-अगस्त, 1990 की बाढ़ अतिवृष्टि में उसने बाड़मेर की जनता के साथ न्याय नहीं किया और न ही इस बार की अकाल की परिस्थिति को वह गम्भीरता से ले रही है। मान्यवर, जब कभी हम अकाल राहत काम की बात करते हैं तो राज्य सरकार की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात को उठाते हैं कि भारी भरकम खर्चा पहले ही हो गया। स्थाई समाधान का प्रश्न खड़ा कर देते हैं। मान्यवर, स्थाई समाधान के लिए भी कुछ काम हुए। ड्रोटप्रोन एरियाज, प्रोग्राम बनाया गया, डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम हाथ में लिया, चारागाह विकास के काम हाथ में लिये, जवाहर रोजगार योजना चलायी, इस तरह के कुछ कार्यक्रम जरूर चलाये गये लेकिन इन सब कार्यक्रमों को आधे-अधूरे मन से किया गया और नतीजा यह निकला, वही ढाक के तीन पात। निरन्तर अकाल पड़ा और इस अकाल की दुर्भिक्ष में, अकाल में वही इन्सान फिर प्रशासन के सामने अपनी रोटी के लिए, पानी और अनाज और अपने पशुओं के लिए चारा और इसके साथ ही अपने लिए और अपना समय गुजारने के लिए रोजगार की भीख मांगता है प्रशासन के सामने। मैं इस बात को भी जानती हूं कि अकाल का स्थाई समाधान कोई जादू के डण्डे में नहीं है। यह कोई इतनी छोटी समस्या नहीं है कि आवास की समस्या है तो आपने मकान बना लिया और समस्या का समाधान हो गया। यह निश्चित रूप से बहुत मुश्किल काम है लेकिन इसके लिए इच्छा-शक्ति की आवश्यकता है। कुछ

(श्रीमती मदन कौर)

संकल्प करने की आवश्यकता है। मैं ऐसे स्थायी समाधान के लिये दीर्घकालीन जो कार्यक्रम लिये जा सकते हैं उनके सम्बन्ध में बाद में चर्चा करूंगी, पहले चूंकि लोगों की बहुत दिक्कतें हैं, मैं तत्कालीन प्रश्नों को उठाऊंगी और इसके साथ-साथ राज को क्या करना चाहिये, इस सम्बन्ध में भी अपने सुझाव आपके सामने प्रस्तुत करूंगी।

(3.21 म.प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति पदासीन)

इस साल की शुरूआत में पहले ही दिन माननीय मुख्य मन्त्रीजी देश के प्रधान मंत्री जी को लेकर बाड़मेर आये, जैसा कि वह खुद कहते हैं। उनको लाने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन था कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों की ठीक से व्यवस्था हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार हो और जो चीजें भेजी जाती हैं वह लोगों को ठीक से मिलें। आज तीन महीने बीत गये, तीन महीने के बाद भी न तो कोई अनाज की उपलब्धि में वृद्धि और न कोई इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की व्यवस्था। इसलिये, सभापति महोदय, मैं इस सरकार से मांग करती हूं, आपको कठिनाई क्या है अनाज लोगों को उपलब्ध कराने में? आप यह बार-बार आड़ लेते हैं कि भारत सरकार से हमें आवंटन पूरा नहीं मिलता। मान लीजिये, भारत सरकार आपको अनाज नहीं दे तो क्या लोगों को भूखा मरने के लिये आप छोड़ देंगे? आपका यह दायित्व है कि आप खुले बाजार से अनाज खरीदें और खरीदकर उसे सब्सिडाइज रेट पर लोगों को उपलब्ध करवायें। इसमें कठिनाई क्या है? आप प्रतीक्षा किस की कर रहे हैं? जो अनाज मिल रहा है, मिल रहा है। हम बारम्बार मांग कर रहे हैं, हमारे जिले में पिछली बार अतिवृष्टि हुई है और आप जानते हैं, जहां टीबों की जमीन है, जहां रेतीली जमीन है, अतिवृष्टि होने के बाद वहां बाजरा पैदा नहीं होता। पिछली साल अनाज नहीं मिला, इस साल हमारे यहां बरसात नहीं हुई, दो लगातार सालों में लोगों के पास अनाज नहीं है। मामूली चारा तो कहीं-कहीं है लेकिन अनाज कहीं नहीं है। इसलिये कम से कम दस किलो प्रति व्यक्ति अनाज आपको उन क्षेत्रों में उपलब्ध कराना चाहिये चाहे भारत सरकार से जो कुछ आवंटन मिले, आप खुले बाजार से खरीदें और सब्सिडाइज करके लोगों को उपलब्ध करायें। इसके लिये मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगी कि सम्पन्न वर्ग को आप यह चीनी, अनाज नियन्त्रित मूल्यों पर क्यों देते हैं? क्या आवश्यकता है इसकी? इसको बन्द किया जाना चाहिये। मैंने चार पांच दिन पहले एक अखबार में पढ़ा था, जयपुर के डी.एस.ओ. का एक बयान था कि जयपुर की कच्ची बस्तियों में दस किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्ध कराया जायगा। हमारे अकाल ग्रस्त क्षेत्र के लोगों का क्या कसूर है? आप उनको क्यों नहीं दस किलो अनाज उपलब्ध कराते? इन कच्ची बस्तियों के लिये क्या आपके पास भारत सरकार ने अलग से अलाटमेंट भेजा है? फिर यह अनाज कहां से आ जायगा? अगर यहां आप व्यवस्था कर रहे हैं तो मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है कि हमारे अकालग्रस्त क्षेत्रों में दस किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज

(श्रीमती मदन कौर)

हर हालत में दिया जाना चाहिये। साथ ही रोजगार के साधन की बात करना चाहती हूं। मैंने यह आपकी रिपोर्ट देखी है। आपने जो प्राथमिकताएं तय की है उसमें वही पहले अधूरे काम, सिंचाई के काम, वनों के काम और स्कूलें और कम्यु-निटी हाल बनाये, उसका है। मान्यवर, इसमें कोई लोगों को रोजगार तो नहीं मिलता है। जब प्राकृतिक आपदा है, लोगों के सामने रोटी और रोजी का सवाल है उसमें आपकी प्राथमिकताएं यह नहीं होनी चाहिये। प्राथमिकता होनी चाहिये, लेबर इन्सेंटिव काम आप खोलें और हमारे क्षेत्र में सड़कों के अलावा दूसरा कोई काम ऐसा नहीं है जो लेबर इन्सेंटिव हो सकता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं; आप बाड़मेर और जैसलमेर में खास तौर पर लेबर लगायें। मैं नहीं कहती कि आप कोई नयी सड़कें बनायें, पूर्व के अकाल राहत कामों में काफी सड़कें बनी हुई हैं उन सड़कों की देखभाल नहीं करने की वजह से आज ढेरों मिट्टी पड़ी हुई है। उस पर गाड़ियां नहीं चल सकतीं, आदमी नहीं चल सकते और पानी के टैंकर नहीं पहुंच सकते। फिर किस प्रकार की राहत आप पहुंचाने जा रहे हैं? इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो सड़कें पहले से बनी हुई हैं उन सड़कों को पुन: ग्रेवल की मजबूत सड़कें बनायें ताकि लोगों को मज-दूरी मिले और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के विकास के लिये एक रास्ता बने। सड़कें होंगी तो डाक्टर पहुंचेंगे, सड़कें होंगी तो आपके पी.एच.ई.डी. और बिजली बोर्ड के इन्जीनियर पहुंचेंगे और सड़कें होंगी तो आपके अफसर जायेंगे, प्रशासन जायगा, वहां व्यवस्था होगी। इसलिये आप हमें अगर रोजगार देना चाहते हैं तो अगले महीने में बड़ी संख्या में इन सड़कों की मरम्मत का काम हाथ में लें और कम से कम अप्रेल के महीने में एक लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करायें।

दूसरा, मैं निवेदन कर रही थी, मुख्य मंत्रीजी ने यहां यह बयान दिया कि भूख से किसी को नहीं मरने देंगे। सभापतिजी, इस सरकार की यह आदत पड़ गयी है और तकिया कलाम बन गया है कि भूख से नहीं मरने देंगे। कोई भूख से मरता है क्या? अकालग्रस्त क्षेत्रों का अगर पहले का अनुभव सामने रखें तब भी यही बात सामने आएगी की वहां भूख से लोग कम मरते हैं मरते हैं चिकित्सा के अभाव में। इसलिये आपको बयान यह देना चाहिये, आपको घोषणा यह करनी चाहिये कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति कुपो-षण और चिकित्सा के अभाव में नहीं मरेगा। मान्यवर, वहां खाने को लोगों के पास है नहीं, कुपोषण है। और जब कुपो-षण होता है, बीमारी फैलती है तो बीमारी एक तरह से महामारी का रूप धारण करती है। इसलिये आपके जितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं, मैं वस्तुस्थिति आपके सामने बताऊं, यह जितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, सारे खाली पड़े हैं, भवन बने हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मुझे निवेदन करना पड़ेगा कि हमारे यहां भयंकर स्थिति है और यह सैशन शुरू हुआ उसके पहले से हम एडजोर्नमेंट मोशन, काल अटेन्शन मोशन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महो-

(श्रीमती मदन कौर)

दय को निवेदन कर चुके हैं, इसलिये हमें पूरा समय दिया जाय।

तो मैं निवेदन यह कर रही थी, जितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, प्राइमेरी हैल्थ सेन्टर हैं वहां चिकित्सा की माकूल व्यवस्था होनी चाहिये और इसके अलावा भी चल चिकित्सा का प्रबन्ध भी इन अकालग्रस्त क्षेत्रों में आपको करना पड़ेगा। तीसरी बात, अनाज; रोजगार और उसके बाद पानी। पानी का इन क्षेत्रों में बहुत अभाव है। हमारे यहां कोई भूतल में भी बहुत बड़ी मात्रा में पानी नहीं है, कोई नहर नहीं, कोई बांध नहीं। इसलिये नल योजनाएं हमारी सुचारु रूप से चलनी चाहिये। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस रीजनल पाइप लाइन के साथ आठ गांव जुड़े हुए हैं, मान लीजिये, तो एक मात्र एक गांव में पानी पहुंचता है, वह भी कभी सात-आठ-दस दिनों बाद। तो पहला काम तो, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, आपको यह करना पड़ेगा कि जितनी पी.एच.ई.डी. की पाइप लाइन हैं, चाहे वह रीजनल पाइप लाइन हैं, चाहे वह गांव की पाइप लाइन हैं, वह पूरी तरह से पुख्ता रूप से चलें, बिजली मिले, व्यवस्थित रूप से चलें, आपका लाइनमैन ड्यूटी पर रहें, पूरे न्याय के साथ पानी का वितरण हो। इस बात की व्यवस्था आपको करनी होगी। आपने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि बाड़मेर जिले में 31 टैंकरों के माध्यम से 267 गांवों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब जिस तरह का व्यापक क्षेत्रफल हमारे यहां हैं, 31 टैंकर और सोर्स कितने दूर हैं? मुश्किल से एक टैंकर एक राउण्ड लगा सकता है। तो 267 गांवों की दुबारा कितने दिनों बाद बारी आती है। इसलिये यह पानी बहुत अपर्याप्त है, इसकी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और टैंकर लगाने पड़ेंगे, कोई ऊंट गाड़े लगें तो भी लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ जिन गांवों में सार्वजनिक कुएं हों, अगर मामूली सी रिपेयर के बाद में डीजल या इलैक्ट्रिक पम्पिंग सैट लगा कर वह चालू किया जा सकता हो, उस पर भी आपको विचार करना होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप 15 मिनट बोल चुकी हैं। सोचिये, 15 मिनट के हिसाब से अपने को तीन दिन भी कम पड़ेंगे। 86 आदमियों के बोलने का है। तो टेलीग्राफिकली जरा बोलिये आप टैंकर के नाम से ही काफी समझ जायेंगे मंत्रीजी।

श्रीमती मदन कौर : जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया है कि अकाल के दीर्घकालीन कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी अपने सुझाव मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं क्योंकि जब कभी अकाल राहत की बात आती है, आप यही सामने रखते हैं कि उस सरकार ने कहीं किया, स्थायी समाधान नहीं हुआ, इतना रुपया खर्च कर दिया। तो, मान्यवर, आपको अगर अकाल का समाधान करना है, स्थायी समाधान सम्भव नहीं है, केवल समाधान भी करना है तो सबसे प्रथम तो जहां भूतल में पानी है उस पानी को पुख्ता रूप से निकालने की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल लगाइये, लोगों का मार्गदर्शन करें ताकि लोग अपने खुद के कुएं लगाये और सिंचित खेती हमारे यहां

(124)

(श्रीमती मदन कौर)

हो सके। ऐसे कुओं को विद्युत कनेक्शन भी प्राथमिकता से दिया जाना चाहिये। आज हो क्या रहा है? जीवन धारा में कुएं बने हुए हैं वहां बिजली के कनेक्शन नहीं मिले। कोई लाभ नहीं मिला उसका। कहां है स्थायी समाधान? कहीं नहीं है। इसी के साथ साथ कम बरसात में शुष्क खेती के सम्बन्ध में अधिक शोध और अनुसंधान की आवश्यकता है। किस प्रकार की फसलें कम पानी में पैदा हो सकती हैं उसका भी पूरा प्रचार प्रसार करके आप उसको भी लोकप्रिय बनायें। पशुओं का स्वास्थ्य और नस्ल का ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे रेगिस्तानी जिले तो खेती से ज्यादा पशुपालन पर निर्भर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गोपाल योजना बनादी ना।

श्रीमती मदन कौर : अब गोपाल योजना से क्या कर लेंगे वह देख लेना खुद ही। इस पशुपालन के साथ साथ हमें चारा विकास की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। जब खाने के लिए मुंह तैयार करेंगे तो मुंह में देने के लिए भी कुछ चाहिए इसलिए पशुपालन के साथ साथ चारा विकास और चारा संग्रहण, की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहती हूं सभापति महोदय, कि मारवाड़ के समय में जब छोटा-सा सीमित राज्य था, सीमित साधन थे, उस सबके बावजूद वहां चारा संग्रहण की व्यवस्था थी और अकाल के समय लोगों को चारा मिल सकता था। हमारे यहां भी जब कभी बरसात आये, जैसलमेर के माननीय सदस्य बैठे हैं, वहां बड़ी मात्रा में सेवण पड़त जमीन में होता है। अब उस सेवण को कटवाकर उसका अगर स्टाक कर लिया जाये....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि 15-20 साल पहले भी यही स्थिति आयी थी और हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में आप इस बात का आज आश्चर्य करेंगे कि उदयपुर और चित्तौड़ ही नहीं बाड़मेर और जैसलमेर ने गुजरात तक को चारा यहां से भेजा है। तो चारे की हमारे यहां बड़ी संभावनाएं हैं। किसानों को पड़त और खातेदारी भूमि पर चारा लगाने और वृक्षारोपण के लिए भी सरकार की तरफ से धन और दूसरी टैक्निकल सहायता आपको देनी चाहिए। इसके अलावा लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने की भी जरूरत है। हमारे यहां चमड़ा, जूट, तुम्बा, ऊन, यह ऐसा कच्चा माल है कि जिस पर छोटे-छोटे उद्योग लगाये जा सकते हैं और इन उद्योगों को लगाया जाये तो लोगों को रोजगार मिल सकेगा। लेकिन यह सारे कार्यक्रम आप स्केटर्ड रूप से चलाना चाहेंगे तो उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप पूरा कॉर्डिनेशन बनाकर, समन्वित रूप से दृढ़ निश्चय के साथ अगर प्रोग्राम आप चलायेंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहां के अकालग्रस्त लोगों को अकाल का भार कम लगेगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती मदन कौर : मान्यवर, मैं एक मिनट में समाप्त करना चाहती हूं। क्योंकि बाड़मेर जिले की हमारी यह विशिष्ट परिस्थिति है। आजादी के पहले, विभाजन के पहले बाड़मेर जिले के आदमी बहुत

(श्रीमती मदन कौर)

सुखी थे। सिंचित क्षेत्र था। यहां मजदूरी पर चला जाता था और ही उन क्षेत्रों में काटन वीविंग फैक्ट्रीज थीं, दूसरी फैक्ट्रीज थीं और लोग वहां चले जाते थे लेकिन विभाजन के बाद, आजादी के बाद हमारा यह रास्ता तो बंद हो गया। अब न हमारे पास कोई दूसरे साधन हैं प्रकृति ने हमारे ऊपर प्रकोप कर हो दिया है। इसलिए सभापति महोदय....

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्रीमती मदन कौर : एक मिनट में ही खत्म करूंगी मैं।

श्री सभापति : 20 मिनट हो गये माननीय सदस्या।

श्रीमती मदन कौर : बाड़मेर जिले के स्थायी समाधान के लिए अगर माननीय मंत्री जी आप ईमानदार हैं तो मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगी। क्योंकि आप सिंचाई मंत्रीजी भी हैं, एक अतिरिक्त काम और इन्दिरा गांधी केनाल मन्त्री भी यहीं बैठे हैं, मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि इन्दिरा गांधी नहर का पानी जैसलमेर में जिस क्षेत्र में जा रहा है, वहां सिंचित खेती उपयोगी नहीं है। वहां जमीन में जिप्सम है। रेतीली जमीन है। आपकी नहरें मिट्टी से भरी रहेंगी और आबादी भी इतनी स्केटर्ड है, इसलिए इस इन्दिरा गांधी नहर के पानी का कुछ हिस्सा बाड़मेर जिले में डाइवर्ट किया जाना चाहिए और इसलिए नहीं कि हम कोई गेहूं या सरसों पैदा करना चाहते हैं, हम उस पानी से चारागाह विकास करेंगे, पशुपालन का धन्धा करेंगे पीने का पानी उपलब्ध होगा....

श्री सभापति : ठीक है।

श्री जितेन्द्र सिंह : यह तो न्यायोचित नहीं है।

श्री सभापति : अब आप विराजिये आप।

श्रीमती मदन कौर : इसलिए पीने का पानी उपलब्ध होगा हमें और....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती मदन कौर : भूतल में हमारा रिचार्जिंग होगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती मदन कौर : इसी के साथ-साथ सभापति महोदय, मैं तो आपसे एक और निवेदन करना चाहती हूं कि जैसलमेर जिले के लोगों को इन्दिरा गांधी कमांड क्षेत्र में जो प्राथमिकताएं मिलती हैं, वही प्राथमिकताएं हमारे बाड़मेर जिले के किसानों को भी भू-आवंटन में मिलनी चाहिए, अन्यथा इस जिले के पास कोई रोजगार के साधन नहीं हैं। सीमावर्ती क्षेत्र है, संवेदनशील इलाका है, इन परिस्थितियों को देखते हुए आपको बाड़मेर जिले के लिए रोजगार के, जैसा मैंने निवेदन किया, बड़े साधन उपलब्ध कराने चाहिए।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री फूलचन्द मीणा।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, आज अकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, इसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं। सभापति महोदय, मैं विशेष तौर से जन-

(श्री फूलचन्द मीणा)

जाति क्षेत्रों के अकाल के बारे में बयान करूंगा। जनजाति क्षेत्रों में इस प्रतिवेदन में जिन जिन क्षेत्रों को अकाल ग्रस्त होना घोषित किया है। मेरे ख्याल से उसकी गिरदावरी रिपोर्ट का क्या पता क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरा सलूम्बर जो क्षेत्र है, उसमें जहां पेटा एरिया है जयसमन्द का, वहां भयंकर अकाल है। यहां न चारा उपलब्ध है, न ही कोई ऐसी व्यवस्था है, जिससे कि लोग अपनी जीविका चला सकते हैं और जनजाति क्षेत्र में प्रतिवर्ष ही चाहे अनावृष्टि हो, चाहे अतिवृष्टि हो, वहां अकाल का प्रकोप रहता है। वहां की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति भी विकट है। ऊबड़ खाबड़ एरिया है, पहाड़ी एरिया है। कृषि जोत कम हैं और कम होने के साथ ही साथ वहां के लोगों में हमेशा भुखमरी और गरीबी फैली रहती है। इसलिए मैं अकाल मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उस एरिये में अस्थायी समाधान की योजना बनायी जावे। पूर्व सरकारों ने भी कहीं अकाल के टाइम में, हमेशा अकाल और कांग्रेस साथ साथ रही है और इन्होंने राजनैतिक आधार पर ही कार्य संचालन किया। सुनियोजित योजना से यह कभी भी इन जातियों को ऊपर नहीं लाये। विकास के लिए कभी पूर्ण संवेदनशील होकर कार्य नहीं किये। छोटी छोटी जोत होने से वहां के आदिवासी जनजाति लोग सेठ साहूकारों के चंगुल में रहते हैं। इस गरीबी के कारण भी वह हमेशा अकाल से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उन पर विपदाएं आती रहती हैं। सुख तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। उसके लिए शिक्षा का परसेण्टेज हमेशा कम रहा है। माननीय सदस्या चिकित्सा के लिए जो बयान कर रही थीं, मैं उसके बारे में निवेदन करूंगा कि इस एरिये में निशुल्क चिकित्सा पूर्ण रूप से उपलब्ध करायी जाये, अन्यथा वहां भी बीमारी से महामारी फैलने का डर है। सभापति महोदय, जब से यह सरकार सत्तारूढ़ हुई है, तब से दो वर्ष तो अतिवृष्टि हुई और लोगों में यह भावना बनी थी कि भैरोंसिंह की सरकार और अतिवृष्टि, कांग्रेस सरकार और अकाल। लेकिन प्रकृति पर कुछ वश नहीं होता। दुर्भाग्य से इस बार अकाल पड़ा है। जो डेवियेशन रेनफाल का दिया है, वह बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, बांसवाड़ा में 10 प्रतिशत, चित्तौड़ में 5 प्रतिशत, डूंगरपुर में 11 प्रतिशत और उदयपुर में 4 प्रतिशत, लेकिन उदयपुर के धरियावाद, लसाड़िया और सलूम्बर जैसे क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया है। तो इन डेवियेशन के आधार पर जब बांसवाड़ा, डूंगरपुर पूरा और चित्तौड़ के दो प्रतापगढ़ और अरनोद, जो जनजाति क्षेत्र में आते हैं, उनको घोषित किया है तो मैं मांग करूंगा कि लसाड़िया और सलूम्बर को भी पूर्ण रूप से अकालग्रस्त घोषित किया जाये और उसको अभाव ग्रस्त में लेकर सारी सुविधाएं दी जायें। अब की बार जो गिरदावरी रिपोर्ट आयी है, उस गिरदावरी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि पानी, वर्षा औसत अच्छी हुई है, मैं भी मानता हूं कि अच्छी हुई। क्योंकि पानी अधिकबरसा। ज्यादा आया और ज्यादा चला गया। सारी फसलें चौपट हो गई। किसी तरह से लोगों को खाने का अनाज भी मुहैया नहीं हुआ है तो मेरा सरकार से आग्रह है कि अधिक से अधिक वहां रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायें और

(श्री फूलचन्द मीणा)

जो टास्क बेसिस पर काम चलाये जा रहे हैं, वह जब अकाल से पीड़ित हैं, आदिवासियों में गरीबी है, भुखमरी है, ऐसी हालत में टास्क बेसिस पर न रखकर उनका पूरा पेमेण्ट 22 रुपये की रेट से दिलवाया जाये, अन्यथा जो हमारा तात्पर्य है कि आप आदिवासी क्षेत्रों में काम करा रहे हैं, योजना चला रहे हैं। योजना का मकसद जितना परसेण्टेज में काम करेंगे, उसी आधार पर उनको 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, से काम नहीं चलेगा, उनको पूरा प्राइस दिलवाना चाहिए। टास्क बेसिस का सिद्धान्त नहीं टलना चाहिए। जैसा चिड़ावा से पधारे हुए माननीय सदस्य ने कहा था कि जो सरकार ने सराहनीय कदम उठाये उसके लिये मैं स्वागत करता हूं। ऐसे अकाल राहत मन्त्री भलीभांति जानते हैं पिछड़े वर्ग से आये हैं। अभी इन्होंने प्रत्येक जिले में 20–20 हजार लेबर लगायी, मैं इससे भी अधिक मांग करूंगा कि वहां करीब एक लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाय और जो कुए लिये हैं जिनमें अधिकतर की हालत बहुत खराब है। तो उन कुओं को पूरा किया जाय। सम्पूर्ण जितना भी पैसा लगे, उसकी निर्धारित राशि नहीं करके पूरा पैसा लगा कर उसे पूरा किया जाय ताकि अकाल की समस्या का समाधान हो सके। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डाले। उन्हें समाप्त करने दें।

श्री फूलचन्द मीणा : पेयजल के सवाल पर जो हैण्ड पम्प जन जाति क्षेत्र में खराब पड़े हैं 50 से 60 पर्सेण्ट उनको अविलम्ब ठीक कराया जाय या जो भी कार्यवाही की जानी है अविलम्ब कराया जाय ताकि पेयजल की समस्या दूर हो सके। आज वहां पर बरसात नहीं होने से गाय-बैलों को भी पानी की समस्या पैदा हो रही है। मेरे सलूम्बर क्षेत्र में झाबड़ापाल, खरका, सराड़ी खेरा, गोड़वालिया और करावली, मैथूणी, इटाणा आदि पंचायतों में अत्यधिक अकाल है क्योंकि नीचे तो सिंचित एरिया है इसलिये मैं विशेष तौर से मांग नहीं कर रहा हूं पर इस क्षेत्र में भयंकर अकाल है फसलें आधी से ज्यादा नष्ट हो गयी इसलिये इस एरिया में अधिक से अधिक काम कराये जाय। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बिरधाराम चौधरी।

श्री बिरधा राम चौधरी (मकराना) : सभापति महोदय, अकाल की चर्चा हो रही है उस पर मैं मेरे विचार व्यक्त करूंगा। अभी पश्चिमी राजस्थान से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखें। नागौर जिला भी पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है और पश्चिमी राजस्थान में 3/4 भाग पश्चिमी राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी और 2/5 भाग पूर्वी दक्षिणी राजस्थान का भाग है और जो पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग है वह करीब करीब मरुस्थलीय एरिया है। इस एरिया के अन्दर काफी भयंकर अकाल की समस्या पैदा होती है। सभापति महोदय, जो पिछले सत्र में बुलाया गया था उसके अन्दर अकाल की चर्चा हुयी थी और अकाल की चर्चा के अन्दर विशेष तौर से इस अकाल के मुद्दे को बताया था और मैंने यह निवेदन किया था कि नागौर जिला

(श्री बिरधा राम चौधरी)

अकाल की चपेट में है और आज ही इसको अकाल ग्रस्त घोषित करके इसमें राहत कार्य शुरु कराये जाय। सभापति महोदय, 15-9-1991 को यह आदेश दिया गया कि मौके पर जाकर गिरदावरी को जाय और गिरदावरी में अभावग्रस्त गांव हैं वहां पर अकाल राहत कार्य शुरु किये जायं। उसके बावजूद डेगाना से आने वाले माननीय संदस्य ने एक तारांकित प्रश्न रखा था और उसका जवाब 31 तारीख को आया और उसमें बताया गया था कि नागौर जिले में अभी तक एक भी गांव को अभाव ग्रस्त घोषित नहीं किया गया। तो यह स्थिति है। गत सितम्बर के अन्दर ही गिरदावरी करा लेनी थी और गिरदावरी के बाद में पश्चिमी राजस्थान का नागौर जिला ऐसा है, बाड़मेर को छोड़कर उसका नम्बर दो है। जिसमें 1302 गांव हैं और उन 1302 गांवों को आज अप्रैल के अन्दर अभावग्रस्त घोषित करना यह वहां की जनता के साथ भारी अन्याय है। इस सरकार ने वहां पर एक भी मजदूर अकाल के नाम पर नहीं लगाया। सभापति महोदय, जो जवाब दिया गया, जो प्रगति विवरण पेश किया गया है उसमें बताया गया कि नागौर जिले के अन्दर तीन हजार लेबर लगा रखी है लेकिन मैं आपको आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि अकाल राहत के नाम से एक भी लेबर वहां पर लगायी हुयी नहीं है। अप्रैल के अन्दर वहां पर 10 हजार मजदूर की बात कह रहे हैं सभापति महोदय, 10 हजार मजदूरों की बात करते हैं और वह भी अप्रैल के अन्दर और 1302 गांव अभावग्रस्त घोषित है। इसका मतलब एक गांव के अन्दर 7 मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जायेगा। तो एक गांव के अन्दर 7 मजदूर लगाना पूरे जिले के हिसाब से तो यह हास्यास्पद बात है और यह इस सरकार की अभावग्रस्त गांवों के लोगों को रोजगार देने की कोई भी बात नहीं होगी। सभापति महोदय, मैं मेरी पंचायत समिति और विधान सभा क्षेत्र परबतसर है उसमें टोटल 229 गांव है और 229 गांव पूरे के पूरे अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। जो आपकी रिपोर्ट है, इसका मतलब यह है कि शतप्रतिशत गांवों के अन्दर अकाल है और 229 के अन्दर 60 गांव ऐसे हैं जिनमें 75 से 100 प्रतिशत खराबा है और आज भी उन गांवों में एक पैसे का अनाज नहीं हुआ। तो वहां पर अप्रैल के अन्दर मजदूर नहीं लगाना और रोजगार मुहैया नहीं कराना यह वहां की जनता के साथ अन्याय है। वहां की जनता की क्या स्थिति होगी, पशुओं की क्या स्थिति होगी? नागौर जिले में नागौरी नस्ल के बैलों के नाम से प्रसिद्ध है। यदि वहां पर चारा उपलब्ध नहीं कराया गया तो नागौरी नस्ल की गायें-बैल समाप्त हो जायेगी और जो इतिहास के अन्दर प्रसिद्ध बैल हैं उसकी क्या स्थिति होगी। आज पशु दर दर भटक रहे हैं चारे के अभाव में। आज तक किसी भी तरह के वहां पर कोई कार्य शुरु नहीं किये गये। जो जवाब दिया गया है उसमें लिखा है, तारांकित प्रश्न के अनुसार 8 हजार 500 श्रमिक

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अभी तो मैंने शुरू ही किया है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप अपनी बात जल्दी संक्षेप में कह दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, जहां अकाल पड़ा हुआ है, बीकानेर में लोग मर रहे हैं, गायें मर रही हैं, वहां के लोगों को, माननीय सदस्यों को विशेष समय दीजिये, उनको मौका दीजिये।

श्री सभापति : वह सही है। आप बिराजें। वह सक्षम है, अपनी बात कह रहे हैं।

श्री बिरधाराम चौधरी : आपके सामने मेरे पास यह लिस्ट है जिनके अन्दर 75 से 100 पर्सेण्ट तक खराबा है और आज एक भी मजदूर वहां लगाया हुआ नहीं है। इसके अन्दर मेरा यह कहना है कि दो-तीन तरह से अकाल की स्थिति पैदा होती है, प्राकृतिक आपदा है सरकार के बस की बात नहीं है लेकिन इसको रोका भी जा सकता है यदि सरकार प्रिकोशन करें और पहले से ध्यान रखे तो उसमें काफी हद तक रोका जा सकता है। जैसे मेरे 40 गांव हैं मकराना के अन्दर उन 40 गांवों के अन्दर एक कातरा प्रकोप हुआ और हमने हाथों हाथ इतला दी जिलाधीश को, सरकार को कि वहां पर भयंकर कातरा हो गया जो फसल को नष्ट कर देगी। सभापति महोदय, कातरा हुआ जुलाई के प्रथम सप्ताह के अन्दर और कातरें की मियाद होती है 26-27 दिन की और सरकार ने पैसे मन्जूर किये अगस्त के अन्दर और 10 सितम्बर तक एक भी पैसे की दवा गांव में बिकी नहीं। तो ऐसी चीजें भी हैं यदि समय पर सरकार ध्यान देती तो वहां पर करीब 40 गांवों के अन्दर खराबा 75 से 100 पर्सेण्ट बताया है वह 50 प्रतिशत कम आ सकता था लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है अकाल है सब जगह एकदम इतना पैसा मन्जूर नहीं कर सकती लेकिन जब सरकार को सूचना दे दी, जहां पर 75 से 100 पर्सेन्ट अकाल है और वहां पर चारे की स्थिति भयंकर है वहां पर आज तक चारे का डिपो नहीं खोला है। आप एक भी जगह बता दीजिये। जैसे बाड़मेर, जैसलमेर के लिये खादी ग्रामोद्योग पर पैसे खर्च करने की बात कही जाती है वह भी नहीं किया गया और जो प्राथमिकताएं तय की गयी हैं, सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कुछ इनको प्राथमिकताएं तय करनी चाहिये और वह भी क्षेत्र के हिसाब से लागू करनी चाहिये कि कौन से क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है। जैसे मकराना क्षेत्र है, नागौर जिले का क्षेत्र है। वहां पर सड़कों का अभाव है और आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि मकराना के हर गांव को या पंचायत समिति मुख्यालय को सड़कों से जोड़ दिया जाय तो हमारे यहां पर कोई भी मजदूर बाहर से लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका कारण यह है कि मकराना एक औद्योगिक क्षेत्र है और मकराना के अन्दर बाड़मेर और जैसलमेर जैसे बाहर के इलाकों से मजदूर आते हैं, वहां पर रोजाना 15-20 हजार मजदूर लगते हैं। सड़कों के अभाव के कारण मकराना के जो दूर दराज के गांव हैं वहां से मजदूर रोजाना आकर मकराना में काम नहीं कर सकते। इसलिये मेरा यह विशेष निवेदन है मंत्री महोदय से कि नागौर जिले के अन्दर काम कराये जाय और उसमें प्राथमिकता तय कराये। तालाबों का, पक्के काम स्कूल भवनों का....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। बहुत से लोगों को बोलना है....

श्री बिरधाराम चौधरी : सभापति महोदय, मेरे से सेन्टपर्सेण्ट गांव अकाल की चपेट में है.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, इस तरह से जो 10 बजे तक ही समाप्त नहीं होगा....

श्री सभापति : समय जाया नहीं करें। प्लीज। कृपया जारी रखें।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमारे यहां पर ऐसी स्थिति है। मकराना हमारा क्षेत्र है, नागौर जिला सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। तालाब को छोड़कर दूसरे कामों को स्वीकार करें और सड़कों को प्राथमिकता दी जाय। यदि सड़कों से जोड़ा जाय तो वहां की समस्या ज्यादा दूर हो सकती है।

दूसरी बात बताऊं कि हमारे मकराना के अन्दर, नागौर जिले के अन्दर जो परबतसर तहसील है, उसमें पानी की कमी है, अकाल नहीं होता है तो भी पानी कई जगह नहीं मिलता है। वहां पर पानी खारा है पानी की भयंकर समस्या है इसलिए अकाल में दूसरे नम्बर पर पेयजल समस्या को लेना चाहिए। जो पानी की योजना बनी हुई है उसको सुधारा जाय। दूसरा जो पहले की पेयजल स्कीम है जो 150 गांवों को पानी देती है उसकी हालत जीर्ण-शीर्ण हो गयी है तो अकाल राहत में जो कार्य शुरू करवाया जाय उसमें पानी की योजना को पहले लिया जाय।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो हमारा क्षेत्र है उसमें ढाणियां ज्यादा है। और उनकी आबादी 250–300 है। मैंने लिखकर भी दिया है कि 150 ढाणियां ऐसी हैं जिसमें पानी की समस्या भी रहती है और हर साल हमारे कांग्रेस के राज के अन्दर फरवरी के अन्दर और जनवरी के अन्दर पिवाई शुरू हो जाती थी। आज पानी के लिए वहां त्राही-त्राही मच रही है और आज तक पिवाई शुरू नहीं हुई है। इस पर प्राथमिकता दी जाय कि जहां पर पानी खारा है और पानी नहीं पहुंचता है तो स्थानीय स्रोत है उसके अन्दर पानी की व्यवस्था के लिए पिवाई की व्यवस्था करायें। दूसरी बात जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है ज्यादा रोजगार सड़कों से ही मिल सकता है।

श्री सभापति : यह सब बता चुके हैं। बहुत समय ले लिया।

श्री बिरधाराम : सभापति महोदय, कई काम ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं जैसे वन विकास का मामला है। जहां आप यदि नये सिरे से नहीं लेकर और पुराने वन है जो हमारा खेजड़ी का वृक्ष है, वहीं जड़ से काटा जा रहा है उस पर रोक लगा दी जाय तो बहुत है। अकाल राहत का पैसा सड़कों पर खर्च किया जाय। एक बात और है कि जो पहले अकाल राहत के काम हुए थे हमारे एरिया के अन्दर उसमें ज्यादातर कुएं स्वीकृत किये थे और 80 प्रतिशत कुएं अधूरे रह गये आजउनका कोई उपयोग नहीं है। जो अकाल राहत के कुएं थे उन कुओं को पुन: शुरू किया जाय और तालाब अधूरे हैं उन तालाबों को लिया जाये तो काम हो सकता है। जो

(श्री बिरधाराम चौधरी)

रोजगार की बात बतायी है । 10 हजार....

श्री सभापति : आप कह चुके हैं इस बात को, बाकी लोगों को बोलने दीजिए ।

श्री बिरधाराम : एक गांव के अन्दर 60 हजार मजदूर बताये । मेरा निवेदन है कि नागौर जिले में कम से कम 1 लाख मजदूर एक अप्रेल से लगाये और परबतसर तहसील है....

श्री सभापति : तीसरी बार कह रहे हैं इस बात को । कृपया समाप्त करें ।

श्री बिरधाराम चौधरी : आधा मिनिट । मेरा निवेदन है कि हमारी नांवा तहसील में सात-आठ गांव ऐसे हैं नारायणपुर, पालड़ी, सवाईपुरा, हरियाजून । उनके बीच के अन्दर एक नदी का बहाव है और उसके अन्दर मैंने पहले भी 295 दिया था कि वहां पर बांध बना दिया जाय । 5-7 गांवों के बीच में है यदि अकाल राहत के अन्दर उस बांध को स्वीकृत कर दिया जाय । टुकड़ों में कर दिया जाय तो 4-5 गांवों के लोगों को मजदूरी मिल सकती है और सात आठ गांवों के लिए स्थायी समाधान हो सकता है ।

श्री सभापति : माननीय सुश्री सुमित्रा आर्य । सुचित्रा आर्य । क्षमा करें । मैं क्षमा प्रार्थी हूं । सुचित्रा आर्य ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभी सुमित्रा बोलते हैं ।

एक माननीय सदस्य : सुश्री नहीं श्रीमती ।

श्री सभापति : सुश्री दोनों के लिए आता है ।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे नोहर क्षेत्र के बारे में, अकाल के बारे में बताना चाहूंगी । मेरे क्षेत्र नोहर के अन्दर, तहसील के अन्दर 32 गांव अकाल की चपेट में है और रावतसर में 65 गांव हैं और माननीय मंत्रीजी ने जो हमको यह विवरण पत्र दिया है उसके अन्दर कहीं भी नोहर का नाम नहीं है । पहले भी मंत्रीजी से निवेदन किया था कि मेरा क्षेत्र है वह गंगानगर में जरूर है लेकिन उसकी हालत बाड़मेर और जैसलमेर जैसी है । मेरे आस-पास बीकानेर और चूरू जिले के अन्दर राहत कार्य खोल दिये गये लेकिन वहां आज भी कोई कार्य नहीं खोला गया है । यहां तक कि इस विवरण पत्र में नाम भी नहीं लिखा गया है । यह तो यह मंजूर करते हैं कि उन्होंने शुरू में लिखा है कि 11 जिलों में अलवर, बीकानेर, बाड़मेर, बूंदी, धौलपुर, गंगानगर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, सीकर एवं सवाई माधोपुर में वर्षा सामान्य से कम रही है । तब जब कम रही है तो वह तहसील जो चूरू से लगती हुई है चूरू तारानगर से लगती हुई है, सरदारशहर के गांव लगते हुए हैं तो वहां अकाल क्यों नहीं है । इस तरह का भेदभाव क्यों कर रहे हैं । इस तरह का सौतेला व्यवहार करते हैं । इन्सान को जिन्दा रहने के लिए दो चीजें

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

बहुत अनिवार्य हैं अन्न और पानी । अन्न भी नहीं देना चाहते हैं, जिन्दा रहने के लिए । पीने के लिए पानी भी नहीं देना चाहते हैं तो आखिरकार यह सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों हटना चाहती है । क्या नोहर तहसील पाकिस्तान में चली गयी । एक मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि आप जाकर उस क्षेत्र का दौरा करके देखिए या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या मैं एम. एल. ए. से इस्तीफा दे दूंगी । वहां अकाल नहीं हो तो । लेकिन आप इस तरह की असत्य बात यहां हाउस में बैठकर करते हैं वह हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे । दुनिया के अन्दर दो ही ताकत है एक राम और एक राज । राम हमने कभी दुनिया में देखा नहीं और राज जो कर रहे हैं, गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं कभी महसूस करने की बात नहीं करते हैं कि नोहर क्षेत्र के अन्दर अकाल है । गंगानगर जिले में अगर हमारी तहसील है तो हमने कोई गुनाह कर दिया क्या ? वहां लोग नहीं हैं क्या ? वहां इन्सान नहीं क्या ? आप उनको खाने के लिए क्या दे रहे हैं राशन के दो किलो गेहूं एक महीने के अन्दर देते हैं । एक महीने में दो किलो गेहूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं इन अकाल राहत मंत्री को दे दूं । दो किलो महीने के गेहूं में अगर यह जिन्दा रह जांय तो । एक आदमी को दो किलो गेहूं देते हैं दो किलो गेहूं में एक आदमी का पेट भर सकता है ? नहीं भर सकता है । वहां की यह हालत है वहां न तो राशन का गेहूं पहुंचता है शहरों में ज्यादा दिया जाता है और गांवों के अन्दर गेहूं एक मेम्बर को दो किलो दिया जाता है । इस तरह का व्यवहार क्यों होता है ? यह आप लोगों के देखने की बात है लेकिन नहीं देखते हैं । इसलिए वहां की जनता के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप खिलवाड़ मत कीजिए । हम लोगों को भी उसी तरह देखिए जिस तरह से आप बीकानेर और चूरू को दे रहे हैं । इसलिए मैं मंत्रीजी आपको पहले भी दो लिस्ट आपके गवर्नमेण्ट के रिकार्ड है वह पेश किया है । मेरी तरफ से पेश नहीं किया है । आपके एस.डी.एम., तहसीलदार और पटवारी जो रिपोर्ट तैयार की थी वही मैंने आपको पेश की है लेकिन आज तक न आपको कोई चारे का डिपो खुलवाया न राहत कार्य खुलवाये जबकि पहले की सरकार थी तो न्यायसर, दूधसर, रतनसर के अन्दर एक सड़क चालू की जिसके अन्दर एक सड़क चालू की जिसके अन्दर लोगों को कम से कम रोजगार मिल जाता है । यदि उसको वापस चालू करवा दिया जाय तो वहां के लोगों को रोजगार मिल सकता है । चारे के बारे में बताना चाहती हूं ।

श्री सम्पतसिंह : उस सड़क को मत कराओ फिर अकाल पड़ जायेगा । नयी सड़क कराओ ।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : वहां चारे का भाव है । चने के चारे का भाव 100 रुपये प्रति क्विटल, बाजरे की कड़बी 140 रुपये प्रति क्विटल, तूड़े का भाव 125 रुपये प्रति क्विटल है । आप यह बताइये इस काल के अन्दर इतना महंगा चारा कोई भी किसान लेकर अपने पशुधन को बचा सकता है । 25 प्रतिशत वहां का पशुधन खत्म हो गया है । वहां के लोगों का केवल पशुओं के ऊपर ही जीवन आश्रित है, वह

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

खत्म हो जायेगा तो उनका जीना भी हराम हो जायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि आप जल्द से जल्द यह काम चालू करायें और हमारे यहां जो चना हुआ था उस चने की फसल में बीमारी लगने के कारण खत्म हो गया और सरसों में तेलीया लग गया आधे से ज्यादा सरसों खत्म हो गयी। कोई भी आसरा नहीं है कि वहां की जनता आगे भी अपना निर्वाह कर सके। इसलिए मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि वहां राहत कार्य जल्द से जल्द चालू करवायें। इन्हीं शब्दों के साथ-जय हिन्द।

श्री सभापति : Thank you very much. Short but comprehensive.

श्री सांवरलाल : (अनुपस्थित)

श्री देवेन्द्रसिंह।

(4 00 म. प.)

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : सभापति महोदय, प्रदेश में कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो तीन-चार चीजें ऐसी आवश्यक होती है जिससे गरीब इन्सान को बनाया जा सकता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पानी की सही व्यवस्था, मवेशियों के लिए घास, मजदूर के लिए एम्लायमेंट और उनके लिए मेडिकल फैसलेटी। लेकिन दुर्भाग्य इस सरकार का है और इस प्रदेश की जनता का है कि आज तक इन पांचों फैसलिटीज में से एक भी फैसलिटी ठीक ढंग से यह सरकार मुहैया नहीं करा सकी है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इफेक्टेड एरियाज में कितने स्थानों पर मेडिकल एड की व्यवस्था की, कहां आपने फोडर की दुकानें खोलीं, कहां आपने वाटर सप्लाई की दृष्टि से व्यवस्था की है? मेडिकल एड नदारद है। पानी का जहां तक सवाल है जितने हैण्ड पम्प लगे हुए हैं वह सब प्रायः सूख चुके हैं और जब अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि इसके पाइप कट गये और जब तक यह पाइप नहीं बदले जायेंगे, यह पानी मुहैया नहीं हो सकता। आखिर इन पाइपों को बदलेगा कौन? हमने उनसे कहा तो कहते हैं कि हमारे पास 300 मीटर पाइप पूरे जिले के लिए है, यह संभव नहीं है कि सबके लिए पूरा कर सकें। इस अकाल के समय में यदि प्रदेश की ऐसी स्थिति हो तो मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात प्रदेश की और हो नहीं सकती। जहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से आपको निवेदन किया है लेकिन यदि कल का इण्डियन एक्सप्रेस आपने पढ़ा हो और जो रिपोर्ट उन्होंने इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अभाव के सम्बन्ध में छापी है, तो आपकी आंखें खुल जाएगी। माननीय सभापति महोदय, इतना समय नहीं है कि मैं पूरी रिपोर्ट को पढ़ूं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे परिवार से आते हैं जिसने दुख और पीड़ा को समझा है। उस औरत और बच्चे और उस परिवार के ऊपर आप दया कीजिये जिसके सामने थाली है और उसमें रोटी नहीं है। मैं एक ही लाइन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपका उदयपुर का कलक्टर यह कहता है—

"During the reporters' recent visit to Udaipur the District

(श्री देवेन्द्र सिंह)

Collector said, there was not a day when the district supply officer was not gheraod and booed by the villagers of some parts of the district."

यदि आपका एडमिनिस्ट्रेशन यह कहता हो और उसके बाद भी आप यह कहें कि हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, हमारी व्यवस्था अच्छी है तो फिर मैं समझता हूं मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सभापति महोदय, जहां मैंने कुछ जनरल बातें कहीं वहां हमारे जिले के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है उसके सम्बन्ध में मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमारे जिले के 1656 गांव हैं और उसमें से 1440 गांवों के प्रभाव ग्रस्त होने की रिपोर्ट आई है। उसमें से 486 गांवों में 50 से 74 प्रतिशत खराबा है और 954 गांव 75 से 100 प्रतिशत खराबे के हैं। हमारी कुल जनसंख्या 3.42 लाख हैं और उसमें 12.33 लाख जन संख्या प्रभावित है। हमारा कुल क्षेत्र 2.70 हैक्टेयर है उसमें 2 16 हेक्टेयर प्रभावित है। उसके बाद भी जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी है भीलवाड़ा जिले का एक भी गांव आपने प्रभावग्रस्त घोषित नहीं किया है और कहा यह जाता है कि वहां पर सम्भवतया सामान्य वर्षा हुई है इसलिए इनको प्रभावग्रस्त घोषित नहीं कर सकते। माननीय मंत्री जी, मुझे पता नहीं कि आप खेती करते हो या नहीं लेकिन आपके परिवार के लोग जरूर खेती करते होंगे। यदि कहीं बरसात एक साथ गिर जाए तो उससे फसल नहीं पक जाती है। यदि बरसात कम भी हो और यदि पीरियडीकल रेन हो तो फसल पक जाती है लेकिन एक साथ यदि बरसात आ जाए और बाद में ड्राट पड़ जाए तो वह सारी बरसात आई, नहीं आई बराबर सी हो जाती है। जहां आप सामान्य वर्षा की बात करते हैं, हमारे जिले में जितने भी बांध हैं, चाहे वह मेजा हो, सरेड़ी हो, खारी हो, अड़वड़ हो, नाहरसागर हो उनमें से एक बांध भी पूरा नहीं भरा है। मुश्किल से काश्तकार को तालाब से एक पानी मिल पाया है और उसके बाद भी आप अगर कहें कि सामान्य वर्षा है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बात आपसे निवेदन नहीं करना चाहता, मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग आसींद और रायपुर तहसीलों में गये थे। वहां की बहुत ही खराब और दयनीय हालत है। और तहसीलों, हुरडा वगैरा की भी है, भीलवाड़ा की भी हो सकती है लेकिन मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की जनता बहुत उत्तेजित है, आन्दोलन करना चाहती है, भूख से पीड़ित है। कलक्टर साहब यह कहते हैं कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, जब तक सरकार मुहैया नहीं कराये, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने उनसे कहा कि असेम्बली चल रही है, हम लोग जा रहे हैं, 2 तारीख को अकाल की बहस है और हम ऐसा मानकर चलते हैं कि 15 तारीख तक उसमें कुछ गांव प्रभावग्रस्त घोषित होंगे और बहुत बड़ी तादाद में आप हमारे जिले में मजदूर लगायेंगे। मैं बड़ी तादाद की जहां बात करता हूं, मैं आपको पूर्व के कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं जिससे पहले अकाल की स्थिति में हमारे

(श्री देवेन्द्र सिंह)

जिले में मजदूर लगे हैं। माननीय मंत्री जी, अप्रेल में जब अकाल पड़ा हमारी आसींद तहसील में 20 हजार मजदूर थे, हमारे हुरडा तहसील में 18 हजार मजदूर थे, माण्डल में 17 हजार मजदूर थे, रायपुर में 15 हजार मजदूर थे, भीलवाड़ा में 12 हजार मजदूर थे। अन्य तहसीलों में भी इतने मजदूर थे लेकिन आज जब मैंने रिपोर्ट देखी तो कहीं तो आपने पांच हजार मजदूर लगा रखे हैं, कहीं दस हजार मजदूर लगा रखे हैं और मैक्सीमम बाड़मेर जैसे जिले में केवल 25 हजार मजदूर अप्रेल में देने की बात कही है। यदि बाड़मेर में आप 25 हजार मजदूर दोगे तो मैं समझता हूं भीलवाड़ा में 5 हजार ही पांती में नहीं आएंगे। बाड़मेर जैसी जगह के लिए आपका इतना कठोर हृदय है तो भीलवाड़ा जिले के लिए आपका दिल पसीज ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप बहुत गम्भीरता से लें। मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बात करने का आदि नहीं हूं। मैं एक ही बात, माननीय मेघवाल साहब, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कारण था कि मुख्य मंत्री जी ने इस विधान सभा चलने के सात दिन पहले आपको मंत्री बनाया। आप अपनी औकात को पहचानने की कोशिश करो। मुख्य मंत्री जी ने यह सोचा कि अकाल है, जनता पीड़ित है, एक ऐसे व्यक्ति को यह महकमा सौंपो जिसने गरीबी देखी हो, जो शोषित रहा हो और जो कुछ कर सकता हो, उसको यह सौंपा और आप इतनी भीड़ में से छट कर आये हो, यदि आप भी यह नहीं कर सके तो मैं समझता हूं कि आपका भी दुर्भाग्य और हमारा भी दुर्भाग्य है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 15 तारीख से पहले आप भीलवाड़ा जिले में कम से कम 50 हजार मजदूर लगाइये। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह आपके क्षमता की बात नहीं है कि आप सारे राजस्थान में घूमकर के अकाल की स्थिति का जायजा लें। आप कांग्रेस सरकार से कुछ सीखिये। हमारी सरकार ने जब अकाल पड़ा, राजस्थान मंत्रिमण्डल के जितने हमारे मंत्री थे सबको एक-एक जिले का इन्चार्ज बनाया और उनको यह कहा कि आप वहां जाकर स्थिति को देखिये और आपको पूरा अधिकार देते हैं जो कुछ स्थिति आप वहां देखते हैं उसके अनुसार आप वहां काम खोलिए और मजदूर लगाइये और वहां की पीड़ित जनता को राहत दीजिये। यदि आप यह करेंगे तब तो मैं समझता हूं कि यहां पर राजस्थान में अकाल की दृष्टि से कुछ हो सकेगा वरना आप अकेले घूमो तो आपको दो महीने तो सारे राजस्थान में घूमने में लग जायेंगे, फिर बरसात आ जाएगी और अकाल खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप गम्भीरता से इस बात को लें। अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आडिटर जनरल की रिपोर्ट में बहुत गड़बड़ हुई और फलाना हुआ, पता नहीं क्या-क्या कह गये। आडिटर जनरल तो एयरकन्डीशन में बैठकर रिपोर्ट बनाते हैं। उनको भेजो उस चिलचिलाती धूप में, बाड़मेर की रेत में और वहां खड़ाकर के उनको पूछो जो मजदूर दो-दो आने, चार-चार आने, एक-एक रुपया चुकारा कराते हैं। आडिटर जनरल साहब को वहां भेजकर पता कराओ कि काम कैसे होता

(श्री देवेन्द्र सिंह)

है । तब उनको पता लगेगा । एयरकन्डीशन में बैठकर रिपोर्ट देने से काम नहीं चलता । पीड़ित लोगों पर थोड़ा दया करो । अपने आप का मन थोड़ा पसीजाओ। आप कहते हो भारत सरकार पैसा नहीं देती, पैसा तो जो आप के पास है उसको खर्च करो। यह कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसको लाकर यहां गाड़ दो, कोई सेठजी की दुकान तो है नहीं, यह तो एक वैलफेयर स्टेट है उसमें जितनी पैसों की कमी आपकी होगी, हम आपको दावे के साथ कहते हैं.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भैरोंसिंह जी की दुकान है ।

श्री देवेन्द्र सिंह : भैरोंसिंह जी ठाकुर हैं, उनकी दुकान तो हो नहीं सकती । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके फूड कमिश्नर ने यह कहा है कि हमको अनाज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है । अभी कुछ दिन पहले कुछ माननीय सदस्यों ने आपके फूड मिनिस्टर साहब से एक प्रश्न पूछा था कि आपको किस-किस महीने में कितना-कितना अनाज मिला था और आपने कितना-कितना उठाया । एक भी महीना ऐसा नहीं बताया कि उन्होंने पूरा अनाज उठाया हो जो गवर्नमेंट ने अलाट किया हो और आप कहते हो कि हमें अनाज नहीं मिलता । जो अलाट शुदा अनाज आप उठा नहीं सकते तो गवर्नमेंट आपको वहां से कहां भेज देगी । मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपको जितना अनाज चाहिये भारत सरकार, नरसिम्हाराव की सरकार आपको देगी लेकिन आप कुछ करो तो सही । आप तो हाथ पर हाथ धरकर बैठे हो कहीं तीन किलो अनाज दे रहे हो, कहीं दो किलो अनाज दे रहे हो और अभी जैसा माननीय सदस्या कह रही थी....शहर से तो आप घबराते हैं, डरते हैं कि आन्दोलन हो जाएगा, घेराव हो जाएगा । वहां तो 10–10 किलो छूट । चाहे आदमी को आवश्यकता है कि नहीं है; इसकी भी आप चिन्ता नहीं करते । आप पर्याप्त मात्रा में 10–10 किलो अनाज शहर में दे रहे हैं और गांवों में लोगों को 2–2 किलो अनाज भी नहीं मिल रहा है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आप फर्क डालिये, इन राशन कार्ड्स को स्ट्रीमलाइन कीजिए । जिन लोगों को आवश्यकता हो उन लोगों को राशन कामोडिटीज दीजिए । आप और हम जैसे लोगों के लिए राशन बन्द कर दीजिए । कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तीन महीने में । लेकिन गरीब आदमी के लिए आप यदि अनाज और असेंशल कामोडिटीज मुहैया कराएं तो वह इस मुश्किल के समय को निकाल लेगा और इस बीच जिन्दा रह जाएगा, वर्ना यह समय निकल जाएगा । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत गम्भीरता से विचार करके भीलवाड़ा जिले में 15 तारीख से पहले अभावग्रस्त घोषित करके कम से कम 50 हजार मजदूर लगाकर वहां राहत पहुंचाइये । वर्ना जो आन्दोलन होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी और आपकी सरकार की होगी । धन्यवाद ।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री मनीराम ।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, आज अकाल

(श्री मनीराम सियाग)

पर चर्चा चल रही है। आपकी सरकार ने काफी समय लगाकर सर्वे कराकर बड़ी मुश्किल से 22 फरवरी को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किये। मान्यवर, मैं तो आपके माध्यम से अर्ज कर देना चाहता हूं कि मारवाड़ी में एक लोकोक्ति बनी हुई है उस हिसाब से सर्वे कराने की आवश्यकता ही नहीं है। बुजुर्गों ने कहा है :

"पग पूगल सिर सिरोही पेट बीकानेर
भूल्यो चूक्यो जोधपुर और ठावो बाड़मेर।"

तो आप तो इस हिसाब से पहले ही मान लेते कि यहां तो अकाल है ही। मेरा कहने का अर्थ यह है कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा बीकानेर में हुई है जिसका सूचकांक मात्र 64 है। उसकी वजह से 72 प्रतिशत कमी रही है। बांसवाड़ा जिले में सबसे अधिक वर्षा हुई है, जिसका 974 सूचकांक है और 10 प्रतिशत अधिक रहा है। लेकिन, मान्यवर, यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि अधिक वर्षा होने से अकाल का कोई मापदण्ड नहीं है। यदि एक साथ भारी वर्षा हो गयी तो उससे हमारी शुष्क खेती पागने वाली नहीं है। थोड़े-थोड़े समय के अन्तराल से 5-6 बार अगर बारिश हो तभी हमारी शुष्क खेती जो वर्षा पर निर्भर है, पाग पाती है अनाज हो पाता है। चूंकि समय का अभाव है इसलिए मेरे क्षेत्र पर ही मैं मेरे विचार प्रकट करना चाहूंगा। विशेषकर बीकानेर जिले के बारे में।

मान्यवर, बीकानेर जिले में मैंने तो नहीं देखा, जब से मेरी समझ है। एक संवत् 2013 का जमाना था, संवत् 31-32 का जमाना था, संवत् 38-39 का जमाना था और एक आपके संवत् 45 का. बाकी अकाल ही अकाल रहा है। संवत् 2043 में तो, 1987-88 का तो इतना भयंकर अकाल, जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मान्यवर, ऐसे अकाल पीड़ित क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अकाल राहत मन्त्रीजी जा रहे हैं।

श्री सभापति : जा नहीं रहे, आपके पास आ रहे हैं।

श्री मनीराम सियाग : मेरा निवेदन है कि विधान सभा सत्र चालू होने के तुरन्त बाद 25 तारीख को जिला कलक्टर महोदय ने मात्र कार्य स्वीकृत करके सूची जारी कर दी। माननीय कल्ला जी तारांकित प्रश्न में भी उन्होंने मजदूरों की संख्या गिना दी। माननीय सभापति महोदय, वह संख्या तो मात्र स्वीकृति की है। मौके पर मैं आपको अवगत करा दूंगा। मेरे क्षेत्र में मात्र 2 जगह काम चल रहे हैं सड़कों के। एक गालदेसर से करणीसर, जिस पर मात्र 15 मजदूर लगे हुए हैं और एक मेरा खुद का गांव शेरपुरा जहां इन्होंने मेहरबानी की है और 50 मजदूर लगाये हैं। और कहीं भी सड़कों का काम नहीं खोला है। जो सड़कों के कार्य खोले भी हैं वे भी दोषपूर्ण हैं। पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से जितने भी कार्य कराये जा रहे हैं उसमें अगर ग्रेवल सड़क मंजूर है तो पहले गांधला खुदाई पर मजदूरों को लगाते हैं। ऐसे-ऐसे गांवों में भी सड़कें मंजूर हुई हैं जहां काफी-काफी दूरी में गांधला उपलब्ध नहीं है। केवल सड़क मंजूर करके आपने लेबर गिना दी है। इससे कोई मतलब हल होने वाला नहीं है। अगर आप वास्तव में राहत देना चाहते हैं,

(श्री मनीराम सियाग)

खादी मन्दिर के माध्यम से कातिनों को गिना दिया कि 9200 कुछ कातिनें सूत-ऊन कात रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कतियारी।

श्री मनीराम सियाग : कातिनें, कतियारी। उनको जो रोजमर्रा की सुविधा घर में पालन-पोषण के लिए मिलनी चाहिए, श्रम के बदले में उतना भी पैसा नहीं जुटा पातीं। उनको मात्र 2-3 रुपये प्रतिदिन ही उपलब्ध होते हैं। अगर खादी मन्दिर के माध्यम से ही कार्य कराना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं है। आप इसमें सूत भी कतवाइये। गांव में बुजुर्ग लोग ढेरे कातते हैं, माचों के बान बुनते हैं वह बनवाइये, रस्सी उनसे बंटवाइये। और जो भी कार्य हैं, बोरे बुनवाइये, काश्तकारों के जमींदारे में काफी काम आते हैं। यह काम आप करिये। मेरा बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव है।

दूसरा, भू-संरक्षण कार्य के बारे में मैंने पिछली अकाल की चर्चा, पिछले सैशन में भी कहा था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भू-संरक्षण कार्य करवाइये। उससे एक तो रेतीली जमीन में भू-कटाव रुकेगा और काश्तकार अपने खेत में मेड़बन्दी करेगा तो उससे खाद भी लगेगी। दूसरा मेरा निवेदन है वितरण व्यवस्था के बारे में। वितरण व्यवस्था पर अलग से चर्चा है, तब विस्तृत चर्चा करेंगे। वह भी दोषपूर्ण चल रही है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

तीसरा मेरा निवेदन है, हमारे यहां आपने डेयरी के माध्यम से सस्ते चारे पर अनुदान उपलब्ध कराया है एक रुपए प्रति किलो और एक पशु को दो किलो प्रति दिन के हिसाब से।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूं कि चारे की जो आपने सब्सिडी दी है वह चारे की क्वालिटी बिल्कुल गिर गयी है क्योंकि यह चारा डेयरी फैडरेशन के माध्यम से है। इतना घटिया किस्म का वह चारा बनने लगा है कि जो आपकी सब्सिडी है वह तो ऊपर की ऊपर चली जाती है और उस कीमत में तो आप बाजार में भी ले सकते हैं। यह तो मात्र आपने गिनती करवा दी। वास्तव में लाभ दूध उत्पादकों को नहीं मिल रहा है।

बार-बार यह सुनने को मिलता है कि पशु नहीं मरे। कैसे नहीं मरे, मान्यवर, पशु। जगह-जगह सड़कों पर हाडों के ढेर पड़े हैं और पशु देखने को नहीं मिल रहे। काफी पशु पलायन भी कर गये, आपकी व्यवस्था नहीं हो पायी इसलिए। काफी पशुओं को लोगों को पंजाब और हरियाणा लेकर जाना पड़ा। वहां भी उन पशुपालकों को काफी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपकी सरकार को वे बार-बार पानी पी-पीकर गालियां निकाल रहे हैं कि ऐसी कैसी सरकार है कि हमें 2-3 महीने ही राहत नहीं प्रदान कर सकी।

मान्यवर, आपको निवेदन कर दूं कि पहले टैस्ट वर्क अक्टूबर में शुरू हो गये थे। 1987-88 की याद दिला दूं। आज आप फरवरी में मात्र घोषणा करके अकाल की और एक लिस्ट कार्यों की जारी करके हमें

(श्री मनोराम सियाग)

यह आश्वस्त करना चाहते हैं, वहां कुछ हो नहीं रहा है, यह मैं अभी क्षेत्र में देखकर आया हूं। वहां ऐसी स्थिति आने वाली है कि आप कुछ कर भी नहीं पाओगे क्योंकि समस्या दिन पर दिन भयंकर रूप धारण करती जा रही है। इसलिए मैं समय रहते आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

पेयजल के आंकड़े दे दिये आपने प्रगति विवरण में, कि हमारे जिले में मात्र 11 गांवों में 23 गाडे पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। मान्यवर, बड़े आश्चर्य की बात है, वे गाडे कौन से गांवों में पानी की सप्लाई कर रहे हैं? यह मात्र खानापूर्ति है। कहीं यह नहीं हो रहा है। आपकी जितनी भी पेय-जल योजनाएं हैं, अकाल की स्थिति को देखते हुए उनमें युद्ध स्तर पर पूरी चौकसी की जरूरत है न कि खानापूर्ति की। ठीक है पूरी बरसात हो जाती है तो प्राकृतिक स्रोत्रों में भी पानी भरा रहता है, जोहड़े भरे रहते हैं, कुण्डे-कुएं भरे रहते हैं और उनसे पानी उपलब्ध हो जाता है। अब मात्र नहर के पानी पर वाटर वर्क्स की सप्लाई निर्भर है। उसको चुस्त बनाने की जरूरत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस प्रगति विवरण में दिया है कि पांच सौ रुपये प्रति हैक्टेयर हरा चारा उगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। वह कहां दी जाती है? कागजों में ही है कि किसी को दी भी? हमने कोई चारा लगाया हुआ देखा नहीं, किसी काश्तकार को कहते सुना नहीं और आपने 15 लाख रुपये तो स्वीकृत करके दे भी दिये। ऐसा नहीं हो कि अन्दर ही अन्दर कागजों में कहीं वह उठा लिये जायं। अपने खेत में घास-चारा लगाया हुआ हो पहले से ही और वही दिखा दे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मनोराम सियाग : मैं बताऊं, मान्यवर, हमारा जो बीकानेर जिला है, श्री कल्लाजी आपको विस्तार से नहीं बता पायेंगे इसलिए पूरे जिले का विवरण दे रहा हूं आपको।

श्री सभापति : बहुत समय लग जायेगा, पूरा जिला बहुत बड़ा है।

श्री मनोराम सियाग : माननीय श्री इन्दलियाजी तो इसलिये नहीं बोल पायेंगे क्योंकि वह राज में भागीदार हैं, अगर आलोचना करेंगे तो उनको डांट पड़ेगी। मैं दोनों की तरफ से कह रहा हूं कि यह जो इन्दिरा गांधी नहर मन्त्रीजी हैं, इनको नहर पर जो पशु पालक हैं—जो पानी लेना चाहें उनको आप पशुओं के लिए पानी उपलब्ध करवाएं और जो काश्तकार चारा लगायें उसके लिए ग्राम सभा करके यह कहें कि इन-इन आदमियों को घास-चारे के लिए दे रहे हैं। न कि कागजों में आप कोई बैठक करके किसी तरीके से कोई स्वीकृति दे देते हैं, वह आम लोगों को पता नहीं चलती है और खुद की मशीन, खुद का रिजका लगा हुआ है और काट कर अपने घरों पर चरा रहे हैं और आपसे सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए पहले तो आप यह बता दीजिए कि कहां-कहां आपने किन-किन काश्तकारों को सब्सिडी दी है और 500 रुपये हैक्टेयर का नाम ले

(श्री मनीराम सियाग)

रहे हैं, इसलिए इसको रिपीट नहीं करना चाहता, विशेष तौर से इस पर ध्यान दें।

श्री सभापति : कृपया विराजिये।

श्री मनीराम सियाग : एक गरीब पशु है ऊंट, उसके लिए विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि ऊंट का अभी तक कोई संरक्षण नहीं है। जहां कहीं भी उनको देखते हैं इतनी दयनीय हालत है, पांव से बुरी हालत है, उनके लिए....

श्री सभापति : मंत्रीजी अवश्य ध्यान देंगे ऊंट पर। कृपया आप विराजिये।

श्री मनीराम सियाग : भेड़ बकरियों का भी कोई संरक्षण नहीं है, कहीं भी फैमिन में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। भेड़ बकरियों को ऐसी चीज मानते हैं अगर मरने की स्थिति में हो तो ट्रकों में डाल कर बेच आएंगे। इनको भी संरक्षण दिया जाय। देखिए, आर. ए. एस. की परीक्षा में भी भेड़ों की कितनी कीमत हुई है। बकरियों के लिए वहां पूछा जाता है कि दुधारू पशुओं में गाय और भेड़ बकरियों की नफरी कितनी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी किसानों और पशु-पालकों से सम्बन्धित दिक्कते हैं, आप शहर वाले इनको नहीं समझ सकते हैं। आप लोगों में से मुश्किल से कोई घर में बकरी रखता होगा। ऊंट की जो दयनीय हालत है, आप सर्किट हाउसेज और रेस्ट हाउस में ऊंट की अच्छी तस्वीरें देखते हैं। जब हम पिछली साल बम्बई और गोआ गए थे तो इतनी भद्दी शक्ल के, बुरी हालत के ऊंट थे हमें तो देखकर ही शर्म आ रही थी। हमारे ऊंटों की विदेशों में जो प्रतिक्रिया है वह बहुत बुरी है। इसलिए अच्छी नस्ल के ऊंट पर्यटन विभाग को फैमिन में दीजिए। नस्ल की बात है वह तो अलग मुद्दा है लेकिन ऊंट को कोई संरक्षण देने वाला नहीं है। ऊंट की जगह आज ट्रकों ने ले ली है। ऊंट का दूध कितने फायदेमन्द होता है, पेट की बीमारी में बहुत लाभ मिलता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री मनीराम सियाग : ऊंट के दूध से पूरी की पूरी रायता कौम पनपी थी।

श्री सभापति : ऊंट की बुरी हालत में मत जाइए, आप विराजिये। माननीय श्री राजपालसिंह।

श्री मनीराम सियाग : आप कहते हैं तो छोड़ देता हूं लेकिन माननीय मंत्री महोदय से कह दिया जाय कि बीकानेर की और विशेष ध्यान रखें।

श्री सभापति : विराजिये। माननीय श्री राजपालसिंह शेखावत। कृपया प्रारम्भ कीजिए। (व्यवधान)....

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क) : माननीय सभापति महोदय, अकाल पर चर्चा लगभग हर साल राजस्थान की विधान सभा में होती है....

श्रीमती सुचित्रा आर्य : उसका बनीपार्क पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

श्री राजपालसिंह शेखावत : बनीपार्क पर प्रभाव पड़ता है। अकाल की चर्चा हिन्दुस्तान की आजादी से पहले राजस्थान

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

की चर्चा बनी रही। संवत् 1956 का अकाल हो, (व्यवधान)....अकाल तो है पर काहे का है।

श्री सभापति : कृपया आप जारी रखें।

श्री राजपालसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, संवत् 1996 का अकाल ले लीजिए, 1956 का अकाल ले लीजिए (व्यवधान)...

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। आप जारी रखें, समय की कमी है।

श्री राजपालसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान को अकाल विरासत में मिला। राजस्थान का जियो इकोलोजिकल, फिजिकल स्ट्रक्चर इस ढंग का है, रैनफाल पैटर्न इस ढंग का है, मानसून की अनिश्चितता है कि अकाल पड़ते रहे हैं, अकाल पर बहस होती रही है और अकाल पर बहस के नाम पर आम तौर से अकाल राहत की बात की जाती है। कुछ लोग तो अपने इलाके में विकास कराने के लिए अकाल की बात करते हैं। मैं चाहता हूं (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : इसमें आपत्ति क्या है ?

श्री राजपालसिंह शेखावत : ऐसी आपत्ति मुझे नहीं है, पर मैं आपत्ति (व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इस तरह से अकाल की गंभीरता जैसे विषय की

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। यह जो कमी रखें, वह आप पूरी कर देना।

श्री किशना राम नाई : विपक्ष के माननीय सदस्य बोलते हैं, हम बड़ी शांति से उनकी बात सुनते हैं (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : आप बोलों, आपकी बात सुनेंगे।

श्री किशनाराम नाई : बोल रहे हैं, सुनो आप। आप व्यवधान डालते हैं, फिर आप बोलना।

श्री राजपालसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, अकाल राहत के नाम पर विकास कार्य शुरु करवा देने की बात की कोशिश करने वाले लोग अगर अकाल राहत के ऊपर गम्भीरता पूर्वक चर्चा की बात करते हैं तो हास्यास्पद बात है। मैं चाहता हूं कि अकाल के बारे में बात-चीत, इस सदन के अन्दर बात-चीत बड़ी गम्भीरतापूर्वक हो और न केवल बात-चीत हो बल्कि इस बारे में कन्सेंसस हो, अकाल की जो जंग राजस्थान लड़ रहा है, राजस्थान की जनता लड़ रही है उस जंग के अन्दर जीत किस तरह से हो। गत 40–50 साल से हिन्दुस्तान की आजादी के बाद राजस्थान में अकाल लगातार पड़ रहे हैं, अकाल के नाम पर एडहाक अरेंजमेंट किये जाते हैं अकाल राहत के नाम पर जैसा कि अभी मेरे पूर्व माननीय सदस्य बता रहे थे कि भूख से कोई नहीं मरता है। सही है कि भूख से कोई नहीं मरता है, आज के समय में नहीं मरता है। माल न्यूट्रीशन की प्राबलम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, एडहाक अरेंज-

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

मेंट से भूख से बचाव किया जा सकता है लेकिन माल न्यूट्रीशन की समस्या अकाल की समस्या नहीं है, आर्थिक विकास की समस्या है। गत 40-50 साल के अन्दर राजस्थान में लगातार अकाल पड़ने के बावजूद, अकाल का परमानेंट सोल्यूशन के लिए कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा नहीं लगता है। प्रोग्राम्स चलाये गए जैसे पावर्टी इरेडीकेशन के नाम पर, और पावर्टी इरेडीकेशन प्रोग्राम पावर्टी एसटेब्लिश प्रोग्राम बन कर रह गए। अकाल के खिलाफ मुहिम चलाई गई लेकिन एडहाक अरेंजमेंट किए गए। चाहे डी. पी. ए. पी. के नाम पर किए हों या किसी और नाम से किए हों लेकिन अकाल की पोंच को खतम करने की बात, अगर राजस्थान की पूरी तस्वीर को हम देखें सर्टेन एरियाज में जहां अकाल की चुभन महसूस होती है, उस चुभन के इलाके के अन्दर अकाल के दरमियान चुभन कम हो, इस बात का नियोजन आयोजन करने की कोशिश कांग्रेस सरकार में गत 50 साल में नहीं हुई। अकाल में अकाल राहत कार्य भी चलने चाहिए, अकाल जिस साल पड़ता है, आम जनता को रोटी मुहैया कराने का, आम जनता को रोजगार मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है इससे सरकार अलग नहीं हो सकती है। लेकिन अकाल की पोंच खतम कराने के लिए जो प्रोग्राम्स बनने चाहिए जिस तरह से कि हम अपने बजट को, अपनी प्लानिंग को इकोनोमिक ग्रोथ के जोड़ते हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की इकोनोमी जो है वह एग्रो बेस्ड इकोनोमी है। जिस साल अकाल पड़ता है हमारा पर कैपिटा इन्कम नीचे गिर जाती है, जिस साल अकाल पड़ता है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्टस जमीन पर गिर जाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्टस जमीन पर नहीं पड़ने दें, पर कैपिटा इन्कम जो गिरती है, पर कैपिटा इन्कम के फ्लक्चुएशन से और डोमेस्टिक प्रोडक्टशन में फ्लक्चुएशन के कारण चुभन बढ़ती है। जब तक राजस्थान की इकोनोमी को एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनोमी, एग्रीकल्चर बेस्ड डिपेंडेंट्स कम नहीं की जा सकती है, जब तक इस तरह की योजना नहीं बनती हैं जो राजस्थान की इकोनोमी को एग्रो डिपेंडेंट्स से अलग कर सके तब तक अकाल की समस्या का स्थाई समाधान नहीं हो सकता है। अकाल की समस्या का समाधान करने के स्वरूप के अन्दर, अकाल की चुभन लोगों में कम से कम हो इस बात के लिए राजस्थान को आयोजना पर एक नई दृष्टि देनी पड़ेगी। राहत कार्यों की बात करनी चाहिए राहत कार्य खुलने चाहिए, लोगों को रोजगार मुहैया होने चाहिए, लोगों को रोटी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सदन इस बात पर भी विचार करे कि राजस्थान की प्लानिंग के अन्दर जितनी इकोनोमी कैपिटल आउट-पुट रेशो होता है, इकोनोमी ग्रोथ निकालने के लिए वैसा ही एक फार्मूला इन्वाल्व किया जाना चाहिए, जो फार्मूला यह बताता हो कि हमारा इतना इन्वेस्टमेंट पर हमारी प्लानिंग के अन्दर हमारा आउट ले खर्चा होने के बाद अकाल के सन्दर्भ में चुभन का कोई इंडेक्स तय किया जाय कि उसमें कितनी कमी कर सकते हैं। उस दृष्टि से भी हमारे यहां पर योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

अकाल राहत की बात है, अकाल राहत कार्य खोले जायं लेकिन अकाल राहत

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

कार्य इस तरह से नहीं खोले जाने चाहिए कि 1985-86 के पेमेंट्स आज तक नहीं हुए। माननीय सभापति महोदय, 1985-86 के अन्दर अकाल के काम हुए, 1986-87 के अन्दर अकाल के काम हुए, 1987-88 में अकाल के काम हुए फिर अकाल के काम करने वाले उन लोगों को राहत देने के लिए आपने काम किए लेकिन राहत के नाम पर काम करवा कर आज तक लोगों को पेमेन्ट नहीं किया। इस तरह के अकाल राहत चलाना चाहते हैं आप ? अकाल राहत के नाम पर काम शुरु करवा दें अकाल राहत के नाम पर वाहवाही लूट लें अकाल राहत के नाम पर अखबार में नाम छपवा लें और गरीब लोगों और अकालग्रस्त लोगों के मसीहा बनने की कोशिश करें, इस तरह की चीज सदन में नहीं होनी चाहिए। जिस गम्भीरता की चर्चा माननीय श्री माहिर आजाद जी ने की है मैं समझता हूं कि उस गम्भीरता की चर्चा माहिर आजाद जी को भी करनी चाहिए और यहां के सभी माननीय सदस्यों को करनी चाहिए। लेकिन जब इस बात की बात आती है, पैसे की कमी है जब इस बात की आती है कि साहब राजस्थान के अन्दर रिलीफ आपरेशन पर खर्चा जो किया जाता है वह अनसस्टेनेबल हो गया है। मैं अकाल राहत का विरोधी नहीं हूं लेकिन इस आर्थिक सोच के साथ हमें सोचना पड़ेगा कि राजस्थान के रिसोर्सेज के हिसाब से राजस्थान अगर विकसित नहीं होगा, राजस्थान की अगर इकोनोमिक ग्रोथ नहीं होगी तो अकाल की चुभन लगातार रहेगी। इस अकाल की चुभन को कम करने के लिए हमें आर्थिक वृद्धि तो करनी पड़ेगी, इकोनोमिक डवलपमेंट तो करना पड़ेगा। इकानोमिक ग्रोथ में तेजी लानी पड़ेगी और इकोनोमिक ग्रोथ में जब तेजी नहीं हो सकती जब इस रिलीफ के नाम पर हमारा खर्च अगर अनसस्टेनेबल बन जाए तो विकास के पैसे को काटकर के राहत के अन्दर लगाया जाए तो हमें तय करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा बेलेन्स है। ऐसा एक इक्वेसन तैयार किया जाए, कितना पैसा राहत पर लगेगा, कितना किस विकास के काम पर लगेगा। इस दरमियान, जिस नाइन्थ फाइनेंस कमीशन की बात बड़ी जोर शोर से होती है, काफी ट्रांसफर भी हुआ है, काफी पैसा भी मिला है लेकिन सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बारे में, एट्थ फाइनेंस कमीशन ने माना है कि एक के बाद एक सभी वित्त आयोग राहत व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता की योजनाओं की सिफारिश करते रहे हैं। स्पष्टत: उन्होंने अनुभव किया था कि कई मौकों पर अपेक्षित व्यय की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उसे राज्य के साधनों से पूरा नहीं किया जा सकता। मैं बताना चाहूंगा सभापति महोदय, कि 1987-88 के अन्दर 627 करोड़ रुपया हमने अकाल राहत पर खर्च किया था। 1985 से 1990 के बीच में 1236 करोड़ रुपया अकाल राहत पर खर्च किया। जब 1236 करोड़ रुपया अकाल राहत पर खर्च करना पड़ता है राजस्थान की सरकार को 1985 और 1990 के बीच में और अब नाइन्थ फाइनेंस कमीशन ने आपके हाथ में झुनझुना टिका दिया है केलेमिटी फण्ड के नाम का, प्राकृतिक आपदा कोष, लगता है यह प्राकृतिक आपदा कोष राजस्थान के लिए आपदा बन गया है। राहत

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की बात होनी चाहिए; राहत लोगों को मिलनी चाहिए लेकिन राहत मिलने के अन्दर सैण्ट्रल कान्ट्रीब्यूशन में लगातार कमी आती चली जाए, राजस्थान के अन्दर जो रिसोंस क्रंच पहले से है उस रिसोंस क्रंच के अन्दर कान्ट्रीब्यूशन हो और जो कान्ट्रीब्यूशन सैण्ट्रल गवर्नमेंट कर रही है वह करना बन्द कर दे, तो मैं आपसे चाहूंगा कि सदन इसके बारे में एकमत हो, जिस तरह सदन अकाल राहत के काम खुलने चाहिए, अकाल की चर्चा में एकमत है उसी तरह से अकाल की सहायता के लिए यह सैण्ट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा कम हुआ है, जो प्रोसीजर बदला है, पहले जो मार्जिन मनी का कान्सेप्ट था और सैकिण्ड योजना आयोग से, आठवें योजना आयोग तक लगातार उस कान्सेप्ट को मेन्टेन किया गया, उसके कम्पोनेन्ट्स बदल गए, उसके इनग्रेडियेंट्स बदल गए लेकिन उस फिलोसोफी को चेन्ज नहीं किया गया और इस फिलोसाफी को चेन्ज नाइन्थ फाइनेंस कमीशन में किया गया। नाइन्थ फाइनेंस कमीशन, जो एक तरफ कहता है कि फण्ड का कान्सेप्ट नेशनल लेबल पर ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, मैं नवें योजना आयोग की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करना चाहूंगा—

"The paragraph 9 of the President's order requires us to review the policy of arrangements with regard to the financing of various expenditure by the State affected by the natural calamities. We have been caled upon to suggest appropriate modification in the existing arrangements having regards, among others, consideration of the need of avoidance of wasteful expenditure. The President's order also requires us to examine the feasibility of establishing a national insurance fund to which the State Governments may contribute a percen tage of their revenues."

उसके बारे में आगे चर्चा करते हुए नाइन्थ फाइनेंस कमीशन कहता है और यह मामला सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन के सामने भी रखा गया।

"The Sixth Finance Commission had a mandate under the President's order to examine the feasibility of establishing a national fund somewhat similar to what has been assigned to us. That Commission gave careful thought to the pros and cons of setting up of such a fund. It recognised the fact that the provisions of relief was a sensitive issue and funds set up outside, the Government would find it difficult to deal with such issues having political implications. In the event of a wide spread natural calamity, the Central Government would

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

come under strong pressure to go all out and provide assistance to affected States."

श्री सभापति : सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ... (व्यवधान)....

श्री राजपालसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि माना कि यह इंश्योरेंस से ताल्लुक रखता था लेकिन नेशनल लेबल के ऊपर....(व्यवधान)

श्री सभापति : कैरी ओन, कैरी ओन। आप प्लीज जारी रखें।.... (व्यवधान).... समाप्त करें। समय हो गया।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मैं यह कहना चाहता हूं कि जब नाइन्थ फाइनेंस कमीशन नेशनल लेबल पर केलेमिटीज से कांबेट करने के लिए फण्ड की वकालत नहीं करता, और फण्ड की फिलोसोफी को डिफेक्टिव मानता है, वह नाइन्थ फाइनेंस कमीशन स्टेट के लिए अगर नेचुरल केलेमिटी फण्ड को प्रेसक्राइब करता है तो मैं सोचता हूं कि ऐसी स्थिति के अन्दर राजस्थान जैसे स्टेट के अन्दर जहां कि ड्राट एण्ड फेमिन एक परपीचुअल एण्ड पेरेनियल प्राब्लम है, अनवरत और अखण्ड समस्या है, उस जगह के अन्दर मैं सोचता हूं कि सदन को पुरजोर ढंग से अपनी इस मांग को रखना चाहिए कि राजस्थान, जिसका जियोमेथोजिकल कम्पोजीशन है, अपने आप के अन्दर एरिड जोन और सेमी एरिड जोन से बना हुआ है उसके अन्दर जिस तरह से लगातार त्रासदी लोगों के सामने आती है उससे बाहर निकालने के लिए राहत कार्यों में लगाया गया पैसा राजस्थान के विकास को अवरूद्ध न कर दे....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 124 करोड़ है....(व्यवधान)....

श्री राजपाल सिंह शेखावत : आपने तो 91 करोड़ दिया है।

श्री सभापति : विवाद में नहीं पड़े, आप अपनी बात जारी रखें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं यही बताना चाहता हूं कि पांच साल के दरम्यान हमारा खर्चा हुआ। 1200 करोड़ से ऊपर और पांच साल में हमें मिलेंगे 450 करोड़ रुपये। यानि 450 करोड़ हमें मिलेगा, तकरीबन। 1200 करोड़ के ऊपर हमने खर्च किया, तो पांच साल में हमारा खर्चा। 1200 करोड़ होता है। खास तौर से एक मजेदार स्थिति और है सभापति महोदय, यह खर्चा तब हुआ जब मिनिमम वेजेज 11 रुपये थे, आज मिनिमम वेजेज 22 रुपये हैं। मिनिमम वेजेज डबल हो गये हैं और मिनिमम वेजेज डबल होने के बाद हमारे केलेमिटी को जो फण्ड दिया गया, वह फण्ड आधा कर दिया गया।

सभापति महोदय, अगर अकाल को रोकने के बारे में पुरानी सरकार सचमुच चिन्तित होती तो सारे इरिगेशन के सेक्टर के अन्दर इन्दिरा गांधी कैनाल जैसे इलाके के अन्दर....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पुरानी सरकार को ही कोसते रहेंगे या इस साल कुछ इन्तजाम भी करोगे, यह तो बताओ.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। समाप्त करें आप।

श्री किशनाराम नाई : एक बात समझ में नहीं आई, बड़ा अच्छा सुझाव दे रहे हैं माननीय सदस्य कि स्थाई समाधान होना चाहिए लेकिन 1986–87 में 12 करोड़ रुपये खर्च हो गए और एक तरफ कहते हैं कि मजदूरों के पैसे बकाया पड़े हैं, इस बात को थोड़ा समझा दें आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पड़ी हुई है भारत सरकार की।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 205 करोड़ रुपए बेलेन्स है....(व्यवधान)....

श्री सभापति : व्यवधान न डालें। सब जानते हैं, वह भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। सुन लीजिए आप।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : आप जो बता रहे हैं मुझे मालूम है, उसका उत्तर दे दूंगा मैं। सभापति महोदय, पिलानी से आई हुई माननीय सदस्या ने कहा कि कांग्रेस ने जो किया उसको मैं कोसता रहूंगा या राजस्थान सरकार जो अब कर रही है उसके बारे में बात करूंगा। सभापति जी, क्या सुमित्रा जी यह कहना चाहती हैं कि राजस्थान को अकाल राहत का जो पैसा पहले दिया गया और अकाल राहत के अन्दर जो 91 करोड़ रुपया का झुनझुना हमें पकड़ा दिया गया वह जस्टीफाइड है, उसको मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि अकाल राहत कार्य खोले जाने चाहिए, इसमें कोई कम्प्रोमाइज होने वाली बात नहीं है। हमारी रेस्पांसिबिलिटी है और इस रेस्पांसिबिलिटी से भागने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 13 हजार से ऊपर गांव हैं जिनके अन्दर अकाल राहत कार्य खोले जाने वाले हैं, खोले जा चुके हैं, उसके बारे में कम्प्रोमाइज हमारी सरकार नहीं करना चाहती। मैं आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहा था वह यह कर रहा था कि अकाल राहत होनी चाहिए लेकिन साथ के अन्दर राजस्थान के विकास को अवरुद्ध किया जाए, ऐसी स्थिति अगर पैदा की जाती है उसका विरोध किया जाना चाहिए। अगर अकाल राहत के नाम पर (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। माननीय सदस्य, आपने बात कह दी, आप दोहरा रहे हैं अब। तीन बार कह चुके बात जो आप कह रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं लेकिन मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहूंगा कि....

श्री सभापति : पन्द्रह मिनट से ज्यादा हो गए आपको आलरेडी, जबकि अलाउड सिर्फ सात मिनिट....

श्री राजपाल सिंह शेखावत : 13 मिनिट साहब उसमें से इन्टरप्शन में लग गए।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : अगर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आप चाहते हैं समाप्त करना, मैं समाप्त कर देता हूं ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री गोपाल सिंह जी।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) : सभापति महोदय, अभी कुछ दिनों पहले ही माननीय मन्त्री महोदय ने कुछ ऐसे अभावग्रस्त जिलों के नाम दिये थे जिसमें जालोर, सिरोही, पाली इत्यादि कई जिलों को नहीं जोड़ा गया था। अब जाकर उन्होंने फिर सोचा और शायद उन जिलों को भी वापिस जोड़ा। मैं यह माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन जिलों में बिल्कुल बारिश नहीं होती है या जहां बहुत कम बारिश होती है उनको आप पहले लेकर उन जिलों को बाद में लेते जहां पर थोड़ी बारिश हुई है, जहां थोड़ी बहुत बुआई भी हो गई है। मैं कहता हूं उन जिलों की हालत ज्यादा खराब हो जाती है, उन काश्तकारों की हालत ज्यादा खराब हो जाती है जहां थोड़ी-बहुत बारिश हो जाती है और अपनी जेब में या अपने घर में थोड़ा बहुत दाना खाने को रहता है उसको भी वह ले जाकर मिट्टी में डाल देते हैं और वह ना तो उनके पेट में जाता है खाने के लिए और ना किसी काम में आता है। यानि उनकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है जो न घर का रहे न घाट का। जहां बिल्कुल बारिश नहीं होती वहां कम से कम उनका अनाज जो घर में पड़ा है, खाने के लिए रह गया, वह दस दिन, बीस दिन तो चलेगा। लेकिन उन जिलों में जहां थोड़ी बहुत बारिश हो गई है और अपने घर का गांठ का जो बीज था वह डालने के बाद में दो दिन का खाना भी उनके पास नहीं बचता है। लिहाजा आइन्दा यह ध्यान रखें कि ऐसे जिले को प्राथमिकता से अभाव ग्रस्त घोषित करें जहां कम बारिश हुई है, जहां बुवाई हो गई है और फसल नष्ट हो गई है। राजस्थान के लिए और पश्चिमी राजस्थान में अकाल का एक बड़ा कामन फीचर है। एक बड़ी रोजमर्रा की सी बात बन गई है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार उसके लिए कुछ ऐसे साधन जुटायें जिसमें आप इसके लिये हमेशा तैयार रहें। आपको नहीं पता कि किस साल अकाल होगा, मैं नहीं कह सकता कि इस साल कैसा जमाना होगा, जुलाई में कैसी बारिश होगी तो राजस्थान सरकार की इस समय ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि अगर जुलाई मे बारिश फेल हो जाती है तो उसके लिए वह तैयार रहें और उसमें अनाज और चारा कम से कम उनके पास में ऐसा हो जिससे कि जानवर नहीं मरे और इन्सानों को खाने और पीने की व्यवस्था हो जाये। पहले के जमाने में मुझे याद है, हांलाकि मैं बहुत छोटा था लेकिन मुझे याद है कि गांवों में लोग अपने पास अपनी व्यवस्था अकाल के लिये रखते थे। तीन-तीन साल का अनाज अपने पास स्टोर करके रखते थे। बाजरा अपने पास में ऐसे स्टोर होते थे उनमें रखते थे और बहुत बड़े-बड़े कालरे जिसको हमारे यहां कहते हैं, जिसमें चारा इकट्ठा किया जाता है वह कालरे बना कर रखते थे और उसमें वह अकाल के टाइम पर अपने पशुओं को चराते थे। अब तो सरकार के लिये और सुविधा हो गई है, सुविधा यह है कि उस समय एक-एक परिवार के पास में सौ सौ जानवर होते थे

(श्री गोपाल सिंह)

और उनको भी वह अकाल से निकाल लेते थे अपने खुद के चारे की व्यवस्था से, जो कि उन्होंने पहले स्टोर करके रखा हुआ है। अब तो लोगों के पास में ट्रेक्टर है, आज गाय, बैल बहुत कम रह गये हैं तो उनको सम्भालने में वैसे भी चारे की इतनी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है तो राज्य सरकार से मैं चाहूंगा कि जो फोडर के बैंक्स बने हुये हैं और स्टोर्स हैं उनको जिले या डिविजन हैड क्वार्टर पर बनाना एक व्यर्थ बात है। मैं चाहूंगा कि तहसील और पंचायत हैड क्वार्टस तक भी, अगर हो सके सम्भव या कम से कम एक ग्राम-सेवक सर्किल के हैड क्वार्टर में अपने चारे का स्टोर होना जरूरी है जिससे उसके ट्रान्सपोर्टेशन में तकलीफ नहीं हो। आपको ले जाने के अन्दर सुविधा हो। काश्तकार खुद आकर चारा अपने जानवरों के लिए ले सकता है। नहीं तो आप जैसलमेर में इकट्ठा करते हैं चारा। उसके बाद आप ट्रक को हायर करते हैं। ट्रान्सपोर्टेशन के अन्दर सरकार का खर्चा होता है, ट्रान्सपोर्टेशन के अन्दर समय लगता है। जब तक आप व्यवस्था करते हैं जब तक आधा समय अकाल का वैसे ही गुजर जाता है। कई कमजोर और बीमार पशु मर जाते हैं तब तक चारे की आप व्यवस्था करते हैं। लिहाजा तहसील हैड-क्वार्टर या तहसील के तीन-चार सेक्टर बना कर ऐसी-ऐसी जगहों पर आपको अपने चारे को गोडाउन्स पहले से ही तैयार कर लेने चाहिए जिससे की काश्तकार खुद जाकर अपना चारा ले आये। वहां तक वह अपनी व्यवस्था कर सकता है और सरकार को भी इसकी सुविधा हो जायेगी कि उसको सम्भालने में बहुत आसानी हो जायेगी। इस तरह की व्यवस्था करने से सरकार को उस समय दौड़धूप या उस भगदड़ नहीं मचेगी जिस समय वाकई में अकाल पड़ता है। अकाल के जो कार्य हैं उसमें हमेशा सभी माननीय सदस्यों ने मांग की है कि जो पूर्व अकाल के इनकम्पलीट काम पड़े हैं या जो काम किये गये हैं उन्हीं के अन्दर फिर से, ज्यादातर सड़कों के काम है उनके ऊपर फिर से एक दफा मिट्टी या ग्रेवल डाल दी जाय जिससे कि यह काम कम्पलीट हो जाये। इस साल भी शायद यही माग होगी, भगवान ना करे कि अगले साल अकाल पड़े तो शायद हमीं यह मांग कर लेंगे कि पिछले साल जो सड़क बनाई थी उसको आप फिर से बना दीजिये।

(4.45 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अगर इसी व्यवस्था में आप जैसे ही अकाल का काम कम्पलीट होता है, अकाल खतम होता है उसी सड़क को आप पी. डब्ल्यू. डी. को दिलवा दें और उसको आप मेन्टेन करना शुरू कर दें तो जो आगे अकाल पड़े और हर बार वह की वह सड़क तैयार करवाते हैं, इतना खर्चा लग जायेगा उसमें तो वह तार की बन जाये। तो वह सड़क ब्लेक टोप बनाने के अन्दर भी आपको कोई तक-लीफ नहीं होगी अगर आप इसको पी. डब्ल्यू. डी. को सुपुर्द कर दें। नहीं तो होता है कि आपने अकाल में काम किया, अकाल का काम समाप्त हुआ वह सड़क

(श्री गोपाल सिंह)

वहीं की वहीं रह गयी। बारिश की वजह से बह गई या आंधियां चली उसकी वजह से उसके ऊपर मिट्टी आ गई और वह कोई काम की नहीं रही। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें, सड़क बन चुकी है अकाल में और इनकम्पलीट रह गई है या कम्पलीट हो गई है उनको आप इमीजियेटली पी. डब्ल्यू. डी. को हैण्ड ओवर कीजिये, चाहे आप पंचायत समिति को हैण्ड ओवर कीजिये, चाहे जिला परिषदों को कीजिए या किसी भी एजेन्सी को कर दीजिए वह हर साल मेन्टेन होती रहे ताकि आइन्दा अगर आप अकाल में भी कोई काम करवायें तो कोई नई सड़क तो आपको दी जा सके। वरना वह सड़क हर साल ली जाती है। हर साल खराब हो जाती है तो वही की वही पैसा उसमें लगाते रहते हैं और कच्ची की कच्ची रह जाती है और पैसा लग जाता है उसके ऊपर टार की सड़क के बराबर। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जालौर जिले में फरवरी में 3 हजार मजदूरों को मजदूरी दिलवाने के लिए आपने लक्ष्य रखा था और इस बार 15 हजार का रखा है। हमारे यहां पर जैसे ही लोगों को पता चला कि जालौर जिले को नहीं लिया है अकाल में, हमारे यहां के ज्यादातर मजदूर वहां से पलायन कर चुके। वह लोग पंजाब चले गये, वह लोग गुजरात की तरफ चले गये, कुछ लोग हरियाणा की तरफ निकल गये। अब आपको उन मजदूरों को वापस लाने के लिये कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब उनको यह पता लगता है कि जालौर जिले में फेमिन हो गया और अब वहां पर काम शुरू होने वाला है तो लोग जो यहां से पलायन कर चुके हैं पहले उनका जाने और आने में खर्चा होता है, एक तो व्यर्थ का खर्च हो गया, समय उनका बरबाद हो गया। उनका यह पैसा आने-जाने में खर्च हो गया इसके लिये कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें राज्य सरकार कुछ पाइन्ट्स ऐसे तय करे जहां से किसी न किसी रूप में अगर उनको ला सके तो कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आप इतना करा दें तो वहां से वह लोग इकट्ठे हो जायेंगे उनको एक बस में बैठा कर आप फटाफट जिले में ले आयेंगे और वह लोग यहां पर अपने जिले में काम पर लग जायेंगे। वरना उनको आने-जाने में भी इतना समय लग जायेगा कि बीस दिन का जो फेमिन का काम चलेगा जब तक तो उनका जो खर्चा है वह पूरा हो पायेगा लिहाजा इसका आगे के लिए भी ध्यान रखा जाये और अब कुछ कर सकते हैं तो इसके बारे में आप कुछ करें। जानवर पर अकाल का जो असर पड़ता है, वह फसल पर तो एक साल में आप उसको मेक अप करा लेते हैं, इस साल बारिश नहीं हुई-बाजरा नहीं हुआ लेकिन अगली साल बारिश होती है-बाजरा हो जायेगा आपके पास। लेकिन अगर आपके पास में हुई है, आपके पास में गाय है, चाहे भैंस है, चाहे भेड़ हैं वह आपका अकाल की वजह से नुकसान हुआ है और वह मर चुकी हैं वह अगली साल बारिश अच्छी होती है उससे यह नहीं हो सकता कि वह भेड़ वापस दो सौ की दो सौ उसके पास प्राप्त हो जायेगी। उनको आपको मेक अप करवाने का तरीका करना पड़ेगा। आपको विशेष उनके लिये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो पशु पालक हैं जिनके जानवर मर चुके हैं अकाल की और चारे की कमी

(श्री गोपाल सिंह)

की वजह से, या किसी बिमारी की वजह से, गड़बड़ी होने की वजह से या अकाल के द्वारा तो आपको यह व्यवस्था उनके लिये अवश्य करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी जो कमी है वह पांच साल में भी पूरी नहीं हो पायेगी। पांच साल तक अगर अकाल नहीं पड़ता है फिर भी वह कमी जो आपके पास में हो गई है वह पूरी नहीं कर पायेंगे। इसके लिये आपको हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा और उसके अन्दर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, काश्तकारों को तो आपने देखा है और देखना जरूरी है लेकिन इसके साथ में पशु पालकों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में तो आधे से ज्यादा लोग तो पशु पालक हैं और उनको पूरा घर का खर्चा पशुओं पर चलता है। इस चीज को देखते हुए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पशु पालकों के लिये अलग से और खास व्यवस्था करनी पड़ेगी इसके लिये इस समय मैं आपको ध्यान दिलाऊं आपकी जानकारी के लिये, अभी मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया था इंडिजिनस केटल, अपनी देशी गायों को फिर से इम्प्रूव करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : शीघ्र पूरा कीजिए।

श्री गोपाल सिंह : हमारे इलाके में कांकरेज नसल की गायों की बहुत अच्छी नस्ल है गायों का बहुत बड़ा हर्द सिनवरी के कोई साहब है, उनके पास में है। उनके पास में कम से कम दो सौ और पांच सौ गायें हैं। मैं चाहता हूं कि इन गायों को उस हर्ड से अगर आप लेना चाहें, इनके जो पिता थे वह तो उसके अन्दर इन्ट्रेस्टेड थे, उनको शौक था उन गायों को रखने का लेकिन आज वहां पांच सौ गायें हैं बहुत छांट-छांट के खरीद कर लाये हैं, अगर राजस्थान सरकार चाहती है तो उस हर्ड को अपने पास लेकर एक बना बनाया हर्ड आपके पास तैयार हो जायेगा, गायों की नस्ल को सुधारने में राजस्थान सरकार उसके अन्दर अपना काम कर सकेगी। मैं आखिर में पीने के पानी के लिए आपको निवेदन करूंगा कि इस वक्त पानी की बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी और पानी पिलाने के लिये टैंकर्स और जल योजनाओं की ओर आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। बिजली उसको बराबर मुहैया करानी पड़ेगी। जहां बिजली नहीं वहां हैं पर आपको पम्पिग सेट लगा कर के पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त जी शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जैसी देश की संवैधानिक व्यवस्था है जिस प्रकार से कर इकट्ठा करने की व्यवस्था है, मनी सप्लाई की व्यवस्था है, जिस प्रकार का हमारा संविधान है इसके तहत कोई भी प्रकार की प्राकृतिक विपदा हो, चाहे वह भूकम्प हो, चाहे अकाल हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे ओला वृष्टि हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। उसके अन्दर इस प्रकार की बात यदि भारत सरकार सोचे कि हम फाइनेंस कमीशन या किसी दूसरे रूप के अन्दर राजस्थान सरकार पर या

(श्री रमाकान्त शर्मा)

स्टेट गवर्नमेंट पर भार डाल दिया तो बहुत बड़ी बात यों हो जायेगी कि प्राकृतिक विपदा की कोई सीमा नहीं होती है। कहीं पर भूकम्प के अन्दर पूरा का पूरा, शहर का शहर टूट जाय तो हजारों करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। न तो कोई वहां पर स्टेट गवर्नमेंट या कोई दूसरी जगह इस प्रकार की चीज नहीं है कि वह सारा का सारा प्राकृतिक विपदा से निबट जाय, इसलिए कोष बनाना एक प्रकार से सप्लीमेंट्री आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकते है परन्तु जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, बेसिक इस प्रकार की जो जिम्मेदारी है वह हमारे देश के संविधान, मोरेलिटी, ह्यूमनिटी उन सबके आधार पर केन्द्रीय सरकार की है। तो यह बात कहना कि हम 91 करोड़ रुपये हर साल के अन्दर देंगे, चाहे आपके यहां अकाल पड़े या नहीं पड़े और आप इसको इकट्ठा करते चले जायेंगे। इसका अर्थ उनके हिसाब से यह है कि अगर तीन तीन साल के अन्दर अकाल नहीं होगा तो 3 साल के अन्दर 124 के हिसाब से 360 या 365 करोड़ रुपये के अन्दर काम चल जायेगा। परन्तु तीसरे साल के अन्दर 365 करोड़ रुपये से काम चल जायेगा, यह आवश्यक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 10 साल के अन्दर 1645.97 करोड़ रुपये खर्च हुआ, अब आप इसके अंदाज से देखिये, फाइनेंस कमीशन से किस प्रकार से आया है, उनसे 124 करोड़ रुपये आज ले लें तो 1240 करोड़ रुपये होते हैं। यदि उसी प्रकार से अकाल पड़ता रहा और रुपये का मूल्य वही बराबर रहा तो भी 400 करोड़ रुपये का फर्क पड़ गया तो 400 करोड़ रुपये कहां से आएगा। यह गेप कहां से पूरा होगा तो इस प्रकार की यह स्थिति है बारे में मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि 1600 करोड़ रुपये खर्च हुए मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि इस साल के अन्दर 300 करोड़ रुपये खर्च होने चाहिये, मुख्य मुद्दा यह है कि आज भारत सरकार से यह आग्रह करना चाहिये और सारा का सारा सदन निश्चित ही एक प्रकार से सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करें, कोई भी प्राकृतिक विपदा हो, उसका काम उनको करना पड़ेगा, उसका जो भी निपटारा हो उनको करना पड़ेगा, राहत उनको देनी पड़ेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं राजस्थान के लोगों के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पिछले 10 साल के अन्दर सड़क पर 300 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। 300 करोड़ रुपये जो पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत, यदि हमने और सड़कें बनाई हैं उन सड़कों की हालत देखिये और 300 करोड़ रुपये अकाल के अन्दर खर्च किये, क्या उसका शतांश भी सड़क है ? तो हम सड़क पर यदि 300 करोड़ रुपये इस तरह से अकाल के नाम पर खर्च कर देंगे, ठीक है, हो सकता है, किसी जिले के अन्दर सड़क के अलावा दूसरे काम नहीं है, परन्तु यह सोचना आवश्यक है मैं निवेदन करूंगा दूसरे काम क्या हैं ? परन्तु प्राथमिकता किस चीज की हो इसके बारे में हमको गम्भीरता से चिन्तन करना पड़ेगा अन्यथा यह भी वह मुद्दे हैं, ना अकाल की समस्या सोल्व हुई और न सड़क बनी वहां पर और उधर की तरफ मनी सप्लाई बढ़ गई, इन्फलेशन हो गया तो वहीं पर वहीं लोग बाग जिस समय के अन्दर 12 रुपये, 10

(८२)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

रुपये लेते हैं, वहां पर चीजों के जो भाव हैं, वह और भी बढ़ जायेंगे और उन लोगों का उस चीज से काम नहीं चलेगा। पानी के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घन्टे तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ? (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जब तक इस पर चर्चा खत्म न हो जाय, तब तक समय बढ़ाया जाय। आज सरकार का मामला है, आज हम समय बढ़वाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय से सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाय ? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नो नो। हमें मंजूर नहीं हैं, (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं साहब, यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। ना, ना, तरीका नहीं हैं, बैठो तो सही आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : रोज आप कहते हैं तब हमसे मनवा लेते हो, आज हम कहते हैं, अकाल जैसी समस्या पर आपको आपत्ति हो रही है। आज सरकार को जल्दी है। आज इस बात का फैसला होगा। (व्यवधान) आज इस बात का फैसला होने वाला है। अकाल पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अकाल जैसे विषय को आप कम नहीं कर सकते.... (व्यवधान)

श्री रामप्रसाद कासनियां : (उपमंत्री) : सदन का समय सदन की भावना को ध्यान में रखकर बढ़ाया जाता है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष :....उन्होंने कहा है कि.... तो मै आपने आप समय बढ़ा दूंगा.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कल तक के लिए समय बढ़ाइये। कल तक के लिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आज इस बात का फैसला होगा कि अकाल की समस्या गम्भीर है या सरकार की ओर से दिया जाने वाला डिनर महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद जी, बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इस बात का आज फैसला होगा।

श्री उपाध्यक्ष : वे सरकारी मुख्य सचेतक जी कुछ बोल रहे हैं। बैठिये। वे क्या कह रहे हैं। सदन का समय मैं अपने आप तो नहीं बढ़ा सकता। उसके भी नियम हैं। बोलिये आप, क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही कायदा रहा है कि पहले एक घण्टे का समय बढ़ाया जाता है- फिर आगे सदन की भावनाओं को देखकर....(व्यवधान) अभी मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय एक घटे बढ़ाया जाय। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कल आपने कहा था कि ...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, देवपुरा जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय महोदय, आज मुझे आश्चर्य इस बात का है, अब तक तो मुख्य सचेतक महोदय जब-जब भी सदन का समय बढ़ाने का मतलब आया, कभी एक घन्टे, दो घन्टे नहीं बढ़ाया और हमेशा यही कहा है कि कार्य सूची समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाय और आप पाठ पढ़ा रहे हैं कि फायदा यह है कि एक दो घन्टे बढ़ाया जाय। ये किसे पाठ पढ़ा रहे हैं? (व्यवधान) आप अपनी बात पर अटल रहे हैं। अभी तक आपने जो परम्परा रखी है तो ठीक है, मैं मानता हूं कि इसका कोई एण्ड नहीं है, मैं मानता हूं कि इसका कोई एण्ड नहीं है, जिससे चेयर यह तय कर लें कि कार्य सूची कब तक समाप्त होगी क्योंकि यह बहस अनिर्णीत रहती है, इस पर कोई वोटिंग नहीं होती। इसलिए यह सही है, मैं मानता हूं लेकिम आप यह कहकर कि कहना चाहें कि कायदा यह है, आप किसे पढ़ा रहे हैं कायदा....

श्री उपाध्यक्ष : साथ में यह भी तो कहा है कि और बढ़ा दूंगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : और बढ़ा दूंगा, यह हम नहीं मानने को तैयार.... हम नहीं मानने को तैयार हैं...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक साथ समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में भी कोई गलतबयानी की जाती है क्या?....(व्यवधान माननीय सचेतक महोदय कह रहे हैं, और समय बढ़ा दूंगा मैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इतने गुस्से में क्यों आए ?

श्री हीरालाल देवपुरा : रीजनेबल टाइम, मैं यह मानता हूं कि रीजनेबल टाइम इसके लिए बढ़ाने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से प्रस्ताव आना चाहिये था, रीजनेबल टाइम, मैं निवेदन करना चाहता हूं अकाल पर बहस पूरे दिन के लिए रखी गई और आज अकाल पर बहस शुरू हुई है साढ़े तीन बजे, उसके लिए रीजनेबल टाइम तो मानेंगे आप। अगर यह 11 बजे शुरू हो गई होती, एक बजे शुरू हो गई होती तो हम मानते कि, एक बजे शुरू हो गई होती तो हम मान लेते कि एक घंटे का समय बढ़ाना समझदारी था....

श्री उपाध्यक्ष : 2.50 बजे बहस शुरू हुई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : लेकिन रीजनेबल टाइम देखिये, नहीं बढ़ाना चाहते हैं क्या आप तो आखिर इसका मतलब यह हुआ कि आप नहीं सुनना चाहते, वैसे ही कह दीजिये ना, क्या जरूरत है, हम चले जायेंगे। हमें मजबूर कर रहें हैं रूकिए आप। वैसे ही कह दीजिये आप, नहीं सुनना चाहते हैं तो....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा आपसे निवेदन है, जैसा मुख्य सचेतक महोदय ने कहा; समय और बढ़ा दिया जायेगा....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक तरफ तो आप कह रहे हैं बोलने वालों की भारी सूची है....

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या दिक्कत है मुख्य सचेतक को, क्या परेशानी है मुख्य सचेतक को ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप एक घन्टा समय बढ़ा रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : उन्हें क्यों जरूरत होगी, जरूरत तो हमें है, अकाल की बहस को देखकर एक दिन की चर्चा बिजनिस एडवाइजरी कमेटी ने तय की है, बी. ए. सी. ने तय की है। सत्ता पक्ष ने तय नहीं की है। बी. ए सी. की मीटिंग बैठी थी तो कम से कम इस सदन को विश्वास में लेने के लिए रीजनेबिल टाइम तो,.... हमें तो कहना चाहिये ना उनको....

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं, उसमें आधा मिनट शेष है और यदि समय नहीं बढ़ा तो 5 बजे हाउस एडजोर्न हो जायेगा। तो मैंने जैसा प्रस्ताव रखा है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव कर रहे हैं क्या....(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं प्रस्ताव करता हू कि सदन का समय दो घन्टे बढ़ाया जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति से सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

डा. चन्द्रभान : नहीं, दो घण्टे के लिए क्यों बढ़ाते हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सुनिये आप। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमान, मेरा आपसे निवेदन है कि बी. ए. सी. के दिन अकाल की बहस के लिए जैसा कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पूरा दिन तय हुआ था। आज आपका जीरो आवर चला है 2.45 तक। 2.50 पर यह बहस शुरू हुई है। आप इतनी बड़ी बहस, राजस्थान का इतना बड़ा एरिया आज अकाल से अफेक्टेड है और उसके बावजूद आप चाहते हैं, मैंने पहले कह दिया था, वह सरकारी डिनर एक घण्टे के लिए सरक सकता है ...

श्री उपाध्यक्ष : आपको पहले भी कहा था अध्यक्ष महोदय ने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा निवेदन सुन लीजिये। अध्यक्ष जी ने कहा था, मैं जो कह रहा हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : उसका उत्तर भी कल दिया जा सकता है। ऐसा भी कहा था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने भी ऐसा कहा था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : समय तो बढ़ाइये साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वो तो बढ़ गया टाइम। आप बिराजिये ना। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम दो घण्टे के समय से सहमत नहीं हैं.... हम दो घन्टे के समय से कतई सहमत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय शर्मा साहब।

श्री नत्थी सिंह : इसका क्या तय हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : दो घन्टे।

श्री नत्थी सिंह : हमने अध्यक्ष महोदय से यह भी निवेदन किया था दो घन्टे बहस हो और मंत्रीजी का जवाब कल हो। उन्होंने कहा मुख्य मंत्रीजी आ जाय, हम विचार कर लेंगे। यह बात हमने उनसे निवेदन की है।

श्री उपाध्यक्ष : हो जायेगा। अभी दो घन्टे तो पूरा होने दें। अभी दो घन्टे बढ़ा है। माननीय शर्मा साहब। (व्यवधान)

राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैं यह निवेदन कर रहा था, हमने पिछले 10 वर्षों के अन्दर जितना रुपया खर्च किया, इसमें दुर्भाग्य से अकाल का जो इम्पैक्ट है, उसको कम करने के लिए जितना करना चाहिये था, वह नही किया और मैं सड़क की बात बता रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : अब मेरा प्रत्येक वक्ता से निवेदन है कि हाउस की भावना को देखते हुए कोई भी वक्ता 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : आपने तो मेरा सारा ही समय बरबाद कर दिया.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी वक्ता 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेगा और कोई 15 मिनट तक बोले हैं बाकी सब 10 मिनट बोले हैं। नहीं नहीं, 10 मिनट, 10 मिनट से अधिक कोई नहीं बोला है (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तय कर दें और 8-10 मिनट में जिसको अपने क्षेत्र की बात कहनी है, वह समाप्त कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, 8–10 मिनट....

श्री उपाध्यक्ष : जैसा प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा, 8–10 मिनट के अन्दर अपनी भावनाएं व्यक्त कर दें और अपने क्षेत्र की बात कहें। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 8–10 मिनट में अपना कथन पूर्ण करें। हां, आप बोलिये।

श्री रमाकांत शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अब कृपया मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करें। मैं पौने दस मिनट में ही खत्म कर दूंगा। और मैंने सब लोगों को वहां पर बैठकर 15-15, 20-20 मिनट दिये हैं

(156)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

परन्तु मैं पौने दस मिनट में खत्म कर दूंगा। मेरी बात सुनिये आप। मैं निवेदन कर रहा था... (व्यवधान) मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा लेकिन मेरी बात सुनें। मैं निवेदन कर रहा था कि वाटर सप्लाई पर पिछले 10 वर्षों में अकाल के दौरान 292 करोड़ रुपये खर्च किए गए। यदि हम जल समस्या को साधारण तरीके से प्लेण्ड तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते तो शायद 292 करोड रुपये में हमारी समस्या सोल्व हो जाती। हम 292 करोड़ रुपये से कोई स्थायी समाधान नहीं कर सके हैं। अकाल राहत के लिए जो धनराशि मिलती है वह गरीब आदमी की जेब से निकली हुई होती है। इसको खर्च करने के बारे में, खास कर जब हम अकाल पर पैसा खर्च करें, यह ठीक है किसी को रोजगार की आवश्यकता है, उसे रोजगार मिले परन्तु इससे ऊपर जो कंसीडरेशन होनी चाहिए कि अगले वर्ष के अन्दर अकाल हो तो उसका जो इफेक्ट है वह कम हो। मैं एक और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में अकाल राहत में कुल मिला कर जहां सड़क पर 300 करोड़ रुपया और पानी के ऊपर 292 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, परिणाम जीरो है, वहां पेड़ लगाने पर कुल 26 करोड़ रुपया खर्च किया गया जो एक बहुत बड़ा समाधान है। यदि आप 300 या 500 करोड़ रुपया पेड़ लगाने पर खर्च करते तो हम सब जगह पेड़ लगा सकते हैं, चाहे पानी 3 किलोमीटर से लाकर या 30 किलोमीटर से लाते 500 करोड़ रुपये के अन्दर बहुत बड़ा काम कर सकते थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अत्यन्त आवश्यक यह है कि हमारे पास में जितने भी रिसोर्सेज हैं, इंदिरा गांधी नहर है, चंबल का पानी जो 15 हजार क्यूसेक्स बह कर जा रहा है जो हमारे काबू में नहीं है और यमुना नदी का जल है परन्तु उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। पंजाब के अन्दर अभी यह कहा गया है कि राजस्थान को जुलाई, 1985 के अन्दर जितना पानी मिलता था उससे ज्यादा पानी पंजाब नहीं देगा और हमने चुपचाप सुन लिया, किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया, यहां वातावरण में किसी प्रकार का जलवा नहीं आया और हमने चुपचाप सुन लिया वहां की विधान सभा में यह बात कही गई है। यह है हमारी अकाल की समस्या की बातचीत है उस पर हम ध्यान दें। हम इंदिरा गांधी कैनाल को चाहे पूरा कर पाये या नहीं कर पाये लेकिन जितने पानी की आवश्यकता है, जितना पानी हमको बंटवारे के तहत मिला है और जिसके अन्दर भी हमारे साथ में पक्षपात हुआ है, भेदभाव हुआ है परन्तु पानी लेकर चाहे उस पानी को हम रेगिस्तान के अन्दर छोड़ दें और उसको ज्यादा उपजाऊ बनायें, परन्तु पूरा पानी आवश्यक है। इसी प्रकार से मुझे समझ में नहीं आता यमुना के पानी की बातचीत कुछ दिनों पहले हुई। सारी स्कीम्स में यह बात हुई है कि अलवर के अन्दर वह पानी आ सकता है परन्तु कहीं पर भी जो अभी बातचीत हुई उसमें अलवर का कहीं जिक्र ही नहीं है। कुल मिलाकर 60 फुट की लिफ्ट के द्वारा अलवर के लिए कहा गया, अलवर को वहां से पानी दिया जा सकता है। हमारे अलवर का पानी सारा यमुना में जाता है। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है माननीय

(श्री रमाकान्त शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, कि रिपेर्यरिंग स्टेट्स कौनसी है, कैचमेंट एरिये वाली स्टेट्स कौनसी हैं, ट्रेडिशनल बेनिफिसरी वाली कौनसी स्टेट्स है। नेशन का जो रिसोर्स है वह सारे नेशन को बंटना चाहिये। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जितना पानी है चाहे यमुना का है, चाहे गंगा का है, चाहे कावेरी का है, चाहे कृष्णा का है, जिस-जिस जगह पर आवश्यकता है उसका समान रूप से बंटवारा होना चाहिए और वह पानी सब तरफ से राजस्थान को मिलना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस समय सारे राजस्थान के कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, वह अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच गया है। इसलिए इस समय सब जगह पर काम करने तथा पैसा लगाने की आवश्यकता यह है कि जो पानी बह कर जा रहा है उसको किस तरह से इन्टरसेप्ट करें और इन्टरसेप्ट करने के लिए बड़े-बड़े बांधों की आवश्यकता नहीं है। आज नई टेक्नोलॉजी के तहत जो छोटे-छोटे नाले हैं उनके अन्दर हम ग्राउण्ड वाटर पर भी 5 फुट गहरा खुदा करके और पट्टी नीचे लगा दें, कोई कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, नीचे सीमेंट, कंकरीट का बांध बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यक्रम सारे राजस्थान में वृहद रूप से चलाया जाय। यह इंटरसेप्शन का एक नया तरीका है। तो मैं समझता हूं कि कुओं के अन्दर जल स्तर बढ़ जायेगा। इसी प्रकार से मैं पश्चिमी राजस्थान के बारे में नम्र निवेदन करना चाहता हूं। जब तक वहां पर बाजरा बोते रहेंगे तब तक अकाल की समस्या का कोई हल नहीं होगा। बाजरा बोने के कारण से जमीन में नेचुरल और वेजिटेशन का कवर आ जाता है वह हट जाता है, रेत आसमान में उड़ती है, आंधी आती है और ज्यों ही आंधी रुकती है तो सारी रेत बहुत भारी घनत्व के साथ नीचे आती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्राउण्ड वाटर के ऊपर एक स्टीम बन जाती है और फिर वहां पर बरसात नहीं होती है। इसलिए इसके बारे में जब तक कोई स्कीम नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। (व्यवधान)

मैं अन्त में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर के अन्दर नोर्मल वर्षा 533 मि.मी. हुई है और सारे अलवर की औसत वर्षा 368 मि.मी. है एवं थानागाजी की 336 मि.मी. है। इस प्रकार से अलवर में 31 पर्सेन्ट पानी कम बरसा है, (–)31 पर्सेन्ट रही है। आपने जो लिस्ट ली है उस लिस्ट के अन्दर बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 10 पर्सेन्ट का डिवेशन है, जो 26 पर्सेन्ट का डिवेसन है वह लिस्ट में आ गये हैं। थानागाजी उस लिस्ट में क्यों नहीं आया मेरी समझ में नहीं आता? जहां पर अकाल पड़ता रहा है वह उसको सहन कर सकते हैं और जहां अकाल नहीं पड़ता है वहां के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, इसके बारे में ध्यान रखा जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मोहन लाल चित्तौड़िया।

श्री मोहनलाल चित्तौड़िया (कपासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे चित्तौड़ जिले में अरनोद और प्रतापगढ़ दो तहसीलें

(श्री मोहनलाल चित्तौड़िया)

अकाल की चपेट में हैं। मैं आपके माध्यम से अकाल मंत्रीजी से अपील करना चाहता हूं चित्तौड़ जिले के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया ? एक बारिश, दूसरी बारिश जबर्दस्त हुई लेकिन तीसरी बारिश नहीं होने से फसल जल गई। चित्तौड़ जिले में बहुत लेबर है। उस लेबर को काम देना बहुत ही जरूरी है।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र कपासन के लिए निवेदन करना चाहता हूं। वहां पीने का पानी नहीं है और अकाल के नाम से कोई चीज नहीं है। हमारी तरफ केवल दो पानी पूरी तरह से नहीं मिल सका है जिसमें भयंकर अकाल है। वहां पर रिलीफ के काम चलाये जाय, साथ ही साथ हमारे यहां पर अकाल राहत के काम चलाये जाय। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सांवर लाल जी। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो चर्चा का विषय है यह बहुत ही गम्भीर विषय है। राजस्थान और अकाल, एक-दूसरे के पर्याय हैं। पहले हमें यह जानना होगा कि अकाल क्या है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सूखा होता है, वर्षा ऋणात्मक रूप से विचलित होती है तब सूखा पड़ता है और सूखे के परिणामस्वरूप अन्न, चारा, पशुओं और मानव को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है, उसको हम अकाल कहते हैं।

राजस्थान हिन्दुस्तान का 10.4 पर्सेन्ट भौगोलिक क्षेत्र रखता है और इस राजस्थान का लगभग 73 पर्सेन्ट हिस्सा बहुत ही नाजुक है उसको हम फ्रेजाइज एरिया कह सकते हैं। चाहे मरुस्थल हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो या और कोई ऐसा क्षेत्र हो जो विशेष उपयोगी नहीं हो। यानि 27 पर्सेन्ट एरिया हमारे लोगों के उपयोग या काम में आता हैं। मेरा निवेदन यह है कि वर्षा सामान्य या उससे अधिक हो जाय तो इसका मायना यह नहीं होता है कि वहां अकाल नहीं था। वर्षा दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। मानसून पहले 100 दिन आता था। आज हालत यह है कि 50-60 दिन मानसून का समय होता है। वर्षा के दिन 30-40 दिन होते थे, आज 10 दिन हैं। अगर दो दिन में मूसलाधार वर्षा हो जाय और बाद में बरसात चली जाय, सामान्य से ज्यादा वह बरसात रेकार्ड हो जाय तो हम यह नहीं कह सकते कि वहां पर अकाल नहीं है। हमारी सरकार के पास में अकाल का मुख्य आधार है गिरदावरी रिपोर्ट। जिला कलक्टर गिरदावरी रिपोर्ट के माध्यम से जब रिपोर्ट भेजता है और उसके आधार पर सरकार फैसला करती है कि कहां पर अकाल पड़ा है, कहां फसल पैदा नहीं हुई, कहां चारा और पेयजल का गंभीर संकट है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश बहुत ही विचित्र भौगोलिक स्थिति का प्रदेश है और अकाल राजस्थान में पड़ते आये हैं। सन् 1957 से 1991 का इतिहास हम देखें तो कई जिले तो ऐसे हैं जिनमें हर तीसरे या दूसरे साल अकाल पड़ा है। सिरोही ले लें, बीकानेर, बाड़मेर ले लें, अजमेर ले लें या नागौर ले लें, इनमें लगभग दो-तीन साल के अन्दर अकाल पड़ता आया है। पहले दिल्ली की सरकार

(श्री सांवर लाल जाट)

स्वयं आती थी और देखती थी कि इनकी क्या हालत है और कितनी रिलीफ देकर इनको संतुष्ट किया जा सकता है । नवें वित्त आयोग के बाद में प्राकृतिक आपदा कोष बनाया गया उसमें केन्द्र का कान्ट्रीब्यूशन निश्चित कर दिया गया । स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं । केवल 91 करोड़ देकर अगर हम चाहे कि आज की जो राजस्थान की हालत है उससे निपट सकते हैं तो बड़ा मुश्किल है । पर फिर भी इस बात के लिए तो हम धन्यवाद देंगे कि राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किये हैं । जहां नाजुक स्थिति थी....

एक माननीय सदस्य : एक टका ही खर्च नहीं किया ।

श्री सांवर लाल जाट : खर्च नहीं किया पर खर्च करने की कोशिश तो कर दी ना । उपाध्यक्ष महोदय, पैसा तो बाद में दिया जायेगा, काम तो चालू हो गये और अब हम यह कहें कि 1987-88 के पैसे बाकी हैं, काम तो आपने उस समय करवा दिये थे तो आपके पास कोई जवाब नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चारे की सब्सिडी 1987-88 के अकाल के समय की आज तक बकाया है और वह सब्सिडी उन लोगों की बकाया है, जो दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों या अन्य किसी ऐसी सरकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरित किया गया चारा था । बाकी जो स्वयं सेवी संगठन थे जिन्होंने गोलमाल किया, उन सब को सब्सिडी दी जा चुकी है, बहुत कम बाकी है । तो मेरा पहला निवेदन तो माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से आपके माध्यम से यही है कि अजमेर जिले की कई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की स्थिति इसकी वजह से डावांडोल है, लाख-लाख रुपये बाकी है. इसलिए अविलम्ब इसका भुगतान करवाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अकाल के समाधान के लिए हमें स्थाई प्रयास करने होंगे । प्रयास शुरू से किये जाते रहे हैं पर हमने स्थितियां ऐसी पैदा कर दी है, पचास हजार वर्ग किलोमीटर की अरावली श्रृंखला आज वीरान है । केवल पांच हजार वर्ग किलोमीटर के ऊपर वृक्षारोपण मिलेगा । पैंतालीस हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सुनसान है, नंगी पहाड़ियां खड़ी है । बरसात होती है, पानी बह कर चला जाता है, धरती में नहीं जाता है, नदी में मिल कर वह समुद्र में गिर जाता है । कुओं का जल स्तर दिन पर दिन नीचे जा रहा है । सोचना पड़ेगा, अगर हमें समाधान करना है तो हमारी वनस्पति को लगाने की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी । पहली प्राथमिकता सरकार को यह देनी होगी कि जो अरावली की श्रृंखला है, जो वीरान हो गई है उसके ऊपर वृक्षारोपण करवाया जाय । दूसरी ओर हमारा रेगिस्तान बढ़ रहा है और रेगिस्तान की चपेट में आने वाला पूर्वी राजस्थान भी, अगर हम सचेत नहीं रहे, तो मेरा निवेदन यह है कि अरावली के पेरेलल आपको ग्रीन बेल्ट डवलप करनाहोगा जिससे धूल भरी आंधियों से हम अपने दूसरे क्षेत्र को, जो मरुस्थलीय नहीं है, रोक सकें । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यहां ग्रीन प्लांटेशन करवा कर आप इसको रोकिये । इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हृदय स्थली, मैं कहूं

(श्री सांवर लाल जाट)

कि अजमेर है, बिल्कुल मध्य में स्थित है, अजमेर के अन्दर कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। किसानों की हालत बड़ी दयनीय है। अकाल जब पड़ता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला तबका किसान का होता है, खेती करने वाला और गांव में रहने वाला। आज जयपुर में रहने वाले के ऊपर अकाल का उतना असर नहीं पड़ेगा जितना सुदूर देहाती आदमी पर पड़ेगा। उसकी जीवका इस बरसात के ऊपर, इस फसल के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अजमेर जिले में जितने एनीकट अधूरे हैं, कुछ नये तालाब ऐसे बनाये जा सकते हैं जिनसे आप बीस-बीस चालीस-चालीस गांवों का भला कर सकते हैं। किसान पिछड़ता केवल एक बरसात से है, अगर एक पिलाई का पानी आप स्टोरेज कर दें तो किसानों की खरीफ की फसल हो जायेगी, निश्चित रूप से हो जायेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी अधूरे एनीकट और तालाब हैं उन सब को अजमेर जिले में पूरा करें।

इसके साथ ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात करता हूं, भिनाय निर्वाचन क्षेत्र में हनुमान सागर, मनोहरपुरा का तालाब अगर बन जाता है तो निश्चित रूप से मैं कहूं कि चालीस गांवों का कम से कम अकाल का स्थाई समाधान हो जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर विशेष प्रयास करें। मेरे भिनाय निर्वाचन क्षेत्र का, जो सरवाड़ा और केकड़ी, दोनों तहसीलों में आता है, मैं बताऊं हर गांव और हर ग्राम पंचायत के अन्दर सत्तर प्रतिशत खराबा है या इससे ज्यादा खराबा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से आप इस पर ध्यान देंगे और जो गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है इस निर्वाचन क्षेत्र के शत-प्रतिशत गांवों को इसके अन्दर सम्मिलित करेंगे। क्योंकि वह लोग अब पलायन की ओर बढ़ रहे हैं। आज तक तो उनके पास कुछ काम था पर आने वाले निकट भविष्य में, 15 अप्रैल से पहले-पहले, माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करवायेंगे।

इसके साथ ही आज चम्बल का पानी बह कर चला जाता है। बहुत उपजाऊ जमीन है, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक जमाने में चर्चा चली थी गंगा कावेरी योजना की, कावेरी और गंगा को मिलाने की एक नहर बनाने की, वह योजना लुप्त हो गई। अगर यह बन जाती तो निश्चित रूप से राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा मिलता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चम्बल की जो लिफ्ट योजना है, वहां से लिफ्ट योजना के द्वारा आप अजमेर और टौंक जिले में पानी पहुंचा सकते हैं। दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बढ़िया काम फेमिन में हो सकता है, जो भी निजी किसानों के कुंए हैं, उन कुओं का जल स्तर काफी नीचे चला गया, आज अकाल के कारण किसान की हैसियत यह नहीं है कि दस-बीस हजार रुपये लगाकर उन कुओं को गहरा करा सके। सरकार की तरफ से इस प्रकार की योजना बने कि किसानों के कुएं में अगर पानी की संभावना है तो अनुदान देकर, दस-बीस हजार रुपये वह दें तो निश्चित रूप से उन किसानों के कुओं में पानी होगा। तो आने वाले समय के अन्दर

(श्री सांवरलाल जाट)

हमें फायदा होगा। चूंकि खेती का जो प्रभाव पड़ता है, सीधा किसान के ऊपर तो पड़ता ही है, इसके अलावा हमारी राष्ट्रीय और प्रदेश की इकोनोमी पर भी पड़ता है। अगर खेती अच्छी होती है, हमारा ग्रोस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, हिन्दुस्तान की माली हालत सुधरती है। अगर खेती बिगड़ती है तो निश्चित रूप से हम सब को उससे सफर करना पड़ता है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी यह छोटे-छोटे सुझाव हैं, उनके ऊपर आप अमल करेंगे और अकाल का एक स्थाई समाधान इसी दिशा में हो सकता है कि कहां पर कौन से रिसोर्सेज आप डवलप करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

इसके साथ ही पेयजल के सम्बन्ध में विशेष दूभर स्थिति है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की मैं निवेदन करना चाहता हूं और अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उन गांवों के ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे। मदनपुरा, राजपुरा, सोगुली, ऐसे कई गांव हैं बीस-तीस गांव हैं जहां पर फ्लोराइड और क्लोराइड मिला हुआ पानी लोग पीते हैं। कई तरह की बीमारियां वहां पर हो गई हैं। इन चालीस-बयालीस सालों में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई है। इन्हें संवेदनशीलता से, चूंकि हमारा धर्म है कि कम से कम शुद्ध पेयजल हम लोगों को उपलब्ध करवायें, तो निश्चित रूप से जब बीसलपुर का पानी गांवों में पहुंचेगा, तब तो पहुंचेगा, पर आज जो तात्कालिक सहायता हमें देनी है निश्चित रूप से हम इसका प्रयास करेंगे। ऐसी मेरी आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए अब आप। माननीय श्री पूनमचन्दजी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम राजस्थान में अकाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब अकाल की बात आती है तो बहुत से माननीय सदस्य यह कह देते हैं कि अकाल पर 16 अरब रुपये से भी ज्यादा रुपये खर्च हुए पिछले दस-बारह सालों में, लेकिन इसका कोई स्थाई हल नहीं निकल सका। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं की अच्छी योजनाएं बना कर उस अकाल की विभीषिका को कम जरूर किया जा सकता है लेकिन अकाल का स्थाई हल कभी नहीं निकाला जा सकता क्योंकि फसल प्रभावित होती है मौसम से, फसल प्रभावित कीटाणुओं से होती है, अतिवृष्टि से होती है, अनावृष्टि से होती है और अगर अकाल का कोई स्थाई हल निकलता तो रूस जैसा महान देश, जो आगे इतना विकसित, इतना मशीनीकरण वहां, इतनी विज्ञान और टेक्नोलोजी वहां, कृषि विज्ञान में आगे बढ़ा हुआ, फिर भी आप जानते हैं कि वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में अनाज आयातित करना पड़ता है और यह भी नहीं, दबे स्वरों में यह भी बातें आ रही है कि पिछले वर्षों में वहां अकाल के कारण लोगों की मृत्यु हुई। चीन की तरक्की की हम बहुत बात करते हैं लेकिन यह बातें खुलकर आने लगी है कि चीन मे पिछले बीस-पच्चीस सालों से करीब सवा करोड़ लोगों की भूख और अकाल के कारण मृत्यु हुई। यह भी आप जानते हैं कि इथोपिया में और सुमालीलैण्ड में किस तरह के अकाल पड़े और कितने लोग भूख के शिकार हो गये, वह भी आप और हम से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन

(162)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

भारत में और भारत में भी राजस्थान में सदैव हम अकाल से प्रभावित रहते हैं लेकिन भूख के कारण एक भी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, ऐसा प्रमाण सामने नहीं है। तो इसलिए सत्ताधारी जो पार्टी है, इस बात के लिए तो बधाई की पात्र है कि अन्य देशों में और वह भी महान देशों के अन्दर भूख से मृत्यु हो गई, हमारे यहां पर भूख से मृत्यु कभी नहीं हुई। दूसरी बात आम तौर से यह कही जाती है कि इस पर बहुत भारी खर्चा हुआ और हमारे पास साधनों का अभाव है, प्राकृतिक विपदाओं के लिए केवल 92 करोड़ रुपये हैं और उसके बाद में कुछ तीस-चालीस करोड़ और जुड़ कर केवल सवा अरब रुपये सालाना आपके पास है। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी दोषपूर्ण नीति है और उसके कारण आप अकाल में काम नहीं दे पा रहे हैं। जब आपने अप्रैल तक काम ही शुरू नहीं किये तो भारत सरकार किस आधार पर आपको अनुदान देगी, यह बताइयेगा ? वह यही कहेंगे कि अकाल नहीं है और इतना जो खर्चा होता है वह खर्चा होना नहीं चाहिए एक बात और है कि अब मन्दे स्वर में जगह जगह आने लगा है और आप भी दिनों दिन बढ़ा रहे हैं कि फलां जिला अकाल से और प्रभावित है, इतने सैकड़ों गांवों के अन्दर अकाल अब घोषित करने जा रहे हैं। आप थोड़ा विचार कीजिए अकाल राहत मंत्री जी एक मेरे क्षेत्र को लीजिए। मैं यह नहीं कहता कि अन्य क्षेत्रों में अकाल नहीं है। 3- 4 तहसीलें ऐसी हैं कि जिनमें मेरे क्षेत्र में जैसा अकाल है, वहां अकाल है लेकिन जहां पर जून से लेकर अक्टूबर तक दो पंचायत समितियां हैं फलोदी और बाप जहां पर 50 मि. मी. बरसात हुई है 5–6 दफा में मिलाकर, नैनवां, कानासर, रेवरा, मुरज, मुड़ला कई गांव ऐसे हैं जहां 11 साल से अकाल है। दूसरी तरफ आपने हमारे जिले के अन्दर 3 तहसीलों को प्रारम्भ में अकालग्रस्त घोषित किया है जिसमें शेरगढ़, ओसियां और फलोदी हैं। फलोदी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक एकड़ भी सिंचित क्षेत्र नहीं है, एक भी कारखाना नहीं है। जब अच्छी बरसात होती है तो नमक का उत्पादन होता है। और जब बरसात नहीं होती और कुओं में पानी नहीं होता तो नमक भी नहीं बन सकता। दूसरी तरफ ऑसियां मरुस्थल के मध्य है लेकिन आधी ऑसियां तहसील के अन्दर मिर्च, रायड़ा और जीरे की जबर-दस्त फसल होती है और आधे शेरगढ़ के अन्दर मिर्च, सरसों और गेहूं की अच्छी फसल होती है। अब जगह-जगह अकाल है वह डिक्लेयर करने जा रहे हैं लेकिन आपके यहां यह कोई भेद नहीं है और 11 साल से कहीं गांव में नहीं हुआ। इस साल पूरे वर्ष में केवल 50 मि. मी. वर्षा हुई और वह भी एक बार में और जहां पर रबी फसल खड़ी है, बूंदी के अन्दर आज अकाल है, दौसा के अन्दर अकाल है, जयपुर के अदर अकाल है, चित्तौड़ में अकाल है, भीलवाड़ा में अकाल है जहां कि रबी फसल ठीक है। बढ़िया नहीं हुई होगी लेकिन रबी फसल जरूर है लेकिन जहां हल ही खड़े नहीं किये तो मैं चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां पर हमारे क्षेत्र में पिछले वर्ष अकाल था इस साल आधे से अधिक गावों में हल ही खड़े नहीं किये वहां भी काम शुरू नहीं किये और अब सब के साथ काम शुरू करने जा रहे हैं तो यह न्याय की व्यवस्था नहीं है। आपको ऐसा प्रबन्ध

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

करना चाहिए, आपके पास बहुत ही सुसज्जित प्रशासन है, आपको मिनट-मिनट की खबर रहती है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां पहले शुरू होने चाहिए था वहां पर काम समय पर, नवम्बर में शुरू हो जाते। दिसम्बर, जनवरी में और ज्यादा लोग लगा देते। इसका आज राजनीतिकरण किस तरह से हो रहा है कि इसमें एनीकट बन सकते हैं, छोटे-मोटे सिंचाई के काम हो सकते हैं, सड़कें पूरी हो सकती हैं और आपकी नियत कुल मिलाकर यह है कि थोड़ा-थोड़ा बराबरी में टुकड़ा सबको मिल जायेगा। उनका तो सवाल है विकास के कार्यों का और हमारा सवाल है पेट का। इन दोनों में आप भेद कीजिए और न्याय कीजिए। समय थोड़ा है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता।

अकाल के अन्दर बहुत से उपयोगी कार्य हो सकते हैं लेकिन अकाल में कौन से कार्य हाथ में लिये जायेंगे इसकी कोई हमारे पास योजना नहीं है। जब अकाल पड़ता है उस वक्त जुबानी तौर पर कभी मीटिंग बुलाई तो बुला ली कि यह सड़क कर दो और यह तालाब खुदवा दो; यह काम हाथ में ले लो यह कोई काम खोलने का तरीका नहीं है। बैठकर हर जिले और हर जिले में हर गांव की हमारे यहां पर तालाबों और सड़कों पर ही लोगों को लगाया जा सकता है तो कौन सा तालाब है, उसका कितना जल ग्रहण क्षेत्र है, पानी से भरा जाये तो कितने महीने चलता है। तो इन सब पर आपको योजना बनाकर तैयार रखनी चाहिए और उसके बाद में जब कभी अकाल पड़े तो जहां भूसंरक्षण के काम हैं प्रोफेसर साहब कह रहे थे और श्री रमाकान्त जी साहब भी कह रहे थे जो थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य हैं, बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है कि हमारे कुओं का जल स्तर नीचे जा रहा है। मिट्टी के काम से जल के स्तर को बढ़ाया जा सकता है तो इन कामों को हाथ में लेना चाहिए। वन विकास के कार्य बहुत से हाथ में लिये जा सकते हैं और उसके लिए हमको योजना बनानी चाहिए। तो तरह तरह के इस तरह के कार्यों को हाथ में लेकर और इसकी एक योजना हम बनाते हैं पूरे राजस्थान के लिए, राजस्थान में अकाल पड़ता रहता है तो मैं समझता हूं कि यह पैसा व्यर्थ में नहीं जायेगा, व्यर्थ में तो नहीं जाता लोगों को मजदूरी मिलती है और बहुत से कह रहे थे कि बनीपार्क क्षेत्र में अकाल से क्या लाभ होगा तो सर्वाधिक लाभ तो बनीपार्क क्षेत्र में भी होता है। आफिसर्स के बंगले, इन्जीनियर्स के बंगले ज्यादातर बन जाते हैं। तो उनको निश्चित लाभ मिलेगा। गरीब को तो कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि पूर्व में भी गलतियां हुई हैं। यह नहीं कि गलतियां नहीं हुई लेकिन जिस बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने कामों को हाथ में लिया उसका कोई उदाहरण नहीं था। तो उन गलतियों से सबक लेकर आप कोई सुधार करते, सुधरे हुए तरीके से काम शुरू करते वह काम तो आपने किया नहीं और मैं समझता हूं कि अब तो ऐसा समय आ गया है कि इसमें भी प्राथमिकता दें उन क्षेत्रों को जहां वास्तव में अकाल है और दूसरों को भी राजी करना चाहे तो थोड़े बहुत वहां पर भी मजदूर लगायें क्योंकि किसान हैं वैसे भी आप जानते हैं कि किसान के पास तीन-

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चार महीने काम रहता है उसके बाद में उसके पास काम भी नहीं रहता है, तो यह मेरे कुछ सुझाव थे जो मैंने आपको दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 12 तहसीलें हैं और 2399 गांव हैं जिसमें से प्रतापगढ़ के 347 और अरनोद के 115 गांव इस अकाल राहत कार्य में लिये हैं जिसके लिए मैं अकाल राहत मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे बेगूं तहसील में कुल 463 गांव हैं और दो पंचायत समितियां हैं इसमें एक भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति ऐसी समिति है जिसकी करीब 45 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है और यह भी अधिकांश वह गांव हैं जो राणाप्रताप सागर बांध की डूब में आये हुए विस्थापित लोग हैं जिनको वहां बसाया गया है। वहां अभी तक उनके न मकान बन पाये हैं, न खेत पूरे बन पाये है इसीलिए उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं हो पाया है। इस वर्ष जो भी वर्षा चित्तौड़गढ़ जिले में हुई है हालांकि सामान्य वर्षा से भी अधिक हो गयी लेकिन वह बरसात एकदम हो जाने से सारे अकाल की जो स्थिति है वह ना के बराबर होकर अकाल हो ही गया है। वह गांव जो विस्थापित लोगों के हैं उनकी जमीन राणाप्रताप सागर बांध के किनारे पर होने से वह उसमें खेती करते थे और इस साल अत्यधिक पानी भर जाने से उनकी जो फसल खड़ी थी वह डूब गयी और खरीफ की फसल तो इस तरह से नष्ट हो गयी और उसके साथ ही जो उनकी एक फसली, बारानी और बीड़ की जमीन थी उसमें कोई पिलाई का साधन नहीं होने से दूसरी फसल भी नहीं बो सके और आज उनकी स्थिति यह है कि इधर-उधर मजदूरी के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। कहीं यह सोच कर कि औसत बरसात अच्छी हो गयी और एक जगह को लेकर उसको अकाल की स्थिति में नहीं गिना गया, मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि उन गरीब लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ तो वह घरबारविहीन हैं, उनका कोई घर नहीं, गवाड़ी नहीं, कुएं नहीं, खेत नहीं-कुछ भी नहीं बन पाया और दूसरे उनके ऊपर इस तरह से इस साल कोई फसल पैदा नहीं होने से कोई मजदूरी का जरिया नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में भैंसरोडगढ़ पंचायत, जावदा, तम्बोलिया, बुड़ाव, मन्डेसरा, राजपुरा, गोपालपुरा, बलकुण्डी, जवानगर कुआंखेड़ा और एकलिंगपुरा पंचायत के करीब 100 गांव ऐसे हैं कि जिसमें उनमें रहने वाले गांवों के लोगों को खाने के दाने भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वहां जितनी जल्दी हो सके अकाल राहत के कार्य शुरू किये जाय। साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जहां अन्न का अभाव है वहीं घास का भी हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ा अभाव हैं। मारवाड़ से आने वाली भेड़ें घास का अकाल और भी पटक देती है। हमारे यहां बेगूं तहसील में 463 गांवों में से करीब 350 गांवों में चरनोट के लिए आवश्यक जगह है, चारागाह के लिए बाकी गांवों में वैसे ही भूमि नहीं है जहां उनके लिए चरनोट सुरक्षित की जा सके। यह भेड़ें आती हैं तो जो काश्तकारों के बीड़

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

होती हैं, फसलें होती हैं उन खड़ी फसलों में ग्वाले चरा देते हैं, बीड़ चरा देते हैं और सेंचुरी के जंगल तक साफ कर देते हैं। तो इस तरह से अकाल में और अकाल पड़ जाता है और इसी की वजह से हमारे इलाके में चारे का बड़ा भारी अभाव है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो भी काम अकाल राहत में शुरू किये जाय, ऐसे कार्य किये जाय जिनका आगे भविष्य में आने वाले समय में भी अकाल पर असर न पड़े। जैसे मान लीजिए छोटे-छोटे एनीकट हैं, बन्धे हैं, प्राथमिकता उनको दी जाय ताकि वहां पानी रुका रहेगा और उसका असर यह होगा कि उनको यदि एक पानी की जरूरत रह गयी हो तो वह पूरी हो सकेगी। इसलिए ऐसे कामों को प्राथमिकता दी जाय जिससे जल स्तर बढ़ सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फतेह सिंहजी।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे आज अकाल पर चर्चा हो रही है, समय कम है इसलिए सिर्फ अपने बांसवाड़ा जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिला एक आदिवासी जिला है और राजस्थान सरकार यह जानती है कि बांसवाड़ा जिले में एक माही बांध है और इससे उस जिले में इतना अकाल नहीं है। लेकिन बांसवाड़ा जिले में एक बांध होने के नाते सिर्फ गढ़ी, घाटोल का एरिया और कुछ बागीडोरा का एरिया ही कमाण्ड में आता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, कुशलगढ़ है वह बिल्कुल सूखा है। अभी चर्चा हो रही थी कि बांसवाड़ा जिले में बरसात अधिक हुई, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में बरसात देर से आयी, फसलें बोने के बाद 5-7 दिन तक बरसात लगातार होती रही और कहीं फसल उगी कहीं नहीं। फसल खराब हो गयी और बरसात रुक गयी। इससे बोई हुई फसलें नष्ट हो गयीं। हालांकि नदी-नालों में पानी आया, तालाबों में कुछ पानी आया और आखिर बरसात रुकने के कारण वहां की फसलें नष्ट हो गयीं। वहां के लोग सिर्फ खेती पर निर्भर हैं। राजस्थान में अन्य जिलों में अकाल है। मैं मानता हूं लेकिन उन इलाकों में कुछ लोग शिक्षित हैं, पढ़े-लिखे हैं, सर्विस में हैं। एक न एक परिवार का सदस्य कहीं न कहीं सर्विस में लगा हुआ है लेकिन बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बागीडोरा, दानपुरा और पीपलखूंट के इलाके में पहले से शिक्षा की कमी रही है। स्कूलों की कमी थी। लोग पढ़-लिख नहीं पाये। जंगल आबाद था, खेती अच्छी होती थी। पहले कभी पुराने जमाने में कुछ साल लोग पढ़े भी होंगे परन्तु आज स्कूलों की कमी है। तो वहां पर लोग जंगलों पर निर्भर रहते हैं, जिन्दा रहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अन्य इलाकों में लोग कहीं न कहीं, परिवार का एक न एक सदस्य सर्विस में है और उनको कुछ सहारा है लेकिन बांसवाड़ा जिले का एरिया सूखा है, जो नोन कमाण्ड में है, वहां पर लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, कहीं आगे नहीं आये, कहीं सर्विस में नहीं लगे सिर्फ खेती पर निर्भर रहे और वहां की हालत इतनी भयंकर है कि लोग मजदूरी के लिए गुजरात गये। गुजरात में मजदूरी नहीं मिली। कहीं न कहीं गुजरात में कई लोगों ने डकैतियां की। इस बात को लेकर वहां से मजदूरों को वहां की पुलिस ने

(श्री फतेह सिंह)

धर पकड़ की, मार-पिटाई की और वहां से मजदूर वापस लौट कर आ गये। पिछली एक जनवरी को कुशलगढ़ में 1 से 12 तारीख तक वहां के मजदूरों ने किसानों ने और दल के लोगों ने एक धरना दिया। रोजाना हजार, दो हजार, पांच हजार लोग वहां बैठते थे एस डी. एम. के आफिस पर और फिर वहां से तार-टेलीग्राम करते थे, लिखा-पढ़ी करते थे और अन्त में 12.3 के पूर्व में कुशलगढ़ से एक डेपुटेशन जयपुर में आया। मुख्य मंत्रीजी से मिला, अकाल मंत्रीजी से मिला और वहां की सारी पोजिशन बताई। हम यहां पर आये तब तक वहां पर लोग धरने पर बैठे हुए थे और यहां पर हमें आश्वासन मिला, मुख्य मंत्री जी ने यहां कहा कि हम आपके यहां बहुत जल्दी 15 तारीख, को यानि 10 तारीख को हम आये और 15 तारीख तक मजदूर लगा देने का उन्होंने वायदा किया। वापस हम लौट कर गये तो 12 जनवरी को धरने पर बैठे लोगों को, हमने मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन पर उठाया। ठीक उसी बात को लेकर उन्होंने यहां से 5 हजार लेबर दिये। 5 हजार लेबर देने के बाद उन्होंने यहां से आदेश जारी किये। जिला प्रशासन ने ढील की और वहां पर 5 हजार मजदूर कुशलगढ़ क्षेत्र में दिये, 5 हजार लेबर घाटोल और बागीडोरा के लिए दिये हैं लेकिन अब तक उन मजदूरों को मजदूरी पर नहीं लगाया। केवल कुशलगढ़ क्षेत्र में 5 हजार मजदूर लगाने के खातिर आपस में गांव में टकराव हुआ है। एक गांव में 100 घर की आबादी है। किसी गांव में 200 घरों की आबादी है। एक गांव में एक काम खुला, 50 लेबर लगे। 50 लेबर में 200 लोगों को कैसे एडजेस्ट किया जाय, यह एक बहुत-बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। तो मैं सरकार से और अकाल राहत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 5 हजार लेबर आपने कुशलगढ़ में दिये हैं, 5 हजार लेबर और दिये और इस बार 15 हजार लेबर आपने देने का वायदा किया है लेकिन 15 हजार लेबर से उस क्षेत्र में कुछ होना जाना नहीं है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि वास्तव में अगर उस इलाके के लोगों को जिन्दा रखना है, लोगों की भूख को बुझाना है और साथ ही साथ वहां का विकास करना है तो आप कम से कम और इलाके के बजाय वहां पर 25 हजार लेबर तो अभी लगायें, तभी वहां के लोग संतुष्ट होंगे वरना 5 या 15 हजार मजदूरों को लगाने की बात पर टकराव होंगे, झगड़े होंगे, आपस में लोगों की

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मुकदमेबाजी होगी तो लोगों को राहत मिलने के बजाय और मुकदमेबाजी में फसेंगे लुटेंगे। तो मैं यह उम्मीद करूंगा कि कुशलगढ़, बागीडोरा, दानपुरा और घाटोल के इलाके में कम से कम आप 25 हजार मजदूर पूरे जिले में देवें ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि अनाज की कमी है। अनाज आपके यहां से हम को मिलता है एक परिवार के लिए दो किलो। दो किलो के हिसाब से अगर दस परिवारों को हम देंगे तो एक महीने के लिए दो किलो तो सूट ही नहीं करता है। दो किलो लेने के लिए कोई व्यक्ति जायेगा ही नहीं। दो किलो से किसी व्यक्ति का पेट नहीं

(श्री फतेह सिंह)

भरेगा। ग्रामीण और शहर में अन्तर है। शहर में आपने पांच किलो या दस किलो देने का वायदा किया और दे भी रहे हैं और देहात में दो किलो देते हैं। इसका क्या कारण है ? तो मैं यह चाहूंगा कि शहर के लोग तो कम से कम पैसे वाले होते हैं, सर्विस में हैं, बिजनिसमैन हैं उनको अगर आप दो किलो देगें तो वह तो कम से कम और कहीं से महंगा लेकर खालेंगे लेकिन देहात के लोग, मजदूरी करते हैं उनको तो कम से कम दस किलो अनाज मिलना चाहिए। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि एक तो राशन बढ़ाया जाय और दूसरी बात, पानी की कमी है। उस इलाके में पानी पड़ा। कुछ लोगों ने कुओं से पानी निकाल लिया, कुछ ने तालाबों से पानी निकाल लिया। लोगों ने उस इलाके में चने और गेहूं की फसल बोयी थी वह भी सूख गयी, जो होनी चाहिये थी वह भी नहीं हुई। पानी की कमी है इसलिये मैं चाहूंगा, उस इलाके में जहां जहां पानी की कमी है वहां पर अकाल राहत के कुएं खुदे हुए हैं उन कुओं को गहरा कराने के लिये अकाल राहत में लिया जाय। जिस इलाके में कुएं नहीं हैं वहां पर पानी की जरूरत है, उस इलाके में हैण्ड पम्प खोदे जायं या पानी का कोई सोर्स ढूंढा जाय या मशीन से जांच करायी जाय तब जा करके उस इलाके के लोगों को पानी के लिये राहत मिल पायेगी। तो यह तीन बातों के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा। उस इलाके में भरपूर राहत लोगों को दी जाय, मजदूरों की संख्या बढ़ायी जाय, अनाज का जो कोटा है वह बढ़ाया जाय, घास की व्यवस्था की जाय। घास के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा माही कमांड एरिया में गेहूं चने का भूसा है, अगर गेहूं-चने का भूसा उस जिले में संग्रह करें, बाहर नहीं जाने देवें तो मैं समझता हूं कि बांसवाड़ा जिले में जो नान कमांड तहसीलें हैं, जो एरिया है, अगर पंचायत स्तर पर भूसे को भिजवा दें यानि पंचायत स्तर पर अगर घास चला जायेगा तो लोगों को मजदूरी मिलेगी, पैसा उनके पास होगा तो घास ले करके भी वह मवेशी को खिलावेंगे, जिन्दा रखेंगे। वरना स्थिति यह पैदा हो जायेगी, वहां कोई दुधारु मवेशी तो है नहीं, सर्फ जो मवेशी रखे हैं, एक खाद के लिये और दूसरा खेती के लिये। तो खेती के लिये हमारे पास बैल नहीं रहेंगे तो वहां पर तो ट्रेक्टर चलना है नहीं। वह पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है, टुकड़ों टुकड़ों में जमीन है इसलिये ट्रेक्टर से खेती हमारे यहां होती नहीं है। सिर्फ हलों से खेती होती है वह खेती भी छोटी हो गयी है और खेती के ऊपर लोग निर्भर नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि इस मौके पर अगर आप अभी लोगों को राहत देकर जिन्दा रखें और उस इलाके के लिये हमेशा के लिये हमें अकाल को दूर करना है तो उस इलाके की जैसी स्थिति है उसका भी एक सर्वे किया जाय मास्टर प्लान बनाया जाय, किस इलाके में तालाब बन सकता है, कहां एनीकट बन सकता है, कहां हम छोटे डैम बना सकते हैं, कहां कुएं खुदवा सकते हैं। ऐसी कोई तैयारी के साथ में उस इलाके में आने वाले समय में अगर हम काम करेंगे तो हमेशा के लिये हमारे वहां का अकाल दूर हो सकता है। मैं उदाहरण

(श्री फतेह सिंह)

के लिये आपको यह कहना चाहूंगा, हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सरकार ने जहां जहां छोटे नाले थे उन नालों को बांधा, बांधने के बाद जब बरसात आई तो बरसात आने के बाद तमाम छोटे-छोटे डैम में पानी भरा, पानी भरने के बाद कुओं का पानी का स्तर ऊंचा आया, नाले बहते रहे, लोगों ने खेती भी की, आज भी वहां पानी कुछ भरा हुआ है। तो मैं यह उम्मीद करूंगा, उस इलाके में जितने भी अकाल राहत के तालाब हैं या एनीकट हैं या कुएं हैं उनको इस अकाल राहत में हाथ में लिया जाय तो वहां का विकास बढ़ेगा, आने वाले समय में लोगों को राहत मिलेगी और हमेशा के लिये हम अकाल का ढिढ़ोरा पीटते हैं वह हमें पीटना नहीं पड़ेगा और लोगों के पेट भरने का एक साधन हो जायगा। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री बी. डी. कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसकी 77.17 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और इसके क्षेत्र का लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जो मरुस्थल के रूप में जाना जाता है और इस मरुस्थल का 95 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जहां एक फसल होती है और बरसात के ऊपर खेती निर्भर करती है, मानसून के ऊपर खेती निर्भर करती है। बरसात होती है तो ठीक है। बरसात होती है तो भी छह महीने तक तो अकाल रहता ही रहता है। ऐसी परिस्थितियों में उपाध्यक्ष महोदय, डा. सी. एस. क्रिस्टाइन सन् 1959 से राजस्थान में आये और उन्होंने बरसात की जो औसत मात्रा है उसको ध्यान में रखते हुए वहां के फ्लोरा-फाउना, एक्सट्रीम एरिडिटी, इन सबको आधार मानते हुए 12 जिलों को एरिड और सेमी एरिड जोन में विभक्त किया। इसमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली यह इलाके जो है, एरिड जोन में हैं, चूरू एरिड जोन में है इसके अलावा सीकर झुन्झुनूं, सिरोही इन जिलों को इन्होंने सेमी एरिड जोन में विभक्त किया। ऐसी स्थिति में राजस्थान के पूरे दृश्य का मूल्यांकन करें तो 1988 की राज्य की जो पशु गणना है उसके आधार पर 409 लाख पशु और राजस्थान राज्य में कुल दुग्ध उत्पादन का 10 प्रतिशत, बकरे का मांस लगभग 34 प्रतिशत और ऊन का उत्पादन पूरे देश से उत्पादन का 40 प्रतिशत अपने प्रदेश में होता है। पशुओं की संख्या पूरे देश की जो पशुओं की संख्या है उसका 35 प्रतिशत राजस्थान में है। राजस्थान की आय का लगभग 15 प्रतिशत कैटल फीड इकानामी के आधार पर आता है। इसी प्रकार हमारे यहां राजस्थान में वर्तमान में सरकार ने वर्षा की स्थिति बतायी है उसके आधार पर औसत वर्षा और सामान्य वर्षा के आंकड़ों में डेवियेशन है, उसमें सामान्य औसत वर्षा और वास्तविक वर्षा का मेक्सिमम डेवियेशन माइनस 72 प्रतिशत बीकानेर में, माइनस 56 प्रतिशत जालौर में और माइनस 56 प्रतिशत बाड़मेर में दिया हुआ है और अन्य जिलों में भी ऐसी स्थितियां हैं। जो राज्य सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उसके अनुसार 16552 गांवों में खराबा 75 प्रतिशत से अधिक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बताया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय इन्होंने अभावग्रस्त गांव कितने घोषित किये हैं ? मैं समझता हूं, इसकी संख्या लगभग 5000 से ऊपर राज्य सरकार ने घोषित की है। पांच हजार और तीन सौ कुछ गांव, उसके बाद....

श्री कैलाश मेघवाल : 13276.

श्री बुलाकीदास कल्ला : 13206. अब मैं माननीय सिचाई मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, राज्य में दो करोड़ 89 लाख लोग अकाल से प्रभावित आपने बताये है और दो करोड़ 71 लाख पशु प्रभावित बताये हैं लेकिन मार्च तक आपने काम कितनों को दिया ? एक लाख श्रमिकों की संख्या निर्धारित की है और प्रदेश में केवल 98,314 पशुओं को आपने अलग-अलग प्रकार से सहायता दी है जिसमें लगभग 80 हजार पशु तो ऐसे हैं जिनको आपने चारा अनुदान के रूप में प्रदान किया है और लगभग 15314 पशु, पशु शिविरों में और लगभग 3 हजार पशु गो-शालाओं में है। इस प्रकार 98314 पशुओं को आपने....

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय कल्ला साहब, चार जिलों में ही एक लाख पशुओं को अनुदान दिया जा रहा है। दस हजार जैसलमेर, दस हजार चूरू, दस हजार बाड़मेर और पचास हजार अकेले बीकानेर में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने इसमें कोई गलत कहा है क्या ?

श्री जगमाल सिंह यादव : एक लाख तो चार जिलों में ही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कहां है एक लाख ? आपकी स्टेटिस्टिक्स गलत है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं बता रहा हूं ना, दावे से कह रहा हूं। दस हजार चूरू, दस हजार जैसलमेर, जैसलमेर; दस हजार बाड़मेर और 50 हजार बीकानेर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह 80 ही हुए ना ?

श्री जगमाल सिंह यादव : एक लाख तो चार जिलों में हो गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कहां हो गये ? पता ही नहीं है आपको। अब आपका यह विषय नहीं है, आप वकालत ज्यादा मत करिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : पचास हजार अकेले बीकानेर में हैं। यह तो पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं चार जिलों की बात बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, आप मुझे इतना संकीर्ण क्यों बता रहे हैं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं भी आपको राजस्थान की बता रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल पूरे प्रदेश में दो करोड़ 71 लाख पशु प्रभावित हैं और दो करोड़ 89 लाख जनसंख्या प्रभावित हैं इन्होंने बतायी

(170)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

है लेकिन इन्होंने केवल मात्र 98314 पशुओं का प्रबन्ध किया है और मार्च तक एक लाख श्रमिकों की सीमा निर्धारित की है। अब वास्तव में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, इसका तो जब यह उत्तर देंगे तभी पता लगेगा। हालत यह है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं गांव गांव में गया हूं, भोलासर, अच्छासर, कानासर, मेघासर, अकासर, इन गांवों में प्रतिदिन दो गायें मरी हैं और कम से कम 6 हजार से ज्यादा पशु हमारे बीकानेर जिले में मरे हैं। फलौदी तहसील की, अन्य भाग और इनकी आगे की बात करें तो हजारों पशु इस राजस्थान में मरे हैं और पलायन कर रहे हैं। मैं आपको इसका उदाहरण इस रूप में देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में हमारे अकेले बीकानेर से दो लाख लीटर दूध प्रति दिन इक्ट्ठा होता था, आज 35 हजार लीटर, 40 हजार लीटर प्रति दिन दूध इकट्ठा हो रहा है। गायें कहां गयीं ? गायें अकाल से प्रभावित हुई हैं, मरी हैं, पलायन कर गयी हैं। लोग पलायन कर रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा कि कहां-कहां कुपोषण की स्थितियां बनी हैं। इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय, टैस्ट वर्क जो हमेशा अक्टूबर में शुरू होते हैं, इस बार इन्होंने फरवरी में काम शुरू किया। टैस्ट वर्क वहां शुरू होते हैं, जहां एक, दो बरसात हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में तो हल भी नहीं चले। लगातार पांच साल से कोलायत, लूणकरणसर और नौखा के कुछ गांवों में अकाल पड़ा हुआ है, वहां हल नहीं चले। इनकी गिरदावरी करा रहे हो आप नवम्बर, दिसम्बर के महीने में। ऐसी स्थितियों में मैं यह कहना चाहता हूं, 56 के अकाल का मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा, लोग मरे हुए मिले, लेकिन जेबों में सोने की मोहर मिली। राज्य सरकार के पास मैं विगत बार बताऊंगा लगभग 300 करोड़ से ज्यादा की राशि अकाल राहत कार्यों की पड़ी हुई है लेकिन राज्य सरकार मक्खीचूस, कंजूस और एक तरह से कृपण होकर अपनी जेब में पैसा रखे हुए हैं। अभी बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे केन्द्रीय सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, केन्द्र सरकार ने तो प्रति वर्ष आपको 93 करोड़ रुपया दिया है और 31 करोड़ रुपये प्रति वर्ष राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है। लेकिन आपने किया क्या है ? इस 1991-92 का आपका संभावित व्यय 25 करोड़ रुपये और इसी तरीके से 90-91 में व्यय....

श्री उपाध्यक्ष : अब दो मिनट ही शेष रहे हैं, पूरा कर दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां पौने 6 बजे बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ना, ना मैं घड़ी देख रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : और तीन मिनट हुए हैं अभी तक....

श्री उपाध्यक्ष : मैं घड़ी देख रहा हूं। मेरी घड़ी यह है। इसमें फर्क है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 1990-91 में 50.8 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किये,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

1991-92 में 25 करोड़ रुपया संभावित व्यय बताया है और 1992-93 का भी पैसा एक अप्रैल से इनको मिल गया है। इसी प्रकार राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का कुल 372 करोड़ रुपया 92-93 के एण्ड तक आपको मिलेगा और इसमें से आपका खर्चा, जो आपने अभी बताया है, 75.8 करोड़ रुपये। 2.38 करोड़ रुपया 1989-90 का आपके पास पड़ा हुआ है। इस प्रकार कुल मिला कर लगभग 298.56 करोड़ रुपये आपके पास पड़े हुए हैं और आप कहते हैं पैसा नहीं है। सभापति महोदय, यह पैसा नहीं खर्च करेंगे तो केन्द्रीय सरकार से जो उनको 93 करोड़ रुपया प्रति वर्ष मिलता है, मुझे लगता है 33 करोड़ भी इनको नहीं मिलेगा। राज्य सरकार एक तरफ तो राहत कार्य नहीं खोल रही है, पशुओं के लिए पशु शिविर नहीं खोल रही है और दूसरी तरफ लोग यहां से अपने पशुओं को लेकर राज्य से बाहर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने राहत कार्य अभी तक पर्याप्त मात्रा में नहीं खोले हैं। इसी तरीके से इन्होंने जैसा बताया....

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये टाइम पूरा हो गया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं क्या बताऊं। मैंने तो अभी शुरू किया है।

श्री उपाध्यक्ष : डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो व्यवस्था के अनुसार चलूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप देख लीजिये मैं... नहीं बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सदन ने अनुमति दी है। 8 से 10-10 मिनट के बीच में आपको बुला दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 10 मिनिट में कहां बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास तो ज्ञान का खजाना है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पौने 6 बजे शुरू किया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं घड़ी देख रहा हूं। देख लीजिए आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, पौने 6 बजे मैंने शुरू किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप आगे का समय ले रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सदन इनके ज्ञान से लाभान्वित हो रहा है ना। यह सदन इनके ज्ञान से लाभान्वित होना चाहता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है। सदन से हर आदमी अपने अपने क्षेत्र की बात कह रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं 3-4 मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा आपको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, क्या बुलाऊ नहीं करेंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : 8 मिनट में माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई ने अपनी बात कही है। (व्यवधान) आपने व्यवस्था दी है, यह मेरी व्यवस्था नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह मेरे साथ ज्यादती है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सचेतक जी ने प्रस्ताव दिया है कि आठ और दस मिनिट का समय दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो 6 मिनट भी नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सदन का सबसे ज्यादा समय लेते हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं 3-4 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, साहब सॉरी। आप सहयोग कीजिए....(व्यवधान) आपके दो, तीन आदमियों का टाइम दे दीजिए, आप भले ही घण्टे भर बोलो। आप विराजिये। ऐसा नहीं होता है। कल्ला साहब विराजिये, व्यवस्था बनाइये आप सारी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी राज्य सरकार ने अकाल राहत कमेटियों का गठन किया नहीं है। पहली बार ऐसी स्थिति हुई है, पूरे राज्य में अकाल राहत कमेटियों का गठन नहीं हुआ है। अकाल राहत कमेटियों का गठन होना चाहिए। राज्य सरकार कहती है कि अकाल का स्थायी समाधान करने के लिए हमें उन्हें सुझाव देने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजियेगा। आप नोट मत कीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा समय का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : तो और भी तो बोल रहे हैं ना। मैं गलत कह रहा हूं क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे चेलेंज कर रहे हैं। मैं आपके टाइम के लिए भी कंजूसी करूंगा क्या ? क्या बात कर रहे हो आप ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल नोट किया हुआ है हमारे पास। आप 5.45 बजे पर बोलना शुरू हुए हैं। 10 मिनट दिये हैं ना। बिल्कुल 10 मिनट दिये हैं। मैं कल्ला साहब के समय में कभी भी कंजूसाई नहीं कर सकता। अच्छा बोलने वाले हैं। सदन में अच्छा ज्ञान देते आये हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सॉरी सर। कल्ला

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

साहब विराजिये प्लीज कावरेट दी चेयर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मेरी नहीं है, यह सदन की व्यवस्था है। मेरी स्वयं की व्यवस्था नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्यों ने मुझे निर्देशित किया है कि आप 8 और 10 मिनट का समय दीजिए। मैं पक्षपात नहीं कर सकता। सॉरी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप इन्हें कम्प्लीट करने का टाइम दीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने 5 45 बताया है कि 5.45 से शुरू किया है, 10 मिनट अब हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह घड़ी देखिये, यहां क्या हुआ है। यहां क्या बजे हैं। मैं इसी घड़ी से नोट कर रहा हूं। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, ओनेस्टली 5.45 नोट किया है मैंने टाइम। मैं इनके समय में कब डिस्टर्ब करूंगा और क्यों करूंगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं आप नहीं करेंगे। मैं इस बात के लिए चेलेंज नहीं करता कि आपने 10 मिनट नहीं दिये। आपने फरमाया 5.45 से शुरू किया है। हमारे सामने वह घड़ी है, 5.45 से हिसाब से 10 मिनट अब हो रहे हैं। ढाई, तीन मिनट तो इसी में लग गये।

श्री उपाध्यक्ष : अब पीछे वाली देखिये और मैंने उसी से समय दिया है। (व्यवधान) वह अन्तर है लेकिन वह देखिये, 6 बजा रही है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी निगाहों में फर्क है, सत्ता पक्ष की घड़ी अलग और ना पक्ष की अलग, इन दोनों का समय तो एक कराओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक कराने की व्यवस्था करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने वह घड़ी लगी हुई है, सत्ता पक्ष के सामने वह घड़ी लगी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : और अगर वह भी लगी हुई है तो भी टाइम मैंने बराबर दिया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरा कहना आपसे यह है कि तीन मिनट....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी व्यवस्था है मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा है मुझे।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सदन की व्यवस्था है, यही मैं कह रहा हूं। आपकी व्यवस्था नहीं है ।

श्री नत्थीसिंह : दो मिनट देकर समाप्त कराओ। दो मिनिट दे दीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : हर मैम्बर बोलेगा, मैं नहीं रोक सकूंगा। मैं किसी को फिर नहीं रोक सकूंगा। व्यवस्था चाहते हैं तो आप सब सहयोग कीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप भी तो सहयोग कीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राज्य सरकार की तरफ से आप कृपण क्यों बन रहे हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के समक्ष एक बहुत ही, अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के खिलाफ बहिष्कार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (माननीय सदस्य ने सदन से बहिर्गमन किया।)

डा. जितेन्द्र सिंह : देश में अकाल है। राजस्थान भारतवर्ष का ऐसा प्रदेश है जहां अकाल भयंकर रूप से पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से पड़ रहा है और इस प्राकृतिक आपदा से यहां के लोग त्रस्त हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की विभीषिका, समस्त भारतवर्ष में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसका प्रभाव राजस्थान में सबसे ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिला एक ऐसा इलाका है जहां राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर करीब-करीब 10 प्रतिशत क्षेत्रफल जैसलमेर जिले में आता है और समस्त जिला अकाल और अभाव से प्रभावित हैं। यही एक ऐसा जिला है जिसके समस्त 578 गांव अकाल से प्रभावित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सहायता विभाग ने जो इस वर्ष का प्रगति प्रतिवेदन निकाला है उसमें भी इस चीज को स्वीकारा गया है और भूमिका में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इस प्राकृतिक आपदा पर मानव नियंत्रण पाने में असमर्थ रहे हैं। उसका मैं समर्थन करता हूं और इस ओर आपका और सदन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि उन्होंने नवें वित्त आयोग की सिफारिशें मान कर राजस्थान के प्राकृतिक आपदा कोष की स्थापना करवा कर वित्तीय संसाधनों का बिल्कुल बंधन और अंकुश स्थापित कर दिया है। जो नवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आयी है, उसके अनुसार राज्य को प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मात्र 124 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उसमें 75 पर्सेण्ट धनराशि 93 करोड़ रुपये केन्द्र से है और 25 पर्सेण्ट धनराशि 31 करोड़ राज्य सरकार का अनुदान है। इस प्रकार अगले 5 वर्षों के

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

लिये प्रतिवर्ष 124 करोड़ रुपये का निर्धारण कर दिया गया है। पिछले वर्षों में सिस्टम दूसरा था। आठवें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश थी, जब 16 करोड़ 75 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में दिये जाते थे उसके बाद केन्द्रीय सरकार का दल आकर सर्वे करता था और उनकी सिफारिशों के अनुसार अनुदान दिया जाता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब प्राकृतिक आपदा पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता तो इतनी रिजिड अप्रोच से हम इस प्राकृतिक आपदा का किस प्रकार सामना करेंगे ? अकाल की विभीषिका निरन्तर बढ़ती रहती है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती रहती है और अगले पांच साल के लिए यह एक निश्चित धनराशि उपलब्ध करवाना सर्वथा अनुचित है। मैं इस सम्बन्ध में इस सदन के समस्त सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें। यह सर्वथा न्यायसंगत और तर्कसंगत नहीं है। अगर दिल्ली में बैठ कर आयोग इस प्रकार की सिफारिश करता है तो कम से कम मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो निश्चित रूप से नहीं कह सकता, पर जैसमेर में निश्चित रूप से कह सकता हूं यह सर्वथा न्यायसंगत और तर्कसंगत नहीं है। उदाहरण के रूप में आप लीजिये, सन् 1987 88 में रोजगार प्राप्त करने वाले को 1! रुपये रोज दिये जाते थे जो आज 22 रुपये रोज दिये जा रहे हैं। तो फिर इस सीमित धनराशि से कैसे राहत आप समस्त राजस्थान में प्रदान कर सकते हैं ? यह कतई न्यायसगत नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अकाल की विभीषिका है, वह सर्वाधिक या तो मरुस्थलीय जिलों में है और मरुस्थलीय जिलों में सर्वाधिक जैसलमेर जिले में है या फिर जन जाति क्षेत्रों में है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस अकाल की विभीषिका से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करें। मैं माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने जैसलमेर में रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में जो 7 हजार मजदूरों की पहले सीमा निश्चित की गयी थी, उसको बढ़ा कर 1 अप्रैल से 20 हजार कर दी है। पर मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि इसमें कुछ वृद्धि और की जाय। मजदूरों की संख्या में वृद्धि करने से काम नहीं चलेगा। भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। लोग गांवों मे, ढाणियों में निवास करते हैं। जनसंख्या का घनत्व कम है। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत है। इसलिये यह आवश्यक है कि रोजगार जो उपलब्ध कराया जाय वह हर गांव में उपलब्ध कराया जाय। जैसलमेर जिले के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह पलायन करे, 20-20 या 50-50 किलोमीटर से रोजगार प्राप्त करने जाय। इसलिए इस प्रकार के गांवों के निकट कोई रोजगार का साधन उपलब्ध होना चाहिये, लेबर इन्टेंसिव होना चाहिये। मैं समझता हूं, कि सड़कों का एक कार्य ऐसा है जो ग्रामीण अंचलों को सड़कों से भी जोड़ेगा और इलाके खुलेंगे और इसको चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये या अन्य प्रकार से किया जाय पर पर्मानेण्ट ब्लेक टोप, हाई टोप सड़क का निर्माण

(176)

(डा. जितेन्द्र सिंह)

किया जाय। इस प्रकार से रोजगार भी उपलब्ध होंगे और कन्स्ट्रेक्टिव अप्रोच भी होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी समस्या जो इस क्षेत्र की है वह पेयजल की सबसे ज्यादा है। जिले के 578 गांवों में से 243 ऐसे गांव हैं जो जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल योजना से जुड़े हुए नहीं हैं। कम से कम राज्य सरकार को और अकाल राहत विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन समस्त गांवों में, 243 गांवों में टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराया जाय, इनके पास की ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराया जाय। अभी तक जो आंकड़े उपलब्ध कराये गये हैं, उसके अनुसार केवल 12 टैंकरों से 166 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया हुआ है। जिला स्तरीय कमेटी की मीटिंग नवम्बर या दिसम्बर में हुई थी, तब यह अनुसंधा थी और इस आशय का प्रतिवेदन सरकार के पास प्राप्त है कि समस्त ऐसे ग्राम जिनमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल योजना से जुड़े हुए नहीं हैं उनको टैंकरों से जल उपलब्ध कराया जाय। मैं मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि जैसलमेर जिला मुख्यालय में और पोकरण उप-खण्ड मुख्यालय में टैंकरों का श्मशान घाट बना हुआ है, कई ऐसे टैंकर्स हैं वह कई वर्षों से बिल्कुल बेकार पड़े हैं या उपयोग में नहीं आ रहे हैं। उनमें छोटे-छोटे मैकेनिकल डिफैक्ट्स हैं, कम से कम उनका निराकरण करके उनको त्वरित गति से उपयोग में लिया जाय। मैं समझता हूं कि जो 12 लाख रुपये की धनराशि इस प्रावधान में निर्धारित की गयी है, वह भी अपूर्ण है। उसमें भी माननीय मंत्री महोदय समुचित वृद्धि करें।

अकाल से प्रभावित क्षेत्र का मुख्य कारण है संसाधनों का अभाव। मेरा जिला है उसमें आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः पशु-धन पर निर्भर है और कृषि नगण्य मात्रा में है क्योंकि निश्चित और नियमित रूप से प्रति वर्ष वहां अकाल पड़ता आया है। इसलिए पशुओं का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है अन्यथा समूचे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था बिल्कुल टूट जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपके जिले से आप अकेले ही हैं क्या ?

डा. जितेन्द्र सिंह : हां। मैं अकेला हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि पशु शिविर कम मात्रा में जैसलमेर जिले में और पोकरण में खोले हुए हैं। इनकी मात्रा में वृद्धि की जाय और जो अधूरे काम हैं, उनको प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाय।

दूसरा, जो सबसे बड़ी कमी अकाल-ग्रस्त गांवों में पिछले वर्षों में रही है, वह यह है कि अकाल राहत कार्य निश्चित तिथि को समाप्त कर दिये जाते हैं। उस कट-आफ-डेट के बाद न तो उन अकाल राहत कामों को कोई सम्भालने वाला है और न ही उनका कोई दायित्व लेता है और उन्हें यों ही छोड़ दिया जाता है तथा अगले वर्ष अकाल की घोषणा होती है, उस समय पुनर्विचार होता है। जब इतनी विपुल धनराशि कार्यों पर खर्च की हुई है तो उनका कम से कम मेन्टीनेंस उचित तरीके से किया जाय। निश्चित कट-आफ-डेट के

(डा. जितेन्द्र सिंह)

बजाय उसको चालू रखा जाय और सम्पूर्ण कार्य कराया जाय तो उसकी उपलब्धि अधिक होगी।

मैं सरकार ने जो खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से 75 करोड़ 69 लाख रुपये चार जिलों के लिये स्वीकार किये हैं, उस योजना का भी स्वागत करता हूं लेकिन माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अभी तक जैसलमेर जिले में इस दिशा में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसलिये इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करवाया जाय। इस कार्य से महिलाओं को रोजगार मिलेगा और परिवार के अन्य सदस्यों को भी उपयोगी धन्धा प्राप्त हो सकेगा।....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें।

डा. जितेन्द्र सिंह : दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : सॉरी। मेरे पास टाइम लिखा हुआ है।

डा. जितेन्द्र सिंह : यह जैसलमेर का मुद्दा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जहां अकाल की विभीषिका सबसे ज्यादा है। दूसरा मैं मंत्री महोदय से जो पशुधन है....

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था एक तरह की चलेगी। माननीय जितेन्द्रसिंह जी, सहयोग कीजिए। प्लीज।

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं एक निवेदन एक लाइन में कर दूंगा। पशुधन के मद में कम से कम भेड़ों का, बकरी का, ऊंट का भी सरकार प्रावधान रखे और इस पर विचार करें। अभी तक सिर्फ गांवों के बारे में ही विचार किया जाता रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अकाल पर चर्चा हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला नागौर में 1302 गांव अकालग्रस्त हैं, कुल 1469 हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 50 से 75 पर्सेण्ट खराबा 1196 गांवों में हैं तथा 106 ग्रामों में भयंकर अकाल है। हमारे जिले को माननीय मंत्रीजी ने 10 हजार मजदूरों की अप्रैल में जो सीलिंग दी है, वह बहुत कम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि 10 हजार की जो लेबर सीलिंग दी है वह बहुत कम है और 1302 गांव हैं जबकि अजमेर में 1007 गांव हैं जिसमें आपने 25 हजार लेबर दे रखी है। यह इस तरह से सौतेला व्यवहार नहीं रखें। हमारा बड़ा जिला है, हमारे जिले को लेबर सीलिंग ज्यादा होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्य में आपने अधूरे कुओं को हाथ में लिया है साथ में अधूरे तालाबों को हाथ में लिया है। अधूरी सड़कें भी अकाल राहत के काम में काफी बनी थीं जहां मैटीरियल भी पड़ा है, वहां केवल मिट्टी का कार्य हुआ है लेकिन ग्रेवल नहीं हुआ। अधूरी सड़कें सैकड़ों हजारों हैं हमारे नागौर जिले में जिन पर पत्थर तक नहीं हैं। साथ-साथ ज्यादा मजदूर भी सड़कों पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव

178

(श्री मोहनलाल चौहान)

है कि सड़कों को ग्रेवल बनाकर मजदूरों को राहत दिलायी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने वन, भू-संरक्षण के कार्य को दूसरी प्रायोरोटी पर लिया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे नागौर जिले की भौगोलिक स्थिति अलग है और वहां ग्रेवल सड़कों से जोड़ा जाय। इससे एक पंचायत दूसरी पंचायत से जुड़ेगी, मजदूरों को लाभ मिलेगा और साथ-साथ आवागमन का लाभ भी होगा। हमारा इलाका डेजर्ट इलाका है। सड़कों को प्राथमिकता देंगे तो लोगों को मजदूरी मिलेगी और आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। नागौर जिले की भौगोलिक स्थिति अलग है। हमारे अधिकतर कुओं का पानी नीचे चला गया है। किसानों को दो तीन घण्टे प्रतिदिन पानी मिलता है जब बिजली की मोटर चलती है। मेरा सुझाव है कि वाटर नीचे जाने से किसानों को पूरा पानी नहीं मिलता है, पूरी फसल नहीं कर पाता है इसलिए अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत किसानों को 10 हजार का अनुदान सहायता दिलाकर कुओं को गहरा करायें ताकि भारत की अन्न उपजाऊ नीति फलीभूत हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल की बड़ी भयंकर समस्या है, नागौर जिले में कुवे गहरे हैं। पी. एच. ई. डी. की मोटरें लगी हुई हैं। पानी का जल स्तर नीचे चला गया है। गर्मी का मौसम आ रहा है, तब समस्या भयंकर हो जायेगी। इसलिए जो सार्वजनिक कुवें हैं, उनको भी अकाल राहत के अन्दर गहरा करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, नये कुवे भी हाथ में लें और फेमिन के अन्तर्गत कुवें खुदवायें तो अन्न उपजाऊ नीति फलीभूत हो सकती है। इसलिए अकाल राहत के अन्दर नये कुवे खुदवाये जायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अग्नि पीड़ितों के जब मकान जल जाते हैं तो आपने एक व्यक्ति के लिए पांच सौ रुपयों की व्यवस्था कर रखी है। अकाल राहत में इसको भी देखें कि गर्मी के मौसम में ऐसे अग्नि-काण्ड होते हैं, किसी परिवार की उसमें अर्जित की हुई सारी सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। उसको पांच सौ रुपया देते हैं, उससे वह झोपड़ी भी नहीं बना सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो राशि दे रहे हैं, पांच सौ रुपया मकान के लिए, यह बहुत कम है। कम से कम टीन शेड का इन्तजाम कर दें तो बहुत अच्छा होगा ताकि स्थायी मकान बना सके। पांच सौ रुपयों से तो झोपड़ी भी नहीं बनती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि टीन शैड की व्यवस्था करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों की मजदूरी को आपने 22 रुपये कर रखी है। अकाल का समय है। एक परिवार में 10 सदस्य होते हैं तो दो आदमियों को लगाते हैं तथा पाच आदमियों के परिवार में से एक को लेते हैं। यह मजदूरी की दर बढ़ानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि पांच सदस्यों के परिवार में से दो मजदूर लगायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले

(श्री मोहनलाल चौहान)

अकाल राहत कार्यों 85-86, 86-87, 87-88 के मजदूरों के अनपेड रुपये 13 लाख 16 हजार 458 मस्टर-रोल की बकाया है सड़कों के कार्य की। इसका तुरन्त भुगतान होना चाहिए। तीन चार साल से अनपेड है जिसका भुगतान कराया जाय। इसी प्रकार से अधूरे बांधों की मजदूरी की राशि भी 42449 रुपया बकाया है। तीन साल से जमा है, अनपेड है, उसका भुगतान करायें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, परबतसर तहसील के 229 गांवों में अकाल है और भौगोलिक स्थिति अलग खराब है। ग्रेवल सड़कें बनायी जायं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां अकाल पर काफी सुझाव दिये। काबू पाने के लिए बड़े सुझाव दे रहे थे। यह तो ईश्वर की लीला है, यह आपकी सरकार भगवान पर कब्जा कर लेगी तो ही अकाल का हल हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री किशनाराम नाई : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में जो किसान हैं, पशुपालक है, वह ही पूरी बात बता सकते हैं। अखबारों में देने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। बाकी सुझाव दे सकते हैं। पशु किस तरह से पाला जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजो। आपका टर्न आये तब आप कह देना। समय क्यों बरबाद कर रहे है ?

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस देश के अन्दर कत्ल खाने ज्यादा खुलेंगे, पशुओं का कत्ल किया जायेगा और सरकार उस कार्य को प्रोत्साहन देगी तो उस पाप का परिणाम वहां की जनता को भुगतना पड़ेगा और वह परिणाम अकाल के रूप में हो या चाहे भूकम्प के रूप में हो या बाढ़ के रूप में हो, उसको भुगतान पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सबसे बड़ी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने लोगों के काम करने की मनोवृत्ति इतनी खराब कर दी है कि गरीब बेचारा काम पर जाता है उसको पैसा पूरा नहीं मिलता है और दूसरे घर बैठे एल. पी खरीद लेते हैं। सरपंच निहाल हो गये। इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके बारे में माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ध्यान दें। तीसरा मेरे जिले में, मेरी तहसील के अंदर एक बड़ी समस्या है वह है कि बेल्ट एरिया 11 किलो मीटर का घोषित किया हुआ है, जो पुरानी सरकार ने किया था, उसके अन्दर से किसी प्रकार का चारा या घास ले जाने पर प्रतिबन्ध है। जबकि सांचौर कृषि मंडी है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, कृपया शान्त रहें।

एक माननीय सदस्य : यह तो बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : तो बोलो साहब जोर से।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : उस कृषि मंडी में किसानों को परमिट लेने के लिए बाध्य

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

होना पड़ता है और परमिट की व्यवस्था जिला कलक्टर के हाथ में रहती है। 11 किलोमीटर की दूरी तक यह है। एक उदाहरण देना चाहता हूं। सांचौर से 11 किलोमीटर आगे गुजरात का बोर्डर है, उसके बीच में दो-तीन गांव आते हैं और किसान सांचौर से पशु चारा या आहार लेकर जाता है तो उसका प्रोसीक्यूशन होता है। आप यह व्यवस्था जो पुरानी सरकार ने बना रखी थी, उसकी नकल कर रहे हैं। उस बुराई को छोड़े। आज अगर हम गुजरात से चारा लाते हैं तो गुजरात की सरकार मना नहीं करती है परन्तु यहां ग्रामों के अन्दर घुसते हैं। तो प्रोसीक्यूशन होता है। यह कहा जाता है कि बैलगाड़ी पर आप चारा घास क्यों लाये। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा।

दूसरी चीज, पशु आहार के नाम पर पुरानी सरकार ने 360 रुपये क्विंटल के हिसाब से बाजरी को खरीद लिया, गुजरात से लिया और उसको नाम पशु आहार दिया था। सांचौर में 260 रुपये क्विंटल में बिकती थी, उसको नहीं खरीदकर अपने अनुचित लाभ के लिए, अपने आदमियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए एक क्विंटल पर 100 रुपया ज्यादा का फर्जी बिल लेकर आये। सांचौर के माकोपुरा चैक पोस्ट पर 10 गाड़ियां पकड़ी गयी उस पर पशु आहार लिखा हुआ था पर वास्तव में बाजारी थी। बाजारी सांचौर मे 260 रुपये में मिलती थी, उसको पशु आहार के नाम पर 360 रुपये में लिया। इस प्रकार की सरकार पुनरावृत्ति नहीं करे, यह गलतियां न हों।

तीसरी चीज, गौशाला के नाम पर जालौर जिले में चार गौशाला है दो सांचौर प्रोपर में, एक भीनमाल में, एक जालौर में है। कम से कम तीन हजार पशुओं का निर्वाह करते हैं। गौशालाओं को अनुदान के बारे में मैं माननीय अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन गौशालाओं को आप पनपा रहे हैं और गौशालाओं को सेवा करने के लिए आप अनुदान की राशि दें।

अकाल के समय में जो सड़के बनाई जाती हैं, उन सड़कों का कोई धनी नहीं है। अकाल बीतने के बाद न अकाल वाले सभालते न पी. डब्ल्यू डी. संभालता है। अतः मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से कहूंगा कि आप अकाल में लोगों को काम देने के लिए सड़कों को रिपेयर कराकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौपें ताकि उसकी मरम्मत होती रहे और सरकार का पैसा फिजूल नहीं जाए। तालाब खुदाने के नाम पर, हमारे रेगिस्तान में आपने तालाब खुदाने के नाम पर व्यवस्था की है वह सिवाए भ्रष्टाचार के कुछ नहीं है। जो तालाब महत्व के हैं उनकी खुदाई जरूर हो मगर तालाब के नाम पर भ्रष्टाचार भयंकर होता है। घर बैठे फर्जी मस्टररोल भरते हैं। इस व्यवस्था को आपको सुधारना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में आपने एक व्यवस्था अकाल में की है कि जिस गांव में जल विभाग का टैंक है, टंकी बनी हुई है मगर उस गांव से ढाणी तीन किलोमीटर दूर है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर गांव में टंकी बनी है परन्तु ढाणियां दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर दूर हैं, तो वहां टैंकरों के माध्यम से

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

आपको पानी पहुंचाना पड़ेगा। आप की व्यवस्था में टैंकर से पहुंचाने का नहीं है। आपने व्यवस्था कर रखी है कि जहां जलदाय विभाग का पानी है वहां टैंकरों से पानी नहीं पहुंचाया जाये। मैं माननीय अकाल राहत मंत्री जी से कहना चाहूंगा, आप उस क्षेत्र से वाफिक है आप वहां के एम. पी रह चुके हैं, भारत के पूर्व गृह मंत्री को आपने हराया है। आपको उस क्षेत्र का अनुभव है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस इलाके में ढाणियों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

मैं अनुशासित आदमी हूं, समय का ध्यान रखता हूं और सही बात कहता हूं। वन विभाग द्वारा आजकल, आपको मालूम है, सात प्रकार की लकड़ी अपने खेत से काटकर किसान को कोयला बनाने की छूट है। मगर वन विभाग उसके अन्दर आड़े आता है। वह कहता है कि यह प्रमाणित करो कि यह कोयला इस खेजड़ो का है या नहीं। अंग्रेजी बावलिया का है कि नहीं। इस व्यवस्था से किसान परेशान है। यह किसान की परेशानी दूर करनी पड़ेगी। गरीब आदमी वनों से गोंद निकाल कर लाता है, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए गोंद लाता है तो उसका रोका जाता है। उनको इस अकाल के समय में नहीं रोका जाए और उन्हें सब सुविधा दी जाए। अकाल राहत के काम आपने चालू किये है। लोग कहते हैं कि लोग पलायन करते हैं। मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूं। लोगों के काम करने की नीयत भी नहीं है। आज 40 रुपये के अन्दर सांचौर में मजदूर नहीं मिलता है। वह नीयत पूर्व सरकार ने बिगाड़ रखी है। उस नीयत को हमें सुधारना पड़ेगा और गरीबों को काम देना पड़ेगा, इसकी आदत में सुधार लाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल राहत मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लेबर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रेमसिंह जी दहिया। (अनुपस्थित)

माननीय श्री नाथू राम जी अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल राहत के बारे में चर्चा हो रही है। मैं भी अपने विचार आपके सामने रखूंगा। अकाल राहत के अन्तर्गत हमें एक सूची मिली है, उसमें यह बताया गया है कि फरवरी में 7 हजार, मार्च में 10 हजार और अप्रेल में 20 हजार तो डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में, 5, 10 और 15 हजार और उदयपुर में 3, 9 और 20 हजार लेबर देंगे। मैं आज ही डूंगरपुर से आया हूं, मैंने वहां की जानकारी ली तो मार्च में 10 हजार मजदूर लगे हैं। उसके बारे में पी. डब्ल्यू. डी. से जानकारी ली, वहां 9 कार्य मन्जूर किये हैं और उसमें 2600 लेबर एक अप्रेल से लगाने की बात है। इसी तरह से सिंचाई में 22 काम मन्जूर किये हैं, उसमें 2900 मजदूर लगाने की बात अप्रेल से की गई है। तो मैं समझता हूं कि आप अगर सरकारी आंकड़ों के जाल में फसेंगे तो इस अकाल का सामना नहीं कर पायेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि केन्द्र सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो हम अकाल से निपटारा नहीं पा सकेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं आप रोटी खाने बैठे है, आपकी थाली में रोटी है। कौन मूर्ख होगा

(श्री नाथूराम अहारी)

कि कोई फिर रोटी देगा। अभी देवेन्द्रसिंह जी ने बताया था कि कांग्रेस से सीखो, जब तक हम केन्द्र द्वारा जो राशि दी गई है उसको खर्च नहीं करेंगे तब तक केन्द्र सरकार नहीं देगी और अक्टूबर के बजाए अभी अप्रेल शुरू हो गया है लेकिन काम की कोई रूपरेखा ही नहीं है। अकाल राहत कमेटियां भी नहीं बनाई गई हैं। तो आप कैसे लगा पाओगे, यह मेरी समझ के बाहर है।

एक बात मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपको तो केवल मेनटेन करना है। अभी कोई कालेज नहीं खोलना है, नेशनल हाई वे नहीं खोलनी है, राष्ट्रीय स्तर के रोड्स नहीं लेने हैं, अस्पताल नहीं खोलने हैं केवल मेन्टेन करना है लेकिन मेन्टेन में भी आप असफल रहे हैं और फिर रोना रोते है हर समय कि पिछली सरकार पिछली सरकार। यह कब तक कहते रहेंगे तबतक, मेरा ख्याल है, आपका टाइम पूरा हो जाएगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप ऐसा न करते हुए जो सही बात है, उसको करके सरकार को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें।

अनाज के लिए जो आजकल व्यवस्था है वह बहुत ही कम है। पांच किलो अनाज दिया जाता है। नियम 295 के अन्तर्गत भी मैंने यह प्रश्न उठाया था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भले ही शहरी क्षेत्र में अनाज काटकर के दें किन्तु यदि दस किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज नहीं देंगे तो हालत बहुत खराब है और लोग परेशान हो जाएगे। मेरा ख्याल है, आप कई लोग तो अनुभवी है परन्तु अनुभव का फायदा पता नहीं कैसे नकार रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक काम शुरू नहीं हुए हैं तो कम से कम दस किलो अनाज दिया जाए। पानी की व्यवस्था के बारे में करीब-करीब हर ढाणी में हैण्डपम्प खोदे हुए है लेकिन मेन्टिनेंस नहीं है। उसके पाइप काफी लम्बे समय से लगे हैं जो सड़ गये हैं उनको वापस दुरस्त करने की जरूरत है। अगर आइडल पड़े हैं तो वापस खुदवाने की जरूरत है। तभी हम पेयजल समस्या हल कर पायेंगे, नहीं तो नहीं कर पायेगे।

सड़कों के बारे में निवेदन है कि गत 1985 से 1988 तक भयंकर अकाल पड़ा था, उसमें अकाल राहत के तहत खूब सड़के बनी हैं। जहां भी काम शुरू किया जाए उन सड़कों की मार्फत लोगों को लगाया जाए तभी जाकर वह लोग एंगेज हो पायेंगे और लोगों की समस्याएं दूर होंगी। हर पंचायत स्तर पर एक एक काम नहीं देगें तो लोगों की हालत बड़ी खराब है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हर पंचायत क्षेत्र में यह काम खोले जाए भले छोटा से छोटा क्यों नहीं हो परन्तु हर पंचायत क्षेत्र में खुलना चाहिये।

सिंचाई के बारे में निवेदन है कि नहरें कच्ची पड़ी हैं मेरे ख्याल से जहां नहरें कच्ची हैं वहां पक्की बनाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज किया जाये।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान में हर दूसरे-तीसरे साल अकाल पड़ते हैं। उस अकाल से झूझने के लिए हम सब चिन्तित हैं, हम सब लोग

(श्री नाथूराम अहारी)

बार बार बोलते हैं लेकिन जल स्तर कायम रखने के लिए हर नाले पर, हर नदी पर उसकी कैपेसिटी के अनुसार हमको एनीकट बांधना चाहिये हर 15 किलोमीटर के उसके दायरे में जिससे उसका जल स्तर कायम रह सके। अगर सरकार के पास व्यवस्था हो तो मैं समझता हूं कि इस काम को करने से अकाल की विभीषिका को दूर किया जा सकेगा।

कूओं के बारे में निवेदन है कि गत अकालों में खूब कूए खोदे गये हैं। एक एक कूए के नीचे आधा आधा बीघा जमीन दबी है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नये कूए नहीं लेते हुए पुरानों कूओं को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। पुराने कुए भी जो अभी खुदे है उनमें अकेला पत्थर है। इसलिए अभी जो टास्क बेस्ड रखते हैं वह नहीं रखा जाए और इनको अकाल राहत के मजदूर मानकर राशि की व्यवस्था की जाए। और मलबा निकालने के लिए अकाल राहत के मजदूर मानकर के नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कुए के नाम से इनको 5-10 रुपये भी नहीं पड़ेगा, इनकी हालत और खराब हो जाएगी मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि अकाल में उन मजदूरों को माना जाय।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि बरसात पर निर्भर है और बरसात पेड़ पर निर्भर है। लेकिन आज तक उस बारे में प्राथमिकता के तौर पर कोई व्यवस्था नहीं हुई है जिससे से हमारा जंगल दिन पर दिन खत्म हो रहा है। उस जंगल को वापस पनपाने के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उसकी कोटबन्दी और रक्षा की जरूरत है। भले ही आप बीज मत बोओ। इन्सान बगीचा लगा सकता है जंगल नहीं। हम इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसकी रक्षा कीजिए। भगवान की दया से, अगर दस साल उसमें कोई नहीं जाएगा तो पेड़ स्वतः ही, पता नहीं हवा से आएगा, पशु से आएगा या पक्षी से आएगा, बीज अपने आप आएगा और पनपेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जंगलात के बारे में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हमें सोचना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जल के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, अमुक एरिया में पानी खिर जाता है दूसरे एरिया में नहीं खिरता। सर्वे डिपार्टमैण्ट हमारे डूंगरपुर में नहीं है। डूंगरपुर क्या पूरे उदयपुर डिवीजन में नहीं है। सर्वे डिपार्टमैण्ट खोलकर एक नदी का पानी दूसरे नदी नाले तक ले जाने या जिस एरिया में पानी गिरा है उसको डाइवर्ट करके दूसरी नदी में डालने का काम भी अकाल के कार्य में लिया जाय तो मेरा ख्याल है, इसका भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैंने एनीकट के बारे में, कुओं के बारे में, अनाज के बारे में, पेयजल के बारे में जो आपको सुझाव दिये हैं, आप गम्भीरता से सोचेंगे तो मैं सोचता हूं कि अकाल की समस्या को दूर किया जा सकेगा। हमारे अकाल राहत मन्त्री उस वर्ग से और उस एरिया से आते हैं, उनको पूरा अनुभव है। आपने पुराना जो काम किया है उसको देखकर मेरा अन्दाजा है कि उदयपुर डिवीजन के भयंकर अकाल से निपटने के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लागू करके लोगों को राहत देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गमीर लाल मीणा।

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी मार्फत इतना निवेदन कर दूं, जिसे टैक्निकल आब्जैक्शन कहते हैं, कि जो हमको इन्फार्मेशन दी गयी है प्रगति विवरण और स्टेटमैन्ट, इसको हम व्हाइट पेपर की तारीफ में नहीं मान सकते। दो हजार करोड़ खर्च कर चुके हैं हम 1951 से लेकर आज तक। पर पिछले 10 सालों में कितना हमारा नुकसान हुआ, कितनी असेट्स क्रीएट कर पाये हैं, नैक्स्ट लांग टर्म प्लानिंग हमारी क्या है राजस्थान में, यह साइलेण्ट है। इन दस सालों में मेरा ख्याल है, मैंने जो आंकड़े इकट्ठे किये हैं, एक करोड़ तो पशु धन मारा गया और 20 लाख ड्राई हो गये जानवर। कितने बच्चे अन्धे हो गये, कितने बच्चे माल-न्यूट्रिशन से मारे गये, कितनों का विकास बन्द हो गया, परचेजिंग पावर कितने लोगों की समाप्त हो गयी, यह इसलिए कह रहा हूं आपको कि आपने सही पिक्चर, सही सीनरियो नाइंथ फाइनेंस कमीशन के सामने पेश नहीं किया इसलिए आपको पैसा नहीं मिला।

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि तीन करोड़ तो आपकी पापुलेशन अफैक्टेड इन्सीडेंस और ढाई करोड़ है पशु धन। मुझे बताइये, आप इस दो सौ करोड़ में कैसे 15 जुलाई तक काम कर पाओगे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 175 करोड़ ही बचा है।

श्री रमाकान्त शर्मा : क्या फर्क पड़ता है?

श्री केदारनाथ शर्मा : फिर यह कहोगे कि मैटीरियल की कास्ट बढ़ गयी। मंत्री जी होशियार हैं, अभी पोर्टफोलियो मिला, मेहनत भी कर रहे हैं, एक्सप्रैशन भी ठीक है। माननीय सदस्यों ने भी बड़ी अच्छी राय दी है, बड़े अच्छे सजेशंस दिये हैं। मगर अभी तक राजस्थान में ही हमारी पिक्चर साफ नहीं हुई। मैं बस समाप्त कर रहा हूं। आप देखिये, अगर राजस्थान कैनाल 1958 में शुरू हो जाती और 5–10 साल में बन जाती तो बताइये, क्या रिजल्ट रहता? सारी जियोग्राफी चेंज हो जाती राजस्थान की। वही पैसा आज हम अपने डवलपमेंट लगाते, में प्रोडक्शन में लगाते। राजस्थान में कितनी बड़ी खुशहाली होती, यह अन्दाजा नहीं कर सकते। सेण्टर के सामने कोई पिक्चर पेश नहीं की। आज इतने करोड़ रुपये फारेस्ट के नाम पर खर्च करने जा रहे हैं, कितने चारागाह बनाओगे आप, राजस्थान कैनाल का पानी कैसे इस्तेमाल करोगे, यह सारी प्लानिंग की बात है। आज तक आपका एडवाइजरी बोर्ड या कोई कमेटी नहीं बनी, स्टेट लेवल पर कोई एडवाइजरी कमेटी नहीं। आपको मालूम पड़ गया 15 जुलाई के बाद कि बारिश नहीं है। आप एक्सरसाइज शुरू करते देते, स्पेड वर्क शुरू कर देते। कोई भी एक आदमी जो इण्टरेस्टेड होता, सारी जियोग्राफी, सारी रियलिटीज को जानता। मंत्री तो ठीक है, बड़ा अच्छा कर दिया। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा टैक्निकल आब्जैक्शन है। मन्त्रीजी जवाब दें, आइन्दा के लिए, अभी नहीं, व्हाइट पेपर पेश करें आप कि 10 सालों में कितने असेट्स क्रीएट किये, कितना खर्चा हुआ, कितने लोग मारे गये, कितना पशुधन मारा गया, यह सारा सीनरियो हमारे सामने पेश करोगे तो हम समझेंगे कि राजस्थान का बहुत बड़ा भला करोगे आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गमीर लाल मीणा।

श्री यदुनाथ सिंह : व्यवस्था दो इस पर।

श्री गमीर लाल मीणा (सराड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान तहसील सराड़ा जिला उदयपुर की ओर दिलाना चाहूंगा। माननीय मन्त्रीजी, आपने जो कदम उठाया है अधूरे कुओं और अधूरे एनिकट को लेने का, मैं आपके इस नियम का स्वागत करता हूं। सराड़ा तहसील ऐसी है जो पूरी सूखे और अभाव में है। सराड़ा तहसील में जयसमन्द झील है, मगर जयसमन्द झील से सिर्फ पांच पंचायतों को पानी मिलता है, बाकी पूरी की पूरी तहसील सूखे में है। जिसवारी के जो आंकड़े आये हैं, सराड़ा तहसील के 157 गांव पूरे के पूरे अकाल में घोषित हैं। माननीय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 76 कुएं मंजूर किये हैं। मैं कल उदयपुर से आया हूं। जैसे माननीय सदस्य अहारी साहब ने कहा कि हमारे वहां सड़कों और तालाबों की मंजूरी हुई है, लेकिन उदयपुर जिले में कोई सड़कों या तालाबों की मंजूरी हुई नहीं है। मैं कलक्टर साहब से मिलकर आया हूं। मैं सरकार से निवेदन करूं कि उदयपुर जिले में अधूरी सड़कों, अधूरे एनिकट और अधूरी नहरों पर कार्य चलाया जाकर आदिवासियों को मजदूरी दी जाय।

मान्यवर, इस पत्रावली में आंकड़ा आया है फरवरी, मार्च और अप्रैल का। जिला उदयपुर और डूंगरपुर में काफी अन्तर आया है। हमारे उदयपुर में जब 921 गांव अकाल में घोषित हैं, डूंगरपुर में 856 गांव अकाल में हैं। मजदूरों की संख्या फरवरी में उदयपुर में 3 हजार दी है डूंगरपुर में 7 हजार दी है। मार्च में उदयपुर में 9 हजार दी है डूंगरपुर में 10 हजार दी है। अप्रैल में डूंगरपुर में 20 हजार दी है उदयपुर में 20 हजार दी है। 121 गांव हमारे अकाल में ज्यादा आये हैं। गोगुन्दा, धरियावद, लसाड़िया, सलूम्बर इन तहसीलों का नाम इसमें नहीं। उदयपुर जिला जिसवारी के हिसाब से पूरा अकाल में घोषित है। जैसे माननीय सदस्यों ने कहा, पांच के परिवार में दो, सात के परिवार में तीन, मैं सरकार से मांग करता हूं कि सात के परिवार में कम से कम दो सदस्यों को तत्काल काम पर लगाया जाय। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के छोटे-छोटे तालाब हैं। पहले कहीं जवाहर रोजगार योजना के मार्फत, जीवन धारा के मार्फत, अकाल राहत कार्यों के मार्फत 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख के काम एनीकट्स पर हुए हैं। वहां पर तालाब या नहरें नहीं हैं, कम पैसे खर्च करने मात्र से किसानों को लाभ हो सकता है। इसलिए मैं, श्रीमन् निवेदन करूंगा कि ऐसे तालाबों का कार्य हाथ में लिया जाकर प्रारम्भ किया जाय तो किसानों को लाभ मिल सकता है। वहां पर कुओं का जल स्तर काफी नीचे चला गया है यदि तालाब भरे रहेंगे तो कुओं का जल स्तर भी बना रहेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसी पंचायतें हैं, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने टैंकरों का जिक्र किया, ट्रक और ट्रेक्टर का जिक्र किया लेकिन पालनातार, खापर, धानकावड़ा, पालसराड़ा आदि ऐसी पंचायतें हैं जहां पर टैंकर और ट्रक नहीं जा

(श्री गम्भीरलाल मीणा)

सकते हैं, छोटे-छोटे नाले हैं। यदि आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो ट्रक और ट्रेक्टरों से नहीं ऊंट, गाड़े और गधों से कर सकते हैं। उन इलाकों में पानी पहुंच सकता है।

हमारे यहां पर भयंकर अकाल की स्थिति है; एक ही वर्षा हुई है, जिससे छोटे तालाब भरे नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सराड़ा तहसील में तत्काल अकाल राहत कार्य शुरू किया जायं और दांये बांध की जो नहर है जो 15 साल पहले बनाई गई थी वह इतनी कच्ची बांधी गई थी जिसके कारण से पडोडरा, अमरपुरा, जड़ियाना की पंचायतें की जमीन सारी बेकार हो गई।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्य के मार्फत ऐसी नहरों का काम चलाया जाकर, नहर को पक्का करवाया जाय जिससे जिन काश्तकारों की जमीन बिगड़ गई है वह सुधर जाय और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाय। मैं जिलाधीश महोदय से मिला था, उन्होंने मुझे बताया कि श्रमिकों की संख्या आ गई है लेकिन मैटेरियल कम्पोनेण्ट में पैसा नहीं है जिसके कारण अधूरी सड़कों और तालाबों का काम पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के आदेश या नियम पास करके उनके पास पहुंचाये जायं जिससे कि काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आये।

मेरे यहां पर पीने के पानी की भयंकर समस्या है। इस प्रकार की 5-7 पंचायतें हैं, सुरु पंचायत है गिरवा तहसील में, वहां पर पडोडरा, जाडोला का मोहल्ला है, जहां पर ट्रक और टैंकर नहीं जा सकता है, दो-दो किलोमीटर दूर से लोग पानी बड़ी मुश्किल से ला रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उदयपुर में जितने मजदूरों की संख्या बढ़ानी है वह तत्काल बढ़ाई जाय ताकि सराड़ा तहसील के लोगों को राहत पहुंचे। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल एक मानवीय समस्या है और सरकार को अकाल पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने के लिए मानवीय दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए। बनीपार्क से चुनकर आने वाले सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य के विचारों से मुझे बहुत आघात लगा। उन्होंने सम्वत् 56 व 96 के अकाल की चर्चा तो की लेकिन वर्तमान में जो प्रदेश की जनता अकाल से पीड़ित है, मुझे लगता है कि उनके प्रति उनकी कोई सद्भावना नहीं है और उन्होंने अकाल की गम्भीर चर्चा को भी आज बड़े हल्केपन से लिया। इससे लगता है कि वह केवल इतिहास के विद्यार्थी हैं और जयपुर में रहते हैं इसलिए उन्हें इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। यदि उनका बयान आज अखबारों में छप जाय तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता जो अकाल पीड़ित है वह इन्हें माफ नहीं करेगी। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप गांव से आने वाले लोगों में से हैं, गरीब तबके

(डा. चन्द्रभान)

लोगों में से हैं इसलिए इस तरह के विचारों से आप प्रभावित नहीं हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अकाल का सवाल है, यह हमारा दुर्भाग्य कहिए कि प्रदेश में 3 साल में, 5 साल में अकाल पड़ता रहता है । इसलिए जो प्राकृतिक आपदा कोष से सरकारिया कमीशन से 91,93 करोड़ रुपये की राशि, अमाउण्ट फिक्स किया है, यह राजस्थान के साथ न्याय नहीं है । मैं भी सदन में यह मांग करूंगा कि केन्द्रीय सरकार को राजस्थान के बारे में और राजस्थान जैसे प्रदेश हैं, उनके बारे में इस सन्दर्भ में पुनर्विचार करना चाहिये और उनकी जो वास्तविक स्थिति है उसको ध्यान में रखकर समय-समय पर जब अकाल की गम्भीर स्थिति हो या दूसरी प्राकृतिक आपदाएं हो जायं उस समय राहत राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए । पूरे सदन को इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि एक राय होकर केन्द्रीय सरकार से मांग करनी चाहिए।

इसी के साथ में मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि प्रदेश की सरकार एक तरफ केन्द्रीय सरकार को दोष देती है कि वहां से मदद नहीं मिलती है, दूसरी तरफ जो मदद केन्द्रीय सरकार से मिली है पिछले 3 सालों में, जो मदद इसके पास इकट्ठा है उस मदद में से, अकाल राहत मन्त्रीजी ने एक सप्ताह पहले किसी सवाल के जवाब में कहा था, 6 करोड़ रुपया फरवरी के अन्त तक खर्च हुआ है और मार्च के अन्त तक वह 13 करोड़ रुपये खर्च हो गया है । इन्होंने अकाल राहत गांवों की संख्या बताई है 13,276, हालांकि इनको भी इन्होंने अकालग्रस्त गांव नहीं बताया है, इनको अभावग्रस्त है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो पुराना फैमिन कोड है उसमें चेंज होना चाहिए और यह अभाव की स्थिति में इन सबको अकालग्रस्त गांव घोषित किया जाना चाहिए ।

इसी के साथ मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि चूंकि आपने पैसा खर्च ही नहीं किया तो आपको केन्द्र सरकार से ज्यादा सहायता मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है । यदि आप पैसा खर्च करते तो आप सत्ता पक्ष में है और हम विरोध पक्ष के लोग हैं, हम सब आपके साथ होते और मांग करते कि केन्द्र सरकार की ओर से 93 करोड़ रुपये फिक्स कर दिए गए हैं वह राजस्थान प्रदेश के लागू नहीं होना चाहिए, राजस्थान में इसे बढ़ाया जाना चाहिए ।

मुझे यह कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि प्रगति प्रतिवेदन में जो सूची दी है, इसमें माननीय मंत्रीजी ने 13,276 टोटल अभावग्रस्त माने हैं और जिसमें झुन्झुनूं जिले में आपने 463 गांव माने हैं। इन 463 में से दो सौ गांव अकेले मेरे मण्डावा क्षेत्र के हैं ।

इसी अकाल के विषय में, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली विधान सभा सत्र में भी पहले दिन एडजोर्नमेंट मोशन दिया था जिस पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था कर दी थी और वर्तमान सत्र में भी पहले दिन दिया था जिस पर आज बहस हो रही है । उस समय सुश्री पुष्पा जैन मंत्री थीं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 16 सितम्बर तक

(188)

(डा. चन्द्रभान)

गिरदावरी का काम शुरू किया जाकर अक्टूबर में गिरदावरी आ जायेगी और नवम्बर में अकाल राहत कार्य शुरू कर दिए जायेंगे लेकिन मेरे जिले में आज की तारीख तक एक भी अकाल राहत कार्य राज्य सरकार की ओर से शुरू नहीं हुआ है। यह इनकी रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि झुन्झुनूं जिले में एक भी आदमी को राहत का काम नहीं दिया गया है। इसी के साथ जो जिले हैं उनमें से 19 जिले आज अभावग्रस्त जिले हैं और केवल 8 या 9 जिलों में थोड़ा बहुत कार्य शुरू किया गया है। इसके लिए तो मैं राज्य सरकार के पशुपालन राज्य मन्त्री, श्री देवीसिंहजी भाटी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका सरकार पर किसी न किसी रूप में दबाव है और यही वजह है कि थोड़ा बहुत, जैसा तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, 4 जिले की चर्चा हो रही थी, 2-3 महीनों में थोड़ा बहुत काम किया है वह वास्तव में 4 जिलों में किया है। उसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि जितनी राहत पहुंचाई गई है वह बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा पहुंचाई गई है। बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में पहुंचाई गई है। इनके अलावा इनके नक्शे में राजस्थान में कहीं अकाल नहीं था।

मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप समझते हैं कि पूरे राजस्थान में और जनता कहीं पीड़ित नहीं है....

श्री रामनारायण बिश्नोई (कृषि मंत्री): ज्यादा इन्हीं जिलों में है।

डा. चन्द्रभान : हमको जो सूची दी है और इसमें जो गांवों की संख्या बताई है उनमें 75 से 100 पर्सेन्ट के बीच बताई है। वह यह स्थिति है कि कलैक्टर के पास से यहां रिपोर्ट आ गई उस आधार पर आपने किए हैं। मैं कहता हूं कि बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में अकाल की भयंकर स्थिति है, वहां पर राहत मिलनी चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन हमारे क्षेत्र में भी, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं वहां पर भी पीने के पानी समस्या है। वहां पर एक दर्जन गांव ऐसे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जिनमें अबकी बार बुवाई तक नहीं हुई। इसलिए माननीय अकाल राहत मंत्रीजी पूरे राजस्थान का ध्यान रखें। 200–250 करोड़ रुपये जो आपके पास में हैं, आपने खर्च नहीं किए हैं यह आपने बड़ी गलत बात की है। आप उसको खर्च कीजिए।

यदि अभी भी आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में ग्रेविटी को ध्यान में रखकर आप खर्च करेंगे तो हम सब लोग मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में केन्द्र के पास जायेंगे, कांग्रेस के लोग भी जायेंगे....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हड़ताल करेंगे।

डा. चन्द्रभान : फलोदी से आने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हम हड़ताल करेंगे आप कुछ कीजिए तो सही। हम आपका कहे में साथ दें। आप खुद तो कुछ करते नहीं है और हमसे सहयोग की मांग करते हैं।

जहां तक पीने के पानी की समस्या का सवाल है। राजस्थान में अकाल के

(डा. चन्द्रभान)

सम्बन्ध में स्थाई समाधान की बात आई। अन्तर्राज्यीय विवाद चल रहे हैं वहां से आप पानी नहीं ले सकते हैं। राजस्थान में वर्षा अनिश्चित है, यह नहीं है कि वर्षा सामान्य हो जाये तो भी अकाल नहीं पड़ेगा। राजस्थान में वर्षा होती नहीं है। अरावली पर्वत को हम हरा-भरा करना चाहते हैं तो आपको उद्योग और खनन की बात ध्यान में आ जाती है उसके अलावा परम्परागत सोर्स को आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अण्डर-ग्राउण्ड वाटर को निकालना नहीं चाहते हैं। जमीन से पानी नहीं आयेगा तो अकाल की समस्या हमेशा बनी रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही निवेदन आपसे अन्त में करना चाहूंगा कि जो परम्परागत साधन है उनको बढ़ाना चाहिये अकाल राहत कार्य में। हमारे मुख्य मंत्रीजी विरोध पक्ष में थे तब तो स्थायी कार्य की बात करते थे लेकिन अब नहीं करेंगे और स्थाई कार्य अकाल के समय में सम्भव भी नहीं है। सरकार को प्राथमिकतायें तय करनी चाहिए।

बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जयपुर का विकास अवरूद्ध हो जायेगा जयपुर हो चाहे जोधपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे दिल्ली, बंबई या कलकत्ता हो, इनमें यह गगन-चुम्बी इमारतें हैं, यह गांव के लोगों की मेहनत पर है। अब यहां पर कई बार अखबारों में छपता है कि जयसिंह उद्यान में फव्वारे झूमेंगे संगीत के साथ राम निवास बाग के फव्वारे में पानी निकलता है या नहीं निकलता है, यह प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए. सरकार की, बाड़मेर जिले में जो सीमा पर गांव बसा हुआ है, उस गांव में रहने वाले अन्तिम व्यक्ति को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह सरकार की ओर से निश्चित होना चाहिए। सरकार को प्राथमिकतायें तय करनी चाहिए जहां तक विकास का सवाल है, विकास होना चाहिए लेकिन मनुष्य और पशु की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिये पहले हमको जान को बचाना है।

माननीय पूनमचन्दजी ने कहा कि भूख से मौत हुई है, भूख से मौत अभी तक नहीं हुई है। यह हकीकत है लेकिन मलान्यूट्रीशन के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। यह हकीकत है। इसलिये मंत्रीजी गर्मी के समय में आपने लोगों को यदि रोजगार उपलब्ध नहीं कराया, खाने-पीने का इन्तजाम नहीं किया, पानी का इन्तजाम नहीं किया, मैं दावे के साथ तो नहीं कहता लेकिन मुझे शंका है कि आने वाले समय में भूख से मौत भी सम्भव हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए।

अन्त में मैं फिर आपसे यह निवेदन करूंगा कि पशुधन और मानव जाति को बचाने के लिए आपको मानवीय दृष्टिकोण से इस समस्या के निदान में सजगता के साथ में कोशिश करनी चाहिये, इसमें हम आपका साथ देंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति

(श्री उपाध्यक्ष)

है कि सदन का समय आठ बजे तक के लिए बढ़ाया जाये ।

(स्वीकृत)

सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है ।

राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार

श्री भूरालालजी ।

श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अकाल के ऊपर चर्चा हो रही है उसमें मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । जब सारा उदयपुर जिला अकाल में है और मेरे गोगुन्दा तहसील के 148 गांव अकाल घोषित हो गये हैं लेकिन इस लिस्ट में मेरे क्षेत्र का नाम ही नहीं है । आज गोगुन्दा तहसील के अन्दर सबसे बड़ा एरिया है, पहाड़ी एरिया है, हमारे यहां कोई वाहन नहीं, किसी तरह का कारखाना नहीं है । आज मजदूर वहां से काम छोड़-छोड़ करके दूसरे गांवों के अन्दर जाकर मजदूरी कर रहे हैं । इसलिये मेरी गोगुन्दा तहसील को भी अकाल में घोषित किया जाय, उदयपुर जिले में जो कार्य शुरू हो रहे हैं वह हमारे यहां भी शुरू किये जाय । मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां पर दो चार ऐसे बड़े-बड़े बांध है जो काफी पैसा खर्च होने के बाद, भी अधूरे हैं । इस काम को भी अकाल राहत के अन्दर शुरू करवाया जाये तो कम पैसों से पूरा हो सकता है और हमेशा के लिए हमारे अकाल की समस्या का समाधान हो जायेगा । कोटड़ा तहसील के दो बांध; मारड़ा और नरसिंगपुरा यह दोनों लिये जाये । गोगुन्दा तहसील का गूद मन्दावड़ा और दमदमा, इन तीनों बांधों पर करोड़ों रुपया पहले खर्च हो गया है और वह अधूरा ही काम में लिया जा रहा, अतः रोज उसको काम लिया जाये । हमारे यहां पर कई ऐसी पंचायतें हैं ओखल, रावास, इन पंचायतों में आज तक में गाड़ी नहीं जा सकती है । इन पंचायतों की सड़कों को जोड़ा जाये तो आने-जाने का साधन भी बढ़ेगा और वहां के मजदूरों को भी राहत मिलेगी ।

मैं ज्यादा लम्बी बात आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर कोटड़ा तहसील के अन्दर गये साल अकाल में एक हजार कुओं का अकाल राहत में काम करवाया था । इस साल आपने केवल नो सौ कुओं को आपने फ्री किया और इन पर 10 हजार रुपये खर्च करने की बात हुई थी । आज बाइस हजार मान लिया जायेगा । तो न तो यह कुआ पूरा होगा और न इस कुए का कोई उपयोग होगा । इसलिए दस हजार की मंजूरी मांग कर दूसरा पैसा और सैंक्शन कर दिया जाये और इस काम को आगे बढ़ाया जाये । मैं यही बात कह कर मेरी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादी लाल जी (अनुपस्थित) श्री दयाराम जी ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल

(श्री दयाराम परमार)

पर चर्चा हो रही है और अकाल प्रदेश के 18 जिलों में पड़ा है। उस प्रत्येक जिले में किस तरह का प्रभाव पड़ा, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन ट्राइबल एरिया के जितने भी जिले हैं और जितनी भी तहसीलें हैं उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल का प्रभाव ट्राइबल एरिये में इसलिए अधिक पड़ा है क्योंकि आप जानते हैं कि ट्राइबल एरिया में रहने वाले सभी आदिवासी, काश्तकार हैं और उनके पास काश्त के लिए छोटी-छोटी जमीनें हैं और पहाड़ी एरिया है, यदि बराबर बरसात होती रहे और अच्छी फसले हमारी पक जाये तो पांच क्विंटल और दस क्विंटल के आस-पास अनाज पैदा होता है लेकिन इस साल 20 जुलाई के आस-पास बरसात हुई और 15 अगस्त के पहले बरसात चली गई इसलिये एक भी दाना खाने के लिये पैदा नहीं हुआ। हमारे उस एरिये में रहने वाले आदमी जिनका अधिकतर जीवन मजदूरी पर निर्भर है, सब के सब गुजरात में चले गये। गुजरात में कपास की खेती पर जाकर के उसकी डोरियां बांधते रहे, कपास बीनते रहे और अभी तक का समय उन्होंने गुजारा है। उपाध्यक्ष महोदय, जब गुजरात में काम बन्द हो गया तो वह सभी अभी घर आये हुए हैं और 15 दिन तक होली में नाच-गान में समय गुजर गया। स्थिति यह है कि खाने-पीने के लिए उनके पास में दाना नहीं है, उनका मानस इस तरह का बन गया है कि यदि सरकार काम-काज नहीं दिलाती है या काम करवा कर दाम नहीं देती है, दाम देकर हमको दाना नहीं देती है तो अपना जो पारम्परिक हथियार है-धनुष कमान, उसको उठाओ और आगे बढ़ो और जिन्दा रहो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की स्थिति नहीं बने, आप असत्य आंकड़े दिखा करके अकाल में इतने मजदूर लगा दिये, ऐसा नहीं करके वास्तव में काम पर मजदूर लगावें और एक परिवार में से एक आदमी को काम पर लगाने का काम करें। मेरी खैरवाड़ा तहसील में 33 हजार परिवार हैं और आपने उदयपुर जिले की चार तहसीलों के लिये कहा कि 20 हजार लोग लगेंगे। मैं यह मान कर चलता हूं कि 10–12–13 हजार परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनको काम की जरूरत नहीं है लेकिन बीस हजार आदमियों को काम चाहिये। इसलिये मैं चाहूंगा कि परिवारों को एक यूनिट मान करके एक परिवार का एक आदमी लगे इस आधार पर नीति तय करके सरकार काम पर लगाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी अकाल राहत कार्य शुरू कर देंगे, अकाल राहत में जिन लोगों को राहत देना है उनको तो देना ही है लेकिन इस विभाग में जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका भी राहत कार्य खुल जाता है तरह का राहत कार्य नहीं चले। वास्तव में राहत जिनको देनी है उनको मिले, सरकारी मशीनरी को राहत कार्य नहीं मिले, उसके लिए मेरा सुझाव है कि जो भी मजदूर काम पर जाता है उनको एक हाजरी कार्ड इश्यू करें। उस मजदूर की हाजरी उसमें भरी जाये और सरकार के रिकार्ड रखने के लिये जो मस्टररोल भरा जाता है, उससे लोगों की हाजरी बराबर मिले

(श्री दयाराम परमार)

ताकि उसका पेमेण्ट करते वक्त कोई फर्जी मस्टररोल भर कर पेमेण्ट नहीं उठा ले। अधिकतर मस्टररोल फर्जी भरे जाते हैं और सारा पैसा सरकार का खर्च हो जाता है। फर्जी रिकार्ड बोलता है कि इतनी लेबर हमने लगा दी लेकिन वास्तव में वहां पर मौके पर लेबर लगती नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप पंचायत स्तर पर 2 क्विटल गेहूं रखे। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो काम पर नहीं जाते हैं, आप काम दोगे लेकिन काम पर नहीं जा सकते हैं, उनको दो किलो अनाज देकर के जिन्दा रखा जा सकता है। इसलिये आप हर पंचायत मुख्यालय पर दो क्विटल दाने देने की व्यवस्था भी करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पेमेण्ट करने का काम जिस विभाग से काम करवाते हो, उस विभाग के आदमी से पेमेण्ट नहीं करवाना चाहिये, दूसरे विभाग के आदमी से करवाना चाहिए ताकि उन्होंने जो फर्जी हाजरी भरी है उसका पेमेण्ट वह नहीं उठा सकते हैं मैंने सड़क पर मजदूरी भी की है और रिलीफ में काम भी किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिये में पीने के पानी की जो समस्या है उसका समाधान जो टैंक है उससे पानी देने से नहीं होगा। वहां पर अगर जहां भी कहीं जरूरत हो उनको हैण्ड पम्प खोदने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। हैण्ड पम्प सेंक्शन करने का जो प्रोसेस बना हुआ है वह बहुत लेंदी है। इस अकाल के दिनों में एस.डी.ओ. को इम्पावर कर देना चाहिये कि वह जहां भी जरूरत है वहां हैण्ड पम्प मन्जूर करें और डिपार्टमेंट को दे दें और वह हैण्ड पम्प वहां लग जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस तरह से माननीय मन्त्री जी को कुछ सुझाव दिए हैं उन सुझावों को देखकर के उनका फैसला करेंगे। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि अकाल राहत के अन्दर जो कार्य लेने जा रहे हैं उस कार्य में वैसे तो मन्त्री जी ने कुओं को प्राथमिकता दी है और मैं तो माननीय मन्त्री जी से यह भी दरख्वास्त करूंगा कि आपको कुए में नहीं गिरना चाहिए। जो भी आदमी कुएं में गिरता है वह वापिस निकलता नहीं है। आपको तो सड़क है, जो टूटी-फूटी कैनाले हैं और तालाब हैं इस तरह के काम लाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा मजदूर वहां लग सकें और उनको रोजगार मिल सके। हमारा उद्देश्य काम करने का नहीं होकर के मजदूरों को मजदूरी मिले इस प्रकार का होना चाहिए, काम इस प्रकार का करना चाहिए। धन्यवाद।

(7.00 रात्रि)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नवनीत लाल नीनामा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस रिपोर्ट के बारे में माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : कौनसी रिपोर्ट ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह इन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया है, प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन है... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : इसी के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह इसलिए

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कि इस सरकारी रिपोर्ट के अनुसार टोंक जिले में एक हजार निव्वासी गांव हैं और उसमें खराबा 75 से 100 प्रतिशत, 995 गांव हैं उसमें 8 लाख 14 हजार की आबादी इफेक्टेड है और वहां दो लाख 19 हजार....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह कौनसे नियम में बोल रहे हैं, यह कौनसा तरीका हुआ । कोई काम की बात नहीं करते, कभी जिन्दगी में काम की बात नही की इन्होंने....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं यहां 8 लाख, 14 हजार की आबादी सारी इफेक्टेड है, तीस करोड़ रुपए की क्राप का नुकसान हुआ है सरकारी रिपोर्ट के आधार पर और इसके बाद टोंक जिले को अभावग्रस्त घोषित नहीं करने का क्या कारण है ? क्या मदद दे रहे हैं आप वहां ....(व्यवधान) मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि यह गलती हुई है इसको ठीक करें ।

श्री उपाध्यक्ष : नीनामा जी शुरू करिए ।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : माननवर उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश को आजादी प्राप्त किए 43 वर्ष हो चुके हैं इसमें....

श्री उपाध्यक्ष : स्पीड बढ़ाओ थोड़ी बोलने की ।

एक माननीय सदस्य : आदिवासी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : 85 से आ रहे हैं काहे के आदिवासी हैं ।

श्री नवनीत लाल नीनामा : इसमें कई प्रकार के विकास के कार्य हुए हैं और कार्य करने की योजनाएं बनाई गई, करोड़ों रुपया खर्च किया गया । हमारी गत वर्षों की सरकारों ने जो पैसा खर्च किया और आज वहीं आवाज आ रही है कि गांवों में भूखमरी है, बेरोजगारी हैं, अकाल पड़ा हुआ है, व्यक्ति अपने गांवों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं ।

मान्यवर, निवेदन यह है कि अकाल राहत मन्त्री जी से मेरा यह सुझाव है कि हमारी गई सरकारों ने जो ऐसे काम किए; नाम मात्र की मजदूरी खोली गई, इन अकाल के कामों में कुआ बनाया जाए तो उसे पूरा किया जाए, तालाब बनाए जाए तो उसे पूरा किया जाए ताकि आने वाले वर्षों में वह अकाल का मुकाबला कर सकें । तो इस प्रकार के ठोस काम किए जाएं ताकि जो आने वाले समय में जो पैसा खर्च हो सरकार का उसका उपयोग हो, ऐसा मेरा सुझाव है । मान्यवर इसकी जानकारी के लिए मैं मेरे बांसवाड़ा जिले का ही गत वर्षों में अकाल में जो कुएं खोदे गए हैं, जो किस हालत में है इसकी जानकारी देना चाहूंगा । 1986–87 में 3 हजार, 19, व 1987–88 में 4, 199 कुए, कुल 7218 कुएं इन दो वर्षों में स्वीकृत हुए जिसमें से आज दिन तक 2, 536 कुएं अपूर्ण पड़े हुए हैं ।

अत: मेरी यह मांग है कि इन अपूर्ण पड़े कुओं को इस अकाल में लिया जाकर के पूर्ण कराया जाए ताकि आने वाले वर्षों

(194)

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

में जो अकाल हो जिसके लिए किसान उन कुओं के माध्यम से अकाल का मुकाबला कर सके ऐसा मेरा सुझाव है।

मान्यवर, निवेदन इस प्रकार है कि बांसवाड़ा जिले के 1464 गांव हैं जिसमें 1285 गांव अभावग्रस्त गश्त गिरदावरी के आधार पर हैं लेकिन आज उन गांवों में अकाल का काम अभी तक खोला नहीं गया है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल के पूर्व भाग की जानकारी देना चाहता हूं। निवेदन यह है कि बांसवाड़ा जिले में माही डेम बना। जब-जब इस काम का सवाल आता है तो बांसवाड़ा जिले में माही डेम बनने से कई प्रकार के काम, हरापन आ गया है यह जानकारियां हैं लेकिन बांसवाड़ा जिले के पूरब भाग दानपुरा, पीपलखूंट, कुशलगढ़ का इलाका यह पूरा जो है सूखे के प्रभाव में आता है और इस वर्ष वर्षा के अभाव में माही डेम के पूरब के इलाके में फसल साफ सूख गई है और वहां के किसान खेती पर निर्भर रहने वाले जिला छोड़कर अन्य जिलों में मजदूरी कर रहे हैं यह स्थिति आज है। अतः मेरा यह निवेदन है कि पीपलखूंट उक्त तहसील के 9 ग्राम पंचायतें हैं। यह ग्राम पंचायत है सेमलिया, सोडलपुर, घंटाली, डूंगलावाड़ी, पृथ्वीपुरा, पूंदड, केलामेला, बोरी, पीपलीखूंट इस तरह से 9 ग्रामों पंचायतों के 93 ग्राम हैं। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि इन 93 गांवों को अकाल प्रभावित में शामिल करके अभी तत्काल अकाल के काम खोले जाए। उन गांवों में अकाल के काम खोलने के लिए गत वर्षों में अधूरे काम जो पड़े हैं, जिनके नाम मैं माननीय मन्त्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा।....

श्री उपाध्यक्ष : वह लिस्ट दे देना बहुत लम्बी चौड़ी है।

श्री नवनीत लाल नीनामा : बोहरी, बानगढ़ी, बोहरी बानगढी का तालाब, अधूरा पड़ा है, काली घाटी तालाब अधूरा पड़ा है। मेल तालाब बकटोड जो गत माह जुलाई में वर्षा होने से टूट गया है तो इन अधूरे कामों पर अकाल का पैसा लगाया जाकर के उस एरिए में मजदूरों को मजदूरी दिलाई जाकर के यहां के किसान अपने घर की रक्षा भी कर सकें और अपने इलाके में अपना काम करके अपना पेट पालें ऐसी व्यवस्था करें।

मान्यवर, निवेदन इस प्रकार है कि हमारे पीपलखूंट इलाके में ही एक जानकारी ऐसी अभी आई है कि जो बावरिया नाम की नाल है वह बहुत बड़ा हुडा बाब जी का कूप नम्बर 14 है। वह कूप वहां के किसानों ने अकाल हूने के बावजूद भी नहीं काटा है। और अपने गांव की शोभा के लिए लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, कीमती लकड़ी, इमारती मकान बनाने की लकड़ी है उसे नहीं काटा जाए ऐसा करके स्थानीय गांवों ने उसकी रक्षा कर रखी थी और आज वह जंगल व्यापार मण्डल के द्वारा उजाड़ा जा रहा है। अतः मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार अकाल होने के बावजूद भी जहां किसान इस जंगल को नहीं काट रहे हैं और व्यापार मण्डल के द्वारा वह जंगल काटा गया है। वह जंगल इतना घना जंलग था उस जंगल में शेर थे वह शेर आज जंगल उजड़ने से गांवों में निकल गए हैं।

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

एक मेरे पास जानकारी आई है कि करीब तीन शेर मारे गये हैं और कई व्यक्ति मारे गये हैं। कई व्यक्ति अस्पताल में पड़े हुए हैं और व्यक्तियों ने शेर पर गोली चलाई, तलवारे चलाई उन व्यक्तियों के मामले बनाये गये हैं और थानों में बंद हैं। इस प्रकार से पीड़न होती है। इसलिए मेरा निवेदन है इस प्रकार से जंगलों की रक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाय, इसलिए मेरा सुझाव है....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। नीनामा साहब बिराजिये। माननीय हेतराम जी बेनीवाल।

श्री नवनीत लाल नीनामा : मान्यवर, निवेदन इस प्रकार है कि दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा सूखे की चपेट में है. अकाल की चपेट में है और अभी उदयपुर डिवीजन में कई गांव लिये नहीं गये हैं अकाल में, इसलिए मेरा निवेदन है, स्थानीय गांवों का सर्वेकरवाया जाय, यह गश्ते-गिरदावरी की रिपोर्ट आपके पास नहीं आती है इसलिए स्थानीय हल्का पटवारियों से तहसीलदारों से वर्तमान मौके की जांच कराई जाय और फिर अकाल के नाम पर राहत, पैसा पहुंचाया जाय। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : बेनीवाल साहब।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में अकाल पर जो बहस हमारे हाउस में हो रही है और राजस्थान की सरकार ने अपनी तरफ से जो प्रतिवेदन पेश किया है माननीय अकाल मन्त्री जी ने एक दूसरा प्रतिवेदन अभी 10-15 दिन पहले दूसरा तैयार करके पेश किया है, जो उससे तस्वीर उभरती है, राजस्थान में 13276 गांव अकालग्रस्त घोषित है, अभावग्रस्त घोषित है। जिसमें अकाल का काम है, राजस्थान में ढाई करोड़ से ज्यादा लोग इसके प्रभाव में है। 19 जिलों में अकाल है। क्या वास्तव में राजस्थान की सरकार, राजस्थान सरकार का मन्त्रिमण्डल इस बात को महसूस करता है कि राजस्थान में 30 जिलों में से 19 जिलों में अकाल है, राजस्थान में कौनसा मन्त्री है, राजस्थान में कौनसी मशीनरी है, जो इन इलाकों में गई, उस काम को देखा। राजस्थान के किस जिले में अकाल के काम शुरू हैं, किस क्षेत्र के अन्दर अकाल की सहायता के काम और कैम्प लगे हुए हैं, जिन कैम्पों को मन्त्रीजी ने देखा। वास्तव में इस तस्वीर को अगर यह तस्वीर राजस्थान के बाहर के प्रदेश का कोई व्यक्ति इसको पढ़े तो ऐसा लगेगा कि जैसे सारे राजस्थान में अकाल है, पूरी तरह से लोग भूखे मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं और बुरी हालत है और राजस्थान की सरकार की यह स्थिति है। एक भी मंत्री के लिए कह सकते हैं कि अकाल के किसी काम को देखने के लिए आज तक नहीं गये वास्तव में काम तो है ही नहीं, शुरू ही नहीं किये, काम। ये सिर्फ आंकड़े इन्होंने दिये हैं कि हम 10 हजार को रोजगार देंगे, 20 हजार को रोजगार देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में राजस्थान की सरकार यहां जो आंकड़े दे रही है, मेरा निवेदन करना है कि राजस्थान की सरकार अपने आचरण में भी प्रदर्शित करे कि वाकई यह सीरियस है। कौनसी चीजें आप इसमें कट करना चाहते हैं। किसी प्रदेश में इतना भयंकर अकाल हो जाय. तबाही आ

(196)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जाय उसके बाद में इन्होंने अपने खर्चे कौनसे कम किये, एस. टी. डी, कोठियों का खर्चा, कारों का खर्चा, राजस्थान में आलीशान तरीके से रहने का खर्चा, वे उसी तरह से बरकरार है जैसे इस प्रदेश में अकाल का कोई नामो-निशान ही नहीं हो। इसलिए राजस्थान की सरकार को चाहिए कि अपना और फिर दूसरी तरफ सारा का सारा यह अकाल के जो आंकड़े दिये हैं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि गंगानगर जिले में तीन तहसीलें हैं, जिसमें करीब 175 गांव है जिसमें पूरी तरह से अकाल है। खुद माना है माननीय मंत्रीजी ने कि वहां सबसे कम वर्षा हुई है, सिंचाई नहीं है वहां, उन पूरे गांवों के अन्दर 500 फीट नीचे पानी है, वह भी खारा पानी है, वहां पीने के पानी का इंतजाम नहीं और माननीय मंत्रीजी ने इसमें नाम नहीं दिया तो क्या मापदण्ड है अभावग्रस्त किसी को घोषित करने का, क्या पूरी तहसील में आधे से ज्यादा या तीन चौथाई गांव भूखों मरने लगे या पूरी तबाही हो जाय तब उसको अकालग्रस्त घोषित करेंगे। एक गांव में यूनिट अगर मानी जाय तो इसमें तो पूरी जो लिस्ट दी है, गंगानगर जिले को इस मामले में भी ऐसी हालत में रखा है कि वहां कुछ इलाकों में होता है, इसलिए कुछ इलाकों को वंचित रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज इस सिलसिले में कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार अगर वाकई अकाल के बारे में सीरियस है, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उस क्षेत्र में पशु धन नहीं बचा, राजस्थान में चारे के अभाव से और चारे की बढ़ती हुई कीमतों से इतना जबरदस्त असर है कि मेरे खुद के क्षेत्र में गंगानगर जिले में पूरा का पूरा पशुधन लोगों ने छोड़ दिये और पाकिस्तान में जा रहे हैं। यह बड़ी धर्म प्रिय सरकार है और बहुत गौ-माता का नाम लेती है। हजारों पशु पाकिस्तान में कटने के लिए बोर्डर पर ले जा रहे हैं और पाकिस्तान में धकेल देते हैं। राजस्थान की सरकार ने उसका कोई इंतजाम नहीं किया, इसका मतलब राजस्थान सरकार इस बारे में सीरियस नहीं है। मैं यह चाहूंगा वाकई अगर राजस्थान सरकार सीरियस है, कुछ सुझाव देना चाहूंगा अकाल के सिलसिले में, उनको यह चाहिये कि सबसे पहले अकाल के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार से मांगने से पहले प्रेक्टिकल काम करें और प्रेक्टिकल काम शुरू करके उनका सुपरवाइजर मंत्री लोग करें और मंत्री लोग वहां जाय। दूसरी बात यह है कि मेरे क्षेत्र में राजस्थान कैनाल बहुत बड़ी है। राजस्थान कैनाल की भूमि अलाट नहीं हुई, हजारों एकड़ भूमि राजस्थान सरकार की पड़ी है। राजस्थान की सरकार को चाहिये कि स्पेशल मोगा खोले, व्यवस्था करके उस पानी का इस्तेमाल करके चारे का इंतजाम करें और वहां चारा पैदा करे, टेम्प्रेरी रूप से 6 महीने के अन्दर पूरा चारा पैदा हो सकता है। अभी हनुमानगढ़ खुद भाखड़ा का इलाका है। उसमें 2 हजार एकड़ हनुमानगढ़ के पास गन्ना फार्म है। खाली पड़ा है अगर राजस्थान सरकार चाहे तो उस गन्ना फार्म में चारा पैदा हो सकता है। राजस्थान सरकार लोगों को स्पेशल मोगे देती है, स्पेशल अलाटमेंट करती है स्पेशल तरह से पानी देती है,

(श्री हेतराम बेनीवाल)

अकाल के नाम पर उस क्षेत्र में स्पेशल पानी का इंतजाम करके राजस्थान के सिंचाई विभाग, आखिर यह क्या करता है राजस्थान की सरकार को चाहिए कि सिंचाई विभाग का इस्तेमाल करे, उनके अधिकारियों की वहां पर ड्यूटी लगावे और आक्शन करके करके ठेकेदारों को देकर इस भूमि के अन्दर चारे का इंतजाम करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ इंतजाम उन्होंने किया है, राजस्थान की जनता के लिए, चार रुपये, डेढ़ रुपये, और दो रुपये से, आज जो चारे का भाव बढ़ रहा है और जिस तरह से चारे का अभाव है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमने एक तरफ एलान किया है बहुत सरसों होगी, हम रिकार्ड पैदा करेंगे, तिलहन, वह जो तिलहन रिकार्ड पैदा करेंगे, जिसका असर यह होगा कि राजस्थान में चारे का भयंकर अभाव होगा, कहीं चारा नहीं मिलेगा। कोई दूसरी फसल नहीं होगी। तिलहन की फसल हमने ज्यादा पैदा कर ली और जिससे चारा पैदा होता है वह फसल राजस्थान में कम हुई है। यहां तक कि जयपुर जिले में और ऐसे क्षेत्रों में जहां गेहूं हुआ करता था, वहां भी लोगों ने तिलहन पैदा कर लिया

(7.20 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए चारे की भयंकर कमी रहेगी। सबसे पहले अगर इंतजाम करना है, हमें पशुओं को बचाना है राजस्थान में, तो राजस्थान के अन्दर सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि हम पशुधन को बचायें। यह आपने भी अपने प्रतिवेदन में कहा कि राजस्थान में 4 करोड़ पशु हैं, 4 00 लाख पशु है और उस पशुधन की स्थिति यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुधन की यह स्थिति है कि बहुत से पशु भूख से मरे। सिर्फ यही नहीं है कि पशु मर रहे हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान राजस्थान में हो रहा है वह यह हो रहा है कि पिछले अकालों की मार से जो लगातार अकाल पड़ रहे हैं, कम चारा मिलने की वजह से पशुओं में दूध समाप्त हो गया है, वह पशु इस हालत में नहीं रहा कि वह दूध दे सके और पाल सके। इस दृष्टि से हमें अगर उसको बचाना है तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को चाहिए कि पशुओं को बचाने के लिए उसकी व्यवस्था करें। इस बात से जो डेढ़-डेढ़ या दो-दो रुपये में पशु नहीं बचेगा और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि 9वें वित्त आयोग में हमारा एक फिक्स कर दिया क्लेमिटी का फण्ड है वह 95 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगा। 21 करोड़ रुपये हम देंगे और 93 करोड़ रुपये उनकी तरफ में मिलेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान की जो तस्वीर राजस्थान सरकार ने पेश की है, इस 142 करोड़ रुपये चाहे हमारे पास 100 करोड़ रुपये बचे हुए हो, 200 करोड़ रुपये से ढाई करोड़ आदमियों को सिर्फ 100 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च कर सकते हैं और 100 रुपये का मतलब है 10 दिन या 12 दिन का इंतजाम, ऐसी हालत में हम किसी भी कीमत पर, यहां आज अगर हम 22 रुपये वेजेज दें तो 5 दिन का वेज है यह, 5 दिन का इंतजाम हमारा है तो राजस्थान के अन्दर अगर

(198)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कुदरत ने साथ नहीं दिया और यह अगली जुलाई फेल चली गई और इन्हीं जिलों के अन्दर निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को ऐसा वातावरण राजस्थान में बनाना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार इस मामले में गम्भीरता से से विचार करेगी। हम आपका पूरा साथ देना चाहेंगे। हम चाहेंगे और हम इस पक्ष में भी है कि कांग्रेस जो केन्द्र में सत्तारूढ है, उनसे भी निवेदन करेंगे परन्तु सबसे पहले इनका यह कर्तव्य बनता है कि सिर्फ यह बहाना करके टाल दें तो इससे काम नहीं चलेगा। सीरियस होकर इस मामले में करे, हम चाहेंगे केन्द्रीय सरकार के पास जाय, राजस्थान में जो कुछ हमारे पास है उसको खर्च कर दें, उसको खर्च करने के बाद अगर हम भारत सरकार के पास जायेंगे, वाकई राजस्थान में ऐसा वातावरण होगा जिसमें और मदद मिलेगी। इससे बड़ी मदद मिल सकेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम जी।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं अकाल के बारे में कुछ सुझाव माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को देना चाहता हूं और हमारे सदन के नेता को भी यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अकाल राहत मंत्रीजी नियुक्त किए हैं वो मैं पिछले डेढ महीने से देख रहा हूं, न कोई बच्चों की फिक्र है, न कोई पत्नी की फिक्र है, सिर्फ फिक्र है तो वह अकाल की है।

श्री अध्यक्ष : अब आपकी छत्रछाया में रह रहे हैं।

श्री किशनाराम नाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू जिला जिसकी 7 तहसील हैडक्वार्टर है और भयंकर अकाल की चपेट में है। चूरू जिले में कुल 512 गांव अकालग्रस्त घोषित किए हैं बाकी 442 गांव अकालग्रस्त घोषित नहीं किए हैं। वास्तव में स्थिति तो यह है कि पूरा जिला भयंकर अकाल की चपेट में है। इसकी वजह से लोगों में बड़ी उदासीनता है और पशु भी मर गए हैं। जैसा कि कल्ला साहब और कुछ अन्य माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष के, दोनों ने जो सुझाव दिए हैं, इतनी बात तो नहीं है लेकिन फिर भी इस अकाल की स्थिति को देखते हुए मैं यह चाहूंगा कि अकाल राहत मंत्रीजी चूरू जिले का दौरा करके उसे अकालग्रस्त घोषित करें।

अब अकाल के बारे में जो कुछ किसान बता सकता है वह माननीय सदस्य नहीं बता सकते। कुछ अखबारों को अपनी न्यूज देने के माध्यम से, कुछ हाउस में अपनी शान दिखाने के लिए बोल लेते हैं। कई माननीय सदस्यों को तो इतना ही ज्ञान नहीं है कि मैसी फर्ग्युसन जो ट्रैक्टर होते हैं वे किस-किस हॉर्स पावर के होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कई माननीय सदस्यों को यह मालूम नहीं है कि ऊंट से जब हम हल जोतते हैं, बैल से हम हल जोतते हैं, भैंसे के हम हल जोतते हैं तो उसके लिए क्या सामग्री की जरूरत है। इनको पता नहीं है लेकिन मैं एक किसान हूं पशुपालक हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आगे कोई प्रबोधन कार्यक्रम रखें तो इनका एक व्याख्यान रखा दें।

श्री किशनाराम नाई : मेरे पास आज के दिन 130 गायें हैं जिसमें से बछड़े भी हैं, बछड़ी भी है, लूले-लंगड़े भी हैं। जब मैं इस विधान सभा में आया तो जयपुर में देखने को मिला कि यहां छाछ तक बिकती है। आज दिन तक न तो मैंने दूध बेचा है, न घी बेचा है। इस अकाल के बारे में हम पक्ष और विपक्ष के सदस्य मिलकर

श्री अध्यक्ष : एक दिन सब दूध मेम्बर्स को बांट दें आप।

श्री किशनाराम नाई : यदि हम सब मिलकर अकाल का मुकाबला करें तो कोई खास बात नहीं है लेकिन हम करते उल्टा हैं। मेरा यह सुझाव है कि आज पक्ष और विपक्ष मिलकर अकाल के लिए मुकाबला करें और मेरा निवेदन और है कि चूरू जिले में अकाल की स्थिति को देखते हुए पूरे जिले को अकालग्रस्त घोषित करें।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी) : आदरणीय अध्यक्षजी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अकाल जैसी समस्या पर भी राजस्थान सरकार बड़ा भेदभाव बरत रही है। मैं माननीय अकाल राहत मन्त्रीजी ने जो आंकड़े दिए इनके आधार पर कुछ बात बताना चाहता हूं। इन्होंने 13276 गांवों को अभावग्रस्त बताया है लेकिन इन्होंने जो प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन, मार्च, 1992 तक का दिया है उसमें राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें अकाल नहीं पड़ा हो। राजस्थान के सारे जिलों के अन्दर 75 से 100 प्रतिशत तक खराबा हुआ है। यह प्रगति प्रतिवेदन बताता है कि राजस्थान का एक भी जिला इस अकाल से वंचित नहीं है फिर भी इन्होंने 19 जिलों को ही अभावग्रस्त घोषित किया है। अभावग्रस्त घोषित करने में भी बड़ा भेदभाव हमारे साथ में बरता है जिसकी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं।

महोदय, जहां औसत से कम बरसात हुई है और जो जिले अभावग्रस्त हैं वहां काम करना न्यायोचित है लेकिन जिन जिलों के अन्दर औसत से अधिक बरसात हुई है ऐसे जिले भी हैं जहां पर अकाल के काम चालू कर दिए। जैसे बांसवाड़ा के अन्दर 10 प्रतिशत औसत से अधिक बरसात हुई, चित्तौड़ के अन्दर 5 प्रतिशत से अधिक बरसात हुई, भीलवाड़ा में 5 प्रतिशत से अधिक बरसात हुई, बारां के अन्दर 8 प्रतिशत से अधिक बरसात हुई। जयपुर जिले में 6 प्रतिशत बरसात औसत से कम है लेकिन जयपुर जिले को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया। मैं बताना चाहता हूं आंकड़ों के आधार पर इन्होंने 50 से 74 प्रतिशत 13479 गांवों का बताया है, 75 से 100 प्रतिशत गांवों में 16562 बताया है। टोटल 30041 गांवों को अभावग्रस्त बताया है। लेकिन अकाल के काम चालू किए हैं वे 13276 गांवों में बताए गए हैं। जयपुर जिले को अभावग्रस्त गांवों की सूची में नहीं जोड़ा गया है। मेरा सदन की मार्फत निवेदन है जयपुर जिले की 12 तहसीलें जो अभावग्रस्त घोषित हैं जिनके अन्दर करीबन 944 गांव 75 से 100 प्रतिशत खराबे में हैं। 866 गांव 50 से 75 प्रतिशत खराबा हुआ है। जयपुर जिले के इन सारे गांवों को अकालग्रस्त मानते हुए जितने मजदूर दूसरे जिलों में औसत के लगाये जावें उतने ही यहां भी लगाये जावें। मेरी मांग है कि जयपुर जिले में 25 हजार मज-

(श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा)

दूर कम से कम रोजगार के लिए तत्काल आज की तारीख में घोषित करें।

मेरा दूसरा निवेदन है कि नवें वित्त आयोग ने 120 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से इनको दिए। दो वर्ष के अन्दर 250 करोड़ रुपये इनके पास पड़े हैं। अब तक मात्र 6 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ढ़ाई महीने के अन्दर कितना पैसा खर्च करेंगे। राजस्थान की जनसंख्या 289 लाख है। करीब 289 लाख में टोटल परिवार 58 लाख होते हैं। 8 लाख शहरों में मान लें तो इसके बावजूद भी 50 लाख परिवार गांवों में रहते हैं। अगर 5 लाख परिवारों को प्रतिदिन रोजगार देते हैं 22 रुपये के हिसाब से तो भी इनके पास एक करोड़ 10 लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से केवल 33 करोड़ रुपया प्रतिमाह के हिसाब से खर्च होगा। मैं पूछना चाहता हूं इस 250 करोड़ रुपये को किस तरह से खर्च करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास कोई योजना नहीं, कोई प्लान नहीं। अब आप करना क्या चाहते हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं जो इनके पास पैसा पड़ा है। जो पूर्व में अकाल राहत के काम चलते थे, जो अधूर रह गये हैं, चाहे वे एनीकट हैं, बांध हैं, सड़कें हैं, पंचायत भवन हैं, सहकारिता समिति हैं, अकाल राहत के जो अधूरे पड़े हैं उनको तत्काल पूरा करने के लिए राजस्थान में घोषणा करें।

इसके साथ ही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मेरे फागी विधान सभा क्षेत्र के बारे में मैंने अकाल राहत

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मंत्रीजी को 7 एनिकट के नाम दिए थे जो अकाल राहत में बने हैं जिन पर 48 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। विभाग ने उनका तकमीना बनाकर दिया है कि इन सातों बांध पर 50 लाख रुपया और खर्च होगा तब बनेंगे। मैंने माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को लिखकर भी दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा जो एनिकट के नाम दिए हैं उन पर तत्काल रूप से अकाल राहत के कामों की घोषणा करते हुए काम चालू करें। इसके साथ ही 27 सड़कों के प्रपोजल भी जो अकाल राहत में बनी थी वे भी माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को अभी दे रहा हूं। इन 27 सड़कों पर अकाल राहत के अन्दर सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। इन सड़कों को अधूरी मानकर इनका काम पूरा कराया जाय। ये सड़के हैं माधवरावपुरा से चांदना जो अकाल राहत में बनी थी, दादी से वाटिया वाया टूंटोली, माधोराजपुरा से बीची, दारी से चिड़ावता, फागी से मांदी परवन, जोरू से नारहेड़ा, निम्बेड़ा से समेल्या, घाल्याणा से नाहेड़ा, रेनवाल से वाया हीरापुरा और पाड़िया ले बांजड़ोली, पीपाला से गोपालपुरा, डाबी से कामल्या; रेनवाल से पाड़िया आदि सड़कें हैं जो अकाल राहत में निर्मित थीं जिनके लिए मैंने बार-बार लिखकर दिया है। इन सारी सड़कों को अकाल राहत के अन्दर लेने की कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र में ओलावृष्टि है कारण हुए नुकसान के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। मैंने इस बात की सूचना कल मुख्यमंत्रीजी व अकाल राहत मंत्रीजी को भी दी है। करीब 45 गांव

(श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा)

इससे प्रभावित हुए हैं। इन 45 गांवों की सूची तहसील फागी के अन्दर करीबन 20 गांव प्रभावित हुए हैं, चाकसू के अन्दर 25 गांव प्रभावित हुए हैं। जिन गांवों के अन्दर 100 प्रतिशत खराबा हुआ है वहां 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक के ओले पड़े हैं। सारी फसल चोपट हो गई, सारे खेत बर्बाद हो गए, सारे काश्तकार बर्बाद हो गए। सन् 1980 से जबसे बाढ़ आई थी तब से लेकर राजस्थान में सन् 1992 तक जयपुर जिले में मात्र 3 तहसीलों फागी, चाकसू और दूदू जो अकाल से प्रभावित रही हैं लेकिन इस वर्ष भी सौ प्रतिशत खराबा, 238 गांव चाकसू के अन्दर, 170 गांव फागी के अन्दर, सौ प्रतिशत खराबा है उसके बावजूद भी एक भी गांव में अकाल राहत कार्य इन्होंने चालू नहीं करवाये।

श्री अध्यक्ष : वह तो आप कई बार कह चुके। अब बैठिये। श्री देवपुराजी।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : मैं निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका निवेदन, आप बैठिये।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारे गांवों के अकाल में मानते हुए तत्काल रूप से वहां पर अकाल राहत के काम घोषित करें।

श्री अध्यक्ष : एक बात सुनिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं भी बोलूंगा सिर्फ दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप पहले मेरी बात सुनिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सिर्फ दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप पहले मेरी बात सुनिये। वहां पर सारे प्रेस के लोग, बाकी के लोग आ चुके हैं, अब आप कुछ तो डिसेन्सी यहां मेन्टेन करें, अब आप बोल रहे हैं। माननीय देवपुराजी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं रोजे पर बैठा हूं, सिर्फ दो मिनट चाहता हूं, मेरा नाम दिया हुआ था।

श्री अध्यक्ष : आई एम वैरी सॉरी। मैं आप से क्षमापूर्वक... देवपुराजी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा, एक शेर सुना देने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : हां, शेर सुना दीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद :

"सरकार ने राहत को आम होने न दिया,
भ्रष्टाचार किया पर बदनाम होने न दिया;
किसान ने लाख सर मारा, मगर अकाल
की हालत में सुधार होने न दिया।"

श्री अध्यक्ष : वाह-वाह। श्री देवपुराजी

एक माननीय सदस्य : बहुत सुन्दर है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, एक शेर मैं भी।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में....

श्री रामकिशन : इनसे एक सूत्र कहलवा दो वेद का, दोनों का ही काम हो जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह पण्डितों का काम है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह मुझको आता तो पण्डितजी, आपको यहां बैठने की जरूरत ही नहीं होती। यही तो मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल की स्थिति पर आज सदन में विचार किया जा रहा है और सदन के सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और राजस्थान में जो इस वर्ष का अकाल उस पर अपने चिन्ता प्रकट की। यह सही है कि राजस्थान एक ऐसा प्रांत रहा है जिसको काफी अकालों का सामना करना पड़ा लेकिन जो स्टेटमेंट माननीय राहत मंत्रीजी ने राज्य सरकार की ओर से दिया उससे मुझे ऐसा अहसास हुआ क्योंकि अब तक माननीय मुख्य मंत्रीजी के और राहत मंत्रीजी के जब विचार यहां पर सुनने को मिलते थे तो लगता था कि सरकार कुछ चिन्ता कर रही है और अकाल के बारे में कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है लेकिन जो स्टेटमेंट मैंने देखा है अध्यक्ष महोदय, उससे मुझे ऐसा लगा कि दरअसल इस सरकार को राजस्थान के अकाल की किंचित मात्र चिन्ता नहीं है, कान में तेल डाल कर यह सरकार सोई हुई है। इसी सरकार के अनुसार सितम्बर माह में सरकार को अहसास हो गया कि राजस्थान में अकाल पड़ने वाला है, बरसात कम हो रही है और तत्काल आदेश दिये 15 सितम्बर को, गिरदावरी करने का, जो आम तौर पर गिरदावरी अक्टूबर माह में हुआ करती है तो लोगों को लगा कि वाकई सरकार चिन्ता कर रही है, जल्दी गिरदावरी करा रही है, कुछ काम होगा। लेकिन उस गिरदावरी के बाद नतीजा यह निकला कि आज हमें जो स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट के मुताबिक राजस्थान में 13276 गांव अभावग्रस्त घोषित करना सरकार ने बताया और उसमें अलग-अलग मजदूरों की संख्या जो सरकार ने बताई मार्च तक के लिए, वह श्रमिक सीमा बताई थी तो मैं सीमा को पूरा मान भी लूं कि यह सीमा सम्भवतः आपके अनुसार पूरी हो गई होगी, माननीय सदस्यों के जो भाषण यहां यहां पर हुए, उससे तो मुझे लगा नहीं कि यह सीमा पूरी हुई होगी लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर भी मान लें तो यह सीमा, एक लाख लोगों की मजदूरों की सीमा आपने विभिन्न जिलों के अन्दर दी है। सितम्बर में गिरदावरी कराना, अकाल को महसूस करना और उसके बाद में अब तक की यह सीमा मजदूरों की होना राज्य सरकार की चिन्ता को व्यक्त करता है कि सरकार ने कितनी चिन्ता इस अकाल के प्रति की अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत की मजदूरों की सीमा नहीं है, जिसको कहा गया है, यह सीमा साधारण रूप में जो हमारे क्षेत्रों में विकास के काम होने चाहिए थे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, वह काम भी अगर पूरे करवाये जाते, उससे भी कहीं अधिक मजदूर इस पर लग सकते थे, वह भी नहीं किया और केवल यह कह दिया गया कि जे. आर. वाई के अन्तर्गत यह मजदूरों की संख्या लगाई गई और आगे भी जो हमें विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि अप्रेल माह में मजदूर बढ़ायेंगे और उसकी सीमा भी जो बताई वह भी केवल जे. आर. वाई के अन्तर्गत वह सीमा बता दी गई, अकाल राहत के नाम पर कोई काम खुला हो, इस तरह की कोई स्थिति राजस्थान में

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पैदा नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, जब सितम्बर में मालूम हो गया था कि अकाल की स्थिति आने वाली है और आम तौर पर राजस्थान में प्रेक्टिस रही हैं कि अक्टूबर में जब गिरदावरी होती और गिरदावरी के आंकड़े आते तो विभिन्न क्षेत्रों की हालत देखते हुए टेस्ट वर्क खोले जाते थे और उनसे अन्दाजा लगाया जाता था कि कहां, कितने मजदूर आने की स्थिति है, टेस्ट वर्क पर जितने मजदूर आते, उसके अनुपात में प्रति माह वह अकाल के काम चालू रहते और लोग महसूस करते थे कि हमारे यहां पर कुछ काम होगा। मैं मानता हूं कि हम सब लोगों को मजदूरी नहीं दे सकते लेकिन जब क्षेत्रों में मजदूरी के काम शुरू होते हैं तो लोगों को विश्वास होता है कि हमें भी काम मिलेगा, और काम चलेंगे, उससे काफी कुछ वातावरण में फर्क आता। लेकिन यह तक राजस्थान सरकार ने नहीं सोचा। अध्यक्ष महोदय, गम्भीरता अकाल की लेने की बात करते हैं, अभी फागी से आने वाले माननीय सदस्य कुछ आंकड़े पेश कर रहे थे, पूरे आंकड़े उन्होंने पेश नहीं किये, यह प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन मार्च, 1992 में सहायता विभाग का सकुंलेट हुआ, उसके अनुसार राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें अभावग्रस्त गांव नहीं आये हों और हर जिले की लिस्ट अगर हम देखें तो टोटल गांव जो राजस्थान में बताये गये हैं 40271 गांव बताये गये हैं और इफेक्टेड बताये हैं 30041 सन् 1987-88 में मेक्सिमम विलेजेज इफेक्टेड हुए थे और वह थे 36252, इस बीच में मैं देखता हूं तो कोई वर्ष ऐसा नहीं, जो यह वर्ष वापस आया जिसमें 30041 गांव इफेक्टेड हुए और आज एक स्टेटमेंट दिया, उसमें 13276 गांव। तीस जिले इफेक्टेड, तीसों के तीसों जिलों में कोई ऐसा जिला नहीं छुटा जिसमें अभावग्रस्त गांव नहीं है और जो स्टेटमेंट दिया, कुल 19 जिले इफेक्टेड। अध्यक्ष महोदय, जो 11 जिले छोड़ें गये हैं उनकी स्थिति मैं निवेदन करना चाहूंगा। अलवर जिले में टोटल गांव 1984 और 1850 इफेक्टेड बताये गये हैं इस स्टेटमेंट के अन्दर। भरतपुर में 1472 गांव है वहां पर 542 गांव इफेक्टेड है। भीलवाड़ा में 1656 है वहां पर 1440 गांव इफेक्टेड बताये गये, बूंदी में 8549 गांवों में से 602 गांव इफेक्टेड बताये गये हैं, दौसा में 903 गांवों में से 887 इफेक्टेड बताये गये। 903 में 887, निकाल लीजिए पर्सेन्टेज, कितने इफेक्टेड हैं। कम्पलीट डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हो गया। धौलपुर 588 बताये हैं टोटल गांव और इफेक्टेड 586 है, दो बचे हैं। मुमकिन है कि एक धौलपुर बच गया होगा और एक कोई और कस्बा बचा होगा।

श्री अध्यक्ष : एक राजाखेड़ा बच गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : जो भी होगा लेकिन 586 गांव इफेक्टेड बताये गये। गंगानगर जिले में ठीक है कि तीन तहसीले हैं, जैसा हेतरामजी बता रहे थे, तो वहां सिर्फ 261 गांव ही इफेक्टेड है 4900 में से, पांच हजार गांवों में से, वह ठीक है कि कैनाल एरिया है लेकिन तीन तहसीलें जो इफेक्टेड हैं उनमें 261 गांव है। जयपुर में 2287 गांवों में 1810 गांव इफेक्टेड हैं। झालावाड़ में 1607 में 1589 इफेक्टेड, कोटा में 936 में 478 इफेक्टेड, टौंक में 1089 में 1081 इफेक्टेड हैं....

एक माननीय सदस्य : बारां का भी बता दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : बारां का तो आपका दे दिया होगा इन्होंने इसमें। बारां का तो आपके मंत्री महोदय ने पहले ही पक्ष कर लिया, बारां को छोड़ा ही नहीं उन्होंने, बारां को तो बता दिया कि उसमें इफेक्टेड गांव हैं। लेकिन यह स्थिति होते हुए इन जिलों को इग्नोर करना बताता है कि कितनी चिन्ता राजस्थान सरकार को है इस अकाल से निपटने के लिए। आप यह कह करके, इस सदन में बड़े अकड़ के यह बताना चाहते हैं, यह आपके आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी के आपके आंकड़े हैं, उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। गिरदावरी के आंकड़े नहीं, आपने एग्री किया है, उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर बरसात हो गई और वहां जमाना हो गया। गिरदावरी हुई तब अकाल था, फिर जमाना हो गया। ऐसा तो नहीं।

श्री नत्थीसिंह : बरसात ने जमाना बिगाड़ा बहुत है इस साल।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें लिखा है डिस्ट्रिक्टवाइज 1991 एक्सटेन्ट आफ स्केयरसिटी। इस एक्सटेन्ट तक स्केयरसिटी है-मतलब यह अभावग्रस्त हैं। तो इसमें तो कहीं कोई बात नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि यह इतनी ग्रेविटी इसकी है लेकिन उस ग्रेविटी का अन्दाजा सरकार बिल्कुल नहीं लगा पा रही है और कोई काम अभी तक नहीं खोले और मैंने निवेदन किया कि जो काम खोले हैं वह भी जे.आर.वाई. के अन्तर्गत काम खोले हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल की स्थिति में और सामान्य वर्षों की स्थिति में बहुत फर्क पड़ता है। सामान्य वर्षों में एक आदमी नौकरी पर कहीं काम पर चला जाता है लेकिन पीछे जो घर में काम करने वाले लोग हैं वह खेती पर और दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं और उससे तो कमाई करके उनका जीवीकोपार्जन हो जाता है लेकिन अकाल के दिनों में जो साधारण दिनों की तरह ही आप काम चलाते रहें और उन्हीं विकास कामों के ऊपर मजदूरों को कहकर यह कहते रहें कि अकाल पर लगा दिये इससे हमारा काम नहीं चलने वाला होगा क्योंकि बाकी बचे हुए लोग कहां जायेंगे काम करने के लिए और वह कैसे अपना जीविकोपार्जन कर पायेंगे वहां पर। एक मजदूर कहीं काम पर चला जायेगा उससे काम नहीं चलने वाला है क्योंकि सबके सब नहीं जा सकते हैं लेकिन जब खेती के अन्दर काम करने वाले लोग घर में बैठे रहेंगे तो उनकी रोजी-रोटी का क्या होगा ? वह कहां से रोज-रोटी लेंगे ? इसीलिए अकाल के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अगर अकाल के काम साधारण, जो सामान्य योजनायें हमारी चलती हैं योजनाओं के अन्तर्गत चाहे वह जे.आर.वाई. हो या आर.एल.ई.पी. हो, चाहे हमारे सिंचाई के डैम बन रहे हों या सड़कें बन रही हों, उन्हीं को मानकर अगर हम अकाल की पूर्ति करना चाहेंगे तो अकाल की पूर्ति नहीं कर रहे होंगे, हमारे डवलपमेंट वर्क्स हैं वही हम चला रहे होंगे। जो रेगुलर काम होने वाले हैं उन रेगुलर कामों को जो ठेकेदारों के मार्फत किये जाते हैं उन कामों के अन्दर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मजदूर भी सलेक्टेड मजदूर छांटकर वह काम कराते हैं क्योंकि उनको पूरा आउटटर्न लेना है। लेकिन अकाल के अन्दर हमें सहायता देनी होती है वहां आउटटर्न की कोई बात नहीं है। आप टास्क के आधार पर उनकी मजदूरी का पेमेन्ट करते हो। इसलिए उनके आउटटर्न की आवश्यकता नहीं देखनी होती है और कमजोर व्यक्ति को भी लेना होता है शारीरिक दृष्टि से। कमजोर, मैं आर्थिक दृष्टि से की बात नहीं करता। शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति को भी लगाना पड़ता है, महिलाओं को भी लगाना पड़ता है और बाज-वक्त बच्चों को भी लगाना पड़ता है। यह अकाल की स्थिति होती है। इसीलिए अकाल राहत के लिए स्पेशल बातें कही गयी हैं। आपके पास पैसा था 93 करोड़ 9वे फाइनेन्स कमीशन ने प्रतिवर्ष दिया वह और 31 करोड़ आपका शेयर जो उसमें लगना चाहिए था। इस तरह से 124 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से आपके पास पैसा था। उस पैसे में आपके दिये हुए आंकड़ों के अनुसार आपने कोई खर्चा नहीं किया। यह पैसा किसलिए दिया गया है ? ऐसी स्थिति को मीटआउट करने के लिए दिया गया है, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दिया गया है लेकिन उसका आपने कुछ खर्च नहीं किया और आप अब भी कहते हैं कि हम तो जे.आर.वाई. के काम चलायेंगे, किस तरह से आप अकाल को मीटआउट करना चाहते हैं ? कैसे लोगों को मजदूरी देना चाहते हैं ? यह मार्च महीना माननीय मुख्य मन्त्रीजी को मालूम है कि वह यहां विरोधी पक्ष के नेता के हिसाब से जब कहा करते थे कि अभी तक मजदूर और लगने चाहिए। मजदूर बढ़ने चाहिए। बाड़मेर की यह स्थिति है, जैसलमेर की यह स्थिति है और सब जगह की स्थिति आप बताते थे और सरकार को मजबूर करते थे कि मजदूर बढ़ने चाहिए। महसूस करती थी सरकार कि मजदूर बढ़ने चाहिए और प्रत्येक महीने मजदूर बढ़ाये जाते थे लेकिन अभी तक तो आपने सोचा ही नहीं। आपका कोई प्लान ही नहीं बना कि अकाल को मीट आउट करने के लिए आखिर आपने क्या तस्वीर बनाई है वह तस्वीर अगर आज हमारे सामने होती तो हम अन्दाजा लगाते कि वास्तव में सरकार ने कुछ तस्वीर बनाई है और आगे कुछ करना चाहती है। हमें लगता है कि यह सरकार इस अकाल को मीट आउट इस वर्ष नहीं कर पायेगी और राजस्थान के लोगों को भारी नुकसान की स्थिति में लाकर पेश कर देगी। अभी तो पशुधन की बात माननीय सदस्य कर रहे थे। सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य श्री हेतरामजी अभी आप कह रहे थे कि कितना पशुधन चला गया और कैसे वह चला जा रहा है और कैसे कटने के लिए जा रहा है। यही स्थिति दूसरे जिलों की भी है। अभी 11 तारीख को अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली से लौट कर आ रहा था मुझे गायों का झुण्ड मिला। लम्बी कतार में गायें चली जा रही थीं। मैंने कहा कि इतनी गायें कहां से आ रही हैं तो पता लगा कि वह गायें जालौर जिले की हैं जो कि हमारी सांचोरी ब्रीड है। वह गायें दिल्ली की तरफ आगे बढ़ती हुई चली जा रही थीं और वह फैंटे बांधे हुए लोग उनके घेरे चले जा रहे थे। क्या जरूरत महसूस हो गयी उनको कि वह दिल्ली की तरफ जा रही थीं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले नहीं जाती थीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जाती थी, मैं मानता हूं। मैं नहीं कहता कि नहीं जाती थी लेकिन आज हम यह कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है राजस्थान में, मैं उस दृष्टि से बात करना चाहता हूं। मैं कभी यह नहीं कहता कि कांग्रेस सरकार के वक्त में गायें बाहर नहीं गयी होंगी। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस सरकार के वक्त में लोग गुजरात में या दूसरी जगह मजदूरी करने नहीं चले गये होंगे। मैं मानता हूं इस बात को लेकिन फिर भी राजस्थान के अन्दर लोग काम करें यह आपकी और हमारी कोशिश होनी चाहिए और यही कोशिश पहले हुआ करती थी लेकिन वह कोशिश आज कतई नहीं की जा रही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सरकार को कितनी चिन्ता है। कोई गम्भीरता से सरकार इसको ले नहीं रही है। दूसरी बात माननीय मुख्य मत्री जब विपक्ष के नेता थे बहुत अच्छी सलाह दी थी आपने कि हमारे पास पैसे की कमी है। राजस्थान के पास पैसे की कमी है इसलिए राजस्थान उस अकाल की स्थिति से निपट नहीं सकता। आपकी सलाह थी कि राजस्थान केनाल, उस समय राजस्थान केनाल नाम था और आज इन्दिरा गांधी नहर उसका नाम है, ऐसी सलाह दी थी कि उस नहर पर हमको मजदूरों को लगाना चाहिए और हम सबको मिलकर इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हमने कोशिश की कि लोग जायें लेकिन राजस्थान के लोगों की परम्परायें यह रही और ऐसे आदी हो गए कि घर छोड़कर जाना नहीं चाहते। हम उसमें कामयाब नहीं हुए लेकिन अब आपके हाथ में काम आ गये। अकाल की स्थिति आ गयी तो फिर क्यों नहीं आप यह कोशिश करते कि जहां राजस्थान केनाल में इतना काम है, पैसे की कमी हो सकती है, मैं नहीं कहता कि पूरा पैसा हमारे पास है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई पैसे की कमी नहीं है राजस्थान केनाल पर जितने मजदूर जा सकते हैं जायें।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं तो अकाल के खर्च करने के लिए विशेष बजट की आपके पास कमी हो सकती है और इन्दिरा गांधी नहर के ऊपर हमने तो कहा कि हम कामयाब नहीं हुए लेकिन आप इस बात को कहते थे। मैं उसी को करने की बात याद दिला रहा हूं आपको। आप उस स्टेप को क्यों नहीं लेते कि राजस्थान के लोग वहां जायें। उनको कुछ ऐसे इन्सेन्टिव दिये जायें जिससे वह वहां जायें और वहां पर काम पर लगे और अपना काम करें लेकिन यह सम्भव नहीं हो पायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमसे मत कहो। हम तो मानते हैं इस बात को कि हम उसमें कामयाब नहीं हुए। आपने सलाह दी थी लेकिन उस सलाह को जो आपने दी थी उसको आप तो इम्पलीमेन्ट करके दिखाओ तो मालुम पड़ेगा कि आप कितना काम करा सकते हो कितना नहीं करा सकते हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ आंकड़े मुझे यह भी मिले कि अकाल के अन्दर इतना खर्चा 10 वर्षों में हुआ। अकाल के अन्दर जो खर्चा हुआ 10 वर्षों में मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। यह बात सही है कि अकाल के दिनों में जितनी योजनायें हमारी चलती हैं उनको भी हम साथ

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जोड़ते हैं। किसी जगह पर बहुत बड़ा डैम बन रहा हो, उस पर भी मजदूर लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मजदूर वहां पर आयें लेकिन यह नहीं हो सकता कि उन योजनाओं के अन्तर्गत ही काम चलाते रहें। आपकी नीयत यही रही और मुझे लगता है कि आगे भी शायद आपकी यही नीयत है क्योंकि आपके जो दस वर्ष का आंकड़ा है, उसमें 1990-91 मतलब गत वर्ष में कोई गांव अभावग्रस्त नहीं थे लेकिन जो आंकड़े पैसों के हैं उन पैसों के आंकड़ों को देखेंगे कि अभावग्रस्त कामों के लिए कितना खर्चा हुआ स्टेटमेन्ट शोईंग एक्सपेन्डीचर इनकर्ड आन रिलीफ ड्यूरिंग 1981-82 और 1990-91 तो उसमें 1990-91 में एक तरफ तो हम कह रहें हैं कि कोई गांव अकालग्रस्त घोषित ही नहीं हुए और सही भी है कि 1990-91 में अकाल नहीं था राजस्थान में, फार्चुनेट ईयर, लेकिन इसमें भी हमने बताया कि हमने रिलीफ वर्क्स पर कितना खर्चा कर दिया। रिलीफ वर्क्स पर खर्चा कर दिया 4171.46 लाख खर्च कर दिया याने 41,74,46,000 रुपया हमने रिलीफ वर्क्स पर खर्च कर दिया। मतलब यह हुआ कि हमने जो सामान्य काम चलते हैं उसके ऊपर जो खर्चा होता है उसको भी हम रिलीफ वर्क्स का खर्चा मानते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सामान्य खर्चा नहीं है। आप देखेंगे तो यह बाढ़ राहत कार्य का है।

श्री हीरालाल देवपुरा : 'आई. एम. सारी' बाढ़ राहत का बाढ़ राहत का इसी स्टेटमेन्ट में आपने फ्लड के लिए दे रखा है। आपने फ्लड का खर्चा बताया है 3 करोड़ 49 लाख 92 हजार रुपया। आपने उसको रिलीफ का खर्चा माना है। जब आप इस तरह से रिलीफ का खर्चा मानते हैं तो क्या अपेक्षा करें कि आगे भी आप इस तरह का मानकर हमको हिलाकर दूध की बोतल बता दोगे कि पीयो बेटा दूध। है तो कुछ नहीं लेकिन वह हिलाकर बता दोगे कि इससे राहत मिल जायेगी। इससे राजस्थान के लोगों का पेट भरने वाला नहीं है। इससे राजस्थान के लोगों की अकाल की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। इसको हमको गहन चिन्तन करके सोचना पड़ेगा। इस-लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको गम्भीरता से लें, इसको गहराई से लें। अकाल राहत पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमारा यह 93 करोड़ और 31 करोड़ याने 124 करोड़ और दो साल के 250 करोड़ रुपये आपके पास हैं। इस 250 करोड़ रुपये को आप खर्च कीजिए और फिर चलिए केन्द्रीय सरकार के पास, हम आयेंगे आपके साथ, क्योंकि राजस्थान में 630 करोड़ खर्च किया गया। 630 करोड़ रुपया जो राजस्थान के अकाल में खर्च किया गया, जो राजस्थान के पास नहीं था वह भी केन्द्र सरकार ने दिये हैं, लाये हैं, केन्द्र सरकार से और ऐसी विषम परिस्थि-तियों में केन्द्र में कोई भी सरकार हो इंकार नहीं कर सकती। किसी भी प्रान्त के लिए अगर उसकी नीड है, जरूरत है तो उनको देना पड़ेगा और हम और आप उस पैसे को लेने के लिए साथ चलेंगे लेकिन होगा जब, जब हम ढाई सौ करोड़ खर्च करके जायें और कहें कि राजस्थान की यह हालत

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बनी हुई है। अकाल में लोगों को अनाज चाहिए, लोगों को मजदूरी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिये, पशुओं को फीडर, पशुओं को केटल फील्ड चाहिए। राजस्थान के पशुओं की नस्ल हिन्दुस्तान के पशुओं की नस्लों से अच्छी है। यहां की गाय हिन्दुस्तान के अन्दर मानी हुई गाय है। इस नस्ल को हम खतम कर देंगे तो सरकार को बहुत भारी नुकसान होने वाला है क्योंकि राजस्थान की सारी इकानामी या तो एग्रीकल्चर बेस्ड है या फिर केटल बेस्ड है। इस पर भी हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इसको गम्भीरता से लिया जाय। मैं यह नहीं कहता कि आपने जो कुछ किया, मैं उस आधार पर कह रहा हूं कि कितनी गम्भीरता से आप ले रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, और अकाल राहत मंत्री जी, आपके मन में कुछ भी भावनायें हों कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ करके दिखाओगे, एक्शन में आप लाओगे तो मालूम पड़ेगा। आप कुछ कर रहे हो, यह भावनायें रखकर, मन में रख लोगे तो भावनायें, भावनायें ही रह जायेंगी और राजस्थान के लोग आपको कर्स करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं और अपने-अपने क्षेत्र की बातें उन्होंने कही हैं लेकिन जिन जिलों को आपने छोड़ा है उनको क्योंकर छोड़ा गया, क्या कारण था? क्योंकि उन जिलों में आप शायद यह कह दें कि वहां जो अभावग्रस्त हैं वे 50 से 75 के बीच में थे, 75 से 100 के बीच में नहीं। अगर उसको पढ़ने लगूंगा तो समय काफी लग जायेगा। हर जिले में 50 से 75 के बीच में भी गांव है और 75 से 100 के बीच में भी गांव हैं और ज्यादातर गांव जो जिले आपके छूटे हैं उनमें से 75 से 100 के बीच में अगर अभावग्रस्त पर्सेण्टेज का खराबा आया है वह करवाना है इसलिए उनको भी गम्भीरता से लें और काम उस हिसाब से खोलें। यह जो अप्रेल में आपने मजदूरों की संख्या बताई है इससे काम चलने वाला नहीं है। गये अकालों का अंदाजा लगाइये, कम्पेयर कीजिए पहले के स्टेटमेण्ट को कि कितने मजदूर थे और उस वक्त भी अगर मांग थी तो क्या इन मजदूरों की संख्या जो आपने बताई उससे काम चल जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नहीं चलने वाला होगा और यह संकट का सामना आपको करना है। आपको मजदूरों की संख्या बढ़ानी होगी और पैसा खर्च करना होगा योजनाएं उसी तरह से बनानी होगी कि जिससे आपकी योजना में आया हुआ पैसा भी और यह जो आपको नाइन्थ फाइनेंस कमीशन से मिला हुआ पैसा है, यह सारा पैसा मिल कर अकाल के कामों पर लगे तो मै समझता हूं राजस्थान के अकाल से हम निपट सकेंगे। राजस्थान में कई बार ऐसे संकट आये हैं और निपटा गया है उन संकटों से। मैं सकट से निपटने को कोई कठिन काम नहीं मानता। निपटा गया है उन संकटों से लेकिन निपटा कब जायेगा जब हमारा मन होगा, हमारी काम करने की इच्छा होगी तब तो निपटा जायेगा और इसको इसी तरह से टालना है, देखिये समय निकल जाता है, हम यह कह देते हैं कि चलो लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हैं समय निकल गया। यह तो राजस्थान के लोग हैं जिनको आप भी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जानते हो और हम भी जानते हैं कि कितनी बरदाश्तगी की शक्ति उनमें है। वह भूखे मरते हुए भी उसको बरदाश्त करते हैं। उसका मतलब यह मत समझ लीजिए कि उनके मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। अगर राजस्थान का नागरिक राजस्थान के गांवों के लोग उठ गये तो उनको सम्भालना मुश्किल हो जायेगा मुख्य मंत्रीजी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको गम्भीरता से लें और गम्भीरता से लेकर अकाल को अकाल की दृष्टि से देखें। अकाल को केवल अकाल का नाम लेकर, कह कर नहीं देखें बल्कि अकाल को अकाल की दृष्टि से देखें और देख कर उस पर काम शुरू करवायें तो मैं समझता हूं बहुत फायदा होगा। बाकी हमने बहस कर ली। कल अखबारों में छप जायेगा। क्षेत्रीय लोग देखेंगे कि उन्होंने बोल दिया, इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। हम कुछ करके जायेंगे, कुछ करके दिखायेंगे तो उसका लाभ मिलने वाला है। यही मुझे आपसे निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।.... (व्यवधान)....

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मंत्रीजी के उत्तर तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि माननीय मंत्रीजी के उत्तर देने तक समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

(माननीय मंत्री महोदय के उत्तर देने तक सदन का समय बढ़ाया गया।) माननीय मंत्रीजी।.... (व्यवधान)....

अकाल की स्थिति पर विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था। मुझे बोलने की अनुमति दें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मेरा निवेदन है श्रीमान्, माननीय मंत्री महोदय ने केवल 7 हजार मजदूरों का पूरे जिले में रखा है। आप इसको बढ़ावा दें, मेरा यह निवेदन है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। मुझे आपने बोलने की अनुमति दे दी थी। आपकी अनुमति हो तो दो-एक....

श्री अध्यक्ष : सदन के ऊपर मैं नहीं हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे दो-चार बात कहनी थी।

श्री अध्यक्ष : मेरे ऊपर सदन है। सदन की इच्छा यह थी कि देवपुराजी के बाद जवाब दिया जाय। इसको ओवर रूल नहीं कर सकता। सदन की इच्छा सर्वोपरी है।

श्री कैलाश मेघवाल (अकाल राहत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिन भर अकाल पर बहस चली है और अकाल राहत कार्यों को लेकर 30 माननीय विधायकों ने इस चर्चा में भाग लिया है। बड़े उचित और अच्छे सुझाव आये हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल को जिस परिप्रेक्ष्य में हम सोचने के आदि हो गये हैं, और अकाल की सारी स्थिति को देखने की जो हमारी आज तक की नजर रही है उससे माननीय सदस्यों को कुछ अलग हट कर सोचने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। इसका संकेत कुछ, माननीय अध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय विधायक ने दिया है और उस दृष्टि से अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम राजस्थान के अकाल ग्रस्त इलाकों के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। अब यह सही है कि आज मैंने 13276 गांवों में अकाल राहत घोषित किया है लेकिन उसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो घोषणा और जो अकाल राहत कार्य किये जा रहे हैं और आगे किये जाय उसका कुछ आधार हमने बनाया है। आधार जिसमें गिरदावरी आयी है और गिरदावरी में अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि 40 हजार और कुछ गांवों में से 30 हजार और कुछ गांव प्रभावित बताये गये हैं। कुछ गांवों में 75 से 100 प्रतिशत खराबा है, कुछ गांवों में 50 से 75 प्रतिशत खराबा है लेकिन इस सारे परिप्रेक्ष्य में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें से राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कि लगातार अकाल पड़ते रहे। यह दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान, मरुस्थली राजस्थान, जहां पर कि लगातार अकाल पड़ते रहे हैं। जहां लगातार अकाल पड़ते रहे हैं और फिर अकाल पड़ गया, वहां की स्थिति माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग होगी। कई भू भाग ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि लगातार अकाल नहीं पड़ता। पिछले कई साल अच्छे गये हैं और अचानक एक साल में अकाल आ गया। वहां के अकाल की स्थिति और होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि यह कहा गया है कि वर्षा एक बार तेजी से पड़ जाय, निरन्तर पीरियोडिकल नहीं हो तो उससे भी फसल नहीं होती लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि बरसात अगर इर्रेगुलर हुई है, ज्यादा हो गयी है, केवल हमारे राजस्थान में 5 जिले ऐसे हैं जहां पर औसत से ज्यादा बरसात हुई लेकिन उनकी भी गिरदावरी अभाव ग्रस्त घोषित करने की गिरदावरी आयी है। मेरा निवेदन करना इसमें यह है कि रबी की फसल की स्थिति भी तो सामने है क्योंकि जहां रबी की फसल की स्थिति ठीक है वहां जो व्यक्ति है उसकी क्रय शक्ति भी ठीक होगी। तो इस तरह से सामान्य नागरिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तीन-चार दृष्टिकोण मैंने इसमें अपनाये थे। मुझे तो अफसोस हुआ, फागी से आने वाले माननीय विधायक कुछ भी मेरे ऊपर आरोप लगा सकते थे लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीतिक भेदभाव किया गया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि 13 जिले हैं, इन 13 जिलों को अगर आप देखें तो इसमें बहुमत कांग्रेस आई के विधायकों का होगा या दूसरे विधायकों का होगा। मैंने वह दृष्टिकोण नहीं रखा है मैं आपसे यह

(श्री कैलाश मेघवाल)

श्री निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें आपने धौलपुर जिला छोड़ दिया जहां से मैं जीत कर आया हूं।

श्री नत्थी सिंह : तब तो वहां ओले पड़ गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ओले तो आप वाले में भी पड़ गये।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : और कहते हैं, ओले केवल राजाखेड़ा और धौलपुर में ही पड़े हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं प्रद्युम्न सिंह जी की बात को सही मानता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने आपसे निवेदन किया कि मैंने इस सारे परिप्रेक्ष्य में कुछ आधार तैयार किये थे और उस आधार के आधार पर अब यह कहा गया कि काम इतनी देरी से क्यों चालू हुए ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल की चुभन को हम महसूस करते हैं और बड़ी गम्भीरता से हमने इसको महसूस किया। 19 तारीख को जब मुझे अकाल राहत विभाग का दायित्व मिला तो उसके बाद लगातार इस विधान सभा में जितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आये, जितने स्थगन प्रस्ताव आये जितने 295 में उल्लेख आये, जितने भी सवाल किये गये, इस सारी सामग्री को, इस सारी व्यवस्था को मैंने अपने लिये मार्गदर्शक माना और मैं लगातार चिन्ता करता चला गया कि किस तरह से कहां लाभ पहुंचाया जाय। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि अकाल पर जितना खर्चा हमारे यहां हुआ है 1956–57 से 69–70 तक 91 करोड़ रुपया हुआ, 70–71 से 80-81 तक 150 करोड़ रुपया हुआ, 81-82 से 90-91 तक 1550 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। एक सूचना, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से देना चाहता हूं, राजस्थान के निर्माण के बाद 1956 से 92 तक का काल लिया जाय तो इस काल में 36 साल में 26 बार राजस्थान में अकाल पड़े हैं और 26 बार में से 17 बार तो ऐसे अकाल पड़े हैं जिसमें दस बार दस हजार से ज्यादा गांव प्रभावित थे नौ बार ऐसे अकाल पड़े हैं जिसमें दस हजार से कम गांव प्रभावित थे। तो राजस्थान और अकाल, यह एक दूसरे के पूरक हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अकाल का एक स्वरूप बदलेगा, दूसरा स्वरूप सामने आयेगा। राजस्थान के 50 के दशक में, 60 के दशक में 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, इनमें अकाल की परिस्थितियां अलग-अलग रही हैं, अकाल का स्वरूप अलग-अलग रहा है और यह इसलिये निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई क्षमता, आखिर अकाल को प्रभावित करने वाले कितने फैक्टर होते हैं 1965-66 को अगर आधार वर्ष लें, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1965-66 में 17.53 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी। यह जो उस समय की सिंचाई क्षमता थी उस दृष्टि से उस

(श्री कैलाश मेघवाल)

तुलना में उस समय जो सूखा पड़ता उस स्थिति में और 1971–72 में आकर के यह पांच साल बाद 21.73 लाख हैक्टेयर हो गयी। इस तरह से यह आंकड़े पांच-पांच साल के बनाये हैं, आपके सामने इसलिये रख रहा हूं कि अकाल भी पड़ता रहा है, जैसे 36 साल में 26 बार पड़ गया और सिंचाई क्षमता भी हमारी 1975-76 में 25.47 लाख हैक्टेयर हो गयी। 81–82 में 29.03 लाख हैक्टेयर हो गयी, 85–86 में 31.10 लाख हैक्टेयर हो गयी। मैं आपको निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, कि आज की तारीख में सिंचाई का रकबा 42 लाख हैक्टेयर का है।

डा. चन्द्र भान : 65 से 92,27 साल में 36 बार।

श्री कैलाश मेघवाल : अब यह जो भी स्थिति है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब यह सिंचाई का जब रकबा बढ़ता है, सिंचाई के साधन जब बढ़ते हैं तो उसके साथ हमारी सारी कई तरह की स्थितियां भी बदल जाती हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : मार्च में एक महीने में कैसे बढ़ गया। आपने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है उसमें बताया है 36 लाख।

श्री कैलाश मेघवाल : 92 तक थी।

श्री यदुनाथ सिंह : नो नो, अभी लेटेस्ट इस महीने तक, फरवरी के महीने तक।

श्री कैलाश मेघवाल : इसमें, देखिये, आप यह आंकड़े हैं....

श्री अध्यक्ष : आफिशियल लेटेस्ट यह हैं, बाकी मिस प्रिंट हो गया होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : अब मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कृषि उत्पादन की स्थिति। कृषि उत्पादन की स्थिति अगर 1961–62 को अपना बेस ईयर लेते हैं उस समय 55.80 लाख टन थी....

अनेक माननीय सदस्य : आप तो घोषणा करो।

श्री नत्थी सिंह : यह सब जानें हैं। (व्यवधान)....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप क्या करने जा रहे हैं, यह बताओ ना।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज। एक मिनट। मेरा निवेदन है कि माननीय देवपुराजी ने कुछ अपने आधारभूत पाइंट रखे। माननीय मंत्रीजी अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं। मैं समझता हूं इस दृष्टिकोण से काम अपने आप निकल जायेंगे। जो दृष्टिकोण यह रख रहे हैं कि भाई, हम जो काम करने वाले हैं उसका आधार यह हैं। अब जैसे कुछ लोगों ने अन्दाज लगा लिया कि पालिटिकली डेप्रीशियेशन हुआ है, इन्होंने उनको बता दिया कि इस कारण से हुआ है कहीं रबी की फसल का, लगातार अकाल का। तो उनका दृष्टिकोण सामने आ जाय तो उसमें आपको समझने में सुविधा रहेगी। नहीं तो फिर क्या हैं, वह जो करनी है वह तो दो मिनट में हो जायेगा। जो करनी है वह तो दो मिनट में हो जायेगी। लेकिन सरकार का सोच क्या है, देखिये, यह इम्पार्टेण्ट है, सरकार क्या सोचती है। तो इसको आप बता रहे हैं, हां, बोलिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का उत्तर नहीं दिया जाय तो वह भी यह समझेंगे, हमारा अपमान किया। हर सदस्य का अधिकार है जो कुछ कहा है उसका उत्तर लेने का।

श्री देवेन्द्र सिंह : नहीं, आपको जल्दी जाना है इसलिये कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं नहीं, आप 11 बजे तक पहुंच जाना लेकिन पहुंच जाना।

श्री देवेन्द्र सिंह : आपके वहां पहुंचने का इन्तजार कर रहे हैं इसलिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां बोलिये।

श्री कैलाश मेघवाल : वैसे, माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच घण्टे तक लगातार यहां बहस हुई है....

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आप अपना बिल्कुल रखिये।

श्री कैलाश मेघवाल : और तीस माननीय सदस्यों ने उस बहस में हिस्सा लिया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह सुनेंगे। आप बोलिये, बोलिये। सुनेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसी स्थिति में चूंकि जो पृष्ठभूमि मेरी रही है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप पृष्ठभूमि ठीक रख रहे हैं। अच्छी है, आप बोलिये। और एलोबरेट करिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सदस्यों से भी इस बात की उम्मीद करता हूं कि अकाल राहत के क्षेत्र में भविष्य में जो भी हम कदम उठायेंगे उसमें हमारा सोच क्या है उसको सही करने की वह कोशिश करें। उस सोच के साथ राजस्थान में अकाल की चुभन कम से कम हो, कोई मानव जीवन अकाल से प्रभावित हो करके हमको छोड़ कर नहीं जाय, यह हमारा प्रयत्न रहे, कोई भी पशुधन किसी भी तरह से प्राण नहीं त्यागे यह हमारा प्रयत्न रहे, चुभन कम से कम हो, इन प्रयासों में सबका सहयोग चाहता हूं। तो मैं आपके सामने दूसरी स्थिति एक रख रहा था वह स्थिति यह रख रहा था कि 61-62 में कुल 55.80 लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ था, 71-72 में 63.35 लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ, 1981-82 में 71.61 लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ, 1991-92 में जो सबसे कीर्तिमान....

एक माननीय सदस्य : आबादी बढ़ी है।

श्री कैलाश मेघवाल : वह आबादी का भी मैं दूंगा आगे लेकिन अब आज आप सब जरा जल्दी के मूड में हैं। 1991-92 जो पिछले साल कीर्तिमान पैदावार हुई, उसमें 111 लाख टन की पैदावार हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अकाल का वर्ष है इस अकाल के वर्ष में हमारा उत्पादन 82 लाख टन हो रहा है, यह भी एक दृष्टिकोण हमको रखना पड़ेगा कि आखिर उत्पादन में कितनी कमी आयी है। मैं अलग-अलग सीरियल्स के, पलसेज के, तिलहन के आंकड़े नहीं देना चाहता हूं जो मैंने सारे तैयार करके रखे हैं लेकिन इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री यदुनाथ सिंह : देखो डिटेल में देखो, साहब, हम वोट करेंगे।

(२१५)

श्री कैलाश मेघवाल : नोट कीजिये। तिलहन का उत्पादन, माननीय अध्यक्ष महोदय, 61–62....

श्री अध्यक्ष : आप अपने तरीके से अपनी बात कहिये, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिये। आप जो कह रहे हैं वह कहते जाइये।

श्री गत्थी सिंह : ध्यान तो हमारी तरफ देंगे।

श्री अध्यक्ष : जब आप ध्यान दिलायेंगे, जब देंगे।

डा. चन्द्रभान : इन आंकड़ों से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : अभी तो ध्यान मंत्रीजी की तरफ आपका है। जब आप उनका ध्यान दिलायेंगे तो दे देंगे। पहले इनकी तरफ ध्यान दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : वर्ष 1961-62 को अगर आधार माना जाय तो उस समय तिलहन की पैदावार हुई थी 1 लाख 28 हजार टन की और इस वर्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, तिलहन की पैदावार 28 लाख टन पहुंच गयी है जो 23 गुणा अधिक पैदा हुई है। यह तिलहन 2300 करोड़ रुपये की कीमत की है। अब तिलहन के क्षेत्र में अभी एक बात कही गयी, एक माननीय विधायक महोदय ने कहा था, मैं इसमें देख कर नाम भी बता सकता हूं, माननीय हेतरामजी, संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी फार इन्ट्रप्शन। हम जान गये, मान गये इस बात को कि आप बहुत तैयारी के साथ आये हो, बहुत बोल सकते हो। आप तो केवल हमें इतना बता दें, यह कह कर कि अन्न का उत्पादन बढ़ गया, तिलहन का उत्पादन बढ़ गया, यह कह कर सिंचित क्षेत्र बढ़ गया और इस अकाल की कोई छाया अब रही नहीं, आप तो इतना बता दो हमें कि आप क्या करने जा रहे हैं और नयी नीति क्या है? बस। इतनी सी बात बता दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सुमित्रा जी, जरा धैर्य रखें।

श्री अध्यक्ष : सुमित्राजी, ऐसा है कि यह क्या करने जा रहे हैं इसके लिये....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी का आज भोजन ठण्डा हो रहा है, मुझे यह भी चिन्ता हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चिन्ता मत करो, गरमा गर्म भोजन खिलाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियों में क्या है, यह भी रेलेवेन्ट हैं बातें। राजस्थान में अन्न की स्थिति क्या है, सिंचाई की स्थिति क्या है, यह भी रेलेवेन्ट ही है। आप बोलिये, बोलिये। मंत्रीजी, बोलिये।

डा. चन्द्रभान : हमारी रुचिप्रजेन्ट में है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रजेन्ट की भी बताऊंगा पास्ट भी बताऊंगा और फ्यूचर भी बताऊंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय सारे आंकड़े मिल गये।

श्री कैलाश मेघवाल : और सुमित्राजी को जरा धैर्य रखना पड़ेगा। वह रनिंग कमेंट्री न करें। कृपया। मेरा ऐसा इम्प्रेशन बन रहा है कि आप हमेशा मुझे डिस्टर्ब करती हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, बोलिये।

श्री कैलाश मेघवाल : हमेशा आपकी रनिंग कमेंट्री करने की आदत हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, आप चाहते हैं कि जल्दी जवाब समाप्त हो तो चुप रहिये। आपका जल्दी हो जायेगा। अभी आ जायगा, अपने आप आ जायेगा। आप इन्ट्रप्शन करोगे तो और ज्यादा बोलेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, 87–88 का वर्ष जो सबसे खराब वर्ष बताया गया है उस समय भी दस लाख टन तिलहन इस प्रदेश में पैदा हुई थी। तो तिलहन की स्थिति यह है। तिलहन का रकबा जब बढ़ रहा है तो संगरिया से आने वाले माननीय विधायक ने एक बात सही कही थी कि भूसे की कमी आयेगी क्योंकि गेहूं का रकबा कम होता चला जा रहा है और यह कैश क्राप बढ़ रही है। लेकिन कैश क्राप जहां हुई है क्या वहां की आर्थिक स्थिति को आज हम ध्यान नहीं रखेंगे। गेहूं के बारे में मैं आपको निवेदन कर दूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पिछले साल का जो उत्पादन हुआ था, पिछले साल राजस्थान में 43 लाख टन गेहूं पैदा हुआ था। और इस वर्ष 40.50 लाख टन जो गेहूं का उत्पादन हो रहा है। यह बेस आंकड़े मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं अध्यक्ष महोदय, कि जिससे यह समझ में आ जाये कि हमने कौनसा दृष्टिकोण अपनाया है। अब यहां पर कुछ बातें कही गई कि साहब यह जिला छोड़ दिया, यहां 75 फीसदी खराबा था, इतना खराबा था, मैं इसके बारे में भी सदन को बड़े विश्वास के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे जयपुर और दौसा की बात आयी। अब यह सही है कि जयपुर, दौसा के भी कुछ गांवों में खराबा है 75 से लेकिन रबी की फसल 5 लाख हैक्टेयर में खड़ी है, जो पिछले साल से 5 प्रतिशत ज्यादा है। अब यह जो तथ्य हैं, इनको क्या हम अकाल-ग्रस्त घोषित करने से पहले भूल जायें।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : लेकिन जिन गांवों में खराबा है, उनमें उतना ही अकाल है, ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैरवा जी आपका जवाब तो आ रहा है। वह तो आपके से उन्होंने ले भी लिया है। अब आप क्यों इंट्रप्ट कर रहे हैं। देखिये वह अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। वह बाद में कर लेना। समझ तो लीजिए, उनका दृष्टिकोण समझ में आ जायेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं सभी सदस्यों को आपके द्वारा एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फागी से आने वाले माननीय विधायक ही नहीं, हर जगह से आने वाले विधायक ने मुझे जो अपनी आवश्यकता बतायी है, अध्यक्ष महोदय, यह वही प्रवृत्ति है कि धीरे-धीरे जब वह टैस्ट वर्क्स चलते थे, मार्जिन मनी वाली व्यवस्था थी, केन्द्र से टीम आती थी, इवेल्यूएशन करती थी, उसके बाद असिस्टैंस आती थी। कौन कितनी ला सकता था, या नहीं ला सकता

२१८

(श्री कैलाश मेघवाल)

था उसके आधार पर धीरे-धीरे राजस्थान में एक प्रवृत्ति बनी है कि अकाल और विकास को जोड़ दो। यह हुआ है, इस सत्य को हमको स्वीकार करना चाहिए। इस बार अकाल की जो गिरदावरी आयी है उसमें बड़ी उदारता बरती गई है और उदारता बरतने के पीछे कारण भी रहा यह कि चलो अकालग्रस्त घोषित हो जायेंगे तो विकास के कुछ काम भी हो जायेंगे और इसीलिए आज भी माननीय सदस्य मुझे इस बात के लिए मुझे हमेशा कि....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इसका विरोध करता हूं जो माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं....गिरदावरी के नियम बने हुए हैं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी गलत हुई है तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही करिये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह तो आप वास्तव में अकाल की गम्भीरता को ही खत्म कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिये ऐसा है मेरा निवेदन सुनिये। मेरे यहां एक एम. एल. ए. थे, आप सब जानते हैं। उनका गांव छोटी खाटून था। जब तब वह एम. एल. ए. रहे वह हमेशा अकालग्रस्त में रहा चाहे वहां अच्छा जमाना रहा हो। यह तो मुझे अनुभव है। इसलिए यह कुछ लोगों का सोच हो सकता है। देखिये आप जैसे प्रेक्टिकल बात कह रहे हैं, आपकी प्रेक्टिकल बात तो यह है कि आप कितने भी आंकड़े बताइये हम तो यह चाहते हैं कि भूखा जो है उसको भर पेट खाना मिले This is your contention. यह आपका कंटेंशन है। इसकी रियलिटी को तो यह बता रहे हैं कि भई इसमें यह बात हुई है कि कुछ लोग अकाल को यह समझते हैं कि थोड़ा बहुत काम हमारे यहां भी हो जाये। थोड़ी कमी है तो यह भी है कि यह जनरल नहीं होगा, यह सोच है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Are the all collectors in our influence Sir ? आज कलक्टर हमारे यहां इनफ्लयूऐंस के अन्दर है....

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे ऐसी रिपोर्ट भेज देते। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इन्होंने उदारता बरती है रिपोर्ट भेजने के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : कलक्टर्स नहीं होगे मगर पटवारी....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज हमारा राज है कांग्रेस का ?

श्री अध्यक्ष : पटवारी जमीन पर रहते हैं वह समझदार होते हैं....(व्यवधान) बोलिये बोलिये मंत्रीजी....(व्यवधान) एक व्यवहारिक बात बता रहे हैं। सिद्धान्त तो बता नहीं रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं एक, दो क्षेत्र हो सकते हैं, एक दो गांव हो सकते हैं, एक दो पंचायत हो सकती है लेकिन 400 गांवों में अकाल है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आप उनकी

(श्री अध्यक्ष)

बात को समझिये, उनका कहना यह है कि अकाल की जनरल भावना होने के बाद जो भी गिरदावरी हुई उसमें इन्होंने दुबारा जांच कराने की कोशिश इसलिए नहीं की (व्यवधान) अब आप सुन तो लीजिए कि कह यह रहे हैं कि मान लीजिए कुछ गांवों का विकास अकाल के नाम से होता हो, इसलिए शामिल हो गये हों तो सरकार ने दुबारा कड़ाई से जांच करने का आदेश नहीं दिया। यह कह रहे हैं वह तो। अब यह उनका दृष्टिकोण है। अब यह मन्त्री का सोच तो हो ही सकता है। क्या बात कर रहे हो आप। हां बैठिये आप। बोलिये आप। तो आप यह चाहते हैं क्या दुबारा उसकी जांच हो और कड़ाई हो। बैठिये।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने न तो गिरदावरी के आंकड़ों को चुनौती दी थी, न मैंने किसी गिरदावरी के गलत या असत्य होने का कहा। मैंने मात्र इतना संकेत दिया है कि गिरदावरी करने में इस पृष्ठभूमि के कारण कहीं कहीं उदारता बरती गई है। न कोई आपके दबाव से बरती गई है, न किसी के दबाव से बरती गई। क्षेत्रीय परिस्थितियां जैसी होती हैं और जनता जो वहां रहती है उस हिसाब से यह सारा हुआ है . (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : हमारे यहां क्यों लगा रखे हैं निष्ठुर।

श्री अध्यक्ष : अब आपकी चोइस का पटवारी लगवायेंगे आपके यहां।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने उदयपुर का बताया। अब सीकर की स्थिति बताऊं। सीकर में रबी की फसल 1 लाख 40 हजार हैक्टेयर में अभी खड़ी है, जो पिछले साल से 6 प्रतिशत अधिक है।....(व्यवधान) वह ओले वाली बात अलग आ जायेगी ना। वह अलग से है। वह परसो से स्थिति पैदा हुई है। भरतपुर में रबी की फसल 3.66 लाख हैक्टेयर में खड़ी हैं जो पिछले साल से 4 प्रतिशत अधिक है। टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने....(व्यवधान) हां तो उसको निकलवा देंगे, पानी निकलवा देंगे। फसल ठीक हो यह कोशिश करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक बात तय कर लीजिए माननीय सदस्य यदि बीच में इस तरह से बात करेंगे, बोलने ही नहीं देंगे तो तय कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं। देखिये आप शान्ति से सुनिये। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए आंकड़े भी आपके सामने आ रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। वह आपके भी काम आयेंगे। कभी उन्हीं आंकड़ों का आधार लेकर जैसे आज माननीय हीरालाल जी देवपुरा ने सरकार के आंकड़ों पर अपना भाषण दिया है, उन्होंने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। तो यह आंकड़े कभी आपके सामने आ सकते हैं। सुन लीजिए, इसमें आपत्ति क्या है। बोलिये आप।

श्री कैलाश मेघवाल : तो अध्यक्ष महोदय, टौंक से आने वाले माननीय विधायक ने भी पाइण्ट आफ आर्डर के माध्यम से खड़े होकर यह आरोप लगाया कि टौंक में भी खराबा ज्यादा है, मैं उनकी सूचना

(श्री कैलाश मेघवाल)

के लिए कह दूं कि रबी की फसल टौंक में 2.75 लाख हैक्टेयर में है और पिछले साल से 1.3 प्रतिशत अधिक है। मैं भी टौंक से हूं माननीय दिग्विजयसिंह जी भी टोंक से हैं....(व्यवधान) ओले वाली बात तो अब आयी है, उसकी अलग से घोषणा करूंगा मैं। मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं है। ओले वाली जो स्थिति आयी है, ओलों से जो खराबा हुआ है, उसमे भी सरकार ने कुछ उदारता पूर्वक निर्णय लिये हैं किसानों को अधिक से अधिक राहत देने की जोअभी तक राहत नहीं दी गई, ऐसे निर्णय मुख्यमन्त्री ने लिये हैं, उसकी भी मैं घोषणा कर दूंगा। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि यह सारी स्थितियां, मैं अगले जिलों में नहीं जाऊंगा। लेकिन यह सारी स्थितियां जब अकाल राहत के काम कहां खोले जायें, किन गांवों को घोषित किया जाये, उस समय मेरे दिमाग में रही है। अभी यहां टेस्ट वर्क की बात उठायी गई। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं टेस्ट वर्क उस समय खोले जाते थे, जिस समय अकाल राहत की मजदूरी और अकाल के काम और अकाल राहत टास्क बेसिस पर चलाये जाते थे। उस समय यह देखने के लिए कि रेगुलर डिपार्टमेंटल वर्क तो चल रहे हैं, लेकिन कोई भी टेस्ट वर्क इसलिए चलाये जाते थे कि कोई मजदूर इतनी मजदूरी ले ले या टास्क बेसिस के आधार पर मजदूरी करने आयेगा कि नहीं। यह फार्मूला....

श्री हीरालाल देवपुरा : मिनिमम टास्क आज भी फिक्सड हैं और मिनिमम टास्क यदि नहीं होगा तो उसकी मजदूरी कटेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं ऐसा नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : बिल्कुल कटेगी। यहां आप घोषणा कर दो। यह घोषणा कर दो कि मिनिमम रेट सबको देंगे। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : हां मैं घोषणा कर रहा हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा. मिनिमम रेट आप दोगे नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं। आज मिनिमम टास्क फिक्सड है।

श्री अध्यक्ष : आप यह घोषणा करवा लेंगे। कर दी घोषणा। आप जो चाहते थे वह हो गया।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं सदन के प्रांगण में पूरे अधिकार पूर्वक यह घोषणा कर रहा हूं कि हम अकाल रहात पर आने वाले हर मजदूर को 22 रुपये की मजदूरी देंगे, उससे कम मजदूरी नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : यह आपने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। बहुत बड़ी, जो आज तक नहीं हुई है।

श्री कैलाश मेघवाल : और यह उपलब्धि नहीं अध्यक्ष महोदय, यह हमारा कर्त्तव्य है कि इस देश में मिनिमम वेज के आधार पर जो न्यूनतम मजदूरी तय है। चाहे अकाल राहत का कार्य हो, चाहे विभागीय कार्य हो, चाहे और भी कोई कार्य हो, वह कार्य अगर हम उस आदमी

(श्री कैलाश मेघवाल)

से लेते हैं, हम 22 रुपये प्रति दिन की मजदूरी उसको देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब देख लिया होगा आपने कितना अन्तर है। इसी हाउस में इस बात के आंकड़े पेश हुए हैं कि आप छह आने से ज्यादा मजदूरी नहीं देते थे और इसी हाउस में 22 रुपये देने की घोषणा हुई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो हम चाहते थे। बहुत अच्छी घोषणा कर दी आपने बहुत अच्छी घोषणा कर दी। वक्त बतायेगा आप क्या करोगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब भावों का कितना अन्तर था सम्माननीय मुख्यमन्त्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने यह तो बहुत अच्छी घोषणा कर दी।

श्री अध्यक्ष : अधिकार दे दिया अब काहें की चिन्ता कर रहे हैं उसमें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के अनुभवी और 40 साल के शासक मेरी इस घोषणा में राज्य सरकार की कुछ कठिनाइयां देख रहे हैं। वह कठिनाइयां क्यों देख रहे हैं क्योंकि जब छह आने, सात आने और एक रुपया देते थे तब यह 15-15 लाख मजदूर लगा देते थे और आज मैं जब 22 रुपये दूंगा तो यह सही है कि 15 लाख मजदूर नहीं लगा सकता। मेरे पास जितना पैसा है उसी पैसे के आधार पर मैं मजदूर लगाऊंगा, वह कम लगेंगे लेकिन मैं मजदूर के साथ अन्याय नहीं कर सकता। 15 लाख मजदूर, 14 लाख मजदूर और मजदूरी एक-एक रुपये की, दो-दो रुपये की मजदूरी ....(व्यवधान) यह कठिनाई माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की यह भांप रहे हैं लेकिन मैं आपके द्वारा यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अकाल राहत के काम और दूसरे काम सब हम चलायेंगे। अब मैं उस स्थिति में आना चाहता हूं जो नवें वित्त आयोग के बारे में यहां पर चर्चा की गयी थी। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि 1990-91 में....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : घोषणा कर नहीं सकते।

श्री कैलाश मेघवाल : वह बिलकुल ठीक घोषणा हो गयी है और मैं मुख्य मंत्री जी के मंत्रिमण्डल का एक राहत मंत्री हूं, मैंने एक घोषणा की है, वहीं मुख्य मंत्रीजी उसका समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : वह तो कर चुके, आपके बिना कहे ही कर चुके।

श्री कैलाश मेघवाल : अब मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : इसके लिये वाकई में आप बहुत बधाई के पात्र है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार यह घोषणा हुई है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह हमारा कर्त्तव्य है। हम जिससे मजदूरी करवाये उसको कानूनी मजदूरी दें यह हमारा

(श्री कैलाश मेघवाल)

कर्तव्य है। इसलिए यह मैंने घोषणा की है बिल्कुल सोच समझ कर की है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नवें वित्त आयोग के बाद....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब सुनिये आप। आप जो चाहते थे, अब शुरू हो गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : पिछले दस सालों का औसत निकाल कर राजस्थान के आपदा कोष का निर्धारण हो गया, अब यह अच्छी बात नहीं हुई। 1987 और 1988-89 में जो अकाल पड़ा एक लम्बा जिसमें 900 करोड़ रुपये खर्च किये, यह कोई अच्छी बात नहीं हुई थी लेकिन वह 900 करोड़ रुपये खर्च करना हमको इस फार्मूले में लाभ दिया अगर वह 900 करोड़ रुपया उस समय खर्च में नहीं आता, कहीं कमी रह जाती, कहीं 50 या 100 करोड़ रुपये ही खर्च होता तो शायद हम 124 करोड़ से बहुत नीचे आ जाते और राजस्थान को बड़ा दुःखी होना पड़ता....

(8.25 रात्रि)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन) अब यह अच्छा तो नहीं हुआ कि अकाल पड़ा लेकिन एक स्थिति ऐसी थी जो हमारे पक्ष में गयी। अच्छा तो नहीं हुआ जो अकाल पड़ा इससे मानव जीवन को और पशु जीवन को दुःखी होना पड़ा लेकिन एक स्थिति बनी जो हमारे पक्ष में गयी। 900 करोड़ कुछ रुपये के आधार पर उस दस साल के एवरेज में जुड़ा और उसमें से 124 करोड़ रुपये का केलेमिटी रिलीफ फण्ड स्थापित हो गया। अब इस 124 करोड़ रुपये के केलेमिटी रिलीफ फण्ड में 91 करोड़ रुपये तो केन्द्रीय सरकार दे देती है और 23 करोड़ रुपया सरकार को लगाना पड़ता है। और उसकी शर्त यह है कि अगर आपके केलेमिटी रिलीफ फण्ड में इसका खर्चा न हो इस साल में तो उसको आप बैंक में जमा करवा दो। यह जब चाहो तब आप खर्च करोगे, आपका केलेमिटी फण्ड आपके पास रहेगा और इसका ब्याज भी आप खर्च करेंगे। तो हमको 1990-91 में जो पैसा मिला माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें से 42.35 करोड़ रुपये तो हमारे खर्च हो गये। 1990 में विभिन्न मदों में, बाद भी था, दूसरे भी थे, पी.एच.ई डी. पानी का भी था वह सारा विस्तार से मैं दे सकता हूं। और उस समय का 1990-91 का हमारे पास बचा हुआ पैसा है 81 65 करोड़....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह आप साफ कर दो, 42 करोड़ रुपये आप जो बता रहे हो और मैंने कहा था फ्लड के ऊपर आपने तीन करोड़ समथिंग, लगभग चार करोड़ खर्च किया। अब आप कह रहे पी एच. ई. डी. में हुआ, दूसरे में हुआ। उसमें अभावग्रस्त घोषित किया था क्या ? उसमें तो रेगुलर होता है। पी.एच.ई.डी. का अगर 93 करोड़ नहीं होता आपके पास तो भी पानी पीने के लिए पी.एच.ई.डी. के बजट से करना पड़ता। आपको इरिगेशन के बजट से बांध बनाने पड़ते, पी. डब्ल्यू. डी. के बजट से रोड़ बनानी पड़ती। तो वह तो तब भी होता। तो इसको आप 93 करोड़ में क्यों ले रहे हो।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को यह सूचित कर दूं कि केलेमिटी रिलीफ फण्ड का खर्चा अकालग्रस्त घोषणा के साथ बंधा हुआ नहीं है। ...

श्री हीरालाल देवपुरा : अकालग्रस्त नहीं कहा है अभावग्रस्त कहा है। आप समझ लीजिये इस बात को, आपने कहा कि पी.एच.ई.डी. पर भी खर्च हुआ, आपने कहा दूसरे में भी खर्च हुआ, आपने कहा कि रोड़ में भी खर्च किया। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि अगर पैसा नहीं भी होता तो भी आपको करना पड़ता। यह तो रेगुलर बजट था आपका। उसमें से आपने क्यों खर्च किया ? यह मैं कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो एक बता दीजिए, बाढ़ से सड़क टूट गयी....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह चार करोड़ रुपया फ्लड का आपने कौन सा बताया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वो ही तो बता रहा हूं, चार करोड़ रुपये लोगों को पैसे भी दिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : टोटल फ्लड का खर्चा, आपका फ्लड का हैड बना हुआ। माननीय मुख्य मंत्रीजी फ्लड का हैड बना हुआ है उसमें आपने तीन करोड़ समर्थिग लगभग चार करोड़ में अलग कह रहा हूं। वह फ्लड के आपने अलग बता दिये। फिर आपने अलग बताया इरिगेशन में, आपने बताया पी.एच.ई.डी. में, आपने बताया पी. डब्ल्यू. डी. में आपने बताया सो सोशियल सर्विसेज में। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, आपने यह जो बताया है, यह तो रेगुलर बजट का है, यह तो आपको करना पड़ता है। यह तो रेगुलर प्लान का है हमारा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें होता ही नहीं तो करना कहां से पड़ता। नुकसान हुआ बाढ़ से तो अकाल राहत में ही खर्च होगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे एक समझा दो आप। आज आपका 1400 समर्थिग का प्लान एक्सेप्ट हुआ है। उस प्लान के अन्दर दूसरे खर्चे सब रेगुलर खर्चे हैं कि नहीं, उसमें पी.एच.ई.डी. भी है, उसमें इरिगेशन भी है, उसमें पावर भी है, उसमें सब कुछ है। तो जिस तरह से एवरी ईयर प्लान होता है उस प्लान के अन्दर यह तो रेगुलर खर्चे हैं। तो यह 93 करोड़ तो अदर देन दी प्लान है, यह प्लान के अतिरिक्त है। तो यह किसमें खर्च होगा फिर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि सारे डिपार्टमेण्ट के हैड में अपने-अपने रेगुलर प्लान होते हैं। उसमें सब काम दिये हुए होते हैं, उन्हीं कामों पर पैसा खर्च होता है। उन कामों के अतिरिक्त कोई काम आ जाय और बाढ़ से डेमेजेज हो गयी, सड़क टूट गयी, पी. एच. ई. डी. की स्कीम टूट गयी या और नुकसान हो गया उनका पैसा तो वार्षिक प्लान में नहीं होता। यह पैसा खर्च हुआ....

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं यही कह

(श्री हीरालाल देवपुरा)

रहा हूं आपसे, इस चार करोड़ रुपये का आप बाइफरकेट करते हैं, यह चार करोड़ आपने बताये हैं, यह कौन से बताये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आने दें।

श्री कैलाश मेघवाल : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 81·65 करोड़ रुपया तो हमारे पास बचा हुआ है 1990-91 का और 1991-92 में हमको मिला है 124 करोड़ रुपया उस 124 करोड़ रुपये में से 7 करोड़ 90 लाख 51 हजार रुपये हम खर्चा कर चुके हैं। अब हमारे पास उसमें से बचता है 116·11 करोड़ रुपया कुल मिलाकर 157·76 करोड़ रुपया हमारे पास बचता है 1990-91 और 1991-92 का और यह भी मैं स्वीकार करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब 1992-93 का भी 124 करोड़ मिलेगा जिसको माननीय सदस्य गिना रहे थे कि इतना गिन लो, इतना गिन लो। इसलिए निवेदन करना चाहता हू कि अब हमको इस पैसे में काम करवाना है। नवें फाइनेंस कमीशन के यहां पर सुझाव आये कि आप खर्चा कर दीजिये। आप खर्चा कर नहीं रहे हैं इसलिए केन्द्र सरकार से पैसे मांगें है। हमको इस सीमा में रहना है कि 124 करोड़ रुपया मिला कर हमारे पास 320 करोड़ रुपया के करीब खर्चा होगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अब भगवान न करें, भविष्य की सम्भावनाओं को कोई देखता नहीं। आज का यह अकाल और आगे जुलाई में बरसात न आयी और अन-इमेजीनेबल सर्कमस्टान्सेज हो जाय और उस पैसे को खर्चा करने का हमारे माननीय सदस्य ने जो अभी सुझाव दिया है अगर हम उसको खर्चा कर लेंगे तो उस समय क्या होगा। एक अच्छे मैनेजमेण्ट की तरह, एक परिवार का बजट तो इसलिए नहीं कहूंगा, एक अच्छे परिवार के मुखिया के तौर पर मैं कहूंगा तो आप कई तरह की टीका टिप्पणी कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अच्छे मैनेजमेण्ट की तरह माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अकाल के चुभन को भी कम में सफल रहेंगे, किसी तरह की कमी नहीं आयेगी और हम कोशिश करेंगे। हमें तो खुशी है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिल नहीं सका था, परसों बलरामजी जाखड़ आये थे और शायद चुरू में उन्होंने भाषण भी दिया कि मैं राजस्थान की सरकार को केन्द्र से अकाल के लिए अधिक पैसा दिलवाऊंगा और सिंचाई के लिए भी अधिक पैसा दिलवाऊंगा। मैं चाहता हूं वह केन्द्र की सरकार के एक हिस्से हैं, सामुहिक उत्तरदायित्व है वहां के मंत्रिमण्डल का, हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा दिलवायें। यह मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करने वाला हूं अपने स्तर पर भी और हम भी अपने स्तर पर कोशिश करें कि हमको ज्यादा पैसा मिले, आपके सहयोग से मिलें।.... अकाल को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते अकाल राजनीति से ऊपर है। राजस्थान के लोगों की चुभन कम हो यह हमारी कोशिश रहनी चाहिए। कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने सामान्य काम चालू किये हैं या अकाल राहत के काम चालू किये हैं। हमको पता नहीं चल रहा

(श्री कैलाश मेघवाल)

है मुझको शंका है कि सामान्य विभागीय कार्यक्रम है क्योंकि उन्होंने जवाहर रोजगार योजना नाम दे दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाहर रोजगार योजना है, दादा थे तो काम के बदले अनाज योजना थी नाम बदलते रहे हैं। काम के बदले अनाज योजना आते-आते आई आर. डी. पी. बनी उसके बाद जवाहर रोजगार योजना बन गयी। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आई. आर. डी. पी. को आपने अन्त्योदय बना दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले अन्त्योदय बनी फिर उसके बाद आई. आर. डी. पी. आयी। उसके पहले ऐसी कोई योजना ही नहीं थी।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप नहीं मानेंगे तो बात दूसरी है। बाकी योजनायें सब पहले से चली आ रही है। 1952 से जब से सामुदायिक विकास योजना चालू हुई तब से चल रही है। नाम अलग-अलग रहे हैं। यह जो कुछ नाम बता रहे हैं। काम के बदले अनाज योजना या जो कुछ नाम रहा हो, योजना रही है आपने केवल नामकरण संस्कार किया है वह इस सरकार की आदत है। अभी भी कई नामकरण संस्कार आपने कर दिए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी को मैं चुनौती नहीं देता। मुझे यह बता दीजिए काम के बदले अनाज योजना से पहले कभी अनाज के आधार पर काम हुआ हो तो बतायें।

श्री हीरालाल देवपुरा : यस (व्यवधान)।

श्रीमती सुमित्रा सिंह व अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : नगद पैसे लेकर के अनाज देते थे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। उसके डिटेल में जाएं नहीं तो अच्छा ही है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा था 86-87, 87-88 इन सालों में जो अकाल राहत कार्य चलाये गये उसको एन. आर. ई. पी. सैकेण्ड का नाम दिया गया था। इस नाम से काम कराये गये थे अकाल राहत के अन्तर्गत।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप प्लेस नहीं करें, मिस लीड भी मत करो। मैंने यह कहा है कि 600 करोड़ रुपया जो खर्च किया गया था वह केवल अकाल राहत का नहीं था सब योजनाओं को मिलाकर खर्च किया है। उसको उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि दूसरी योजनाओं को शामिल नहीं किया। आप कोई प्लान तो बनाओ मैंने यह कहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि 600 करोड़ केवल अकाल का था।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं उस पाइण्ट पर डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं। मैं डिस्प्यूट यह कर रहा हूं कि आपने कहा कि जवाहर रोजगार योजना सैकण्ड के नाम से अकाल राहत के कार्य चल रहे हैं जबकि आपने भी एन. आई. पी. सेकेण्ड के नाम से अकाल राहत के काम चलाये थे।

२२५

श्री हीरालाल देवपुरा : एन. आर. ई. पी., आर. एल. ई. जी. पी. पी. डब्ल्यू. डी. के रोड्स के, मण्डी योजनाओं के काम भी थे। सब कामों को लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी भी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन कोई काम पूरा नहीं किया।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं सारी जानकारी सारे फीगर बता रहा हूं। अकाल पर बहस हो रही है सारे सदन को सरकार की पूरी तैयारी की जानकारी होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देवपुराजी बोल रहे हैं आप तो बिराजो।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया और वह सुझाव यह दिया कि जो प्राथमिकतायें अकाल राहत में है वह कुछ जिलों में तो प्राथमिकतायें ठीक है ही नहीं उन जिलों में तो सड़कों के और दूसरे काम चलेंगे। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा सुझाव दिया था मैं सदस्यों की इन भावनाओं का आदर करते हुए और दूसरी तरफ, दूसरी स्थिति इस देश के अन्दर 100 किलोमीटर में 56 किलोमीटर सड़कें हैं, देश का एवरेज है।

श्री रामकिशन : 100 नहीं 1000।

श्री कैलाश मेघवाल : आप करेक्ट कर दो ना साहब। पढ़ने में थोड़ा स्लीप हो गया।

श्री रामकिशन : स्लिप होने लायक नहीं हैं आप।

श्री कैलाश मेघवाल : राजस्थान में यह 17 किलोमीटर का है। इतना कम है। इसलिए यह आगे बढ़े इस बात की चिन्ता माननीय मुख्य मंत्रीजी को है। और माननीय मुख्य मंत्रीजी गम्भीरता से राजस्थान की 1991 की जनगणना के अनुसार जिस गांव की आबादी 1500 की हो चुकी है वह गांव अगले पांच साल में सड़कों से जोड़ दिया जाय इस योजना पर गम्भीरता से काम कर रहे है। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : 71 की है अभी 181 करो 191 नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह टोका टाकी है। (व्यवधान) मैंने यह कहा कि 1991 की जनगणना के अनुसार जिस गांव की 1500 की जनसंख्या हो गयी है उस गांव को सड़कों से जोड़ने के गम्भीर प्रयास आरम्भ हो गये हैं, योजना बनानी आरम्भ हो गयी है। पांच साल के अन्दर प्रत्येक ऐसे ग्राम को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। अब यह घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैसे भी आ जायेंगे। यह पृष्ठभूमि मैंने इसलिए रखी है कि माननीय सदस्यों की ओर से जो यह सुझाव आया था कि सड़कों को प्राथमिकता दी जाय। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, कि इस प्रस्ताव का आदर करते हुए अकाल राहत कार्य में सड़कों को प्राथमिकता दी जायेगी माननीय मुख्य मंत्रीजी के उस कार्य को पूरा करने के लिए ...

श्री जगतसिंह दायमा : इसको कहते हैं काम।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं यह भी निवेदन कर दूं

(श्री कैलाश मेघवाल)

अब यह सही है कि पैसे की कमी है। इस पैसे के कोन्सटेण्ट्स में जितना हम अधिक कुशलता से काम करके पूरा करेंगे। (व्यवधान) हम इस बार बचे नहीं रह सकते हैं और वह इस नहीं बच सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि 31.3.72 को केवल 13 जिलों में जो 13 जिले मार्च में अभावग्रस्त घोषित किये गये वह, पूरा या कुछ भाग। उन तेरह जिलों में 1 लाख 91 हजार 218 मजदूर विभागीय मजदूर काम कर रहे थे। यह आंकड़ा केवल इसलिए देना चाहता हूं....(व्यवधान) आपको यह लगे और इस सदन को यह लगे। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : इतने पास्ट में चल रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब सुनिए। यह तैयारी करके आये हैं। आप भी सुनें। आंकड़े दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागौर जिले से और कई माननीय विधायकों ने सवालों के द्वारा व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा इस बात को उठाया कि अकाल के काम हो गये, कोई तीन साल पहले हुए कोई चार साल पहले कोई कितने साल पहले हुए। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह रही कि उन अकाल के कामों पर मजदूरी करने वालों को, मजदूरी आज तक नहीं चुकायी गयी है। यह सबसे बड़ी चुभन की बात थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दो बर्षों से बैठे हैं चुका देते।

श्री कैलाश मेघवाल : हमने तो अकाल राहत कार्य पहली बार चलाये है। अब शायद यह मजदूरी चुकाने की बात भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। आपने तो नहीं चुकायी थी उनसे मजदूरी तो ले ली थी....

डा. चन्द्रभान : कैलाशजी, पुष्पाजी मंत्री थी। पुष्पाजी ने जो किया उसकी आपकी रेस्पोंसिबिलिटी नहीं हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह कह रहे हैं, सुनिये। इसमें विवाद का कोई विषय नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : निश्चित तौर पर विवाद का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अकाल राहत मन्त्री महोदय को जवाब देने दीजिए। माननीय मन्त्रीजी आप भी थोड़ा संक्षिप्त करें। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए परसों 31.3.92 को मजदूरों की जितनी बकाया राजस्थान के जिस-जिस जिले में है उस सारी बकाया को चुकारा करने के आदेश सारे जिला कलक्टरों को दे दिये गये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कितनी मजदूरी बकाया है यह भी तो बताइये.... (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : प्रद्युम्न सिंहजी अब तो धन्यवाद दे दो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब चुकाने के आदेश दे दिये आप कितनी बकाया है इससे क्या

(श्री उपाध्यक्ष)

मतलब। कृपया सहयोग कीजिए। आप तो बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई मजदूरी बकाया है ही नहीं... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश स्तर पर अकाल परामर्शदात्री समिति का गठन हो चुका है और आप चाहें तो नाम अभी दे सकता हूं परन्तु ज्यादा समय लगे। अकाल परामर्शदात्री समिति का गठन हो चुका है क्योंकि एक मांग उठी थी यहां कि आखिर क्या हो रहा है। जिला स्तर पर....

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय कैलाशजी, ऐसे एलान चाहे आप कितने ही करते जाओ....

श्री कैलाश मेघवाल : यही तो कर रहा हूं। प्रदेश स्तर की अकाल परामर्शदात्री समिति का गठन हो चुका है और उसके आदेश माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कर दिये हैं वह घोषित भी हो चुकी है। इसी तरह यहां पर माग उठाई गई... (व्यवधान) अगर आप चाहेंगे तो नाम भी बता दूंगा, मेरे पास है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में 2 लाख 79 हजार मजदूरों का नियोजन करने के आदेश दे चुके हैं और 13276 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। पिछली बार एक शिकायत की गई। मार्च में हमारे जो नियोजन के टारगेट्स थे वह पूरे नहीं हुए उन पर मजदूर मिले नहीं। मार्च का महीना था, होली भी थी, कई तरह के त्यौहार भी थे। मैं आपको और माननीय सदस्यों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं 2 लाख 79 हजार के टारगेट्स पूरे हो जाने के बाद, यह नियोजन हो जाने के बाद, अगर उसके बाद भी अकाल की चुभन को मिटाने के लिए और अधिक टारगेट्स देने की जरूरत पड़ेगी तो राज्य सरकार उसके लिए सदैव तत्पर है लेकिन आपको उसमें सहयोग देना पड़ेगा। अकाल मिटाने में माननीय विधायक इस सरकार के कान-नाक बन्द करके क्षेत्र में जाएं, वह सारा नियोजन हो जाता है और अकाल की चुभन मिटाने के लिए और अगर आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अकाल की चुभन को कम से कम करने में हमेशा तत्पर रहेगी। यहां पर यह भी सुझाव आए कि स्टेन्डिग कमेटीज काम नहीं कर रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर स्टेन्डिग कमेटीज के गठन की एक योजना है, एक प्रारूप दे रखा है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपको मालूम है कि यहीं से एक निर्णय है कि जब विधान सभा चले, विधान सभा के दौरान उन अकाल के लिए बनी हुई स्टेन्डिग कमेटीज की मीटिंग न बुलाई जाय जिसमें विधायक सदस्य के रूप में बैठे हैं। अब चूंकि हमने 15 फरवरी से हमने अकालग्रस्त गांवों की घोषणा की थी और 15 फरवरी के बाद विधान सभा शुरू हो गई। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको विश्वास दिलाता हूं कि 8 तारीख के बाद सभी जिलाधीशों को माननीय विधायकों की सुविधा को देखते हुए वह सम्पर्क कर लें, जल्दी से

(श्री कैलाश मेघवाल)

जल्दी स्टेन्डिंग कमेटीज की मीटिंग्स बुला करके अकाल राहत कार्यों को किस तरह प्रभावी ढंग से और किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से किन कामों पर यह किया जाए यह उनकी राय से होगा, यह भी माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री केदारनाथ शर्मा : हमारी बात भूल गए।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं-नहीं, हर जगह है, अभी यह सही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सब मंत्री भी अकाल राहत मंत्री भी विधान सभा के कार्य से व्यस्त थे इसलिए बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का यह एतराज था कि अभी तक कौन-कौन मन्त्री कहां गया, किस ने कहां देखा है....

श्री देवेन्द्रसिंह : मैंने कहा था कि हर जिले का एक मंत्री इन्चार्ज बनाइये।

श्री कैलाश मेघवाल : वह भी आ रहा हूं। एक सुझाव आया था। यहां पर मंत्रिमण्डल के सारे सदस्य व्यस्त थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सुझाव आया था माननीय बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का, मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैं कल ही निवेदन करूंगा कि अकालग्रस्त या प्रभावग्रस्त जो हमने जिले घोषित किये हैं और आगे जिनको घोषित करना है उनमें एक-एक मंत्री को प्रभारी बना दें और यह सारी मानीटरिंग माननीय मुख्य मन्त्री जी के स्तर पर होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विधान सभा सत्र की समाप्ति के बाद निरन्तर मेरी यह चौकसी रहेगी, पर्सनल मानीटरिंग मैं अभी तक नहीं कर सका हूं हमारी मंत्रिमण्डल की सारी टीम और सारे विधायक एक पर्सनल मानीटरिंग की स्थिति पैदा करेंगे और अकाल की चुभन को हम कम से कम करने में सफल होंगे यही हम सबका उद्देश्य होना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय; अब कई बार जो आंकड़े दिये जाते हैं....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जो जिले डिक्लियर नहीं हुए हैं....

श्री कैलाश मेघवाल : वह वापिस देखा जाएगा मैं हर सातवें दिन रिव्यू करूंगा। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री परसादीलाल मीणा : मैं एक मिनट आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा। जो 11 जिलों में 75 से 100 पर्सेंट का खराबा है वहां प्रभावग्रस्त गांव घोषित नहीं किए उनका क्या होगा ? उनके कलक्टर्स क्यों मीटिंग बुलाएंगे जब तक राज्य सरकार उन जिलों के गांवों को प्रभावग्रस्त घोषित नहीं करेगी ? आप उनके बारे में कहिये। बाकी सारी बात आपकी ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : वह कह रहे हैं, रिव्यू करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक 19 जिले कुछ पूरे कुछ आंशिक प्रभावग्रस्त घोषित किये हैं। मेरी

(श्री कैलाश मेघवाल)

कोशिश यही रहेगी कि हर हफ्ते रिव्यू किया जाए। जिलों की रिपोर्ट्स ली जाए। माननीय विधायकों ने जैसा निवेदन किया, उनके पत्र भी आते हैं उनके सुझाव भी लिए जाएं। इन 19 जिलों में अगर आंशिक है और क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए, वह भी बढ़ाया जाएगा और जो 11 जिले चूक गये है, जो अभी तक सम्मिलित नहीं किये गये है हमारे उस सेंटेफिक डेटा में उसमें से भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी हर सातवें दिन या पन्द्रहवें दिन रिव्यू करके हम अभावग्रस्त क्षेत्र में सम्मिलित करते चले जाएंगे इसमें कहीं किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। यह कोई डेडलाइन नहीं बन गई। मैं आपसे निवेदन करूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो हम 2।। लाख के करीब पहुंचे हैं, अकाल की दृष्टि से मई आते आते लेबर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वह चार लाख या 4।। लाख तक हो सकती है, यह भी मुझे मालूम है कि जून के आते आते इस को हमको 5 लाख या 5।। लाख तक भी ले जाना पड़ेगा। यह सारा योजनाबद्ध तरीके से हम इस काम को ले रहे हैं (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से सवाल करना चाहूंगा। जिन 75 से 100 प्रतिशत खराबे के गांवों को आपने राजस्थान में अभावग्रस्त घोषित किया है और 11 जिलों में उसी श्रेणी के गांवों को नहीं किया क्या आपने यह भेदभाव नहीं किया है? आप उन गांवों को तो अभाव ग्रस्त घोषित कीजिये जो 75 से 100 प्रतिशत खराबे के हैं....

श्री उपाध्यक्ष : रिव्यू करने के लिए कह रहे हैं....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : फिर आज चर्चा करने का मतलब क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : मना तो कर नहीं रहे हैं. आप अपनी बात को रखिये मांग रखिये....(व्यवधान) कृपया विराजिये। माननीय रामस्वरूप जी बैठियें। कृपया जवाब देने दीजिये....आपका जवाब सुनना नहीं चाहते।

श्री डूंगरराम पंवार : आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते तो फिर काहे को खड़े हुए हो सुनने का वादा रखो।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं क्या? अब काफी अधिक हो गया है, बैठ जाइये।

श्री परसादीलाल मीणा : तो फिर क्या मतलब हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाह रहे हैं आप?

एक माननीय सदस्य : एक भी राहत कार्य नहीं खोला आज तक....

श्री उपाध्यक्ष : किसने किया किसने नहीं किया, यह रिपोर्ट पर निर्भर है....

श्री बिरधाराम चौधरी : जो 75 से 100 प्रतिशत खराबे के गांव हैं उनको अभावग्रस्त घोषित कीजिये....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिरधा राम जी, कृपया विराजिये ...

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : 1981 से लेकर 1991-92 के बीच में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बैरवा साहब बिराजें....

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : लगातार 9 साल से अकाल पड़ रहा है....

(8.50 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने सवाई माधोपुर जिले को अभावग्रस्त घोषित कर दिया और आज तक एक भी काम नहीं हुआ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मंत्री जी आप तो यह बता दीजिये कि अब तक आपने....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । बहुत पूछ लिए । हो गई आपकी बहस ।

डा. चन्द्रभान : मंत्री जी सब बातें आ गई आप एक बात बता दीजिये.... (व्यवधान) आज की तारीख में अकाल पर कितने करोड़ रुपये खर्च किये ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । आप बिराजिये ।

श्री दलजीत सिंह : मैं एक ही सवाल पूछना चाह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : जो पूछ रहे हैं उनका जवाब तो आने दीजिए ।

श्री दलजीत सिंह : इन्होंने बताया कि वर्ष 1990–91 में 50 करोड़ रुपये बाकी रहे हैं और 1991–92 में 160 करोड़ रुपये बाकी रहे हैं । इनके ब्याज के जो पैसे आये वह इन 160 करोड़ रुपये में जोड़ कि नहीं जोड़े ? मेरे आंकड़ों के हिसाब से कम से कम 21 करोड़ रुपये ब्याज के आने चाहिए थे ।

श्री कैलाश मेघवाल : ब्याज होगा तो जोड़ लिया जायेगा, उसका फार्मूला है ।

श्री अध्यक्ष : अब शान्ति से सुनिये । यह क्या आपका भाषण कनक्लूड हो गया उसके बाद सवाल हो रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, नहीं । ऐसा था....

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : 11 जिलों की घोषणा के लिए कह रहे थे, 19 जिलों को कर दिया । 75 से 100 प्रतिशत खराबे वाले जिलों की भी आज ही घोषणा हो जाय और कल से काम शुरू कर दें ।

श्री परसादीलाल मीणा : जिस तरह 19 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है, उसी तरह 11 जिलों में भी जो 75 से 100 प्रतिशत खराबे के गांव हैं उनको अभावग्रस्त घोषित करके वहां पर कामों की स्वीकृति....(व्यवधान)

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : इससे सीधा सीधा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : अंकित मत करो । कोई अंकित मत करो । ऐसा है, इनका भाषण कनक्लूड होने दीजिए ।....(व्यवधान) वे कह रहे हैं नहीं हुआ है ।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : ××××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : बैरवा साहब, अब आप बहुत ज्यादा बड़े हो गये। आपको बारबार मौका दिया जा रहा है इसका मतलब है, आप बहुत ज्यादा बड़े हो गये। (व्यवधान)....आप बैठिये। प्लीज सिट डाउन। आसन पैरों पर है। बैठ जाइये आप। यह क्या तरीका है ? उनका भाषण कनक्लूड हो जाने दीजिए। उसके बाद कोई सवाल आपको पूछना है तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा। यह क्या तरीका है, आप भाषण ही कनक्लूड नहीं होने दे रहे हैं और बीच में सवाल शुरू कर दिये आपने। आप पहले अपना भाषण कनक्लूड कर लीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही थी वह यही कही थी कि 19 जिलों में कुछ तो पूर्ण कुछ आंशिक दृष्टि से, इसको मैं हर हफ्ते रिव्यू करूंगा। 19 जिलों में जो आंशिक जिले हैं उनको भी बढ़ाएंगे और जो 11 जिले छूट गये हैं उनको भी रिव्यू करते हुए आवश्यकतानुसार उनको भी अकाल राहत कार्यों में जोड़ते चले जायेंगे।....(व्यवधान) यह मैंने एक निवेदन किया था इस पर....

श्री अध्यक्ष : फिर आप खड़े हो गये। प्लीज सिट डाउन। I have once given my ruling. Let him complete. क्या बात हो गयी ? बार बार समझाने के बाद भी आप मानते नहीं। बिना मतलब हाउस में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। हां, बोलिये आप लेकिन आप कुछ मर्यादा रखिये। यह हाउस ऐसे नहीं चल सकता। आप मन्त्री को बोलने ही नहीं दोगे और बीच में खड़े हो गये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात तय कर लीजिये अगर विपक्ष बोलने नहीं देता

श्री अध्यक्ष : हां, तो फिर मैं कनक्लूड कराता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीच में बार बार क्या क्वश्चन कर रहे हैं ? 20 मिनट में भाषण खत्म हो जाता, इतना टाइम ले लिया।

श्री अध्यक्ष : देखिये, सीनियर मैम्बर खड़े होकर कोई बात पूछते हैं, समझ में आती है जो जूनियर मोस्ट हैं वही खड़े होकर सारी पंचायत शुरू कर देंगे, यह क्या बात हुई। आखिर इस हाउस की भी मर्यादाएं हैं। हर आदमी जिसके मन में आये वही खड़ा हो गया। हां, तो आप कनक्लूड करिये पहले।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जयपुर रीजन का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : जयपुर रीजन जुदा है क्या ? पूरे राजस्थान का सवाल हो रहा है। जयपुर रीजन, जयपुर रीजन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जयपुर रीजन के बारे में मैं बोल देऊंगा अभी इनके बाद।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर गायों की निकासी की बात कही गयी। सीमा से गायें तो जब सबसे बढ़िया मौसम और सबसे बढ़िया फसल होती थी तब भी पाकिस्तान की ओर धकेली जाती थीं, ले जायी जाती थीं क्योंकि उसके बदले सोना मिलता है। आज वे कुछ बढ गयी होंगी। राज्य सरकार की

(श्री कैलाश मेघवाल)

यह कोशिश है और इस बात की पूरी चौकसी की जा रही है कि गायों को पूरा फाडर मिले, पूरा दाना मिले। इसके लिए सितम्बर, 1991 से चारा निकासी पर रोक लगा दी गयी, वन विभाग के जो बीहड़ हैं उनको सुरक्षित कर लिया गया। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और गंगानगर, इन सब जगहों पर चारा डिपो खोलकर विभिन्न सहकारी संस्थाओं और स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से आज वहां 2.63 लाख पशु लाभान्वित हो रहे हैं। बीकानेर से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि वहां 35 हजार लीटर दूध की उत्पत्ति रह गयी है। फरवरी और मार्च, 1992 के आंकड़े मेरे पास हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 66 हजार लीटर दूध आज भी बीकानेर में पैदा हो रहा है। कैम्प, गौशालाओं, अनुदान और उरमूल डेयरी से बीकानेर में लाभान्वित हो रहा गोधन 3, 27, 507 है। इसी तरह बहुत लम्बे-चौड़े आंकड़े हैं जगह जगह के, लेकिन मैं इसको सम-अप करता हूं कि चारे की दृष्टि से सरकार सतर्क है और इसमें किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की दृष्टि से हमने पी. एच. ई. डी. से अपील की है, कि अपने सोर्सेज से अकाल की दृष्टि से जहां जहां पानी की कमी आ रही है उसको पूरा कर दें। यह भी उनसे निवेदन किया है कि आपके फाइनेंशल प्रोविजंस समाप्त हो जायं तो अकाल राहत विभाग आपको इस बारे में मदद देने को तत्पर रहेगा हमेशा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज द्वारा भी हम अकाल राहत के कार्यों को आगे ले जाने की ओर प्रयत्नशील हैं। उनको भी हम पैसा देना चाहते हैं क्योंकि वे एस्टैब्लिश्ड एजेंसीज हैं। ये स्मालस्केल इण्डस्ट्रीज क्राफ्टसमैन को डील करती हैं।

श्री अध्यक्ष : एक मेरा बीच में क्लैरिफिकेशन कर दीजिए, आप कनक्लूड कर रहे हैं। आपने 22 रुपये की घोषणा की और मैं चाहता हूं कि उसके बारे में बिलकुल स्पष्ट बात आनी चाहिए। ऐसी कैजुअल लेबर्स आएंगी जिनको आप अत्यन्त नीडी समझकर बीच में जो आपके रेगुलर लेबर्स हैं उनके अलावा एकोमोडेट करने के लिए लगाओगे, क्या उनको भी 22 रुपये देंगे आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वैसे 22 रुपये मिनिमम वेजेज राज्य सरकार ने तय की है, लेकिन इस बारे में कोई यह नहीं समझे कि काम भी नहीं करेंगे और 22 रुपये भी दे देंगे। यह नहीं होगा।....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : अभी की अभी फिर गये घोषणा से ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसके लिए भी 14 रुपये तय किये हैं। आप सुन लीजिए, एक मिनट सुनिये।... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय मन्त्री जी ने साफ घोषणा की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 14 रुपये से कम किसी को नहीं मिलेगा। पहले दो-रुपए-तीन रुपए मिलते थे।

डा. चन्द्रभान : माननीय मन्त्री जी ने यह कहा था कि टास्क नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : 15 मिनट में ही कलामुण्डी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : 15 मिनट में ही सामरसाल्ट ? हमें मालूम था यह।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुनिये पूरी बात तो सुन लो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन कोई काम नहीं करे और कह दे, मुझे 22 रुपए दो ....(व्यवधान) आप पहले सुनिये पूरी बात।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको अकाल राहत मन्त्री घोषणा कर चुके हैं। अब आप बदल रहे हो।

डा. चन्द्रभान : देवपुरा जी यह बात पहले ही बोल रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई काम नहीं करे और कह दे कि 22 रुपए दो। 14 रुपए से किसी भी हालत में किसी को एक पैसा कम नहीं मिलेगा, इसके लिए हमने तय कर दिया।

डा. चन्द्रभान : देवपुरा जी ने यह बात कही थी, टास्क की बात की थी।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 3.4.1992 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.58 बजे दिनांक 3 अप्रैल, 1992 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जोधपुर विश्वविद्यालय में व्याख्याताओं की नियुक्ति

764. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय विधि विभाग में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हेतु 1986 में कोई चयन किये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चयन समिति की सिफारिशें सिण्डीकेट ने 1988 में जांच के बाद रद्द कर दीं ? यदि हां, तो किन-किन कारणों से ?

(3) क्या यह भी सही है कि 11 अगस्त, 1991 की अपनी बैठक में सिण्डीकेट ने अपने तीन वर्ष पुराने निर्णय को बदलते हुए निरस्त सिफारिशों पर पुनः विचार कर स्वीकार कर लिया तथा विधि विभाग में दो सहायक प्रोफेसर्स की नियुक्ति कर दी ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(4) क्या यह निर्णय जोधपुर विश्वविद्यालय के नियमान्तर्गत है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां ! सिन्डीकेट ने ऐसा मानते हुए कि दिनांक 17.7.86 को विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद हेतु लिये गये साक्षात्कार के लिए आमंत्रित आवेदकों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं बुलाया है उक्त चयन की प्रक्रिया को प्रारंभतः शून्य मानते हुए इस पर विचार करना उचित नहीं माना।

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम 1974 की धारा 6 (2) के अंतर्गत सिंडीकेट किसी चयन अथवा नियुक्ति को स्वयं निरस्त नहीं कर सकती है। राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण पर पुर्नविचार हेतु विश्वविद्यालय को महामहिम राज्यपाल के माध्यम से लिखा। विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट ने 11.8.1991 की बैठक में उक्त चयन समिति की सिफारिशों पर पुनः विचार कर स्वीकार किया तथा विधि विभाग में दो सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित किये।

(4) जी हां।

फर्नीचर्स की खरीद

765. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) एवं :

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत दो वर्षों में सहकारिता विभाग एवं इससे सम्बन्धित बोर्डों एवं निगमों तथा विभिन्न संघों में किन-किन फर्मों से कितना-कितना फर्नीचर खरीदा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री परसराम मोरदिया)

(2) राजस्थान सैन्ट्रल स्टोर, जयपुर नामक फर्म से कितना-कितना फर्नीचर उक्त अवधि में उक्त विभाग एवं उससे सम्बन्धित निगमों एवं विभिन्न संघों द्वारा खरीदा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में सहकारिता विभाग द्वारा फरवरी, 1992 तक कोई फर्नीचर खरीद नहीं किया गया। सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाएँ स्वायत्तशाषी संस्थाएं होती हैं। प्रमुख सहकारी संस्थाओं द्वारा गत 2 वर्ष में क्रय किये गए फर्नीचर का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) राजस्थान सैन्ट्रल स्टोर जयपुर से विभिन्न प्रमुख संस्थाओं द्वारा क्रय किये गये फर्नीचर का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" पर दे दिया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला टौंक में राशन की सामग्री का वितरण

766. श्री घासीलाल (टोड़ारायसिंह) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) टौंक जिले में खाद्य सामग्री गेहूं, चावल, पाम आयल व केरोसीन जनवरी, 1991 से जनवरी, 1992 तक हर माह कितना-कितना उपलब्ध करवाया गया ? माहवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है तहसील, टोडारायसिंह व देवली को खाद्य सामग्री व केरोसीन आबादी के हिसाब से कम दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) तहसील टोडारायसिंह व देवली को जनवरी, 1991 से जनवरी, 1992 तक हर माह में गेहूं, चावल, चीनी, पाम आयल व केरोसीन कितना-कितना दिया गया ? माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है माह दिसम्बर, 1991 व जनवरी, 1992 में तहसील टोडारायसिंह को प्रति व्यक्ति एक किलो मात्र गेहूं ही दिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) टौंक जिले में गेहू चावल, पाम आयल व केरोसीन जनवरी 1991 से जनवरी 1992 तक जितनी-जितनी प्रतिमाह उपलब्ध कराई गई का माहवारी ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) तहसील टोडारायसिंह व देवली को भी खाद्य सामग्री व केरोसीन आवश्यकता एवं उपलब्धि के आधार पर दिया जाता है न कि आबादी के हिसाब से।

(3) तहसील टोडारायसिंह व देवली को जनवरी, 1991 से जनवरी, 1992 तक प्रति माह गेहू चावल, चीनी पामआयल व केरोसीन जितना जितना दिया गया, की माहवारी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2359

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

(4) जी नहीं। माह जनवरी, 92 में टोडारायसिंह तहसील के शहरी क्षेत्र में 4 किलो व ग्रामीण क्षेत्रों में एक किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं का वितरण कराया गया।

क्र. सं.	नाम माह	गेहूं (मात्र मै. टन)	चावल (मै. टन)	पाम आयल (मै. टन)	केरोसीन तेल (कि. ली.)
1.	जनवरी, 91	2800	30	—	420
2.	फरवरी, 91	2000	30	15	480
3.	मार्च, 91	2500	30	15	420
4.	अप्रैल, 91	2500	30	—	390
5.	मई, 91	2000	30	—	10
6.	जून, 91	2000	30	—	380
7.	जुलाई, 91	1451.9	30	—	464
8.	अगस्त, 91	1700	80	—	440
9.	सितम्बर, 91	1800	80	—	425
10.	अक्टूबर, 91	2400	80	20	450
11.	नवम्बर, 91	2000	80	20	450
12.	दिसम्बर, 91	1500	60	—	450
13.	जनवरी, 92	1600	60	20	425

क्र. सं.	नाम माह	टोडारायसिंह गेहूं (मै. टन)	टोडारायसिंह चावल (मै. टन)	टोडारायसिंह चीनी (मै. टन)	टोडारायसिंह पामआयल (मै. टन)	टोडारायसिंह केरोसीन (कि. ली.)	देवली गेहूं (मै टन)	देवली चावल (मै. टन)	देवली चीनी (मै. टन)	देवली पामआयल (मै. टन)	देवली केरोसीन (कि. ली.)
1.	जनवरी, 91	160	—	48.5	—	36	210	—	62	—	48
2.	फरवरी, 91	150	—	45.9	—	36	150	—	54.9	—	57
3.	मार्च, 91	210	—	39.5	—	27	200	—	62	—	63
4.	अप्रेल, 91	250	—	45.5	—	36	100	—	62	—	54
5.	मई, 91	150	—	37.7	—	27	100	10	62	—	42
6.	जून, 91	150	—	36.6	—	21	210	10	62	—	36
7.	जुलाई, 91	100	—	47.8	—	12	130	10	62	—	36
8.	अगस्त, 91	150	—	35.4	—	39	150	10	58	—	58
9.	सितम्बर, 91	100	—	34.2	—	36	110	—	117.5	—	58
10.	अक्टूबर, 91	250	—	28.9	—	39	300	30		—	55
11.	नवम्बर, 91	200	—	42.2	—	37	250	—	126	—	63
12.	दिसम्बर, 91	144	—	7.8	—	27	180	—		—	69
13.	जनवरी, 92	162	9	7.7	—	40	153	9	—	—	49

झुन्झुनूं के ग्रामीण विद्यालयों की क्रमोन्नति

767. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) एवं श्री जुबेर खान (रामगढ़) एवं डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

झुन्झुनूं जिले के ग्राम देरवाला, अजाड़ी, बुडानिया, भडून्दा, सौती में उ. प्रा. वि. कब से है ? क्या आगामी वित्त वर्ष में उन्हें क्रमोन्नत कर माध्यमिक विद्यालय करने की योजना है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

झुन्झुनूं जिले के निम्नानुसार विद्यालय उनके आगे अंकित वर्षों से संचालित है :–

विद्यालय का नाम	वर्ष
उ. प्राथमिक विद्यालय	
1. देरवाला	1972
2. बुडानिया	1978
माध्यमिक विद्यालय	
1. भडून्दा खुर्द	1989
प्राथमिक विद्यालय	
1. अजाड़ी खुर्द	1970
2. सौती	1977

वर्ष 1992–93 में प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने तथा वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत करने हेतु विचार किया जा सकेगा ।

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 1992)

भरतपुर में अल्प बचत के तहत जमा राशि

443. श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या अल्प बचत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

भरतपुर में अल्प बचत की वर्ष 1990 से अब तक कितनी धनराशि है ? उससे क्या-क्या कार्य कराये गये ? तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

भरतपुर जिले में जिला प्रोत्साहन पुरस्कार राशि के विकास मद में दिनांक 1.4.89 को 3,86,416 रु. शेष थे । वर्ष 1989–90 हेतु जिला प्रोत्साहन पुरस्कार राशि विकास मद में 5,14,863 रु. प्राप्त हुए एवं वर्ष 1990–91 हेतु जिला प्रोत्साहन पुरस्कार राशि विकास मद में 6,50,000 की राशि प्राप्त हुई । इस प्रकार इस मद में कुल प्राप्तियां 15,51,279 रु. हुई ।

वर्ष 1990 के प्रारम्भ से दिनांक 6.3.92 तक कुल 14,82,624.50 की राशि का भुगतान विकास कार्यों हेतु इस मद में से किया जा चुका है । तहसीलवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

(अल्प बचत राज्य मन्त्री)

1.	तहसील डीग	रु. 61,650	विद्यालयों में बाउण्ड्री वाल एवं कमरों के निर्माण पर व्यय ।
2.	तहसील कुम्हेर	रु. 1,43,400	—,,—
3.	तहसील नगर	रु. 1,21,900	—,,—
4.	तहसील भरतपुर	रु. 9,15,574	संग्रहालय में दरवाजों का निर्माण, सूरजपोल बुर्ज की मरम्मत, कमरों का निर्माण बाउण्ड्री वाल, वृक्षारोपण, पुलिस लाइन में बेरक निर्माण तथा जिला कलक्टर कार्यालय में कम्प्युटर एवं इन्टरकाम की व्यवस्था पर व्यय ।
5.	तहसील कामां	रु. 1,30,150	खरंजा निर्माण कप निर्माण, बरामदा एवं विद्यालयों की बाउण्ड्री वाल तथा कमरों के निर्माण पर व्यय ।
6.	तहसील नदबई	रु. 69,950	विद्यालयों की बाउण्ड्री वाल के निर्माण पर व्यय ।
7.	तहसील वैर	रु. 40,000	रा. बा. मा. विद्यालय में कमरों का निर्माण ।

श्रीगंगानगर में अन्त्योदय योजना के तहत चयनित परिवार

768. **श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 1990-91 में अन्त्योदय योजना के तहत कितने लोगों का चयन किया गया तथा राज्य-सरकार ने कुल कितना रुपया खर्च किया ? चयनित परिवार को राज्य सरकार ने किस-किस प्रकार का लाभ पहुंचाया ?

(2) क्या इन दो वर्षों में जितने लोग चयनित हुए हैं वे सभी गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों से थे तथा चयनितों में से कुल कितने अनुसूचित जातियों के व बकाया अन्य जातियों से थे ?

(3) सादुलशहर संगरिया तहसीलों के गांवों में अन्त्योदय परिवारों का चयन किन-किन लोगों ने किया जन प्रतिनिधि के तौर पर कौन-कौन इस चयन प्रक्रिया में सम्मिलित थे ?

(4) उक्त तहसीलों के चयनित परिवारों को इन दो सालों में क्या-क्या आर्थिक मदद किस-किस रूप में दी गई ? कितने लोगों को लाभान्वित किया गया ? पंचायत वार संख्या सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या अन्त्योदय के नाम पर किये गये कार्यों में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें

(श्री हेतराम बेनीवाल)

हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में वर्ष 1990-91 में अन्त्योदय योजना के तहत 12352 लोगों का चयन किया गया। राज्य सरकार द्वारा 185.70 लाख रु. व्यय किया। चयनित परिवारों को भैंसपालन, ऊंटगाड़ी, परचून की दुकान, आटा चक्की, फर्नीचर दुकान एवं अन्य आर्थिक कार्यों हेतु ऋण व अनुदान उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया है।

(2) वर्ष 1990-91 में चयनित 12352परिवार एवं वर्ष91-92 में चयनित 10490 परिवार कुल 22842 परिवार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के रूप में ही चयनित हुए हैं। इस चयनित परिवारों में से 12656 अनुसूचित जातियों/जनजातियों के थे शेष, 10186 परिवार अन्य जातियों से थे।

(3) सादुलशहर एवं संगरिया तहसील के गांवों में अन्त्योदय योजनान्तर्गत परिवारों का चयन ग्राम सभाओं के द्वारा किया गया जनप्रतिनिधि के तौर पर वर्ष 90-91 में सरपंच एवं पंचों ने तथा वर्ष 91-92 में पंचायतें भंग हो जाने के कारण पूर्व सरपंच एवं पंचों के द्वारा भाग लिया गया। संबंधित सांसद एवं विधायकों को भी ग्राम सभा को बैठकों में भाग लेने हेतु आमन्त्रित किया गया था।

(4) उक्त तहसीलों में चयनित परिवारों में से 115 परिवारों को वर्ष 1990-91 में 907500 रु. का ऋण एवं 423506 रु. का अनुदान उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1991-92 में 101 परिवारों को 7,93,000 रु. का अनुदान उपलब्ध कराया गया। पंचायतवार एवं उद्देश्यवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं है। गलत चयन के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनकी जांच करवाकर निपटारा किया गया।

वर्ष 1990-91 में 115 परिवारों को 90,7500 रु. का ऋण एवं 4,23,506 रु. का अनुदान उपलब्ध करवाया गया। जिनकी सूचना निम्न प्रकार से है।

क्रमांक	नाम ग्राम पंचायत	उद्देश्य	संख्या लाभान्वितों की
1	2	3	4
1.	दीनगढ़	भैंसपालन	10
		दुकान परचून	2
		ऊंटगाड़ी	2
2.	ढाबा	भैंसपालम	14
		दुकान परचून	6
3.	नगराना	भैंसपालन	12
		दुकान परचून	2

1	2	3	4
4.	नाथवाना	भैंसपालन	3
		दुकान परचून	2
		ऊंट गाड़ी	5
		फर्नीचर	1
5.	बोलावाली	भैंसपालन	2
		दुकान परचून	8
		ऊंटगाड़ी	2
		दरी बुनाई	2
		लुहारीगिरी	1
6.	रतनपुरा	भैंसपालन	2
		दुकान परचून	8
		ऊंटगाड़ी	3
		जूते बनाना	1
7.	मानकसर	भैंसपालन	10
		दुकान परचून	1
8.	लिलावाली	भैंसपालन	9
		दुकान परचून	2
		ऊंटगाड़ी	5

वर्ष 1991–92 में 101 परिवारों को 7,93,000 रु. का ऋण एवं 4,58,192 रु. का अनुदान उपलब्ध करवाया गया जिनकी सूचना निम्न प्रकार से है।

क्र.सं. 1	नाम ग्राम पंचायत 2	उद्देश्य 3	संख्या लाभान्वितों की 4
1.	दीनगढ़	भैंसपालन	12
		दुकान परचून	1
		ऊंटगाड़ी	2
		आटा चक्की	1
2.	ढाबा	भैंसपालन	10
		दुकान परचून	5
3.	नगराना	भैंसपालन	8

1	2	3	4
4.	नाथवाना	भैंसपालन	4
		दुकान परचून	2
		ऊंटगाड़ी	7
		फर्नीचर	1
5.	बोलावाली	भैंसपालन	6
		ऊंटगाड़ी	5
		फर्नीचर	1
6.	रतनपुरा	भैंसपालन	1
		दुकान परचून	1
		ऊंटगाड़ी	13
7.	मानकसर	भैंसपालन	8
8.	लिलांवाली	भैंसपालन	11
		ऊंटगाड़ी	2

संगरिया (जोधपुर) के कृषकों की भूमि अवाप्ति

769. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :- क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम संगरिया, तहसील जोधपुर के किसानों की भूमि अवाप्ति बाबत उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर/तहसीलदार, जोधपुर ने नोटिस जारी किए थे ? क्या उक्त भूमि की भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए आवश्यकता है ? यदि हां, तो नोटिस जारी करने के बाद अब तक क्या-क्या कार्यवाही, कब-कब की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि की अब जीवन बीमा निगम को आवश्यकता नहीं है ? यदि हां, तो किसानों को वस्तुस्थिति से क्यों नहीं अवगत कराया जा रहा है ?

(3) क्या उक्त किसान अब अपनी भूमि विकसित करने अथवा वेचने के लिए स्वतन्त्र हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां यह सही है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जोधपुर को मौजा संगरिया तहसील जोधपुर में पब्लिक हाउसिंग स्कीम हेतु भूमि की आवश्यकता है। जिसके लिए तहसीलदार जोधपुर ने सम्बन्धित काश्तकारों की सहमति हेतु नोटिसेज जारी किये थे एवं उनको निगम की योजना के बारे में जानकारी करवाई थी एवं प्रस्तावित भूमि नगरीय संकुलन सीमा में मास्टर प्लान में स्थित है। इस हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों की रिपोर्ट प्राप्ति

(राजस्व मंत्री)

पर मौजा संगरिया के ख.नं.330 से 338 रकबा 246.10 बीघा भूमि का मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट से आवासीय परियोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन करने तथा अवाप्ति की स्वीकृति के बाद भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत अधिसूचना अन्तर्गत धारा 4 के तहत भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव पत्र संख्या 5863 दिनांक 7.10.91 के द्वारा प्राप्त हुए थे राज्य सरकार के पत्र दिनांक 12.5.92 द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिये गये हैं।

(2) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भूमि को अवाप्त किये जाने हेतु मांग की जा रही है जो वर्तमान समय में भी भूमि प्राप्त करने हेतु इच्छुक है। लेकिन भूमि ग्रीन बेल्ट में होने से अवाप्ति की कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(3) वर्तमान समय में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई है अतः काश्तकार अपनी भूमि को शहर के मास्टर प्लान में दर्शाये गये भू उपयोग नियमानुसार विक्रय करने के लिए स्वतन्त्र है।

अजमेर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण

770. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अजमेर जिले के राजकीय भवनों में कितने छात्रावास चल रहे हैं?

(2) अनुसूचित जाति विकास निगम की छात्रावास निर्माण योजना में क्या अजमेर शहर हेतु भी कोई छात्रावास निमाण का लक्ष्य रखा गया था? यदि हां, तो छात्रावास का निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ? राज्य सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है? अब छात्रावास का निर्माण कब तक हो जावेगा?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अजमेर जिले के गांव प्राणहेडा में एक छात्रावास राजकीय भवन में संचालित किया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

आर. ए. एस. तथा आर. पी. एस. अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति

771. श्रीमती कमला भील (सागवाडा) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) आर. ए. एस. और आर. पी. एस. अधिकारियों के हस्तान्तरण की क्या नीति है?

(2) क्या डूंगरपुर जिले में कार्यरत उक्त श्रेणी के अधिकारियों पर भी यह नीति लागू होती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राजकीय

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री)

अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु एक सामान्य नीति निर्धारित है। किन्तु वह स्थानान्तरण नीति दिशा निर्देश है, जिसमें राज्य सरकार को यह अधिकार है है किसी कि राजकीय कर्मचारी का स्थानान्तरण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कभी भी बिना कारण बताये किया जा सकता है।

(2) जी हां।

उदयपुर और राजसमन्द जिलों की सहकारी समितियां

772. श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) एवं श्री चुन्नीलाल (उदयपुर ग्रामीण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) उदयपुर और राजसमन्द जिलों में कुल कितनी सहकारी समितियां कार्यरत हैं ? कितनों के चुनाव हुए हैं और कितनों के नहीं ? जिन समितियों के चुनाव नहीं हुए उनकी कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में कितनी सहकारी समितियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और गबन की जांच चल रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पिछले तीन साल में कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में कुल 542 तथा राजसमंद जिले में कुल 253 सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनमें से क्रमश: 390 एवं 242 समितियों के निर्वाचन ड्यू हुए हैं। इनमें से उदयपुर तथा राजसमंद जिलों में क्रमश: 97 एवं 114 सहकारी समितियों के चुनाव सम्पन्न हुए हैं तथा क्रमश: 293 एवं 128 सहकारी समितियों के निर्वाचन नहीं हो पाये हैं। चुनाव की स्थिति, की जा रही कार्यवाही एवं कारण परिशिष्ट "अ–1" एवं "अ–2" पर संलग्न हैं।

(2) जिला उदयपुर में 217 तथा राजसमन्द में 65 सहकारी समितियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और गबन की जांच चल रही है। उदयपुर तथा राजसमंद जिलों की पृथक-पृथक सूची परिशिष्ट ब–1 एवं ब–2 पर संलग्न हैं।

(3) पिछले तीन साल में उदयपुर जिले में 164 व्यक्तियों तथा राजसमंद जिले में 45 व्यक्तियों को दोषी पाया गया है विवरण निम्न प्रकार है—

1. उदयपुर जिले में दोषी पाये गये 164 व्यक्तियों में से 55 व्यक्तियों से 1.65 लाख रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। 92 व्यक्तियों से राशि वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

2. राजसमंद जिले में दोषी पाये गये 45 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों से 0.12 लाख रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है

(सहकारिता मंत्री)

तथा शेष 40 व्यक्तियों से राशि वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

गिरधर रसोई गैस एजेन्सी, मकराना

773. श्री बिरधा राम चौधरी (मकराना) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) मकराना में स्थित गिरधर गैस एजेन्सी को सर्व प्रथम कितने गैस कनेक्शन का कोटा आवंटित किया गया ? उपभोक्ताओं में कब तक व किस-किस को, किस दिनांक को गैस कनेक्शन दिया गया ? विवरण व सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गिरधर गैस एजेन्सी को सर्व प्रथम कोटे के बाद भी कोटा आवंटित किया है ? यदि हां, तो कब-कब व कितना-कितना कोटा व उसको कब-कब, किस-किस को दिया गया ? पूर्ण विवरण व सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गिरधर गैस एजेन्सी के पास अभी भी उपभोक्ताओं के आवेदन पत्र लम्बित हैं ? यदि हां, तो कितने एवं किन उपभोक्ताओं के नाम ? आवेदन पत्र देने की दिनांक सहित लम्बित आवेदकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) गिरधर गैस एजेन्सी के द्वारा गैस आवंटन करने की सूचना क्या जिला रसद अधिकारी/जिला कलेक्टर को दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन आवंटित करने की क्या प्रक्रिया व नियम है ? नियमों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या जिला रसद अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी परबतसर ने कभी गिरधर एजेन्सी का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो कब-कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मकराना में स्थित गिरधर गैस एजेन्सी को सर्व प्रथम 438 गैस कनेक्शन का कोटा आवंटित किया गया।

(2) जी, हां। वर्ष 85-86 से वर्ष 91-92 तक कुल 3384 गैस कनेक्शन का कोटा निम्न प्रकार आवंटित किया गया–

वर्ष	आवंटित कोटा
1985-86	867
1986-87	366
1987-88	699
1988-89	550
1989-90	389
1990-91	260
1991-92	253

(3) गिरधर गैस एजेन्सी के पास अभी भी उपभोक्ताओं के 3649 आवेदन लम्बित है।

(4) केन्द्र सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार गैस कम्पनियां अपनी गैस एजेन्सी के माध्यम से गैस बुकिंग के आवेदन पत्र आमंत्रित कर गैस बुकिंग कर सप्लाई करने

(खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री)

के लिए स्वतन्त्र है। इसमें जिला कलक्टर अथवा रसद विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

(5) उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन आवंटित करने के सम्बन्ध में सुधा जोशी कमेटी की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार गैस एजेन्सियों द्वारा दिन-प्रतिदिन तेल कम्पनी द्वारा दी गई निर्धारित रजिस्ट्रेशन बुक में उपभोक्ताओं के आवेदन पत्रों का रजिस्ट्रेशन कर वरियता के आधार पर गैस कनेक्शन आवंटित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है। अतः नियमों की सूची सदन की मेज पर रखे जाने का प्रश्न नहीं है।

(6) गिरधर गैस एजेन्सी का निरीक्षण जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा दिनांक 20.4.87 एवं दिनांक 30.10.87 को किया गया है।

जोधपुर शहर में विद्यालयों की क्रमोन्नति

774. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिनकी क्रमोन्नति 1961 के बाद नहीं हुई हैं? क्या सरकार इन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) इन विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की संख्या क्या है? इन विद्यालयों में कितने कमरे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) प्रदेश में विधान सभा क्षेत्रवार विद्यालय खोले एवं क्रमोन्नत नहीं किये जाते हैं। जोधपुर शहर में 13 माध्यमिक विद्यालय है जिनकी क्रमोन्नति सन् 1961 के बाद नहीं हुई है। जो नहीं, इन विद्यालयों के लिए क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने एवं निर्धारित मानदण्डों/वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर सत्र 1992-93 में विचार किया जा सकेगा।

(2) उक्त माध्यमिक विद्यालयों में कमरे एवं छात्र संख्या की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में स्थित एवं 1961 के पश्चात क्रमोन्नत नहीं हुए विद्यालयों में छात्र/छात्राओं तथा कमरों की संख्या

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	छात्र/छात्राओं की संख्या	कमरों की संख्या
1	2	3	4
1.	रा. मा. वि. विद्याशाला, जोधपुर	190	13
2.	रा. मा. वि. मण्डी, जोधपुर	360	14

(शिक्षा मन्त्री)

1	2		3	4
3.	रा. मा. वि.,	नागौरीगेट	196	12
4.	,,	महामन्दिर	194	23
5.	,,	रातानाडा	157	04
6.	,,	भदवासिया	103	09
7.	,,	सिवाचीगेट	276	06
8.	,,	पूंजला	234	08
9.	,,	उदयमन्दिर	81	13
10.	,,	अल्पभाषाराजमहल	29	07
11.	,,	बासनी तम्बोलिया	71	08
12.	रा. बालिका मा. वि.	महामन्दिर	– 835	04
13.	,,	फतेहपोल	– 232	10

सपोटरा में इन्दिरा आवास योजना के तहत निर्माण

775. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सपोटरा पंचायत समिति में वर्ष 1988 से 1991 तक इन्दिरा आवास योजना के तहत कितने मकान बनवाये ?

(2) कितने मकान कौन-कौनसी पंचायतों में पूर्ण हो गये तथा कितने अभी अधूरे हैं ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपूर्ण मकानों का जायजा लेकर दोषी व्यक्ति/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सपोटरा में वर्ष 1985–86 से अब तक इन्दिरा आवास योजना के तहत 151 आवास बने हैं।

(2) पंचायतवार जो आवास पूर्ण हो गये तथा जो अभी अपूर्ण है की सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। अपूर्ण मकानों में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार करेगी।

(विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री)

पंचायत समिति–सपोटरा में इन्द्रा आवास योजना के तहत पूर्ण एवं अपूर्ण मकानों की पंचायतवार सूची

क्र. सं.	ग्रामपंचायत	पूर्ण	अपूर्ण
1.	काचरोदा	10	–
2.	गोठरा	10	–
3.	काचरोदा	09	–
4.	ऐक्ट	09	–
5.	अमरवाड	10	–
6.	इनायती	10	–
7.	धोरेटा	10	–
8.	कांचरोदा	02	–
9.	बालोती	10	–
10.	करणपुर	–	06
11.	नानपुर	–	04
12.	गुरदह	–	06
13.	मण्डरायल	–	10
14.	बगीदा	–	06
15.	लेदिया	06	–
16.	भरतून	06	–
17.	नारोली	04	–
18.	डाबरा	–	04
19.	नोदर	–	10
20.	लूलोज	10	–
21.	नारोली	–	06
22.	बाजना	10	–
23.	निभेरा	–	05
24.	जाखोदा	10	–
25.	चंदेलीपुरा	–	10
26.	चोडागांव	–	01
27.	लेदिया	–	–
28.	ऐक्ट	–	10
29.	बापोती	05	–
30.	बालोती	06	–
31.	बूकना	10	–
	योग :–	151	78

बाबा का मगरा (उदयपुर) की भूमि की लीज

776. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या विश्व प्रसिद्ध जयसमंद झील के बीच के टापू "बाबा का मगरा" की 103 बीघा जमीन राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1978 के तहत होटल बनाने के लिए आदेश दिनांक 11 अक्टूबर, 1991 के द्वारा एक प्राइवेट फर्म में सिल्वर शेडो एक्सपोर्टस प्रा. लि. को 20 वर्ष के लिए लीज पर दी गई है ? यदि हां, तो इस कम्पनी के डाइरेक्टर्स के नाम/पते की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इतनी महंगी जमीन को सरकार ने उक्त फर्म को मात्र डेढ लाख रुपये में बिना टेण्डर मांगे दे दी है ? वर्तमान में जयसमंद में भूमि का प्रति बीघा खरीद मूल्य क्या है ? क्या यह झील सिंचाई विभाग के अधीन है ? यदि हां, तो क्या झील के बीच की जमीन निजी फर्म को देने से पहले विभाग ने सिंचाई विभाग से स्वी-

2[98]

(श्री रामनारायण वर्मा)

कृति प्राप्त की है ? यदि नहीं, तो इसे आवश्यक क्यों नहीं समझा गया ?

(3) क्या जमीन की लीज पर देने लिए सभी पत्रावलियां मुख्य मन्त्री जी द्वारा अनुमोदित की जाती हैं या सिर्फ उक्त मामले की पत्रावली ही अनुमोदन हेतु मुख्य मन्त्री जी ने मंगवाई थी ? क्या इस पर उनका अनुमोदन भी है ?

(4) क्या इस जमीन को राजस्व प्राप्ति व पर्यटन विकास के लिए लीज पर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा खुली प्रतिस्पर्धा आयोजित क्यों नहीं की गई ? क्या जमीन को लीज पर उठाने से पूर्व पर्यटन विभाग से कोई मशविरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या झील के टापू पर बरसों से रह रहे एक परिवार के लिए टापू पर 15 बीघा जमीन छोड़ने के अलावा इस परिवार को झील के बाहर भी कृषि और वानिकी के प्रयोजनार्थ 15 बीघा जमीन और एलाट की गई है ? यदि हां, तो झील से बहार की इस 15 बीघा जमीन का बाजार मूल्य क्या है ? क्या यह मूल्य उस राशि से कम है जिस राशि में झील के टापू की जमीन निजी फर्म के हवाले की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

इस कम्पनी के डायरेक्टर्स के नाम/पते निम्नांकित हैं :-

1. श्री सुधीर कावड़िया, 24-सी मधुवन, उदयपुर

2. श्री अरूण के. जैन, फलेट नं. 36, सेण्ट्रल मार्केट, लाजपत नगर, 11-नई दिल्ली।

व

3. श्री प्रताप भण्डारी वल्द श्री बसन्तीलाल जी भण्डारी, द्वारा-होटल लेकेण्ड, उदयपुर।

(2) उक्त फर्म को भूमि बाजार दर रुपये 1500 प्रति बीघा से एक लाख चौपन हजार पांच सौ रुपये में जिला कलक्टर के आदेश क्र. प. 12/3 (3) राज होटल/89/3439-74 दिनांक 11.10.91 के द्वारा दी गई है।

कलक्टर, उदयपुर द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 11.10 91 को भूमि की वर्तमान दर 1500/- प्रति बीघा ही माना गया है। इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि इस दौरान बाबा का मगरा में कोई भूमि विक्रय पंजीकृत नहीं हुआ है।

यह झील सिंचाई विभाग के अधीन है। लेकिन आवंटित भूमि राजकीय बिलानाम है, अतएव सिंचाई विभाग से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है। टापू पर लाने के लिए रास्ता सिंचाई विभाग से विचार विमर्श कर काम में लिया जावेगा।

(3) जी नहीं। लेकिन किसी मामले में यदि राजस्व मन्त्री उचित समझें तो पत्रावली मुख्य मन्त्री महोदय को प्रस्तुत की जाती है। यह आवंटन मुख्य मन्त्री जी से अनुमोदन के उपरान्त किया गया है।

लक्ष्मणगढ़ में महाविद्यालय

777. श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) मुख्यालय के आस-पास एवं दूरदराज तक कोई महाविद्यालय नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ?

(2) क्या लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में महाविद्यालय खोले जाने की मांग लम्बे समय से की जाती रही है ? यदि हां, तो सरकार महाविद्यालय कब तक खोल देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के लगभग 45 कि. मी. की परिधि में कोई महाविद्यालय नहीं है ।

(2) जी हां । लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में महाविद्यालय खोलने की मांग प्राप्त हुई थी । राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, निर्धारित मानदण्डों एवं गुणावगुणों के आधार पर लक्ष्मणगढ़ में महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर अन्य प्रस्तावों के साथ विचार कर उचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

क्रय विक्रय सहकारी समिति लि, डीग

778. श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. डीग (भरतपुर) में माह सितम्बर, 1990 में खाद स्टॉक में नहीं होने के बावजूद भी विभागीय व्यवस्थापक/प्रशासक के कार्यकाल में खाद बिक्री हेतु कृषकों से अग्रिम राशि वसूल की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या कृषकों से अग्रिम राशि वसूल करने का कोई नियम है ? यदि नहीं, तो उक्त राशि किस अधिकारी के द्वारा किस-किस दिनांक को वसूल की गई तथा उसमें से कितनी राशि कब-कब लौटाई जा चुकी है और कितनी लौटाई जानी बाकी है ?

(3) क्या यह सही है कि कृषकों की अग्रिम राशि का अपहरण हुआ ? यदि हां, तो व्यवस्थापक/प्रशासक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि जिस विभागीय व्यवस्थापक के कार्यकाल में अपहरण का मामला हुआ उसी को उक्त संस्था में अवसायक के पद पर लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) क्रय विक्रय सरकारी समिति लि. डीग में सितम्बर, 1990 में यूरिया 373 कट्टे जिप्सम 290 कट्टे, जिंक सल्फेट 112, कट्टे स्टॉक में थे । डी. ए. पी. इफ्को खाद की मांग होने एवं समिति के स्टॉक में इफ्को डी. ए. पी. न होने के कारण तथा समिति के पास राशि के अभाव में कृषकों से अग्रिम राशि प्राप्त की गई थी ।

(2) यद्यपि कृषकों से राशि वसूल करने के नियम नहीं है लेकिन किसानों की सुविधा के लिए अध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति के निर्देशों से कृषकों को इफ्को डी. ए. पी. खाद उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभिन्न दिनांकों में 16 कृषकों से

(250)

(सहकारिता मन्त्री)

1,75,680.00 रुपयेकी राशि अग्रिम के रूप में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा ली गई थी। इस राशि में से 1,08,285/– रुपये कृषकों को लौटा दी गई है शेष 78 कृषकों को 67,395/– रुपये का मुगतान शेष है। विवरण परिशिष्ट एक में संलग्न कर दिया है।

(3) जी हां। यह सही है कि कृषकों धन से प्राप्त अग्रिम राशि में से 1,26,300/– रुपये का दिनांक 28 9.90 को भूतपूर्व समिति के केशियर श्री गणपत सिंह द्वारा अपहरण किया गया। समिति की राशि का अपहरण व्यवस्थापक प्रशासक द्वारा किया जाना नहीं बताया गया है। समिति की राशि का अपहरण श्री गणपत सिंह, भूतपूर्व केशियर द्वारा किये जाने के कारण प्रशासक के निर्देशानुसार व्यवस्थापक ने थाना डीग में दिनांक 2.10.90 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस प्रकरण से सम्बन्धित वाद संख्या 206/91 ए. सी. जे. एम. कोर्ट डीग में विचाराधीन है।

(4) जी हां वर्तमान अवसायक एवं तत्कालीन व्यवस्थापक के द्वारा संस्था के के अपहरण/गबन की जानकारी होने पर तत्परता से कार्यवाही की गई है और राशि धन के अपहरण के प्रकरण मे व्यवस्थापक सम्मिलित नहीं है। गबन का मामला केशियर श्री गनपत सिंह के विरुद्ध है इस व्यवस्थापक ने समिति के प्रशासक से मिलकर डीग थाने में प्रथम सूचना दर्ज करवाकर कोर्ट में चालान पेश करवाया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित–प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 1992)

उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर

454. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर कब रजिस्टर्ड हुआ तथा इसकी जिले में कहां-कहां इकाइयां हैं ?

(2) इस ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के कौन-कौन सदस्य हैं एवं इनका क्षेत्राधिकार क्या है ?

(3) इस ट्रस्ट की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है ? क्या यह संस्था शोध कार्य के अतिरिक्त निर्माण एवं व्यापार का व्यवसाय भी करती है ?

(4) क्या यह सही है कि इस ट्रस्ट के सदस्यों के क्रियाकलापों से राजस्थान व भारतीय मूल संस्कृति को धक्का लगा है और दिन व दिन विदेशी संस्कृति के प्रति सदस्यों का रुझान बढ़ता जा रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि इस ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं का व्यवहार और क्रियाकलाप सरकारी कार्यों में सीधा हस्तक्षेप है ?

(6) इस ट्रस्ट की कुल कितनी चल व अचल सम्पत्ति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) इस ट्रस्ट की स्थापना से अब तक कुल कितनी धनराशि कौन-कौन से विभाग,

(श्री मनीराम सियाग)

संस्था तथा व्यक्तियों से प्राप्त हुई ? क्या इसमें विदेशी पूंजी भी लगी हुई है ?

(8) इस ट्रस्ट की इकाइयों में कितने कितने विभाग हैं एवं इनमें कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(9) पिछले वर्षों के आय-व्यय के हिसाब से क्या ट्रस्ट मुनाफे में चल रहा है ? यदि हां, तो इसकी मूल पूंजी कितनी है ? वर्तमान में अधिशेष राशि क्या है ?

(10) इसमें मूल ट्रस्टी कौन-कौन हैं ? ट्रस्ट में "मिस्टर घोष" का क्या पद एवं रोल है ? इनका मूल निवास एवं शैक्षणिक योग्यता क्या है ?

(11) ट्रस्ट का भविष्य क्या है ? क्या ट्रस्ट के कर्मचारियों के रिटायरमेन्ट के बाद पेन्शन देने की व्यवस्था भी है ?

उत्तर

(1) उरमूल रूरल हैल्थ रिसर्च डवलपमेंट ट्रस्ट बीकानेर का पंजीयन राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत देवस्थान विभाग में दिनांक 24.11.87 को हुआ है। लूणकरणसर और कोलायत पंचायत समिति बज्जू में इसकी इकाइयां कार्यरत है।

(2) मैनेजमेंट हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज है, जिनके अधिकार एवं क्षेत्राधिकार का उल्लेख ट्रस्ट डीड में किया हुआ है। न्यास मण्डल ने सचिव को वित्तीय एवं अन्य शक्तियां प्रस्ताव दिनांक 11.11.86 से प्रदत की है। ट्रस्ट डीड अनुसूची "क" एवं प्रस्ताव दिनांक 11.11.86 अनुसूची "ख" की प्रतियां सदन की पटल पर रखदी गयी हैं।

(3) ट्रस्ट के मूल उद्देश्यों का उल्लेख ट्रस्ट डीड में किया हुआ है जिसके अनुसार ग्रामीण विकास एवं जनहित का कार्य करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, अकाल राहत कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्य कराना है। बज्जू में परिसर बनाने के लिए कार्य किया गया है। ग्रामीण आय वर्द्धन की जो योजनायें गांव के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए चलायी जाती है उनके अन्तर्गत पीढ़े, खादी वस्त्र तैयार किये जाकर बेचे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई व्यवसाय/व्यापार ट्रस्ट द्वारा नहीं किया जाता है।

(4) जी नहीं।

(5) अधिकांश कार्यक्रम भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के सहयोग से चलाये जा रहे हैं। इस तरह सरकारी कार्यों में सीधा हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता।

(6) इस ट्रस्ट की दिनांक 31.3.91 तक चल सम्पत्ति 50,92,678.95 पैसे एवं अचल सम्पत्ति 71,60,263.03 रुपये की है। विवरण अनुसूची "ग" एवं "घ" सदन के पटल पर रखदी गयी है।

(7) ट्रस्ट की स्थापना से दिनांक 31.12.91 तक विभिन्न विभागों, अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाओं, विदेशी स्वयं सेवी संस्थाओं आदि से प्राप्त धनराशि का विवरण अनुसूची "ड़" व "च" सदन की पटल पर रखदी गयी है।

(8) ट्रस्ट की लूणकरणसर शाखा में

(252)

(देवस्थान मन्त्री)

6, बज्जू शाखा में 4 तथा बीकानेर शाखा में 1 विभाग हैं। इनमें कार्यरत कर्मचारियों की सूची "छ" सदन को पटल पर रख दी गयी है।

(9) ट्रस्ट के अनुसार मुनाफा नहीं है। ट्रस्ट के पास 31.3.91 को मूल पूंजी 18,63,203.00 रुपये है व अधिशेष राशि 8,46,184.00 दिनांक 1.4.91 को है।

(10) इस ट्रस्ट में मूल ट्रस्टी वर्तमान में निम्न हैं :-

1. अध्यक्ष श्री वी. के. देवडा, प्रबन्ध निदेशक उरमूल डेयरी।

2 ट्रस्टी :-

1. श्री आर. के. मीणा, जिला कलक्टर, बीकानेर।
2. श्री एस. पी. मितल, संचालक राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन, जयपुर।
3. डा. एच. एस. अरोड़ा, प्राचार्य, एस. पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर।
4. श्री रामूराम, निदेशक, उरमूल डेयरी, बीकानेर।
5. डा. वी. के. सांवल गुप्ता, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर।
6. श्री भंवरलाल, निदेशक, उरमूल डेयरी, बीकानेर।

सभी ट्रस्टी पदेन हैं।

संजय घोष ट्रस्ट के सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इनका जन्म स्थान नागपुर एवं हाल निवास लूणकरणसर है। इनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक ग्राम विकास (बम्बई विश्व विद्यालय), स्नातकोत्तर ग्रामीण प्रबन्ध (ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान आनन्द) एम. एस. सी. कृषि अर्थ शास्त्र (आक्सफोर्ड विश्व विद्यालय, यू. के.) मास्टर इन पब्लिक हैल्थ जोन (हांपकिंस विश्व विद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका) है।

(2) ट्रस्ट के भविष्य की कार्यसूची में नशा मुक्ति, नेत्र चिकित्सा, अकाल राहत कार्यक्रम, कृषि कार्य योजना, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना, महिलाओं में जागृति लाने के लिए शिविर आदि लगाना, निर्धनों के लिये आय वर्द्धन योजनाओं का आयोजन करना, बाल विकास योजना, शिक्षा कर्मी योजना के अन्तर्गत शिक्षकों को ट्रेनिंग देना आदि है। न्यास के कर्मचारियों के रिटायरमेन्ट के बाद पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर के अमृत रघुनाथजी के मन्दिर का स्वामित्व सम्बन्धी विवाद

779. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) एवं श्री मोहन लाल (परबतसर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर में हवामहल के सामने स्थित अमृत रघुनाथ जी, मन्दिर का स्वामित्व संबंधी विवाद देवस्थान विभाग में वर्ष 1976 से विचाराधीन है? यदि हां, तो अब तक फैसला क्यों नहीं हुआ?

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

(2) क्या उक्त मन्दिर की पूजा अर्चना श्री रघुनाथ दास महन्त किया करते थे जो कि उनको पूर्वजों द्वारा विरासत में मिली थी ?

(3) क्या महन्त श्री रघुनाथ दास के स्वर्गवास के बाद उक्त मन्दिर की पूजा अर्चना श्री गोपाल दास पुत्र श्री पूर्णानन्द दास द्वारा अनधिकृत रूप से की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि अनधिकृत रूप से की जा रही पूजा अर्चना व फर्जी वसीयतनामा के सम्बन्ध में देवस्थान विभाग में आवेदन कर फर्जी वारिस बने हुए तथा पचास लाख की सम्पत्ति हड़प जाने व मंदिर की सम्पत्ति के हिस्से व छते बेच देने के सम्बन्ध में याचिका दायर की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर देवस्थान विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार अनधिकृत रूप से गोपाल दास पुत्र श्री पूर्णानन्द दास द्वारा मंदिर सम्पत्ति पर किये गये कब्जे को बेदखल कर वास्तविक हकदार को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मन्दिर श्री अमृत रघुनाथ जी स्थित हवामहल के सामने सिरहड्योढी बाजार, जयपुर के स्वामित्व सम्बन्धित विवाद विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां।

(3) यह सही है कि महन्त रघुनाथ दासजी के स्वर्गवास के बाद उक्त मन्दिर की सेवा पूजा श्री गोपाल दास द्वारा की जा रही है किन्तु श्री गोपालदास अनाधिकृत रूप से सेवा पूजा नहीं कर रहा है बल्कि स्व. महन्त श्री रघुनाथदास जी द्वारा उसके पक्ष में की गयी वसीयत के आधार पर कर रहा है।

(4) यह सही नहीं है कि श्री गोपाल दास के नाम किया गया वसीयतनामा फर्जी है। यह वसीयतनामा उप पंजीयक जयपुर के दिनांक 26.6.62 को पंजीकृत है। मंदिर श्री अमृत रघुनाथजी राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास है तथा अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत स्व. महन्त श्री रघुनाथदास की जगह आवश्यक जाच कर श्री गोपालदास को कार्यभार प्रन्यासी नियुक्त किया गया है। कार्यवाहक प्रन्यासी द्वारा मन्दिर की सम्पत्ति के हिस्से व छते बेच देने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई है जिस पर दिनांक 20.1.92 को पत्रावली दर्ज की जाकर जांच विचाराधीन है।

(5) श्री गोपालदास देवस्थान विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाहक प्रन्यासी है। अतः बेदखली की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। किन्तु उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 38 के अन्तर्गत जांच विचाराधीन है। यदि जांच में शिकायत सही पायी गयी तो सक्षम न्यायालय में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जालौर जिले के विद्यालयों में कृषि विषय के अध्यापन की व्यवस्था

780. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जालौर जिले के कितने सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विषय के अध्ययन की व्यवस्था है ?

(2) जालौर जैसे कृषि प्रधान जिले में उपरोक्त व्यवस्था को क्या सरकार पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जिले के किसी अन्य सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि विषय खोलने का विचार रखती है ?

(3) क्या राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालौर में कृषि वर्ग प्रारम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर सरकार का कब तक निर्णय लेने का विचार है।

उत्तर

(1) जालौर जिले में दो सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विषय के अध्ययन की व्यवस्था है।

(2) जी हां। स्थानीय मांग, छात्र संख्या, भौतिक सुविधायें जैसे कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, सिंचाई के साधनों एवं उपलब्ध वित्तीय प्रावधान व गुणावगुण के आधार पर कृषि विषय/वर्ग खोलने पर विचार किया जाता है। उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं।

जवाहर रोजगार योजना के तहत केन्द्र से प्राप्त राशि

781. श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) एवं श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार को भारत सरकार से वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में कुल कितनी-कितनी धनराशि जवाहर रोजगार योजना के तहत प्राप्त हुई है ?

(2) केन्द्र सरकार से प्राप्त उपरोक्त राशि ग्रामीण विकास अभिकरणों को कितनी-कितनी कब-कब दी गई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(3) ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उपरोक्त प्राप्त राशि में से कितनी-कितनी धनराशि किस-किस योजना मद के तहत खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जवाहर रोजगार योजना में राशि व्यय करना अधिशेष है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) जवाहर रोजगार योजना की प्राप्त धनराशि में से कितनी धनराशि प्रशासनिक कार्यों में खर्च की गई ? गत दो वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार को भारत सरकार से वर्ष 1990-91 में कुल रु. 10481.45 लाख एवं वर्ष 1991-92 में

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

कुल रु. 7580.42 लाख की राशि प्राप्त हुई।

(2) केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को वर्ष 1990–91 एवं 1991–92 में दी गई उसका वर्षवार एवं अभिकरणवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 पर सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) वर्ष 1990–91 में भारत सरकार से प्राप्त राशि रु. 10481.45 लाख राज्य सरकार से प्राप्त राशि रु.2668.95 लाख एवं दिनांक 1.4.90 की अवशेष राशि रु. 5990.97 लाख कुल उपलब्ध राशि रु. 19141.37 लाख के विरुद्ध रु. 17087.49 लाख व्यय किये गये जिसमें से जीवनधारा योजना, इन्दिरा आवास योजना एवं अपना गांव अपना काम योजना के अन्तर्गत क्रमशः रु. 1816.10 लाख, रु. 1235.37 लाख एवं रु. 190.52 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 1991–92 में भारत सरकार से प्राप्त राशि रुपये 7580.42 लाख, राज्य सरकार से प्राप्त राशि रु. 2867.76 लाख एवं दिनांक 1.4.91 की अवशेष राशि रु. 2053.88 लाख, कुल उपलब्ध राशि रुपये 12502 6 लाख में से फरवरी, 1992 तक रु. 10489.32 लाख व्यय किये जा चुके हैं, जिसमें से जीवनधारा योजना, इन्दिरा आवास योजना एवं अपना गांव अपना काम योजना के अन्तर्गत क्रमशः रु. 2524.70 लाख, रु. 932.86 लाख एवं रु. 434.45 लाख का व्यय हुआ है।

(4) जी हां। जवाहर रोजगार योजना में दिनांक 1.3.92 को रु. 2012.74 लाख की राशि अवशेष थी, जिसके उपयोग करने के प्रयास किये गये हैं। माह मार्च, 1992 में किये गये व्यय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(5) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक मद में वर्ष 1990-91 एवं 1991–92 (फरवरी, 92 तक) को क्रमशः रु. 223.81 लाख एवं रु. 208.63 लाख व्यय हुए।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

ग्राम मैड़ (विराटनगर) में आराजी भूमि पर अतिक्रमण

782. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) :–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम मैड़ तहसील विराटनगर में आराजी खसरा नं. 29 की खातेदारी किस के नाम दर्ज है ? क्या किसी ने अतिक्रमण करके इस भूमि पर कली का भट्टा चालू कर रखा है ?

(2) क्या तहसीलदार विराटनगर ने उक्त कली के भट्टे को तोड़ने का निर्णय (फैसला) किया था ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(3) भट्टा हटाने (तोड़ने) का फैसला हो जाने के उपरान्त भी किन कारणों से कार्य में विलम्ब किया गया तथा किन-किन कर्मचारियों की लापरवाही रही ?

(श्री रामकिशोर सैनी)

(4) क्या सरकार इस नाजायज (बिना स्वीकृत) मन्दिर की भूमि में बने कली के भट्टे को हटाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम मैड़ तहसील विराटनगर में आराजी खसरा नं. 29/2 को खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री सीतारामजी विराजमान साकिन देह राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज है। इसी खसरा नं. में 0.05 हैक्टयर में श्री गिरधारी पुत्र किशन सहाय ब्राह्मण ने अवैध कली-भट्टा चालू कर रखा है।

(2) जी हां। तहसीलदार, विराटनगर ने दिनांक 16.4.91 को उक्त कली भटटे को तोड़ने का निर्णय पारित किया था।

(3) कली भट्टे को आंशिक रूप से दिनांक 5.3.92 को पुलिस इमदाद के जितना तुड़वाया जा सकता था तुड़वाया जा चुका है, शेष भाग आग से गर्म होने के कारण एवं पानी के टैंकों के अभाव में नहीं तुड़वाया जा सका है। निर्णय दिनांक 16.4.91 के अनुसार पटवारी हल्का मैड-ए तथा गिरदावर मैड को तुरन्त कली भट्टा हटाने (तोड़ने) का आदेश दिया गया था। तत्कालीन पटवारी मैड़-ए श्री बजरंगलाल धानका एवं गिरदावर श्री रामनिवास यादव द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती गई। श्री बजरंगलाल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही तहसील हाजा में विचाराधीन है तथा श्री रामनिवास को पदोन्नति नायब तहसीलदार के पद पर अलवर जिले में हो जाने से तहसीलदार विराटनगर को प्रकरण कलक्टर अलवर को भेजने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं।

(4) इस सम्बन्ध में न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा द्वारा दिनांक 12.3.92 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दिनांक 13.4.92 तक यथा स्थिति कायम करने के आदेश दिये गये हैं, अतः न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हटाने के बाद ही कार्यवाही संभव हो सकेगी।

प्रतिबन्धित अवधि के मध्य स्थानान्तरण

783. **श्री हरीश भामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उच्च शिक्षा विभाग में दिनांक 31-8-91 के बाद स्थानान्तरणों पर प्रतिबन्ध लग गया था ?

(2) क्या यह सही है कि प्रतिबन्ध के बाद किसी भी प्राध्यापक या कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उच्च शिक्षा निदेशक ने वर्ष 1991-92 में किसी प्राध्यापक का एक ही दिन में तीन बार स्थानान्तरण किया या निरस्त किया है ?

(4) क्या यह सही है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, कालेज ने स्थानान्तरण करने में कोई अनियमिततायें बरती हैं ? यदि हां, तो क्या उच्चस्तर पर इसकी जांच हुई ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी, कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

(3) जी, नहीं ।

(4) जी, हां ।

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. नागौर

784. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल कुमार रिणवाह का कार्यकाल समाप्त हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि श्री रिणवाह के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् उक्त सहकारी बैंक में राज्य सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि श्री रिणवाह ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका कर कोई स्थगन आदेश प्राप्त किया था ? यदि हां, तो उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति एवं राज्य सरकार द्वारा याचिका का जो जवाब पेश किया उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 10-2-92 को संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति नागौर ने नागौर युवक श्रमिक ठेका सहकारी समिति नागौर का रजिस्ट्रेशन अनियमितता के कारण रद्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या श्री रिणवाह इसी समिति के सदस्य होने के कारण सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं ?

(5) क्या यह सही है कि श्री रिणवाह अब किसी भी सहकारी समिति के सदस्य नहीं है अतः सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर भी बने रहने का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस बिन्दु पर कार्यवाही कर उन्हें पदच्युत क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 8.9.91 को कार्यकाल समाप्त हो चुका है ।

(2) जी, हां ।

(3) जी हां । श्री रिणवाह द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर की थी, याचिका दिनांक 13.11.91 को निर्णीत की जा चुकी है । निर्णय की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(4) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर के आदेश दिनांक 10 2.92 द्वारा नागौर युवक श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. नागौर का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया गया था बल्कि अवसायन में लाया गया था, जिसको बाद में उसी सहायक रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं एक आदेश दिनांक 26.2.92 द्वारा पुनर्जीवित किया जा चुका है । श्री रिणवाह उक्त समिति के प्रतिनिधि के रूप में सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में संचालक एवं परिणामस्वरूप अध्यक्ष पद पर हैं ।

(सहकारिता मंत्री)

(5) जी नहीं। श्री रिणवाह नागौर युवक श्रमिक ठेका सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं। अतः सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में अध्यक्ष पद पर बने रहने का उन्हें अधिकार है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

धरियावद (उदयपुर) की पंचायतों में विश्राम गृह

785. श्री नारायण लाल (लसाडिया) : क्या विशिष्ट-योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1988 से 1992 तक पंचायत समिति धरियावद में किन-किन पंचायतों में कितने विश्राम गृह बने हैं ?

(2) ग्राम पंचायत अणत में विश्राम गृह पर कितने रुपये खर्च हुए हैं और क्या वहां विश्राम गृह बना भी है ? यदि हां, तो क्या मौजूद है और नहीं तो इसमें कौन-कौन दोषी हैं और सरकार क्या इसकी जांच करायेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति धरियावद में वर्ष 1988 से 1992 तक 8 ग्राम पंचायतों में 10 विश्राम गृह बनाये गये। विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) ग्राम पंचायत अणत में कोई भी विश्राम गृह नहीं बनाया गया है।

पंचायत समिति धरियावद में बने विश्राम गृहों का पंचायतवार विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्थल (ग्राम)	ग्राम पंचायत
1.	यात्री विश्राम गृह (बसस्टेण्ड)	धोलिया	धोलिया
2.	,,	लसाडिया	लसाडिया
3.	,,	भटवाडा	भोजपुर
4.	,,	वेसाखिया	अम्गड़
5.	,,	आजंनी	अम्गड़
6.	,,	धामनियां	धामनिया
7.	,,	बलीचा	बलीचा
8.	,,	घाटा	धामनिया
9.	,,	भुवारियाकुआं	धावडी
10.	,,	पुसारिया	ढिकिया

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 1992)

माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा) की ऊपरमाला की भूमि पर अतिक्रमण

477. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा जिले के माण्डल गढ़ क्षेत्र के ऊपरमाला में बिलानाम कृषि व अकृषि भूमि पर खनन कार्य करने वाले व्यक्तियों ने किस-किस खसरा नम्बर की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है ?

(2) ऐसे कब्जे व अतिक्रमण के लिए कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की माण्डलगढ़ तहसील के ऊपरमाल क्षेत्र में बिलानाम कृषि व अकृषि भूमि पर अवैध खनन कार्य करने वाले कुल 471 व्यक्तियों से सम्बन्धित सूचना संलग्न है। विवरण पताका "क" पर उपलब्ध है।

(2) अतिक्रमण कर अवैध खनन-कर्त्ताओं के विरुद्ध राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर किया गया एवं अवैध खनन कर्त्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही कर दण्डित किया गया। पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई। राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 89 (7) के तहत 353 व्यक्तियों के विरुद्ध शास्ति आरोपित की गई। शेष व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट–2

अतारांकित प्रश्न संख्या 1218 की प्रति

कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

क्रमांक : एफ 12(2)(37)राजस्व/87/9697 दिनांक 12.7.88

श्रीयुत् राजस्व सचिव,
राजस्व (उपनिवेशन) विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय :—श्री अजीतकुमार सिंह पूर्ववर्ती उपजिलाधीश, रायसिंहनगर द्वारा किए गए भूमि आवंटन की जांच ।

आदरणीय महोदय,

श्री अजीतकुमार सिंह पूर्ववर्ती उपजिलाधीश, रायसिंहनगर द्वारा किए गए भू-आवंटन के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्ति उपरान्त, भू-आवंटन की पत्रावली मंगवाई गई तथा इन समस्त पत्रावलियों में राजकीय अभिभाषक की राय भी ली गई ।

इन द्वारा किए गए भू-आवंटन के सम्बन्धित मूल पत्रावलियां, राजकीय अभिभाषक की राय मय जिला कार्यालय की टिप्पणी के संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि श्री अजीतकुमार सिंह तत्कालीन उपखण्डाधिकारी द्वारा अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में यह व्यक्त किया है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता उनसे प्रेजुडिस (भ्रांत धारणा) है अतः इन द्वारा किए गए भू-आवंटन की जांच किसी अन्य अधिकारी से कराई जाये तो न्याय संगत होगा ।

संलग्न : उपरोक्त । भवनिष्ठ,

ह०

(राम लुभाया)

जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 1219 की प्रतियां

प्रतिलिपि वित्त (ग्रु.प-4) विभाग के पत्रांक प-9 (24) वित्त/ग्रु.प-4/90 जयपुर दिनांक 4 अक्टूबर, 1991 जो महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक अजमेर को प्रेषित है।

विषय : दैनिक वेतन पर कर्मचारी नियुक्त करने की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु।

महोदय,

आपके पत्र क्रमांक 3142/प.मु./9192 दिनांक 11–9–1991 के संदर्भ में निदेशानुसार लेख है कि आप द्वारा वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। (एक) चौकीदार ठेके पर (detctive agencies) के जरिये लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की अन्तर्विभागीय सहमति सं. 2154 दिनांक 27–9–1991 से प्राप्त कर जारी की जा रही है।

भवदीय,

एसडी–

(आर. आर. गुप्ता)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि वित्त (ग्रु.प-4) विभाग के पत्रांक एफ-9 (24) वित्त/ग्रु.प-4/90 जयपुर, दिनांक 17–3–92 को महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर को प्रेषित।

विषय : संविदा के आधार पर रखे गये श्रमिकों को की मजदूरी भुगतान बाबत प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के क्रम में।

महोदय,

आपके पत्र क्रमांक एफ–1/लेखा/बजट/बीएफसी 91–92/19449 दिनांक 28-2-92 के संदर्भ में निदेशानुसार लेख है कि आप द्वारा वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविदा के आधार पर रखे गये श्रमिकों को दिनांक 5-10-91 से 22-2-92 के भुगतान बाबत स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि भविष्य में वित्त (व्यय–3) विभाग की स्वीकृति लेने के पश्चात श्रमिकों को रखने की व्यवस्था की जावे ताकि वित्तीय नियमों की अनुपालना की जा सके ।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–3) विभाग की अन्तर्विभागीय सहमति सं. 619 दिनांक 11-3-92 से प्राप्त कर जारी की जा रही हैं ।

भवदीय,
एसडी–
उप शासन सचिव

–×–

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 1228 की सूची

अन्नादास की बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर की पंजीयन के समय की प्रबन्धकारिणी दिनांक 27.9.72

1.	श्री जगतराम पुत्र श्री रामचन्द्र	अध्यक्ष
2.	,, हरसहाय पुत्र श्री हट्टीराम	मन्त्री
3.	,, मयसिंह पुत्र श्री नत्थूसिंह	कोषाध्यक्ष
4.	,, जगदीश प्रसाद बगहट्टा	उपाध्यक्ष
5.	,, भगवान पुत्र श्री दूलाराम	सदस्य प्र. का.
6.	,, सोहनसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह	,,
7.	,, बिन्दू खां पुत्र श्री अलाबक्स	,,
8.	,, महाराजुद्दीन पुत्र श्री नूर मोहम्मद	,,

एग्रीमेंट करते समय एवं वर्तमान प्रबन्ध कमेटी

1.	श्री पारसमल जैन	अध्यक्ष
2.	,, रतनलाल शर्मा	उपाध्यक्ष
3.	,, मनोहर लाल अग्रवाल	मन्त्री
4.	,, रमेश चन्द्र अग्रवाल	कोषाध्यक्ष
5.	,, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	सदस्य
6.	,, रघुवीर	,,
7.	,, बंशीधर अग्रवाल	,,
8.	,, पवन कुमार अग्रवाल	,,

(264)

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1229 का विवरण

अवसायनाधीन राजस्थान को–आपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन्स केडर आथोरिटी लि., के कर्मचारियों का विवरण

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	विवरण
संस्था में कार्यरत			
1.	श्री देवी लाल	च. श्रे. कर्म.	—
2.	श्री मंगल राम	च. श्रे. कर्म.	—
राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., में प्रतिनियुक्ति पर			
1.	श्री रविन्द्र कुमार पारीक	लिपिक	दिनांक 27.1.88 से प्रतिनियुक्ति पर
2.	श्री शैलेन्द्र भटनागर	लिपिक	दिनांक 27.1.88 से प्रतिनियुक्ति पर
3.	श्री जगन्नाथ प्रसाद वर्मा	लिपिक	दिनांक 23.7.88 से प्रतिनियुक्ति पर
4.	श्री सीता राम शर्मा	च. श्रे. कर्म.	दिनांक 15.12.88 से प्रतिनियुक्ति पर

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 1239 का विवरण

ABSTRACT

Detailed of Expenditurs Incurred by 24th Division Ignp Phalodi on Phalodi lift Canal

Amount in Lacs.

S.N.	Head of Exp.	Yearwise expenditure							
		84–85	85–86	86–87	87–88	88–89	89–90	90–91	91–92 upto 2/92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1.10
1.	Salary	—	18.22	9.72	12.20	12.56	5.02	—	—
2.	T. A.	—	.99	0.55	0.72	0.87	0.09	—	—
3.	Medical	—	0.24	0.20	0.20	0.23	10.02	—	—
4.	Office Exp.	—	0.89	0.41	10.36	0.35	0.07	—	—
	Total	—	20.34	10.82	13.48	14.01	5.20	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	7-Other works	—	1.02	—	—	0.02	0.19	2.23	0.47
6.	8-Machinory & Exp.	—	1.39	0.38	1.30	0.19	0.18	—	0.09
7.	11-Building	—	2.03	0.06	38.45	27.72	13.14	97.00	33.33
8.	12-Road & Bridges	—	—	2.51	56.42	39.95	8.47	1.88	0.65
9.	13-Canals	2.95	6.15	8.53	69.47	42.21	1.76	19.52	65.38
10.	14-Branches	—	0.01	—	—	—	—	—	—
11.	16-Func. Vehicles	—	1.69	4.19	5.28	4.45	2.48	1.84	1.28
	Total	2.95	32.63	26.49	184.40	128.55	31.42	122.47	101.2
	Net Sus.	—	10.14	10.98	1.92(-)	10.57	34.02	8.01(-)	7.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Grand Total :	2.95	42.77	37.47	182.48	117.98	65.44	130.48	93.70
	Ded, R/ R :	—	0.21	0.02	0.14	0.06	0.01	—	—
	Net Exp.	2.95	42.56	37.45	182.34	117.92	65.43	130.48	93.70
	Exp. incurred by Birsalpur Divn. I	—	0.14	0.65	—	—	—	—	—
		2.95	42.70	38.10	182.34	117.92	65.43	130.48	93.70

GRAND TOTAL = 673.62

(268)

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 1249 की सूची

राजकीय छात्रावास बापू आश्रम, समाज कल्याण विभाग, जयपुर
छात्र सूची वर्ष 1991–92

क्र. सं.	नाम छात्र	जाति	कक्षा	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	अनिल कुमार	मीणा	बारहवीं	ग्राम गागऊ तलाई, बांसवाड़ा
2.	कन्हैयालाल	मीणा	,,	,, गागऊ तलाई, बांसवाड़ा
3.	जगदीश प्रसाद	मीणा	,,	,, दौलतपुरा, जयपुर
4.	जगदीश कुमार	बैरवा	,,	,, नरसिंहपुरा, जयपुर।
5.	सुरेश कुमार	बैरवा	,,	,, अमरपुरा, टोंक।
6.	कन्हैयालाल रेसवाल	बैरवा	,,	,, लहसरी दौसा, जयपुर।
7.	गिरधारीलाल	रैगर	,,	,, हरमाड़ा, जयपुर।
8.	कमल किशोर	खटीक	,,	,, दौलतपुरा, जयपुर।
9.	शिवकुमार	बैरवा	ग्यारहवीं	,, नरवरिया, जयपुर।
10,	रमेशचन्द	बैरवा	,,	,, बीची, जयपुर।
11.	कजोडमल	बैरवा	,,	,, बीची, जयपुर।
12.	बाबूलाल	बैरवा	,,	,, चोदवा, कलां। जयपुर।
13.	चिरंजीलाल	बैरवा	,,	,, हिम्मतपुरा, टोंक।
14.	सुरेशकुमार परमार	धानका	,,	,, दौलतपुरा, जयपुर।
15.	दीपक कुमार	मीणा	,,	,, मोजू का तावडा, डूंगरपुर।
16.	हनुमान प्रसाद	बैरवा	,,	,, अमरपुरा टोंक।
17.	बनवारीलाल	बैरवा	दसवीं	,, सुरज का खेडा, टोंक।
18.	प्रेमचन्द	बैरवा	,,	,, उगरियावास, जयपुर।
19.	फूलचन्द	बलाई	,,	,, नीमेडा, जयपुर।
20.	रमेशचन्द	मीणा	,,	,, पालडी, सवाई माधोपुर।
21.	जगमोहन	मीणा	,,	,, नोबीसवा, सवाई माधोपुर।
22.	नन्द किशोर	मीणा	,,	,, मोजू का तावडा, डूंगरपुर।

1	2	3	4	5
23.	लक्ष्मणलाल	मीणा	दसवीं	ग्राम गामक तलाई, बांसवाड़ा।
24.	मिश्रीलाल	मीणा	,,	,, चौरावड़ा, बांसवाड़ा।
25.	रामराज	मीणा	नववीं	,, खाटकलां, सवाई माधोपुर।
26.	सम्पतलाल	मीणा	,,	,, बूरता, सवाई माधोपुर।
27.	हरीमोहन	बैरवा	,,	,, नरवरिया, जयपुर।
28.	श्योजी राम	बैरवा	,,	,, चन्द्रोतानपुरा, जयपुर।
29.	बद्रीनारायण	बैरवा	,,	,, नरवरिया, जयपुर।
30.	रामरतन	बैरवा	,,	,, नरवरिया, जयपुर।
31.	कन्हैयालाल	बैरवा	,,	,, ढाणी राजपुरा, जयपुर।
32.	प्रतिनारायण	बैरवा	,,	,, ढाणी राजपुरा, जयपुर।
33.	शंकरलाल	मीणा	आठवीं	,, नासमोदा, जयपुर।
34.	हरिनारायण	बैरवा	,,	,, चन्द्रोतानपुरा, जयपुर।
35.	मेवाराम	बैरवा	,,	,, चन्द्रोतानपुरा, जयपुर।
36.	रामदयाल	बैरवा	,,	,, अमरपुरा, जयपुर।
37.	दीपक कुमार	रैगर	,,	,, दौसा, जयपुर।
38.	मणीलाल	मीणा	,,	,, सादगडी, उदयपुर।
39.	बंशीलाल	खटीक	,,	,, महला, जयपुर।
40.	जसराम	मीणा	सातवीं	,, गनीपुर, सिकराय, जयपुर।
41.	श्रवणलाल	रैगर	बारहवीं	,, हरवंशपुरा, जयपुर।

(270)

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 768 की सूचियां

राजसमन्द जिले की नाथद्वारा तहसील के सी. उ मा. विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 5 वर्षों से बकाया यात्रा व मेडीकल बिल की शिक्षकवार सूची—

क्र. सं.	नाम शिक्षक	विद्यालय	बिल का मद	राशि	अवधि
1.	श्री ख्याली लाल सामोता व. अ.	रा.सी.उ.मा.वि., कोठारिया (राजसमन्द)	यात्रा व्यय	556/–	3/86 से 4/86 दि. 18 6.86

रा. सी. उ. मा. विद्यालय, कोठारिया के शिक्षकों के लम्बे समय से बकाया यात्रा व्यय बिलों की कारण सहित सूची—

नाम शिक्षक मय पद	यात्रा व्यय बिल की राशि एवं दिनांक	लम्बित रहने का कारण
1	2	3
श्री ख्यालीलाल सामोता व. अ., रा.सी.उ.मा.वि. कोठारिया (राजसमंद)	रु. 556/– 3/86 से 4/86 दि. 18.6.86	सम्बन्धित उपकोषाधिकारी ने इस बिल पर अन्य आक्षेपों के साथ मुख्य आक्षेप यह किया कि कोठारिया से नाथद्वारा की सड़क दूरी 8 किमी. से कम हैं अतः यात्रा भत्ता नियम 9 (2) (1) के अनुसार यात्रा भत्ता देय नहीं हैं। कोषाधिकारी, उदयपुर ने अपने पत्र दिनांक 11.2.88 से एवं निदेशक कोष एवं लेखा, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 4.9.87 से उक्त आक्षेप को सही

1	2	3
		पाया एवं दूरी के आधार पर यह यात्रा बिल पारित करने योग्य नहीं माना। सम्बन्धित शिक्षक ने यह आक्षेप स्वीकार नहीं किया। उसने निदेशक कोष एवं लेखा, जयपुर को 5.4.88 को एवं जिला कलक्टर (सतर्कता) उदयपुर को 21.4.88 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये। निदेशक कोष एवं लेखा ने पत्र दिनांक 25.6.88 से कोषाधिकारी उदयपुर को निर्देश दिए कि यह मूल यात्रा व्यय बिल जिला कलक्टर (सतर्कता) उदयपुर को निर्णयार्थ प्रेषित करे। इस प्रकार यह प्रकरण अभी लम्बित है।

परिशिष्ट -9

(प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव जो माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार पढ़े हुए माने गये)

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय : सिंचाई उपखण्ड कानोता के सहायक अभियन्ता के तूंगा सीमेन्ट स्टोर में हुई चोरी की घटना में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की साजिश एवं निर्दोष को अपने प्रभाव का उपयोग कर फसाने की नीति के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा कार्य एवं संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से श्रीमान सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय,

सिंचाई उपखण्ड कानोता जिला जयपुर के सहायक अभियन्ता श्री नरपतसिंह मिर्घा द्वारा 27 मार्च, 1991 का खारली सिंचाई परियोजना के लिए सीमेन्ट का मांग पत्र अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय जयपुर को प्रस्तु किया। जिसके आधार पर अधिशाषी अभियन्ता ने 29-3-91 को सहायक अभियन्ता कानोता को 2100 बोरी सीमेन्ट वेयर हाउस से कनिष्ठ अभियन्ता खारजी को ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचाने हेतु अधिकृत किया परन्तु ट्रांसपोटर को सहायक अभियन्ता ने 200 सीमेन्ट के बेग कानोता नहर के लिए निर्देश दे दिए जिससे ट्रांसपोटर ने (900) बेग ही खारली बांध के कार्य हेतु तूंगा स्टोर पहुंचवाया वे 200 बेग वहां नहीं पहुंच कर अन्यत्र जगह गये। उसके पश्चात दिनांक 30-7-91 को सहायक अभियन्ता के आदेश से कनिष्ठ अभियन्ता खारली ने कनिष्ठ अभियन्ता कानोता नहर को दिए।

मान्यवर दिनांक 14/15 सितम्बर को कनिष्ठ अभियन्ता कानोता ने अधिनस्थ कर्मचारी रामराय मिस्त्री को निर्देश दिए कि तूंगा स्थित स्टोर से रात को 500 बेग चोरी हो गये हैं कि सूचना एफ.आई.आर. रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाये। रामराय मिस्त्री ने दिनांक 16.9.91 को पुलिस थाना बस्सी में सीमेन्ट चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवायी।

श्री पुलिस में रिपोर्ट सीमेन्ट चोरी दर्ज होने पर जांच कार्यवाही प्रारम्भ की पुलिस ने अपनी जांच में सीमेन्ट चोरी होना न पाकर सीमेन्ट का गबन होना पाया और गबन में षड़यन्त्र में रिपोर्टकर्त्ता श्री रामराय के विरुद्ध अदालत में चालान प्रस्तुत कर दिया परन्तु उच्च अधिकारी सहायक अभियन्ता कानोता जिसमें स्वयं ने निर्देश देकर सीमेन्ट अन्यत्र जगह भिजवाई उनका अभी तक विभाग या पुलिस द्वारा

किसी तरह की कार्यवाही नहीं की अपितु उनके दबाव में मूल रिकार्ड में हेराफेरी करने हेतु उसी स्थान तथा वहीं पर आसीन है।

मान्यवर उसकी जांच हेतु श्री मुख्य अभियन्ता सिचाई राजस्थान ने अधीक्षण अभियन्ता एच.जी. आचार्य को तूंगा स्टोर से चोरी गई सीमेन्ट प्रकरण की जांच हेतु नियुक्त किया। श्री आचार्य ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि स्टोर की सुरक्षा का दायित्व सहायक अभियन्ता का माना है। उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट में भौतिक सत्यापन न करने का दोषी भी सहायक अभियन्ता को ही माना है।

श्रीमान इस प्रकरण से कई तथ्य उजागर हो रहे हैं माननीय मंत्री महोदय अपने प्रत्युत्तर में दर्ज तथ्यों पर भी प्रकाश डाले :–

1. 14-10-91 को मुख्य अभियन्ता सिचाई को जांच रिपोर्ट अधिक्षण अभियन्ता द्वारा भेज दिए जाने के पश्चात भी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है।

2. जिस व्यक्ति पर गबन में भागीदार होने का पुलिस को सन्देह है उस व्यक्ति को उसी स्थान पर रखकर गबन करने के कारण क्या वह अपने बचाव में सम्बन्धित रिकार्ड को तथा प्रमाणों को नष्ट नहीं कर देगा।

3. सही जांच होने के लिए सम्बन्धित आरोपियों का न केवल स्थानान्तरण होना अनिवार्य है अपितु निलम्बित किया जाना भी अति आवश्यक है।

मान्यवर मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि भ्रष्ट प्रभावी व्यक्ति के हाथों सिचाई विभाग को बरबाद होने से बचाने के लिए सहायक अभियन्ता कानौता को तुरन्त निलम्बित करें।

भवदीय,

दिनांक 28-3-92

ह०

(मदनलाल सैनी)

वि. स. 105

–X–

विषय : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के वर्तमान निदेशक डा. पुरूषोत्तम नागर के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी तथा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करने हेतु।

274

महोदय,

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के वर्तमान निदेशक डा. पुरूषोत्तम नागर के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष इस दृष्टि से प्रस्तुत कर रहा हूं कि हम उनके मामले में पुनर्विचार कर सकें तथा उनको पूर्ण न्याय प्रदान कर सकें।

डा. नागर की उपयुक्त पूर्णकालिक निदेशक पद पर नियुक्ति दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर उच्चाधिकार युक्त चयन समिति की अनुशंसा पर 1981 में हुई थी। उनके द्वारा 31.12.81 को उक्त पद भार ग्रहण किया गया। जनवरी, 8, 1985 को उनकी सेवायें अकस्मात रूप से समाप्त कर दी गई। 31.12.81 से 8-1-85 के मध्य उनके द्वारा जो कार्य अकादमी के हित में किये गये, उनकी पूर्णत: अनदेखी करते हुए उनके हटाने के आदेश जारी किये गये। कांग्रेस शासन की मनमानी ने उन्हें लोक सभा के भूतपूर्व सांसद बिरदीचन्द जैन के निकट रिश्तेदार बी. एम. जैन, सहायक निदेशक को अनियमित रूप से पुन: रखने तथा सेवामुक्त किये जाने के बाद भी उसकी झूंठी उपस्थिति बता कर उसे न केवल पुन: कार्य करने की इजाजत तथा वेतन का फर्जी बिल बनाकर भुगतान करने के मौखिक निर्देश न मानने के कारण श्री बी. डी. कल्ला एवं श्री शिवचरण माथुर द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया।

उनके द्वारा श्री हरिदेव जोशी के शासन काल में दिये गये ज्ञापन के आधार पर उन्हें अकारण हटाये जाने के बारे में कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन निहित स्वार्थों ने इसे पूर्ण नहीं होने दिया। 1987 में आप स्वयं द्वारा विधान सभा विपक्ष दल के नेता के रूप में उक्त प्रकरण में पत्र द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री दामोदर दास आचार्य द्वारा विधि सचिव, शिक्षा सचिव, महाधिवक्ता तथा विधि मंत्री की राय के उपरान्त फरवरी, 1987 में पुन: पदस्थापित करने के आदेश जारी किये गये, किन्तु नौकरशाही तथा अकादमी में कार्यरत कतिपय व्यक्तियों ने, जिनके विरुद्ध डा. नागर ने लाखों की हेराफेरी, गबन तथा- चोरियों के प्रमाणित आरोपों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके हटाये जाने के पूर्व प्रारम्भ कर दी थी, उन्हें किसी प्रकार से अकादमी में पुन: नहीं आने देने के कार्य में कोई कसर नहीं रखी।

उक्त प्रकरण में पुन: श्री बी. डी. कल्ला तथा श्री शिवचरण माथुर ने कोई कार्यवाही नहीं होने दी। श्री हरिदेव जोशी के मुख्य मंत्रित्वकाल में पुन: श्री दामोदर दास आचार्य द्वारा डा. पुरुषोत्तम नागर के संदर्भ में प्राप्त नवीनतम तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए तथा महाधिवक्ता की राय पर पुन: पदस्थापित करने के आदेश 2.1.90 को किये गये। उसी दिन डा. नागर ने पदभार भी ग्रहण कर लिया। चूंकि गलत कारणों से इन्हें हटाया गया था, इस कारण न केवल इन्हें अनुपस्थित काल का समस्त वेतन ही दिया गया, अपितु इन्हें वेतन वृद्धियां स्वीकार करते हुए परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर स्थायी भी कर दिया गया।

उन निहित स्वार्थों को यह न गवारा लगा, और उन्होंने श्रीमती सुमित्रा सिंह के माध्यम से न केवल इनका वेतन ही रुकवा दिया बल्कि इन्हें निदेशक पद के समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया। उच्च न्यायालय में इनके पक्ष में निषेधाज्ञा के उल्लघन तथा न्यायालय की अवमानना में श्रीमती सुमित्रा सिंह द्वारा क्षमा याचना की गई। और उन्हें नाम मात्र का वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया गया। फिर भी इन्हें निदेशक के पद का कार्य नहीं करने दिया और एक अंग्रेजी के व्याख्याता को हिन्दी अकादमी सहायक निदेशक लगाकर उसे समस्त कार्य सौंप दिया गया।

उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए मेरा आपसे यह आग्रह है, कि आप समस्त प्रकरण पर पुनर्विचार हेतु डा. पुरूषोत्तम नागर पर लगाये गये मनगढंत आरोपों की जांच किसी ऐसे व्यक्ति से करायें, जो उन समस्त आरोपों के सम्बन्ध में प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के अन्तर्गत इनका पक्ष भी सुनने का अवसर दे और उपलब्ध सही तथ्यों के आधार पर सत्य निर्णय करें। केवल मनगढंत आरोपों के आधार पर, कतिपय स्वार्थी तत्वों के कुचक्र से, किसी अधिकारी को बिना सुनवाई का अवसर दिये भ्रष्टाचारी घोषित करने तथा अपमानित कर सेवा से पृथक करने का महादण्ड देने का यह उपक्रम किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। केवल उच्च न्यायालय की तकनीकी शैली में किसी अधिकारी को दस वर्ष तक "प्रोबेशनर" मान कर उसे बिना कारण बताये नौकरी से हटाने का यह प्रयास अन्याय एवं अत्याचार की श्रेणी में ही आयेगा। ऐसे भी प्रकरण अब देश के सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अतः अच्छा यही होगा कि हम न्याय का तिरस्कार न करें। डा. पुरूषोत्तम नागर को इनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संदर्भ में अपना पक्ष पूर्णतः प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना न्यायोचित ही नहीं अपितु प्रशासन की सर्वोच्च मर्यादा का पोषक रहेगा।

आप जैसे न्याय प्रिय मुख्य मंत्रीजी से, जो स्वयं डा. पुरूषोत्तम नागर की व्यथा से अवगत है, मेरा यह अनुरोध है कि आप समस्त प्रकरण पर पुनर्विचार करायें तथा इन्हें वेतन देने के भी आदेश प्रदान करें।

ह०
दिनांक 27.3.92
(शिव किशोर सनाढ्य)

-x-

विषय : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ब्रज अकादमी प्रकाशन द्वारा राष्ट्र भाषा हिन्दी तथा हिन्दी के स्तम्भ साहित्यकारों को तिरस्कार करने से उत्पन्न स्थिति

एवं हिन्दी प्रेमियों में व्याप्त रोष के संबंध में विशेष उल्लेख कर माननीय भाषा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने हेतु

महोदय,

राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी द्वारा हाल ही में श्री रामबाबू शुक्ल का मोनोग्राम प्रकाशित किया है। इस मानोग्राफ में राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा हिन्दी के स्तम्भ साहित्यकारों का भारी तिरस्कार और अपमान किया गया। मुझे बड़े दुःख के साथ सदन के सामने कहना पड़ रहा है कि इस मोनोग्राफ में सम्पादक श्री मोहनलाल मधुकर ने ब्रज भाषा अकादमी से प्रकाशित इस मोनोग्राफ में ऐसे अंश प्रकाशित किये हैं जिससे सिद्ध होता है कि ब्रज भाषा की प्रगति और विकास में सबसे बड़ी बाधा हिन्दी है। इससे एक ओर ब्रज भाषा अकादमी के संविधान का घोर उल्लंघन हुआ है तथा इसके साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी का अपमान हुआ है। मोनोग्राफ क्रम 17 श्री रामबाबू शुक्ल के पृष्ठ 39 पर लिखा है ब्रजभाषा के विद्वानों को हिंदी से ईर्ष्या करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अकादमी में अनेक आयोजनों में आपसी बातचीत है यह बात स्पष्ट रूप से उभरकर आई है कि अधिकांश ब्रज भाषा के विद्वान पानी पी-पी कर हिन्दी को कोस रहे हैं कोई महावीर प्रसाद द्विवेदी को सबसे अधिक दोषी मानते हैं कोई भारतेन्दु हरिशचंद्र को और कोई रामचंद्र शुक्ल को। पर यह सबका दृढ़ निश्चय है कि जो ब्रज भाषा को रोक रही है वह हिन्दी भाषा इतना बड़ा और कोई दुश्मन नहीं इसका। इसका इलाज यह है कि हर स्तर पर हिन्दी का विरोध किया जाये तभी ब्रज भाषा का विकास होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ब्रज भाषा के विकास में हिन्दी बाधा है। इस प्रकार की संकुचित प्रवृत्ति से प्रदेश की विभिन्न लोक भाषाओं में परस्पर द्वेष उत्पन्न हो सकता है जिससे प्रदेश में विभिन्न भाषाओं के मध्य जो सामंजस्य बना हुआ है उसको भारी आघात लग सकता है। सरकारी अनुदान से चलने वाली संस्था द्वारा राष्ट्रभाषा का ही अपमान नहीं किया गया है अपितु हिन्दी के उन स्तम्भ साहित्यकारों पर भी कीचड़ उछाली गई है जो राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नायक ही नहीं रहे हैं अपितु जिनका हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अद्वितीय योगदान रहा है।

राष्ट्र भाषा हिन्दी का इस प्रकार तिरस्कार और अपमान करके ब्रजभाषा अकादमी के अधिकारी पता नहीं ब्रजभाषा की कौन सी सेवा कर रहे हैं। स्मरणीय है कि ब्रजभाषा अकादमी पूरे भारत में अपने प्रकार की अकेली अकादमी है और इसकी स्थापना राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से मिले उस धन से की है जो लोक भाषाओं के उत्थान के लिए दिया जाता है उसकी समस्त देश में सराहना हुई है। ब्रज साहित्य के प्रकाशन विचार गोष्ठियों के आयोजना समस्त राजस्थान के कोने-कोने हुए हैं ब्रजभाषा अकादमी ने राजस्थान के साहित्य के देश में जो अलग जमाई थी उस परम्परा

को आगे बढ़ाने के स्थान पर वर्तमान ब्रज अकादमी अध्यक्ष श्री मोहन लाल मधुकर को हिन्दी की ब्रज भाषा को विरोधी बताकर क्या हासिल करना चाहते हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उक्त मोनोग्राफ को तत्काल जब्त कर ब्रज अकादमी के वर्तमान अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये तथा इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए जिसमें प्रदेश के भाषायी सामंजस्य को खण्डित करने का षड्यन्त्र किया जा रहा है इससे प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव भी सक्रिय हो सकता है।

भवदीय
ह०
(मो. माहिर आजाद)
वि. स.–122

–×–

विषय : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत नागौर के अलावा मकराना को जिला बनाने बाबत।

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम 295 के तहत नागौर जिले के दो जिले बनाकर दूसरा जिला मकराना कस्बों को बनाने के लिए ध्यान राज्य सरकार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रजातन्त्र में जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने एवं विकेन्द्रीयकरण की नीति होनी चाहिये।

नागौर जिला जनसंख्या के हिसाब से एवं क्षेत्रफल के हिसाब से कई जिलों से बड़ा है, नागौर जिले में कुल 8 तहसीलें हैं एवं एक मकराना अतिरिक्त तहसील है। नागौर जिले की आठ तहसीलों में तीन तहसीलों जायल, मेड़ता, डेगाना की दूरी जिला मुख्यालय से 82 किलोमीटर से कम है एवं चारों तहसीलों जैसे नागौर, जायल, मेड़ता, डेगाना की जनसंख्या भी करीब 8 लाख है एवं बकाया चार तहसीलों, लाडनू, डीडवाना, नावां परबतसर की दूरी जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है एवं इन चारों तहसीलों की जनसंख्या भी करीब 8 लाख के आसपास है।

नागौर जिला मुख्यालय दूर पड़ने से नावां की जनता को 200 कि.मी. तक परबतसर की जनता को 175 कि.मी. तक, मकराना की जनता को 125 कि.मी. व लाडनू की जनता को 150 कि.मी., डीडवाना की जनता को 125 कि.मी. तक जिला मुख्यालय पर कार्य के लिए जाना-आना पड़ता है जिससे जनता की समय व आर्थिक क्षति होती है व नावां तहसील क्षेत्र के पूर्वी सीमा से नागौर जाने व वापस अपने क्षेत्र में आने के लिए 4 दिन लगते हैं एवं जिला मुख्यालय पर यदि कोई अधिकारी नहीं

मिलता है तो और भी ज्यादा समय लग जाता है। राज्य सरकार ने वर्ष 1991 में 27 जिलों से तीन जिले और बढ़ाकर 30 जिले किये हैं। इससे पहले भी जनता की सुविधा के लिए नागौर जिले के भी दो जिले बनाकर जनहित में मकराना को एक और जिला बनाने की जनता व मैंने मांग की है लेकिन मकराना को जिला नहीं बनाया गया है। मकराना को अतिरिक्त तहसील है इसमें अधिशासी अभियन्ता, राज. राज्य विद्युत मण्डल, वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय, सहायक अभियंता खनिज, सहायक कलक्टर; न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय है एवं मकराना कस्बे की जनसंख्या भी 80 हजार के आसपास है व नावां, परबतसर, डीडवाना, लाडनू तहसील क्षेत्र के बीच में है व जिला मुख्यालयों के लिए उपयुक्त स्थान है।

अतः मैं इस संबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिले के दो जिले किये जाकर तहसील नांवा, परबतसर, डीडवाना व लाडनू को नागौर से अलग कर मकराना को जनहित में अलग जिला बनाया जावे ताकि जनता को सुविधा मिले।

भवदीय,
ह०
वि. स. 92

–×–

विषय : विधान सभा की प्रक्रिया एवं नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत जोधपुर से सोजत के लिए द्रुतगामी बसे संचालित करने एवं जयपुर-अहमदाबाद बस का स्टाप सोजत करने के विशेष उल्लेख के संबंध में।

श्रीमान्,

निवेदन है कि सोजत सिटी से प्रतिदिन काफी संख्या में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में मुवक्किल एवं अधिवक्तागण जाते हैं तथा व्यापारी गण एवं यात्री भी भारी संख्या में जाते-आते हैं। मगर जोधपुर से सोजत के लिए सीधी द्रुतगामी बसें संचालित नहीं होने के कारण सोजत सिटी से पाली तथा जोधपुर से पाली आकर यात्रियों को बसें बदलनी पड़ती है जिसके कारण काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है तथा नियत समय पर नहीं पहुंचा जा सकता इससे समय व धन का भी अपव्यय होता है सोजत सिटी पाली के पश्चात् सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है उक्त क्षेत्र के लोगों एवं जनप्रतिनिधियों ने सोजत से जोधपुर व जोधपुर से सोजत सिटी हेतु द्रुतगामी बसें संचालित हेतु मांग करते आ रहे हैं। गत विधान सभा सत्र के

प्रश्न संख्या 17 में माननीय यातायात मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया था कि "वर्तमान में जोधपुर से सोजत के लिए एक द्रुतगामी सेवा संचालित की जा रही है तथा सोजत से जोधपुर के लिए दो द्रुतगामी सेवायें संचालित की जा रही है मगर उक्त आश्वासन को कार्यरूपेण परिणित नहीं किया गया जो खेद का विषय हैं। अतः उक्त आश्वासन को अविलम्ब कार्यरूपेण परिणित कर क्षेत्र की जनता को हो रही असुविधाओं का समाधान कर द्रुतगामी बसें प्रारंम्भ कराई जावे।

जयपुर से अहमदाबाद की बसें संचालित है उक्त बस में जयपुर से सोजत सिटी का टिगर यात्रियों को दे दिया जाता है मगर यात्रियों को रात्रि में सोजत सिटी से 2 कि. मी. दूरी पर उतार दिया जाता है जिससे यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सोजत सिटी से बड़ी संख्या से क्षेत्र व्यापारी एवं यात्री अहमदाबाद जाते रहते हैं। अतः उक्त जयपुर अहमदाबाद बस को सोजत सिटी बस स्टाप पर रुकने के आवश्यक निर्देश दिये जायें ताकि यात्रियों को हो रही असुविधाओं का निराकरण हो सके।

अतः यातायात मंत्री जी से निवेदन है कि जोधपुर से सोजत सिटी के लिए तीन द्रुतगामी बसें संचालित करावे एवं जयपुर-अहमदाबाद बस का स्टाप सोजत सिटी में करने के आवश्यक निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को देने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह०
(लक्ष्मीनारायण दवे)
वि.स. 155

–×–

विषय : प्रक्रिया के नियम 295 के अधीन सूचना।

महोदय,

अजमेर जिले की अन्तिम सीमा पर ऐतिहासिक कस्बा टाडगढ़ जो कि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है वहां 6 किलोमीटर दूर एक पिकनिक स्थल है जिसका नाम है दूधेश्वर महादेव है। टाडगढ़ कस्बा जो कि कर्नल टाड ने बसाया था अजमेर जिले का आखरी कस्बा है। यहां पर उप तहसील कार्यालय, पुलिस थाना व उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रों व छात्राओं के लिए अलग-अलग है यहां से हर परिवार से कम से कम एक आदमी देश की रक्षा हेतु फौज में भर्ती है। ऐसे महत्वपूर्ण कस्बे से 6 किलोमीटर दूर एक दूधेश्वर महादेव नाम का एक बहुत अच्छा पिकनिक स्थल है। वहां पर किसान विश्राम गृह के साथ-साथ यात्रियों के ठहरने की पूर्ण व्यवस्था है।

यह अरावली की घनी पहाड़ियों के जंगल के मध्य स्थित है। यहां पर एक झरना चलता है जो अनादिकाल से हमेशा चलता रहता है। यहां तक कि अकाल में भी कभी बन्द या कम नहीं हुआ है।

इस उप तहसील टाडगढ़ से दूधेश्वर महादेव की 6 किलोमीटर की सड़क पक्की बन जाने से पिकनिक मनाने वालों को बहुत आसानी होगी। यह रोड़ आगे सोजत रोड़ से होता हुआ पाली राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 14 को जोड़ता है। टाडगढ़ से दूधेश्वर महादेव तक कच्ची सड़क बनी हुई है। उस पर गिट्टी व डामरीकरण हो जाने से पाली जाने वालों को लगभग 100 किलोमीटर का चक्कर बच जायेगा। जिससे समय व धन दोनों की बचत होगी। अतः उस पर डामरीकरण की आवश्यकता को देखते हुए शीघ्र कार्यवाही करने व पक्की सड़क बनाने के आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करावें।

धन्यवाद। भवनिष्ठ

ह०

(चम्पालाल जैन)

विधायक

विधान सभा क्षेत्र–ब्यावर–42

–X–

विषय :—नियम 295 के तहत सूचना।

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ में विद्युत विभाग के कार्यालय में एक ट्रक जो कि 1967 का मॉडल है वह प्रायः खराब पड़ा है वह काम में आने योग्य नहीं है जिसके कारण विद्युत सम्बन्धित कार्यों में काफी समस्याओं का सामना विभाग को करना पड़ता है तथा कार्य भी समय पर नहीं पूर्ण हो पाते हैं।

महोदय मेरे जिला चूरू की 7 तहसीलों में से 6 को क्रमशः चूरू में टोयटा, राजगढ़ में टोयटा, तारानगर में जीप, सरदारशहर में जीप, रतनगढ़ में टोयटा तथा सुजानगढ़ में टोयटा आवंटित की जा चुकी है परन्तु मेरी तहसील श्री डूंगरगढ़ को वंचित रखा गया है ऐसा क्यों ? अतः इस प्रस्ताव के जरिये मेरी मांग है कि श्रीडूंगरगढ़ तहसील के विद्युत विभाग को तत्काल एक ट्रक अथवा टोयटा अथवा जीप आवंटित तत्काल की जावे ताकि क्षेत्र में विभाग सम्बन्धित कार्य प्रगति की ओर अग्रेसर हो सके।

ह०

दिनांक 31.3.92 (किशनाराम नाई)

वि. स. 19

विषय :—प्रक्रिया के नियम 295 के तहत चित्तौडगढ़ जिले में चरागाह, रिजर्व फोरेस्ट खेतों-खलियानों की मारवाड़ से आने वाली भेड़ों से बचाने के क्रम में सूचना।

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बेगू में हर साल मारवाड़ से लाखों की तादाद में भेड़े आती है ये भेड़े हर साल किसानों के बीडो की खडी फसलों को गांवाई चरागाहों को एवं सरकारी रिजर्व फोरेस्ट आदि को भेल देती है भारी नुकसान पहुंचाती है इनके चराने वाले ग्वाले स्थानीय किसानों की कोई बात नहीं सुनने और किसानो के अपनी फसल बचाने की बात कहने पर मरने मारने को उतारू हो जाते हैं और जबरन अपनी आखो के सामने खडी फसलें बीड चरागाह नष्ट कर डालते हैं ये ग्वाले साथ में लठ और गोपण रखते हैं जिससे गांव वाले किसानों पर वार करने में देर नहीं करते कई बार आपसी झगड़ों में जाने तक गई है। कई वार वन-विभाग के उन बन्द जंगलों को भी भेल देते है। जिनमें गांव के पशु प्रवेश नहीं कर सकते और स्थानीय गांव के पशु अगर बन्द जंगल में प्रवेश कर जाते हैं तो फोरेस्टर उन पशुओं को काइन हाउस में बाडकर भारी जुर्बाने वसूल करते हैं किन्तु इन मारवाडी भेड़ो के ग्वालों के आतंक को देखकर फोरेस्टर की हिम्मत नहीं होती भेड़ों को बाहर निकाल दे वे भी खडे-खडे रिजर्व फोरेस्ट को नष्ट होते देखते रहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं भेड़ों वरसों से सुरक्षित पैदा किए हुए पेड़ों को भी बेरहमी से काटकर चरागाही कर देते हैं सारा जंगल बरबाद कर देते हैं।

अतः मेरा अनुरोध है कि इन भेड़ों को हमारे क्षेत्र में आने से रोका जाय और प्रदेश में जहां रिक्त-उपयुक्त स्थान हो वहां इन भेड़ो के लिए चरागाह कायम किया जाय ताकि जन-धन-वन को होने वाली हानि से बचाया जा सके।

भवदीय

सधन्यवाद, ह०

(चुन्नी लाल धाकड़)

वि. स. 47

–X–

विषय :–नियम 295 के तहत राज्य में सस्ता न्याय जनता को मिले उसके सम्बन्ध में सूचना।

महोदय,

आम नागरिकों को सहज न्याय सुलभ कराने के लिये वर्षों से सरकारी प्रयास

जारी है, फिर भी आज हमारे देश और प्रान्त की ज्युडिशियल और नोन ज्युडिशियल कोर्ट में हजारों की तादाद में मुकदमें लम्बित पड़े है और न्याय प्राप्ति की आशा में आशार्थी बचपन से बुढापे तक का सफर तैय कर लेता है, लेकिन मुकदमों द्रोपती के चीर की तरह लम्बा होता जाता है, इसके लिये हमारी कानूनी प्रक्रिय दोषी है।

शीघ्र न्याय प्राप्ति में विलम्ब के लिये केवल कानूनी प्रक्रिया ही दोषी नहीं है, विधि वेताओं का भारी योगदान है शीघ्र न्याय प्राप्ति के लिए मेरा सुझाव है कि किसी भी कोर्ट में वाद पत्र पेश हो उसी तिथि पर वादी के वकीलो को अगली पेशी पर अपने सारे सबुत पेश करने हेतु कहा जावे, उसमें विफल रहने पर वाद पर फैसला करने का कानून में प्रावधान होना चाहिये, इसी प्रकार विपक्षी को एक अवसर के बाद दूसरा अवसर नहीं दिया जाना चाहिये। इससे शीघ्र व सहज न्याय प्राप्त होगा। साथ ही भविष्य में मुकदमों की संख्या भी नहीं बढ़ेगी।

इसी प्रकार अपील सुनने वाली अदालतों में भी पुन: वाद भी पुरी ट्राईल नहीं होनी चाहिये। अदालत केवल पत्रावली में लिखे बयानों एवं दस्तावेजों पर ही अपना फैसला देवें, अगर अदालत आवश्यक समझे तो केवल पक्ष व विपक्ष के वकीलों की वाद पर बहस सुन लें और अपना निर्णय सुना देवें। उपरोक्त शीघ्र संभव नहीं होता निम्न सुझाव पर विचार किया जाना उचित होगा :–

वकीलों को कानूनी रूप से बाध्य किया जावे कि अपने क्लाइन्ट को पेशी देने के समपर अपने हस्ताक्षर सहित पत्र देवें जो न्यायालय से प्रमाणित कराया गया हो, इस तरह कई ऐसे तरीके हैं जिससे सस्ता न्याय व शीघ्र न्याय मिल सकता है इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

भवदीय,

दिनांक

ह०

(श्रीचन्द कृपलानी)

वि. स. 169

–×–

विषय :–प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सूचना।

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत रसद विभाग में ई. ओ. श्री मदन सिंह द्वारा व्यापक अनियमितता बरती जा रही है। जिसके कारण भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। स्वयं ई. ओ. पूर्ण रूप से लिप्त हैं इस ई. ओ. पर पूर्व में भी अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुये हैं एवं निलम्बित हुआ था परन्तु स्टे लाकर बैठ गया था। सरकार

ने इसके कारनामों के कारण हटाया था। करीब 1 वर्ष पूर्व यह बाली पदस्थापित हुआ था। हम सब विधायकों ने मिलकर इसके विरूद्ध लिखित शिकायत माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान सरकार को दी थी। तथा पूर्व जिला कलक्टर ने भी इसका विरोध किया था। क्योंकि यह भ्रष्ट कुख्यात अधिकारी है। फलस्वरूप पुनः बाली से स्थानान्तरण अन्यन्त्र हो गया था। परन्तु गलत तरीके से स्टे लाकर एवं सरकार की आखों में धूल झोंककर पुनः बाली की जनता का शोषण कर रहा है। अब इसने पुनः गलत हरकते प्रारम्भ कर दी है। जिसकी समस्त जानकारी बाली एस. डी. ओ. को है परन्तु एस. डी. ओ. साहब आवश्यकता से ज्यादा भले हैं एवं इनकी ठिलाई के कारण मेरे विधान सभा बाली क्षेत्र में इसने खुली लूट मचा रखी है, जिसके कारण वनवासी क्षेत्र त्रस्त है। आदिवासियों को श्री मदनसिंह के एजेन्टों द्वारा खुला लूटा जा रहा है।

इसी प्रकार बाली नगर में तथा पूरे बाली क्षेत्र में इसके भ्रष्टाचार का बोल बाला है। जनता अत्यधिक कष्ट में है। जनता में एवं ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा तथा वनवासी क्षेत्र में स्वयं जिला कलक्टर महोदय ने जिन गरीब वनवासी बन्धुओं को कोटा देने हेतु चयन किया था उनके प्रार्थना पत्र गायब करके मनचाहे ढंग से भारी रिश्वत खाकर अन्य अयोग्य व्यक्तियों को डीलर कोटे दिये हैं जिससे पूरे क्षेत्र की जनता में आक्रोश है।

अतः समय रहते श्री मदन सिंह ई. ओ. को नहीं हटाया गया तो जनता को मजबूर होकर जन आन्दोलन करना पड़ेगा एवं किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेवारी सरकार की होगी।

भवदीय,

दिनांक :–28.3.1992

ह०

(अमृत लाल)

वि. स. 5

–X–

विषय –:अजमेर आनासागर झील में पानी आवक मुख्य स्त्रोत काजी के नाले की खुदाई व पक्का बनाने हेतु नियम 295 के अन्तर्गत सूचना।

महोदय,

अजमेर नगर के मध्य आना सागर नामक एक विशाल झील स्थित है कुछ वर्षों पहिले यह झील पानी से भरी रहती थी और शहर की सुन्दरता बढ़ाती थी।

284

इसके अलावा भी इस झील के भरे रहने से भूमिगत जल का स्तर काफी ऊपर था अब इस झील में पर्याप्त पानी नहीं आने से खाली रहती है और नाम मात्र का पानी रहता है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे चला गया है इस कारण शहर के बहुत से कुए, हैण्डपम्प व ट्यूब वैल ड्राई हो गये है और आज शहर में अत्यधिक जल संकट पैदा हो रखा है।

मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि आनासागर झील पानी से भरे रहने का अजमेर शहर के लिये अत्यधिक महत्व है यह झील पानी से भरी रहे इसके लिये इसमें पानी के आवक का मुख्य स्रोत काजी का नाला है इस नाले में मदार पहाड़, मीरशाह अली शास्त्रीनगर के साइड के पहाड़ों का पानी व लोहाखान आदि साइड का पानी एकत्र होकर झील में पानी काजी के नाले के माध्यम से झील में आता है। वर्तमान में यह नाला कच्चा बना हुआ है। कारण वर्षा ऋतु में इस नाले से पानी ओवर फ्लो होकर व कई स्थानों से नाले के टूट जाने के कारण पानी व्यर्थ में इधर-उधर बस्तियों में नुकसान करता हुआ बहता है। सन् 1975 में तो यह नाला कई परिवार साथ बहाकर भी ले गया है। यह नाला हर साल ओवर फ्लो होकर बहता है।

अतः आप से निवेदन है कि नाले की सिंचाई विभाग द्वारा अभी अकाल राहत में खुदाई करा कर इसे पक्का बनवाने के आदेश प्रदान करावें ताकि आना सागर में पूरा पानी पहुंचें और झील पानी से भरी रहे।

मैं माननीय मन्त्री जी से आशा करता हूं कि लोक महत्व की इस झील की मुख्य पानी की आवक काजी के नाले पर आप आवश्यक कार्य प्रारम्भ करवा कर इसे जनहित में अवश्य बनवायेंगे।

भवदीय,

ह०

(श्रीकिशन सोनगरा)

वि. स. 168

-X-

विषय :-अजमेर में केन्सर थेरोपी प्लान्ट लगवाने हेतु नियम 295 के अन्तर्गत सूचना।

महोदय,

अजमेर की जनता विगत 16 वर्ष से अजमेर में केन्सर उपचार हेतु कोबाल्ट थेरोपी प्लान्ट स्थापित करने के लिए निरन्तर सरकार से मांग कर रही है। सन् 1977

में इसी योजना को लेकर नगर के प्रतिष्ठित व समाज सेवी नागरिकों ने तत्कालीन माननीय मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में एक आवश्यक मिटिंग रखी थी और इस दिशा में उन के मार्ग दर्शन में सकारात्मक प्रयास प्रारम्भ हुये और यह तय हुआ कि जन सहयोग से यहां यह अस्पताल बनाना जन हित में आवश्यक है। अजमेर के तत्कालीन कलेक्टर ने 2 लाख रुपये की राशि का चैक दिनांक 2.5.78 को सरकारी सहायता के रूप में उस समय गठित राजस्थान केन्सर रिसर्च सोसायटी अजमेर को दिया वो रकम आज भी बैंक में जमा है। और सरकार ने भी जन सहयोग हास्पिटल खोलने की घोषणा की थी।

राजस्थान सरकार ने इस कार्य को अजांम देने हेतु एक कमेटी का गठन किया था यह कमेठी तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव श्रीमान् डोडियाल के संयोजन में सरकारी व समाज सेवी लोगों को सम्मिलित कर के बनाई गई। और कमेठी के चैंयरमेन हेतु राज्य सरकार ने 24 अगस्त, 1979 को टाटा केन्सर हास्पिटल के डायरेक्टर श्री जसावाला को पत्र प्रेषित किया था और उन्होंने अपनी स्वीकृति भेज दी थी। यह कार्य जन महत्व का था सो तेजी से चल रहा था फिर राजस्थान में सरकार का परिवर्तन हो गया काग्रेस सरकार ने एन. डी. सी. नहीं दी परिणाम स्वरूप कार्य में अवरोध पैदा हो गया।

प्रदेश में पुनः माननीय शेखावत साहब, नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ उसके बाद हम जन प्रतिनिधियों ने माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी के सामने यह मुद्दा पुनः उठाया कि अजमेर में केन्सर थैरोपी प्लान्ट लगाया जाय माननीय मन्त्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि इस दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ किये जायेंगे।

अतः सरकार से हमारी मांग है कि जिस तरह जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, मेडिकल कालेजों में कोबाल्ट थैरोपी द्वारा उपचार की व्यवस्था है उसी क्रम में हमारे अजमेर के मेडिकल कालेज में कोबाल्ट थेरेपी प्लान्ट लगा कर जनता की लम्बे समय से चली आ रही मांग को जनहित में आप अवश्य सम्पन्न करेंगे।

माननीय मन्त्री महोदय से आशा करता हूं कि इस सन्दर्भ में अजमेर की जनता को आश्वासन दे कि इस दिशा में क्या कार्यवाही हो रही है और कब इस पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

भवदीय,

ह०

(श्रीकिशन सोनगरा),

वि. स. 168

–X–

विषय :–खनिज विभाग द्वारा डोलोमाइट व सोप स्टोन की आड में मार्बल के अनाधिकृत खनन, सवा करोड़ की राजस्व बकाया वसूली एवं मार्बल के खनन क्षेत्र को डोलोमाइट व सोप स्टोन हेतु नवीनीकरण के संदर्भ में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत सूचना।

महोदय,

खनन पट्टा सं. एम. एल. 2/69, निकट ग्राम सानकोटड़ा, तहसील जमवा-रामगढ, जिला जयपुर वास्ते सोप स्टोन मार्च 1969 में 233.10 हैक्टेयर के लिये श्री कैलाशचन्द मगंला द्वारा आवेदित किया गया। आवेदित क्षेत्र में से 172.629 हैक्टेयर क्षेत्र निर्विरोधित पाया जाने पर स्वीकृत किया गया व इसका संविदा निष्पादन 23.7.70 को किया गया। संविदा के अनुसार तीन खनन क्षेत्रों एम. एल 25/60 2/69 की सीमाएं एक दूसरे से जुड़वा (कॉमन बाऊन्ड्रीज) है।

बाद में इस खनन पट्टे के अधिकार क्षेत्र में 4-3-76 को खनिज डोलोमाइट भी सम्मिलित किया गया व दिनांक 18-5-76 को उक्त क्षेत्र को मैसर्स राजस्थान खनिज एजेन्सी मालिक श्री कस्तुर चन्द जैन के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया गया। इस प्रकार विभाग ने इस खनन पट्टे के प्रथम बेचान का नियमन कर दिया।

1980 में इस खनन पट्टे का आंशिक अभ्यर्पण किया गया, परन्तु विभाग ने आज तक इस आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की।

दिनांक 5-5-84 को उक्त खनन पट्टा श्रीरघुवीर शरण अग्रवालको एक गुप्त "इकरारनामे" व "पावर ऑफ अटार्नी" के जरिये बेच दिया गया, जो मिनरल कन्सेन रूल्स, 1960 के नियम 37 के अन्तर्गत नियम विरुद्ध है।

अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार पर इस खनन पट्टे एम. एल. 2/69 के क्षेत्र में मार्बल के करीब 11 खनन पट्टे स्वीकृत करवाये गये एवं इनका संविदा निष्पादन किया गया। इसमें से एक खनन पट्टा स्वयं श्री रघुवीर शरण अग्रवाल के नाम पर हैं, दो खनन पट्टे उनकी स्वर्गीय माताजी के नाम पर हैं और अन्य दूसरे नामों से है, परन्तु इनके वास्तविक मालिक श्री रघुवीर शरण अग्रवाल ही हैं।

क्योंकि मार्बल का अच्छा डिपोजिट, उक्त खनन पट्टे एम. एल. 2/69 के उत्तर में स्थित था, अतः श्री रघुवीर शरण अग्रवाल को असीमित लाभ पहुंचाने हेतु 1985-86 में तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता श्री बी. एम. शर्मा ने पूरे खनन पट्टे को ही पहले 80 मीटर व बाद में 180 मीटर उत्तर में शिफ्ट कर दिया।

बी. एम. शर्मा द्वारा की गई शिफ्टिंग व ओवल लेप से इस क्षेत्र के तीनों

खनन पट्टों एम. एल. 25/60, 2/62, एवं 2/69 के क्षेत्र व सीमायें पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती हैं।

इस प्रकार श्री बी. एम. शर्मा इस प्रकार की शिफ्टिंग और ओवरलेपिंग के लिये सक्षम अधिकारी नहीं थे और उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई आदेश भी प्रसारित नहीं किये। मात्र खनि अभियन्ता, जयपुर के कार्यालय में एक नक्शा सं. एम. ई./जे. पी./डी. आर. जी/165/10-86 हैं जिसके नीचे नोट अंकित है कि उक्त नक्शा श्री बी. एम. शर्मा के निर्देशानुसार तैयार किया गया एवं उनके द्वारा निर्देश दिये गये कि भविष्य में सभी गणनाऐ इस नक्शे के आधार पर की जाये। इस प्रकार बिना नियम सम्बन्धी प्रक्रिया पूरी किये, बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के इस खनन पट्टे (एम. एल. 2/69 को शिफ्ट व ओवरलेप कर दिया गया।

जैसा कि विभाग एवं राज्य सरकार ने केन्द्र माइन्स ट्रिब्यूनल के सम्मुख भी स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र में मार्बल की प्रचुर उपलब्धता है, यदि इस क्षेत्र को मार्बल के खनन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये तो इस खनन पट्टे के 172.629 हैक्टेयर क्षेत्र में मार्बल के कम से कम 170 खनन पट्टे स्वीकृत किये जा सकते हैं। क्योंकि डोलोमाइट व मार्बल के स्थिर मारक व रायल्टी की दरों में कई गुणा अन्तर है, अतः राज्य सरकार यदि गणना करे तो इससे करोडों रुपये की राजस्व आय कि वृद्धि हो सकती है और हजारों व्यक्तियों के लिये रोजगार उपलब्ध हो सकता हैं।

मगर सभी तथ्यों को नजर अन्दाज करके मान्य खनिज मंत्री व खनिज विभाग उक्त खनन पट्टा सं. एम. एल. 2/69 का श्री रघुवीर शरण अग्रवाल के पक्ष में नवीनीकरण व स्थानान्तरण करना चाहते हैं। जो जनहित के विपरित है इसको नवीनीकरण नहीं किया जावे।

भवदीय,

ह०

(बिरधाराम चौधरी)

वि. सं. 92

-X-

विषय :- प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ब्यावर कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा नव निर्मित फल व सब्जी मण्डी यार्ड को बाई पास से विजयनगर रोड होते सीधी सब्जी मण्डी में जाने हेतु सड़क का कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

राज्य सरकार ने ब्यावर कृषि उपज मण्डी समिति को नव निर्मित फल व सब्जी मण्डी यार्ड को बाई पास से विजय नगर रोड़ होते हुए सीधें सब्जी मण्डी में जाने हेतु लगभग सवा दो किलो मीटर लम्बी सड़क के निर्माण की स्वीकृति दी थी जिस पर कार्य भी प्रारम्भ हो गया था किन्तु दुर्भाग्य से उस सड़क निर्माण के कार्य को प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद बन्द कर दिया गया तथा बिचड़ली तालाब पर जाने वाले मार्ग में पुलिया निर्माण हेतु खड्डे खोदे गये थे जिन्हें भी वैसे ही छोड़ दिया गया जिससे यातायात के आवागमन में भारी बाधा उपस्थित हो गई है और आये दिन कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती है।

तात्कालीन एस. डी. ओ. श्री बी. शेखर द्वारा उक्त क्षेत्र के किसानों से ऑफिसरर्स हॉल के निर्माण के लिए 30 हजार रुपयों की मांग की गई जो अनुचित थी जिस पर किसानों ने कहां की इतनी बड़ी राशि हम कहां से लावे 2–3 हजार तो कर सकते हैं इस बात पर रूद्र होकर एस. डी. ओ. ने उक्त सड़क के निर्माण कार्य पर स्टे दे दिया। उन्होंने श्री अशोक कुमार लकड़ी के व्यापारी को बुलाकर एक अर्जी दिलवाई की इसमें मेरी जमीन है इस आधार पर उन्होंने स्टे दिया, जबकि वास्तविक्ता यह कि उनकी कोई जमीन नहीं है। कृषि उपज मण्डी समिति के वकील ने इस पर एतराज किया कि एस. डी. ओ. स्टे नहीं दे सकता क्योंकि वे स्वयं कृषि उपज मण्डी समिति के प्रशासक है इसलिए यह उनके अधिकारी क्षेत्र में नहीं आता। इसके उपरान्त भी उनके द्वारा स्टे दिया गया।

अतः इन अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार से मांग है कि ब्यावर क्षेत्र के किसानों के हित में व आवागमन में हों रही बाधा को दूर करने के लिए तथा अकस्मात हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पुनः उक्त सड़क के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करवाया जावे।

भवदीय,
ह०

-X-

विषय :–विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के तहत झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी कस्बे में हो रहे स्मैक के व्यापार को रोकनें एवं नवयुवको के जीवन को बचाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी कस्बे में खुले आम स्मैक का व्यापार होता है। और इससे नवयुवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा उनका जीवन खराब हो रहा है। स्मैक की लत लगने के बाद बुद्धि नष्ट हो जाती है और शीघ्र जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इस प्रकार भवानी मण्डी झालावाड़-डग चौमेला-पिडावा-पचपहाड़ कस्बे के हजारों नवयुवकों के जीवन विनाश की ओर अग्रेसर हो रहे हैं इसमें आबकारी विभाग के अधिकारी तथा पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी की भी मिली भगत है। इससे स्मैक का व्यापार दिन दुना रात चौगना बढ रहा है। औपचारिकता निभाने के लिए कुछ-कुछ केस पकडते है और भारी रिश्वत लेकर रफा-दफा कर देते है। इससे क्षेत्र में गुन्डा गिर्दी-चोरियां बहुत हो रही है। और अच्छे लोगों का जीना दूभर हो रहा है। बसो-ट्रेनो में स्मैक पीने वाले चाकू की नोक पर लूट-पाट करते है: बहिन-बेटियों की इज्जत लूटते है। यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का गम्भीर प्रस्ताव है। तथा आबकारी मन्त्री जी एवं गृह मन्त्री से सम्बन्ध रखता है गम्भीरता से लेकर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे जनता को राहत मिल सकें।

भवदीय,

दिनांक 1.4.92

ह०

(बालचन्द आर्यवीर)

वि. स- 91

विषय:-अजमेर नगर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को सुचारू करने हेतु नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

मान्यवर,

अजमेर नगर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह व तीर्थ राज पुष्कर के कारण राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नगर है। यहां देश विदेश के हजारों की तादाद में यात्री व पर्यटक प्रतिदिन आते है। शहर की आबादी भी 5 लाख से ज्यादा है शहर भी विशाल भू-भाग पर बसा हुआ हैं। लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का यह नगर अपनी सफाई व्यवस्था के अभाव में काफी चर्चित है। यहां पर परिषद् के चुनावों के बाद भा. ज. पा. का बोर्ड बना जो $1\frac{1}{2}$ वर्ष से कार्य कर रहा है। नगर परिषद् ने अपनी पूरी क्षमता लगा कर आय में रेकार्ड वृद्धि की

290

है। गत दो दशक में सर्वाधिक आय गत माह 59 लाख 18 हजार रुपया हुई है। परन्तु पिछले 20 वर्षों में प्रशासक के काल में नगर परिषद् की आर्थिक व्यवस्था चोपट हो गई थी और करोड़ों रुपयों की देनदारियां नगर परिषद् पर हो गई थी। कर्मचारियों की तनख्वाह अनेक महिनों बाद चुकाना यहां की परिपाटी हो गई। भा. ज. पा. बोर्ड की सक्रियता और राज्य सरकार के सहयोग से कर्मचारियों का वेतन समय पर भुगतान होने लगा है। परन्तु गत 20 वर्षों से चरमराई हुई सफाई व्यवस्था, खराब पड़े हुए कचरा उठाने के वाहन सफाई कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या एवं आर्थिक साधनों के अभाव के कारण सफाई व्यवस्था सुचारू बनाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने बड़े शहर में कचरा उठाने हेतु केवल 7 वाहन ही ठीक है जो काफी अपर्याप्त है।

अत: सरकार से मांग करता हूं कि साधनों के अभाव व आर्थिक कठिनाई से अव्यवस्थित हो रही सफाई व्यवस्था से अजमेर के नागरिकों को व यात्रियों का जीवन काफी कष्ट दायक हो रहा है। इस समस्या के समाधान हेतु 'सफाई व्यवस्था के आधुनिकीकरण योजना" के अन्तर्गत अजमेर को सम्मलित कर इस मद के बजट में से ज्यादा से ज्यादा धन देकर कचरा उठाने हेतु साधन वाहन उपलब्ध करावें व सफाई कर्मचारी भी बढ़ाये जाय ताकि सफाई व्यवस्था सुचारू हो सके। व्यवस्था सुधार से अजमेर के निवासियों व बाहर से आने वाले यात्रियों व पर्यटकों को नारकीय जीवन से छुटकारा मिलेगा। आशा करता हुं कि अजमेर शहर के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए शहर की सफाई व्यवस्था हेतु ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,
श्रीकिशन सोनगरा

—×—

विषय:–प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक (हरियाणा) द्वारा प्रदत्त बी. एड. (पत्राचार) उपाधि को राजस्थान में मान्यता नहीं देने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षण।

महोदय,

राजस्थान के बहुत सारे विद्यार्थियों ने वर्ष 1988-89 में हरियाणा के महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय से बी. एड. (पत्राचार) की उपाधि प्राप्त की थी, मगर इतना लम्बा समय गुजर जाने के बाद भी इन बी. एड. (पत्राचार) उपाधि धारियों को राजस्थान में अनेक गलत बहाने बनाकर इस डिग्री को मान्यता प्राप्त नहीं कहकर रोजगार नहीं दिया गया है, इससे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है।

मान्यवर इस विषय पर राजस्थान सरकार ने अपने पत्रांक एफ (18) शिक्षा -3/80 दिनांक 6-7-88 और एक दूसरे पत्रांक एफ 7 (18) शिक्षा-3/80 दिनांक-23-11-91 द्वारा स्थिति को स्पष्ट भी कर दिया गया था कि चूंकि गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सख्या 26/7/52 सी. एस. दिनांक 30-9-1952 जो बाद में उनके पत्र क्रमांक 6-7-62 संस्था डी. दिनांक-4-7-1962 द्वारा संशोधित किया गया था, के अन्तर्गत भारत सरकार ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि उन समस्त विश्वविद्यालयों की, जो कि केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियम के द्वारा स्थापित किये गये हैं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट की धारा 3 (1956) के द्वारा भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान घोषित किये गये हैं, उनके द्वारा प्रदत्त उपाधियों नियमित रूप से नियोजन के दृष्टिकोण से मान्य होगी और इसलिए अब विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं द्वारा प्रदत्त उपाधियों (डिग्री/डिप्लोमा) की मान्यता के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से कोई आदेश प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है। राज सरकार ने अपने इस पत्र दिनांक 23-11-91 की प्रतियां निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, निदेशक नियोजन विभाग, जयपुर समस्त जिला नियोजन अधिकारी, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य कई अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी थी, मगर यह सारी स्थिति स्पष्ट कर देने के बाद भी महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक के इन बी. एड., उपाधिधारियों को राज्य के विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी और जिला नियोजन अधिकारी यह कहकर नौकरी नहीं दे रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार ने पूर्व में दिनांक 14-7-1988 को एक और कम्यूनिकेशन जारी कर दिया था जिसको यह घोषित किया गया था कि महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय कि बी. एड. (पत्राचार) की डिग्री को मान्यता प्राप्त नहीं है।

राज्य सरकार के उपरोक्त कम्यूनिकेशन दिनांक 14-7-1988 की कथित उलझन पूर्ण स्थिति के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में श्रीमति मधु सन्तोष विरुद्ध स्टेट आफ राजस्थान नाम की रिट पीटीशन नम्बर 2502/1989 दायर होने पर माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने अपने निर्णय दिनांक 2 फरवरी, 1991 द्वारा अन्य कई कारणों और भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के पत्र दिनांक 22 अगस्त, 1989 पर रिलाई करते हुए तथा राजस्थान एज्यूकेशनल सबोरडिनेट सर्विस रूल्स 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान सरकार का उपरोक्त कम्यूनिकेशन दिनांक 14-7-88 अप्रासांगिक करार कर दिया और निर्णय में कहा गया कि क्योंकि इन 1971 के सर्विस रूल्स में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा यह माना जावे कि अन्य विश्वविद्यालयों की डिग्रीयों को राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा समकक्ष मानने पर ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति योग्य माना जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय तथा राजस्थान सरकार के उपरोक्त स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 23-11-91 के बावजूद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक के बी. एड. उपाधि धारियों को राज्य

में नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। इस स्थिति से दुखी होकर अन्य के अलावा एक राजेन्द्र कुमार उपाधिधारी ने फिर श्रीमान् शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को दिनांक 28-2-1992 को पत्र लिखकर स्पष्ट आदेश प्रसारित करने के लिए निवेदन किया है मगर दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार की इन बेरोजगार लोगों के प्रति क्यों उपेक्षा-वृत्ति बनी हुई हैं कि अभी तक भी अधिनस्थ अधिकारियों को आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

अतः इस अहम प्रश्न को सदन के ध्यान में लाकर शिक्षा मन्त्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस जटिल समस्या का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण कराने की कृपा करें।

भवदीय,
(गोपाल सिंह खण्डेला)
वि. स. 33

—×—

विषय—बांसवाड़ा जिला में माही डेम की दाई मुख्य नहर की नरवाली वितरीका को आर. डी. नम्बर 25330 से सर्वे बदल कर गांव वड़ेता में हुरीया पिता कोदरीया के मकान पास होकर नरवाली वितरीका का कार्य युद्ध स्तर पर चालू करवाने बाबत प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्रस्ताव।

महोदय जी,

निवेदन है कि माही डेम की नरवाली वितरीका का कार्य गत 8 वर्षों से चल रहा है लेकिन जगपुरा नहर जो बोरेश्वर महादेव पास माही नदी पार कर नहर कार्य चालू है। उस पर सभी अधिकारी कार्यरत है व नरवाली नहर का कार्य अधूरा पड़ा है। जिसमें गांव (1) वड़ेता (2) बोरपीरवाटा (3) टामटिया (4) कोटा मगरी (5) टोडी सिमरोल (6) मटवाड़ा (7) सरोदिया (8) नेगटीया (9) देवलिया शक्तावत (10) नरवाली आदि गांवों की 30 हजार बीघा भूमि माही की नहर पड़ोस में आने के बावजूद भी सुखी पड़ी है। व स्थानीय किसान अनाज की कमी के कारण अन्य स्थानों पर मजदूरी करने को भटक रहे हैं। अतः मैं आप श्रीमान् सरकार से मांग करता हूं कि माही डेम की दाई मुख्य नहर के पटवार मण्डल, डुगरीया, नरवाली व डुगर के सम्बन्धित किसानों की जमीन की माही का पानी पिलाने बाबत कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ किया जाने बाबत नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है। मान्यवर सिंचाई मन्त्री महोदय विशेष ध्यान देकर नरवाली क्षेत्रीय गांवों को ध्यान में रखकर कार्य प्रारम्भ करावें।

दिनांक :-1.4.92

भवदीय,
(नवनीतलाल नीनामा)
वि. स. 71

विषय :-नियम 295 के तहत प्रस्ताव

महोदय,

श्री डूंगरगढ़ में न्यायालय हेतु निजी भवन निर्माण के लिए जमीन की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि इस तहसील श्री डूंगरगढ क्षेत्र के लिए मुन्सिफ न्यायालय स्वीकृत किया जा चुका है जिसके भवन हेतु वर्तमान में चाण्डको की धर्मशाला में अस्थाई व्यवस्था की गई हैं परन्तु भविष्य में न्यायालय के लिए स्थाई भवन निर्माण कराने हेतु मेरे द्वारा कस्बे के दान दाताओं को इसके लिए तैयार किया गया है। अगर भवन के लिए जमीन की व्यवस्था सरकार द्वारा करवा दी जावे तो इस न्यायालय के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन का निर्माण करवाया जा सकता है।

कस्बा श्री डूंगरगढ़ में राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर 11 पर खसरा नम्बर 491 की भूमि पर पंचायत समिति कार्यालय भवन व पेट्रोल पम्प के बीच तहसील कार्यालय भवन के लिए 13 बीघा आरक्षित भूमि में से आधा बीघा जमीन उक्त भवन निर्माण के लिए स्वीकृत व आवंटन करने का कष्ट करें।

यह भी उल्लेखनीय है कि इसी खसरा में से सड़क के पास थाना पुलिस पंचायत समिति व तहसील कार्यालय के लिए आप द्वारा भूमि अलोट की जा चुकी है तथा नगरपालिका कार्यालय के लिए भी इसी के आस-पास भूमि आवंटन का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसी प्रकार सभी सरकारी कार्यालय भवन एक समूह के रूप में निर्मित हो जाने से आम जनता को व ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को बड़ी सुविधा रहेगी तथा आर्थिक बचत भी होगी।

अतः मेरी तथा जनता की मांग को देखते हुए मुन्सिफ कोर्ट कार्यालय भवन के लिए उक्त खसरा नम्बर 491 में से आरक्षित 13 बीघा में से आधा बीघा भूमि उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि निकट भविष्य में निजी भवन जन सहयोग से निर्मित करवाया जा सके।

दिनांक 1.4.92

भवदीय,
(किशनाराम नाई)
वि. स. 19

—X—

विषय :– नियम 295 के तहत निम्नतम मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि गत दो वर्षों में महंगाई बहुत बढ़ गई है केन्द्रीय सरकार की गलत नीतियों के कारण गत दो वर्षों में महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल, खाद, बस किराया, रेल किराया 2 बार बढ़ गया है।

दैनिक उपभोग की सामग्री गेहूं, चावल, दाल, शक्कर, सब्जी, कपड़ा, आना-जाना महगा हो गया है। कई 50% कई 100% तक महंगे हो गये हैं। अब गेहूं 5/– रु., चावल 10-15/– रु. किलो है, ज्वार, मक्का भी 5-6 रुपये बिक रहा है। गरीब की मजदूरी जो दो साल पहले थी वही है। 22/– रु. कहीं-कहीं तो उसका भी शोषण होता है। बाल मजदूरों की हालत तो और भी खराब है।

हमारी सरकार ने दो साल पहले 14/– रु. से न्यूनतम मजदूरी 22/– रु. की थी वह स्वागत योग्य थी। पर अब दो साल हो गये हैं। राज्य का बजट भी विकास में 76% अधिक हो गया है। कर्मचारी व अधिकारी का वेतन भी 2-2 बार बढ़ गया है। राज्य व केन्द्र के कर्मचारी हड़ताल प्रदर्शन करके वेतन बढ़ा लेते हैं। और काम भी कम करते हैं। मजदूर को 76% की बढ़ोतरी का क्या मिला ?

आज जो मजदूर सड़क, भवन व अन्य खनन तथा कई श्रम प्रधान कार्य करता है। घर-बार बिना नहाये-धोये रूखी-सूखी खाकर आपकी सड़क, होटल, बहुमंजिली इमारतें बनाता है। फिर वही उस इमारत में घुस भी नहीं सकता जहां प्रदूषण के वहां भी कार्य करता है, खानों की धूल डबर सीमेंट की धूल-धुआं सब सहन करता है मेरा निवेदन है कि ऐसे श्रम प्रधान मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम 25/– रु. या 30/– रु. होना नितान्त आवश्यक है तथा उनकी चिकित्सा तथा बच्चों की पढ़ाई आदि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। मैं पुरजोर देकर माननीय मुख्य मन्त्री जी से मांग करता हूं कि आप शीघ्र घोषित करें कि अब न्यूनतम मजदूरी 25/– रु. से 30/– रु. होगी। ताकि यह गरीब तबका लाभ उठाकर पेट भर सके इन गरीबों की पेंशन की कार्यवाही भी करनी चाहिए। आज सब वर्ग वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं। विधायक तक भी वेतन बढ़वा लेते हैं। इन गरीबों के तो आप ही सुनने वाले हैं।

दिनांक 1.4.92

भवदीय,
(नन्दकिशोर शर्मा)
वि. स. 200

—X—

विषय :- राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत निम्न सूचना हेतु।

महोदय,

1- वर्तमान में रावतसर क्षेत्र में नोहर साहवा लिफ्ट नहर का निर्माण कार्य किलोमीटर 11 से 25 में चल रहा हैं जहां ठेकेदार मिट्टी की खुदाई का कार्य 200 रुपते प्रति हजार फुट ए नहर को पक्का करने लाइनिंग का कार्य विभाग बी.एस.आर. से 44 प्रतिशत अधिक पर करा रहे हैं परन्तु विभाग में हाल ही में रावतसर में अधिशाषी अभियन्ता लिफ्ट खण्ड 1; इ.गा.न.प., रावतसर द्वारा माह 7/91 में लगाये गये 4 टेण्डरों पर मिट्टी की खुदाई की दरें व लाइनिंग की दरें इस प्रकार प्राप्त हुई हैं :-

कि.मी.	मिट्टी की खुदाई दरें	लाइनिंग की दरें
कि.मी. 25.750 से 26.500	600 रुपये	175 प्रतिशत अधिक
,, 26,500 से 27.500	650 रुपये	188 प्रतिशत अधिक
,, 27.500 से 28	1121 रु. प्रति हजार फुट	विभागीय कीमत से 200 प्रतिशत अधिक
,, 28.00 से 29.5	1051 रुपये	200 प्रतिशत अधिक

इसमें चार ठेकेदारों ने भाग लिया और आपस में पुला बनाया (मिलकर) एक-एक ठेका सभी ने प्राप्त कर लिया। विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा इस पर बिना कोई टिप्पणी किये टेण्डर मामले स्वीकृति के लिए नहर बोर्ड को भेज दिये गये। क्या महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रेटों में 6 माह में ही ठेकेदारों द्वारा औसत दरें 500 प्रतिशत बढ़ा दी गई है।

क्या ठेकेदार अपने श्रमिकों को इसी बढ़ी दर के अनुसार पारिश्रमिक देंगे। ऐसा स्पष्ट है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मात्र ठेकेदारों को भारी लाभ होगा तथा विभाग अधिशाषी अभियन्ता, एस.ई. साहब, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता, लेखा अधिकारियों, वित्तीय सलाहकारों के बतौर कमीशन लाखों रुपये मिलेंगे।

मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प. तो यह भी नहीं देखा जा रहा है विभाग में खुदाई के लिए तैयार पड़ी मशीनें जो वर्षों से आइडल खड़ी है से काम कराने में विभाग को कार्य मात्र 400 रुपये प्रति हजार फुट से ही करा लिया जावेगा वह भी 15 दिन के भीतर-भीतर परन्तु इसमें बतौर कमीशन नहीं मिलेगा।

296

2- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के लिए नहर निर्माण कार्यों हेतु 75 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया था जिसमें लक्ष्य इस प्रकार थे :-

1-	लाइनिंग (नहर को पक्का करने का कार्य)	265 कि.मी.
2-	नहर पर स्ट्रेचर बनाने का कार्य	130 सरंचनाएं
3-	सिंचाई हेतु क्षेत्र	45 हजार हैक्टर

परन्तु विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदारों द्वारा उक्त फरवरी, 92 के आरम्भ में ही समाप्त कर दिया वह भी मात्र 89 कि.मी. नहर को पक्का करने में ही। नहर प्रशासन द्वारा मण्डल को दिनांक 19.2.92 से भेजी गई रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होती है। अब विभाग द्वारा करोड़ रुपये और मांगे गये हैं।

बताया जाता है कि इतना रुपया विभाग के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से मिली भगत कर अपने-अपने स्वार्थों के कारण खर्च किये गये जिसमें विभाग के लेखाधिकारियों द्वारा पूरा-पूरा साथ दिया गया।

विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार :-

1- भट्टों के टेण्डर 80 प्रतिशत के स्थान पर 200 प्रतिशत स्वीकृत किये गये।
2- लाइनिंग के टेण्डर 100 प्रतिशत के स्थान पर 200 प्रतिशत किये गये।
3- मिट्टी के कार्य 100 प्रतिशत के स्थान पर 500 प्रतिशत किये गये।
4- सड़क निर्माण के कार्य पी.डब्ल्यू.डी. के रेट से 80 प्रतिशत ऊंचे दर स्वीकृत किये

इस प्रकार नहरों से मिट्टी निकालने, नहर के बैंक मजबूत करने के नाम पर कंकर बिछाने बैंक पर पक्की मिट्टी के स्थान पर आदि आदि फालतू कार्य भी ऊंची-ऊंची दरों पर स्वीकृत कर कराये गये इस प्रकार मेन्टीनेन्स कार्य पर जहां 4-5 करोड़ रुपये खर्च करना था वहां 20-25 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

विभाग से मिट्टी के कार्यों हेतु लगभग 40 मशीनें बेकार खड़ी रखी गई। यह सब परियोजना के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने लाभ के लिए कर चलते बने।

3- माह अगस्त और सितम्बर, 91 में परियोजना में गजनेर कोलायत लिफ्ट योजना के 0.750 से 1.50 किलोमीटर एवं 5 से 6 किलोमीटर की नहर निर्माण पर टेण्डर प्राप्त किये गये हैं जिस पर श्री बी.एस. माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, सतर्कता की अनुशंसा पर 5 से 6 किलोमीटर में नहर निर्माण (लाइनिंग) कार्य को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, बीकानेर द्वारा 68 प्रतिशत बी.एस.आर. से अधिक रेट पर मैं. रामेश्वर लाल एण्ड बीकानेर का टेण्डर दिनांक 15.10.91 को स्वीकृत किया गया। इसके कुछ ही समय के अन्तराल पर इसी तरह के कार्य की व इसी क्षेत्र में 0.750 से 1.500 किलोमीटर में नहर निर्माण का कार्य अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, बीकानेर द्वारा अपने

पत्र नं. एफ-38/प्रमु. अ./इ.गा.न.प./17525 दिनांक 28.10.91 से 220 प्रतिशत बी.एस.आर. से अधिक की रेट पर स्वीकृत किया गया है अर्थात् यदि 5 से 6 किलोमीटर के कार्य को 68 प्रतिशत की रेट को ही यदि उचित आधार मान लिया जाये तो 12 दिन बाद ही ऐसा क्या घटित हुआ कि समान कार्य को 220 प्रतिशत की रेट से स्वीकृत कर चार लाख रुपयों की चपत सरकार को महज अपने थोड़े से कमीशन (5 प्रतिशत) के लालच में लगा दी गई।

यह कार्य विभाग में ऐस्टीमेट नं. 155/1989-90 के अनुसार 2.80 लाख रुपयों का है जिसका 68 प्रतिशत रेट के अनुसार 4.70 लाख रुपयों में काम करवाया जाना तय है। जबकि स्वीकृति 220 प्रतिशत रेट के अनुसार देकर 9.00 लाख रुपयों में कराया जा रहा है। स्पष्ट है सरकार/विभाग ने जनता के 4 लाख रुपये की हानि तो पहुंचा दी है। इस मामले में टेण्डर प्राप्त होते ही सम्बन्धित खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता ने रेटों को अधिक मानते हुए ठेकेदारों से वार्ता कर रेटें कम कराने का निवेदन अधीक्षण अभियन्ता श्री बी.एस. माथुर से कर दिया गया था, परन्तु ठेकेदार जिसने टेण्डर अपने नाम से स्वीकृत कराया, द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सर्किल के टी.ए. और लेखाधिकारी की मुट्ठी गर्म कर अधीक्षक अभियन्ता को आश्वस्त कर टेण्डर मंजूरी के लिये अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में भेज दिया गया जहां वहां के स्टाफ द्वारा भी टेण्डर की रेट अधिक होने का फाइलों पर स्पष्ट संकेत दिया गया परन्तु यहां भी ठेकेदार द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर तथा कुछ आश्वासन देकर ऊंची रेट पर टेण्डर की मंजूरी प्राप्त कर ली गई। जिसमें स्पष्ट रूप से बड़े अधिकारियों द्वारा मिली भगत कर 4 लाख रुपयों की हानि सरकार को पहुंचा दी गई।

4- अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त-चतुर्थ, इ.गा.न.प., फलौदी द्वारा 1984 में अपने निरीक्षण में ये दर्शाया गया है कि 1202.5 से 1340 के मध्य स्थित भट्टों पर काफी टाइलें/ईंटें घटिया बन रही हैं, बनी हुई है। इसके उपरान्त तत्कालीन अति. मुख्य अभियन्ता (सतर्कता) इगा.न.प., बीकानेर द्वारा निम्न 22 भट्टों का निरीक्षण किया गया :-

1	2	3	4
1-	भट्टा बुर्जी	1202.500	3 लाख टाइलें
2-	,, ,,	1207.500	0.50 ,,
3-	,, ,,	1212	—
4-	,, ,,	1214	—
5-	,, ,,	1217	—
6-	,, ,,	1222	4.0 ,,
7-	,, ,,	1227	7.0 ,,
8-	,, ,,	1231	1.5 ,,

1	2	3	4
9–	भट्टा बुर्जी	1236	5.0 लाख टाइलें
10–	,, ,,	1242	4.0 ,,
11–	,, ,,	1247	2.0 ,,
12–	,, ,,	1252	1.0 ,,
13–	,, ,,	1256	1.5 ,,
14–	,, ,,	1263	2.0 ,,
15–	,, ,,	1266	3.0 ,,
16–	,, ,,	1272	2.0 ,,
17–	,, ,,	1275	10.0 ,,
18–	,, ,,	1283	3.0 ,,
19–	,, ,,	1288.750	—
20–	,, ,,	1296	1.0 ,,
21–	,, ,,	1299	8 0 ,,
22–	,, ,,	1309	—
			58.51 लाख

उक्त रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता एवं चेयरमैन को भेजी गई थी जिसमें उल्लेख किया गया कि टाइलों के लिये केरिज की गई मिट्टी घटिया है। तथा अधिक से अधिक कोयला काम में न लेकर दुरुपयोग किया गया है जिनसे ये टाइलें अत्यधिक घटिया है।

मुख्य अभियन्ता द्वारा पत्र नं. 8539 दिनांक 26.7.84 से एक समिति मुख्य तकनीकी परीक्षक, अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त–चार, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, बीकानेर की गठित कर भट्टों की जांच के आदेश दिये गये उक्त टाइलों का निरीक्षण तत्कालीन चेयरमैन द्वारा भी करवाया गया जिसका नोट उसके द्वारा पत्र नं. एफ–6/(111)रा.न.म./84 दिनांक 14.8.84 को जारी किया गया जिसमें इस बात की पुष्टि की गई कि टाइलें घटिया हैं तथा जांच कर दोषी अधिकारियों का पता लगाये जाने के साथ-साथ वर्तमान में इनके उपयोग का पता लगाया जावे।

परन्तु साइट के अधिकारियों द्वारा जांच का कार्य आरम्भ होते ही टाइलों को नहर निर्माण कार्य में बिना मंजूरी के काम में लिया जाना शुरू कर दिया गया जिसकी सूचना अविलम्ब अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सतर्कता ने पत्र नं. 9485 दिनांक 4.12.85 से मुख्य अभियन्ता को दे दी गई। जांच के लिये विभिन्न कार्यालयों से रिकार्ड मांगे गये थे परन्तु बहुत कम रिकार्ड प्राप्त हुआ तथा समिति के अन्य सदस्यों

द्वारा भी बहुत कम सहयोग दिया गया जिसके लिये पुन: अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सतंकता ने पत्र नं. 20 एवं 2705 दिनांक 17.1.85 एवं 5.6.85 से मुख्य अभियन्ता/नहर मण्डल को सूचित कर दिया गया।

आगे जांच हेतु पुन: समिति अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित कार्यालयों को पत्र 2529 दिनांक 18.5.85 से एक प्रपत्र भर कर भेजने हेतु लिखा गया जिस पर भी साइट के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने पत्र नं. 210 दिनांक 7.8.85 से अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर मुख्य अभियन्ता एवं नहर मण्डल को भेज दी गई जिसमें उल्लेख किया गया कि उक्त भट्टों पर टाइलों का निर्माण घटिया हुआ है तथा चूंकि काफी टाइलें काम में ले ली गई है अत: हानि निर्धारण सम्भव नहीं है फिर भी इससे राज्य सरकार को लाखों रुपयों की हानि स्थापित है तथा नहर भी उस क्षेत्र में असुरक्षित है परन्तु उक्त रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया वरन् 7/86 में एक नई कमेटी बना दी गई जिसमें आरोपित अधिकारियों को ही सदस्य बनाया गया कि जबकि इससे पूर्व मुख्य अभियन्ता द्वारा पत्र नं. 5524 दिनांक 19.11.85 और 5865 दिनांक 11.12.85 से मान लिया गया था कि 27 लाख टाइलें घटिया हैं जिसके लिये दोषी अधिकारियों को चार्ज शीट भेजी जावें। नई समिति द्वारा वर्तमान स्थिति का निरीक्षण जो लगभग 5 वर्ष बाद किया गया कि रिपोर्ट पत्र नं. 192 दिनांक 8.2.90 से नहर मण्डल को भेजी गई जिसमें यह स्थापित कर दिया गया कि टाइलों का इन भट्टों पर 30 लाख टाइलों का निर्माण घटिया है परन्तु वर्तमान में कितनी हानि हुई है, का पता नहीं लगाया जा सकता है। वर्तमान में इन टाइलों का मूल्य भी लगभग 50 लाख रुपये बनता है अब तक विभाग इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पाया है वरन् दोषी अधिकारियों का इस बीच प्रमोशन भी कर दिया गया/दिया जा रहा है जिनमें मुख्यत:

1-	श्री जगजीत सिंह	अधीक्षण अभियन्ता
2-	,, गोपीराम गोयल	अधीक्षण अभियन्ता
3-	,, मानसिंह ईदा	,, ,,
4-	,, वी. पी. माथुर	अधिशाषी अभियन्ता
5-	,, आर. के. गर्ग	,, ,,
6-	,, एन. के. सोलंकी	,, ,,
7-	,, उमाशंकर शर्मा	,, ,,
8-	,, एन. डी. गुप्ता	,, ,,
9-	,, ओ. पी. माथुर	,, ,,
10-	,, के. के. माथुर	,, ,,
11-	,, ए. सी. मेहता	अधीक्षण अभियन्ता

इसके अतिरिक्त सहायक अभियन्ताओं एवं कनिष्ठ अभियन्ता का पता लगाया जाना शेष है।

उपरोक्त वर्णन से साफ हो जाता है कि इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण में करोड़ों रुपये का गोल माल किया गया है समय-समय पर इस सम्बन्ध में शिकायतें आती रहती है लेकिन अभी तक भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बहुत कम मौकों पर मामूली कार्यवाही की गई है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करके दण्ड दिलाया जावे।

भवदीय,
(रामकिशन)
वि. सं.-137

—x—

विषय :-प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्लाट नम्बर 38 सैक्टर बी कीर्तिनगर वसुन्धरा कालोनी के पीछे टौंक रोड पर डेयरी चलाने से आस-पास के रहवासीयों को गन्दगी से महामारी फैलने व बीमारियां फैलने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

निवेदन है कि प्लाट नम्बर 38 सैक्टर बी कीर्तिनगर वसुन्धरा कालोनी के पीछे टौंक रोड पर श्री हरिनारायण बागड़ा ब्राह्मण पुत्र श्री महादेव लाल नामक व्यक्ति ने 15 भैंसे रखकर उक्त प्लाट में डेयरी चला रहा है। उक्त प्लाट के आमने-सामने व आस-पास करीब 30-40 मकान बने हुए हैं और सभी रहवासी है। इन भैंसों की वजह से काफी गन्दगी रहती है। मक्खी व मच्छरों का आतंक फैला हुआ है। गोबर के सड़ जाने से आम आदमी बीमारी से पीड़ित है। बरसात में तो ऐसी हालत हो जाती है जैसे किसी गटर के खड्डे से निकला हुआ मलबा बदबू मारता है।

उसी प्रकार की बदबू हमेशा बनी रहती है। मौहल्ले वालों ने कई बार स्वास्थ्य अधिकारी नगर परिषद जयपुर को उक्त प्लाट में चल रही डेयरी को बन्द करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए इस विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि उक्त प्लाट में चल रही डेयरी को अविलम्ब बन्द करवा कर मौहल्ले के निवासियों को राहत पहुंचावें।

दिनांक :- 1.4.92

भवदीय,
ह०
वि. सं. 178

—x—

विषय:-राजस्थान मोटरयान अधिनियम द्वारा राजस्थान में बड़े ट्रकों की भार वाहन क्षमता 9 टन पर सीमित कर दिये जाने से उत्पन्न समस्याओं का नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि राजस्थान में ट्रकों द्वारा परिवहन का 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कार्य सम्पादित किया जाता है। वर्तमान में दिसम्बर 1991 तक प्रदेश में भारी व हल्के भार वाहनों की संख्या 56500 से अधिक हो गई है। इनमें से राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र धारी वाहनों की संख्या 16750 है। इनके अलावा हजारों ट्रकों द्वारा बाहर के राज्यों का टेक्स भरकर अस्थायी अनुज्ञापत्र प्राप्त करके माल लाने ले जाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा ट्रकों को 12 टन से लेकर 13 टन तक भार ढोने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता था परन्तु वर्ष 1990-91 के दौरान मोटरयान अधिनियम में में संशोधन करके भार वाहक क्षमता घटाकर 9 टन करदी गई है। इस व्यवस्था के करने से अनेक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं तथा इन समस्याओं का सामना ट्रक मालिकों के साथ-साथ व्यापारियों एवं आम उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है।

(1) माल भाड़े में वृद्धि:—भार क्षमता 9 टन कर दिये जाने से माल भाड़े की दर में बढ़ोतरी हो गई है जिससे प्रत्येक वस्तु की लागत अधिक आती है तथा महंगाई बढ़ी है, पूर्व में भार क्षमता 12-13 टन थी तथा इतना ही टैक्स सरकार द्वारा वसूल किया जाता था। अब चूंकि भार क्षमता 9 टन पर सीमित करदी गई है जिससे किराये के प्रति क्विंटल दर में वृद्धि हो गई है। उदाहरणतः पूर्व में 10 टन माल का किराया यदि 2000 रुपये होता था तो उस दर से 13 टन माल लोड करवाने पर 2600 रुपये किराया चार्ज होता था अब 9 टन माल भरने पर भी 2000 रुपये किराया वसूल किया जाता है जिससे 10 प्रतिशत किराये की वृद्धि स्वतः ही हो गई है।

(2) माल 9 टन टन लोड करवाने में अनेक प्रकार के मालों को लोड करने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। उदाहरणतया मकराना से संगमरमर का लोडिंग रोजाना करीब 150 से 175 ट्रकों द्वारा किया जाता है। 9 टन माल भरे जाने की मजदूरी 300 रुपये ली जाती है तथा पूर्व में 13 टन माल भी इसी मजदूरी पर हो जाता था। महंगा माल होने की वजह से 9 टन माल भरने में ताण बराबर नहीं लग पाती है और टूट-फूट अधिक आती है।

(3) टाटा की बड़ी ट्रक का हार्सपावर 31-5 कर दिया गया है तथा इसकी भार क्षमता अब कम कर दी गई है वह सर्वथा अनुचित है। पूर्व में यह क्षमता कम करवाने में किन्हीं सदस्यों ने तर्क देकर इसको उचित ठहराने का प्रयास किया पर वह बिना जानकारी के या गलत जानकारी के आधार पर किया गया था।

(302)

(4) राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र वाले भार वाहन रोजाना 500 से 600 किलोमीटर तक माल पहुंचाने का कार्य सम्पन्न करते हैं इतनी दूर जाने पर 13 टन माल भरने के बजाय 9 टन माल भरने से केवल 25 से 30 लीटर डीजल की बचत होती है जिसकी कीमत करीब 175/-रुपये होती है जबकि किराया करीब 400 से 500 रुपये अधिक लग जाता है जिससे वस्तु की लागत बढ़ जाती है ।

(5) 13 टन माल ढोने वाले वाहनों की अपेक्षा 9 टन भार वाले वाहनों मे ड्राईवर गाडियां तेज स्पीड से चलाते हैं जिससे रोजाना सड़कों पर दुर्घटनाएँ होती रहती है और इसमें बढोत्तरी हो रही है ।

इन सभी समस्याओं को मध्यनजर रखते हुए भार वाहक क्षमता को पुनः 13 टन कर दिया जाना चाहिए जिसके अनेक दूरगामी परिणाम सामने आयेंगे । इससे परिवहन लागत में कमी आयेगी, माल का परिवहन सुचारू रूप से होगा, दुर्घटनाओं में कमी आयेगी, आम उपभोक्ताओं को महंगाई की मार से कुछ राहत मिलेगी, निरन्तर घाटे में जा रहे मोटर मालिकों को राहत मिलेगी ।

अतः मैं माननीय परिवहन मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध से पुरजोर शब्दों से मांग करता हूं कि ट्रकों की भार क्षमता को 13 टन पुनः करवाने की कृपा करायें । धन्यवाद ।

भवदीय,

(रिछपाल सिंह)

वि. स. 152

-X-

विषय :- नियम 295 के अन्तर्गत ।

महोदय,

राजस्थान सरकार के निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 16.6.91 को एक विज्ञापन द्वारा राज्य के ग्रामीण/पंचायत क्षेत्रों में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित प्रत्याशी-उपलब्ध कराने के लिए माह अक्टूबर, 91 से प्रारम्भ होने जा रहे निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन स्थित व प्रशिक्षण केन्द्रों पर 60 अभ्यार्थी प्रति प्रशिक्षण केन्द्र हेतु पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स के लिये केवल राजस्थान के मूल निवासी पुरुष उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये। आवेदन पत्र सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्रों पर पहुंचने की अन्तिम तिथि 15 सितम्बर, 1991 सांय 5 बजे तक थी। प्रत्येक अभ्यार्थी को 5 रुपये का भारतीय पोस्टल आर्डर देकर सम्बन्धित

प्रशिक्षण केन्द्रों से अपना आवेदन पत्र प्राप्त करना था। इस प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रखी गई। प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर, जयपुर, बीकानेर, सीकर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, कोटा एवं टोंक पर लगभग 30 हजार आवेदन पत्र प्राप्त हुए। अकेले जयपुर से 3700 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। यह विज्ञापन डा. आर. एस. गौड, अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित कराया गया।

किन्तु उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और न कोई चयन किया गया। बल्कि 17 मार्च, 1992 को अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए (एफ. डब्ल्यू) राजस्थान जयपुर द्वारा निर्देश दिये गये कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के प्रशिक्षण की योजना भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1989 से बन्द कर दी गई है और इसलिए इस योजना पर किसी प्रकार का भी व्यय नहीं किया जायेगा और इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत स्टाफ अन्यत्र पद स्थापित किया जायेगा, क्योंकि उनके वेतन भत्ते आदि का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब 1989 में ही उक्त प्रशिक्षण योजना बन्द कर दी गई थी तो 1991 में उपरोक्त विज्ञापन के द्वारा आवेदन पत्र मांग कर बेरोजगार युवकों के साथ खिलवाड़ किया गया है। फार्म देने के प्राप्त पोस्टल आर्डर से ही लगभग डेढ़ लाख रुपया निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त यह आवेदन करने में प्रत्येक आवेदक को आवागमन एवं डाक आदि पर सैकड़ों रुपये खर्च करने पड़े हैं। इस प्रकार बेरोजगार युवकों को कई लाख रुपये की चपत दी गई है। साथ ही उनसे प्राप्त फार्म फीस भी उनको वापस नहीं की गई है। जब जुलाई, 1989 में यह योजना बन्द कर दी गई तो 3 वर्ष तक ये केन्द्र क्यों चलते रहे और उनमें प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं के रोजगार की क्या स्थिति रही है? जुलाई 1989 में बन्द की गई योजना के लिए 2 वर्ष बाद 16.8.91 के विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्र मांग कर बेरोजगार नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं की गई है तो शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। ताकि बेरोजगार युवकों के साथ खिलवाड़ न हो। साथ ही यदि जुलाई, 1989 के बाद भी प्रशिक्षण दिया गया है और उन कार्यकर्ताओं को रोजगार दिया गया है तो इस विज्ञापन के आधार पर जिन 30 हजार युवकों ने आवेदन पत्र दिये हैं उन्हें प्रशिक्षित कराया जावे और उन्हें रोजगार दिलाया जाये तब तक इन केन्द्रों को चालू रखा जावें। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का है इसलिए राज्य सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

भवदीय,

ह०

304

विषय:— नियम 295 के अन्तर्गत कोटा जिले के सांगोद तहसील मुख्यालय पर ए. सी. एम. कैम्प कोर्ट के बजाय ए. सी. एम. कोर्ट सृजित करने के संदर्भ में।

मान्यवर,

कोटा जिले में सांगोद तहसील मुख्यालय जो कोटा से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित है। सांगोद तहसील का क्षेत्र रामगंज मण्डी सब डिविजन के अन्तर्गत आता है। रामगज मण्डी सांगोद से करीब 80 कि. मी. दूरी पर स्थित है। उप जिला कलक्टर रामगंज मण्डी सप्ताह में दो दिन सांगोद तहसील मुख्यालय पर कैम्प कोर्ट करते हैं। सांगोद तहसील के राजस्व मुकदमों की संख्या करीब 7–8 सौ है। उप–जिला कलक्टर रामगंज मण्डी के अधीन विचाराधीन राजस्व मामलों में आधे से ज्यादा मुकदमें सांगोद तहसील के है। रामगंज मण्डी खनन क्षेत्र होने एवं बड़ा कस्बा होने के कारण उप जिला कलक्टर कानून एवं व्यवस्था में अधिकांश समय व्यस्त रहते है। तथा कैम्प कोर्ट में नहीं आ पाते हैं तथा वर्षात् के दिनों में रामगंज मण्डी व सांगोद की बीच स्थिति काली सिंध व उजाड़ नदी में बाढ़ आ जाने के कारण कैम्पकोर्ट में नहीं पहुंच पाते हैं। जब आधे से ज्यादा मुकदमें सांगोद क्षेत्र के हैं तो केवल मात्र दो दिन में मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पाता हैं। तथा राजस्व मुकदमों का निस्तारण नहीं होने के कारण मुकदमों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है, तथा सांगोद क्षेत्र के काश्तकारों को काफी परेशानी हो रही है सांगोद तहसील क्षेत्र में सावन-भादों परियोजना एवं हरिश्चन्द्र सागर परियोजना की नहरों से सिंचाई होती है।

इन सांगोद तहसील सिंचित क्षेत्र होने के कारण रामगंज मण्डी सब डिवीजन में अधिकांश सिलिंग मुकदमें सांगोद तहसील के हैं। सांगोद क्षेत्र के बढ़ते हुए मुकदमों की संख्या एवं न्याय मिलने में होने वाले विलम्ब तथा मुकदमों के निस्तारण की स्थिति को देखते हुए सांगोद तहसील मुख्यालय पर ए. सी. एम. कोर्ट को सृजन करना अत्यन्त आवश्यक है। सांगोद में मुंसिफ न्यायालय स्थित है बार-एसोशिएसन की सुविधा उपलब्ध है। अत: जनहित एवं सस्ता एवं शीघ्र न्याय दिलाने के लिए ए. सी. एम. कोर्ट सजन किया जाए तथा काश्तकारों को राहत पहुंचायी जाए। उक्त प्रश्न लोक महत्व का ही है।

भवदीय,
(बृजराज मीणा)
वि. स 94

–X–

विषय-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में जलधारी को 5 रुपया मासिक तथा कन्टेन्जेन्सी के लिए मात्र 4 रुपया मासिक मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत जो प्राथमिक विद्यालय चलते हैं उन विद्यालयों में बच्चों को पानी पिलाने के लिए एक जलधारी की व्यवस्था कर रखी है और उसको मात्र 5 रुपया मासिक दिया जाता है जो कि मजदूरी करने वालों की दी जाने वाली मजदूरी की राशि के किसी भी श्रेणी में नहीं आती है। यहां तक कि यदि उसे पानी भरे हुए मटके को रखने का मेहनताना दिया जाय तो भी प्रति मटका 50 पैसे मिलना ही चाहिए।

लेकिन 5 रुपया एक महिने का देना तो अमानवीय व्यवहार में आता है। इसलिए आज कल प्राथमिक विद्यालयों में जलधारी आते नहीं है जिससे विद्यालयों की सफाई भी नहीं होती है और न ही बच्चों को पानी पिलाने की कोई व्यवस्था हो पाती है।

इसी प्रकार कन्टेन्जेन्सी का भी 4 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है वह भी आज की महंगाई को देखते हुए नहीं के बराबर है। यदि एक रजिस्टर भी लेना पड़ता है तो 8 रुपये की कीमत का होता है। इसलिए इस पर भी सरकार को पुनर्विचार करके कम से कम 20 रुपये प्रतिमाह देना चाहिये।

अतः मै इस लोक महत्व के विषय की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत चलने वाले प्राथमिक विद्यालयों में लगे जलधारियों को मासिक 30 रुपया एवं कन्टेन्जेंसी के लिए 20 रुपये मासिक देने का प्रावधान किया जाय।

भवदीय,
(दयाराम परमार)
वि. स. 63

-X-

विषय :-प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष चर्चा के लिये ध्यान आकर्षण कर रहा हूं।

महोदय,

राजस्थान सरकार किसानों के प्रति कितने सोच रखती है यह उनकी भूमि

अवाप्त करके उन्हें भूमिहीन बनाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उन्हें भूखों मारने की साजिश भी सरकार की है। भूमि अवाप्त करके उसका मुआवजा 40 वर्ष तक नहीं देने से साफ जाहिर है कि दादा श्री की जमीन लेकर पोता श्री तक को दर-दर की ठोकरे खानी पड़ रही है यह कैसी विडम्बना है किसान की खुद की जमीन को लेकर न उसे रोने देते हैं और न उसे चुप रहने देते हैं जमीन की तो जमीन ले ली जाती है मुआवजा देने का नाम भी नहीं लेते यह ही नहीं उस अवाप्त भूमि का लगान किसानों को ही देना पड़ रहा है। यह है किसान को बर्बाद करने की साजिश यह ही नहीं अध्यक्ष जी इस मुआवजा के बारे में 1977-78 में मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुख्यमन्त्री जी से आदेश कराये थे कि राज मार्ग 8 का मुआवजा शीघ्र दिलाया जावे मुख्यमन्त्री जी ने आदेश भी दे दिये थे। मगर मुआवजा देने में आज तक कार्यवाही नहीं की गई। मैं चाहुंगा कि :–

(1) किसानों को आज तक के मुआवजा जो नहीं दिया गया उनका मुआवजा आज की मार्केट रेट से दिया जावे।

(2) इस मुआवजे की राशि पर ब्याज दिया जावे।

(3) अवाप्ति के बाद भी जो किसान से लगान लिया है वह वापिस लौटाया जाय।

(4) उस पर भी ब्याज दिया जाय।

(5) इसमें देरी करने वाले विभागीय अधिकारियों को दण्ड दिया जावे और इन चालीस वर्षों में मुआवजे देने के व जांच करने के फर्जी दौरे दिखाया है और फर्जी भत्ता उठाया है वह वापिस जमा कराया जावे।

(6) भूमि अवाप्त अधिकारियों व उनके सहयोगियों को असत्य जवाब पर विश्वास न किया जावें।

(7) जिन अधिकारियों को मुआवजे के लिए भेजा उनकी भेट पूजा न होने से अनाप-सनाप भाने बनाकर वापिस भूमि धारकों को ही दोषी ठहराने की धारणा बना रखी है इस पर विचार कर दोषियों को दण्ड दिया जावें।

(8) उपरोक्त के लिए मुख्य अभियन्ता सा.नि. विभाग से बात की नतीजा कुछ नहीं निकला।

(9) सा.नि. विभाग के सचिव महोदय से भी मिला और निवेदन किया मगर उन से कोई मदद व जानकारी नहीं मिली यहां तक कि कोई सूचना तक नहीं दी।

(10) मुख्य मंत्री महोदय को 1978-79 में अर्ज की लिखित में दी मगर उन्हें भी अधिकारियों ने कोई महत्व नहीं दिया ।

(11) अब भी करीब 10 दिन पूर्व पुन: दिया उस पर भी कुछ भी कार्यवाही नहीं की पिछले विधान सभा अधिवेशन में भी मैंने मांग की थी मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे से लिखित में लिये आदेश दिया मगर उनके आदेश से भी करीब 1 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ ।

(12) उस समय निर्माण मंत्री महोदय को भी लिखित में दिया उन्होंने भी आदेश बड़े जोश से दिया था कि आज ही कार्यवाही की जावे (मगर कुछ भी नहीं हुआ) ।

(13) जिला अभाव अभियोग समिति में भी चर्चा उठाई वहां भी असमर्थता दिखाई गई ।

अब विधान सभा में रखते हुए विशेष चर्चा कर रहा हूं कि क्या किसान की न्यायोचित मांग भी नहीं सुनी जायेगी उसके अधिकार की भी रक्षा नहीं की जायेगी इस बारे में अब तक अर्थात 35 वर्ष तक जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने पालना नहीं की उन्हें भी जांच कर दण्ड दिया जावे ।

भवदीय,
ह०
(रामकरण सिंह)
वि. स. 136

-X-

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव :-

ग्राम हीरापुरा, जयपुर के निवासियों की पीने के पानी की मांग को पूरा करने के लिए पेयजल विभाग ने 1989-90 में दो हैंड पम्प उस गांव के लिए स्वीकृत किये और गांव में दोनों को स्थापित कर दिया । गांव के लोग दोनों हैंड पम्पों को पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करते थे । इन हैंड पम्पों में से एक पर शालीमार कालोनी के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हैंड उतार कर तीन हार्स पावर की मोटर लगा ली गई । इस मोटर का कनेक्शन जलदाय विभाग के एक्स ई. एन. को भारी रिश्वत देकर विद्युत मण्डल के ए ई. एन. आखरोटा से लिया गया । बिजली लगवाकर इस हैंड पम्प से पानी के कनेक्शन अपने घरों में कर लिए और धड़ले उसे इस्तेमाल कर रहे हैं । ये दो तीन लोग ही सारा पानी इस्तेमाल करते हैं पेयजल विभाग का हैंड पम्प अब केवल दो तीन लोगों के काम आ रहा है पूरा गांव पानी से वंचित हैं लोगों में गम्भीर असंतोष

और जन आक्रोश फैला हुआ है। इस मामले को लेकर जलदाय मंत्री से भी गांव के लोग मिले हैं और ज्ञापन उन्हें दिया है मुख्य अभियन्ता जलदाय को विभाग ने 10-12-91 को एक पत्र जारी कर हैंड पम्प पर लगी मोटर को हटाने के आदेश दिये और साथ ही निर्देश दिया कि मोटर हटाकर उन्हें सूचित किया जावे। न तो अभी तक यह मोटर हटी है और न ही विभाग का कोई कर्मचारी उन असामाजिक तत्वों को पानी लेने से रोक पाया है। मंत्री ने जलदाय विभाग के उच्चतम अधिकारी को आदेश दिये और उन्होंने भी शायद स्पष्ट आदेश विभाग के अधिशाषी अभियन्ता को आदेश दे दिये पर अभी तक 3 माह हो गये हैं यह समस्या हल नहीं हो पायी। गांव के लोग गर्मी के आगमन पर चिंतित है कि पानी के अभाव में स्थिति क्या होगी।

एक्स. ई. एन. साहब ने शालीमार कालोनी के उन दो-तीन लोगों से मोटी रकम ऐंठ रखी है इसलिए अपने उच्च अधिकारी के आदेश के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे हैं तीन माह से मंत्री व चीफ के आदेश हीरापुरा गांव के गलियारे में ठोकरें खा रहे हैं केवल रुपये का आदेश प्रभावित हो रहा है। मान्यवर मंत्री जी ध्यान दें और गर्मी के दिनों के आने से पूर्व अपने आदेश का पालन करवायें।

भवदीय
ह०
(हेतराम बेनीवाल)
विधायक–क्षेत्र संगरिया

–X–

विषय : राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत कंवरसैन लिफ्ट् नहर में उपलब्ध पानी का समान व समुचित रूप से वितरण एवं समानता के आधार पर उपयोग में लेने के संबंध में।

महोदय,

कंवरसैन लिफ्ट् नहर लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के करीब एक चौथाई भाग को सिंचित एवं पीने हेतु पेयजल उपलब्ध कराती है जिसकी क्षमता 568 क्यूसेक है और जिससे 1 लाख 26 हजार एकड़ भूमि सिंचाई होना प्रस्तावित है और अन्य पेयजल योजनाओं के साथ-साथ 80 क्यूसेक पीने को पानी बीकानेर को भी दिया जाता है।

परन्तु कंवरसैन लिफ्ट् नहर के बनते वक्त काफी कमियां रह गई हैं जिनका वर्णन करना चाहूंगा। इस नहर कि राजियासर लिफ्ट् से पहले कोई ऐसा एस्केप नहीं बना है

न ही कोई माइनर निकाला है जिसमें प्रथम लिफ्ट् पर अगर मशीन या बिजली फेल हो जावे तो आगे के तीनों लिफ्ट् सिस्टम्स पर असर पड़ता है पूरी की पूरी सिंचाई व्यवस्था ठप्प हो जाती है तथा पहली लिफ्ट् तक नहरें टूटने का खतरा हो जाता है लिहाजा इन्दिरा गांधी नहर पर बना रेगुलेटर बन्द कराना पड़ता है और पुनः नहर चालू करने में अनावश्यक देरी होती है।

जीरो आर. डी. से टेल तक नहर में काफी जगह लूज रह गई है जिससे पूरा पानी लेने पर या नहर में मिट्टी व कचरा आदि आने पर लूज जगहों पर पानी टॉप लेवल से ऊपर हो जाता है तथा कहीं-कहीं तो बाहर बहने लगता है जिसकी शंका रहने से संबंधित अधिशाषी अभियन्ता क्षमता के अनुसार 568 क्यूसेक पानी लेने का इण्डेन्ट रेगुलेशन इन्चार्ज को देने में रिश्क समझता है कि कहीं नहर टूट न जाय।

लिफ्ट नम्बर दो मलकीसर पर से मलकीसर डिस्ट्रीब्यूटर्स 69 क्यूसेक की निकली है जो जितनी लम्बाई देनी थी नहीं दी जाने से प्रस्तावित रकबा सिंचित होने में कम पड़ गया है, पानी अधिक है अतः मलकीसर डिस्ट्रीब्यूटरी को लगभग 5 कि. मी. आगे बढ़ाई जाय जिससे गोरपुरा ग्राम का काफी रकबा पानी की उपलब्धता के अनुसार सिंचित होगा और एम. के. डी. की क्षमता के पानी का पूरा-पूरा सदुपयोग हो सकेगा तथा आर. डी. 196 पर बना एस्केप का सदुपयोग नहीं होता है यह पानी 3 मि.मी. खुला पड़ा रहता है। जिससे मोरमपुरा ग्राम की आबादी को भी नुकसान पहुंचता है अतः इस स्केप पर एक बड़ा रिजर्वायर बनाया जाय और ऊंची जमीन के काश्तकारों को इस रिजर्वायर से ड्रिप तथा फव्वारा सिस्टम से सिंचाई व बागवानी और घास चारा लगाने हेतु पानी उपलब्ध कराया जाय।

इसी नहर के शुरू से अन्तिम छोर तक जो 180 सीधे मोगों का 15 अप्रेल के बाद डिस्चार्ज 70 प्रतिशत किया जा रहा है जिससे 30 प्रतिशत पानी की बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है अतः इस पानी का सदुपयोग करने हेतु आर. डी. 303 और 304 के बीच से खोखराना डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली जाय जिससे लगभग 17 गांवों का रकबा सिंचित हो सकेगा।

अतः किसान हित को ध्यान में रखने वाली संवेदनशील सरकार के लिए आवश्यक है कि कंवरसैन लिफ्ट को बड़े-बड़े रेतीले टीबों के बीच से होकर निकली है जिसके इर्द-गिर्द ऊंची जमीन है और समतल भूमि की पुरानी सिंचाई पद्धति से सिंचित हो सकती है परन्तु इस नई आर्थिक प्रतिस्पर्धा के युग में जरूरी है कि किसानों को नई सिंचाई पद्धति से अवगत करावे तथा कृषि पद्धति में आमूलचूल परिवर्तनों को नये आयाम देने हेतु कंवरसैन लिफ्ट पर जिन काश्तकारों की भूमि सिंचित नहीं हो रही है सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रयोग के तौर पर फव्वारा तथा ड्रिप सिस्टम से पानी नहर से लेने हेतु सरकार की तरफ से सामुहिक छूट दे दी जावे जिससे इस श्रेणी के सभी लोग

310

लाभान्वित हो सके तथा रेतिली व ऊंची जमीन पर नई सिंचाई पद्धति के तहत नहर से पानी लेकर अन्न, फल, सब्जी एवं घास-चारा लगाकर परिवार एवं पशुओं का भरण-पोषण कर सकें।

आशा है उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर विचार करके सरकार जनहित में निर्णय लेकर कंवरसैन लिफ्ट नहर लूणकरणसर से उपलब्ध पानी का ज्यादा से ज्यादा रकबा सिंचित करके नई सिंचाई पद्धति को फलीभूत करें और पानी का समुचित तथा समान वितरण किया जाय।

भवदीय,
ह०
(मनीराम सियाग)
वि.स. 107

–X–

विषय : थाना बस्सी में पति-पत्नी का कत्ल व अन्य हत्याओं व डकैती चोरियों जो 1990–91 व 1991–92 तक हुई एक में भी सफलता नहीं मिलने के संदर्भ में ध्यान में प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्रस्ताव।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस थाना बस्सी से लगभग एक कि.मी. की दूरी पर दिनांक 26 व 27 अक्टूम्बर, 1991 की रात के समय ग्राम बिहारीपुरा के श्री नानगराम अपनी पत्नी के साथ अपने कुए पर बने मकान पर (जिसमें वे हमेशा रहते थे) सो रहे थे। रात को किन्हीं अज्ञात हत्यारों ने इन दोनों पति-पत्नी की हत्या कर दी। मौके मुआयने की जानकारी के अनुसार हत्या बड़ी बेर-हमी से की गई श्री नानगराम के गले में तोलिए से फांसी देकर हत्यारों ने तब तक खेंचे रखा है जब तक कि वह मर नहीं गया। मरने के बाद हत्यारों ने उसे रजाई से ढ़क दिया। श्री नानगराम की पत्नी को हत्यारों ने कत्ल करने से पहले बड़ी बेरहमी से टार्चर किया होगा क्योंकि श्रीमती नानगराम के शरीर पर जगह-जगह पाये गये घाव एवं घर में जगह-जगह तूड़े आदि पर बिखरा पड़ा खून इस बात का साक्षी था कि हत्यारों ने हत्या करने से पहले उसे टार्चर करके उससे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी। श्रीमती नानगराम का कत्ल करने के बाद हत्यारों ने बड़े क्रूर तरीके से उसके हाथ एवं पैर काटकर चांदी के कड़े निकाले। इन सबके अलावा हत्यारे घर रखे बक्सों को तोड़कर व खड्डा खोदकर उनमें रखा करीब 1.25 लाख रुपये का जेवर एवं कीमती सामान ले गये। घटना की रिपोर्ट थाना बस्सी में दिनांक 27 अक्टूबर

1991 को प्रातः दी गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही नहीं की। हालांकि पुलिस ने उक्त प्रकरण में मुकदमा संख्या 307/91 दर्ज कर लिया किन्तु हत्यारों का पता लगाने के लिए पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया बल्कि उल्टा निरीह सीधे-सादे गांव वासियों को कभी 10 को बुलाकर थाने में बिठा लिया कभी 6 को बुलाकर थाने में बिठा लिया और उन्हें इतना आतंकित किया कि उक्त हत्या के प्रकरण में पुलिस से कुछ पूछताछ करने की हिम्मत भी उन लोगों की खत्म हो गई। मुझे बड़े अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि पुलिस वालों का रवैया ऐसा लगा जैसे वे ग्रामवासी स्वयं ही हत्यारे और डकैत हो तथा स्वयं को बचाने के लिए निरीह एवं निर्दोष गांव वालों को इतना आतंकित कर दिया कि यह कि एक बार तो श्री ओमप्रकाश जी गुप्ता, मुख्य सचेतक ने थाने पर मेरे साथ जाकर निर्दोष ग्रामीणों को छुड़वाया। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बस्सी थाना अकेले में यह सातवां ऐसा हत्या काण्ड है जिसकी फायले ठण्डे बस्तों में बन्द हो गयी है। जिसके कारण कतिलयों का आतंक पूरे क्षेत्र में आतंक का रूप धारण करता जा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं कि उक्त पति-पत्नी की कत्ल के समान ही :-

1. जटवाड़ा में वृद्धा के हाथ-पांव काटकर हत्या।

2. जटवाड़ा के सी.सा. सैकण्डरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थी की हत्या कर नेशनल हाईवे पर डाला।

3. लूणियावास में गांव गोनेर रोड़ पर वृद्धा के हाथ-पांव काटकर हत्या की तथा लाश बोरे में बांधकर कूड़े में डाली।

4. बिहारीपुरा में दो हत्यायें पति-पत्नी।

5. मोहनपुरा में श्री नानगराम की अज्ञात ट्रक द्वारा हत्या।

6. लालगढ़ में छुरा घोप कर दिन दहाड़े रायल इन्फील्ड मोटर साईकिल वालों द्वारा हत्या।

7. जटवाड़ा के लड़के की बजाज नगर में हत्या।

भवदीय

दिनांक : 1.4.92

ह०

(कन्हैया लाल)

वि. स. 13

-x-

312

विषय :-विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत टोंक जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बनाये ऐनीकटस् के टूट जाने से असन्तोष के बारे में।

मान्यवर,

माननीय अध्यक्ष महोदय टोंक जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा जैसे सिचाई विभाग, भू-संरक्षण विभाग, ग्राम पंचायतों द्वारा जवाहर रोजगार योजना व अन्य योजनाओं के द्वारा पिछले सालों में पूरे जिले में कई एनीकट बनवाये गये। उन ऐनीकटस् से हजारों बीघा की सिचाई हुई तथा कुओं का जल स्तर ऊंचा हुआ पशुओं का व ग्रामीणों की पेयजल की समस्या भी सुलझी। लेकिन गत वर्ष जुलाई माह में एकदम भारी वर्षा हुई जिससे ग्राम, चूल्ही, बरयारन गांवडा, पंचापट मोर, जवाहर ऐनीकट पवालिया, गाडर वाडा ऐनीकट पावलिया ऐनीकट, मान्दोर्ग तहसील टोडारायसिंह व इसी प्रकार देवली तहसील, मालपुरा तहसील में अम्बापुरा ऐनीकट टोंक तहसील में ऐनीकट टूट गये। इनके निर्माण पर सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया, अच्छे नतीजे निकले थे किसानों को इसका रिर्टन मिला था लेकिन गत वर्ष अतिवृष्टि होने से प्राकृतिक प्रकोप की वजह से टूट गये इनकी मरम्मत करवाने के मामले में मैने गवर्निग कोंसिल की मिटिंग जोकि जिला स्तर होती है तथा सभी जिला स्तरीय अधिकारी व जन प्रतिनिधीगण इस मिटींग में उपस्थित होते हैं। इस मिटिंग में भी मैंने इस मसले को उठाया था। लेकिन जिला कलक्टर टोंक व परियोजना अधिकारी डी. आर. डी. ए. ने बताया की हमारे पास तो नये निर्माण का बजट प्रोविजन है। रख-रखाव व मेन्टीनेंस का कोई भी बजट नहीं है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय विशिष्ट योजना मंत्री महोदय व अकाल राहत मन्त्री महोदय से निवेदन है कि यातो विशिष्ट योजना से या राहत कार्य विभाग से इनकी मरम्मत करवाने हेतु ग्रामीण जिला विकास अभिकरण व टोंक को पर्याप्त धन राशि दिलवाई जाये ताकि उपरोक्त ऐनीकटस् की मरम्मत हो सके, अगर समय रहते यानी आगामी मानसून के पूर्व उपरोक्त टूटे हुये ऐनीकटस् की मरमत नहीं करवाई गई तो सरकार ने जिस मन्तव्य से ऐनीकट निर्माण में विगत वर्षों में करोड़ों लाखों रुपया जनहित में खर्च किया वह निरर्थक हो जावेगा। अतः उपरोक्त कार्यों के लिये धन राशि उपलब्ध करवाकर सभी एनीकटस् की मरम्मत करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह०

(घासीलाल चौधरी)

वि. सं. 36

दिनांक 1-4-92

-x-

विषय :–प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय

राजस्थान वीर-वीरांगनाओं के त्याग, बलिदान तथा उत्सर्ग का इतिहास रहा है। देश के इतिहास में राजस्थान का स्थान गौरवशाली रहा है। यहां के वीरों एव वीरांगनाओं के त्याग, बलिदान तथा उत्सर्ग ने ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जिसके गौरव गाथा ने राजस्थान और हिन्दुस्तान को ही नहीं बल्कि सारे संसार को आश्चर्यचकित और प्रभावित किया है।

महाराणा प्रताप की वीरता, त्याग एवं बलिदान कि कहानियां किसको प्रभावित नहीं करती। महाराणा सांगा की वीरता, इतिहास प्रसिद्ध है। भामाशाह का त्याग, देश भक्ति एवं समर्पण पन्नाधाय की स्वामी भक्ति, त्याग, वफादारी एवं समर्पण, महारानी पद्मनी का आन बान, शान के लिए जौहर की ज्वाला में बलिदान तथा उत्सर्ग, मीरा की भक्ति, वीर वर कुम्भा तथा महान योद्धा दुर्गादास की वीरता, महारानी हाडी का देश भक्ति पूर्ण प्रेम, जयमल और पत्ता की वीरता एवं शौर्य का इतिहास किसको प्रभावित नहीं करता। इन वीर-वीरांगनाओं के व्यक्तित्व एवं कृतित्व ने प्रान्त देश एवं संसार के लिए आदर्श एवं प्रेरणा प्रस्तुत की है।

देश के विभिन्न प्रान्तों का दौरा करने पर हमें पता चलता है कि जिस प्रान्त में जो महापुरुष पैदा हुआ है तथा जिस हुतात्मा ने अपने करतब से प्रान्त को गौरान्वित किया है उस प्रान्त ने उस महापुरुष की प्रतिमा अपने प्रान्त के बडे शहरों के प्रमुख चौराहों पर लगा कर उनके प्रति श्रद्धांजलि तथा कृतज्ञता प्रकट की है, लेकिन यह बड़े ही दुःख एवं आश्चर्य का विषय है कि राजस्थान में ऐसा कही भी उत्साह पूर्वक दिखाई नहीं देता। अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय स्वायत शासन मंत्री तथा मुख्यमन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि प्रान्त के सभी बड़े शहरों के प्रमुख चौराहों पर महाराणा प्रताप, राणा सांगा, भामाशाह, जयमल और पत्ता कुम्भा, वीरदुर्गादास, मीराबाई, महारानी पद्मिनी तथा पन्नाधाय की प्रतिमाएं स्थापित करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

दिनांक 1.4.92

भवदीय,

ह०

(हीरालाल आर्य)

वि. स. 192

–×–

(314)

विषय :-विधान सभा की प्रक्रिया एवं नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत आटो रिक्शा की मीटर का पुनः निर्धारण दरों सम्बन्धी।

महोदय जी,

आटो रिक्शा कि दरे राज्य सरकार द्वारा लगभग तीन वर्ष पूर्व तय की गई थीं तथा पूरे प्रान्त में उन दरों पर आटो रिक्शा मीटर से चलते रहे हैं। जोधपुर एवं जयपुर तथा राजस्थान के अन्य भागों में आटो रिक्शा से सम्बन्धित व्यक्ति मीटर से आटो रिक्शा चलाने को तैयार हैं तथा चला भी रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों में पेटोल के भावों में तथा इसके अलावा टायर ट्यूब आटो रिक्शा पार्ट्स व कारीगरों के भावों में हुई वृद्धि से आटोरिक्शा चालक परेशान हैं, अब वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर रिक्शा चलाता है तो उसका घर खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया है ऐसी परिस्थितियों को देखते हुये अब आटो रिक्शा की मीटर दरों का पुनः निर्धारित रिक्शा यूनियन्स के राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर किया जाना आवश्यक है। जिससे आटो रिक्शा चालकों को मंहगाई की राहत मिल सके। दूसरे राज्यों की तुलना में राज्य की दरें काफी कम हैं।

आटो रिक्शा अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के सम्बन्ध में मोडल कन्डीशन लागू की गई है उस पर भी पुनः विचार किया जाना आवश्यक है। देश के किसी भी हिस्से में ऐसी कण्डीशन लागू नहीं है।

भवदीय,
ह०
(राजेन्द्र गहलोत)
वि. स. 133

-X-

विषय :-विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत राजकीय उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिन्डौन की बिगड़ती हालत के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय हिन्डौन उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्डौन अस्पताल में डाक्टर सही समय पर अस्पताल में नहीं आते हैं जिससे मरीजों को दो दो घण्टे इन्तजार करना पड़ता है तथा जो भी डाक्टर अस्पताल में आता है तो मरीजों को घर देखने के लिये बाध्य करते हैं तथा मरीजों से

अच्छी खासी रकम वसूल करते है तब उन्हें देखते हैं। डाक्टरों की बुरी हालत को देख करके मरीजों को भरतपुर करोली या जयपुर जाना पड़ता है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि हिन्डौन अस्पताल की व्यवस्था के सुधार हेतु योग्य अनुभवी डाक्टरों को हिन्डौन में लगाया जाये एवं भ्रष्ट डाक्टरों को तुरन्त हटाये जाने की कृपा करें। जिससे अस्पताल की हालत में सुधार हो सके।

भवदीय,

ह०

(भरोसी लाल)

वि. सं.--95

-×-

विषय :-विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत रूपवास विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के टूटने व जीर्णशीर्ण होने से असंतोष के बारे में।

मान्यवर,

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र रूपवास की सड़कों की हालत बहुत खराब हो रही है जिससे बयाना से रूपवास बारेटा से भरतपुर रूपवास से बंशीपहाड़पुर रूपवास से जगनेर रूपवास से भरतपुर रूपवास से उच्चेन व बंधबारेटा से जटवासी रूपवास आदि सड़कों की हालत जर्जर है सड़कें टूटी हुयी पड़ी हैं एवं मंत्रीजी की घोषणा के अनुसार भी सड़कों की मरम्मत आज तक नहीं हुयी हैं। सड़कों में गढ्ढे पडे हुये हैं। ट्रक, ट्रेक्टर ट्रोली, बसे आदि को आने जाने में भयंकर परेशानी होती हैं।

अतः मंत्रीजी से अनुरोध हैं कि उपरोक्त सड़कों को तुरन्त ठीक कराया जावे एवं नई सड़के बन्ध बारेटा से गजनुमा सिघीनया आदि गावों को सड़कों से जोडा जावे।

भवदीय,

ह०

(निर्भय लाल)

वि. सं.-74

-×-

विषय : कोटा इन्जिनियरिंग कालेज में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में :
प्रक्रिया व नियम 295 के तहत सूचना

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय कोटा इन्जिनियरिंग महाविद्यालय के वर्तमान प्रधानाचार्य के खिलाफ कई लोगों व वहां के अध्ययनरत छात्रों द्वारा एक लिखित शिकायत सरकार से की थी। सरकार ने तत्परता दिखाते हुए जांच-आदेश दिये। जांच कोटा सम्भागीय आयुक्त श्री टी. आर. वर्मा द्वारा जांच की, जांच सरकार को भेजी परन्तु अधिकारी उसको दबा गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय इन्जिनियरिंग कालेज के प्रिंसीपल द्वारा विज्ञापन संख्या ईसी के/ईएसके/2/90 के द्वारा दिनांक 16.10.90 को वैधुतिकी के चार रीडर पदों हेतु आवेदन आमन्त्रित किये गये थे व आवेदन जमा कराने की अन्तिम दिनांक 17.11.1990 थी। परन्तु एक उम्मीदवार का आवेदन इस दिनांक के काफी दिनों बाद स्वीकार किया गया व उनको बाद में नियुक्ति भी दे दी गई जबकि 21 नवम्बर को प्रिंसीपल ने एक नोट सादा प्रार्थना पत्र पर लगाया हुआ है कि आवेदन नहीं मिला है व उसकी पुष्टी उनके क्लर्क ने 22.11.90 को एक नोट द्वारा की परन्तु हजारों रुपये रिश्वत लेकर आवेदन स्वीकार किया व रीडर के पद पर नियुक्ति दे दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय कई भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें सरकार को मिली हैं, तुरन्त जांच करावें। दोषी व्यक्ति को दण्ड दिया जाये।

दिनांक 1.4.92

भवदीय,
ह०
(मदन दिलावर)
वि. स. 104

-x-

विषय : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत पुश्तैनी काश्तकारों की भूमि को राजस्थान आवासन मण्डल बीकानेर द्वारा मुआवजा दिये बिना ही पेड़ों को काट कर अनाधिकृत निर्माण कर व भूमि का स्वरूप बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा राज्य के अन्य हिस्सों में आवासन मण्डल द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि को "डिएक्वायर" करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

मान्यवर,

बीकानेर शहर के पास "मुक्ताप्रसाद कोलोनी आवासन मण्डल, बीकानेर के पास पुश्तैनी काश्तकारों की भूमि बीकानेर के भूतपूर्व महाराजा द्वारा काश्तकारों के दादा, परदादाओं के समय गैर-खातेदारों के रूप में आवंटित की गई, के समय काश्तकारों को कुओं से पानी निकालने का काम करते थे धीरे-धीरे कुओं में बिजली लगने से तथा नलों से पानी मिलने से वे बेरोजगार हो गये। इनको भूतपूर्व महाराजा के मौखिक आदेशों से ग्राम चक गरबी बीकानेर की कृषि भूमि रहने एवं काश्त करने के लिए दी हुई थी। जहां वे शुष्क खेती का कार्य करते थे। हाल ही में मुक्ताप्रसाद पश्चिम विस्तार योजना (नगर) के अन्तर्गत उक्त पुश्तैनी काश्तकारों को गैर-कानूनी तरीके से बेदखल किया जा रहा है। उक्त माली जाति के काश्तकारों को जीवन-यापन का एक मात्र साधन शुष्क खेती है। वे गरीब एवं अनपढ़ होने के कारण खातेदारी से वंचित रह गये हैं। कृषि भूमि पर इनके पुरखों द्वारा कच्ची साल, कमरा पानी की कुण्डी, भैरूजी व भोमाजी के स्थान तथा बैर के अनेक पेड़ लगाये हुए हैं काश्त करने के लिए चारों तरफ बाड़ व खाई कर कानों पर पट्टियों के टुकड़े लगाये हुए हैं तथा बरसात के मौसम में परिवार के सारे लोग यहीं रहते हैं। इन गैर-खातेदारों के पुश्तैनी जमीन खेत खसरा नं. 578 तादादी 15 बीघा, नं. 730 तादादी 5 बीघा, खसरा नं 735 तादादी 25 बीघा 19 बिसवा कृषि भूमि लीलाधर के नाम काश्त पर थी। इन्तकाल के बाद इनके बाद इनके तीन पुत्र एवं 14 परिवार के अन्य सदस्यों के पास कब्जा काश्त है। इसी प्रकार के अनेक गैर-खातेदार इस स्थान पर गैर-खातेदारों के रूप में काश्त कर रहे हैं। उक्त कृषि भूमि को हाऊसिंग बोर्ड बीकानेर के रेजीडेन्ट इंजीनियर तथा अधिशाषी अभियन्ता के द्वारा उक्त कृषि भूमि का मुआवजा दिये बिना एवं भूमि के बदले दूसरी अन्य जगह कृषि भूमि दिये बिना ही किसानों के खेतों में लगे पेड़ों को काट कर व बाड़ों को हटा कर पट्टियों को तोड़ कर जबरदस्ती डरा-धमका कर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। इन गरीब पुश्तैनी काश्तकारों के हकों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है।

राम, रोटी और मकान का नारा लगाने वाले पुश्तैनी काश्तकारों के हकों को छीन रहे हैं।

कुछ काश्तकारों ने उच्च न्यायालय तथा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर से स्थगन आदेश लेकर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्राप्त किये हैं। इसके बावजूद राजस्थान आवासन मण्डल इन काश्तकारों को बेदखल की कार्यवाही कर वहां मकान बना रहा है। राज्य सरकार एक ओर गैर-खातेदार जो 50 वर्ष से अधिक समय से खेती का कार्य कर रहे हैं। उनको खातेदारी के अधिकार नहीं दे रहे हैं दूसरी ओर जयपुर स्थित सांगानेर के पास हाऊसिंग बोर्ड की आवासीय योजना के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को राज्य सरकार ने "डिएक्वायर" किया है। बीकानेर

318

में पुश्तैनी माली जाति के काश्तकारों की भूमि को बिना मुआवजा दिये तथा बिना जमीन के बदले जमीन दिये आवासन मण्डल द्वारा उक्त जमीन को जबरन कब्जा कर लिये जाने से वहां के काश्तकार तथा नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है। राज्य सरकार को चाहिए कि वे पुश्तैनी काश्तकारों को उनकी कृषि भूमि का खातेदारी का हक कब तक प्रदान करेंगे। काश्तकारों की कृषि भूमि में उनको अपने परिवारों के सदस्यों को मकान बनाने की स्वीकृति दी जावे। कृषि भूमि में काश्तकारों के मकान मंदिर में पानी व बिजली के कनेक्शन अविलम्ब दिये जावे। अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल बीकानेर को पाबन्द किया जावे कि पुश्तैनी काश्तकारों की कृषि भूमि पर उगे पेड़ों को नहीं काटा जाये। नाजायज प्रवेश नहीं किया जावे तथा मकानों का निर्माण अविलम्ब बन्द किया जावे। राज्य सरकार को आवासन मण्डल हेतु उक्त भूमि को उपयोग में लेना आवश्यक समझे तो पहले काश्तकारों को जमीन के बदले जमीन दी जावे अथवा उनको जमीन का मुआवजा दिया जावे।

आशा है राज्य सरकार इनकी समस्याओं का अविलम्ब समाधान कर इन्हें राहत प्रदान करेगी।

भवदीय,

ह०

(बुलाकीदास कल्ला)

नगर विधायक, बीकानेर

(वि. स. 93)

–X–